षष्ठम माला, खंड 27, अंक 51   सोमवार, 7 मई, 1979/17 वैशाख, 1901 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(सातवां सत्र)

6th Lok Sabha

[खंड 27 में अंक 51 से 59 तक हैं]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय सूची

अंक 51, सोमवार, 7 मई, 1979 / 17 वैशाख, 1901 (शक)

विषय

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 1011, 1022, 1023, 1026, 1027 और 1029	1–16
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या 1010, 1012 से 1021, 1024, 1025 और 1028	16–23
अतारांकित प्रश्न संख्या 9801 से 9899 और 9901 से 10,000 .	23–136
सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण के बारे में	136–139
सभा पटल पर रखे गए पत्र	140–141
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— . . .	141–148
इण्डियन एयर लाइन्स के इंजीनियरी तथा तकनीकी कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार काम किया जाना और हड़ताल की धमकी दिया जाना—	141–148
श्री नाथू सिंह .	141–148
श्री पुरुषोत्तम कौशिक	142–148
कार्य मंत्रणा समिति .	148–153
34वां प्रतिवेदन	148–153
स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि की सूचनाएं देने के समय के बारे में	154
नियम 377 के अधीन मामले	154–158
(एक) विभागों अथवा सहकारी समितियों द्वारा चलाई जा रही कैन्टीनों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें—	154–155
श्री युवराज	154–155
(दो) राजधानी में वाणिज्यिक और रिहायशी सम्पदा के व्यापार में घोटाले का समाचार —	155
श्रीमती मोहसिना किदवई . .	155
(तीन) कर्नाटक में कुद्रेमुख लोह अयस्क परियोजना —	155
श्री बी० राचैया	155
(चार) "काम के बदले अनाज योजनाओं के लिए अनाज की सप्लाई—	156
श्री पी० राजगोपाल नायडू	156
(पांच) कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों को बन्द करने का बम्बई दूरदर्शन का कथित निर्णय—	156
डा० वसन्त कुमार पण्डित	156
(छ) अलजीरिया और इरान में भारतीय डाक्टरों की कथित समस्याएं—	156
श्री के० सूर्य नारायण . . .	156
(सात) दिल्ली में टेलीफोन विभाग का कार्यकरण—	157–158
श्री शिवनारायण सरसूनिया	157–158
विशेष न्यायालय विधेयक, 1979	158–173
श्री जगन्नाथ शर्मा	158–160
श्री एडुआर्डो फैलीरो	160–162
श्री राम जेठमलानी	162–165

किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

I—205 लोक सभा/79

विषय	पृष्ठ
श्री शशांक शेखर सान्याल	165–166
श्री वसन्त साठे .	166–168
श्री श्यामनन्दन मिश्र	168–170
प्रो० पी० जी० मावलंकर	170–172
श्रीमती पार्वती कृष्णन	172–173
अमरीकी सरकार द्वारा भारत में चुनावों के लिए विदेशी धन के कथित भुगतान के बारे में चर्चा—	173–216
श्री कंवर लाल गुप्त . .	173–178
श्री सी० एम० स्टीफन	178–186
श्री गौरी शंकर राय	186–188
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	189–192
श्री समर मुखर्जी	192–196
श्री यादवेन्द्र दत्त .	196–198
श्री० एम० एन० गोविन्दन नायर .	198–200
डा० बलदेव प्रकाश . .	200–204
प्रो० पी० जी० मावलंकर	204–206
श्री ब्रज भूषण तिवारी	206–208
श्री युवराज	208–209
श्री नाथू सिंह	209–212
श्री उग्र सेन . .	212–214
श्री एच० एम० पटेल	214–216

लोक - सभा

सोमवार, 7 मई, 1979/17 वैशाख, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर 6 मिनट पर समवेत हुई। (अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्रायः समुद्री तूफानों का सामना करने वाले क्षेत्रों में रक्षा व्यवस्था

1011. श्री सरत कार : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडू के प्रायः समुद्री तूफानों का सामना करने वाले क्षेत्रों में रक्षा व्यवस्था करने के प्रस्ताव के बारे में किए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है और वर्ष 1978–79 के दौरान इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) आन्ध्र प्रदेश में 1977 में आये भयंकर समुद्री–तूफान के पश्चात् यह महसूस किया गया था कि समुद्री तूफानों के प्रकोप को कम करने के लिए कदम उठाना आवश्यक है । आन्ध्र प्रदेश के तूफान से यह पता चला कि जहां कहीं कज्यूरीना के वृक्षों की पट्टी पर्याप्त क्षेत्र में थी, वहां इससे समुद्री तूफान का प्रभाव काफी मात्रा में रोका गया तथा इसका प्रभाव मामूली रहा और इसके फलस्वरूप कुछ मूल्यवान भूमि एवं सम्पत्ति की रक्षा हो सकी । इसको मद्दे नजर रखते हुए, 13 फरवरी, 1978 को मद्रास में हुई दक्षिणी राज्यों की बैठक में उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, तथा तमिलनाडु के समुद्री तटों के साथ-साथ रक्षा पट्टियों को बनाने का निर्णय लिया गया । इस योजना को "काटे गये वनों" का पुनर्वनरोपण करने तथा रक्षा पट्टियों को बनाने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय अनुदान के रूप में अनुज्ञेय सीमा तक वित्तीय सहायता दी जानी थी । इस योजना के अन्तर्गत समुद्र तट की भूमि पर कज्यूरीना के पौद-रोपण के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी थी और इसके साथ-साथ समुद्र तट के साथ उपलब्ध सरकारी भूमि पर, जहां कहीं भी सम्भव हो, नारियल एवं काजू का वृक्षारोपण करना था । भूमि की उपलब्धि पर निर्भर करते हुए वृक्षारोपण की कुल चौड़ाई 100 मीटर से लेकर 1 कीलोमीटर तक थी । कज्यूरीना को 2 मीटर गुणा 2 मीटर पर लगाया जाना था । यह योजना वर्ष 1978–79 में आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा तमिलनाडु के लिए स्वीकृत की गई थी ।

(ख) वर्ष 1978–79 के लिए आन्ध्र प्रदेश, उडीसा तथा तमिलनाडु को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार थी :

आन्ध्र प्रदेश	24.30 लाख । (जिसके बाद में राज्य के अनुरोध पर संशोधित कर 11.69 लाख कर दिया गया) ।
उड़ीसा .	. 78.00 लाख
तमिलनाडु	. 30.00 लाख

प्रथम तिमाही में उपर्युक्त परिव्यय का केवल एक चौथाई ही निर्मुक्त किया गया है, और राशि कार्य की प्रगति के अनुसार निर्मुक्त की जानी है ।

2—205 लोक सभा/79

विवरण—जारी

इस वर्ष के दौरान निर्मुक्त की गई कुल धनराशि निम्न प्रकार है :

आन्ध्र प्रदेश . . .	6.00 लाख
उड़ीसा	60.00 लाख
तमिलनाडु	7.50 लाख

1978–79 के पूरे वर्ष की वास्तविक उपलब्धि की रिपोर्टें राज्यों से अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

इस योजना को अब केन्द्र द्वारा प्रायोजित क्षेत्र से राज्य क्षेत्र में हस्तान्तरित कर दिया गया है ।

श्री सरत कार : सब से पहले मैं जनता सरकार को तूफान ग्रस्त होने वाले क्षेत्रों में तूफान को नियंत्रित करने एवं उसके प्रभाव को कम करने के लिए धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं । विवरण में माननीय मंत्री ने बताया है कि इस योजना को केन्द्र द्वारा प्रायोजित "काटे गए बनो का पुनर्वनरोपण करने तथा रक्षा पट्टियों को काटने" की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय अनुदान के रूप में अनुज्ञेय सीमा तक वित्तीय सहायता दी जानी थी । उन्हो ने यह भी बताया है कि योजना को केन्द्र प्रायोजित क्षेत्र से राज्य क्षेत्र में हस्तान्तरित कर दिया गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्र उतनी धनराशि उपलब्ध करेगी जितनी राज्य को योजना की सफलता के लिए चाहिए । चूंकि इसे राज्य को हस्तान्तरित किया गया है अतः यह हो सकता है कि केन्द्र अपना उत्तरदायित्व राज्य पर डाल दे । उड़ीसा में मूल्यवान जमीन का अतीक्रमण हो चुका है और शरणार्थियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा बनो का नाश किया गया है । अब उनको अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी । मैं जानना चाहूंगा कि क्या केवल अनुज्ञेय सीमा तक ही अनुदान दिया जाएगा अथवा योजना को सफल बनाने के लिए और अधिक अनुदान दिया जाएगा ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैंने बताया है कि इसे अब राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दिया गया है और योजना को राज्यों को देखना होगा । यह बहुत ही अच्छी योजना है और इसकी जड़े भी जम चुकी हैं तथा यह उचित रूप से प्रगति भी कर रही है । हम राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस योजना की ओर अधिक ध्यान दिया जाये ।

श्री सरत कार : यह योजना चूंकि अब राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर दी गई है मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या राज्य केन्द्र के प्रति उत्तरदायी होगा अथवा प्रगति की जानकारी प्राप्त करने तथा योजना का पुनरीक्षण करने और अधिक अनुदानों की सिफारिश करने के लिए किन्हीं अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसके बारे में प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जाएगा अथवा केन्द्र सरकार इसे सदस्यों को उपलब्ध करेगी चूंकि यह एक राष्ट्रीय मामला है । इसके द्वारा हम जान सकेंगे कि तूफान पट्टी को किस प्रकार संरक्षण दिया जा रहा है ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : राज्य सरकारें उस रूप में प्रत्येक योजना के लिए केन्द्र सरकार को उत्तरदायी नहीं हैं । उनको अपना स्वयं का आबन्टन और उनको आबन्टित राशियों में से अपनी स्वयं की प्राथमिकता नियत करनी होती है । परन्तु मेरा विचार है कि यह एक ऐसी योजना है जिसको तटीय राज्यों को इन क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि वे ऐसा करेंगे ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : योजना चूंकि तूफान ग्रस्त होने वाले क्षेत्रों के लिए तैयार की गई है मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह यह समझते हैं कि राज्य सरकारे प्रस्तावित कार्य करने के लिए समर्थ हैं । मंत्री महोदय जानते होंगे कि जिला रामनद, धनुष्य कोटि और रामेश्वरम तूफान ग्रस्त होने वाले नगर है और वे बंगाल की खाड़ी तथा हिन्द महासागर से प्रभावित होते हैं । अतः मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार इस योजना को सीधे ले सकती है और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस पर विचार करें ताकि इन क्षेत्रों को संरक्षण मिलें ।

अध्यक्ष महोदय : तत्सम्बन्धी ब्यौरे तो विवरण में ही दिये हुए हैं ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : ब्यौरें विवरण में भी दिये गए हैं । तूफान के तत्काल पश्चात इस मामले को हमने लिया और राज्य सरकार के साथ परामर्श के पश्चात इस विचार के साथ यह योजना आरंभ की गई थी की यह प्राथमिकता प्राप्त योजना है । अतः कुछ कार्य तत्काल आरंभ कर दिया गया । परन्तु अब राज्य सरकारों के इस अनुरोध के कारण कि उनको कुछ आबन्टन मिलना चाहिए अधिकतर योजनाएं राज्यों को आन्तरित की जानी चाहिए । अतः इसके अनुसार यह योजना पूरी तरह राज्यों को हस्तान्तरित कर दी गई है ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : जब आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा अन्य स्थानों पर तूफान आया तो उनको बचाने के सम्बन्ध में कुछ कठिनाई थी । उत्तर दायित्व पूरी तरह से नियत नही था । अतः कई दिक्कतें पैदा हुई । केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों की आलोचना की गई और राज्यों द्वारा केन्द्र सरकार की आलोचना की गई । अतः क्या माननीय मंत्री सभा में ऐसा कानून पुरःस्थापित करेंगे जिसके द्वारा तूफान और सूखे जैसी दैवी आपदाओं की दिक्कतों को कम किया जा सके ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह रक्षा पट्टियों के बारे में है ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : यह रक्षा पट्टियां हो सकती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कानून एक अलग बात है । आप प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री टी० बालाकृष्णैया : तूफानो के कारण तूफानो के दौरान सप्लाई चैनलों तथा नहरों पर बहुत अधिक कुप्रभाव पड़ा है । रक्षा पट्टी बनाने की प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत क्या सप्लाई चैनल एवं नहरें भी सम्मिलित हैं; यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में किन किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है और इन सप्लाई चैनलों और आन्तरिक भागों में स्थित नहरों के बचाव के लिए, जिन पर तूफानों के प्रभाव पड़ने की सम्भावना रहती है, कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह तट के साथ-साथ रक्षा पट्टी के सम्बन्ध में था । अतः यह नहरों अथवा संचार व्यवस्था की रक्षा के लिए नहीं अपितु केवल तटीय क्षेत्र के लिए है ।

श्री टी० बालाकृष्णैया : आन्ध्र प्रदेश में आने वाले हाल के तूफान तटीय क्षेत्रो में आए थे । प्रायः सभी सप्लाई चैनल, नहरें, जो खेतो को पानी ले जाती है, क्षतिग्रस्त हो गई थी और वह वास्तविक क्षति है जो बहुत भारी संख्या में लोगों को सहन करनी पड़ी है ।

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए एक अलग योजना जरूरी होगी ।

श्री टी० बालाकृष्णैया : क्या कम से कम भविष्य में उक्त चैनलों, सप्लाई चैनलों तथा पोषक नहरों के बचाव के लिए कोई ऐसी योजना है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : अभी तक इन नहरों के लिए व संरक्षण बान्धों के लिए इस प्रकार की कोई योजना नहीं है ।

श्री पद्माचरण सामंत सिंहेरा : 1971 में उड़ीसा में तूफान में हजारो लोग मर गए । क्या खारे पानी और तूफानों से उड़ीसा को बचाने के लिए कोई प्रस्ताव अथवा योजना है ।

अध्यक्ष महोदय : आप क्षेत्र को और अधिक व्यापक कर रहे हैं । यह एक बहुत ही सीमित प्रश्न है ।

श्री पद्माचरण सामन्त सिंहेरा : उड़ीसा सरकार ने तूफान और खारे पानी से बचाव की एक योजना प्रस्तुत की थी ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : उस योजना के अनुसार भी आन्तरिक क्षेत्रो को तूफानों से बचाना था चूंकि यह कच्यूरीना की स्फुरण पट्टी है और उसके बाद नारियल और काजू का वृक्षरोपण करना था—100 मीटर से लेकर 1 कीलो मीटर तक में । समुद्र तट को साथ-साथ वृक्षरोपण की यह पट्टी आन्तरिक क्षेत्रों को भी समुद्री तुफानों से बचाएगी, चंकि समुद्री तूफानों का प्रभाव इन रक्षा पट्टियों पर पड़ा था ।

मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों में डाक व दूरसंचार सुविधाएं

1022. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उन जिलों के क्या नाम है जहां सरकार का विचार प्राथमिकता के आधार पर डाक व दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : दूरसंचार : (क) और (ख) : सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार पिछड़े क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं की प्राथमिक व्यवस्था करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अन्य स्थानों में लागू विवेचक मापदण्ड के मुकाबले पिछड़े क्षेत्र वाले स्थानों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर तथा तार घर खोलने के विवेचक मापदण्ड को काफी उदार बना दिया गया है। उक्त मापदण्ड और मध्य प्रदेश के उन जिलों की सूची जिन्हें पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और जहां इस प्रकार के उदार मापदण्ड लागू होते हैं, बताने वाला एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जा रहा है।

डाक : (क) और (ख) : मध्य प्रदेश में डाक सुविधा के विस्तार के उद्देश्य से पिछड़ा क्षेत्रसमझे जाने वाले क्षेत्रों की सूची सभा-पटल पर रखी जा रही है। इस प्रकार के क्षेत्रों में डाकघर खोले जाने के लिए आबादी और वित्तीय नियमों में दी गई ढील का परिपालन किया जाता है।

विवरण

हानि पर सार्वजनिक टेलीफोन घर एवं संयुक्त डाकघर खोलने की नीति स्थानों की श्रेणियां

(1) जिला मुख्यालय

(2) उपमण्डलीय मुख्यालय

(3) तहसील मुख्यालय

(4) उप तहसील [मुख्यालय

(5) ब्लाक मुख्यालय

(6) ऐसे स्थान जिनकी जन संख्या साधारण क्षेत्रों में 5000 या अधिक तथा पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 या अधिक हो।

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने हेतु शर्त

घाटे का ध्यान न करके भी न्यूनतम राजस्व की शर्त बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।

(7) वे स्थान जहां पर ऐसे पुलिस स्टेशन स्थित हों जिनका इन्चार्ज उपनिरीक्षक या इससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी हो।

साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ति व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

(8) ग्राम रास्ते के दूर के स्थान —

(क) मौजूदा एक्सचेन्ज से 40 कि0 मी0 से अधिक (अरीय दूरी) होनी चाहिए।

(ख) साधारण इलाखों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत तथा पिछडे क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

संयुक्त डाकघर खोलने हेतु शर्त

घाटे का ध्यान न करके भी न्यूनतम राजस्व की शर्त बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।

साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

(क) मौजूदा तार घर से 20 कि० मी० से बाहर (अरीय दूरी) होनी चाहिए।

(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्र में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

मध्य प्रदेश के डाक की दृष्टि स पिछड़े इलाकों की सूची

1. विन्ध्य प्रदेश
2. बाझार तहसील, बालघाट जिला
3. बस्तर जिला
4. कटहरा तहसील, बिलासपुर जिला
5. बेतूर और भैंसदेई तहसील, बैतूल जिला
6. अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा और लखंडन तहसील, जिला छिंदवाड़ा

विवरण—जारी

7. वालौंद (संजासी तहसील, दुर्ग जिला)
8. मांडला जिला
9. धर्मजागढ़, घरहड़ा, जशपुरनगर और खरसिया तहसील, राजगढ़ जिला
10. हरसूड तहसील, निमाड़ जिला
11. सरगुजा जिला
12. बिलासपुर, रायगढ़ और सारंगढ़ तहसील, बिलासपुर जिला
13. झबुआ जिला
14. बिंदरा तथा नवागढ़ तहसील, रायपुर जिला
15. देवास जिला
16. नरसिंहपुर जिला
17. शाजापुर जिला
18. भिंड़ जिला
19. मुरैना जिला
20. शिवपुर जिला
21. गुना जिला
22. सागर जिला
23. दमहोह जिला
24. विदिशा जिला
25. धार जिला
26. खारगौन जिला
27. रायसेन जिला
28. सिहोर जिला
29. राजनन्द गांव जिला
30. बिरासिया तहसील, भोपाल जिला
31. रायगढ़ जिला
32. सिवनी तहसील, सिवनी जिला
33. मुलतई तहसील, बेतूल जिला
34. सक्ती मुंगोली और जांगीर तहसील, विलासपुर जिला
35. सासर तहसील, छिंदवाड़ा जिला

(ग) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000 रु० वार्षिक तथा पिछड़े पर्वतीय इलाकों में 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(9) पर्यटन/तीर्थ केन्द्र/कृषि-सिंचाई, विद्युत परियोजना स्थल/नगर क्षेत्र

(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत था पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्र० श० पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत था पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

(ख) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000 रु० वार्षिक तथा पिछड़े पर्वतीय इलाकों में 5,000 रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।

विवरण—जारी

(10) सभी अन्य स्थान :—

वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या घाटे के मामले में किराये और गारंटी के आधार पर	वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या घाटे के मामले में किराये और गारंटी के आधार पर ।

नोट 1 : जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों पर विचार करते समय केवल अकेले नगर या ग्राम की जन संख्या पर ही विचार करना चाहिए न कि नगरों या ग्रामों के समूह की जनसंख्या पर । आदिवासी क्षेत्रों में किसी केन्द्रीय स्थान से 10 कि० मी० अर्धव्यास के वृत्त में आए हुए सभी स्थानों की सम्मिलित जनसंख्या यदि 2500 या उससे अधिक हो तो केन्द्रीय स्थान पर बिना हानि और अल्पतम राजस्व की शर्तों के सार्वजनिक टेलीफोन खोला जा सकता है । इस छूट के अन्तर्गत कोई भी दो सार्वजनिक टेलीफोन 10 कि० मीटर से कम दूरी पर नही खोले जा सकते हैं ।

नोट 2 : यदि प्रस्तावित तार घर के 8 कीलो मीटर के भीतर कोई अन्य तारघर कार्य करता हो तो घाटे पर कोई भी तारघर खोला जाना चाहिए ।

मध्य प्रदेश के पिछड़े जिले

1. बालघाट	19. नरसिंहपुर
2. बस्तर	20. पन्ना
3. बैतूल	21. रायगढ़
4. बिलासपुर	22. रायपुर
5. भिंड़	23. राजगढ़
6. छतरपुर	24. रायसेन
7. छिंदवाड़ा	25. रतलाम
8. दमोह	26. रीवा
9. दतिया	27. सागर
10. धार	28 सियानी
11. देवास	29. शाहजापुर
12. गुना	30. सिवपुरी
13. होशंगाबाद	31. सिधी
14. झबुआ	32. सुरगोजा
15. खारगोन	33. टीकमगढ़
16. मांडला	34. विदिशा
17. मदसौर	35. शाहडोल
18. मुरैना	36. दुर्ग 1. बलौद (संजासी तहसील)
	37. खंडवा 1. हरसुद तहसील ।

श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या यह सही है कि पिछड़े इलाकों में पिछड़ी जातियों के ऊपर, आदिवासी और हरिजनों के ऊपर अत्यधिक अत्याचार हुआ करते हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय थानों में तार और दूर संचार की व्यवस्था स्थापित करेंगे ?

श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय : मध्य प्रदेश में 551 थाने हैं, जिन में 242 में टेलीफोन की फैसिलिटी दी गई है और टैलिग्राम की फैसिलिटी 347 में दी गई है । इसके बाद जो और हैं उन में भी जो हमारे नाम है उन के अनुसार ये सुविधाएं देने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री दलपत सिंह परस्ते : मंत्री महोदय ने कहा कि प्रावधान किया जा रहा है । लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में जहां अधिकतर अन्याय हुआ करते हैं क्या तत्काल ध्यान दिया जाएगा क्योंकि अफ़सर लोग हमेशा पर्वतीय क्षेत्र में नेग्लेक्ट की दृष्टि से देखते हैं । वहां दूर संचार की व्यवस्था स्थापित करने में वे टालमटोल करते हैं । तो क्या आप ऐसा आदेश करेंगे कि इन स्थानों में यह व्यवस्था जल्दी स्थापित की जाय ?

श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय : हमने जो नार्म्स बनाए हैं वह ला एण्ड आर्डर और जनता की सुविधाओं के आधार पर ही बनाए हैं और जैसा आपने कहा हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं, जो लांग पी सी ओज हैं उन के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं जैसे पुलिस स्टेशन और ब्लाक हेडक्वार्टर तथा यहां तक कि पंचायत मुख्यालय तक भी हमारे नार्म्स हैं। कुछ कठिनाई के कारण हम अभी तक पूरा नहीं कर सके हैं लेकिन हमारी यह कोशिश है कि जैसा आपने कहा उस को पूरा करने की चेष्टा करें।

हिली एरियाज के बारे में भी जहां तक पोस्ट आफिसेज का सवाल है वह ग्राम पंचायत लेवल पर अगर ग्राम पंचायत का मुख्यालय है तो ऐसी जगहों में भी हम लोग पोस्ट आफिस खोल रहे हैं लेकिन पापुलेशन और मिनिमम रेवेन्यू के आधार पर ही ये खुलेंगे। हिली एरियाज में दस परसेन्ट अगर कम रेवेन्यू आती है तो वहां हम पोस्ट आफिस खोलेंगे और तीन किलोमीटर तक जहां डिस्टेन्स है एक पोस्ट आफिस से दूसरे पोस्ट आफिस में वहां हम नहीं खोल सकते हैं। उस से अधिक होगा तो वहां खोलेंगे।

श्री हुकम राम : वे समान सुविधाएं क्या हैं जो मंत्री महोदय राजस्थान में दूर-दराज के उन रेगिस्तानी इलाकों को प्रदान करना चाहते हैं जहां डाक संचार सेवाएं बहुत ही कम हैं ?

श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय : अध्यक्ष महोदय, शासन ने जो नार्म्स निश्चित किए हैं उनके बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं। पहले जिला मुख्यालय पर हम खोलेंगे। फिर उपमण्डलीय सब डिवीजनल हेडक्वार्टर पर खोलेंगे। फिर तहसील, सब-तहसील, ब्लाक हेडक्वार्टर और ऐसे स्थान जहां कि जनसंख्या 5 हजार से अधिक है प्लेन एरिया में, और ढाई हजार पर्वतीय एरिया में तथा पुलिस स्टेशन्स और एरिगेशन प्लान्ट्स वगैरह जहां हैं वहां पर भी खोलेंगे। इसके साथ ही साथ जहां प्लेन एरिया में 25 प्रतिशत रेवेन्यु आती है वहां भी खोलेंगे। बैकवर्ड एरियाज में 15 प्रतिशत रेवेन्यु आती है तब भी वहां खोलेंगे और हिली एरिया में अगर 10 प्रतिशत रेवेन्यु आती है तब भी वहां खोलेंगे। इस प्रकार के हम ने नार्म्स बनाए हैं। इसी तरह से डैजर्ट एरिया में अगर ब्लाक हेडक्वार्टर हैं तो वहां भी खोलेंगे। ग्राम पंचायत में भी हम पोस्ट आफिस खोलेंगे।

श्री हुकमचन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने काफी स्थानों पर टेलीफोन खोलने का उल्लेख किया है। मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण मुख्यालय रहे हैं वहां पर भी खोलने की आपकी योजना है ? यदि हां, तो वह कबतक प्रारम्भ हो जाएगी। दूसरे जो पर्वतीय और वनवासी क्षेत्र हैं उनका भी लगातार सम्पर्क तहसील और जिला स्थानों से बना रहे, इसके लिए भी आपकी क्या योजना है ? यदि है, तो वह कबतक प्रारम्भ हो जायेगी और उसपर कितना खर्चा होगा ?

श्री ब्रजलाल वर्मा : जी हां, जैसा आपने कहा उसकी सारी योजनाएं हम बना चुके हैं और खोल रहे हैं। तहसील हेडक्वार्टर्स का पूरा सम्बन्ध दूसरी जगह से हो जाए---ऐसा पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जाने की सम्भावना है। जिला स्थान का सम्पर्क भी तहसील और ब्लाक से करने की योजना है।

श्री हुकमचन्द कछवाय : खर्चा कितना होगा ?

श्री ब्रजलाल वर्मा : खर्चा तो मैं नहीं बता सकता हूं लेकिन छठी योजना में यह पूरा हो जायेगा।

श्री वसन्त कुमार पंडित : मध्य प्रदेश का राजगढ़ जिला जो बहुत पिछड़ा हुआ है, वह आपकी सूची में नहीं है, वहां पर डाक तार विभाग की उपलब्धि कहीं नहीं चल रही है, पी सी ओ की मशीनें बहुत पुरानी हो गई है जोकि चलती नहीं हैं, कहीं पर तो डाक तार विभाग के कर्मचारियों के रहने के लिए जगह नहीं है, कहीं दफ्तर की व्यवस्था नहीं है, कहीं मशीनें पुरानी हैं---केवल कागज पर अस्तित्व है परन्तु वह सक्रिय नहीं है इसलिए क्या मंत्रीजी इसके बारे में जांच करेंगे और जांच करके जहां पर सुविधा नहीं है या सीमित सुविधा है, उसको पूरा करने की चेष्टा करेंगे ?

श्री ब्रजलाल वर्मा : जो दिक्कते आपने बताई हैं वह तो जरूर हैं क्योंकि हमारे पास सरकारी डिपार्टमेन्टल हाउसेज न होने के कारण किसी का घर किराये पर लेकर उसमें इन्स्टाल करना पड़ता है और वहां कठिनाई जरुर होती है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर इन्स्ट्रुमेन्ट बहुत दिनों से खराब पड़े हैं उनको रीप्लेस किया जाये।

श्री उग्रसेन : माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। क्या माननीय मंत्री जी देहातों में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जहां पर जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेन्टल एजेन्ट्स हैं उनकी जगह पर डाक तार विभाग की सम्बद्ध शाखाएं खोली जायें ताकि जनता को अधिक सुविधा उपलब्ध हो सके ?

श्री ब्रजलाल वर्मा : अभी ऐसी सम्भावना नहीं है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में काम देने के खयाल से ज्यादा से ज्यादा गांव के लोगों को काम देने की कोशिश हम कर रहे हैं। यह नान-ट्रान्सफरेबल स्थान हैं और जो भी इन्ट्रेस्टेड लोग हैं उनको लगाकर हम कोशिश कर रहे हैं कि वे ठीक ढंग से काम कर सकें।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से मध्य प्रदेश के उन इलाकों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो पर्वतीय क्षेत्र हैं और जो मैदानी क्षेत्रों से बिल्कुल कटे कटे से हैं और हर दृष्टिकोण से वे पिछड़े हुए हैं। मैं आप से जानना चाहता हूं कि क्या आप वहां टेलीफोन लगाएंगे ? टेलीफोन कौन करेगा यह तो बाद की बात है लेकिन मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह उन की जानकारी में है कि वहां पर सात-सात और दस-दस दिन तक यहां के लोगों की डाक जो उन के रिलेटिव्ज हैं उनको जो पत्र डाले जाते हैं उनको नहीं पहुंच पाते ? क्या आपने यह निश्चय किया है कि कम से कम 3 दिन में या और कोई क्राइटीरियन आपने बनाया है कि इतने दिनों के अन्दर पर्वतीय क्षेत्रों में, किसी भी कोने में, डाक पहुंच जाएगी ? यह व्यवस्था आपने की है और अगर नहीं की है तो कब तक ऐसा करने का आपका विचार है ?

श्री ब्रजलाल वर्मा : हम ने यह व्यवस्था इस साल से की है कि जिस दिन पोस्ट आफिस में डाक पहुंचेगी उसी दिन उस गांव के आदमी को देने के लिए वहां से आदमी चला जाएगा। कोशिश करेंगे कि उसी दिन दे दें। पोस्ट आफिस में जिस दिन डाक पहुंचे उसी दिन वहां से लेटर निकल जाए और दूसरे दिन तक न पड़ा रहे।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : जिस के नाम लेटर है, उस तक कितने दिन पहुंचेगा ?

श्री ब्रजलाल वर्मा : ये तो जो नार्म्स बने हैं, उस के मुताबिक जाएगा या जैसे वहां के रास्ते हैं उन के मुताबिक जाएगा लेकिन पोस्ट आफिस में पहुंचने के बाद उसी दिन डेलीवर वहां से हो जाए, यह हमने निश्चय किया है।

पश्चिम बंगाल में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु धनराशि

1023. **श्री चित्त बसु :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए गत वित्तीय वर्ष में और चालू वित्त वर्ष के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को अब तक कुल कितनी धन राशि उपलब्ध की गई ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वियन में बहुत रुचि दिखाई है और केन्द्र में अपर्याप्त राशि प्राप्त होन की शिकायत की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1978-79 के लिए पश्चिम बंगाल में समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के लिए 817.80 लाख रुपये का केन्द्रीय आबन्टन किया गया था। इस आबन्टन में से 410.8 लाख रुपये की धनराशि वंटित को गई थी। चालू वर्ष के दौरान समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के लिए 1235.00 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के लिए इस परिव्यय में केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर अंशदान दिया जाएगा। इसके अलावा विशेष कार्यक्रम में से इस वर्ष चुने जाने वाले 300 खण्डों के पश्चिम बंगाल के अंश के लिए 3.6 लाख रुपये प्रतिखण्ड की दर से आबन्टन किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल सरकार ने पंचायतों के माध्यम से कार्यक्रम के कार्यान्वियन में काफी रुचि दिखाई है। उन्होंने केन्द्र की निधियों की अपर्याप्तता के बारे में शिकायत नहीं की है।

भारत सरकार को समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के कार्यान्वियन में पंचायतों को शामिल करने के लिए सिद्धान्त रूप में कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि राज्य सरकार तथा एजेन्सियां जिन्हें भारत सरकार द्वारा निधियां आबन्टित की जा रही हैं, ली गई धनराशि का लेखा रख रही हों और कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप कार्यान्वित किए जा रहे हों।

श्री चित्त बसु : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे गए विवरण से यह पता चलता है कि 1978-79 के लिए केन्द्रीय आबन्टन 817.80 लाख रुपये था जिसमें से 410.8 लाख रुपये दे दिए गए हैं। मेरा सवाल यह है कि

पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार को शिकायतें की हैं कि दिया गया धन अपर्याप्त है और सरकार इस सच्चाई से किस तरह समझौता करेगी कि 8 करोड़ रुपये में से केवल 4 करोड़ रु० ही दिए गए हैं? क्या सरकार यह कहना चाहती है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने धन की अपर्याप्तता के बारे में शिकायत नहीं की है? क्या सरकार इसे स्पष्ट करेगी?

श्री भानु प्रताप सिंह : यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने धन की अपर्याप्तता के बारे में कोई शिकायत नहीं की है और उसका कारण यह है कि जो भी धनराशि उन्हें दी गई उसका उपयोग नहीं किया गया। वास्तव में वे इन कार्यक्रमों को कुछ भिन्न शकल देने के बारे में सोच रहे हैं। वे चाहते हैं कि ग्रामपंचायतें कार्यक्रमों को कार्यान्वित करें और उसमें समय लग रहा है और जब तक वे इन कार्यक्रमों को अन्तिम रूप नहीं दे सकेंगे तब तक वे धनराशि का उपयोग न कर सकेंगे।

श्री चित्त बसु : मेरे विचार में, सरकार को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि कार्यक्रम को कार्यान्वयन के मामले में पंचायतों को शामिल किया जाए। यह बिलकुल स्पष्ट है। लेकिन एक शर्त का भी उल्लेख किया गया है और वह यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार को भारत सरकार द्वारा दिए गए मार्गदर्शी निदेशों पर सहमत होना चाहिए। क्या मैं जान सकता हूं कि मार्गदर्शी निदेश क्या हैं और क्या वे मार्गदर्शी निदेश पश्चिम बंगाल सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार के साथ परामर्श करके तैयार कि गए हैं?

श्री भानु प्रताप सिंह : महोदय, अब उनकी अधिकांश सिफारिशों पर सहमत हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिनसे सहमत होना हमें मुश्किल लग रहा है। उदाहरण के लिए उन्होंने सिफारिश की है कि ग्राम पंचायतों को ट्रकों की खरीद के लिए 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जानी जाहिए। अब ट्रकों का इस्तेमाल छोटे तथा सीमान्तिक किसानों द्वारा उत्पादित, खराब हो जाने वाली कुछ वस्तुओं के परिवहन के लिए किया जाता है। उसके लिए एक ट्रक पहले से ही है। लेकिन वे इस तरह की एक सामान्य व्यवस्था चाहते हैं कि जो भी ग्राम पंचायत ट्रक खरीदना चाहे उसे 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। अब इस तरह कुछ सिफारिशों को स्वीकार करना हमारे लिए मुश्किल है और कुछ ऐसे छोटे-छोटे मतभेद हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं।

चीनी बोर्ड

1026. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में चीनी की खपत बढ़ाने के लिए समेकित प्रयास करने की आवश्यकता का अनुभव कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार चाय बोर्ड, "काफी बोर्ड" को प्रणाली पर "चीनी बोर्ड" स्थापित करने की वान्छनीयता पर विचार करेगी जो जनता में चीनी के उपभोग की आदत बढ़ाने तथा चीनी के वितरण का दायित्व सम्भाल सकें; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां। वास्तव में घरेलू खपत में वृद्धि करने क मुख्य इरादे से ही 1978 में चीनी से नियंत्रण उठाया गया था और काफी हद तक उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है। चालू मौसम के दौरान (22–4–1979 तक) चीनी की घरेलू खपत बढ़कर 33.49 लाख मीटरी टन तक पहुंच गई है जब कि पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान 24.53 लाख मीटरी टन की खपत हुई थी।

(ख) और (ग) : विनियंत्रण के फलस्वरूप चीनी की खपत की उपर्युक्त प्रवृत्ति को देखते हुए उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चीनी बोर्ड स्थापित करने जैसे कोई अन्य अतिरिक्त उपाय करने की आवश्यकता दिखायी नहीं देती है।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में चीनी की प्रति व्यक्ति खपत बहुत कम है। विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी की खपत बढ़ाने के लिए देश में अब तक कोई सशक्त प्रयास नहीं किया गया है। अतः "चीनी बोर्ड" की स्थापना करने सम्बन्धी मेरे सुझाव से चीनी उद्योग में चीनी का उत्पाद स्थिर बनाने में पर्याप्त मदद मिलगी। सरकार मेरे इस सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों नहीं है?

मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह कहा है :

> "चालू सीजन के दौरान चीनी की घरेलू खपत (22–4–1979 तक) 33.49 लाख टन तक पहुंच गई है जबकि कि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान चीनी की खपत 24.53 लाख टन थी।"

क्या वह हमें बताएंगे कि यह वृद्धि शहरी क्षेत्रों में कितनी हुई और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी? चालू सीजन के दौरान चीनी का कुल उत्पादन और खपत कितनी होगी और सीजन के अन्त में कितना स्टाक शेष रहेगा?

श्री भानु प्रताप सिंह : सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश में चीनी की खपत विश्व औसत से कोई कम नहीं है। हमारे यहां चीनी की खपत केवल इसलिए कम नजर आती हैं क्योंकि अन्य देशों में लोग खांडसारी और गुड़ का उपयोग नहीं करते हैं। यदि हम गुड़ और खांड़सारी के उत्पादन और खपत को भी शामिल करें....

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : मैं चीनी की खपत के बारे में पूछ रहा था।

अध्यक्ष महोदय : वह मिठास लाने वाली वस्तुओं के कुल उत्पादन के बारे में बता रहे हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि इसका कितना हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को जा रहा है और कितने हिस्से की खपत शहरी क्षेत्रों में हो रही है। मेरे पास कोई ठीक जानकारी नहीं है। लेकिन अतिरिक्त खपत का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को जा रहा है क्योंकि दोहरी मूल्य प्रणाली के अन्तर्गत चीनी उपलब्ध नहीं थी और अब खपत बढ़ गई है क्योंकि अब यह देश भर में मुक्त रूप से उपलब्ध है। इस वर्ष चीनी का अनुमानित उत्पादन 25 से 26 या 27 लाख टन होने की सम्भावना है।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : उन्होंने अनुमानित उत्पादन के आंकड़ें दिए थे। चालू वर्ष के दौरान चीनी की खपत कितनी होगी ? उन्होंने वह नहीं बताया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वर्ष के दौरान चीनी की खपत का 72 लाख टन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई ठोस प्रयास किया जाएगा।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं दूसरा अंश नहीं समझ पाया।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह सुनिश्चित करने के प्रयास करेंगे कि 72 लाख टन चीनी की खपत का लक्ष्य प्राप्त किया जाए।

श्री भानु प्रताप सिंह : हम ऐसा क्यों करें ? चीनी की खपत वर्तमान स्तर पर सन्तोषजनक है और हमारा खपत बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने का विचार नहीं है क्योंकि खपत इस वर्ष भी उत्पादन के बराबर ही होने की सम्भावना है। अत: यह अच्छा सन्तुलन है जो हमने प्राप्त कर लिया है।

श्री बी० राचैया : 27 लाख टन के शेष को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय इस वर्ष बढ़ी हुई चीनी क निर्यात की अनुमति देंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह : इस देश के लिए जितना कोटा नियत है उतना हम पहले ही निर्यात कर रहे हैं।

श्री बी० राचैया : मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोटा बढ़ाया जा सकता है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : यदि वे चाहेंगे तो हम और अधिक भी निर्यात करेंगे।

श्री विनोद भाई बी० शेठ : प्रश्न यह था कि क्या सरकार देश में चीनी की खपत बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। खांडसारी चीनी का मुख्य अंश है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या वे खांडसारी का उत्पादन बढ़ाएंगे क्योंकि खांडसारी उद्योग गोमोन्मुखी है।

श्री भानु प्रताप सिंह : यह हर वर्ष बदलता रहता है और यह संगठित उद्योगों में से नहीं है। जब हम "खांडसारी" चीनी के उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयत्न करते हैं तो यह पूरी तरह हमारे वश की बात नहीं होती। उदाहरण के लिए हमने "खांडसारी" पर से उत्पादन शुल्क पूरी तरह से उठा लिया है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने कहा है कि हमने चीनी पर से कंट्रोल हटाया । उस समय चीनी 2 रु० 15 पैसे प्रति किलो यानी 215 रु० क्विंटल बिकती थी। आज चीनी का दाम 270-280 रु० प्रति क्विंटल है। और यह दाम दो महीनों में बढ़े हैं। इसका मूल कारण क्या है ? क्या आपने उद्योगपतियों को छूट दी है दाम बढ़ाने की ? यदि नहीं तो उन्होंने कैसे दाम बढ़ा दिये, क्या आपका कोई नियंत्रण नहीं है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : पहली बात तो यह है कि जो 2 रु० 15 पैसे की बात कही जाती है यह केवल लैवी शुगर के लिये थी। सारे देश में चीनी के विक्रय का हम हिसाब लगायें तो उसका ऐवरेज 3 रु० 40 पैसे था और अभी जो आखिरी सप्ताह है उसका 2 रु० 78 पैसे है। हमने जिस समय डी कंट्रोल हुआ था उस समय कहा था कि 2 रु० 75 पैसे लगभग इसका दाम होना चाहिये। तो जो अनुमान था उससे 2, 3 पैसे का ही अन्तर है, और इसका कारण यह है कि ट्रांसपोर्ट की कौस्ट बढ़ गई है और कुछ

राज्यों में चीनी मिल मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ायी गयी है। तो मैं समझता हूं कि जो हमारा अनुमान था, जिस लेविल पर हम चाहते थे उस लेविल पर आज भी चीनी बिक रही है। बीच में जरूर कम हो गई थी, लेकिन यदि वह कम ही बनी रहती तो फिर गन्ना उत्पादकों को गन्ने की कीमत देने में कठिनाई होती।

श्री रामधारी शास्त्री : इस बात को देखते हुए कि पिछले साल का भी गन्ने का दाम बकाया है, काफी, और उन मिलों के जिम्मे भी बकाया है जिनको केन्द्रीय सरकार ने अपने कानून के अन्तर्गत इस साल लिया है। और पिछले साल चीनी के लिये समस्या इस देश में थी कि यह चीनी कैसे बिकेगी, और अब भी जब किसानों को दाम मिलने लगेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। तो यह चढ़ते उतरते भाव के खतरे को टालने के लिये क्या मुनासिब नहीं है कि चाय और काफ़ी बोर्ड की तरह सरकार कोई शुगर बोर्ड भी बनाये जो हमेशा इसकी गतिविधियों पर ध्यान रखे और इसके समुचित विकास के लिये प्रयास करता रहे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भानु प्रताप सिंह : अभी तो इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। चाय या काफ़ी मुख्य रूप से विदेशों में भेजनी पड़ती है इसलिये उनके लिये बोर्ड के संगठन की आवश्यकता है।

जहां तक गन्ने के बकाये का सवाल है जो सरकार ने मिलों को टेक ओवर कर लिया है उन पर बकाया को तीन इंस्टालमेंट्स में अदा करने की बात कही गई थी। आधे से ज्यादा अदा कर दिया गया है और बाकी शीघ्र ही अदा किया जायगा।

जहां तक प्राइवेट सेक्टर की मिलें हैं उनमें बढ़ते हुए गन्ने के बकाया की बात है वह कार्यवाही शुरु कर दी गई है। जिसके ऊपर 10 प्रतिशत से अधिक बकाया है उनसे फिर पूछा जा रहा है कि आपकी मिल क्यों न टेक ओवर कर ली जाय।

श्री उग्रसेन : मंत्री जी के उत्तर से संबंधित क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अभी मिल ओनर्स ऐसोसिएशन ने उनके पास इस बात की शिकायत भेजी है कि हमने गन्ने का दाम नहीं दिया है क्योंकि 400 करोड़ रु० का ही कर्जा मिला है, हमें 600 करोड़ का कर्जा दिलायें। और मंत्री जी ने अभी दो मिलें मेरे क्षेत्र में ली हैं, एक बैतालपुर चीनी मिल और दूसरी देवरिया शुगर मिल, तो थापर के जमाने में बैतालपुर चीनी मिल पर किसानों का 21 लाख रु० बकाया था और देवरिया पर 12 लाख रु० बकाया था जो कि बढ़ कर इनके जमाने में बैतालपुर पर 77 लाख रु० और देवरिया चीनी मिल पर 44 लाख रु० हो गया किसानों के गन्ने के दाम का बकाया। और मंत्री जी उधार चीनी खा रहे हैं और खिला रहे हैं। तो इस स्थिति को ठीक करने की व्यवस्था करेंगे?

श्री भानु प्रताप सिंह : ये मिलें बाद में ली गई हैं। बैंकों से प्रबन्ध करने में थोड़ा समय लगता है। यह केवल हमारे मंत्रालय का ही कार्य नहीं है। इस बारे में बैंकिंग डिपार्टमेंट से भी सम्पर्क बना कर कार्यवाही करनी होती है। मिलों के जो पहले मालीक थे, बैंकों ने उन्हें एडवांस देना बन्द कर दिया था अब सरकार ने उन्हें ले लिया है। अब हमारी इन्टरवेन्शन पर उन्होंने सहमति दी है।

श्री उग्रसेन : अब करवा दीजिए।

श्री भानु प्रसाद सिंह : वह तो होगा।

श्रीमती मोहसिना किदवई : अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार की देख-रेख में जो मिले हैं, उनपर जो बकाया है, वह देने का इन्तजाम किया जा रहा है। सरकार की देख-रेख में पिछले चार सालों से वे मिलें चल रही हैं। करंट सीजन में उनपर बकाया 50, 60, 70 लाख रुपये है। उसके मुताल्लिक मंत्री महोदय का क्या ख्याल है? वह बकाया क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं करंट सीजन की बात कर रही हूं, पिछले बकाया की नहीं।

गन्ना किसानों को उनके गन्ने के दाम नहीं मिल रहे हैं। मंत्री महोदय को मालूम है कि खुले बाजार में 3-10 रुपये किलो के हिसाब से चीनी मिल रही है। कनज्यूमर्ज को सही दाम पर चीनी नहीं मिल रही है, जिसके बारे में उन्होंने वादा किया था। आखिर उनकी पालिसी किस के लिए है? न किसान के लिए है, न कनज्यूमर्ज के लिए है। तो क्या उनकी पालिसी सिर्फ मिल-मालिकों के f

श्री भानु प्रताप सिंह : मालूम होता है कि माननीय सदस्या का विचार कुछ राजनीति से प्रभावित है **(व्यवधान)** उन्होंने कहा है कि कुछ मिलें चार वर्ष से सरकार के नियंत्रण में है। पहले तो मैं इस का स्पष्टीकरण कर दूं कि वे चार वर्ष से सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं। शुगर अंडरटेकिंग (टेकिंग ओवर आफ मैनेजमेंट) एमेंडमेंट बिल को पास किये हुए अभी साल भर भी नहीं हुआ है। वे मिलें हमारे नियंत्रण में अभी बहुत थोडे समय से हैं। जो फैक्टरियां उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं, उनके लिए उन्हें 20 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था और उन्होंने सारा बकाया साफ कर दिया है। जहां तक सरकारी मिलों का संबंध है, चाहे वे राज्य सरकार की हों अथवा केन्द्रीय सरकार की, अगर उनकी तरफ बकाया की कोई धनराशि है, तो वह इस साल की है। जहां तक इस साल का संबंध है, अभी मिलें चल रही हैं। उस बकाया को साफ करने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

दूसरा प्रश्न माननीय सदस्या ने यह उठाया कि चीनी का दाम उन्हें 3-10 रुपये अदा करना पढ़ रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली ही सारा देश नहीं है। दिल्ली में चीनी का मूल्य कुछ ज्यादा होता है। उसका मुख्य कारण यह है कि यहां के निवासी अच्छी किस्म की चीनी—सी 30—खाते हैं, जिसकी कीमत दस पैसे ज्यादा है। यहां 10, 11 रुपये प्रति-क्विटल आक्टराय ड्यूटी भी है। मेरे पास सारे देश की मंडियों के रीटेल बाजार-भाव हैं। उनका औसत 2-78 रुपये है।

श्री राम लाल राही : अभी मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उसके संबंध में मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि हम ने खंडसरी पर से उत्पादन-शुल्क हटा दिया है। सरकार ने यह उत्पादन शुल्क इस लिए हटाया था कि किसानों के गन्ने की अधिक खपत हो और उनको अच्छा मूल्य मिले। उन्हें विदित है कि गन्ने के काश्तकारों का गन्ना किस भाव पर लिया गया है— वह 3 रुपये से 5 रुपये के बीच में लिया गया है। इस बात को देखते हुए कि खंडसरी के मालिकों ने अधिक मुनाफा कमाया है, क्या मंत्री महोदय इस बात के औचित्य को स्वीकार करते हुए इसपर पुर्नविचार करेंगे कि खंडसरी पर टैक्स पुनः लगा दिया जाये?

आप जानते हैं कि काश्तकार प्रति-एकड़ 50 मन बीज डाल कर गन्ना बोता है और उसका मट्टा 35 क्विटल प्रति एकड़ का होता है। 50 मन बीज डाल कर गन्ना बोया जाता है और 35 क्विटल प्रति-एकड़ उसका मट्टा होता है, क्या यह किसान के साथ न्याय है? आप इस पर भी अपने विचार व्यक्त करेंगे और यह बताऐंगे कि अगर इस में गलती है तो क्या इस में कोई सुधार करने की बात आप सोच रहे हैं?

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, खांडसारी उद्योग का नियंत्रण राज्य सरकार करती है। राज्य सरकारों से परामर्श कर के और बहुत से माननीय सदस्यों से भी मशविरा करने के बाद खांडसरी पर से टैक्स हटाया गया था और इस आशा से हटाया गया था कि उस का लाभ किसानों तक पहुंचेगा। अब वह आशा अगर नहीं पूरी करा सके तो उस की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है क्योंकि हम उस का बिलकुल नियंत्रण नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं पहुंचा हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि इधर जब से चीनी के मूल्य थोड़े बढ़े हैं खांडसरी की यूनिटों ने काम करना शुरु कर दिया है। खांडसरी शुगर बनी है और उस के कारण गन्ने की खपत तेजी से हो सकी है जो शायद खेतों में खड़ा रह जाता। तो यह बिलकुल निरर्थक नहीं हुआ है। उसका कुछ लाभ सामने आया है।

दूसरी बांडिंग की बात कही गई। तो वह भी मैं कहना चाहता हूं कि फैक्ट्रियों के साथ किस तरह से बांडिंग इत्यादि होती है, इससे केन्द्रीय सरकार का कोई सरोकार नहीं है। यह राज्य सरकारें अपने यहां जैसा उचित समझती हैं करती हैं।

श्री रतीलाल प्रसाद वर्मा : माननीय मंत्री जी ने बताया कि देश में आवश्यकता के अनुसार चीनी का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन इस के बावजूद चीनी का दाम कुछ न कुछ बढ़ता रहा है। तो क्या इस का कारण यह नहीं है कि आवश्यकता से अधिक चीनी का निर्यात किया जाता है और वह भी अच्छी क्वालिटी की चीनी कम दर पर निर्यात की जाती है? मैं जानना चाहता हूं कि चीनी के निर्यात की दर और जो उपभोक्ताओं को चीनी मिलती है उस की दर में अन्तर कितना है और इन सब समस्याओं के निराकरण के लिए क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि आगे एक शुगर बोर्ड बना कर इस समस्या का निरन्तर समाधान करेंगे?

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, चीनी के मूल्य पर निर्यात का कोई तत्काल और सीधा प्रभाव नहीं पड़ रहा है और निर्यात आवश्यक है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब यह कहा जाता है कि भाव बढ गए तो किस की तुलना में बढ़ गए अगर पहले जो भाव प्रचलित थे उस से तुलना करें तो भाव नहीं बढ़े हैं। हां, थोडे समय पहले, दो तीन महीने पहले जितने गिर गए थे और वह गिर इसलिए गए थे कि फैक्ट्रियों में आपस में बहुत जबर्दस्त कम्पीटीशन था, वह किसी तरह रुपया निकाल कर अपना भुगतान करना चाहते थे, क्यों कि उन के उपर यह भय भी था कि उन की फैक्टरी टेक ओवर कर ली जायगी, इसलिए वे बेचने में तेजी दिखा रहे थे, वास्तव में जो भाव उस समय प्रचलित हो गए थे वह उचित नहीं थे, वह जरुरत से ज्यादा नीचे गिर गए थे और जैसा मैंने कहा सरकार का अपना अनुमान था कि भाव 2.75 के लगभग होना चाहिए और उसी के लगभग आज है। अब रहा यह कि जो हम ने उस समय अनुमान लगाया था 2.75 का उस में अगर आज कुछ चीजें बढ़ाई गई हैं जैसे ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया या राज्य सरकारों ने चीनी मिल मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी तो उस का थोड़ा बहुत प्रभाव जरुर पड़ेगा लेकिन वह अधिक नहीं है।

सहकारी खेती

***1027. श्री सुधीर घोसाल :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धन कृषक वर्ग के लिए सहकारी खेती का विकास करने का सरकार ने निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुधीर घोसाल : मेरे इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या कृषकों के गरीब वर्ग के लिए सरकार ने सहकारी खेती को विकसित करने का निर्णय ले लिया है, माननीय मंत्री जी ने नकारात्मक उत्तर दिया है। क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे तत्सम्बन्धी कारण बतायेंगे?

श्री भानु प्रताप सिंह : इसका मुख्य कारण यह है कि, छोटे किसान जिनसे कि सहकारी खेती में सम्मिलित होने की आशा कि जाती थी बिलकूल भी उत्साह नही दिखा रहे है। दूसरे सहकारी खेती के परिणाम बहुत ही निरुत्साहित करने वाले हैं उनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन और प्रति हेक्टेयर उत्पाद मूल्य इतना कम है कि उससे निराशा होती है।

श्री सुधीर घोसाल : केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल की सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को अपने-अपने चकबन्दी कानून, यदि कोई हो, कार्यान्वित करने के लिए निर्देश क्यो नहीं देती है?

श्री भानु प्रताप सिंह : हां। हम सभी राज्य सरकारों को चकबन्दी के कार्य में आगे बढ़ने का परामर्श दे रहे हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : सरकार ने कहा है कि उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है, उन्होंने मेरे मित्र के प्रथम प्रतिपूरक प्रश्न का उत्तर दिया है कि स्वयं किसान इसे पसन्द नहीं कर रहे हैं और सहकारी खेती के परिणाम निरुत्साहित करने वाले है। क्या माननीय मंत्री सदन को बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने किसी भी समय सहकारी खेती पर, न कि सामूहिक खेती पर गम्भीर रूप से विचार किया है? यदि हां, तो वे विचार प्रक्रियायें क्या थीं जिन पर इस सरकार ने ही नहीं अपितु पिछली सरकारों ने भी विचार किया था।

श्री भानु प्रताप सिंह : काफी समय पूर्व तक देश में सहकारी खेती को स्थापित किये जाने के लिए काफी जोर दिया जा रहा था। इसलिए उस समय इस समस्या का गम्भीरता के साथ अध्ययन किया गया था और काफी संख्या में सहकारी खेतों को स्थापित किया गया था।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या आप उस वर्ष को बता सकते हैं?

श्री भानु प्रताप सिंह : वर्ष 1959 है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या यह समझा जाय कि सन् 1959 आगे कुछ भी नहीं किया गया है?

श्री भानु प्रताप सिंह : इसके परिणाम इतने निरुत्साहजनक थे कि इस पर पुर्नविचार करना उचित नहीं समझा गया ।

गुजरात में कृषि तथा डेरी परियोजना के लिये अनुरोध

1029. प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वर्ष 1977, 1978, 1979 और 1980 में विश्व बैंक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्तीय तथा तकनीकी सहायता के लिए राज्य में उनको कुछ कृषि विशेषतया डेरी विकास परियोजनाओं को चयन किया जाए और स्थापना की जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण तथ्य क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) 1977 के वित्तीय वर्ष तथा उससे आगे के लिए विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी-सहायता हेतु राज्य सरकार से निम्नांकित परियोजनाओं के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए है :—

(1) गुजरात मिश्रित सिंचाई तथा कमान क्षेत्र विकास परियोजना :—

इसमें निम्नांकित चार उप-परियोजनाएं शामिल हैं :—

(क) दमनगंगा,

(ख) हेरान,

(ग) करजान, और

(घ) उकाई काकरापार

(2) समेकित मात्स्यिकी परियोजना

(3) सामाजिक वानिकी

डेरी विकास हेतु विश्व बैंक या अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय और तकनीकी सहायता मांगने के लिए गुजरात सरकार से कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) गुजरात मिश्रित सिंचाई तथा कमान क्षेत्र विकास परियोजना के संबंध में विश्व बैंक को रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है और उसका शीघ्र ही मूल्यांकन किया जाएगा ।

समेकित मात्स्यिकी परियोजना से सम्बद्ध करार पर भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बक तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने 22-4-77 को हस्ताक्षर किये थे ।

सामाजिक वानिकी परियोजना का मूल्यांकन विश्व बैंक द्वारा किया जा चुका है और इस पर शीघ्र ही बातचीत होने की संभावना है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं अपने उन सहयोगी का बहुत ही शुक्रगुजार हूं जो आज अनुपस्थित रहे हैं, आज तारांकित प्रश्नों की सूची में गार्ड के स्थान पर होने के कारण मैंने सोचा कि मुझे शायद ही अवसर मिल पायेगा ।

विवरण तो विस्तृत है परन्तु यह कोई ठोस उत्तर नहीं है, मैं 1977 से आज तक पूछता रहा हूं कि गुजरात सरकार ने वित्तीय और तकनीकी सहायता के लिए अपनी योजनाओं को केन्द्रीय सरकार को किस वर्ष दिया था, अब इस पूरे विवरण में इसका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है केवल उन्होंने इतना कहा है—'वित्तीय वर्ष 1977 के दौरान और इसके बाद के समय में', मैं 1977 और इससे बाद के विशेष वर्षों को एक-एक करके जानना चाहता हूं और उस राशि को भी जानना चाहता हूं जिसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया है । बिना उसके मैं अपने पूरक प्रश्नों को किस प्रकार पूछ सकता हूं ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : प्रश्न यह था ". . . . . और दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियो ने वर्ष 1977, 1978, 1979 और 1980 के दौरान; यदि हां तो उसके पूरे तथ्य क्या हैं? मैंने तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य दिये हैं। चूंकि प्रश्न वर्ष 1977 और इससे बाद के वर्षों के बारे में था इसलिये मैंने कहा है "वित्तीय वर्ष 1977 और इसके बाद के वर्षों के दौरान'' इसका मतलब है कि सन् 1977, 1978 , 1979 । यदि आप विवरण चाहते हैं तो मैं आपको विवरण भी दे सकता हूं।

धमन गंगा के लिए 'गुजरात संघठित सिंचाई एवं नियंत्रण क्षेत्र परियोजना' के सम्बन्ध में यह 64करोड़ रुपये थी। केरजान के लिए 73 करोड़ रु० हीरेन के लिए 45 करोड़ रू० और उक्काई कक्रापार के लिएं, नहरी तथा भूमि विकास के लिए 28 करोड़ रुपये सहित, 129 करोड़ रुपये थी।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : समन्वित मत्स्य उद्योग परियोजना से सम्बन्धित दिए गये उत्तर के प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में क्या मैं जान सकता हूं कि यह ऐसा क्यों है कि यद्यपि समन्वित मत्स्यउद्योग परियोजना से सम्बन्धित समझौते पर सरकार, आई०बी०आर०डी० तथा आई०डी०ए० द्वारा काफी समय पुव दिनांक 22 अप्रैल, 1977 को हस्ताक्षर किये गये थे परन्तुक इस सम्बन्ध में काफी प्रगति नहीं की गई है। मछली पकडने की परियोजना, जिसमें कि वेरावाल बन्दरगाह के विकास सहित गुजरात बन्दरगाह पर गहरे समुद्र के मत्स्य उद्योग की परियोजना भी सम्मीलित है, के विकास के सम्बन्ध में आगे क्या हुआ है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : 22 अप्रैल, 1977 को स्वीकृति दे दी गई। इस परियोजना के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि इसे पांच वर्षों की अवधि में पूरा किया जा सकेगा। परियोजना के विभिन्न भाग है (i) वेरावल और मंगरौल के मत्स्य बन्दरगाहो का विकास जिनसे इन सुविधाओं के उपयोग के लिए मछली पकडने के अधिक यांत्रिक पोतों को अनुमति दी जा सके और प्रतिकूल मौसम में अधिक संरक्षण मिल सके; (ii) वर्तमान जहाजी बेड़ों की उचित सहायता तथा विस्तार की व्यवस्था किये जाने के लिये समुद्रतटीय सुविधाओं तथा मंगरौल और वेरावल में सेवाओं में सुधार; (iii) दोनो बन्दरगाहों पर मछली के संसाधन हिमीकरण तथा बर्फ के संयंत्र को स्थापित करने के लिए ठेकेदारों को ऋण की व्यवस्था करना (iv) मछली पकड़ने वाले 270, 14.8 मीटर यंत्रयुक्त पोत के निर्माण तथा यंत्रों से युक्त बनाने तथा सहकारी संस्थाओं/मछेरों को उनकी ऊधार/किराया-खरीदरूप में बिक्री करना; (v) परीक्षण के तौर पर मछली पकड़ने, बाजार भाव अध्ययन करने तथा परियोजना के कार्यान्वियन के लिए तकनीकी सहायता, व्यापारिक मछली उद्योगों को सहायता तथा गुजरात मत्स्य उद्योग केन्द्रीय सहकारी संगठनों के लिए जाल बनाने वाली दो मशीनों की व्यवस्था करना, परियोजना की कुल लागत लगभग 380 लाख अमरीकी डालर होगी जिसमें आई०बी०आर०डी० का अंशदान 140 लाख अमरीकी डालर तथा आई०डी०ए० का अंशदान 40 लाख अमरीकी डालर होगा।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : महोदय, मैं अपने दोस्त, सम्मानित मंत्री जी का इस विस्तृत उत्तर के लिए सचमुच मैं कृतज्ञ हूं।

मेरा दूसरा पूरक प्रश्न सामूहिक वन-उद्योग परियोजनाओं के विषय में है। मैं समझता हूं कि वे जानते होंगे कि पिछले कुछ समय पूर्व गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में एक सामूहिक वन-उद्योग सम्मेलन किया गया था, और उसमें हमारे देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ कुछ दूसरे देशों के व्यक्तियों द्वारा और मैं समझता हूं, कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा भी भाग लिया गया था। उस सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूं कि इस सामूहिक वनउद्योग परियोजना के मुख्य-मुख्य घटक अथवा अंग क्या थे और क्या पूरे देश में अपने किस्म की केवल यही एक परियोजना है अथवा क्या गुजरात के अतिरिक्त हमारे देश में किसी अन्य स्थान पर भी क्या विश्वकोष और आई०बी०आर०डी० द्वारा इस प्रकार की सामूहिक वन-उद्योग परियोजना के लिए सहायता दी जा रही है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : महोदय, इस परियोजना के अंगों में राष्ट्रीय उच्च मार्ग, प्रान्तीय उच्च मार्ग तथा गांव की सड़कों पर वृक्षारोपण, गांवों की तथा सामुदायिक भूमि में वनरोपण तथा पौधों का वितरण भी शामिल हैं। इस परियोजना की अवधि भी पांच वर्षों की है और यह आशा की जाती है कि इस परियोजना के अन्तर्गत भूमिका लगभग 1,54,040 हेक्टेयर क्षेत्र आयेगा, इस परियोजना पर कुल व्यय 59.5 करोड़ रुपये होगा और इसका मूल्यांकन मार्च 1979 में विश्व बैंक द्वारा किया गया है। मूल्यांकन प्रणाली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है जो अभी तक नहीं पहूंच पाई है।

प्रो० आर० के० अमीन : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान जी कुछ समय पूर्व विश्व बैंक ने भारत में कपास के विकास के लिए 30 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव स्वीकार किया था और यह प्रस्ताव कृषि मंत्रालय के समक्ष किया गया था । मैं समझता हूं कि केवल महाराष्ट्र और पंजाब में हीं इसको किये जाने का निर्णय लिया गया है । अब गुजरात की उत्कट इच्छा और तर्कसंगत दावे के बावजूद भी, क्योंकि गुजरात पूरे देश के कपास उत्पादन का एक तिहाई हिस्सा उत्पन्न करता है, इस मामले में गुजरात के दावे को क्यों छोड़ दिया गया है ? क्या इसका कारण यह तो नहीं है कि इस परियोजना को स्वीकृत किये जाने का निर्णय लेने वाली समिति द्वारा उचित रूप से विचार विमर्श नहीं किया गया था ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : महोदय, इस समय मेरे पास यह सूचना उपलब्ध नहीं है । मैं इस सूचना को एकत्रित अवश्य कर सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : वे विश्व बैंक की बात कर रहे है, हम सूचना का पता लगा लेंगे ।

श्री चतुर्भुज : अभी मंत्री महोदय ने यह बताया कि एक लाख हैक्टर जमीन में वनों का विकास किया जाएगा । क्या मंत्री महोदय वह जानकारी देंगे कि भारतवर्ष के अन्दर किस किस राज्य में कितने कितने हैक्टेयर जमीन एलाट हुई है जिस के अंदर वनों का विकास किया जाएगा और उस में कितना कितना पैसा लगाया जाएगा । राज्यवार बताने का मंत्री जी कष्ट करें ।

सुरजीत सिंह बरनाला : यह अलग से क्वेंचन कर दें, तो मैं इत्तिला दे दूंगा इसका मतलब है कि अलग सूचना की आवश्यकता है ।

श्री बी० राचैया : श्रीमन्, विश्व बैंक कभी कभी ब्याज मुक्त ऋण देता है और सरकार विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत किये गये ऋणों पर 3¾ प्रतिशत ब्याज ले रही है ।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न पहले ही पूछ लिया गया है और उसका उत्तर भी दिया जा चुका है ।

श्री बी० राचैया : मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा यह दलाली क्यों की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : इसे पहले ही पूछ लिया गया है और उसका उत्तर भी दिया जा चुका है ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह उत्पन्न नहीं होता है । अब प्रश्नोत्तरकाल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना का पुनरीक्षण

*1010. **प्रो० समर गुह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा अनुकरण की जा रही राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना का पुनरीक्षण किए जाने के बारे में अनेक बार अभ्यावेदन दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार उठाए गए विषयों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार योजना का पुनरीक्षण करेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) : ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ जिसमें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना के पुनरीक्षण के लिए निश्चित रूप से कहा गया हो । तथापि, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारी समिति द्वारा योजना का पुनरीक्षण करने के लिए 1974 में समिति नियुक्ति की गई थी ।

सरकस कम्पनियों को सुविधायें देने के लिए योजना

***1012. श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकस कम्पनियों को कुछ सुविधायें देने के लिये सरकार ने कोई नई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सुविधायें किस प्रकार की है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार सरकस कलाकारों के लिये कोई पुरस्कार प्रारम्भ करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भारतीय सरकस संघ से प्राप्त हुआ है । इस पर सरकार का निर्णय संघ से सरकस कलाकारों को पुरस्कार देने की विस्तृत योजना प्राप्त होने के बाद लिया जाएगा ।

कीटनाशी औषधियों के लिये नियतन और उनके मूल्य

1013. श्री छीतू भाई गामित : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों में कीटनाशी कार्यक्रम के अधीन राज्य-वार, कितनी धनराशि आवंटित की गई है और किये गये खर्च का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार कीटनाशी औषधियों के मूल्यों पर कोई नियंत्रण रखने का है ;

(ग) यदि हां, तो उनके वर्तमान मूल्य क्या हैं और गत तीन वर्षों में उनके मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की गई थी; और

(घ) उनके बढते हुए मूल्यों को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) : विवरण में दी गई तालिका में वर्ष 1976—78 की अवधि के लिए कृषकों द्वारा व्यापक रूप में प्रयोग में लाये जाने वाले अधिक महत्वपूर्ण कृमिनशियों के औसत मूल्यों का विवरण दिया गया है ।

इस संबंध में भारत सरकार की दोहरी नीति है। एक तो सरकार कृमिनाशी औषधियों के मूल्यों को "मानीटर" कर रही है। वर्ष 1977 के दौरान इस उपयोग के साथ विचार-विमर्श किया गया जिसके फलस्वरुप इस उपयोग द्वारा वर्ष, 1977 के अंत तक 12 प्रतिशत तक मूल्यों में कमी कर दी गई। तथापि, कुछ कृमिनाशी औषधियों के मुल्यों में वृद्धि का रुख देखा गया जिसका कारण कच्ची सामग्री के मूल्यों में वृद्धि, मजदूरी की लागत आदि बताया गया है। सरकार ऐसे मामलो की जांच कर रही है। भारतीय कृमिनाशी औषधि संघ ने आश्वासन दिया है कि वें मूल्यों पर अनौपचारीक रूप से स्वैच्छिक नियंत्रण करेंगे यदि ये प्रयास सफल नहीं हुए तो सरकार मूल्य नियंत्रण लागू करने पर विचार करेगी। दूसरे, सरकार कृमिनाशियों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए उत्सुक है क्योंकि मूल्यों में वृद्धि का मामला आमतौर पर कमी की स्थिति के साथ जुड़ा होता है। अतः सरकार बड़ी क्षमता वाले अधिष्ठानों को प्रोत्साहन दे रही है। इसके साथ केन्द्रीय सरकार ऐसी कीटनाशी औषधियों के आयात की भी अनुमति दे रही है जिनका देशी उत्पादन वांछित मांग की तुलना में अपर्याप्त है।

विवरण

1976—78 की अवधि के लिए किसानों द्वारा प्रयोग में लाए गए अधिक महत्वपूर्ण कीटनाशी औषधियों का औसतन मूल्यों को प्रदर्शित करने वाला विवरण

तकनीकी : प्रति मीटरी टन

क्रम सं०	कीटनाशी औषधियों का नाम	1976	1977	1978
1	बी० एच० सी०	5,500	3,700	4,000
2	डी० डी० टी०	12,930	11,930	11,930
3	मालथियोन	28,000	26,000	25,000

विवरण—जारी

क्रम सं०	किटनाशी औषधियों का नाम	1976	1977	1978
4	कार्बेरिल	36,000	..	55,000
5	इंण्डोसुल्फान	67,000	..	75,000
6	डिमेथोटे	73,350	73,350	73,350
7	फेनोट्रोथियोन	67,470	67,470	66,150
8	एलुमिनियम फास्फाईड	90,000	72,000	66,000
9	जिंक फास्फेट	51,000	45,000	44,000
10	कापर ग्राक्सीक्लोराइड	26,000	20,000	21,050
11	2-4-डी	24,000	20,000	22,000

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में एम० बी० बी० एस० के लिए प्रवेश परीक्षा

***1014. चौधरी दलबीर सिंह :**

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनरास हिन्दू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए वर्ष 1979 के लिए एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने की तारीख एक ही है;

(ख) यदि हां, तो वे उम्मीदवार, जिन्होंने दोनों परीक्षाओं के लिए फार्म भरे हैं और इसके लिए फीस जमा की है, एक साथ दोनो परीक्षाओं में किस प्रकार बैठ सकेंगे ;

(ग) क्या इन परीक्षाओं में से किसी परीक्षा को बाद की किसी तारीख के लिए स्थगित करने के लिए सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) : दिल्ली विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षाएं प्रारम्भ में क्रमशः 4-5 जून, 1979 और 4 जून, 1979 को निर्धारित की गई थीं। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अनुरोध पर तथा छात्रों के हित में दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी परीक्षा की तिथि 4 जून, 1979 से 8 जून, 1979 तक स्थगित कर दी है।

उत्तर भारत में किसानों को गहूं क लिए गोदामों की व्यवस्था करने सम्बन्धी योजना

***1015. श्री जी० एम० बनातवाला :**

श्री शंकर सिंहजी वाघेला :

क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने उत्तर भारत के सभी गांवो में गेहूं रखने के लिए किसानों को गोदाम उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर भारत के प्रत्येक राज्य में कितने गोदाम बनाये जाएंगे ; और

(ग) उनके निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) सरकार ने कार्यकारी दल की सिफारिशों पर मुख्य रूप से कृषि उपज जिसमें गेहूं, भी शामिल है, के भण्डारण के लिए ग्रामीण गोदामों के निर्माण में सहायता देनें हेतु एक योजना तैयार की है। योजना को सभी राज्यों में कार्यान्वित किये जावे का प्रस्ताव है तथा यह उत्तरी भारत के गांवो तक ही सीमित नहीं होगी।

(ख) व (ग) : चूंकि यह योजना अभी वित्त मन्त्रालय तथा योजना आयोग के परामर्श से तैयार की जा रही है अतः इस स्थिति में प्रत्येक राज्य में बनाये जाने वाले गोदामों की संख्या अथवा उन पर खर्च होने वाली धनराशि के बारे में बताना संभव नहीं है।

गुजरात तट पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

1016. **श्री अमर सिंह जी राठवा** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात तट के गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये विकास करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कौन-कौन से पत्तनों का विकास किया गया है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) सरकार गहन समुद्री मात्स्यकी संसाधनों का सर्वेक्षण मानव प्रशिक्षण, पत्तन सुविधाओं की व्यवस्था, आयात देश में मत्स्यन जलयानों का निर्माण तथा उन्हें किराए पर लेने आदि के माध्यम से गहन समुद्र में मत्स्यन के विकास में सहायता कर रही है। एक मत्स्यन बन्दरगाह का भी निर्माण किया जा रहा है जिसमें गहरे समुद्र के मत्स्यन जलयान सम्भाले जा सकें।

(ग) वेरावल में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए एक मत्स्यन बन्दरगाह का विकास किया जा रहा है।

अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान निधि

*1017. **श्री के० एस० वीरभद्रप्पा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विश्वविद्यालयों मे अनुसंधान कार्य के वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान निधि स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) कोई प्रथक राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान निधि स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कृषि विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय अनुसंधान क्षमता सुदृढ़ करने के लिए "राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना" शीर्षक एक प्रायोजना स्वीकृत की गयी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा इस पर कार्यान्वियन किया जायेगा। इस प्रायोजना के लिए वांछित निधि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य वार्षिक बजट आबंटन के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रायोजन का सम्पूर्ण परिव्यय नौ वर्ष अर्थात् 1978-79 से 1986-87 तक का 70 करोड़ रुपये है चालू मध्यम अवधि योजना (1978-79 से 1982-83) के दौरान परिव्यय 42 करोड़ रुपये है।

(ख) इस प्रायोजना की प्रमुख विशेषताएं है :—

(i) अनुसंधान को खाद्यान्नों (अनाज, दालें, और तिलहनें) पर केन्द्रित करने के प्रयास किये जायेंगे। बारानी दशाओं और मिलवां खेती प्रणाली के अन्तर्गत बोये जाने वाले खाद्यान्नों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रायोजना को संवर्धित करने के लिए, चुनी हुई कृषि जलवायु पट्टियों में कृषि विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय केन्द्रों को विकसित/सुदृढ़ किया जायेगा और उनको कर्मचारी, उपकरण, भवन और परिचालन निधि जैसे संसाधन दिये जायेंगे। प्रथम पांच वर्षों के दौरान हुआ परिव्यय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वहन करेगी। भूमि के अधिग्रहण, केन्द्र के बंधखर्चे और खेती कराने की लागत से मदों पर खर्च का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/कृषि विश्वविद्यालयों पर होगा। इसके अलावा, पांच वर्ष बाद प्रायोजना को निधि जारी रखने का दायित्व भी इनका होगा।

(ii) इस प्रायोजना पर कार्यान्वियन अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई डी ए) की सहायता से किया जायेगा जो अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक से सम्बद्ध है और इसके लिए 7-12-78 को एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस करार के अन्तर्गत, आई०डी०ए० 2 करोड 70 लाख डालर (22.30 करोड़ रुपये) के कर्जे की सहायता प्रदान करेगी।

(iii) सभी कृषि विश्वविद्यालय इस प्रायोजना में सम्मिलित होने के पात्र हैं बशर्ते कि उनकी पात्रता का अनुमोदन प्रायोजना निधि समिति द्वारा किया जाय जो इस प्रायोजना के प्रशासन के लिए गठित की गयी है।

हिमाचल प्रदेश में वायरलस टैलीग्राफ कार्यालय

*1018. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या संचार मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में जंगलाबेरी और बिलासपुर जिले में भारोली कलां सहित राज्य में 26 स्थानों पर (एन० डब्ल्यू० सर्किल) वायरलैस टेलीग्राफ कार्यालय स्थापित करने के लिये किराया और गारंटी के लिए भुगतान कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1977 में मंजूर इन सभी 26 स्थानों के नाम क्या हैं ; और

(ग) तिथियों सहित उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां पर वायरलैस टैलीग्राफी कार्यालय स्थापित कर दिए गए हैं और शेष प्रत्येक स्थान पर शेष कार्यालय किस तारीख तक स्थापित कर दिए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में बिलासपुर जिले के भरोली कलां तथा हमीरपुर जिले के जंगलबेरी को शामिल करते हुए 26 बेतार स्टेशनों को खोलने के लिए गारंटी शर्तों और किराये का भुगतान कर दिया है, तथापि, बाद में 1978 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस सूची का संशोधन कर दिया और जंगलबेरी को इस संशोधित सूची में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ख) 1977 तक सूचित किए गए केवल 25 स्टेशनों के नाम, जो निम्न प्रकार हैं :—

1. बरोत	8. झनजेली	14. कुल्लू	20. समदाल
2. बट्टाल	9. जंगलबेरी	15. मनीकरन	21. सराहन
3. बिलासपुर	10. कालपा	16. मूरंग	22. शिल्लई
4. भरोली कलां	11. शोकसर	17. मण्डी	23. सांगला
5. चम्बा	12. किट्टार	18. नाहन	24. टन्डी
6. धर्मशाला	13. किलोंग	19. निचार	25. उदयपुर
7. हमीरपुर			

(ग) तारीख सहित उन स्थानों के नाम जहां तारघर संस्थापित किए गए हैं :—

1. उदयपुर	8-11-75
2. धर्मशाला	19-12-76
3. बरोत	19-12-76
4. नाहन	19-12-76
5. शिल्लई	19-12-76
6. बिलासपुर	19-12-76
7. भरोली कलां	19-12-76
8. मण्डी	17-3-77
9. झनजेली	18-3-77
10. चौपाल	19-9-78
11. खोक्सर	28-9-78
12. बनजार	22-9-78
13. भूरंग	5-10-78
14. निचार	12-10-78
15. सांगला	15-10-78
16. पीओ	7-11-78

निरमाण्ड, वीसा और टपरी के जून 1979 में संस्थापित होने की संभावना है। शेष 7 स्थानों के चालू वर्ष 1979-80 के दौरान संस्थापित किए जाने की संभावना है जिनके नाम इस प्रकार है :— समाधी, झालमां, सगनम, जसपा, सन्दाह, योंगयांग और कालपा।

बम्बई में उतारी गयी न्यूजीलैंड की स्टील की बैरल

1019. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1979 में न्यूजीलैण्ड से स्टेनलैस स्टील की बैरल, बिना आयात लाइसेंस के बम्बई गोदी में उतारी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) : भारतीय डेरी निगम के आर्डर पर न्यूजीलैण्ड के मैसर्स मौरी ब्रदर्स एण्ड थामसन द्वारा निर्मित ब्राड गेज रेल के टैंकरों के लिए बैरलों हेतू स्टेनलैस स्टील के 4 इनर शैल, 10 मार्च, 1979 के आसपास बम्बई गोदी पर उतारे गए, जबकि इनके लिये विदेशी-मुद्रा निर्मुक्त करने एवं आयात-लाइसेंस जारी करने के आवेदन पर पर विचार किया जा रहा था। इनके लिये आयात लाइसेन्स 24-4-1979 को भारतीय डेरी निगम को जारी कर दिया गया।

उर्वरकों की सप्लाई में असंतुलन

1020. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राज्य सरकारों द्वारा अपनी अर्धवार्षिक आवश्यकता के गलत प्राक्कलन प्रस्तुत करने के कारण कुछ राज्यों में स्वदेशी तथा पूल के उर्वरक फालतु हैं जबकि कुछ राज्यों में इन उर्वरकों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो उर्वरकों की सप्लाई से असंतूलन दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) :

कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं और खपत का जायजा

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिस बोर्ड की प्रत्येक मौसम के लिए उर्वरकों की आवश्यकताओं का जायजा अनेक अर्ध-वार्षिक क्षेत्रीय सम्मेलनों में उनकी सलाह से पहले ही लिया जाता है। जैसाकि निम्नलिखित सारणी से देखा जा सकता है, इस प्रकार जायजा ली गई आवश्यकतायें अधिकांश रुप में वास्तविक खपत के अनुरुप होती हैं :—

(आंकड़े लाख मीटरी टन पोषक तत्वों में)

मौसम	अनुमानित आवश्य-कतायें	वास्तविक खपत	प्रतिशत विषमता
खरीफ, 1978 . .	20.27	19.37	4.4
रबी, 1978-79	33.23	32.00	3.8

यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर यह विषमता नाममात्र है फिर भी देश के विभिन्न राज्यों में कृषि सम्बन्धि अनुमानित आवश्यकताओं तथा वास्तविक खपत के बीच कुछ विषमतायें होती हैं। उर्वरकों की खपत अनेक अस्थिर बातों पर निर्भर करती है। इनमें से उर्वरक तथा पूरक आदानों की समय पर उपलब्धि जैसे कुछ घटको को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और मौसम बिगडने, बाढों आदि जैसे कुछ घटकों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। अतः अधिकांश किसानों द्वारा पहले से उर्वरकों की बिल्कुल सही मांग का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। तथापि, भारत सरकार द्वारा कई वर्षों से राज्यों की आवश्यकताओं का जायजा लेने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति कारगर पाई गई है। राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थ अनुसंधान परिषद ने भी उर्वरक की मांग के अनुमानों से सम्बन्धित अपनी अंतिम रिपोर्ट में इस पद्धति से सहमति व्यक्त की है।

उर्वरकों की समय पर तथा पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए किए गये उपाय

उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकारने अनेक उपाय किए हैं। इनमें से निम्नलिखित उपाय उल्लेखनीय हैं :—

(क) बफर स्टाक

भारत सरकार समूचे देश के 669 केन्द्रों में बफर स्टाक रखती है। यह स्टाक देशी उत्पादन में गिरावट और संचालन सम्बन्धि कठिनाइयों के कारण आयातित उर्वरकों की विलम्ब से सप्लाई होने की स्थिति में बीमा का काम करता है।

(ख) तिमाही रेल संचालन योजनायें

उर्वरकों की ढुलाई करने के लिए विनिर्माताओं तथा रेलवे की सलाह से तिमाही रेल संचालन योजनाए तैयार की जाती है। उर्वरकों के रेल परिवहन को भी प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा कठिनाई के समय सड़क द्वारा संचालन की भी अनुमति दी जाती है।

(ग) सप्लाई का मासिक प्रबोधन

विनिर्माताओं, राज्य सरकारों तथा अयातित उर्वरकों की संभात एजेन्सियों की सलाह से कृषि मंत्रालय में हर महीने सप्लाई की स्थिति का प्रबोधन किया जाता है। समीक्षा की दृष्टि में आवश्यकतानुसार मध्यवर्ती शुद्धियां की जाती हैं।

(घ) देशी उत्पादन का सामयिक प्रबोधन

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय विनि ताओं की सलाह से देशी उत्पादन का सामयिक प्रबोधन भी करता है।

राजेन्द्र प्लस, नई दिल्ली में प्लाट के खरीददार द्वारा आयकर प्रमाण पत्र

***1021. श्री राम विलास पासवान :**
श्री कचरूलाल हेमराज जैन :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों की नीलामी के समय प्लाट के खरीददार से आयकर प्रमाणपत्र मांगा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजेन्द्र प्लेस में हाल ही में 1 करोड़ 50 लाख रुपये की कीमत पर नीलामी में बेचे गये प्लाट के खरीददार से इस प्रकार का प्रमाणपत्र मांगा गया था; और

(ग) यदि हां, तो प्रमाणपत्र का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वह प्लाटों की नीलामी के समय प्लाट के खरीददार से आयकर अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं मांगता है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में सिंचाई योजनाओं के लिये विश्व बैंक ऋण

1024. श्री गंगा सिंह : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने राज्य में व्यापक सिंचाई योजनाओं के लिए विश्व बैंक ऋण प्राप्त करने हेतु एक संकल्प पारित किया था; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक से ऋण सुविधायें प्राप्त करने हेतु कोई योजनाएं तैयार की गई थीं; और केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की गई थी; और यदि हां तो केन्द्र सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) : हिमाचल प्रदेश सरकार से सामग्री एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश के अल्मोडा और पिथौरागढ़ जिलों में संचार सुविधाओं का अभाव

***1025. डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरगढ़ जिलों में अनेक गांवों में संचार सुविधाओं के अभाव के कारण कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या सरकार ने उस क्षेत्र में डाक व तार तथा टेलीफोन की आवश्यकताओं का पता लगाने हेतू कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपरोक्त जिलों के लोगों को एक मील की दूरी के भीतर उपरोक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध की जाएंगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) :

डाक

(क) जहां तक डाक सुविधाओं का संबंध है, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों के अंतर्गत सभी गांव प्रतिदिन डाक वितरण योजना के अंतर्गत आते हैं। चलते फिरते डाकघरों के द्वारा डाक काउंटर सुविधाएं अधिसंख्या गांवों में उपलब्ध हैं।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूरसंचार

सरकार पहले ही नीति निर्धारित कर चुकी है जिसके अनुसार पहाड़ी पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में उदारीकृत नीति के आधार पर दूरसंचार सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

डाक

(घ) पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों में डाकघर खोलने के लिए मानदंडों में ढील देकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

जहां कहीं भी संभव है, चलते फिरते डाकघरों के द्वारा उन गांवों को जो एक दूसरे से एक मील की दूरी पर स्थित हैं काउंटर सुविधाएं दी जा रही हैं। निकटस्थ पत्र पेटी से एक मील की दूरी पर पत्र पेटियां स्थापित की गई हैं बशर्ते कि प्रस्तावित पत्र पेटी में प्रतिदिन एक पत्र डाले जाने की संभावना हो।

दूरसंचार

एक स्थान से एक मील की दूरी पर दूरसंचार सुविधाओं की व्यवस्था किए जाने की कोई नीति नहीं है।

फिर भी अगले 20 वर्षों में यथोचित दूरी के भीतर इन सुविधाओं को प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बिहार में बाढ़-समस्या के समाधान के लिये नेपाल का सहयोग

***1028. श्री रामानन्द तिवारी :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि नेपाल से बहने वाली नदियों से मुख्यतया उत्तरी बिहार में बाढ़ आती है और नेपाल की सहायता के बिना समास्या का समाधान कठिन है, बाढ़ों की समस्या का हल निकालने में नेपाल का सहयोग प्राप्त करने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : नेपाल और भारत की संयुक्त नदियों से संबंधित समूचि-बाढ़-समस्या का गहन अध्ययन करने और बाढ़ रोकने के उपयुक्त उपाय तैयार करने के लिए नेपाल सरकार से बातचीत की गयी है। इस व्यापक अध्ययन में बहुप्रयोजनी लाभ प्राप्त करने के लिए जल संसाधनों का विकास भी शामिल होगा। अब तक नेपाल से उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली तीन नदियों की परि-योजनाओं के संयुक्त अन्वेषण के बारे में सहमति हुई है। जहां तक कोसी नदी का संबंध है नेपाल सरकार से यह सहमति हो गई है कि कोसी समन्वय समिति के स्तर को कोसी आयोग के स्तर तक ऊंचा उठाया जाए जिसमें मंत्री स्तर के प्रतिनिधि होंगे।

नेपाल में जल-विज्ञान और मौसम विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की एक स्कीम के संबंध में तथा इन केन्द्रों से भारत में स्थित बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों को आंकड़े और सूचना आदि भेजने के बारे में हाल ही में सहमति हुई है जिससे भारत में बाढ़ के बारे में और अधिक कारगर ढंग से चेतावनियां देने की सुनिश्चित व्यवस्था हो सकेगी।

जूनागढ़ में वांठली और शाहपुर से मुफ्त काल की सुविधा

9801. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों के बीच कितने अन्तर तक मुफ्त काल की सुविधा दी जाती है और वांठली व शाहपुर गांव इस सीमा के अन्तर्गत आते हैं और क्या इसके बावजूद इन दो गांवों के बीच ऐसे टेलीफोन काल के लिए चार्ज किया जाता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या बांठली नगर पंचायत, बांठली सोरठ ने बांठली और शाहपुर के प्रयोक्ताओं को मुफ्त काल की सुविधा देने के लिए एस० टी० ओ० जूनागढ़ को 1 सितम्बर, 1978 को एक ज्ञापन भेजा था और यदि हां, तो इसकी जांच करके उनको यह सुविधा कब तक दी जाएगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में विश्व बैंक से प्राप्त ऋण का उपयोग

9802 **श्री चतुर्भुज** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद पिछले दो वर्षों के दौरान कृषि कार्यक्रमों के लिये विश्व बैंक से राजस्थान को कुल कितनी सहायता राशि मिली; और

(ख) क्या उक्त राशि का पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कृषि विस्तार कार्यों के लिये उपलब्ध कराये गये धन में से कितना धन अप्रयुक्त पड़ा रहा?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : पिछले दो वर्षों अर्थात् 1977-78 और 1978-79 के दौरान विश्व बैंक के साथ दो परियोजना करारों पर हस्ताक्षर किये गये थे, जिसमें, राजस्थान भी एक भागीदार राज्य है। राजस्थान कृषि विस्तार परियोजना के लिए 14 नवम्बर, 1977 को हस्ताक्षर किये गये थे, जो अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के 130 लाख डालर ऋण सहायता से फरवरी, 1978 से लागू भी हो गया। राष्ट्रीय बीज चरण-2 परियोजना, जो एक बहु राज्य परियोजना है और जिसमें राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं, के लिए जुलाई, 1978 में हस्ताक्षर किये गये तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के 160 लाख डालर ऋण से दिसम्बर, 1978 से लागू हो गया। राज्य में तीन अन्य चालू परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। राजस्थान में क्रियान्वित की जा रही इन सभी परियोजनाओं का व्यौरा नीचे दिया गया है :—

(दस लाख डालर

राजस्थान में परियोजनाओं का नाम	बन्द करनेकी तिथि	आंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से कुल ऋण	31-3-79 तक ऋण का भुगतान	पिछले दो वर्षों 1977-79 (अप्रैल-मार्च) के दौरान प्राप्त तथा उपयोग में लायी गयी सहायता
1. राजस्थान नहर कमान क्षेत्र विकास	जून, 1981	83.0	39.9	15.0
2. चम्बल कमान क्षेत्र/विकास	जून, 1981	52.0	23.3	13.2
3. राजस्थान डेरी विकास .	दिसम्बर, 1982	27.2	4.8	4.5
4. राजस्थान कृषि विस्तार .	जून, 1983	13.0	0.6	0.6
5. राष्ट्रीय बीज चरण-2 (बहु राज्य)	दिसम्बर, 1984	16.0	शून्य	शून्य

उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट हो जायेगा कि प्रत्येक मामले में कुल परियोजना अवधि की तुलना में विचार करने पर उपयोग की गई राशि की प्रगति संतोषप्रद रही है। जहां तक कृषि विस्तार परियोजना का संबंध है, 31-3-79 तक प्राप्त सहायता लगभग 6 लाख डालर रही है। परियोजना प्राधिकारियों ने विश्व बैंक से भुगतान कराने के लिए आर्थिक कार्य विभाग को लगभग 9 लाख डालर की राशि के दो दावे प्रस्तुत किये हैं। समग्रतः वास्तविक प्रगति संतोषप्रद है।

कृषि सहकारी समितियों का कार्य

9803. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में कृषि क्षेत्र में कृषि सहकारी समितियों का क्या कार्य है;

(ख) इनमें से कितनी सहकारी समितियां सफलतापूर्वक कार्य कर रही है;

(ग) इनमें से कितनी सहकारी समितियां असफल रही है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) असफल सहकारी समितियों को सहायता देने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (घ) 30 जून, 1977को को 1.23 लाख प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियां थीं जिनकी सदस्य संख्या 448 लाख थी और जिनकी प्रदत्त अंशपूंजी 3.77 करोड़ रुपये थी तथा जमा राशियां 142.32 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1976-77 के दौरान इन सोसायटियों ने 1061.91 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण तथा 148.14 करोड़ रुपये के मध्यकालीन ऋण दिए। 30-6-77 को इन सोसायटियों में से 68,611 सोसायटियां लाभ में कार्य कर रही थीं और 11,179 सोसायटियां बिना लाभ अथवा हानि के कार्य कर रही थी। ब्यौरे भारत सरकार द्वारा प्रकाशित भारत में सहकारी आन्दोलन 1976-77 भाग 1 (ऋण सोसायटियां) से संबंधित सांख्यिकीय विवरणों में उपलब्ध हैं। प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों के निम्नकोटि के निष्पादन के लिए मुख्य कारणों में से एक कारण उनमें सक्षमता का अभाव था। इसलिए, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों के पुनर्गठन के कार्यक्रम को एक राष्ट्रीय नीति के रुप में शुरु किया गया है ताकि उन्हें आधार स्तर पर सक्षम तथा कारगर बहु-उद्देश्यीय संगठन के रूप में गठित किया जा सके जिनमें पूर्णकालिक वेतनभोगी तथा प्रशिक्षित संचित हों। इस कार्यक्रम के अनुसार 1.61 लाख सोसायटियों जो 30-6-1971 को विद्यमान थी, को 1 लाख से कम सक्षम सोसायटियों के रूप में पुनर्गठित किये जाने की आशा है। यह पुनर्गठन का कार्यक्रम आमतौर पर आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में पूरा कर लिया गया है।

कर्मपुरा नई, दिल्ली में स्कूल, पार्क, आदि के लिए निश्चित भूमि का दुरुपयोग

9804. श्री दाजिबा देसाई : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकृत तथा अनधिकृत कालोनियों अर्थात् मनोहर पार्क, केदार बाग, मदन पार्क और छुन्ना मल पार्क, जयदेव वार्ड नं० 89 (कर्मपुरा दिल्ली) और नजफगढ़ नाला के बीच स्थित खसरा संख्या 206/2, 207/2, 208, 208/2, 210/2 और 211/2 वाली 30 बीघा और 10 बिस्वा भूमि की खेती की जा रही है जबकि बृहत योजना की क्षेत्रीयोजना जी-लैंण्ड 4-के अनुसार यह भूमि स्कूल, पार्क और वृत्ताकार सड़क के लिये निश्चित थी ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप यह क्षेत्र मच्छरों का अड्डा बन गया है और लोग बहुत क्षुब्ध हैं ;

(ग) क्या यह भूमि, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन अधिसूचित की गई है ;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस भूमि का अब तक अधिग्रहण न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस भूमि का अधिग्रहण कब तक किया जायेगा और खेती करने के बजाय उस पर स्कूल और पार्क कब तक बनाये जायेंगे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ङ) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बालासोर में सुवर्ण रेखा नदी पर तटबंधों की रक्षा

9805. श्री पवित्र मोहन प्रधान : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताये कि जिला बालासोर (उडीसा) में सुवर्ण रेखा नदी के दोनों और सिंचाई तटबंधों की रक्षार्थ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जो कि बाढ़ रोकने के लिए नितांत आवश्यक है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : उड़ीसा के बालासौर जिले में स्वर्णरेखा नदी के किसी भी तरफ तटबंधों के निर्माण की स्कीम स्वर्णरेखा बेसिन में बाढ़-नियंत्रण की समूची एकीकृत स्कीम का एक भाग है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति ने इस स्कीम के लिए तैयार किए गए पहले प्रस्तावों की समीक्षा की थी और ऊपरी भागों में जलसंचय जलाशयों के निर्माण के फलस्वरूप बाढ़-निस्सार के आधुनिकीकरण को दृष्टि में रखते हुए उड़ीसा में दोनों किनारों पर तटबंधों

के निर्माण की सिफारिश की थी। उड़ीसा की राज्य सरकार ने अब सूचित किया है कि उड़ीसा में इन तटबंधों के निर्माण के लिए आगे कार्यवाही स्वर्णरेखा बेसिन के बहुप्रयोजनी विकास के संबंध में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राज्यों के बीच हाल में हुए करार के अनुसार की जाएगी।

राज्यों द्वारा मकान बनाने की राशि का उपयोग न किया जाना

9806. **चौधरी हरी राम मक्कासर गोदरा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों की संख्या और नाम क्या हैं जिन्होंने 1978–79 के दौरान मकान बनाने हेतु मंजूर की गई राशि का पूरी तरह उपयोग नहीं किया ;

(ख) मंजूर की गई राशि का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) छः राज्यों, नामतः मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैण्ड, पंजाब, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल का प्रत्याशित व्यय 1978–79 में आवास के लिए अनुमोदित परिव्यय से कम था।

(ख) तथा (ग) : आवास राज्य क्षेत्र में हैं। केन्द्र द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता, "समेकित ऋणों" और समेकित अनुदानों के रुप में दी जाती है। जो किसी योजना, परियोजना अथवा विकास शीर्ष विशेष से सम्बद्ध नहीं होती, राज्य सरकारें इस समेकित सहायता को आवास सहित विभिन्न राज्य क्षेत्र योजनाओं पर अपनी आवश्यकता व अग्रता के आधार पर उपयोग करने में स्वतंत्र हैं।

1978–79 के दौरान ग्रामीण ऋण की प्रतिशतता

9807. **श्री के० प्रधानी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल उपलब्ध कृषि ऋण में से कृषि मजदूरों के लाभ हेतु वर्ष 1978–79 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित ग्रामीण ऋण की प्रतिशतता क्या है ; और

(ख) सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि यह ऋण वास्तव में कृषि मजदूरों को उपलब्ध हों ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : सरकार की नीति यह है कि ग्रामीण जनता के कमजोर वर्गों जिनमें लघु तथा सीमान्त किसान, कास्तकार, कृषि श्रमिक तथा कारीगर शामिल हैं, के लिए ऋण की अधिकाधिक मात्रा सुलभ की जाए।

कृषि श्रमिकों को दिए जाने वाले ऋण के लिए कोई विशिष्ट प्रतिशत निश्चित नहीं किया गया है। आशा है कि चालू योजना अवधि के दौरान संस्थागत ऋण में कमजोर वर्गों का अंश कुल ऋण के कम से कम 50 प्रतिशत तक हो जाएगा। कमजोर वर्गों के लिए अधिकाधिक ऋण देने हेतु संस्थागत ऋण एजन्सियों की उधार देने की नीतियों तथा पद्धतियों की लगातार पुनरीक्षा की जा रही है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सैलेक्शन ग्रेड दिया जाना

9808. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में चतुर्थ श्रेणीके [कर्मचारियों, सफाई कर्मचारी, बेलदार, चौकीदार] इनकी की अलग-अलग संख्या कितनी हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सफाई कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारी जिनकी सेवा 20 वर्ष से अधिक हो गयी है को न तो सैलेक्शन ग्रेड दिया गया है और न ही इन कर्मचारियों को सेवा में नियुक्त होने से सेवानिवृत्त होने तक कोई पदोन्नति दी जाती है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर सकारात्मक है तो क्या सरकार 20 वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को कोई सैलेक्शन ग्रेड अथवा पदोन्नति देने के बारे में विचार करेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क)

क्रम सं०	पदों का नाम	पदों की संख्या
1	चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी —	
	(क) मेहतर	679
	(ख) सीवर मैन	222
2	बेलदार	3670
3	चौकीदार	1467
4.	मेसन	342

(ख) तथा (ग) : सरकारी अनुदेशों के अनुसार नियमित स्थापना में मेहतरों के लिये 106 सैलेक्शन ग्रेड पद और चौकीदारों के लिए 298 सलैक्शन ग्रेड पद उन्हें उपलब्ध अन्य पदोन्नति के मार्गों के अलावा स्वीकृत किये गये हैं। सीवर मैनों के पद शत प्रतिशत मेहतरों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और मौजूदा अनुदेशों के अन्तर्गत वे सैलक्शन ग्रेड के पद पात्र नहीं हैं। प्रश्न में उल्लिखित शेष वर्ग कार्य प्रभारित स्थापना के हैं और वे सैलेक्शन ग्रेड के पात्र नहीं हैं। तथापि बेलदार, सहायक मेसन सहायक बढ़ई आदि के अध-कुशल पदों के लिये पदोन्नति के पात्र है और मेसन कार्य सहायक के ग्रेड में पदोन्नति के पात्र हैं।

कुछ ऐसे मामले है जहां 20 वर्ष से अधिक की सेवा के व्यक्तियों को न तो सैलेक्शन ग्रेड पद मिला और न ही उनकी पदोन्नति हुई। सैलेक्शन ग्रेड या पदोन्नति के पद खाली होते ही उनके मामलों पर विचार किया जा सकता है।

"ए" "बी" और "सी" टाईप क सरकारी आवासों के लिए नई प्रतीक्षा सूची

9809. **श्री दया राम शाक्य :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नए आवेदन-पत्नों के आधार पर टाइप 'ए' 'बी' और 'सी' क्वार्टरों के लिए नई प्रतीक्षा सूचियां जारी की गई हैं और यदि हां तो किस तारीख तक ;

(ख) ऐसे कितने कर्मचारियों ने अब टाइप 'ए', 'बी' और 'सी' के क्वार्टरों के लिए आवेदन-पत्न दिये हैं ;

(ग) उनके द्वारा पहले आवेदनपत्न न देने के विस्तृत कारण क्या हैं ; और

(घ) उपरोक्त वर्गों के कुल ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो वेतन वृद्धि हो जाने के कारण अब हकदार नहीं रहे हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हां। वह अग्रता तिथि जहां तक सामान्य प्रतीक्षा सूची में आवेदन पत्न शामिल किये गये हैं नीचे दो गई है —

	टाइप	अग्रता तिथि
	ए	21-12-59
	बी	31-12-54
	सी	31-12-51
(ख)	टाइप ए	8163
	टाइप बी	26271
	टाइप सी	16618

(ग) तथा (घ) ऐसी कोई सूचना रखी नहीं जाती है।

मैरीन बायोलाजिकल इन्स्टीटयुट द्वारा महाराष्ट्र में रत्नागिरी के पास पश्चिम तट पर मोतियों का पता लगाना

9810. **श्री बापू साहब परुलेकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रत्नागिरि स्थित मैरीन बायोलाजिकल इंस्टीट्यूट ने पश्चिमी तट रत्नागिरि में शुक्ति सस्टों में मोतियों का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है अथवा किया जाना है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : मैरीन बायोलाजिकल रिसर्च स्टेशन, रत्नागिरि से सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र के लिए आवेदन-पत्र

9811. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :**
चौधरी बलबीर सिंह :
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक व्यक्तियों ने दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन के कनेक्शन के लिये आवेदन-पत्र भेजे हुए हैं ;

(ख) यदि हां तो कितने व्यक्तियों ने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के लिये आवेदन-पत्र भेजे हैं और क्या सवक्षण भी किया जा चुका है किन्तु सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित नहीं किये गये हैं; और

(ग) सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं?

सचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : लगभग 3000 लोगों ने पी० सी० ओ० के लिए आवेदन किया हुआ है। नामों की सूची संकलित की जाएगी और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा। 1258 मामलों का सर्वेक्षण किया गया है और इनमें से 229 मामले पी० सी० ओ० की व्यवस्था करने के लिए उचित और व्यवहार्य पाए गए। 150 पी० सी० ओ० लगाए जाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं और इनकी व्यवस्था शीघ्र किए जाने की संभावना है। शेष 79 मामलों के लिए आदेश जारी न किए जाने के निम्न कारण हैं :

(i) पार्टियों से वांछित कागजात प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ii) आवश्यक प्रभारों की अदायगी नहीं की गई है।

कण्ठहार नहर परियोजना के लिए रूस की सहायता

9812. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान प्रधान मन्त्री द्वारा हाल में संसद में दिये गय इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि कण्टहार नहर परियोजना के निर्माण हेतु रूस से सहायता मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो रूस को दिये गये ठोस प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना तथा प्रस्तावों पर रूस सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजित सिंह बरनाला) : (क) प्रधान मंत्री की अध्यक्ष कोसीगिन के साथ हुई वार्ता के दौरान, अध्यक्ष कोसीगिन से अनुरोध किया गया था कि गारलैंड नहर स्कीम का अध्ययन करने में वह अपने विशेषज्ञों की सहायता दें और इस विषय से संबंधित साहित्य की एक प्रति उन्हें दी गई थी। अभी इस समय निर्माण-कार्य के संबंध में सहायता मांगने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) यह मामला उनके विचाराधीन है।

अजन्ता की गुफाओं में चित्रकारी संरक्षण का कार्य

9813. **श्रीमती मोहसिना किदवई :**
श्री वसन्त साठे :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा तथा आवास आदि सुविधाओं की कमी के कारण 'अजंता' को भेजे जा रहे अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों को लेने से इंकार कर रहे हैं और गुफाओं में चित्रकारी संरक्षण का कार्य निर्धारित समय सारणी के अनुसार नहीं चल रहा है जैसा कि 9 अप्रैल 1979 के इण्डियन एक्सप्रेस मे बताया गया है ;

(ख) यदि हां तो मामले में उनकी प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) कार्य कब आरम्भ हुआ है और सरकार के कार्यक्रम के अनुसार इसके पूरा होने में कितना समय लगने की संभावना है; और

(घ) अब तक कितनी राशि स्वीकृत हुई और कितनी खर्च की गई?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डॉ० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : जी हां। मुख्य सड़क तथा समीपवर्ती निवास स्थानों से गुफाओं के दूर होने के कारण स्पष्टतया वहां कार्यरत स्टाफ को आम सुविधायें उपलब्ध नहीं है। पहरे व चौकीदार के लिए नियुक्त स्टाफ के लिए आवास गृह, कार्यक्षेत्र-प्रयोगशाला तथा पर्यवेक्षण संबंधी स्टाफ के लिए टाइप I और टाइप II के कुछ आवास-गृह गुफाओं से लगभग 2 कि०मी० की दूरी पर बनाए गए हैं। मराठवाड़ा के इस क्षेत्र में पेय जल की भारी कमी है। पानी की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से पानी को रोकने के लिए राज्य सरकार के पास समीपवर्ती बाघोरा नदी पर बांध बनाने का प्रस्ताव है। यदि बांध का निर्माण हो जाता है तो पुरातत्वीय आवास-स्थल डूब जायेगा। आवास गृहों के निर्माण हेतु कोई अन्य वैकल्पिक स्थान प्रदान करने के लिए सर्वेक्षण पहले से ही राज्य सरकार से कह चुका है। सर्वेक्षण राज्य सरकार से अन्य अनिवार्य सुविधायें प्रदान करने के लिए भी कह चुका है। सर्वेक्षण स्वयं भी यथाशक्ति इस प्रकार की हर संभव सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा।

(ग) व्यापक-भित्ति-चित्रों का परिरक्षण एक लम्बी और निरन्तर प्रक्रिया है; अतः इस कार्य के पूरा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। परिरक्षण की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निस्संदेह यहां के कार्य की मात्रा और तीव्रता समय-समय पर घटती-बढ़ती रहेगी।

(घ) गत तीन वर्षों में अजन्ता को गुफाओं के परिरक्षण पर किये गए व्यय का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

	रु०
1976–77	1,58,443
1977–78	2,11,223
1978–79 (जनवरी 79 तक)	66,950

वर्ष 1979–80 के दौरान अजन्ता के निर्माण कार्य पर खर्च के लिए 2,20,000 रु० की धन राशि निर्धारित की गई है। आवश्यकता पड़ने पर निर्माण-कार्य के लिए और भी धनराशि आबंटित की जायेगी।

गोल मार्किट, नई दिल्ली में टेलीफोन मरम्मत में विलम्ब

9814. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दफ्तर तथा दफ्तर से बाहर की ड्यूटी पर मरम्मत के काम पर तैनात कर्मचारी तथा वरिष्ठ अधीनस्थ कर्मचारी मरम्मत के काम पर विशेषकर '34' नम्बर से शुरू होने वाले गोल मार्किट क्षेत्र में तुरंत ध्यान नहीं देते हैं;

(ख) क्या जनवरी के मास में तथा फरवरी 1979 के आरंभ में '34' नम्बर से शुरु होने वाले टेलीफोन प्रयोक्ताओं ने अनेक शिकायतें की थी परन्तु उपरोक्त स्टाफ द्वारा उन पर कोई तुरंत कार्यवाही नहीं की गई और मामले पर संबंधित डिवीजनल इंजीनियर टेलीफोन्स का ध्यान दिलाना पड़ा था; और

(ग) ड्यूटि में लापरवाही के लिए ऐसे कर्मचारियों को क्या सजा दी गई और टेलीफोन लाइनों अथवा प्रयोक्ताओं के घरों में लगे टेलीफोन उपकरणों में दोषों को तुरंत दूर करने के लिए सरकार का क्या उपचारात्मक प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं।

(ख) जनवरी और फरवरी 1979 के दौरान उपभोक्ताओं से प्राप्त होने वाली शिकायतों में असाधारण वृद्धि नहीं हुई है। शिकायतों व फोन की खराबियों को दूर न करने में बरती गई बेपरवाही की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि कर्तव्यच्युति के कोई मामले सामने नहीं आये।

केन्द्रीय भण्डागार निगम द्वारा खाद्यान्न के लिए गांव में गोदामों का निर्माण

9815. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार खाद्यान्न भण्डारण की कुल क्षमता कितनी है ;

(ख) केन्द्रीय भण्डागार निगम ने खाद्यान्न के लिए गावों में गोदामों में का निर्माण करने के लिए क्या योजना प्रस्तुत की है और निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित योजना पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ; और

(घ) क्या उपरोक्त योजना पूरी हो जाने पर देश की अनाज के भण्डारण सम्बन्धी आवश्यकता पूरी हो जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) : केन्द्रीय भाण्डागार निगम की ग्रामीण गोदाम बनाने की कोई योजना नहीं है। पंचायतों तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त भण्डारण सुविधाएं मुहैया करने की एक योजना विचाराधीन है। ये गोदाम एक ओर जहां खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि पैदावार की भण्डारण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हैं वहां दूसरी ओर बीजों उर्वरकों तथा आदानों की भण्डारण आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए हैं। ये गोदाम केन्द्रीय भाण्डागार निगम, राज्य भाण्डागार निगम, भारतीय खाद्य निगम जैसी सरकारी एजेंसियों के मौजूदा गोदामों और सहकारी क्षेत्र के गोदामों के अलावा होंगे। आशा है कि इस योजना से मौजूदा सुविधायें में और वृद्धि होगी और इससे स्थानीय स्तर पर कृषकों की भण्डारण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।

विवरण

खाद्यान्नों की कुल भण्डारण क्षमता बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

क्रम संख्या	क्षेत्र/राज्य का नाम	भारतीय खाद्य निगम के पास 28-2-79 को कुल भण्डारण क्षमता जिसमें निजी किराये और प्लिथ की क्षमता शामिल है।	सहकारी समितियों के पास 30-8-78 को उपलब्ध क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आन्ध्र प्रदेश	2058.08	180.90
2	असम	370.37	60.75
3	बिहार	(अस्थायी) 982.25	146.95
4	दिल्ली	229.09	..
5	गुजरात	646.16	268.20
6	हरियाणा	1102.17	217.49
7	हिमाचल प्रदेश	14.21	73.25
8	जम्मू और कश्मीर	56.58 (अस्थायी)	..
9	कर्नाटक	507.52	446.10

विवरण—जारी

1	2	3	4
10	केरल	411.49	121.96
11	काण्डला (पी० ओ)०	517.64	..
12	मध्य प्रदेश	1626.09	358.20
13	महाराष्ट्र	1980.18	450.81
14	मेघालय	..	11.25
15	मणिपुर	..	8.30
16	नागालैण्ड	..	3.75
17	एन० ई० एफ० रीजन	90.29	2.00
18	उड़ीसा	203.09	110.50
19	पंजाब	3378.98	769.46
20	राजस्थान	1551.00	109.02
21	तमिलनाडु	1661.70	487.08
22	त्रिपुरा	..	9.65
23	उत्तर प्रदेश	2611.68	378.35
24	पश्चिमी बंगाल	1931.88	86.60
25	नेफेड	..	6.75
	जोड़	21,930.45	4,307.32

नोट : राज्य सरकारों की कुल भण्डारण क्षमता (अपनी व किराये की दोनों) 30.89 लाख मीटरी टन की हैं।

अण्डमान और निकोबार द्वीपों में शारीरिक शिक्षा अध्यापक

9816. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपों में कितने शारीरिक शिक्षा अध्यापक हैं और क्या उक्त अध्यापकों की कोई वरिष्ठता सूची है अथवा नहीं ;

(ख) क्या शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिए पदोन्नति का कोई चैनल है जैसा कि अन्य वर्गों के अध्यापकों के लिए है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद पर से किसी की पदोन्नति हुई है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; उस पदोन्नति के लिए यदि भर्ती नियमों में कोई अर्हता निर्धारित है तो क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के अधीन 17 सीनियर शारीरिक शिक्षा अध्यापक/प्रशिक्षक तथा 59 जूनियर शारीरिक शिक्षा अध्यापक/प्रशिक्षक कार्य कर रहे हैं। इन अध्यापकों की वरिष्ठता सूची रखी जा रही है।

(ख) जूनियर शारीरिक अध्यापकों/प्रशिक्षकों को सीनियर शारीरिक शिक्षा अध्यापक/प्रशिक्षक के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। सीनियर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों/प्रशिक्षकों की रिक्तियों को 50 प्रतिशत पदोन्नति तथा 50 प्रतिशत सीधि भर्ती द्वारा भरा जाता है। सीनियर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों/प्रशिक्षकों को पर्यवेक्षक (शारीरिक शिक्षा) ग्रुप बी राजपत्रित के पद पर प्रोन्नति का अवसर मिलता है।

(ग) जी, हां। जूनियर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों/प्रशिक्षकों को सीनियर शारीरिक शिक्षा अध्यापक/प्रशिक्षकों के रूप में पदोन्नत किया गया है। सीनियर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिए निर्धारित अर्हताएं मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से शारीरिक शिक्षा की स्नातक डिग्री है। पर्यवेक्षक (शारीरिक शिक्षा) का पद अभी-अभी बनाया गया ग्रुप बी राजपत्रित पद है। इस पद के भर्ती नियमों के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

9817. **श्री ए० मुरुगेसन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनतातियों के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के क्वार्टरों तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य आवास के मामले में आरक्षण को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उपयुक्त अभ्यावेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो आरक्षण की वर्तमान प्रतिशतता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को अन्य समुदायों के मकान मालिकों द्वारा आवास नहीं दिया जाता ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली में होस्टल

9818. **श्री श्याम सुन्दर लाल :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली में एक होस्टल बनाने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उनका ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था/नहीं है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

आवास का तदर्थ आबंटन

9819. **श्री राम चरण :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1978 में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कितने क्वार्टरों का तदर्थ आबंटन किया गया और किस किस प्रयोजन के लिये ;

(ख) उनमें से कितने क्वार्टरों का आबंटन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को किया गया ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) वर्ष 1978-79 के दौरान विभिन्न आधारों पर रिहायशी प्रयोजनों के लिए 829 मकान तदर्थ आधार पर आबंटित किए गए हैं ।

(ख) और (ग) : तदर्थ आबंटन के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को किए गए तदर्थ आबंटनों के बारे में पृथक रूप से कोई सूचना नहीं रखी जाती है ।

उड़ीसा में मेंढक पालन

9820. **श्री पदमाचरण सामन्त सिंहेरा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उड़ीसा में मेंढक पालन किया जा रहा है

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर तथा गत तीन वर्षों में उसके लिये, वर्ष-वार कितनी धनराशि मंजूर की गई ;

(ग) क्या योजना से लाभ हो रहा है अथवा हानि ; और

(घ) इस कार्य के लिये वर्ग-वार कितने कर्मचारी नियुक्त हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्ष 1979 के दौरान गेहूं की वसूली

9821. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 के दौरान भारतीय खाद्य निगम अनुमानतः कितने गेहूं की वसूली करेगा ;

(ख) देश में इसकी वसूली के लिये भण्डारण तथा परिवहन के लिये सरकार द्वारा क्या प्रबंध किये गये हैं ;

(ग) क्या किसान यह महसूस कर रहे हैं कि अपर्याप्त भण्डारण सुविधा तथा परिवहन की घटिया व्यवस्था के कारण उन्हें उनके उत्पादन का पूरा लाभ न मिल सकेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस पर मंत्री महोदय की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1979-80 के विपणन मौसम के दौरान लगभग 60 लाख मीटरी टन की वसूली करने की सम्भावना है । इसमें भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए लगभग 16 लाख मीटरी टन की सीधी खरीदारी और राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा लगभग 44 लाख मीटरी टन की वसूली शामिल है ।

(ख) केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा खरीदे जाने वाले प्रत्याशित स्टाक के भण्डारण और उनकी ढुलाई के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किए गए हैं । भंडारण के लिए किए गए कुछेक उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) चट्टों की उंचाई बढ़ाकर खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए मौजूदा क्षमता का अनुकूलतम उपयोग किया जा रहा है ।

(2) सरकारी एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्रोतों से निजी स्थान को किराये पर लेने का आश्रय भी लिया जा रहा है । इसके अलावा, जहां आवश्यक होता है वहां कैंप स्टोरेज का अल्प कालीन उपाय के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है ।

(3) विश्व बैंक की सहायता से 37.57 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता के निर्माण की एक परियोजना शुरु की गई है जिसके 1981–82 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है । यह क्षमता प्रत्येक केन्द्र पर 25,000 मीटरी टन और अधिक की अपेक्षाकृत अधिक क्षमता के गोदामों के बफर स्टोरेज के रूप में होगी । इस में 25 लाख मीटरी टन क्षमता के रुढिगत गोदाम, 10 लाख मीटरी टन के बल्क स्टोरेज और 75,000 मीटरी टन के साइलों हैं ।

(4) भारतीय खाद्य निगम ने निर्धारित विनिर्दिष्टियों के गोदाम बनवाने के लिए प्राइवेट पर्टियों को प्रोत्साहित करने की एक योजना शुरू की है । ये गोदाम भारतीय खाद्य निगम को विशिष्ट शर्तों पर किराये पर दिए जाएंगें । निगम ने अब तक लगभग 40.4 लाख मीटरी टन की क्षमता प्राप्त कर ली है ।

(5) केन्द्रीय और राज्य भाण्डागार निगमों की अधिकांश क्षमता भारतीय खाद्य निगम के प्रयोग के लिए होती है ।

(ग) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है । यह उल्लेख किया जाता है कि सरकार द्वारा किसानों को प्रभावशाली ढंग से मूल्य समर्थन देने के लिए वसूली, भण्डारण आदि के लिए विस्तृत प्रबन्ध किए गए हैं ताकि किसान समर्थन मूल्य का पूरा पूरा लाभ उठा सके ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में खांडसारी मिलों द्वारा काम न करना

9822. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में 65 में से 44 खांडसारी मिलों ने 1978–79 के पेराई मौसम में चीनी के मूल्यों में अत्यधिक गिरावट के कारण काम नहीं किया ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बात के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है कि वे फिर से काम प्रारम्भ करें

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) । (क) से (ग) : राज्य सरकार से पता लगाया गया है कि मध्य प्रदेश में 1978–79 मौसम के दौरान 65 खण्डसारी यूनिटों में 44 यूनिटों ने चीनी के

4--205 लोक सभा/79

मूल्यो में भारी गिरावट होने के कारण कार्य नहीं किया था । खण्डसारी निर्माता एसोसियेशन ने राज्य सरकार से प्रवेश कर से छूट, उत्पादन शुल्क में और कटौती, और रियायतें दरों पर जलाने की लकड़ी सप्लाई करने के लिए आग्रह किया था । केन्द्रीय सरकार ने पहली जनवरी, 1979 से खण्डसारी चीनी से उत्पादन शुल्क पूर्णतया माफ कर दिया था लेकिन मालूम हुआ है कि खंडसारी निर्माताओं द्वारा मांगी गई अन्य रियायतें जो कि राज्य के कार्यक्षेत्र में आती हैं, राज्य सरकार के अभी विचाराधीन हैं ।

गुजरात में कृषि उत्पादक मार्केट समितियां

9823. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कृषि उत्पादक मार्केट समितियों को संख्या कितनी है जिनके विकास के लिए प्रस्ताव गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार की योजना के अधीन केन्द्र सरकार के पास भेजे हैं ;

(ख) उनमें से कितनी मार्केट समितियों के बारे में मंजूरी दे दी गई थी, उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक के लिए कितनी राशि मंजूर की गई ; और

(ग) इनमें से कितनी समितियों संबंधी प्रस्ताव मंजूर नहीं किये गये और प्रत्येक के लिए कारण क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) 16

(ख) केन्द्रीय सहायता हेतु अब तक निम्नलिखित 2 बाजार समितियां अनुमोदित की गई हैं । स्वीकृत धनराशि उनके नामों के सामने दर्शायी गई है :

1. बोदेली	4.00 लाख रुपए
2. राजकोट	4.00 लाख रुपए

2.00 लाख रुपए की पहली किस्त इन दोनों बाजार समितियों के पक्ष में वंटित की गई है । केन्द्रीय सहायता की दूसरी तथा अंतिम किस्त पहले दी गई धनराशि का उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् वंटित की जाएगी ।

(ग) शेष बाजार समितियों के लिए प्रस्ताव निम्नलिखित कारणों से अनुमोदित नहीं किए गए थे :

(1) 6 बाजार समितियों के मामले में अधिकृत भूमि मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अंतर्गत दी गई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था ।

(2) 7 बाजार समितियों के मामले में, परियोजना को पूरा करने के लिए वित्तीय स्रोत तथा रोकड़ भुगतान विवरण दोषपूर्ण थे ।

(3) एक बाजार समिति के मामले में विद्यमान तथा प्रक्षेपित आवक ठीक ढंग से नहीं दर्शाए गए थे ।

कम्बाइन हार्वेस्टरों का आयात

9824. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट फार्मस, कारपोरेशन आफ इंडिया के स्वयं चालित कम्बाइन हार्वेस्टरों की संख्या शीघ्र बढ़ाये जाने की आवश्यकता है क्योंकि इसके अनेक कम्बाइन खराब हालत में है;

(ख) क्या मई, 1977 में अन्तर मंत्रालीय समिति ने जर्मन जनवादी गणतंत्र से कम्बाइन का आयात करने क बारे में निर्णय लिया था और फिर मंत्रालय ने दुबारा 1978 में शीघ्र ही कम्बाइन आयात करन के बारे में निणय लिया था; और

(ग) यदि हां, तो इन निर्णयों को लागू न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारतीय राज्य फार्म निगम ने सूचित किया है कि उनके बहुत से कम्बाइनो की लाभप्रदता समाप्त हो चुकी है और उनको बदलने की आवश्यकता है ।

(ख) तथा (ग) : अन्तर-मंत्रालय समिति ने कम्बाइनों को सीमित संख्या में आयात करने तथा देश में उनके विनिर्माण करने को सिफारिश की थी । तथापि, इस मामले की पुनः जांच की जा रही है ।

साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए भाषाओं को मान्यता देने का मापदण्ड

9825. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहित्य अकादमी द्वारा अकादमी पुरस्कार देन क लिय भाषाओं को मान्यता देन क लिय क्या मापदंड अपनाया जाता है ;

(ख) क्या अकादमी ने उन आदिवासी भाषाओं को अकादमी पुरस्कार के लिये मान्यता प्रदान करने पर विचार किया है; जिनकी लिपि अपनी है और साहित्य, संस्कृति और इतिहास पर पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अकादमी के विचार के लिये आदिवासी भाषाओं को शीघ्र शामिल करने हेतु इस मंत्रालय ने क्या उपाय किये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) से (घ): साहित्य अकादमी द्वारा अपने कार्यक्रम, जिसमें अकादमी पुरस्कार शामिल हैं, के प्रयोजनार्थ एक नई भाषा को मान्यता प्रदान करने के लिए निर्धारित मानदंड निम्नलिखित हैं :

(1) क्या भाषा संरचनात्मक रूप से एक स्वतंत्र भाषा है या दी गई किसी भाषा पद्धति का एक भाग है ।

(2) क्या इसकी पिछली कम से कम तीन शताब्दियों से साहित्यिक परम्परा तथा इतिहास सतत रहे हैं ।

(3) क्या लोग काफी बड़ी संख्या में इसका उपयोग साहित्यिक तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में आज भी करते हैं ।

(4) क्या यह संबंधित राज्य द्वारा/और अथवा कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा के माध्यम के रूप में तथा/अथवा एक अलग अध्ययन विषय के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

(5) इसको बोली के रूप में प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या, समकालीन साहित्य जो इसमें कथा साहित्य, निबन्ध, अन्य साहित्य, पत्रिकाएं आदि तैयार किया जा रहा है, उस पर भी विचार किया जा सकता है ।

हर मामले में भाषाई विशेषज्ञों की एक समिति इस बात की जांच करने के लिए नियुक्त की जाती है कि क्या मान्यता मांगने वाली नई भाषा निर्धारित मानदंडों को पूरी करती है। भाषा को मान्यता प्रदान करने के लिए निर्णय लेने से पहले अकादमी के कार्यकारी बोर्ड द्वारा इस समिति की सिफारिश पर विचार किया जाता है ।

किसी आधुनिक भारतीय भाषा के संबंध में जो संरचनात्मक रूप से एक स्वतंत्र भाषा है, अकादमी पुरस्कारों तथा अन्य कार्यक्रमों के प्रयोजनार्थ मान्यता हेतु विचार किया जा सकता है बशर्ते कि साहित्य अकादमी का कार्यकारी बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाए कि यह निर्धारित विभिन्न मानदंडों को पूरा करती है । इस प्रयोजन के लिए जनजातीय तथा अन्य भाषाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है ।

आदिवासी बोलियां और भाषाय

9826. **श्री ए० के० राय**: क्या शि ा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी लोगों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाली प्रमुख बोलियों अथवा ा ाओं की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं;

(ख) आदिवासी लोगों के लिये शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाने वाली आदिवासी भाषाओं के नाम क्या हैं;

(ग) आदिवासी भाषाओं में कितना साहित्य अथवा पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इस प्रकार के साहित्य के लिये कोई सहायता दी है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी): (क) और (ख): एक विवरण संलग्न है ।

(ग) अपेक्षित सूचना अभी उपलब्ध नहीं है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर आदिवासी भाषाओं की प्रोन्नति और विकास के कार्य में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त, भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति के लिए स्वैच्छिक संगठनों की वित्तीय सहायता की योजना के अन्तर्गत, आदिवासी बोलियों और भाषाओं से संबंधित स्थिति को स्पष्ट करने वाला विवरण नीचे दिया है ।

विवरण

(क) राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा संचालित तृतीय अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के आदिवासी लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोलियों/भाषाओं की संख्या 88 है। तथापि भारतीय

विवरण

जनगणना 1971 के अनुसार उन आदिवासी भाषाओं के नाम और उनकी संख्या, जिनको बोलनेवालों की संख्या 10,000 से अधिक है, निम्नलिखित है :—

भाषायें :

1. अदि	20. किसान	38. मुन्दारो
2. अंगेमी	21. कोलामी	39. नागा
3. भोली	22. कोंडा	40. निकोबारेसा
4. भूमिजी	23. कोरकु	41. नोकटे
5. बोरो	24. कोरया	42. पैंडे
6. देवोरी	25. कोया	43. पारजो
7. दिमासा	26. कुको	44. पावो
8. गादाबा	27. कुरख/ओरेओन	45. राभा
9. गारो	28. लाहौली	46. संथाली
10. गोंडी	29. लाखेर	47. सावारा
11. हालाम	30. लालूंग	48. सेमा
12. हमार	31. लेपचा	49. तांगखुल
13. हो	32. माओ	50. तांगसा
14. जाटायु	33. मिकिर	51. थाडो
15. जुआंग	34. मिरि	52. तिब्बतन
16. कबुई	35. मिशमि	53. त्रिपुरी
17. खरिया	36. मोनपा	54. वेफेई
18. खासी	37. मुण्डा	55. बांचू
19. खोंड		

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित तृतीय अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित 24 आदिवासी बोलियों का शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है :—

बोलिया

1. अंगामि	9. कारेन	17. निकोबारी
2. आवो	10. खासी	18. फेम
3. बोदो	11. खेझा	19. रेंगमा
4. चाकमा	12. खिएमुंगेर	20. संगतम
5. चोकरी	13. कोन्याक	21. संथाली
6. चांग	14. कुकी	22. सेमा
7. गोरा	15. लोथा	23. यिमचुंगेर
8. हमार	16. मिजो	24. जेलियांग

सम्पतियों का अधिग्रहण छोड़ा जाना

9827. **श्री किशोर लाल :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में कितनी सम्पतियों का, जो भारत सरकार के पास थी, अधिग्रहण छोड़ा गया है, तथा इन सम्पतियों का ब्योरा क्या है और अधिग्रहण छोड़े जाने के क्या कारण हैं और इनके मालिकों के क्या नाम हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : निर्माण और आवास मन्त्रालय द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान अधिग्रहण से मुक्त की गयी सम्पत्तियों के ब्यौरो का एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

क्रम सं०	पिछले दो वर्षों (अर्थात् 1977-78 तथा 1978-79) क दौरान अधिग्रहण से मुक्त की गयी सम्पत्तियों के ब्यौरे	मालिक का नाम	अधिग्रहण से मुक्त करने की तारीख	अधिग्रहण से मुक्त करने के कारण
1	2	3	4	5
1.	1, हार्डिंग एवेन्यू, नई दिल्ली	श्री एस० एन० मांजा देव, कनिक राजवती	4-4-79	पोलैण्ड दूतावास जिनके दखल में अधिग्रहण की गई सम्पत्ति थी, उन्होंने उसके मालिक से उसे खरीद लिया । अतः इस सम्पत्ति को अधिग्रहण से मुक्त करना पड़ा ।
2.	16, हार्डिंग एवेन्यू, नई दिल्ली	महारानी राज लक्ष्मी कुमारी देवी	19-12-78	फ्रांस दूतावास जो इस अधिग्रहण की हुई सम्पत्ति के दखल में थे, ने उसे मालिक से पट्टे पर ले लिया । उसके बाद इस भवन को अधिग्रहण से मुक्त करना पड़ा ।
3.	59, रीगल बिल्डिंग, नई दिल्ली	श्री भगवन्त सिंह	20-3-79	इस अधिगृहित सम्पत्ति में सरकार के पास 800 वर्गफुट वास उपलब्ध था । इस वास को हाल ही में उपयुक्त रूप से उपयोग नहीं किया जा सका तथा आर० ए० आई० पी० (एमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 1970 के उपबन्धों के अधीन इस भवन को हर हालत में 10-3-80 तक अधिग्रहण से मुक्त किया जाना था । इसलिए इस भवन को अधिग्रहण से मुक्त करने का निर्णय किया गया था ।
4.	विशाल सिनेमा कम्प्लेक्स, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली	मैसर्स अजय एण्टरप्राइसिज (प्रा०) लि० (आफिस)	31-3-79	विशाल सिनेमा कम्प्लेक्स में वास को दिल्ली में कार्यालय वास की कमी को पूरा करने के लिए अधिगृहीत किया गया था। चूंकि इस वास के अधिकांश भाग को उपयुक्त रूप से उपयोग नहीं किया जा सका इसलिए इसे अधिग्रहण से मुक्त करना पड़ा ।

विवरण—जारी

1	2	3	4	5
5.	फ्लैट नं० 17, फिरोज़भारा बैंक बे रिक्लेमेशन, बम्बई (रिहायशी)	श्रीमती गीता पाटकर तथा श्री डी० पी० पाटकर	1-6-77	इस फ्लैट में मरम्मत न होने के कारण इसकी हालत खसता थी तथा फ्लैट के मालिक आवश्यक मरम्मत करवाने के लिए तैयार नहीं थे। फ्लैट के मालिकों को भी अपने प्रयोग के लिये इस फ्लैट की जरूरत थी।
6.	फ्लैट नं० 3, ब्लाक नं० 3, 291, एस० बी० रोड, बांदरा, बम्बई (रिहायशी)	मैसर्स ई० एम० ब्रदर्स इंजीनियर्स एण्ड कान्ट्रेक्टर्स	1-4-78	सरकार की 1968 की इस वचन बद्धता को पूरा करने के लिए, कि इस परिसर को तब मुक्त कर दिया जायेगा जब सरकारी आबंटी इसे खाली कर देंगे।
7.	फ्लैट नं० 84, डी० पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता।	श्रीमती चायारानी गुहा	1-6-77	सरकार द्वारा 1958 में दिये गये इस वचन को पूरा करने के लिए कि जब सरकारी आबंटी इस परिसर को खाली कर देंगे तो फ्लैट को मुक्त कर दिया जायेगा।
8.	नं० 2, चर्च लेन, ब्लाक 118 (निचली, मंजिल), कलकत्ता (कार्यालय)	मैसर्स ओसवाल होल्डिंग्ज़	11-9-78	नीति के रूप में 1969 में यह निर्णय किया गया था कि दखलकार विभाग द्वारा इस वास को खाली किए जाने के बाद इसे अधिग्रहण से मुक्त कर दिया जाए।
9.	77-डी०, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता में एक फ्लैट (रिहायशी)	श्री एस० पी० जायसवाल, उद्योगपति तथा मिल मालिक	19-10-78	सरकार द्वारा 1969 में दिये गये इस वचन को पूरा करने के लिए कि जैसे ही यह फ्लैट खाली हो जायेगा इसे सरकार मुक्त कर देगी। इस फ्लैट में बहुत ज्यादा मरम्मत की भी ज़रूरत थी।
10.	167, रास बिहारी एवेन्यु, कलकत्ता।	श्री प्रदीप राय	9-3-79	कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार इस परिसर को आबंटियों द्वारा खाली किए जाने के बाद मुक्त किया जाना था। इस परिसर के मालिक ने आग्रह किया था कि यह परिसर उसे अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए चाहिये था।

सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में टाईप-II के क्वार्टरों का टाईप-III में बदला जाना

9828. **श्री राजाराम शंकरराव माने** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरोजिनी नगर, नई दिल्ली के टाईप-II के क्वार्टरों को हाल ही में टाईप-III में बदल दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) क्वार्टरों में क्या अतिरिक्त सुविधाएं दी जायेंगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :(क) तथा (ख) : सरकार ने 1975 में दिल्ली तथा अन्य स्थानों में सामान्य पूल के सरकारी रिहायशी वास के विभिन्न टाईपों के कुर्सी क्षेत्रफल का पुनरीक्षण करने का निर्णय किया। इस आधार पर दिल्ली में सामान्य पूल के मौजूदा सरकारी मकानों का चरणबद्ध रूप से पुनर्वर्गीकरण किया जायेगा। प्रथमत: सरोजिनी नगर के टाईप-II क्वार्टरों को टाईप-III में बदल दिया गया है ।

(ग) कोई अतिरिक्त सुविधाएं देने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि क्वार्टरों का वर्गीकरण मुख्यतया कुर्सी क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण निर्मित कालोनियों के निवासियों की शिकायतें

9829. **चौधरी ब्रह्मप्रकाश** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन कालोनियों के निवासियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो सफ़ाई, बिजली, कानून और व्यवस्था तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियन्त्रण के अधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उन कालोनियों के नाम क्या है जहां से ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) इन निवासियों की समस्याओं का समाधान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सफाई, नालियों में रुकावट, सीवर की लाइनों आदि के बारे में शिकायतें उनके नियन्त्रणाधीन 20 कालोनियों (सूची संलग्न है) के संबंध में प्राप्त हुई थी और यह कि दिल्ली विकास प्राधिकरण जलपूर्ति, सीवेज आदि सेवाओं की व्यवस्था अपनी कालोनियों में केवल उस समय तक करता है जब तक कि उन्हें दिल्ली नगर निगम द्वारा अपने नियन्त्रण में नहीं ले लिया जाता, और उस समय तक उनके बारे में शिकायतें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दूर की जाती है ।

बिजली और कानून एवं व्यवस्था के बारे में शिकायतें, यदि कोई हो, दिल्ली विद्युत वितरण संस्थान और दिल्ली पुलिस द्वारा दूर की जानी होती हैं जिनके लिये प्रशासनिक मंत्रालय क्रमशः ऊर्जा और गृह मंत्रालय हैं।

विवरण

उन कालोनियों की सूची जिनके बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण में शिकायतें प्राप्त हुई है

1. पश्चिम पुरी
2. वजीर पुर
3. प्रसाद नगर
4. मालवीय नगर एक्स्टेनशन
5. मस्जिद मोठ (रिहायशी कालोनी)
6. शेख सराय
7. ईस्ट आफ कैलाश
8. सफदरजंग
9. रजौरी गार्डन
10. कटवाड़िया सराय
11. जनकपुरी
12. कालका जी
13. सनलाइट कालोनी
14. मदनगीर
15. मादीपुर
16. तामूर नगर
17. मुनीरका
18. बेर सराय
19. लारेन्स रोड़
20. शालीमार बाग

सेंट्रल पूल के व आवास में से दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन को आबंटित बंगला

9830. **श्री रामजी लाल सुमन :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सेन्ट्रल पूल का तीन मूर्ति लेन स्थित बंगला संख्या 18 आबंटन के सामान्य नियमों के विरुद्ध दिल्ली विकास प्राधिकरण, के वाइस-चेयरमैन को आबंटित किया गया था ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के इस बंगले को भव्य बनाने और केन्द्रीय सरकार अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना अतिरिक्त क्षेत्र पर निर्माण करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण की भारी धनराशि खर्च की गई थी;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के बंगले में सम्बन्धित प्राधिकारियों की और नई दिल्ली नगरपालिका जो इस क्षेत्र में भवन निर्माण कार्य का नियन्त्रण करती है, की अनुमति के बिना अतिरिक्त निर्माण, परिवर्तन तथा अन्य सुधार नहीं किये जा सकते ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में डी० डी० ए० के उपाध्यक्ष के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख़्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के भगवान दास रोड़ स्थित फ्लैट सं० 7/1 के बदले में दिल्ली विकास प्राधिकरण को तीन मूर्ति लेन का बंगला नं० 18 दिया गया है, इस फ्लैट को सरकार के सामान्य पूल वास में शामिल कर लिया गया है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने तीन मूर्ति लेन के बंगला नं० 18 को अपने उपाध्यक्ष को आबंटित किया है ।

(ख) तथा (ग) : बंगला नं० 18 तीन मूर्ति लेन का अनुरक्षण कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने उपर ले लिया है और उस ने इसकी विशेष मरम्मत आदि और अस्थायी पोर्च के निर्माण पर 46,000 रुपये खर्च किये है । जहां आवश्यक था, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और नई दिल्ली नगर पालिका से अनुमति ले ली थी ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

"प्रोसैस आफ एजिंग प्राब्लम्स एन्ड सोल्यूशन्स" पर गोष्ठी

9831. **श्री नटवर लाल बी० परमार :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अप्रैल के तीसरे सप्ताह में आगरा, भारत में "प्रोसैस आफ़ एजिंग प्राब्लम्स एण्ड सोल्यूशन्स" पर गोष्ठी हुई थी ; यदि हां, तो सीनियर सिटिजन्स वर्ल्ड कांग्रेस द्वारा किये गये विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने मनुष्यों को उनके जीवन की सान्ध्यबेला में भौतिक, भावनात्मक और संस्कृतिक शक्ति प्रदान करने के लिये योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां । 18 अप्रैल, 79 से 20 अप्रैल, 79 तक गोष्ठी हुई थी । जो कुछ समाचार पत्रों में छपा था उसे छोड़कर सीनियर सिटिजन्स वर्ल्ड कांग्रेस द्वारा किये गये विचार-विमर्श के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) तथा (ग) : अनेक राज्य सरकारें वृद्धावस्था पेंशन की योजनाएं चला रही हैं जिनके अन्तर्गत 60 वर्ष और इससे अधिक की आयु के व्यक्ति आते हैं । यह सहायता 15 रुपये से 50 रुपये तक होती है । केन्द्रीय सरकार के पास वृद्धावस्था पेंशन की कोई योजना नहीं है ।

नेशनल बुक ट्रस्ट स्टाफ एसोसिएशन से ज्ञापन

9832. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया स्टाफ एसोसिएशन और यूनियन ने एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें ट्रस्ट के वर्तमान निदेशक, नेशनल बुक ट्रस्ट चेयरमैन और शिक्षा मंत्रालय पर गम्भीर आरोप लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) से (ग) : भारत के राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के कर्मचारी संघ ने 27 सितम्बर, 1978 को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष को एक अभ्यावेदन दिया था । संघ ने अन्य बातों के साथ साथ इस अभ्यावेदन में यह अनुरोध किया था कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के उत्पादन विभाग की अनियमितताओं का पता लगाने के लिए शीघ्र ही पूरी जांच की जानी चाहिए। अध्यक्ष ने संघ के पदाधिकारियों से बातचीत की और उन्हें बताया कि न्यास के एक कर्मचारी से अगस्त 1978 में प्राप्त पहले के एक अभ्यावेदन के आधार पर ही उन्होंने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं ।

2. भारत के राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के कर्मचारी संघ ने 31-3-79 को एक और अभ्यावेदन शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के सचिव को प्रस्तुत किया तथा उसकी एक प्रति अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को भेजी । इस अभ्यावेदन में उन्होंने अन्य बातों के साथ साथ यह कहा है कि वे भ्रष्टाचार, अनाचार और अकुशलता के कुछ गंभीर और विशिष्ट मामले पहले ही अध्यक्ष के ध्यान में ला चुके हैं । इन मामलों में न्यास के वर्तमान निदेशक सहित अनेक अधिकारी शामिल हैं ।

3. जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि न्यास के एक कर्मचारी ने राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष को 16-8-78 को एक अभ्यावेदन दिया था जिसमें अन्य बातों के साथ न्यास के उत्पादन खण्ड की अनियमितताओं का उल्लेख भी था । प्रारंभिक जांच से यह ज्ञात हुआ था कि न्यास के एक अधिकारी के विरुद्ध प्रत्यक्ष मामला बनता है । तदनुसार संबंधित अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया था और एक विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अन्य अनियमितताएं अथवा कदाचार तो नहीं है । ये जांच पड़ताल चल रही है ।

भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा वेतन पुनरीक्षण का अनुरोध

9833. **श्री बसन्त साठे :**

श्री जनार्दन पुजारी :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अप्रैल, 1979 के टाइम्स आफ इंडिया में "भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान के वैज्ञानिकों द्वारा वेतन पुनरीक्षण का अनुरोध" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वैज्ञानिकों के वेतन पुनरीक्षण के बारे में उसमें की गयी टिप्पणी पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में की गयी/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) : यह मामला फिलहाल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शासी निकाय की उप-समिति के विचाराधीन है ।

सरकार समिति का गोवध पर प्रतिवेदन

9834. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जस्टिस ए० के० सरकार आयोग ने सरकार को गोवध पर अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, उक्त प्रतिवेदन किस तारीख को दिया गया ; और

(ग) सदस्यों के बीच परिचालित करने हेतु इसे सभा पटल पर न रखने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं होता ।

आर्गेनिक अपशिष्ट पदार्थों के पुनः प्रयोग के बारे में प्रधान मंत्री से निदेश

9835. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों, मुख्य कार्यकारी पार्षद, दिल्ली, उपराज्यपालों को हाल ही में एक पत्र लिख कर अनुरोध किया है कि वे आर्सेनिक उपशिष्टों के पुन: प्रयोग तथा आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय कारणों से बायो-उर्वरकों के उपयोग का व्यापक कार्यक्रम प्रारम्भ करें;

(ख) यदि हां, तो पत्र की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस बारे में मार्गदर्शी सिद्धांतों के रूप में कोई अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां ।

(ख) पत्र की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :—

(1) जैविक तथा अजैविक उर्वरकों के संतुलित उपयोग से ही एक नियमित समय तक स्थिर फसल उत्पादन हो सकता है ।

(2) पांचवी योजना के दौरान अवशिष्ट पदार्थों और बायो उर्वरकों के पुनःप्रयोग करने के संबंध में केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के क्रियान्वयन से प्राप्त प्रगति केवल बनाई नहीं रखी जानी चाहिए अपितु उसे तेज किया जाना चाहिए । इन योजनाओं में निम्न बातें शामिल हैं :—

ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस संयंत्रों तथा मार्गदर्शी आधार पर सामुदायिक तथा विष्ठा बायो गैस संयंत्र की स्थापना करना, मल–जल और कूड़ा कचरा का उपयोग, 3 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में यांत्रिक कम्पोस्ट संयंत्रों की स्थापना करना, हरी खाद के बीजों का वितरण करना, तथा राइजोबियम कल्चर प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाना ।

(3) राज्य सरकारों को आर्गेनिक अवशिष्टों के पुनः प्रयोग करने और मध्याकालिक योजना में बायो उर्वरकों के उत्पादन के संबंध में बड़े पैमाने पर ठोस कार्यक्रम एवं परियोजनाएं तैयार करनी चाहिए ।

(ग) जी, हां ।

(घ) मार्गदर्शी सिद्धांतों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

(ङ) प्रधान मंत्री का पत्र मार्च के उत्तरार्द्ध में जारी किया गया था । अभी तक असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों तथा दिल्ली प्रशासन के मुख्य कार्यकारी पार्षद से अंतरिम उत्तर प्राप्त हो गए हैं, जिनमें उन्होंने विश्वास दिलाया है कि मामले पर तुरन्त ध्यान दिया जा रहा है । जम्मू और कश्मीर तथा हरियाणा के मुख्य मंत्रियों ने कुछ सुझाव दिये हैं, जिनकी जांच की जा रही है ।

नई दिल्ली नगरपालिका के ड्राइवरों द्वारा हड़ताल

9836. **श्री के० ए० राजन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका के ड्राइवर 20 मार्च, 1979 से हड़ताल पर है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ;

(ग) क्या नई दिल्ली नगरपालिका में अधिकारियों द्वारा अपने ड्राइवरों के प्रतिनिधियों के साथ मांगो को हल करने के लिए कोई कार्यवाही की गई ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) उनकी मांगों की जांच करने तथा उनको हल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां, परन्तु हड़ताल 24 मार्च, 1979 को समाप्त हो गई थी ।

(ख) उनकी मुख्य मांग नई दिल्ली नगर पालिका की बस सेवाओं को स्थगित करने के फलस्वरूप फालतू हो गये चालकों की छंटनी का विरोध करना था ।

(ग) से (ङ) : 19 चालकों को उपलब्ध रिक्तियों के स्थान पर नियमित कर दिया गया है । चिट्ठे पर के चालकों की सेवायें, उनको कानून के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाएं देने के पश्चात् समाप्त कर दी गई थी ।

अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन के बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा की गई चर्चा

9837. **श्री आर० कोलनथाईवेलु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचायती राज के संबंध में अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन की क्रियान्विति के बारे में फरवरी, 1979 में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा की गई चर्चा की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): फरवरी, 1979 में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में अशोक मेहता पंचायती राज समिति की निम्नलिखित मुख्य सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया था।

(क) क्या (1) जिला परिषद (2) पंचायत समिति और (3) ग्राम पंचायत वाले मौजूदा त्रि-स्तरीय ढांचे को जिला परिषद तथा मण्डल पंचायत वाले द्विस्तरीय ढांचे में बदला जाना चाहिए ;

(ख) क्या पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में राजनीतिक दलों को भाग लेना चाहिए ; और

(ग) क्या पंचायती राज संस्थाओं को सांविधानिक स्तर दिया जाए तथा इस उद्देश्य से संविधान में संशोधन किया जाए ।

प्रधान मंत्री जी ने विचार-विमर्श समाप्त करते हुए अनुरोध किया कि राज्य अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर अपने विचार भेजें और उसके तुरंत बाद ही मुख्य मंत्रियों को विचार-विमर्श के लिए बुलाया जाना चाहिए ।

गांवों की उन्नति के लिये पृथक मंत्रालय बनाने के लिये जनता पार्टी की ग्राम विकास समिति की सिफारिश

9838. श्री बागुन सम्बरई :

श्री नटवर लाल बी० परमार :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या जनता पार्टी की ग्राम विकास समिति ने गांवों की समेकित उन्नति के लिए केन्द्र में एक नया मंत्रालय बनाने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) हाल की प्रेस रिपोर्टों से यह पता चलता है कि जनता पार्टी की एक विशेष समिति ने ग्राम विकास, पंचायती राज तथा सहकारिता से संबंधित सभी विषयों को अकेले एक केन्द्रीय मंत्रालय को हस्तांतरित करने का सुझाव दिया है ।

(ख) जब भी सरकार को इस विषय पर एक औपचारिक प्रस्ताव भेजा जाएगा, आवश्यक समझी जाने वाली कार्यवाही की जाएगी ।

रामेश्वरम् में समुद्र द्वारा कटाव

9839. श्री पी० त्यागराजन : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने इस तथ्य को देखते हुए कि रामेश्वरम् में हजारों तीर्थयात्री प्रतिदिन आ रहे हैं, वहां समुद्र द्वारा कटाव को रोकने के लिए कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : रामेश्वरम् में समुद्र-कटाव से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने अभी तक किसी स्कीम को अंतिम रूप नहीं दिया है। तथापि, समुद्र कटाव से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपचारात्मक उपाय तैयार करने के लिए राज्य के अनुसंधान संस्थान, पूंडी में प्रयोगात्मक (पाइलट) अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है। रामेश्वरम् के तट को इन अध्ययनों में शामिल किया जाएगा।

जल प्रदूषण

9840. श्री धर्मवीर वशिष्ठ :

श्री अनन्तराम जायसवाल :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में केन्द्रीय बोर्ड ने देश में विशेषकर महत्वपूर्ण नगरों के किनारे स्थित नदियों में प्रदूषण-निवारण और नियन्त्रण के लिये की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या जल (प्रदूषण निवारक और नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधन करने की आवश्यकता है, यदि हां, तो किस प्रकार ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की योजना के अनुसार, जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण का केन्द्रीय बोर्ड कानूनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और केवल संघ राज्य क्षेत्र के लिये राज्य बोर्ड के रूप में कार्य कर सकता है।

अतः केन्द्रीय बोर्ड दिल्ली, पानाजी तथा गोवा के अन्य उप-नगर, पांडिचेरी तथा चण्डीगढ़ तथा दादर तथा नागर हवेली में प्रदूषण के नियन्त्रण के लिये सीधे तौर पर उत्तरदायी हैं। जहां तक राज्यों में महत्वपूर्ण शहरों में से बड़ी नदियों के प्रदूषण के नियंत्रण का प्रश्न है, का संबंधित जल प्रदूषण के निवारण तथा नियन्त्रण के राज्य बोर्डों का उत्तरदायित्व है कि वे इसके लिए आवश्यक उपाय करे।

2. जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों में जल स्रोतों के प्रदूषण पर नियंत्रण का प्रश्न है, केन्द्रीय बोर्ड ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(क) प्रदूषण नियन्त्रण कार्यों के कार्यान्वियन के बारे में शर्तों के साथ गोवा, दमण और दीव, दादर तथा नागर हवेली, दिल्ली, चण्डीगढ़ और पांडिचेरी, कैरीकल और माहे के संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न उद्योगों के लिये 180 सहमतियां स्वीकृत की गई हैं।

(ख) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये गोवा, दमण, दीव, दिल्ली और पांडिचेरी के विभिन्न उद्योगों के विरुद्ध 28 मुकदमें/चलाए गए हैं।

(ग) गोवा के संघ राज्य क्षेत्र की जौरी और मण्डोवी नदियों, दमण जिले और दादर व नागर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र की कोलक और दमण राज्य नदियों का विशेष तौर पर प्रबोधन किया गया था और यमुना नदी को सामान्य तौर पर प्रबोधन किया जा रहा है। विशेष प्रबोधन का उद्देश्य संबंधित नदियों के कछार में प्रदूषण नियन्त्रण के लिये बृहत योजना के बनाने में सहायता करना है। कछारों में प्रदूषण के नियन्त्रण के लिए कार्य वाही योजना के समेत केन्द्रीय बोर्ड द्वारा इन पर एक रिपोर्ट तैयार की गयी है। और सुझाये गये उपायों को संबंधित प्राधिकरण कार्यान्वित कर रहे हैं।

(घ) बोर्ड एक चलती-फिरती प्रयोगशाला का निर्माण कर रहा है और संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक निस्रावों और पर्यावयणीय जल के मानीटर के लिए एक स्थायी प्रयोगशाला स्थापित की गयी है।

(ङ) उपर्युक्त कार्यों के अलावा केंद्रीय बोर्ड ने राज्य बोर्डों के परामर्श से देश में वर्गीकरण और स्वच्छ जल निकायों की जोनिंग की एक योजना तैयार की है। इस योजना को सभी राज्य बोर्डों द्वारा अपनाया गया है। वर्गीकरण और जोनिंग के कार्य के शीघ्र ही पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। केन्द्रीय बोर्ड ने संबंधित राज्य बोर्डों के परामर्श से यमुना नदी के तट का विस्तृत अध्ययन भी आरम्भ किया है। यह अध्ययन शीघ्र ही पूरा होने वाला है। इससे संबंधित राज्य बोर्डों को प्रदूषण को कम करने के कार्यक्रम में प्राथमिकता निर्धारित करने में सहायता मिलेगी। देश की अन्य अन्तर्राज्यीय नदी तटों का इसी प्रकार का अध्ययन करने का भी बोर्ड का प्रस्ताव है।

3. जहां तक जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधन करने की आवश्यकता का प्रश्न है, यह उल्लेखनीय है कि विभिन्न राज्यों में अधिनियम के कार्यान्वियन की प्रक्रिया में कुछ त्रुटियां सरकार के नोटिस में आयी हैं। अतः अधिनियम में कुछ संशोधन करने जरूरी हो गये। वे महत्वपूर्ण बातें जिनके कारण संशोधन करना आवश्यक हो गया है, नीचे दी गयी हैं :--

(i) क्योंकि कुछ राज्य सरकारें जो धारा 4 के अनुसार छः मास की निर्धारित समय सीमा के भीतर राज्य बोर्ड स्थापित नहीं कर पायीं उनके लिए यह आवश्यक हो गया कि इन बोर्डों की स्थापना को तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों को नियमित किया जाए और धारा 4 को इस हद तक संशोधित कर दिया जाये कि छः मास की अनिवार्य समय सीमा समाप्त हो जाये।

(ii) क्योकि कुछ छोटे राज्य, राज्य बोर्डों के पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं इसलिए विशिष्ट परिस्थितियों पर आधारित और राज्य सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार राज्य बोर्ड का पूर्णकालिक या अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए अधिनियम के अपेक्षित प्रावधानों में संशोधन किया गया।

(iii) जल और वायु प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए इसे एकीकृत रूप देने की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया कि प्रदूषण के निवारण तथा नियन्त्रण के मौजूदा बोर्डों को वायु प्रदूषण की रोक थाम, नियन्त्रण तथा प्रदूषण कम करने के बारे में कार्य करने का अधिकार दे दिया जाये। अतः जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के केन्द्रीय बोर्ड तथा राज्य बोर्डों को यह अधिकार देने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया कि वायु प्रदूषण की रोक थाम, नियन्त्रण और उसे कम करने के लिए भी वे अपनी निधियों में से खर्च करें।

(iv) इसके अलावा, अधिनियम को कार्यान्वियन हेतु और ज्यादा सुस्पष्ट तथा सुविधाजनक बनाने के लिये भी कुछ छोटे-मोटे संशोधन किये गये थे।

सहकारी समितियों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबन्ध

9841. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसी सहकारी ऋण समितियों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर कोई प्रतिबंध लगाया है जिन पर 25 प्रतिशत से अधिक पिछला बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे व्यक्तियों के लिये ऋण प्राप्त करना संभव है जिन्होंने अपने ऋण चुका दिये हैं और जो नये सदस्य बने हैं ; और

(ग) इस शर्त को न हटाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। राज्य की सहकारी सोसायटियों के पंजीयक और सहकारी बैंक यह निश्चय करने के लिए उचित प्राधिकारी हैं कि क्या सहकारी सोसायटियों के लिए वसूली की कोई न्यूनतम प्रतिशतता निर्धारित की जानी चाहिए ताकि वे अपने सदस्यों को ऋण दे सके।

(ख) आम तौर पर नए सदस्यो और गैर-बाकीदार सदस्यो के लिए सहकारी ऋण सोसायटियों से ऋण प्राप्त करना संभव होना चाहिए क्योकि अनेक राज्यों में कोई न्यूनतम प्रतिशतता निर्धारित किए जाने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि गैर-बाकीदार सदस्यों और नए सदस्यों की सोसायटियों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने के योग्य बनाया जाए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गृह कर निर्धारित करने का मानदण्ड

9842. श्री टी० एस० नेगी :
श्री पीयूष तिरकी :
श्री श्याम लाल धुर्वे :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० की कालोनियो में नये बने फ्लैटो (जिनमे मालिक रह रहे हो) के लिए गृह कर निर्धारित करने के मानदण्ड, जब नगरपालिका सुविधाएं उपलब्ध हो उनकी अपेक्षा में जब नगरपालिका सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो, उस स्थिति में भिन्न-भिन्न हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यही सिद्धान्त मायापुरी कालोनी (जी -8 क्षेत्र राजौरी गार्डन) के फ्लैटों के मामले में भी लागू किया गया है ;

(ग) क्या यह सिद्धान्त अन्य सभी कालोनियों में समान रूप से लागू है ; और

(घ) क्या यही सिध्दान्त निजी रूप से बनाये गये मकानों पर भी लागू है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) : 1-4-1978 से आबंटियों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को भुगतान की गई फ्लैट की वास्तविक लागत को दिल्ली विकास प्राधिकरण के उन सभी फ्लैटों पर गृह-कर निर्धारित करने का आधार बनाया गया है जिन पर स्वयं आबंटी रह रहे हैं। यही मानदण्ड निजी तौर पर बनाए गए मकानों पर भी लागू किए जा रहे हैं। तथापि, जिन मामलों में निर्माण की वास्तविक लागत निश्चित नहीं की जा सकती, उन मामलों में कर-निर्धारण उस क्षेत्र में प्रचलित तुलनात्मक किराये के आधार पर किया जाता है।

शिवकाशी में हस्तचालित टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज में बदलना

9843. श्री कुमारी अनन्तन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के अन्य भागों के साथ सुगम टेलीफोन संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से तमिलनाडु फायर वर्क्स एण्ड एमार्सेज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, शिवकाशी द्वारा वर्तमान हस्तचालित टेलीफोन एक्चेंज को स्वचालित टेलीफोन एक्चेंज मे बदलने के लिये बार-बार किये गये अनुरोधों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या इस परियोजना को स्वीकार कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इसे कार्यान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) स्वचालित स्विचिंग उपस्कर सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण बड़े करचल एक्सचेंजों को स्वचालित किए जाने का कार्य योजनाबद्ध रूप मे आकार के अनुसार किया जा रहा है फिर भी कुछ बड़े एक्सचेंजों की संस्थापना के लिए परियोजनाओ को हाथ में लेना अभी तक संभव नहीं हो सका

(ख) जी नहीं । जबकि स्वचालित एक्सचेंज स्थापित करना सिद्धान्त रूप में मान लिया गया है, लेकिन औपचारिक रूप से परियोजना की मंजूरी अभी तक नहीं दी गई है । स्विचिंग उपस्कर की एक बार सप्लाई हो जाने के बाद यह कर दिया जायेगा ।

दूध के उपलब्ध न होने के कारण प्रोटीन की कमी होना

9844. **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दूध न मिलने के कारण प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए चौथी और पांचवी योजनाओं में क्या कार्यवाही की ; और

(ख) छठी योजना में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जिन प्रमुख खाद्य पदार्थों से भोजन में प्रोटीन प्राप्त हैं वे अनाज दालें, गिरियां, मांस (मछली, मांस तथा अंडे) और दूध हैं । जब दूध की कम सप्लाई हो तब भोजन की प्रोटीन संबंधी आवश्यकताओं को सामान्यतया दालो, अनाजो, गिरियो और पत्तेदार सब्जियों जसे अन्य खाद्य पदार्थों से प्राप्त प्रोटीन द्वारा पूरा किया जा सकता है ।

देश मे प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रति दिन लगभग 50 ग्राम प्रोटीन को उपलब्धता रही है जबकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने 42.3 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन आहार संबंधी प्रोटीन की सिफारिश की है । अतः औसतन वास्तव में यह मानने का कोई आधार नहीं है कि देश में प्रोटीन की कमी है । बताया जाता है कि अधिकतर जनसंख्या के कमजोर वर्ग प्रोटीन को कम मात्रा लते हैं जो कि कम कैलोरी लेने से सम्बद्ध हैं । उनके सारे खाद्य पदार्थों में वृद्धि कर इन ग्रुपो में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है । डेरी उद्योग के अलावा, मुर्गीपालन, मछली पालन और दालो, जो कि भोजन में प्रोटीन के अच्छे स्रोत है, की अभिवृद्धि के लिए पंचवर्षीय योजनाओ में प्रयत्न किए जा रहे हैं । चौथी तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मूंगफली तथा सोयाबीन जैसे तिलहनों से वनस्पति प्रोटीन सान्द्रण का विकास करने पर जोर दिया गया था । "बालाहार" नामक एक पौष्टिक आहार जोकि अनुपूरक भोजन के लिए उपयुक्त है, तैयार किया गया है जिसमें खाने का मूंगफली का आटा और सोया आटा प्रयोग किया जाता है । इस समय फीडिंग कार्यक्रमों के लिए लगभग 40,000 मी० टन बालाहार का उत्पादन तथा उपयोग हो रहा है । 'मिल्टोन' नामक एक पौष्टिक दुग्ध उत्पाद तैयार किया गया है जिसमे 50 प्रतिशत दूध-प्रोटीन होता है और 50 प्रतिशत मूंगफली के आटे से लिया गया प्रोटीन आइसोलेट होता है इस समय प्रति वर्ष लगभग 25 लाख लिटर मिल्टोन का उत्पादन होता है ।

आशा है कि चल रहे कार्यक्रमो में तेजी लाई जाएगी और उन्ह छठी पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखा जाएगा । प्रत्याशित विकास कार्यक्रम में बालाहार का उत्पादन, पहले तैयार किए हुए सस्ते पौष्टिक खाद्य पदार्थ के उत्पादन के लिए 5-6 यूनिटों और मिल्टोन के लिए 5-6 यूनिटों का विकास शामिल है । ये सभी पदार्थ कमजोर वर्गों के अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम के लिए उपयुक्त है । आशा है कि विकास संबंधी कार्यक्रमों के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होने, वितरण में सुधार होने, खाने की आदतों में परिवर्तन होने और कम आय वर्गों की क्रयशक्ति में वृद्धि होने से जन साधारण द्वारा खाद्य पदार्थों तथा प्रोटीन की अधिक खपत की जाएगी ।

उड़ीसा में टेलीफोन भवन परियोजना

9845. **श्री सन्त साहू** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बोलनगीर के लिये टेलीफोन भवन परियोजना की मंजूरी दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक आरंभ किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) 1980-81 में निर्माण कार्य शुरू किए जाने की संभावना है ।

रूई का उत्पादन

9846. **श्री इकबाल सिंह ढिल्लों** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गत कुछ वर्षों की तुलना में अधिक रुई का उत्पादन कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1975-76, 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान रुई का राज्यवार उत्पादन क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) कपास का उत्पादन, जो 1975-76 के दौरान, 59.50 लाख गांठें (170 किलो ग्राम की प्रत्येक गांठ) और 1976-77 में 58.39 लाख गांठें हुई थी, वह 1977-78 में बढ़कर 71.03 लाख गांठों तक पहुंच गई । वर्तमान रिपोर्टों के अनुसार 1978-79 में कपास का उत्पादन इससे भी अधिक लगभग 76 लाख गांठें होने की संभावना है । 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान विभिन्न राज्यों के लिए कपास का उत्पादन प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है । 1978-79 के सम्बंध में ऐसी जानकारी विभिन्न राज्यों से अभी उपलब्ध नहीं हुई है ।

विवरण

1975-76 से 1977-78 के दौरान कपास के उत्पादन के अनुमान

(170 किलो ग्राम वाली '000 गांठें)

पृष्ठ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्पादन		
	1975-76	1976-77	1977-78
आंध्र प्रदेश	239.1	260.7	230.5
असम .	1.5	1.8	1.8
बिहार .	3.7	3.3	3.3
गुजरात .	1677.1	1630.4	1941.8
हरियाणा .	465.0	499.0	464.0
हिमाचल प्रदेश	0.5	0.6	0.6
जम्मू और कश्मीर .	0.5	0.6	0.6
कर्नाटक . . .	586.7	460.2	801.7
केरल	10.3	9.8	10.1
मध्य प्रदेश . . .	271.8	277.8	270.2
महाराष्ट्र	771.5	832.7	1263.4
मणिपुर	..	0.1	0.1
मेघालय	3.4	3.4	3.3
उड़ीसा	4.2	5.3	6.7
पंजाब . . .	1235.0	1138.0	1224.0
राजस्थान . . .	404.2	348.4	452.4
तमिलनाडु . . .	253.0	347.5	404.6
त्रिपुरा	2.3	1.9	1.6
उत्तर प्रदेश . . .	15.9	13.8	15.5
पश्चिम बंगाल . .	0.2	0.1	0.1
अखिल भारत . .	5949.5	5839.3	7103.4

रबी फसल की वसूली का लक्ष्य

9847. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रबी फसल की वसूली में राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये हैं ;

(ख) क्या विभिन्न राज्यो में वसूली कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) गेहूं और चने की वसूली मूल्य समर्थन उपाय के रूप में की जाती है और इसलिए 1979-80 के रबी विपणन मौसम के लिए कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) : जी हां। 3 मई, 1979 तक 5.89 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली हो चुकी है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :--

राज्य	वसूल की गई मात्रा (हजार मीटरी टन में)
हरियाणा	177.8
मध्य प्रदेश	3.7
पंजाब	256.3
राजस्थान	17.8
उत्तर प्रदेश	125.2
पश्चिमी बंगाल	2.6
चण्डीगढ़	नगण्य
दिल्ली	5.6
जोड़	589.0

कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण के मकान

9848. **श्री लक्ष्मी नारायण नायक** :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण कम वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये अधिक मकानो का निर्माण कर रहा है और यदि हां, तो निर्माण किये जा रहे मकानों की संख्या कितनी है ;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किन-किन स्थानो पर कम वेतन भोगी कर्मचारियो के लिये मकानों का निर्माण किया जा रहा है ; और

(ग) क्या इन मकानों के सामने बच्चो के खेलने के लिये पार्क बनाने की भी कोई योजना है ?

निर्माण और आवास तथापूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : दिल्ली विकास प्राधिकरण जनता, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग की श्रेणियो के अन्तर्गत मकान बनाता है। आवेदक की आय के अनुसार जहां उसकी आय 12,000 रुपये प्रविर्ष से अधिक न हो वह इन तीन श्रेणियों में से एक श्रेणी मे आबंटन का पात्र होगा। बशर्ते कि वह उचित शर्तों के पूरा करता हो। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चाहे वह हो या नहीं। वे स्थान जहां मकान पहले ही बना चुके हैं, जहां मकान निर्माणाधीन हैं, तथा जहां पर मकान बनाने का प्रस्ताव है, उनका विवरण क्रमशः अनुलग्नक "क", "ख", तथा "ग" में दिया गया है।

(ग) पार्क तथा अन्य सुविधायें अनुमोदित योजना के अनुसार प्रदान की जाती है।

विवरण क

वर्ष 1978-79 के दौरान पूर्ण किये गये मकानों की सूची

क्रम सं०	योजना का नाम	प्रभाग/अंचल	ई० डब्ल्यू० एस०	एल० आई० जी०	जनता
1	2	3	4	5	6
1	**जनकपुरी**				
	(क) जनता हाऊसिंग पाकेट बी०/सी	एच० डी० 7/3	..	..	112
	(ख) पाकेट बी०-3/ए०	--वही--	..	..	160

विवरण का —जारी

1	2	3	4	5	6
2	मुनीरका फेज II . .	एच० डी० 10/2	..	98	..
3	1066 एल० आई० जी० रिहायशी एकक, कालकाजी ग्रुप-II	एच० डी० 11/2	..	426	
4	नन्द नगरी	एच० डी० 19/3	340	..	
5	न्यू सीमापुरी .	—वही—	320	..	
6	शकरपुर . .	एच० डी० 12/2	114	..	..
7	नांगलोई फेज II . .	—वही—	92	..	..
8	जनकपुरी				
	(क) जनता हाऊसिंग पाकेट बी० 2सी० . .	एच० डी० 7/3			168
	(ख) 144 एल० आई० जी० पाकेट बी०-2ए० .	एच० डी० 9/3	..	144	..
9	हिम्मतपुरी . .	एच० डी० 18/3	300	..	..
10	कल्याणपुरी . .	—वही—	130	..	..
11	जहांगीरपुरी . .	एच० डी० 8/1	506	..	..
12	मंगोलपुरी .	डी० डी० 2/4	100	..	..
13	मंगोलपुरी . .	डी० डी० 5/4	48	..	..
14	वजीरपुर . .	एच० डी० 8/1	..	..	312
15	शेख सराय . .	एच० डी० 11/2	..	..	208
16	राजौरी गार्डन जी०-8 क्षेत्र	एच० डी० 9/3	..	672	..
17	ग्रुप II ई० पी० डी० पी० कालोनी .	एच० डी० 11/2		18	
18	सराय खलील ग्रुप-II .	सी० डी 1/5		55	
19	त्रिलोकपुरी 2088 एम० आई० जी० तथा एल० आई० जी०	एच० डी 18/3		348	..
20	मस्जिद मोठ	सी० डी 2/5		86	..
21	पंचशील	एच० डी 1/1		68	
22	मुनीरका फेज II .	एच० डी 10/2		14	
23	शेख सराय :				
	1264 ग्रुप I तथा II .	एच० डी० 11/2		348	116
	ग्रुप III . .	—वही—		192	64
	ग्रुप IV	—वही—		144	48
24	राजौरी गार्डन . .	एच० डी० 7/3		720	..
25	पीतमपुरा 180 फ्लैट पाकेट एच० (पूर्वी) . .	डी० डी० 2/4	..	..	144
26	सुलतानपुरी . .	एच० डी० 12/2	506	..	..
27	जहांगीरपुरी . .	एच० डी० 8/1	500	..	..
28	हैदरपुरी . .	एच० डी० 12/2	140	..	..
		कुल .	3096	3333	1332
		कुल जोड़ .	7761		
		सी० एस० पी०	540		
		ई०पी०डी०पी०	88		
		कुल .	8389		

5—205 लोक सभा/79

विवरण ख

निर्माणाधीन मकानों की सूची

क्रम सं०	योजना का नाम	एल०आई०जी०	जनता
1	वज़ीरपुर फेज़ III	131	
2	**पश्चिमपुरी :**		
	707 जनता		444
	594 जनता		594
	पाकेट ए०-6/660 जनता		660
	पाकेट ए०-2/528		528
3	**शालीमार बाग :**		
	ब्लाक ए पाकेट सी०-1	96	
	ब्लाक ए पाकेट सी०-4	76	
	ब्लाक ए पाकेट एन०-1	64	
	ब्लाक ए पाकेट एन०-2	56	
	ब्लाक ए पाकेट डी० 1	100	
	ब्लाक ए पाकेट डी०-2	68	..
4	प्रीतमपुरा		632
5	शालीमार		1348
6	**दिलशाद गार्डन:**		
	ग्रुप ए पाकेट 5	96	48
	ग्रुप बी पाकेट 6	44	22
	ग्रुप बी पाकेट 8	104	52
	ग्रुप बी पाकेट 7	108	54
	ग्रुप बी० पाकेट 5	40	20
7	सराय खलील ग्रुप I	83	..
8	त्रिलोकपुरी 2088 एम० आई० जी० तथा एल० आई० जी०	348	..
9	मस्जिद मोठ फेज II	60	..
10	1440 एल० आई० जी,० जी०-8 क्षेत्र, राजौरी गार्डन	720	..
	हुडको स्कीम :		
11	बोडेला पाकेट के० जी०-3	..	182
12	बोडेला पाकेट एफ० जी०-1	300	..
	पुरानी पद्धति :		
13	शेख सराय ग्रुप 5	264	88
14	शालीमार बाग ब्लाक बी 1 ए पाकेट डी० पार्ट III	62	..
15	शालीमार बाग ब्लाक बी० 1 ए० पाकेट सी० पार्ट III	88	..
16	शालीमार बाग ब्लाक बी० 1 ए० पाकेट सी० पार्ट III	66	..
	कुल	2974	4672
	कुल जोड़	7646	

विवरण 'ग'

निर्माण के लिए प्रस्तावित मकानों की सूची

क्रम सं०	योजना का नाम	प्रभाग/अंचल	एल० आई० जी०	जनता
1	बोडेला पाकेट के० जी०-2	एच० डी० 9/3	468	..
2	बोडेला पाकेट जे० जी०-1	—वही—	468	..
3	बोडेला पाकेट जे० जी०-2	—वही—	72	360
4	बोडेला पाकेट जी० जी०-2	एच० डी० 5/4	228	..
5	शालीमार बाग ए० एफ०	डी० डी० 5/4	..	336
6	शालीमार बाग बी० आर०	—वही—	204	..
7	शालीमार बाग बी० बी०	—वही—	240	..
8	शालीमार बाग बी० डी०	—वही—	240	
9	शालीमार बाग ए० जे०	—वही—	192	..
10	पीतमपुरा जी० तथा जे०	डी० डी० 2/4	..	984
11	पीतमपुरा एन०	—वही—	480	..
12	राजौरी गार्डन जी०-8 एरिया . .	एच० डी० 4/1	696	432
13	राजौरी गार्डन ए० तथा बी० जेल रोड जी०-8 एरिया	एच० डी० 7/3	112	..
14	गुलाबी बाग . .	सी० डी० 1/5	..	512
15	सावन पार्क, वजीरपुर फैज़-III	—वही—	..	168
16	लारेन्स रोड, ए०-2 . .	एच० डी० 7/3	612	..
17	जनकपुरी, ए० / 1 बी० . .	—वही—	40	..
18	जनकपुरी ए०/2बी०	—वही—	72	..
19	जनकपुरी ए०/4सी०	—वही—	52	..
		कुल .	4176	2792
20	शालीमार बाग ब्लाक ए० पाकेट सी०		..	1080
		कुल जोड़ .	7048	

एशियाई खेलें

9849. **प्रो० पी० जी० मावलंकर :**

श्री नवाब सिंह चौहान :

श्री एडुआर्डो फैलीरों :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में शीघ्र होने वाली एशियाई खेलों का कार्यक्रम निर्धारित समयानुसार चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या एशियाई देशों ने भारत में इन खेलों के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया दिखाई है ; और

(घ) यदि हां, तो कैसे और किन वास्तविक कदमों अथवा उपायों के साथ ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) और (ख) : भारतीय ओलम्पिक संघ ने खेलों के वास्तविक आयोजन के लिए एक आयोजन समिति गठित कर दी है। भारत सरकार ने, जो 1982 में नई दिल्ली में खेल आयोजित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है, गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक संचालन समिति गठित कर दी है जो यह सुनिश्चित करेगी कि (क) कि खेलों को आयोजित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं निर्धारित मानकों के अनुसार हों तथा समय पर प्रदान की जाएं, (ख)

इस प्रयोजन के लिए संस्वीकृत धनराशि का उपयोग सरकार द्वारा अनुमोदित ढंग से किया जाए, और (ग) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों तथा अन्य प्राधिकारियों जैसे दिल्ली प्रशासन, दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का समन्वय करना ।

खेल संबंधी तैयारियों को अन्तिम रूप देने के लिए आयोजन समिति की बैठकें बार-बार और नियमित रूप से हो रही हैं ।

संचालन समिति की प्रथम बैठक 1-5-79 को हुई तथा उन रुपरेखाओं को निर्धारित किया गया जिन के अनुसार संचालन समिति का कार्य चलेगा ।

(ग) और (घ) : 18-12-78 को हुई बैठक में एशियाई खेल संघों की परिषद् के सभी सदस्य देशों ने, 1982 के नौवें एशियाई खेल, नई दिल्ली में आयोजित करने के संबंध में 1976 में एशियाई खेल संघ द्वारा किए गए निर्णय की सर्वसम्मति से पुनः पुष्टि की । आशा है कि कम से कम 25 सदस्य एशियाई देश खेलों में भाग लेंगे ।

धान की पी० आर० 106 किस्म की असफलता

9850. श्री ए० आर० बद्रीनारायण : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ष पूर्व बहुत धूम-धड़ाके के साथ चालू की गई धान की नई व उन्नत पी० आर० 106 किस्म आशाओं के अनुकूल सिद्ध नहीं हुई है और उत्पादक फिर से पहले वाली आई० आर० ए० तथा जावा नामक मोटी किस्मों को उगा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार किसानों द्वारा दिये जा रहे तर्कों से सहमत हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कृषि मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) : जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा कम्पोसिट सिंचाई परियोजना के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को सहायता

9851. श्री के० राममूर्ति : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने 257 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ उड़ीसा कम्पोसिट सिंचाई योजना को ऋण सहायता देने के बारे में बहुत रूचि प्रकट की है ; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा कम्पोसिट सिंचाई योजना के परियोजना प्रतिवेदनों को शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) उड़ीसा कम्पोसिट सिंचाई परियोजना को, जिसमें रेंगाली सिंचाई परियोजना और महानदी बराज परियोजना शामिल है, वित्तीय वर्ष 1981 (जुलाई, 1980 से जून, 1981) के लिए ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली परियोजनाओं की पाइपलाइन में अन्तरिम रूप से शामिल कर लिया गया है ।

(ख) कृषि विभाग का परियोजना-तैयारी और मानीटरिंग कक्ष राज्य सरकार के सहयोग से परियोजना-रिपोर्ट तैयार कर रहा है जो विश्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप हो ।

दिल्ली नगर निगम में स्थानान्तरित किये गये दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारी

9852. श्री एफ० पी० गायकवाड : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में अस्थायी आधार पर काम कर रहे कितने श्रमिकों का गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली नगर निगम में स्थानान्तरण किया गया ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को निगम के स्थायी कर्मचारी बना दिया गया है ; और

(ग) किसी कर्मचारी को स्थायी बनाने का क्या आधार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कम लागत के मकान

9853. श्री के० मालन्ना : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के ग्रामीण आवास सेलों के द्वारा 1977, 1978 और 1979 के दौरान कम लागत के मकानों के कितने डिजाइन तैयार किये गये ;

(ख) उनमें से कितने डिजाइन अपना लिये गये हैं और इन डिजाइनों के आधार पर प्रत्येक राज्य में कम लागत के कितने मकानों का निर्माण किया गया ; और

(ग) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में ग्रामीण आवास सेलों द्वारा डिजाइन तैयार किये गये कम लागत के तथा लोक निर्माण विभागों द्वारा निर्मित मकान जिनको आबंटित किये गये थे उनको अच्छे नहीं लगे हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही ह तथा सभा पटल पर रख दी जायगी ।

पंचायत पद्धति में प्रशिक्षण

9854. डा० रामजी सिंह : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक मेहता समिति के अनुसार पंचायतों के नव निर्वाचित सदस्यों तथा पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना आवश्यक है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से राज्य है जहां पर निर्वाचित सदस्यों को प्रशिक्षण देने के प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार पंचायती राज पद्धति में गैर-सरकारी स्तर पर प्रशिक्षण देना पसन्द करेंगी और यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्य को पंचायतों की एक मात्र संस्था, अखिल भारतीय पंचायत परिषद् दिल्ली को सौंपेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सामाजिक-आर्थिक विषमता को दूर करने के लिये समान शिक्षा सुविधा

9855. श्री राम लाल राही : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक-आर्थिक विषमता को दूर करने तथा समता लाने की दृष्टि से वे देश के प्रत्येक बच्चे को राष्ट्रीय स्तर पर समान शिक्षा सुविधा देना उचित समझते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है तथा तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्बन्धी संकल्प का प्रारूप 30 अप्रैल, 1979 को लोक सभा पटल पर रख दिया गया है । इस नीति में इस प्रश्न में उठाए गए मुद्दों के सम्बन्ध में शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय का दृष्टिकोण स्पष्ट किया गया है ।

दिल्ली में बहुत अधिक किराये

9856. श्री डी०डी० देसाई : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 8 अप्रैल, 1979 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस आशय के समाचार को देखा है कि दिल्ली में किराये बहुत अधिक बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या आवास की समस्या के बारे में सफलता प्राप्त करने हेतु इस संदर्भ में डी० डी० ए० का निर्माण कार्यक्रम पर्याप्त है ; और

(घ) मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिये सरकारी और गैर-सरकारी निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली किराया नियन्त्रक अधिनियम, 1958 में मानक किराये का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं । ये व्यवस्थाएं मालिक मकान और किरायेदार दोनों के लिये न्यायोचित है ।

(ग) तथा (घ) : इस के द्वारा पहले 3000 से 4000 फ्लैट प्रतिवर्ष बनाने की तुलना में, दिल्ली विकास प्राधिकरण का लोगो के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अब प्रतिवर्ष लगभग 20,000 फ्लैट बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, यह विभिन्न वर्गों के आबंटियों के मकानों के निर्माण के लिये प्लाट उपलब्ध करायेगा। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों के निर्माण का एक बड़ा कार्यक्रम बनाया है। सहकारी समितियों के जरिये निर्माण कार्य को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गैर सरकारी निर्माताओं को प्रयोगात्मक उपाय के तौर पर फ्लैटों के निर्माण कार्य में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। आशा है कि इन उपायों से दिल्ली में मकानों की समस्या को सुधारने में काफी सहायता मिलेगी।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत कम भोजन और अधिक कार्य

9857. **श्री आर० महाटा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काम के बदले अनाज कार्यक्रम का अर्थ सडक निर्माण व भूमि खोदने में लगे श्रमिकों के लिए कम भोजन और अधिक काम है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस कार्यक्रम में श्रमिकों का शोषण रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। दूसरे शब्दों में यह कार्यक्रम ग्रामीण बेरोजगार तथा अल्प रोजगार वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए है।

(ख) जहां कहीं इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त होती है, उसे इस अनुरोध के साथ तुरन्त राज्य सरकार के ध्यान में लाया जाता है कि आवश्यक उपचारी उपाय किए जाएं तथा केन्द्र सरकार को उसके परिणाम सूचित किए जाएं।

तीन मूर्ति स्मारक भवन पर व्यय

9858. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन मूर्ति स्मारक भवन के रखरखाव पर प्रतिवर्ष कितना व्यय होता है ;

(ख) यहां प्रतिवर्ष औसतन कितने दर्शक आते हैं ;

(ग) स्वतंत्रता संग्राम पर दिखाए जाने वाले प्रकाश एवं ध्वनि कार्यक्रम से कितनी आय होती है और यदि उस पर होने वाले व्यय की तुलना में आय नगण्य होती है तो इस कार्यक्रम को चलाए रखने का क्या औचित्य है ;

(घ) क्या इस स्मारक और संग्रहालय को अधिक उपयोगी बनाने और इस पर होने वाले व्यय में मितव्ययिता लाने हेतु अध्ययन करने और उपाय सुझाने के लिए समिति स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तीन मूर्ति स्मारक भवन के परिसर के अनुरक्षण का औसत खर्चा 3.26 लाख रुपये प्रति वर्ष है।

(ख) नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय में एक वर्ष में औसतन 9.61 लाख दर्शक आते हैं।

(ग) प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम से औसत वार्षिक आय 23,310 रुपये हैं। खर्चे के एक हिस्से को पूरा करने के लिए इस शुल्क को जारी रखा जा रहा है।

(घ) और (ङ) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दर्शकों की संख्या को देखते हुए नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय जन साधारण के लिए काफी उपयोगी है।

"मानुमेंटस डिके इन राजस्थान डेजर्टस" शीर्षक से लेख

9859. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अप्रैल, 1979 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "मानुमेंट्स डिके इन राजस्थान, डेजर्टस" शीर्षक से प्रकाशित एक लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार राजस्थान में जैसलमेर, बूंदी अजमेर और नागौर के शताब्दियों पुराने कलात्मक वस्तुएं उपेक्षा और लोगों द्वारा खराब किये जाने कारण नष्ट हो रही है ;

(ख) सरकार इन स्मारकों को संरक्षित रखने तथा इन्हें नष्ट होने से बचाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) इसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) यह कहना सही नहीं है कि राजस्थान में राष्ट्रीय-महत्व के स्मारकों के रूप में घोषित जैसलमेर, बूंदी और अजमेर के स्मारक उपेक्षा और कलाकृति-ध्वंसको द्वारा खराब किये जाने के कारण नष्ट किये जा रहे हैं । नागौर में कोई भी केन्द्र-संरक्षित स्मारक नहीं है ।

(ख) और (ग) : कलाकृति खराब करने वाले लोगों से स्मारकों के परिरक्षण के लिए चौकीदारों की नियुक्ति की गई है, और उन्हें नष्ट होने से बचाने के लिए समय-समय पर संरचनात्मक मरम्मत कार्य और भित्ति-चित्रों का रासायनिक उपचार किया जाता है । संरचनात्मक मरम्मत कार्यों के लिए मैंमनरी में जलरोधन ; खुले हुए जोड़ों में टीपकारी और संरचनात्मक ढाँचों को मजबूत करने वाली मदों पर कार्य किये जाते हैं । भित्ति चित्रों पर जमे रेतीली-मिट्टी के कणों की सफाई की जाती है, पपड़ीदार-रंग द्रव्यों को पुनः जमाया जाता है और उनपर परिरक्षी-लेप चढ़ाया जाता है । इसके अतिरिक्त अजमेर में अनातसागर बारादरी के आसपास स्थल-विकास के तौर पर उद्यान का सम्पोषण किया जा रहा है । गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त स्मारकों पर निम्नलिखित खर्च हुए हैं :—

1976-77	77,593 रुपये
1977-78	43,608 रुपये
1978-79	45,040 रुपये (इसमें नवम्बर, 1978 तक संरचनात्मक मरम्मत कार्यों पर हुए खर्च शामिल हैं) ।

राजस्थान में भारतीय बस्टर्ड पर रोक लगाने की मांग

9860. श्रीमती पार्वती देवी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्वावधान में हुई प्रयोगात्मक जीव विज्ञान सम्बन्धी अखिल भारतीय गोष्ठि की ओर दिलाया गया है जिसमें एक संकल्प पास किया गया था जिसमें राजस्थान के रेगिस्तान में भारतीय ग्रेट बस्टर्ड को मारने पर रोक लगाने की मांग कर की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सूरजित सिंह बरनाला): (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसी एक गोष्ठी दिसम्बर, 1978 में राजस्थान विश्वविद्यालय के तत्वावधान में हुई थी । तथापि, गोष्ठी की रिपोर्ट और सिफारिशें विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) तथा (ग) : उक्त (क) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्नही नहीं होता ।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष को रायल्टी का भुगतान

9861. श्री रामधारी शास्त्री : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष (प्रोफेसर आर० एस० शर्मा) ने अपनी लिखित कुछ पुस्तकों के अनुवाद के लिए पहले से भुगतान की गई रायल्टी के रूप में 50,000 रुपये की राशि गैर-कानूनी रुप से प्राप्त की थी ;

(ख) क्या उन्होंने आयकर से बचने के लिए आधी राशि वापस कर दी थी ;

(ग) क्या वापस की गई यही धनराशि, उन्होंने बाद में फिर से ले ली थी; यदि हां, तो स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी कौन था; और

(घ) क्या सरकार इस मामले की जांच कराने और दोषी व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए तैयार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष ने, नियमों के अनुसार पहले से भुगतान की गई रायल्टी के रूप में, मार्च, 1974 में 47,000 रुपये (न कि 50,000 रुपये) की राशि प्राप्त की थी ।

(ख) जी, हां । 24,000 रुपये की राशि मार्च, 1975 में लौटाई गई थी ।

(ग) जी, हां । वही राशि वापस लेने की मंजूरी भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के उप सचिव द्वारा दी गई थी जो उस समय भा० ए० अ० परि० के सचिव का पद भार संभाले हुए थे ।

(घ) यह मामला विचाराधीन है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अनुसंधान कम्पलैक्स

9862. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान कम्पलैक्स के लिए 10 करोड़ रूपये के परिव्यय की अनुमति दी है ;

(ख) क्या योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और उसके स्थान के बारे में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) योजना की वर्तमान प्रगति कितनी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक अनुसंधान कम्पलैक्स की स्थापना की मंजूरी पांचवीं पंजवर्षीय योजना के दौरान दी गयी । इस अनुसंधान कम्पलैक्स ने जनवरी, 1975 से कार्य करना प्रारंभ किया । इसको सुदृढ़ करने के लिए मध्यम अवधि योजना 1978-83 के दौरान 10 करोड़ रूपये का प्रस्ताव किया गया है । उपरोक्त प्रस्ताव योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है ।

इस कम्पलैक्स के अधीन मुख्य और क्षेत्रीय केन्द्रों के स्थान ये है :—

राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र का नाम	मुख्य क्षेत्रीय केन्द्र का स्थान
1. मेघालय	शिलांग
2. अरूणाचल प्रदेश	बसर
3. नागालैण्ड	येसीमयोंग, झरना पानी
4. मणिपुर	इम्फाल
5. मिजोराम	कोलासिब
6. त्रिपुरा	लेम्बूचेरा
7. असम	करबी अंगलोंग
8. सिक्किम	गंगटोक

(ग) सभी अनुसंधान केन्द्रों पर कार्य प्रारंभ हो गया है । शिलांग केन्द्र पर कार्य तीन फार्मों पर अर्थात् बरनीहाट, नया बंगला और ऊपर शिलांग में प्रगति पर है । ये फार्म राज्य सरकार ने अस्थायी तौर पर उपलब्ध कराये है ।

स्थायी स्थान शिलांग के पास बारापानी नाम के स्थान पर चुना गया है और भूमि अधिग्रहण करने की औपचारिकताएं लगभग पूरी होने को हैं । इस संस्थान ने कृषि, बागबानी, पशुधन, मत्स्यपालन और बागांनी फसलों के सुधार के लिए एक समाकलित अन्तर्शाखीय अनुसंधान का कार्यक्रम विकसित किया है । यह "जूमिंग" या "शिफ्टिंग" खेती को बदलने के लिए वैकल्पिक नीति पर कार्य कर रहा है ।

विभिन्न ऊंचाइयों और कृषि जलवायुओं में पैदा होने वाली फसलों की आशाजनक किस्मों का पता लगाया गया है । उत्तर-पूर्वी पहाड़ियों में विद्यमान रोगों का एक सामान्य सर्वेक्षण किया गया है । पशुधन और मुर्गी पालन के विभिन्न जीवाणु और रोगाणु सम्बन्धी रोगों के प्रभाव का भी पता लगाया गया है ।

केन्द्रीय तथा राज्य मंत्रियों तथा भूतपूर्व मंत्रियों पर टेलीफोन के बकाया बिल

9863. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्य तथा केन्द्रीय मंत्रियों तथा भूतपूर्व मंत्रियों के नाम क्या हैं जिनपर 1 दिसम्बर, 1978 को टेलीफोन बिलों की राशि बकाया थी और इन बिलों की राशि कब से बकाया है ;

(ख) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) किस मामले में बिलों की राशि को बट्टेखाते डाल दिया गया है ; और

(घ) उपर्युक्त व्यक्तियों में से उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके टेलीफोन कनेक्शन काट दिये गये थे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) से (घ) : देश भर की विभिन्न यूनिटों से सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

डी० डी० ए० के फ्लैटों के आबंटन के लिए पत्रकार आवेदन-कर्ता

9864. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम० आई० जी० और एल० आई० जी० फ्लैटों के आबंटन के लिए 1976 की पंजीकरण योजना के अन्तर्गत कुल कितने पत्रकार आवेदन-कर्ताओं की बयाना राशि डी० डी० ए० के पास अभी तक पड़ी है ;

(ख) क्या वर्ष 1976 की योजना के अन्तर्गत लंबित आवेदन-कर्ताओं को केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली प्रशासन के मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षित कोटे में से फ्लैट दिए जाएंगे जैसा कि डी० डी० ए० ने वर्ष 1976 में जमा राशि स्वीकार करते समय वचन दिया था ;

(ग) यदि हां, तो इन आवेदन-कर्ताओं को फ्लैटों का आबंटन कब किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो वर्ष 1976 में पंजीकरण कराने वाले व्यक्तियों को 2 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा न देने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने केवल पत्रकारों के लिए अलग से कोई पंजीकरण योजना नहीं चलाई है । पत्रकार भी आम जनता के साथ ही अपना पंजीकरण करवाते हैं तथा 1976 की पंजीकरण योजना के अधीन पंजीकृत पत्रकारों की संख्या बताने के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पृथक् से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने ऐसा कोई वचन नहीं दिया था ।

(ग) अन्यों के साथ बारी आने पर ।

(घ) सामान्य नीति के रूप में यह निर्णय किया गया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, वीरगति प्राप्त रक्षा कार्मिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के अतिरिक्त सभी श्रेणियों के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा ।

राजस्थान में चूम लिफ्ट सिंचाई योजना

9865. **श्री दौलतराम सारण :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर की चूम लिफ्ट योजना और सिंघ मुख तथा नाहर फीड़र नहरों के विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) ये योजनाएं किस स्तर पर हैं, ये कब तक स्वीकृत की जायेंगी और इनका निर्माण कार्य कब तक चालू हो जायेगा और कब तक पूरा हो जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : प्रश्न में जिन स्कीमों का उल्लेख किया गया है, इन नामों की कोई स्कीमें नहीं हैं । माननीय सदस्य शायद चुरू-झुनझुन लिफ्ट स्कीम और सिधमुख तथा नोहर सिंचाई स्कीमों का उल्लेख कर रहे हैं ।

राजस्थान सरकार द्वारा चुरू तथा झुनझुन जिलों में यमुना के जल के इस्तेमाल के लिए चुरू-झुनझुन लिफ्ट स्कीम की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई थी । यह रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग को मुख्य रूप से यमुना के जल में राजस्थान के हिस्से पर निर्णय लेने के लिए भेजी गई थी । बेसिन राज्यों के बीज यमुना के जल के आवंटन के प्रश्न की जांच संबंधित राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ हुई कई बैठकों में की गई है और इस मामले पर अभी और आगे विचार किया जाना है ।

जहां तक सिधमुख सिंचाई स्कीम का संबंध है, राजस्थान सरकार ने पंजाब और हरियाणा के जरिए बरास्ता भाखड़ा प्रणाली के रावी-ब्यास के फालतू जल के 8 मिलियन एकड़ फुट के अपने हिस्से के एक भाग का उपयोग करने के लिए प्रस्ताव किया है । इस प्रस्ताव में निहित अन्तर्राज्यीय पहलुओं पर संबंधित राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है और बरास्ता भाखड़ा प्रणाली के, प्रस्तावित रावी ब्यास के उपयोग किए जाने वाले फालतू जल की कुल मात्रा के संबंध में राजस्थान सरकार से कुछ सूचना प्राप्त हो जाने पर आगे कार्रवाई की जाएगी । यह सूचना राजस्थान सरकार द्वारा अब अप्रैल, 1979 के अन्तिम सप्ताह में दी गई है ।

जहां तक नोहर सिंचाई स्कीम का संबंध है, राजस्थान सरकार ने पहले घग्गर नदी के बाढ़ के जल का उपयोग करने के लिए प्रस्ताव किया था। लेकिन, राजस्थान सरकार ने अब सूचित किया है कि नोहर क्षेत्र में भी रावी-ब्यास के फालतू जल से सिंचाई की जाएगी और इस क्षेत्र की जल की आवश्यकता राजस्थान सरकार द्वारा अप्रैल, 1979 में तैयार किए गए प्रस्तावों में, जो बरास्ता भाखड़ा नहर प्रणाली के सिधमुख क्षेत्र की सिंचाई के लिए जल सप्लाई करने के बारे में है, शामिल कर ली गई है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में पदों का अन्तरण

9866. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया है कि उनके चिकित्सा विज्ञान संस्थान में प्रोफेसर आफ पेडियाट्रिक सर्जरी का पद जनरल सर्जरी में अन्तरित कर दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(क) क्या उन्हें उक्त संस्थान की विभागीय परिषद् की बैठक के कार्यवाही सारांश की एक प्रति प्राप्त हुई जिसमें इस प्रयास का विरोध किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय को कार्यकारी परिषद ने प्रोफेसर आफ पेडियाट्रिक सर्जरी के पद को भरना आवश्यक नहीं समझा। कुलपति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह सुझाव देते हुए पत्र लिखा था कि उपरोक्त पद के स्थान पर सामान्य सर्जरी के प्रोफेसर का पद बनाया जाए। प्रस्ताव आयोग द्वारा स्वीकार किया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रोफेसर आफ पेडियाट्रिक सर्जरी का पद न भरने के विश्वविद्यालय के निर्णय पर बैठक में भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए गए थे। परिषद् के सदस्यों में से एक सदस्य ने इस विषय में विश्वविद्यालय को एक अभ्यावेदन भी दिया है जिस पर विचार किया जा रहा है।

यह एक ऐसा मामला है जिस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से विश्वविद्यालय द्वारा ही कार्रवाई की जानी है। सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है।

भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों का भरा जाना

9867. **श्री मोहनलाल पिपिल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री भारत सरकार मुद्रणालय मिन्टो रोड, नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों के बारे में 19 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3674 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पदों के श्रेणीवार नाम तथा संख्या क्या है ;

(ख) इन पदों के लिये पात्रता सम्बन्धी नियम क्या हैं ;

(ग) कितने समय से ये पद रिक्त पड़े हैं ;

(घ) इन पदों के लिये उम्मीदवारों को ढूंढ़ने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ; और

(ङ) यदि इन पदों को भरने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किये गये हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क), (ग), (घ) तथा (ङ) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण I में दी गयी है।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण II में दी गयी है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4433/79]

भूमि सुधार और भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों के विरुद्ध अपीलों के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत

9868. **श्री गदाधर साहा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि सुधार और भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों को लागू करने में वर्तमान न्यायिक पद्धतियों के अन्तर्गत न्यायिक औपचारिकताओं के कारण विलम्ब हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या न्यायिक औपचारिकताओं को उचित रूप से कम करने के लिए अपीलों के क्षेत्र को दो स्तरों तक सीमित रखने और प्रारूप तथा अभिलेखों के अन्तिम प्रकाशन की अवधि को कम करने के लिए उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार भूमि सुधार कानूनों को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) इस समय भूमि सुधार मामलों में स्वीकृत अपीलों और रिवीजनों की संख्या अलग अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न है तथा जीन राज्यों में स्वीकृत किये गये मामलों की संख्या अत्यधिक है, उनमें अपीलीय फोरम द्वारा भूमि सुधार मामलों के निपटान में विलम्ब होता है जिससे फालतू भूमि के धारकों को लाभ होता है तथा कास्तकार एवं भूमिहीन श्रमिक भूमि सुधार कानून के अन्तर्गत मिलने वाले अधिकारों से वंचित रह जाते हैं ।

(ख) राज कृष्ण समिति ने सिफारिश की है कि भूमि सुधार के मामलों में स्वीकृत की गयी अपीलों तथा रिवीजनों की संख्या एक अपील तथा एक रिवीजन सहित दो तक सीमित होनी चाहिये । यह सिफारिश राज्य सरकारों को अपनाने तथा अपने भूमि सुधार कानूनों में आवश्यक संशोधन करने के लिये भेज दिया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं होता ।

लद्दाख से बहुमूल्य प्राचीन वस्तुओं की चोरी छिपे बाहर ले जाना

9869. **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बौद्ध संस्कृति से संबंधित सैंकड़ों प्राचीन मूर्तियों और अन्य बहुमूल्य कला वस्तुओं को लद्दाख से चोरी छिपे बाहर ले जाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन बहुमूल्य प्राचीन वस्तुओं का क्या मूल्य है और इस के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त सूचना के आधार पर 1973 से 1976 तक लद्दाख से 24 मूर्तियों/प्रतिमाओं के लुप्त होने के संबंध में आठ मामलों की रिपोर्ट की गयी थी । तदनन्तर, पुलिस ने उनमें से आठ मूर्तियों/प्रतिमाओं को बरामद कर लिया । इसके अतिरिक्त 1973-76 के दौरान चार रंगीन चित्र भी बरामद हो चुके थे । 1977-1978 के वर्षों में किसी भी चोरी के मामले की रपट नहीं की गई ।

(ख) विलुप्त मूर्तियों की कीमत का पता नहीं चला है किन्तु, बरामद हुए चार रंगीन चित्रों का मूल्य 50,000 रुपये आंका गया है । लद्दाख में पुरावशेषों के पंजीकरण और उनकी सुरक्षा के लिए कार्रवाई की जा रही है ताकि भविष्य में उन्हें लुप्त होने से बचाया जा सके । पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में आलची और लेह के मठों सहित तेरह स्मारकों को संरक्षण में लेने के लिए पहले ही से निर्णय ले चुका है । केन्द्र और राज्य सरकारें लद्दाख में प्राचीन संरचनाओं और पुरावशेषों के प्रलेखन कार्य हेतु कदम भी उठा रही हैं ।

पर्थ इंटरनेशनल हाकी टूर्नामेंट के लिये चयन

9870. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय टीम के मैनेजर और भारतीय हाकी टीम के शिक्षक श्री क्लेडियस के जो इस समय पर्थ में हैं इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि पर्थ इंटरनेशनल हाकी टूर्नामेंट के लिये सम्भावित खिलाड़ियों का चयन नेशनल हाकी चेम्पियनशिप प्रतियोगिता से भी पहले कर दिया गया था जबकि चयन के लिये जिम्मेदार व्यक्ति उसके विरुद्ध थे :

(ख) क्या दिनांक 28 मार्च, 1979 के 'स्पोर्ट वर्ल्ड' अंक में श्री क्लेडियस ने इस आरोप को दोहराया है कि चयन करने वाले व्यक्ति 22 सम्भावित खिलाड़ियों के नाम घोषित करने के विरूद्ध थे परन्तु प्रेजिडेन्ट आल इंडिया कौन्सिल आफ स्पोर्टस (फील्डमार्शल मानेकशा) से प्राप्त आदेश के कारण उन्हें मजबूर होकर ऐसा करना पड़ा ;

(ग) क्या सरकार नेशनल चेम्पियनशिप से पूर्व पर्थ टूर्नामेंट के लिये खिलाड़ियों का चयन उचित समझती हैं ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) और (ख) : जी हां । परन्तु भारतीय, हाकी संघ को सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से या अखिल भारतीय खेल परिषद् के अध्यक्ष के माध्यम से ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया तदनुसार, सरकार ने श्री कलाडियन्स के तथाकथित वक्तव्य का खंडन करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की ।

(ग) और (घ) : टीम का चयन पूर्णतया भारतीय हाकी संघ के क्षेत्राधिकार में था । सरकार इस मामले में दखल नहीं देती है । तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए सर्वोत्तम राष्ट्रीय टीमें चुनने के लिए, भारतीय हाकी संघ तथा अन्यों को समय-समय मार्गदर्शी रूप रेखाएं जारी की गई हैं।

भारतीय हाकी संघ ने राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में खिलाडियों के प्रदर्शन के आधार पर पांच और सम्भावित खिलाड़ी शामिल किए थे ।

हुबली में केन्द्रीय विद्यालय भवन का निर्माण

9871. **श्री एफ० एच० मोहसिन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुबली में केन्द्रीय विद्यालय भवन का निर्माण शुरू हो गया है ;

(ख) भवन की अनुमानित लागत क्या है उसमें से कितनी खर्च हो चुकी है और इस वर्ष के बजट में कितनी धनराशि रखी गई है ; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, हां ।

(ख) भवन की अनुमानित लागत 19.84 लाख रुपये है जिसमें से 2-5-79 की स्थिति के अनुसार 1.21 लाख रुपये पहले से खर्च हो गये हैं । चालू वर्ष के लिए बजट व्यवस्था 8.00 लाख रुपये हैं ।

(ग) 31-3-1980 तक ।

भारतीय हाकी टीम

9872. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री चिमनभाई एच० शुक्ल :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में है कि भारतीय हाकी टीम हाल ही में हुए ओलम्पिक खेलों में सेमीफाइनल तक पहुंचने में भी असफल रही हैं ;

(ख) क्या इससे विश्व में भारतीय हाकी टीम के खेल की गिरावट की स्थिति का पता नहीं लगता है;

(ग) इसके क्या कारण है; और

(घ) क्या भारत सरकार का विचार हाकी के खेल और अन्य खेलों में भी सुधार करने का है जिससे विश्व में हाकी टीम का अस्तित्व बनाया रखा जा सके और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) सरकार को पता है कि भारत की हाकी टीम हाल ही में पर्थ में हुए अन्तर्राष्ट्रीय हाकी टुर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश के लिए योग्य नहीं पाई गई ।

(ख) और (ग) : हाल ही में हुए पर्थ टूर्नामेंट में भारत की हाकी टीम के निष्पादन से अवश्य पता चलता है कि 1975 तक हुए आलम्पिकों तथा अन्य महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय हाकी टूर्नामेंटों में दिखाए गए निष्पादन के मुकाबले में इसके स्तर में गिरावट आई है किन्तु इसे 1976 के मांट्रियल आलम्पिक खेलों या 1978 के ब्यूनस आयर्स के चौथे विश्व कप हाकी टर्नामेंन्ट में हमारे निष्पादन को देखते हुए सुधार कहा जा सकता है।

(घ) हाकी के खेल का प्रतियोगी पहलू भारतीय हाकी महासंघ के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि सरकार अपनी कानूनी संवैधानिक तथा वित्तीय सीमाओं के अन्दर हाकी और अन्य खेलों के स्तर को उन्नत करने तथा उन्हें सुधारने के लिए सभी संभव सुविधाएं और सहायता देती रही है और देती रहेगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण-विभाग में काम करते समय मरने वाले कर्मचारी

9873. **श्री हरि शंकर महाले :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में (डिविजनवार) कितने कर्मचारियों की काम करते समय मृत्यु हो गई ;

(ख) उनमें से कुछ कर्मचारियों के आश्रितों को माननीय आधार पर नौकरियां दी गई हैं; यदि हां, तो कितने मामलों में, इस तथ्य के बावजूद कि उनके आश्रित परिवार के लिये कोई आय का साधन न होने के कारण दर-दर भटक रहे हैं, कोई राहत नहीं दी गई है; और

(ग) उन आश्रितों को नौकरियों देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विभिन्न कार्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अनन्नास का वैज्ञानिक उत्पादन

9874. **श्री एम० ए० हनान अलहाज :**
श्री सचीन्द्र लाल सिंघा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनन्नास के उत्पादन के लिये वैज्ञानिक पद्धति अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) गत तीन वर्षों में देश में वर्षवार, राज्य वार अनन्नास का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अनन्नास में कृषि तकनीकों का मानकीकरण किया है। विभिन्न विधियों में नजदीक नजदीकरोपण करके उन्नत किस्मों के अधिक घनत्व वाले पौधों का रोपण करना, उर्वरकों का प्रयोग, खरपतवार, फलों को नियमन करने के लिए वनस्पति, हाय मोनो का प्रयोग और वनस्पति संरक्षण उपायों को अपनाना शामिल है।

(ग) अनन्नास के उत्पादन के वर्ष-वार तथा राज्य-वार सही अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तदर्थ अनुमानों के अनुसार वर्तमान उत्पादन लगभग दो लाख मीटरी टन है।

श्रीलंका से आये शरणार्थियों का पुनर्वास

9875. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका से आए शरणार्थियों का पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के चाय बागानों में पुनर्वास करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इन दो राज्य सरकारों के साथ जो बातचीत हुई, उसका ब्यौरा क्या है और इस बातचीत में जिन अधिकारियों ने भाग लिया उनके नाम क्या हैं और आज तक बातचीत में भाग लेने वाले चाय बागान मालिकों के नामों का तारीखवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) राज्य सरकारों की और चाय बागान मालिकों की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) प्रस्ताव के बारे में अनुवर्ती कार्यवाही करने में अब तक प्राप्त परिणाम का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) : पुनर्वास विभाग के संयुक्त सचिव ने 22 और 23 जनवरी, 1979 को त्रिपुरा राज्य सरकार के साथ राज्य में चाय बागान स्थापित करने और श्रीलंका से आए दक्ष बागान कामगारों को कुछ सीमा तक काम में लगाने की संभावनाओं का पता लगाने के प्रयोजन से नितान्त खोजनात्मक एवं प्रारंभिक प्रकृति की बातचीत की थी ।

15-1-79 को भी उसने चाय बोर्ड, कलकत्ता के कार्यालय में चाय बोर्ड के अधिकारियों एवं चाय संघों के प्रतिनिधियों के साथ ऐसी प्रारंभिक बातचीत की थीं । इनमें पश्चिमी बंगाल चाय विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक की यह राय थी कि मुख्यता भूमि उपलब्ध न होने के कारण और स्थानीय रोजगार की समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए उत्तरी बंगाल में नए चाय बागान शुरू करने के सुझाव को कार्यान्वित करना कठिन होगा । इस बातचीतों के फलस्वरूप कोई ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आया है ।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते हैं ।

जनकपुरी, नई दिल्ली में सड़क का निर्माण

9876. **श्री मही लाल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनकपुरी, नई दिल्ली में ए-3 ब्लाक शापिंग सेन्टर तथा असलतपुर गांव के बीज 60 फुट चौड़ी सड़क का लगभग 50 गज का टुकड़ा अभी भी बनाया नहीं गया है हालांकि कालोनी को बने लगभग 10 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सड़क के इस भाग के निर्माण का काम 1976 में प्रारम्भ किया गया था परन्तु मिट्टी का काम पुरा होने के पश्चात् इसे छोड़ दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो सड़क को पूरा न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा और पूरा किया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : जी, हां ।

(ग) तथा (घ) : पहले इस कालोनी की सेवाओं का कार्य डी० डी० ए० के पास था, उन्होंने इस रोड पर मिट्टी की भराई आदि का कुछ काम आरम्भ किया था जिसको रोक देना पड़ा क्योंकि अतिक्रमण के कारण सड़क की पुनः सिधाई करना आवश्यक हो गया था, इस कालोनी की सेवाओं को अब दिल्ली नगर निगम ने सम्भाल लिया है । दिल्ली नगर निगम निविदा आमन्त्रित कर रहा है तथा यह कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जायेगा ।

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा पुनर्विकास पर व्यय

9877. **श्री नाथू सिंह** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका को 27 मार्च, 1979 को नई दिल्ली के सामाजिक कार्यकर्त्ताओ के शिष्टमण्डल से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें फुटपाथों, नये पार्कों, फौव्वारों तथा फैंसी लैम्प पोस्टो के पुनर्विकास पर फिजूल खर्चों की आलोजना की गई है ;

(ख) क्या नई दिल्ली नगरपालिका ने फिजूल खर्चो को दखते हुए अपने बजट का पुनर्विलोकन किया है;

(ग) क्या उक्त अभ्यावेदन में नई दिल्लो नगरपालिका क्षेत्र में नागरिक सुविधाओ के बारे में कोई मांगे की गई ह ; और

(घ) उक्त मांगों पर नई दिल्ली नगरपालिका ने यदि कोई निर्णय किया है तो वह क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) : नई दिल्ली नगर पालिका को दिये गये ज्ञापन में नई दिल्ली क्षेत्र में नागरिक सुविधाओ की व्यवस्था की मांग की गई थी । अपने बजट प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करते समय नई दिल्ली

नगर पालिका ने पाया कि ज्ञापन में उल्लिखित अधिकांश मांगों के लिए उसके 1979-80 के बजट में प्रावधान पहले ही मौजूद हैं। अतः कमेटी ने बजट को संशोधित करना उचित नहीं समझा। ज्ञापन में उठाई गई अधिकांश मांगो को सम्मिलित करते हुए बजट प्रावधानों के ब्यौरे सलग्न विवरण में दिये गये है।

विवरण

लोक सभा के तारीख 7-5-79 के अतारांकित प्रश्न सं० 9877 के भाग (क) में उल्लिखित ज्ञापन में उठाई गई विभिन्न मांगो के संबंध में 1979-80 के लिए नई दिल्ली नगर पालिका के बजट में किये गये प्रावधानों के ब्यौरे।

	लाख रुपये
1. अधिक युवक केन्द्र खोलना	1.38
2. विद्यार्थियो को छात्रवृत्ति देना .	3.10
3. किओस्कस, शेडों तथा दुकानों का निर्माण . .	7.00
4. रामकृष्ण पुरम में धोबी घाट तथा क्वार्टरों का निर्माण .	5.00
5. वृद्ध तथा अपंगो के लिए घर	1.00
6. 100 सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण . . .	5.00
7. नई दिल्ली क्षेत्र में जल सम्प्लाई में वृद्धि तथा सुधार . .	108.65
8. बारात घरों का निर्माण	5.00
9. "शिक्षा की कोटि में सुधार", "सीखते समय कमाना", "पौष्टिक आहार" तथा "दोपहर का भोजन" योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था की गई है .	
10. नई दिल्ली नगर पालिका के स्कूलों में शिक्षा को कोटि में सुधार लाने पर अधिक बल दिया जायेगा जिसके लिए पर्याप्त बजट प्रावधान किया गया है।	
11. नई दिल्ली नगर पालिका के स्कूलों में शिक्षा की कोटि में सुधार लाने पर अधिक बल देने के लिए प्रावधान किया गया है।	
12. नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्र में नव घोषित सार्वजनिक मार्गों पर आवश्यक नागरिक सुविधायें देने के लिए प्रावधान किया गया है।	

देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में ग्रामीण जल सप्लाई

9878. **श्री अहमद हुसैन : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ग्रामीण जल सप्लाई के बारे में सरकार की क्या नीति है और किन केन्द्रीय योजनाओं/राज्य सरकारों की योजनाओं को केन्द्रीय सहायता मिल रही है और 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए गत तीन वर्षों में इस प्रयोजनार्थ कितना धन व्यय किया गया है ; और

(ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आसाम सरकार से प्राप्त प्रस्तावों/अनुरोधों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जलपूर्ति राज्य का विषय होने के कारण, देश में ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छ पेय जल सप्लाई के लिये योजनाएं, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा, राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाई जाती है और निष्पादित की जाती हैं। भारत सरकार ने 1977-78 में अपनी ओर से राज्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की निधियों में वृद्धि करने के लिये, केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम आरम्भ किया है। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता शतप्रतिशत अनुदान के रूप में समस्या मूलक ग्राम में प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का निष्पादन उन्हें पूर्ण करने के लिये दी जाती है।

वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्यों को केन्द्रीय सहायता इस प्रकार दी गई थी :--

(लाख रुपयों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहायक अनुदान प्राप्त हुआ	
	1977-78	1978-79
असम	55	150
मणिपूर	50	50
मेघालय	22.50	100
सिक्किम	34.50	42
त्रिपुरा	78	110
अरुणाचल् प्रदेश	20	30
मिजोराम	15	18.50
नागालैण्ड	75	91

(ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम राज्य क्षेत्र में है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जलपूर्ति के लिये प्रस्तावों का अनुमोदन या स्वीकृति, भारत सरकार से लेनी अपेक्षित नहीं है । राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्रों से आशा की जाती है कि वे 10 लाख और उससे अधिक की अनुमानित लागत की योजनाओं को केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य पर्यावरणीय तथा इंजीनियरी संगठन की तकनीकी जांच के लिये भारत सरकार को भेजें ।

पिछले 3 वर्षों के दौरान असम राज्य द्वारा दो योजनाएं भेजी गई थीं, उन में से केवल एक योजना को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जांच कर के भेजा जा सका क्योंकि अन्य योजना नगरीय क्षेत्र से सबंधित थी और राज्य सरकार उसकी जांच स्वयं कर सकती थी ।

सपरेटा दुग्ध चूर्ण और संपूर्ण दुग्ध चूर्ण का उत्पादन

9879. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) गत तीन वर्षो में देश में सपरेटा दुग्ध चूर्ण और संपूर्ण दुग्ध चूर्ण का कुल उत्पादन कितना हुआ;

(ख) इसमें से कितना सरकारी अथवा अर्ध सरकारी डेरियों के माध्यम से उत्पादित होता है और कितना सहकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में होता है;

(ग) क्या संपूर्ण दुग्ध चूर्ण को उत्पादन शुल्क से पूरी छूट है, यदि हां तो इसके क्या कारण है; और

(घ) क्या अखिल भारतीय होटल हलवाई संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि सपरेटा दुग्ध चूर्ण पर लगे उत्पादन शुल्क के बारे में पुर्नविचार किया जाये और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में सार्वजनिक और सहकारी/प्राइवेट क्षेत्र द्वारा सपरेटा दुग्ध चूर्ण तथा शुद्ध दुग्ध चूर्ण का उत्पादन निम्न प्रकार रहा है :—

वर्ष	सपरेटा और शुद्ध दुग्ध चूर्ण का उत्पादन (मीटरी टन)	प्राइवेट/सहकारी क्षेत्र के माध्यम से (मीटरी टन)	सरकारी/अर्धसरकारी डेरियों के माध्यम से (मीटरी टन)
1976	16,660	14,597	2,063
1977	23,593	19,482	4,111
1978	27,420	21,332	6,078

(ग) जी, हां। 1978 के बजट में सरकार ने शुद्ध दुग्ध चूर्ण पर उत्पादन शुल्क हटा दिया था ताकि शिशु आहार को (जिस पर शुल्क नही था) शुद्ध दुग्ध चूर्ण (जिस पर 10 प्रतिशत उत्पादन शुल्क है) के लिये प्रयोग में न लाया जाय।

(घ) जी हां। अखिल भारतीय होटल हलवाई संघ ने स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण को उत्पादन शुल्क से छूट देने के लिये सरकार से अनुरोध किया था। सरकार ने इस बात पर विचार किया था परन्तु उसने प्रार्थना स्वीकार नहीं की।

भारत सरकार प्रेस में रीडरशिप परीक्षा

9880. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1976 में सरकारी प्रेस की रीडिंग शाखाओं के कर्मचारियों के रीडर के पद पर पदोन्नति के लिये एक परीक्षा ली गई थीं और क्या ऐसे अनुभवी रीडरों को भी परीक्षा में भाग लेने के लिये कहा गया था जिन्होंने परीक्षा पास नहीं की थी परन्तु वे रीडर के पद पर 15-20 वर्षों से कार्य-कर रहे थे ;

(ख) ऐसे अनुभवी कर्मचारियों से परीक्षा में बैठने के लिये कहने का औचित्य क्या है ;

(ग) उनमें कितने कर्मचारियों को अयोग्य घोषित किया गया और इस प्रकार उन्हें पदावनत किया गया और क्या ऐसा करते समय उनकी कार्यकुशलता के पहले रिकार्ड को भी ध्यान में रखा गया था;

(घ) क्या सरकार को विभाग के इस अमानवी तथा अनियमित दृष्टिकोण के बारे में कर्मचारी संघों तथा कर्मचारियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) तथा (ख) : अगस्त, 1976 में भारत सरकार के विभिन्न मुद्रणालयों में रीडरशीप की परीक्षा ली गई थीं। ऐसा कोई रीडर नहीं था जो 15-20 वर्ष से रीडर के रूप में कार्य नहीं कर रहा था जिसने रीडरशिप की परीक्षा उत्तीर्ण न की हो।

(ग) से (ङ) : 47 रीडरों को, जो भारत सरकार के कुछ मुद्रणालयों में 2 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम समय से तदर्थ आधार पर काम कर रहे थे और वे रीडरशिप की परीक्षा पास नहीं कर सके, उन्हे प्रत्यावर्तित कर दिया गया है। ऐसे प्रत्यावर्तनों के विरुद्ध कर्मचारियों और यूनियनों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। अगस्त, 1976 में ली गई रीडरशिप परीक्षा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए कतिपय पहलुओं की जांच की जा रही है।

मूंगफली के उत्पादन में कमी

9881. **डा० पी० वी० पेरियासामी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 में 64 लाख टन की तुलना में मूंगफली की फसल का उत्पादन कम होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) खाद्य तेल का आयात कम करने के विचार से देश में मूंगफली की फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 1978-79 के मूंगफली के उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। तथापि वर्तमान जायजों के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि इसका उत्पादन 1977-78 के 60.69 लाख मीटरी टन के अनुमानित उत्पादन से अधिक होने की संभावना है। अतः उत्पादन में गिरावट आने के कारणों का प्रश्न ही नहीं होता।

(ख) देश में मूंगफली के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये निम्नांकित कदम उठाए गए हैं :—

(1) उन्नत टेक्नोलोजी के तीव्र प्रसार के माध्यम से सिंचित एवं असिंचित दोनों प्रकार के, क्षेत्रों में प्रति हैक्टार उत्पादकता बढ़ाना;

(2) नई सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्र के अन्तर्गत क्षमता में वृद्धि करके सिंचित फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र की वृद्धि करना ;

6—205 लोक सभा/79

(3) प्रमाणित बीजों की सप्लाई में वृद्धि करके बीज उत्पादन कार्यक्रम को मजबूत बनाना;

(4) विशेषकर जहां कहीं व्यवहार्य हो, वहां बड़े क्षेत्रों में हवाई छिड़काव करके वनस्पति रक्षण के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाना ;

(5) समर्थन मूल्य निर्धारित करना तथा मूल्यों में समर्थन मूल्य के स्तर से नीचे गिरावट आने पर उत्पाद की खरीद के लिये प्रबन्ध करना;

(6) प्रमाणित बीजों की लागत पर तथा वनस्पति रक्षण उपायों के लिये राजसहायता की व्यवस्था करना ;

(7) अनुसंधान सम्बन्धी प्रयासों को तेज करना ;

(8) तेल निकालने की आधुनिक विधियों के जरिए तेल के उत्पादन में वृद्धि करना ।

कालोनियों में भूमि के स्थानान्तरण को नियमित किया जाना

9882. **श्री हलीमुद्दीन अहमद** : क्या **निमाण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन कालोनियों में भूमि के स्थानान्तरण की अनुमति देगी अथवा उनकी रजिस्ट्री पुन: खोलेगी जो अनधिकृत हैं लेकिन उनका नाम कालोनियों की उस सूची में हैं जिसे नियमित किया जाना है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उनके स्थानान्तरण की अनुमति न देने के क्या कारण हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री] (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : भूमि के अन्तरण तथा अन्तरण दस्तावेजों के पंजीकरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है सिवाय उन मामलों के जो दिल्ली भूमि (अन्तरण पर प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1972 तथा/अथवा नगर-भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 द्वारा प्रभावित हैं जिसके लिए भूमि के अन्तरण और अन्तरण दस्तावेजों के पंजीकरण से पहले कानून के अधीन निर्धारित प्राधिकारी से अनापत्ति पत्र लेना होता है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ग्रंथालय में हिन्दी और अंग्रेजी की पुस्तकें

9883. **श्री लालजी भाई**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ग्रंथालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं ;

(ख) उनमें से अंग्रेजी और हिन्दी की पुस्तकें कितनी-कितनी हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान अंग्रेजी और हिन्दी की पुस्तकें खरीदने पर कितना व्यय हुआ ; और

(घ) हिन्दी की पुस्तकों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अपेक्षित आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

(i) वि० अ० आ० पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या . .	24878	
(ii) अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या	22058	
(iii) हिन्दी की पुस्तकों की संख्या	1147	
(iv) पुस्तकों की खरीद पर हुआ व्यय	1977-78	1978-79
	रु०	रु०
अंग्रेजी भाषा की	12,601	15,863
हिन्दी भाषा की	19.50	--

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुस्तकालय विशेष रूप से उच्च शिक्षा संबंधी पुस्तकों का है । उच्च शिक्षा संबंधी हिन्दी की अच्छी पुस्तकों की संख्या बहुत सीमित है । फिर भी, आयोग हिन्दी की अधिक पुस्तकें प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है और इस विषय में पुस्तक विक्रेताओं के साथ पत्र-व्यवहार कर रहा है ।

गोआ में टेलीफोन प्रणाली में सुधार

9884. **श्री एडुआर्डो फलीरो** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में टेलीफोन प्रणाली के संबंध में अनेक शिकायतें की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों का स्वरूप क्या है ; और

(ग) उस क्षेत्र में उसके कार्यकरण में सुधार करने और टेलीफोनों का विस्तार करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) गोआ में टेलीफोन प्रणाली के संबंध में शिकायतें की गई हैं ।

(ख) शिकायतें मुख्य रूप से तीन प्रकार की हैं :—

(i) टेलीफोनों का कार्य न करना ।

(ii) मीटर पर अधिक काले आना ।

(iii) ट्रंक काल मिलने में देरी :

(i) एम० ए० एक्स०-II एक्सचेंजों में टेलीफोनों के कार्य न करने के बारे में शिकायतें अधिकांशतः डायल टोन में देरी के कारण होती हैं। सिविल एजेंसियों द्वारा गड्डे खोदते समय और पेड गिराते समय हुई तोडफोड के कारण भी टेलीफोन लाइनें खराब हो जाती हैं ।

(ii) मीटर पर अधिक काल आने के बारे में शिकायतें अनेक स्थानों में एस० टी० डी० सेवाओं को आरंभ करने के कारण हुई हैं और संभवतः उपभोक्ता ट्रंक कालों पर नजर नहीं रखते हैं।

(iii) कुछ छोटे स्वचालित एक्सचेंजों में जंक्शन लाइनों की कमी और कभी-कभी अवरोध उत्पन्न होने के परिणाम स्वरूप ट्रंक काल मिलने में देरी होती है ।

(ग) (i) पंजिम में एम० ए० एक्स०-II किस्म के एक्सचेंज को एम० ए० एक्स० I में बदलने हेतु कार्यवाही की जा रही है। मारगो और वास्को में एम० ए० एक्स०-I एक्सचेंज खोलने की योजना है।

(ii) मीटर पर अधिक कालें आने की शिकायतों की जांच की जाती है और जहां उचित समझा जाता है छूट दी जाती है ।

(iii) छोटे स्वचालित एक्सचेंजों (एस० ए० एक्स०) में जहां आवश्यकता है अतिरिक्त जंक्शन जोड़े जा रहे हैं ।

टेलीफोन सेवाओं का विस्तार :

(i) **पणजी एक्सचेंज** : 1800 से 2000 लाइनों तक बढ़ाया जा रहा है ।

(ii) **मदगांव एक्सचेंज** : 1600 से 1800 लाइनों का विस्तार कार्य चल रहा है और इसके शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है ।

(iii) **वास्को एक्सचेंज** : 1000 लाइन से 1200 लाइनों के विस्तार की योजना है ।

(iv) कलेन्गुटे, कोर्टालिम, करकोरियम और क्यूकोलिम एक्सचेंजो की क्षमता का विस्तार करने की योजना तैयार की गई है ।

(v) अल्दोना, असोनारा और सोइलिम में नये एक्सचेंजों को खोलने की योजना तैयार की जा रही है।

भूमिगत जल हेतु ड्रिलिंग के लिये सर्वेक्षण

9885. **श्री हरिगोविन्द वर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमिगत जल हेतु ड्रिलिंग करने के लिये एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन भागों का सर्वेक्षण कर लिया गया है और किन-किन का सर्वेक्षण अभी किया जाना है तथा यह कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां । केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने भूमिगत जल संसाधनों के समन्वेषण एवं उपयोग के लिए देश के विभिन्न भागों में भूजल विज्ञानीय सर्वेक्षण करने के लिए एक योजना तैयार की है ।

(ख) देश के कुल 28.71 लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्र में से जनवरी 1979 तक लगभग 14.80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भूजल विज्ञानीय सर्वेक्षण के अन्तर्गत किया गया है। इसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पहले यह अनुमान था कि बोर्ड को समुचित रूप से मजबूत बनाने के पश्चात शेष क्षेत्र के अधिकांश भाग को छठी पंच वर्षीय योजनावधि के दौरान भूजल विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण के अन्तर्गत किया जाएगा। तथापि, बोर्ड के सुदृढ़ीकरण में कुछ समय लग जाने की संभावना है। इसको मद्देनजर रखते हुए बोर्ड की विद्यमान उपलब्ध सामर्थ्य के आधार पर छठी पंच वर्षीय योजनावधि के लिए 6.60 लाख वर्ग किलोमीटर का अन्तिम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शेष क्षेत्र को आगामी आठ से दस वर्ष में भूजल विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण के अन्तर्गत लिए जाने की संभावना है।

विवरण

भूजल विज्ञानीय सर्वेक्षण की स्थिति

क्षेत्र/राज्य	राज्य का क्षेत्रफल (वर्ग किलो मीटर)	सर्वेक्षण किया जा सकते वाला अनुमानित क्षेत्र (वर्ग किलो मीटर)	जनवरी 1979 तक सवक्षण किया गया क्षेत्र (वर्ग किलो मीटर)
1	2	3	4
उत्तरी			
उत्तर प्रदेश . .	2,94,413	2,71,293	2,04,837
दक्षिणी			
आन्ध्र प्रदेश . . .	2,76,814	2,76,814	1,12,116
तमीलनाडु . . .	1,30,069	1,28,769	54,965
पांडीचरी . . .	480	--	--
कर्नाटक . . .	1,91,773	1,91,773	57,455
केरल . . .	38,864	38,759	18,865
लक्ष्य दीप . . .	32	32	..
पूर्वी			
बिहार . . .	1,73,876	1,73,876	70,216
उड़ीसा . . .	1,55,782	1,55,782	78,438
सिक्कम . . .	7,298	1,856	153
पश्चिम बंगाल . . .	87,853	87,743	87,743
अंडमान निकोबार	8,293	8,293	2,200
पश्चिमी			
राजस्थान . . .	3,42,214	3,42,214	3,07,141
गुजरात . . .	1,95,984	1,95,984	95,430
दमन और दीव . .	112	112	60
उत्तर पश्चिमी			
जम्मू और कश्मीर . .	2,22,235	24,926	13,545
हिमाचल प्रदेश . . .	55,673	19,453	5,895
पंजाब . . .	50,362	50,362	49,940
हरियाणा . . .	44,222	44,222	44,222
दिल्ली . . .	1,485	1,485	1,485
चंडीगढ़ . . .	115	115	115

विवरण—जारी

1	2	3	4
उत्तर पूर्वी			
असम . . .	78,533	62,800	49,461
अरुणाचल प्रदेश . .	83,578	13,000	2,890
त्रिपुरा . .	10,477	6,310	5,535
मेघालय . .	22,489	8,700	5,440
मणीपुर . .	22,356	6,600	3,642
नागालैंड . .	16,527	2,500	1,700
मिजोरम . .	21,087	2,000	--
केन्द्रीय			
मध्य प्रदेश .	4,42,841	4,42,841	1,04,560
महाराष्ट्र	3,07,762	3,07,762	96,190
गोवा .	3,701	3,701	3,545
दादर और नागर हवेली .	491	491	490
कुल .	32,87,781	28,71,048	14,79,274

पंजाब में मिलों की चीनी की वसूली

9886. **श्री भगत राम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में विभिन्न मिलों की चीनी की वसूली दर क्या है ;

(ख) क्या अन्य सहकारी मिलों की तुलना में धूरी और फगवाड़ा मिलों के संबंध में यह बहुत कम है ;

(ग) इस कम वसूली दर के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उन्हें पता है कि किसान और सरकार दोनों को मिल मालिक ठग रहे हैं ; और

(ङ) सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) पंजाब राज्य में छः चीनी फैक्ट्रियों की 1978-79 मौसम के दौरान 15 अप्रैल, 1979 तक गन्ने से चीनी की वसूली प्रतिशतता इस प्रकार है :--

(1) धुरी	8.63
(2) फगवाड़ा	9.51
(3) मोरिंडा	9.56
(4) भोगपुर . . .	9.56
(5) नवांशहर	9.57
(6) बटाला	10.61

(ख) धुरी फैक्ट्री के मामले में चीनी की वसूली प्रतिशतता पंजाब राज्य में अन्य चीनी फैक्ट्रियों की तुलना में कम है लेकिन फगवाड़ा फैक्ट्री के मामले में अन्तर बहुत ही कम है ।

(ग) धुरी फैक्ट्री में चीनी की कम वसूली का मुख्य कारण को० जे० 64 के अधीन अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल होना, अधिक चीनी देने वाली किस्म के शीघ्र पकना है और अत्यधिक पुरानी मशीनें होने के कारण मिल की कार्यकुशलता, कम होने के कारण भी है ।

(घ) ऊपर बताए गए तथ्यों की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) पंजाब सरकार को० जे० 64 गन्ने की किस्म के अन्तर्गत क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए पग उठा रही है और गन्ने की कटाई और फैक्ट्री द्वारा उसकी पिराई के बीच समय को कम करने की भी कोशिश कर रही है । इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार चीनी फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण और पुनर्वसन के लिए सांविधिक वित्त संस्थानों के माध्यम से एक सुगम ऋण योजना चला रही है ।

राज्य सूचना केन्द्रों के लिए भवन

9887. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के सूचना केन्द्रों के लिए "भारत भवन" का निर्माण करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त भवन के कब तक तैयार हो जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी क्वार्टरों का निर्माण

9888. **श्री गणनाथ प्रधान :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री दिल्ली में टाईप "बी" और "सी" के क्वार्टरों के आबंटन के बारे में 20-11-1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 92 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में काम करने वाले कर्मचारियों से प्राप्त आवेदन-पत्र, इस बीच, छांट लिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) और (ख) में मांगी गई जानकारी दी जाये ;

(ग) क्या यह सच है कि कर्मचारियों के लिये सरकारी क्वार्टरों के निर्माण के बारे में प्रगति बहुत धीमी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) कितने कर्मचारी सेवानिवृत्ति के कारण (श्रेणीवार) अपने क्वार्टर वर्ष 1982 तक खाली कर देंगे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

(ग) सरकार की यह नीति है कि उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिक से अधिक क्वार्टर बनाये जायं । पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने दिल्ली में 15,300 मकान बनाने की स्वीकृति दी है । दिल्ली में कुल मिलाकर लगभग 21,000 मकान निर्माणाधीन हैं । निर्माण के लिए मंजूर किये गये हैं तथा इन का आगामी दो या तीन वर्षों में पूर्ण होने की सम्भावना है । इसके अतिरिक्त यू० एन० आई० डी० ओ० सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को आबंटन के लिए 800 सूटों का एक होस्टल का निर्माण किया जा रहा है । सम्मेलन के पश्चात् इन सूटों को सामान्य पूल वास में शामिल कर दिया जायेगा ।

(घ) ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती ।

विवरण

अग्रता की तारीख वर्ष	प्राप्त किए गए आवेदनों की संख्या टाईप बी	टाईप सी	अग्रता की तारीख वर्ष	प्राप्त किए गए आवेदनों की संख्या टाईप बी	टाईप सी
1939 . .	6	3	1943 . .	28	61
1940 . .	2	3	1944 . .	47	99
1941 . .	6	9	1945 . .	38	123
1942 . .	10	26	1946 . .	35	101

विवरण— जारी

अग्रता की तारीख वर्ष	प्राप्त किए गए आवेदनों की संख्या टाईप बी	टाईप सी	अग्रता की तारीख वर्ष	प्राप्त किए गए आवेदनों की संख्या टाईप बी	टाईप सी
1947	42	126	1964 . .	1,544	871
1948	51	167	1965 . .	1,477	829
1949	30	178	1966 . .	1,584	557
1950	36	159	1967 . .	1,388	701
1951 .	36	168	1968 . .	857	301
1952	39	272	1969 . .	1,072	326
1953	68	289	1970 . .	1,257	355
1954 . .	118	394	1971 . .	1,501	377
1955 . .	287	686	1972 . .	1,059	343
1956 . .	402	940	1973 . .	1,150	316
1957 . .	991	835	1974 . .	957	186
1958 .	620	648	1975 . .	903	199
1959	612	725	1976 . .	924	189
1960 .	631	456	1977 . .	2,417	2,343
1961 .	951	617	1978 .	558	127
1962 .	1,251	712	1979 .	008	2
1963 .	1,278	799			

यमुना पार बस्तियों का विकास

9889. श्री गंगा भक्त सिंह : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार यमुनापार बस्तियों का विकास करने का है ; और यदि हां, तो सब से पहले किस क्षेत्र में विकास कार्य आरम्भ करने का विचार है ; और

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान इस कार्य पर कितनी राशि खर्च करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) : और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस समय यमुना-पार क्षेत्र में दो रिहायशी कालोनियों का विकास किया जा रहा है जिनमें से एक कालोनी दिलशाद गार्डन (980 एम० आई० जी०/एल० आई० जी०/जनता फ्लैट) में है तथा दूसरी कालोनी त्रिलोकपुरी (निर्माणाधीन 2088 एम० आई० जी०/एल० आई० जी० फ्लैट तथा 1440 एम० आई० जी०/एल० आई० जी० फ्लैटों का शीघ्र ही निर्माण आरम्भ किया जाना है) क्षेत्र में है और इन पर वर्ष 1979-80 के दौरान लगभग 6.12 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।

नई दिल्ली में दुकानदारों द्वारा बरामदे खाली करना

9890. डा० विजय मंडल : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री नई दिल्ली में दुकानदारों द्वारा बरामदों को रोके जाने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 2091, दिनांक 4 दिसम्बर, 1978 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरामदों को खाली करने के स्थान पर सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, किदवई नगर और लक्ष्मीबाई नगर की मार्किटों के दुकानदारों ने अभी भी बरामदे रोक ही नहीं रखे अपितु उनमें वृद्धि हो रही है जिसके कारण उन कालोनियों के निवासियों को बहुत असुविधा होती है ;

(ख) यदि हां, तो बरामदों को खाली कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) दोषी दुकानदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : सरोजिनी नगर मार्किट में बरामदों को आम रास्ता (पब्लिक स्ट्रीट) घोषित किया गया है तथा दुकानदारों से बरामदे खाली करवाने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा अतिक्रमणों को हटाने के अभियानों के दौरान नेताजी नगर, किदवई नगर और लक्ष्मीबाई नगर के दोषी दुकानदारों के सामान को उठा लिया जाता है तथा इसके साथ-साथ उनके विरुद्ध मुकदमे चलाए जाते हैं ।

मनी आर्डरों की डिलीवरी

9891. श्री अहसान जाफरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों में मनीआर्डरों के गलत वितरण के बारे में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) ये कितनी राशि की हैं और शिकायतों की अवस्था में असल मालिक को धन देने के संबंध में क्या नीति है ; और

(ग) क्या यह सच है कि दूर-दराज के गांवों में मनीआर्डरों के वितरण में 15 से 30 दिन तक का समय लग जाता है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) वर्ष 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान मनीआर्डरों के गलत भुगतान के बारे में प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या 11,819 है। विवरण में सर्किलवार ब्यौरा दिया गया है। राज्यवार ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है।

(ख) कुल राशि 12,41,363.52 रुपये है। जहां गलत भुगतान सिद्ध हो जाता है उन मामलों में असली प्राप्त-कर्ता/प्रेषक को राशि लौटाने में शीघ्र कार्यवाही की जाती है ।

(ग) अरुणाचल और मिजोरम राज्यों के तथा असम के मिकिर हिल्स जिले के कुछ बहुत दूरवर्ती भीतरी गांवों के मामलों को छोड़कर यह सच नहीं है ।

विवरण

डाक सर्किल जिनके मुख्यालय निम्न हैं	गलत भुगतान की शिकायतों की सं०	राशि (रुपये)
1. आन्ध्र, हैदराबाद	753	67,408.01
2. बिहार, पटना	460	68,448.00
3. दिल्ली	1,122	54,610.00
4. गुजरात, अहमदाबाद	670	72,489.22
5. जम्मू व काश्मीर	55	10,515.80
6. कर्नाटक, बंगलौर	954	79,658.00
7. केरल, त्रिवेन्द्रम	478	55,899.00
8. मध्य प्रदेश, भोपाल	365	65,676.61
9. महाराष्ट्र, बम्बई	527	63,125.28
10. उत्तर पूर्वी, शिलांग	556	86,854.00
11. उत्तर पश्चिमी, अम्बाला	774	1,27,943.00
12. उड़ीसा, भुवनेश्वर	296	32,161.25
13. राजस्थान सर्किल, जयपुर	313	39,556.60
14. तमिलनाडु, मद्रास	897	53,052.00
15. पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता	1,281	96,075.00
16. उत्तर प्रदेश, लखनऊ	2,318	2,67,891.75
कुल	11,819	12,41,363.52

पूर्व दिल्ली की बस्तियों में सार्वजनिक कल्याण सुविधायें

9892. श्री पी० के० कोडियन : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (एक) लक्ष्मीनगर में जिला केन्द्र (दो) लक्ष्मीनगर, शंकरपुर और पांडव नगर में सामूदायिक केन्द्र/स्थानीय खरीदारी केन्द्र/सुविधाजनक खरीदारी केन्द्र का विकास करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो वे किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे और इस बारे में अन्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस कार्य पर कितनी राशि खर्च की जायेगी ; और

(घ) कार्य कब आरम्भ किया जायेगा और इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख़्त) : (क) (i) जी, हां ।

(ii) जी, हां ।

(ख) जमना के पार लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर बृहत योजना की सड़क सं० 75 ए तथा पटपड़गंज के चौराहे पर लगभग 13 हेक्टर के क्षेत्र में लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र बनाने का प्रस्ताव है ।

इस क्षेत्र में अन्य केन्द्रों अर्थात् समाज सदन, स्थानीय बाजार केन्द्र तथा सुविधाजनक बाजार केन्द्र का स्थाननिर्धारण अभी निश्चित करना है ।

(ग) लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र को विकास करने की अनुमानित लागत लगभग 1 करोड़ रुपये है । अन्य केन्द्रों के बारे में ब्यौरा अभी निश्चित नहीं किया गया है ।

(घ) लक्ष्मीनगर जिला केन्द्र का कार्य पहले ही आरम्भ कर लिया गया है तथा इसके विकास की 3 से 4 वर्ष में पूर्ण होने की आशा है । अन्य केन्द्रों के सम्बन्ध में कोई समय सारणी नहीं बनायी गयी है ।

आसाम में सिंचाई परियोजनाओं में विलम्ब

9893. श्री निहार लास्कर : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में सिंचाई परियोजनाओं में बहुत अधिक विलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के मुख्य कारण क्या है और कौन कौन सी परियोजनाओं में विलम्ब हो रहा है ;

(ग) क्या आसाम ने इस बारे में विभिन्न केन्द्रीय सरकारी एजेन्सियों से बातचीत की थी ; और

(घ) राज्य सरकार को इस बारे में क्या सहायता दी जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) असम सरकार ने पांचवीं योजना अवधि के दौरान एक बृहद और सात मध्यम सिंचाई व परियोजनाएं क्रियान्वयन के लिए हाथ में ली थीं । इन मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से एक परियोजना 1977-78 के दौरान पूरी हो गई थी । अन्य सभी परियोजनाओं पर कार्यक्रम के अनुसार प्रगति होने की सूचना मिली है ।

(ख) से (घ) : ये सवाल पैदा नहीं होते ।

भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम का कार्यान्वयन

9894. श्री पी० एम० सईद :

श्री निहार लास्कर :

श्री एम० बी० स्वामीनाथन :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने निर्णय किया है कि भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत घोषणा प्रस्तुत करने के लिये अवधि को बढ़ाया नहीं जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या पीछे यह तिथि कई बार बढ़ाई गई थी ;

(ग) यदि हां, तो तिथि कितनी बार बढ़ाई गई थी ;

(घ) इसको आगे बढ़ाने के लिये अनुमति न देने के क्या कारण हैं ;

(ङ) यदि हां, तो घोषणा करने की अन्तिम तिथि क्या है ;

(च) इस बारे में आगे नियम बनाने का अन्तिम निर्णय कब तक दिया जायेगा ; और

(छ) कितने राज्यों ने घोषणाएं कर दी है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : जी, हां।

(ग) आठ बार।

(घ) से (च) : नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976, 11 राज्यों में (नामतः आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल) तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों में 17 फरवरी, 1976 को और असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान में उनके द्वारा अधिनियम अपनाने की तारीख से लागू हुआ था। नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) नियमावली, 1976 के अधीन रिक्त भूमि रखने वाले व्यक्ति द्वारा धारा 21 की उप-धारा (1) के अधीन घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के लिये, अधिनियम के राज्य में लागू होने के 90 दिन की अवधि प्रारंभ में निर्धारित थी। तथापि, क्योंकि वे शर्तें 19 दिसम्बर, 1977 तक निर्धारित नहीं की गई थी जिनके अन्तर्गत किसी व्यक्ति को समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये रिहायशी मकानों के निर्माण के लिये भूमि रखने की अनुमति दी जानी थी अतः घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की अवधि समय समय पर बढ़ाई जानी पड़ी थी। शर्तों को अधिसूचित करने के बाद, निर्धारित अवधि उल्लिखित 11 राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में 31 मार्च, 1979 को और मणिपुर में 24 अप्रैल, 1979 को समाप्त हो गई थी। यह अवधि असम में 6 मई, 1979 को, बिहार में 13 मई, 1979 को, मध्य प्रदेश में 22 मई, 1979 को, मेघालय में 18 मई, 1979 को और राजस्थान में 21 अगस्त, 1979 को समाप्त होगी। इस प्रकार भूमि स्वामियों को घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के लिये एक वर्ष से अधिक समय मिल गया था। क्योंकि भारत सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि कमजोर वर्गों के लिये रिहायशी एकक निजी उद्यमियों के जरिये बिना किसी देरी क बनाये जाने चाहिए, अतः उस ने अवधि को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया।

(छः) निम्नलिखित राज्यों में भूमि स्वामियों से 4864 घोषणा-पत्र प्राप्त हुए हैं :—

आन्ध्र प्रदेश . .	276	पंजाब . .	73
गुजरात . .	221	राजस्थान . .	45
कर्नाटक . . .	42	उत्तर प्रदेश . . .	617
महाराष्ट्र . . .	3,477	पश्चिम बंगाल . . .	50
मध्य प्रदेश	56	दिल्ली प्रशासन .	5
उड़ीसा	2		
		कुल .	4,864

अनधिकृत झुग्गियों का गिराया जाना

9895. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छः महीनों में दिल्ली की बहुत सी कालोनियों में अनेकों अनधिकृत झुग्गियां गिरायी गयी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी

9896. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की संख्या और ब्यौरा क्या हैं ;

(ख) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उनकी सेवा जारी रखे जाने के कारण क्या हैं ;

(ग) क्या उनको उन मूल कार्यालयों में वापस भेजने की मांग की गई है ;

(घ) क्या इन पदों को विभागीय उम्मीदवारों में से भरने की भी मांग की गई हैं ;

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) और (घ) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) निम्नलिखित दो सरकारी अधिकारी, प्रत्येक के नाम के आगे बताई गई अवधि के लिये विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं :—

(1) श्री एस० जे० एस० अहलुवालिया आई० ए० एण्ड ए० एस० वित्त अधिकारी के रूप में, 26-10-1974 से 25-10-1979 तक की अवधि के लिये।

(2) श्री एन० लक्षसिंह, कार्य सर्वेक्षण अधीक्षक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, मुख्य परियोजना इंजीनियर के रूप में, 1-1-1979 से 31-12-1980 तक।

(ख) सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में जनहित में, वित्त अधिकारी के पदों पर आई० ए० एण्ड ए० एस० के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं जबकि मुख्य परियोजना अधिकारी का पद केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक वरिष्ठ अनुभवी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा गया है।

(ग) और (घ) : जी, नहीं।

(ड) प्रश्न नहीं उठता।

मालवीय नगर रोड नई दिल्ली, पर सीमा दीवार का निर्माण

9897 **श्री के० लकप्पा : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री मालवीय नगर रोड पर सीमा दीवार के निर्माण के बारे में 26 फरवरी, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 844 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने अपनी कालोनी के चारों ओर बनाई गई दीवार को जो सड़क के बीच में से गुजरती है, गिराने के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण निदेशों का पालन कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ; और

(ग) सीमा दीवार को कब तक गिरा दिया जायेगा और यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने श्रम मंत्रालय के जरिये अनुरोध किया है कि सुरक्षा की दृष्टि से चहार दीवारी जरूरी है, अतः इसे गिराने के प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाए।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अभी तक चहार दीवारी को न गिराने के बारे में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है, इस बारे में कोई विशिष्ट समय बताना संभव नहीं है।

दिल्ली में यमुना नदी पर पुल

9898. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में अन्तरराज्यीय बस अड्डा कश्मीरी गेट के निकट यमुना नदी पर एक नया पुल बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस नए पुल का निर्माण कब तक किया जायेगा ; और इसको किस मार्ग से जोड़ा जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) 1978 की अभूतपूर्व बाढ़ को देखते हुए सारी परियोजना का विस्तृत रूप से तकनीकी पुनरीक्षण किया जा रहा है।

ब्यौरों को अन्तिम रूप देने के पश्चात् काम को आरम्भ किया जायेगा। परियोजना के निर्माण कार्य का आरम्भ होने की तारीख से 5 वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना है।

यह परियोजना अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल पर रिंग रोड के चौराहा को गाजियाबाद रोड से जोड़ेगी तथा यमुनापार क्षेत्र को दिल्ली से मिलायेगी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर द्वारा खरीदारी करने की प्रक्रिया

9899. **श्री मनोहर लाल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर द्वारा 20,000 रुपये मूल्य से कम/अधिक खरीदारी करने के बारे में प्रक्रिया क्या है ;

(ख) क्या कुछ मामलों में इस बारे में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना नकदी भुगतान करके 20,000 रुपये मूल्य से अधिक की खरीद की गई है और यदि हां, तो ऐसे सौदों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसी खरीद के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(घ) पिछली खरीद और भावी खरीद के मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाजकल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) संस्थान द्वारा दी गई सूचना के अनुसार संस्थान की सभी खरीद (सिवाए पुस्तकों और पत्रिकाओं के) अभिशासी बोर्ड द्वारा समय समय पर अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार संविधि 9(1) में की गई व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्रीय क्रय संगठन के माध्यम से निम्नलिखित ढंग गई से की जाती है :

(i) विशिष्ट वस्तुओं से सम्बन्धित 250/- रुपये तक की खरीद बिना भाव आमन्त्रित किए सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा सिफारिश किए गए प्रामाणिक संभरकों से किए जाते हैं।

(ii) 250/- रुपए से अधिक और 1,000 रुपये तक की खरीद के लिए स्थानीय फार्मों को टेलीफोन पर अपने भाव (कोटेशन) बताने के लिये कहा जाता है और सबसे न्यूनतम तीन भावों (कोटेशन) में से एक को चुन लिया जाता है।

(iii) 1,000 रुपये से अधिक की खरीद भाव (कोटेशन) आमंत्रित करके की जाती है।

स्वामित्व वाली वस्तूएं निर्माताओं के माध्यम से भाव (कोटेशन) प्राप्त करके खरीदी जाती है।

अपवादात्मक मामलों में खरीद केन्द्रीय क्रय संगठन के बिना निदेशक द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की जाती है।

नकद खरीद जब भी जरूरी हो, निदेशक के पूर्व अनुमोदन से वस्तू की प्राप्त कोटि का न्यूनतम मूल्य जानने के बाद की जाती है।

(ख) से (घ) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में सहायक अध्यापकों को सिलेक्शन ग्रेड दिया जाना

9901. श्री राघव जी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत सहायक अध्यापकों को तीन साल की सेवा के बाद भी सिलेक्शन ग्रेड नहीं मिल सकता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सहायक अध्यापकों के अनेक स्थायी पदों को स्थगित रखने के बाद उन्हें समाप्त कर दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या यह सच है कि सिलेक्शन ग्रेड वरिष्ठता सूची के आधार पर 20 प्रतिशत स्थायी पदों को दिया जाता है; और

(ग) इस तथ्य को देखते हुए कि 1958 में अनेक पदों को स्थगित रखा गया था, दिल्ली प्रशासन की नई प्राथमिक शिक्षा नीति के अन्तर्गत सहायक अध्यापकों के हितों की रक्षा किस प्रकार की गई है तथा क्या उनके वेतनमान बढ़ाये जाने के अवसर हैं, और यदि हां, तो कैसे ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सिलेक्शन ग्रेड तीस वर्ष से कम सेवा वाले सहायक शिक्षकों को 5-9-71 से मंजूर कर दिया गया है। तथापि, अब कुछ ऐसे सहायक शिक्षक हैं, जो सेवा के तीस वर्ष पूरे कर चुके हैं और जिन्हें अभी तक सिलेक्शन ग्रेड नहीं दिया गया है।

(ख) सहायक शिक्षकों के कुछ पद प्राइमरी विभाग, दिल्ली नगर निगम में स्थानान्तरित हो जाने के कारण स्थगित पड़े हैं। सिलेक्शन ग्रेड शिक्षकों को उन स्थायी और अस्थायी पदों में से 20 प्रतिशत पदों के आधार पर दिए जाते हैं जो 1-1-73 से तीन वर्षों अथवा उससे अधिक समय से विद्यमान हों।

(ग) प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक/भाषा शिक्षकों के 30 प्रतिशत पद अपेक्षित योग्यताएं रखने वाले सहायक शिक्षकों की पदोन्नति द्वारा भरने के लिए आरक्षित कर लेने से सहायक शिक्षकों के हितों की रक्षा की गई है। दिल्ली प्रशासन ने हाल ही में एक और निर्णय भी लिया है जिसके अनुसार स्नातक प्रशिक्षित अध्यापकों के 248 पदों का स्तर घटा कर इन्हें सहायक शिक्षकों के पद बना दिया गया है ताकि और अधिक सहायक शिक्षकों को सिलेक्शन ग्रेड मिल सके।

टेलीफोन सलाहकार समिति, पंजाब

9902. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सर्किल की टेलीफोन सलाहकार समिति कब गठित की गई थी ;

(ख) इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और समिति गठित होने के बाद से कितनी बैठकें हुई हैं और वे किन स्थानों पर और किन तारीखों को हुई ;

(ग) क्या इस समिति की बैठक प्रत्येक तीन महीने के बाद हुई ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय): (क) पंजाब राज्य के लिए दूरसंचार सलाहकार समिति का गठन 10-7-1978 में हुआ था ।

(ख) सदस्यों के नाम विवरण में दिए गए हैं । चण्डीगढ़ में 16-9-1978 और 24-2-1979 को दो बैठकें हुई थी ।

(ग) और (घ) : जी नहीं । दूसरी बैठक दिसंबर, 1978 में नहीं हो सकी क्योंकि सर्किल में टेलीफोन एक्सचेंजों और सार्वजनिक टेलीफोनघरों के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकारीगण योजना और विस्तार के समन्वय कार्यक्रम में पहले से ही व्यस्त थे । तीसरी बैठक को मई 1979 में करने का निश्चय किया गया है ।

विवरण

पंजाब दूर संचार सलाहकार समिति के सदस्यों के नाम

किसका प्रतिनिधित्व करते हैं	नाम और पते
1. राज्य प्रशासन	पंजाब राज्य सरकार के सचिव । मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग, चण्डीगढ़ ।
2. विधायक	(i) श्री एस० सुखदेव सिंह ढिल्लों, एम० एल० ए० । सी०-2, सिविल स्टेशन, भटिण्डा । (ii) श्री एस० बलदेव सिंह मान, एम० एल० ए०, डाकघर और ग्राम मोरन, जिला संगरूर ।
3. संसद सदस्य	(i) श्री यज्ञदत्त शर्मा, संसद सदस्य, 3, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली-110001 । (ii) श्री बलवंत सिंह रामूवालिया, संसद सदस्य, 21, वेस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली-110001 ।
4. प्रेस	ज्ञानी शादी सिंह, संपादक, दैनिक अकाली पत्रिका, जालंधर ।
5. चिकित्सा व्यवसाय	डा० ओ० पी० अग्रवाल, कोठी मेघ सिंह, राज्य प्रधान, आई० एम० ए० पंजाब, लुधियाना ।
6. वैधानिक व्यवसाय	श्री बलदेव सिंह सिबिया, एडवोकेट, मुक्तसर, पंजाब ।
7. अन्य व्यवसाय जैसे इंजीनियर और वास्तुविद इत्यादि	श्री जे० एल० तेहन, 590-सैक्टर 18, चण्डीगढ़ ।
8. व्यवसाय, वाणिज्य और उद्योग	(i) श्री धर्मपाल कंसल, मालिक कंसल ऊन उद्योग, लुधियाना । (ii) श्री मदन लाल गुप्ता, मालिक पापुलर ट्रेडर्स, अम्बाला छावनी, हरियाणा । (iii) श्री अनन्त राम बधान, लघु उद्योगपति, जालंधर ।
9. समाज सेवक	(i) श्रीमती शान्ति नन्दा, जेल रोड, गुरदासपुर । (ii) श्रीमती देयरी ग्रेवाल, जिला रैड क्रास समिति, पटियाला । (iii) श्री रणजीत सिंह कोहली, स्वाधीनता सैनानी एवं समाज सेवक, फरीदकोट । (iv) श्री श्याम खोसला, समाज सेवक, रोहतक, हरियाणा ।

चूहों की समस्या

9903. श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चूहों की संख्या पर नियंत्रण रखने के प्रभावशाली तरीके निकालने में सफलता मिली है ; और

(ख) किसानों तथा अन्य लोगों को अपनी फसलों, अनाज आदि की रक्षा करने के लिये कौनसे तरीके अपनाने की सलाह दी जाती है ?

कृषि और सिचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। फसल वाले खेतों और रिहायशी घरों में कृन्तक आतंक कम करने के लिए निवारक और उपचारीय दोनों विधियों का विकास किया गया है।

"अनाज बचाओ अभियान" के तहत सम्बद्ध खाद्य विभाग देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने 17 फील्ड दलों के माध्यम से विकास, विस्तार तथा प्रशिक्षण सम्बंधी कार्यकलाप कर रहे हैं।

(ख) अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए सामुदायिक आधार पर एक समेकित ढंग से कृन्तक नियंत्रण की विधियां अपनाने की सिफारिश की जाती है। किसानों को सुझाई जाने वाली नियंत्रण की नीतियों में खरीफ और रबी के दौरान फसल वाले खेतों तथा खलिहानों में तथा मई-जून में रिहायशी घरों में कृन्तक नियंत्रण करना और जुलाई के दौरान उसका मल्यांकन करना शामिल है। फील्ड की स्थितियों के अंतर्गत किए जाने वाले उपायों में जालों तथा उन्हें प्रलोभित करने के लिए दानों और बिल में धुम्रांरन के पदार्थों के रूप में स्वीकृत कृन्तकनाशियों का प्रयोग शामिल है। कारगर कृन्तक नियंत्रण के लिए किसानों को निम्नलिखित विधियां अपनाने की भी सलाह दी जाती है :—

(1) घरों तथा भण्डारण गोदामों को मूषक-रोधी बनाना।

(2) पिंजड़ों तथा जालों का प्रयोग करना।

(3) कृन्तक रोधी भण्डारण संरचनाओं का प्रयोग करना।

(4) कृन्तकनाशियों का प्रयोग करना।

(5) खेतों में चूहों के बिलों का धुम्रांरन करना।

रिहायशी घरों के लिए सुझाई जाने वाली विधियों में सामान्य सफाई बनाए रखना, जालों, अनाज के उन्नत भण्डार संरचनाओं तथा सुरक्षित व चिरकालिक कृन्तकनाशियों का प्रयोग करना शामिल है।

गेहूं के समर्थन मूल्य निर्धारित करना

9904. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या **कृषि और सिचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग द्वारा, वर्ष 1979-80 के लिए नवम्बर, 1978 में सिफारिश किये गये गेहूं के समर्थन मूल्यों के संबंध में भारत सरकार ने क्या निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने यह घोषणा की थी कि गेहूं के लिये समर्थन मूल्य गेहूं की बुवाई के मौसम से पहले ही घोषित कर दिए जाएंगे, परन्तु उक्त घोषणा के विपरीत, गेहूं के समर्थन मूल्यों के बारे में जनवरी, 1979 के अन्त तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि किसान संगठनों, राज्य सरकारों तथा जनता के प्रतिनिधियों ने कहा है कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये समर्थन मूल्य बहुत ही कम हैं और उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह समर्थन मूल्य निर्धारित करें और यदि हां, तो भारत सरकार गेहूं के समर्थन मूल्य कब तक घोषित कर देगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) सरकार ने रब्बी विपणन मौसम 1979-80 के लिए गेहूं का वसूली मूल्य 115 रुपये प्रति क्विटल निर्धारित करने का विनिश्चय किया है। माननीय सदस्य का ध्यान 1979-80 के रब्बी विपणन मौसम के लिए गेहूं की मूल्य और वसूली नीति पर 12 अप्रैल, 1979 को सदन में दिए गए वक्तव्य की ओर आकर्षित किया जाता है।

(ख) सरकार कृषि जिन्सों के समर्थन मूल्य उनके बुवाई मौसमों से पूर्व घोषित करने की इच्छुक है और इस संबंध में आवश्यक पग उठा रही है।

(ग) जी हां। कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों और राज्य सरकारों के दृष्टिकोणों पर विचार करने और फसल की सम्भावनाओं, सामान्य मूल्य स्तर पर समर्थन मूल्य के प्रभाव, उचित दामों पर उपभोक्ता को गेहूं सप्लाई करने की आवश्यकता, आदि जैसे अन्य कई तत्वों को ध्यान में रखकर सरकार ने 115 रुपये प्रति क्विटल पर समर्थन मूल्य निर्धारित किया था।

डी० डी० ए० द्वारा बेचे गये सिनेमा प्लाट

9905. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० ने अपनी स्थापना होने के समय से अब तक विभिन्न कालोनियों में सिनेमा प्लाटों की बिक्री की हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक जिन पार्टियों को सिनेमा प्लाटों की बिक्री की गई है, उनके नाम क्या हैं और प्लाट की कितनी कीमत वसूल की गई है ; और

(ग) क्या सभी सिनेमा प्लाटों पर निर्माण कार्य पूरा हो गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) यह सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, नहीं, सभी का नहीं।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी कालोनियों में बेचे गए सिनेमा के लिए प्लाट

क्रम सं०	योजना	प्लाट की किस्त	खरीददार का नाम
		रुपये	
1.	डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, राजेन्द्र प्लेस .	19,12,000	मैसर्स रचना एन्टरप्राइसिज (इंडिया) रजि० 33, पूसा रोड, नई दिल्ली ।
2.	डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, राजेन्द्र प्लेस .	54,01,000	मैसर्स मयूर कारपोरेशन, 2/7 अन्सारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली ।
3.	कम्यूनिटी सेन्टर, फ्रेण्डज् कालोनी ।	16,05,000	मैसर्स ग्रेंडले इलेक्ट्रिकलज् इण्डिया, 3/4, आसफअली रोड, नई दिल्ली ।
4.	कम्यूनिटी सेन्टर, जनकपुरी ब्लाक "सी" ।	15,00,000	मैसर्स कीपर प्रोपर्टीज प्राइवेट लि०, 4 ई, वन्दना, 11 टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली ।
5.	डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, लक्ष्मीनगर .	28,06,000	मैसर्स राधू पैलेस, एच० ओ० राधु सिनेमा बिल्डिंग, शाहदरा, दिल्ली-32 ।
6.	डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, कालकाजी, नेहरू प्लेस ।	10,15,000	श्री ओमप्रकाश मलहोत्रा, मलहोत्रा एण्ड ब्रदर्ज, डी/806, राजिन्द्र नगर ।
7.	सी० सी० नरायणा इंडस्ट्रियल एरिया ।	2,26,400 (वार्षिक किराया)	मैसर्स अमीरसिंह पाहवा, डायरेक्टर अंजाला (प्रोपोज्ड) एन०-60, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली ।
8.	सी० सी० सफदरजंग इंडस्ट्रियल एरिया ।	11,00,000	मैसर्स कपूर सन्स एंड कं० ।
9.	सी० सी० वसन्त विहार .	3,13,500 (वार्षिक किराया)	प्रस्तावित फर्म या कम्पनी के लिए श्री राजकुमार जय सिंहानी ।
10.	सी० सी० वजीरपुर. .	2,31,000 (वार्षिक किराया)	सर्वश्री कुलदीप सिंह, कुलवन्त सिंह सुपुत्र श्री बलवन्त सिंह ।
11.	झण्डेवाला सी०-ब्लाक .	3,40,000 (वार्षिक किराया) तथापि आबंटन रद्द कर दिया गया क्योंकि बोली देने वाले ने बोली की पूरी राशि जमा नहीं की।	श्री के० एम० बिजली और श्रीमती संधोरा रानी ।
12.	कर्मपुरा शापिंग सेन्टर, प्लाट नं० 1।	2,01,600 (वार्षिक किराया)	मैसर्स जगजीत फिल्म प्राइवेट लि० ।
13.	एस० एफ०/1(ए०) डी० ए० जी० स्कीम ।	6,05,601·35	मैसर्स कृष्ण मोहन (डिलाइट सिनेमा) ।

टी० ई० एस० श्रेणी I (ग्रुप 'ए') के रिक्त पदों को भरा जाना

9906. **श्री बालकराम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान विभागीय पदोन्नति समिति टी० ई० एस० श्रेणी-I (ग्रुप 'ए') के रिक्त पदों को, जो वर्ष 1979-80 में सेवानिवृत्ति अथवा अन्य घटनाओं के कारण रिक्त हो सकते हैं, भरने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या इन रिक्त पदों को टी० ई० एस० श्रेणी-I (ग्रुप बी) से विभागीय पदोन्नति देकर भरा जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) सभी रिक्त पदों को नहीं, अपितु रिक्तियों का अधिकांश भाग टी० ई० एस० ग्रुप-बी के अधिकारियों को पदोन्नति देकर भरा जाएगा ।

(ग) भर्ती नियमों के अनुसार आई० टी० एस० ग्रुप-ए के प्रवरमान के रिक्त पदों को टी० ई० एस० ग्रुप-बी के अधिकारियों को पदोन्नति देकर तथा आई० टी० एस० ग्रुप-ए के अवरमान में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों को पदोन्नति देकर भी भरा जाता है ।

राजस्थान में राष्ट्रीय रेगिस्तान पार्क के लिए परियोजना

9907. **श्री चतुर्भुज** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्रों में राष्ट्रीय रेगिस्तान पार्कों के लिए कोई परियोजना राजस्थान सरकार से मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की मुख्य बातें क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय रेगिस्तान पार्क के विकास की परियोजना का उद्देश्य भारतीय रेगिस्तान की चरम पारिस्थितिक प्रणाली का संरक्षण करना है तथा रेगिस्तान के भाग का विकास करना है, ताकि रेगिस्तानी वन्य-जीवन का संरक्षण किया जा सके और मिलते-जुलते इलाकों आदि में विकास गतिविधियों के आयोजन हेतु जलवायु और परिस्थिति-विज्ञान का अध्ययन किया जा सके ।

परियोजना के अन्तर्गत बाड़मेर जिले का 3000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र और जैसलमेर जिले का कुछ भाग आएगा । परियोजना के प्रथम चरण (1978—83) में लगभग 332.00 लाख रुपए विकास की कुल अनुमानित लागत होगी, जिसमें से 232 लाख रुपए पूंजीगत व्यय होगा तथा शेष आवर्ती व्यय होगा ।

1978-79 के दौरान मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना हेतु 32.00 लाख रुपए अनुमोदित किए गए थे । राज्य का वन्य विभाग योजना का कार्यान्वियन कर रहा है ।

शहरी विकास योजना के अन्तर्गत विश्व बैंक से सहायता

9908. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन शहरों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है, जिन्हें शहरी विकास योजना के अधीन विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान की गई है और प्रत्येक शहर के लिए कितनी सहायता राशि दी गई हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें भी इस विकास योजना के लिए सहयोग देंगी और यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) इस योजना में शामिल किये गये मध्य प्रदेश के शहरों के नाम क्या हैं, उनके लिए कितनी धनराशि उपलब्ध की गई है और क्या विकास योजनायें आदि तैयार कर ली गई है और उन्हें अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) विश्व बैंक ने शहरों के लिए ऋण सहायता दी है न कि राज्यों में कस्बों के लिए । राज्यवार विभिन्न शहरों में परियोजनाओं के नामों का तथा प्रत्येक परियोजना को दिये गये ऋण सहायता का एक विवरण संलग्न है ।

(ख) विश्व बैंक की सहायता अतिरिक्त योजना सहायता के रूप में केन्द्रीय सरकार के माध्यम से प्राप्त होती है, तथा राज्य सरकारें विकास योजनाओं की लागत का 30 से 50 प्रतिशत तक योगदान करती है ।

(ग) मध्यप्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत कोई कस्बा सम्मिलित नहीं किया गया है ।

विवरण

नगर विकास क्षेत्र में विश्व बैंक ग्रुप सहायता से क्रियान्वित हो रही परियोजनाएं

(लाख अमेरिकन डालरों में)

क्रम सं०	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना की कुल लागत	परियोजना के लिए विश्व बैंक ग्रप सहायता की राशि	इस परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये कस्बों/शहरों के नाम
1.	महाराष्ट्र .	बम्बई जलपूर्ति-I	158.2	55.0	बम्बई महानगर।
2.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश जल पूर्ति	75.0	40.0	कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ।
3.	पंजाब	पंजाब जलपूर्ति	77.6	38.0	जालन्धर, अमृतसर, लुधियाना, मोगा, पटियाला राजपूरा, भटिन्डा और पठानकोट।
4.	महाराष्ट्र .	बम्बई-जलपूर्तिII	411.6	196.0	बम्बई महानगर
5.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता नगर विकास-I	97.0	35	कलकत्ता महानगर
6.	तमिलनाडु	मद्रास नगर विकास	52.0	24.0	मद्रास महानगर
7.	पश्चिम बंगाल	दूसरा कलकत्ता नगर विकास	187.7	87.0	कलकत्ता महानगर
8.	महाराष्ट्र .	बम्बई नगर परिवहन	50.5	25.0	बम्बई महानगर

गुजरात राज्य की सिंचाई योजनाओं को मंजूरी देना

9909. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने 1979-80 के लिये वार्षिक योजना में सम्मिलित करने के लिये गुजरात राज्य की नई सिंचाई योजनाओं को मंजूर कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गुजरात की उन सिंचाई परियोजनाओं का कितना कार्य पूरा हो जायेगा और केन्द्र सरकार द्वारा उसके लिये कितनी और किस रूप में सहायता दी जायेगी ; और

(घ) गुजरात राज्य को कौन-कौन सी सिंचाई योजनाएं/परियोजनाएं 1978-79 में किस किस तारीख को मंजूर की गई और केन्द्र सरकार द्वारा उनके लिये किस रूप में तथा कितनी सहायता दी गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) : गुजरात राज्य की विकास योजना में शामिल करने के लिए योजना आयोग ने 1978-79 के दौरान चार नई स्कीमें नामशः एक बृहद-हेरन और तीन मध्यम स्कीमें—फुलजार-दो, मित्ती और वेनु-दो स्वीकार की हैं। इन स्कीमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	सिंचाई लाभ (हजार हैक्टेयर)
1. हेरन . . .	10-4-78	2526.00	36.422
2. फुलजार-दो . .	11-4-78	39.00	0.68
3. मित्ती . . .	11-8-78	188.44	1.571
4. वेनु-दो . . .	11-8-78	324.77	5.285

इन स्कीमों पर काम प्रारम्भ हो चुका है। मार्च, 1979 तक इन स्कीमों पर होने वाला प्रत्याशित व्यय और 1979-80 की वार्षिक योजना के लिए राज्य द्वारा अपने प्रस्तावों में रखे गए परिव्यय नीचे दिए गए हैं :—

स्कीम का नाम	मार्च, 1979 तक होने वाला व्यय (लाख रुपये)	1979-80 के लिए प्रस्तावित परिव्यय
1. हेरन . . .	368.00	200.00
2. फुलजार-दो . .	30.00	9.00
3. मित्ती .	53.00	60.00
4. वेनु-दो	70.00	60.00

सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई स्कीमों के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपनी विकास योजनाओं के सम्पूर्ण ढांचे के अन्तर्गत की जाती है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है जो विकास या परियोजना के किसी विशिष्ट सेक्टर से संबंधित नहीं होती।

मदन पार्क नई दिल्ली में डाकघर खोलना

9910. श्री दाजीबा देसाई : क्या **संचार** मंत्री मदन पाक, नई दिल्ली में डाकघर खोलने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 2615 दिनांक 7 दिसबर, 1978 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मदन पार्क में केन्द्रीय स्थान पर स्थित एक इमारत के मालिक ने उक्त डाकघर के लिये अपनी इमारत किराये पर देने का प्रस्ताव किया था और उसने डाक अधिकारियों की इच्छा के अनुसार उसमें परिवर्धन तथा संशोधन के लिये लिखित आश्वासन भी दिया था परन्तु डाक अधिकारियों ने वहां पर अभी तक डाकघर नहीं खोला है ;

(ख) क्या यह सच है कि डाक अधिकारियों ने एक प्रस्ताव भेजकर उक्त डाकघर का नाम मदन पार्क डाकघर के "अशोका पार्क एक्सटेंशन डाक घर" बदलने का सुझाव दिया था जबकि अशोका पार्क एक्सटेंशन कालोनी क्षेत्र के एक किनारे पर स्थित है और इस क्षेत्र की कालोनियों अर्थात् मदन पार्क, जयदेव पार्क, भगवानदास नगर, पंजाब गार्डन, मनोहर पार्क आदि से उस कालोनी के लिये कोई सीधा रास्ता नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) मदन पार्क में उक्त डाकघर कब तक खोला जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) मदन पार्क में दो भूमिपतियों से 5-9-78 को आवेदन प्राप्त हुए थे। इन इमारत के मालिकों के परिवर्धन और संशोधन के प्रस्ताव विभाग की डाकघर खोलने की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सके। इसलिए मदन पार्क में अभी तक डाकघर नहीं खोला जा सका है।

(ख) जी हां, यह सच है कि उचित स्थान मिलने पर अशोका पार्क एक्सटेंशन में डाकघर खोलने का निर्णय लिया गया था। फिर भी यदि बस्ती के निवासी अथवा उनकी संस्था उचित इमारत की व्यवस्था करे तो मदन पार्क में डाकघर खोला जा सकता है।

(ग) प्रस्तावित मदन पार्क डाकघर का नाम बदल कर अशोका पार्क एक्सटेंशन डाकघर रखने का प्रस्ताव इसलिए रखा गया क्योंकि मदन पार्क में उचित स्थान उपलब्ध नहीं था।

(घ) मदन पार्क में जब कभी भी उचित स्थान उपलब्ध करा दिया जायेगा, डाकघर खोल दिया जाएगा।

बैलों की कमी

9911. श्री चतुर्भुज : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1979 को देश में ऐसे बैलों की कुल कितनी कमी है जिनकी कृषि कार्यों के लिए आवश्यकता है ; और

(ख) इस कमी को पूरा करने के लिये मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है और वह कमी कब तक पूरी हो जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) कृषि कार्यों के लिए आवश्यक बैलों की कमी के बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1972 की पशुधन गणना के अनुसार 3 वर्ष से अधिक के नर पशुओं की संख्या 70,599,000 थी, जो सिर्फ काम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। 1977 की पशुधन गणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कुछ राज्यों में प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण पशु गणना नहीं की जा सकी।

(ख) उक्त (क) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

उड़ीसा में भूमिगत जल के लिये सर्वेक्षण

9912. श्री पवित्र मोहन प्रधान : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा सरकार ने इस क्षेत्र में कृषि कार्यों के प्रयोगार्थ भूमिगत जल के सर्वेक्षण के मामले में क्या प्रगति की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : राज्य में विस्तृत भूमिगत जल सर्वेक्षण के क्षेत्र में उड़ीसा सरकार द्वारा की गई प्रगति के बारे में अद्यतन ब्यौरे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, केन्द्रीय भूमिगत जल मण्डल ने राज्य में बृहत स्तर पर सर्वेक्षण किए हैं और फरवरी, 1979 तक कुल 1,55,782 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में से 82,687 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र भूमिगत जल सर्वेक्षण के अंतर्गत लिया गया है।

दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों का निर्माण

9913. श्री दयाराम शाक्य: क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न कालोनियों में टाईप "ए", "बी" तथा "सी" क्वार्टरों के निर्माण के लिये दिसम्बर, 1978 तथा मार्च, 1979 तक का लक्ष्य रखा गया था ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त श्रेणियों के कितने क्वार्टर बनाये जाने थे ;

(ग) क्या उक्त लक्ष्य प्राप्त हुए ; और यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के कारणों का क्या ब्यौरा है और इसके लिये कौन उत्तरदायी है ; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कर्मचारियों को ड्यूटी के स्थान के निकट ही आवास देना

9914. श्री दयाराम शाक्य : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के नाम तथा संख्या क्या है जिन्होंने अपने कर्मचारियों को ड्यूटी के स्थान के निकट ही आवास दिया हुआ है और जिन कर्मचारियों को ऐसे क्वार्टर मिले हैं उनका श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि वी० आई० एफ० क्षेत्रों में तैनात केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी के स्थान के निकट ही आवास दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो लोक सभा, राज्य सभा सचिवालय तथा संसदीय कार्य विभाग के कर्मचारियों के लिए जो दिन रात काम करते हैं संसद भवन के निकट रिहायशी मकान न बनाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) अन्य विभागों द्वारा नियन्त्रित वास के विभागीय पूल के बारे में कोई सूचना इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती।

(ख) सामान्य पूल वास में ऐसा कोई नियम नहीं है। इसके अलावा, कोई क्षेत्र वी० आई० पी० क्षेत्र परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि संसद सदस्यों के निवास स्थानों की देख रेख के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनिवार्य स्टाफ को मिन्टो रोड/डी० आई० जैड० क्षेत्र में छः रिहायशी मकान आबंटित किये जाए।

(ग) लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय में कार्य कर रहे स्टाफ के लिये डी० आई० जैड० क्षेत्र में जो उनकी ड्यूटी स्थान के पास है, कुछ क्वार्टर पहले ही निर्मित किये जा चुके हैं।

श्रेणी तीन तथा चार के कर्मचारियों के लिये उनके कार्यालयों के निकट सरकारी आवास बनाया जाना

9915. श्री दयाराम शाक्य : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सचिवालय के निकट मंदिरमार्ग, राजा बाजार, बाबा खड़क सिंह मार्ग आदि पर कितने क्वार्टरों का निर्माण किया जायेगा ; 31 मार्च, 1979 तक कितने क्वार्टर बन चुके हैं और वे किन-किन श्रेणियों के हैं ;

(ख) क्या अधिकांश तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी दूर से बसों में आते हैं जबकि अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों पर कार्यालय आने जाने के लिए अपनी कारें और स्कूटर हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये 50 प्रतिशत क्वार्टरों का निर्माण उनके कार्यालयों के निकट करने के बारे में विचार करेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) डी० आई० जैड० क्षेत्र नई दिल्ली में 31 मार्च, 1979 तक निम्नलिखित क्वार्टर बनाये गये थे :—

टाइप ए—272 बी—307 सी—98 डी—124

(ख) यह तो आम जानकारी की बात है कि दिल्ली शहर के विस्तार के कारण लोग दूर-दूर से अपने कार्य-स्थलों पर आते हैं ।

(ग) त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत डी०आई०जैड० तथा आराम बाग क्षेत्र में निम्नलिखित क्वार्टर बनाये जायेंगे :—

टाईप ए—349 बी—1829 सी—4129 डी—62

दिल्ली में रामकृष्णपुरम्, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट तथा पुराने सचिवालय में भी सरकारी कार्यालय हैं । बदरपुर महरौली रोड तथा लोधी रोड़ क्षेत्रों में भी कार्यालय वास निर्माणाधीन हैं । इन कार्यालयों के नजदीक क्वार्टर पहले ही मौजूद हैं तथा और क्वार्टर निर्माणाधीन हैं ।

रत्नागिरी महाराष्ट्र में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

9916. **श्री बापु साहिब परुलेकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में वर्ष-वार महाराष्ट्र क रत्नागिरी जिले में कितने सार्वजनिक टेलिफोन केन्द्र खोले गए;

(ख) 1979-80 के दौरान महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में कितने कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले जाएंगे और ऐसे गांवों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में रत्नागिरी जो कि जिला स्थान है और जहां नए उद्योग लग रहे हैं में टेलेक्स सुविधा उपलब्ध कराने का है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क)

1977-78— 8 सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

1978-79—19 सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

(ख) चालीस । नाम अनुबंध में दिए गए हैं ।

(ग) महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान पर व्यवहार्य मांग के लिए टेलेक्स सुविधा उपलब्ध कराने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

रत्नागिरी जिले (महाराष्ट्र) में स्थानों के नाम जहा वर्ष 1979–80 के दौरान सार्वजनिक टेलीफोन खोले जाने का प्रस्ताव है

1. अम्बेड	14. कसारबाडी	27. पचल
2. अनसुरे	15. कैलाशी	28. पलगढ़
3. भेलसई	16. खानोली	29. पंडोरी
4. बुरुम्बाद	17. खोपी	30. पेढ़ांबे
5. भीरवांडा	18. ललवान	31. सगवे
6. चवानाले	19. मालेवड़ा	32. सलगांव
7. चिन्डोर	20. भटोंडा	33. सांगली
8. चौकुल	21. मूहप्राल	34. सगवारा
9. देवाली	22. मुहागे	35 तम्हानी
10. देवाचेगोठारे	23. नदगांव	36. तवसाल
11. घौलवली	24. नरवे	37. तिरलोट
12. हरचेरी	25. नाटे	38. वेलास
13. जरबुडे	26. ओनी नवासे	39. वटोर
		40. वडी-रत्नागिरी

रत्नागिरी जिले में डाक कर्मचारियों को रिहायशी आवास

9917. श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में कुल कितने डाक कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को रिहायशी आवास दिए गए हैं और उनमें से कितने कर्मचारी प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों को उपयुक्त रिहायशी आवास देने का है और यदि हां, तो कब तक ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) एक हजार नवासी (1089)।

(ख) 67 कर्मचारियों को रिहायशी आवास उपलब्ध कराए गए हैं। प्रथम श्रेणी की संख्या शून्य है तथा द्वितीय श्रेणी की संख्या एक है ।

(ग) वर्ष 1978-79 के दौरान रत्नगिरि जिले में डाक कर्मचारियों को ग्यारह और अधिक क्वार्टर उपलब्ध कराए गए थे। इस समय रत्नगिरि जिले के किसी भी स्थान पर अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है।

होशियारपुर-चंडीगढ़-दिल्ली के बीच सीधी डायल घुमाकर टेलीफोन सेवा

9918. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

श्री चौधरी बलबीर सिंह :

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने होशियारपुर को चंडीगढ़ तथा दिल्ली से सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की सुविधा देने की योजना इस बीच बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक कार्य करना शुरु कर देगी; और

(ग) यदि नहीं, तो होशियारपुर को चंडीगढ़ तथा दिल्ली से सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की सुविधा न देने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1983 तक ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा डाक तथा तार के अधुनातन इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों का प्रयोग

9919. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने अपने प्रसारण के लिये डाक तथा तार के अधुनातन इलेक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं तथा यह सहयोग किस सीमा तक हो रहा है और इस प्रयास का विस्तार करने की क्या संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां, सीमित मात्रा में।

(ख) डाक-तार आकाशवाणी के लिए कार्यक्रम सारणियां और दूर दर्शन के लिए सजीव टी० वी० प्रसारण की व्यवस्था उनके निवेदन पर करता है।

(ग) जहां-कहीं और जब कभी आवश्यकता होती है तो डाक-तार आकाशवाणी और दूरदर्शन को प्रसारण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सहयोग देता है। इन्सैट-I का प्रवर्तन कर, जिसमें डाक-तार और दूरदर्शन दोनों भागीदार हैं, इस सहयोग के विस्तार की परिधि को और भी आगे बढ़ाया जा रहा है।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

9920. श्री कचरू लाल हेमराज जैन : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति . ौर पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी दिल्ली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किये जाने के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या शिकायतें प्राप्त होने पर शिकायत कर्ता को इस बारे में की गई कार्यवाही से सूचित कर दिया जाता है और यदि हां, तो उन्हें कितनी अवधि के बाद इस बारे में सूचित किया जाता है ;

(ग) जनवरी, से 31 मार्च, 1979 तक किन-किन स्थानों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं और प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जाली डाक लेखन सामग्री की बिक्री

9921. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश में जाली डाक लेखन सामग्री की बिक्री की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978–79 के दौरान कितने मामलों का पता चला ;

(ग) अपराधियों के विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गई; और

(घ) क्या इन गिरोहों में डाक कर्मचारियों को भी अंतर्गस्त पाया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नेशनल डेयरी डेवेलपमेंट बोर्ड कार्पोरेशन के चेयरमैन द्वारा तिलहन और मूंगफली की पैदावार बढ़ाने हेतु बनाई गई योजना को लागू किया जाना

9922. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कारपोरेशन के चेयरमैन द्वारा तिलहन, तेल तथा मूंगफली की पैदावार बढ़ाने के लिये बनाई गई योजना सरकार ने मंजूर कर दी है ; और यदि हां, तो कब तथा उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक राज्य के किन-किन जिलों के किन-किन गांवों में कितने किसानों ने योजना को लागू किया है तथा कब से और कैसे किया है ;

(ग) यह योजना कितनी अवधि के लिये बनाई गई है और इसके अन्तर्गत खाद्य तेल, तिलहन तथा मूंगफली के तेल का अनुमानित वार्षिक उत्पादन कितना हुआ ;

(घ) इस योजना के अन्तर्गत मूंगफली और अन्य तिलहन उत्पादक किसानों को किस-किस प्रकार की सहायता मिलेगी ;

(ङ) देश इस बारे में कब तक आत्म-निर्भर हो जाएगा ; और

(च) देश में खाद्य तेलों के कुल उत्पादन की तुलना में मूंगफली के तेल की क्या प्रतिशतता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारत सरकार, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा तैयार की गई खाद्य तेल के पुनर्निर्माण और तिलहन उत्पादन तथा उसके विपणन सम्बन्धी परियोजना पर कार्यवाही कर रही है। तथापि, भारत सरकार ने राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को सी० एल० यू० एस० ए० द्वारा उपहार में दिये जाने वाले 1,60,000 मीटरी टन वनस्पति तेल का आयात करने के लिये यू० एस० ए० (सी० एल० यू० एस० ए०) की सहकारी लीग के साथ करार करने के लिये 19-9-1978 को अपनी सहमति दे दी है। यह सहमति इस आधार पर दी गई है कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा सृजित निधि का उपयोग उत्पादन बढ़ाने तथा उत्तम परिसंस्करण और विपणन आदि के माध्यम से किसानों के लाभ में वृद्धि करने हेतु परियोजना व्यय के लिये किया जायेगा। यह उद्देश्य निम्नलिखित के द्वारा प्राप्त किया जायेगा :—

(1) तिलहन उत्पादकों के कृषक संगठन की स्थापना करना। प्रारम्भ में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड एक तिलहन और वनस्पति तेल स्कन्ध की स्थापना कर रही है, जो कि तिलहन उत्पादक

सहकारी समितियों के एक राष्ट्रीय संघ का विकास करेगी। यह समेकित परियोजना, जिसमें तिलहनों, वनस्पति तेल तथा अन्य उपोत्पादों का उत्पादन, परिसंस्करण और विपणन शामिल होंगे, उपर्युक्त एजेंसी द्वारा क्रियान्वित की जायेगी।

(2) बीजों के उत्पादन की व्यवस्था करना और उनकी उत्पादक समितियों को सप्लाई करना। इस उद्देश्य के लिये उचित स्थानों पर जिला फार्मों का विकास किया जायेगा। ये फार्म अनुकूली अनुसंधान का भी कार्य करेंगे।

(3) परियोजना द्वारा उत्पादन में जो वृद्धि प्राप्त करनी होगी, उसका उत्तरदायित्व ग्राम सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों, बीज फार्मों के उत्तरदायी तकनीकी विशेषज्ञों और ग्रामीणों के साथ सहयोग जोड़ने वाले विशेषज्ञों के चलते-फिरते दलों का होगा।

(4) समन्वित मूल्य पर उत्पाद की अधिप्राप्ति करना और परिसंस्करण के लिये व्यवस्था करना। इस उद्देश्य के लिये, परियोजना के अन्तर्गत प्रभावी परिसंस्करण की सुविधाओं की स्थापना की जायेगी।

(5) वनस्पति तेलों का वितरण और विपणन, उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध प्रणालियों द्वारा होगा।

परियोजना के अन्तर्गत, अन्य मित्र देशों से उपहार स्वरूप दिये गये 90,000 मीटरी टन अतिरिक्त वनस्पति तेल का आयात करने की भी व्यवस्था है।

(ख) योजना की अभी फील्ड स्तर पर क्रियान्विती नहीं की गई है, इस लिये यह जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। तथापि, योजना के अन्तर्गत, 8,000 ग्रामों के 3.5 लाख तिलहन उत्पादकों को शामिल करने की व्यवस्था है और ये मुख्यतः गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के मूंगफली उगाने वाले जिलों के होंगे। इसकी शुरूआत गुजरात से होगी।

(ग) प्रथम चरण में मूंगफली की फसल को शामिल करने के लिये यह परियोजना 7 वर्ष की अवधि के लिये तैयार की गई है। योजना के अन्तर्गत भागीदार उत्पादकों से मूंगफली के बीज की अधिप्राप्ति और तेल के उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य नीचे दे दिया गया है :—

मूंगफली और तेल का उत्पादन और अधिप्राप्ति

(000 मीटरी टन)

मद	79—80	80—81	81—82	82—83	83—84	84—85	85—86
सहकारी समितियों द्वारा तिलहनों की अधिप्राप्ति .	14.00	73.00	216.00	436.00	730.00	1098.00	1546.00
सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित तेल .	4.15	21.63	64.00	129.19	216.30	325.34	458.08

(घ) उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से सहायता दी जायेगी। ग्राम सहकारी समितियों को सहायता, स्थानीय भण्डारण सुविधाओं की व्यवस्था, संगठनात्मक और प्रबन्ध-सम्बन्धि राजसहायता और प्रदर्शन-एवं-बीज फार्मों के लिये प्रोत्साहन हेतु अनुदान के रूप में दी जायेगी। अनावर्ती पूंजी निवेश की व्यवस्था परिसंस्करण सुविधाओं के रूप में होगी, जो कि तिलहन उत्पादक सहकारी समितियों को 30 प्रतिशत अनुदान और 70 प्रतिशत ऋण के आधार पर उपलब्ध होगी। किसानों को उनके उत्पादन के लिये न्यूनतम गारंटी मूल्य की भी व्यवस्था होगी।

(ङ) सरकार इन तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है और इसमें कुछ समय लगेगा।

(च) मूंगफली के तेल का उत्पादन देश के खाद्य तेलों के कुल उत्पादन का लगभग 51 प्रतिशत है।

केशांड़ गुजरात के खिरसारा घेड में टेलीफोन एक्सचेंज

9923. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में जूनागढ़ जिले में केशांड से 1 मार्च, 1979 को महाप्रबन्धक दूरसंचार, अहमदाबाद को एक पत्र भेजा गया था कि केशांड तालुक में खिरसारा घेड गांव में एक टेलोफीन एक्सचेंज खोला जाए ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) जब खिरसारा घेड के लिये टेलीफोन एक्सचेंज की मंजूरी दे दी गई है तब काम शुरु न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या खिरसारा घेड, खामीदाना, मुतरज, पंचाली, देवराना, सरसारली, थाली, संघा तथा अन्य गांवों के लगभग 18 व्यक्तियों ने टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए एक-एक हजार रुपये की राशि जमा करा दी है ;

(ङ) यदि हां, तो कब और धन-राशि कहां पर जमा कराई थी और उन्होने कितनी राशि जमा कराई है ; और

(च) क्या खिरसारा घेड गांव टेलीफोन एक्सचेंज खोलकर उपरोक्त गांवों के इन व्यक्तियों को टेलीफोन के कनेक्शन दिये जाएंगे और उनको टेलीफोन कनेक्शन देने में विलंब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) से (च) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राजकोट में एक दूसरा मुख्य डाकघर खोलने का अनुरोध

9924. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात विधान सभा के एक सदस्य ने उन्हे जिला राजकोट में एक दूसरा मुख्य डाकघर खोलने के बारे में लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या मांगें की गई हैं ;

(ग) क्या जिस जिले में 60 से अधिक उप डाकघर होते हैं उनमें से एक और मुख्य डाकघर खोलने की व्यवस्था की जाती है और यदि हां तो इस समय राजकोट में कितने उप डाकघर हैं ;

(घ) राजकोट जिले में यदि 60 से अधिक उप डाकघर होंगे तो वहां दसरा मुख्य डाकखर खोल दिया जायेगा ;

(ङ) यदि हां, तो कब और उन नगरों के नाम क्या हैं जहां दूसरा मुख्य डाकघर खोला जाएगा ; और

(च) इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) : जी हां। राजकोट जिले में दूसरा बड़ा डाकघर खोलने की मांग की गई थी।

(ग) और (घ) : राजकोट मुख्य डाकघर लेखा क्षेत्र के अन्तर्गत 88 उप डाकघर थे। वर्तमान विभागीय मानदंडों के अन्तर्गत राजकोट मुख्य डाकघर का द्विभाजन कर दूसरा मुख्य डाकघर खोलने का औचित्य था।

(ङ) और (च) : राजकोट के मोरबी नामक स्थान पर दूसरा मुख्य डाकघर खोलने के आदेश पोस्टमास्टर जनरल, अहमदाबाद को जारी कर दिए गए हैं।

आश्वासन में हुडको का योगदान

9925. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हुडको द्वारा विभिन्न लोगों के लिये प्रारम्भ की गई विभिन्न योजनाओं से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं ; और

(ख) मार्च, 1979 में मंजूर की गई 55 योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन से किन राज्यों को लाभ होगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) हुडको द्वारा अब तक मंजूर की गई योजनाओं के पूर्ण होने पर 17 राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों में 27.5 लाख से अधिक व्यक्तियों को मकान दिये जायेंगे।

(ख) मार्च, 1979 के दौरान हुडको द्वारा स्वीकृत 55 योजनाओं का राज्यवार ब्योरे विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

मार्च, 1979 के दौरान हुडको द्वारा मंजूर की गई 55 योजनाओं का राज्यवार विवरण

राज्य	मंजूर की गई योजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	स्वीकृत ऋण (लाख रुपयों में)	स्वीकृत मकान	मंजूर किये गये प्लाट	शहर/कस्बा जिनमें योजना लागू की गई
आन्ध्र प्रदेश	10	719.23	447.36	3926		विशाखापटनम हैदराबाद गुन्तुर विजयानगरम् श्री कुलम रामचन्द्रपुरम
असम	2	87.53	63.79	394	..	तीनसुखिया और असम के दूसरे नगर क्षेत्र
गुजरात .	9	795.70	522.42	2828		बड़ौदा, उन्झा, खमंबात गांधीनगर राजकोट
हरियाणा .	1	196.07	135.55	527	..	पंचखुला (चण्डी गढ़)
कर्नाटक .	1	26.691	18.80	..	1042	बंगलौर
केरल .	2	25.085	20.66	414	..	कोट्याम, कोचीन
मध्य प्रदेश	8	271.09	210.10	2268	773	मण्डसौर बिलासपुर नरसिंह पुर भोपाल, बालघाट, रायपुर, भिलाई, राजेन्द्रगढ़
राजस्थान .	4	149.691	106.303	398	668	जयपुर, कोटा अजमेर
तमिल नाडु	14	451 85	338.61	2895	72	मद्रास कुंडलोर नागापटनम्, बिलोर, थंजावुर
उत्तर प्रदेश	1	29.58	21.03	200	..	हरिद्वार
पश्चिम बंगाल .	1	314.59	213.36	570	..	कोलाघाट
संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ	2	141.48	98.76	742	..	चण्डीगढ़
11 राज्य तथा एक संघ राज्य क्षेत्र योजनाएं	55	3208.587	2196.743	15162	2555	

कर्मचारियों को मद्रास में सरकारी आवास का आवंटन

9926. **श्री ए० मुरुगेसन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास नगर में 1976-77 और 78 के दौरान केन्द्रीय सरकार के (अर्थात् टाईप I, II, III, और IV) कितने क्वार्टर आवंटित किये गये ;

(ख) उपरोक्त अवधि में सभी श्रेणियों के कितने क्वार्टर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित किये गये ;

(ग) उपरोक्त वर्षों में सभी श्रेणियों के कितने क्वार्टर वास्तव में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारियों को आवंटित किये गये ;

(घ) यदि कोई कम रही है, तो उसके क्या कारण है ; और

(ङ) पिछली कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) टाइप I से टाईप IV तक 1827 आवंटन किए गए थे।

(ख) टाईप I और II में एक वर्ष में होने वाली स्पष्ट रिक्तियों के 5 प्र०श० का आरक्षण है। इस आधार पर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों को आवंटित करने के लिए 8 मकान आरक्षित किए गए थे।

(ग) आठ आरक्षित कोटे में से 1 इसमें उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की संख्या शामिल नहीं है जिन्हें सामान्य कोटे से अपनी बारी आने पर आवंटन मिला है।

(घ) तथा (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों की राजधानियों और केन्द्रीय राजधानी के बीच दूरसंचार

9927. श्री अमरसिंह वी० राठवा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी एवं कौन से राज्यों की राजधानियों का दूरसंचार व्यवस्था के द्वारा केन्द्र से संपर्क है ;

(ख) क्या राज्यों की राजधानियों को एक दूसरे से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) सभी राज्य की राजधानियों से नई दिल्ली के लिए दूरसंचार सुविधा उपलब्ध हैं। इसके साथ-साथ निम्नलिखित 19 राज्य की राजधानियों से नई दिल्ली के लिए उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा भी उपलब्ध है :

1. गांधीनगर	2. बंगलौर	3. भोपाल	4. भुवनेश्वर
5. बंबई	6. कलकत्ता	7. चंडीगढ़	8. गंगटोक
9. गोहाटी	10. हैदराबाद	11. जयपुर	12. कोहिमा
13. लखनऊ	14. मद्रास	15. पटना	16. शिलांग
17. शिमला	18. श्रीनगर	19. त्रिवेंद्रम	

(ख) और (ग) : राज्य की राजधानियां पहले ही दूरसंचार माध्यम द्वारा एक दूसरे से जोड़ दी गई हैं कुछ राज्यों को राजधानियों से दूसरी राजधानी के लिए एस० टी० डी० सेवा उपलब्ध है। जैसे कि मद्रास, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम और हैदराबाद के बीच एस० टी० डी० उपलब्ध है। प्रत्येक राज्य की राजधानी को हर राज्य की राजधानी के साथ एस०टी०डी० देने के लिए बहुत लंबी अवधि की योजना है और संभावना है कि अगले 10-15 वर्षों में उत्तरोत्तर इसे लागू कर दिया जाएगा।

कपास, रेपसीड, सरसों और तम्बाकू का उत्पादन

9928. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपास, रेपसीड, सरसों और तम्बाकू आदि का उत्पादन गत दो वर्षों में बहुत अधिक था परन्तु किसानों को अधिक उत्पादन का पूरा लाभ नहीं मिला और इस के परिणाम स्वरूप मूल्यों में गिरावट से वे अधिक उत्पादन करने में अधिक उत्साह नहीं दिखा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इनके मूल्यों को उचित स्तर तक बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) वर्ष 1976-77 की तुलना में वर्ष 1977-78 के दौरान कपास, तोरिया और सरसों तथा तम्बाकू का उत्पादन अधिक हुआ। मौजूदा अनुमानों के अनुसार वर्ष 1978-79 के दौरान कपास तथा तोरिया और सरसो का उत्पादन और भी अधिक होने

की संभावना है। तथापि आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू के अधीन क्षेत्र में कमी आने के कारण तंबाखू के मामले में वर्ष 1978-79 के दौरान उत्पादन में कुछ कमी होने की संभावना है। वर्ष 1976-77 और 1977-78 के लिए कपास, तोरिया और सरसों तथा तम्बाकू के उत्पादन के प्राक्कलन नीचे दिये गये हैं:--

जिंस	यूनिट	1976-77	1977-78
कपास .	लाख गांठें (प्रति गांठ 170 कि०ग्रा०)	58.39	71.03
तोरिया और सरसों .	लाख मीटरी टन	15.50	16.18
तम्बाकू	लाख मीटरी टन	4.19	4.45

यद्यपि अधिक उत्पादन होने के कारण गत वर्ष की तुलना में मूल्यों में कुछ गिरावट आयी तथापि कपास और तोरिया तथा सरसों के मूल्य सामान्यतः न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर से काफी अधिक है। इन दोनों फसलों तथा तम्बाकू के मामले में गिरावट के रूख को सरकार ने विभिन्न उपायों के जरिये रोक दिया है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि कृषक कपास, तोरिया और सरसों तथा तम्बाकू का अधिक उत्पादन करने को और अधिक उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। वस्तुतः वर्ष 1978-79 के दौरान तम्बाकू को छोडकर, इन फसलों के तहत बोये जाने वाले क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है।

(ख) कृषकों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से सरकार ने कई कदम उठाये हैं ताकि कपास और तम्बाकू के दामों में अवांछित गिरावट को रोका जा सके। उठाये गये महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं:—

कपास

(1) भारतीय कपास निगम के कार्यक्षेत्र में विस्तार करना तथा उसको ऐसे निर्देश देना कि वे कपास की खरीद केवल सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों को बिक्री के लिए ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र की मिलों को बिक्री के लिए भी करें तथा कपास का एक बफर स्टाक भी सृजित करें,

(2) मिलों के लिए स्टाक करने की सीमा को और अधिक बढ़ाना,

(3) विदेशों से कपास का आयात, जो कि देशी कपास उत्पादकों के लिए घातक है, न करने का निर्णय,

(4) 3.5 लाख गांठों तक रेशेदार कपास का निर्यात करने की अनुमति देना,

(5) बंगाल की देशी कपास, नर्म कपास के व्यर्थ पदार्थ तथा "यलो पिकिंग्स" के निर्यात की अनुमति देना,

(6) उस सांविधिक शर्त की समाप्ति जिसके द्वारा कपड़ा मिलों को 10 प्रतिशत कपास--इतर रेशों का उपयोग करना अनिवार्य घोषित किया गया था,

(7) "विस्कोस स्टेपल फाइबर" पर आयात शुल्क लगाना तथा देशी "विस्कोस स्टेपल फाइबर" पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि करना।

तम्बाकू

(1) केन्द्रीय सरकार ने राज्य व्यापार निगम को 1979 की फसल से आन्ध्र प्रदेश से सरकारी खाते में 10,000 मीटरी टन वी० एफ० सी० तम्बाकू खरीदने के लिए प्राधिकृत किया है। 1978 के दौरान भी सरकार ने राज्य व्यापार निगम को 1978 की फसल से आन्ध्र प्रदेश से सरकारी खाते में 10,000 मीटरी टन वी० एफ० सी० तम्बाकू खरीदने के लिए प्राधिकृत किया है।

(2) 1978 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को सरकारी खाते में 25,000 मीटरी टन की गैर वर्जीनिया तम्बाकू, विशेषकर बीड़ी तम्बाकू की खरीद करने के लिये प्राधिकृत किया है।

(3) तम्बाकू बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में तम्बाकू पत्ती खरीद वाउचर योजना शुरु की है, ताकि वर्जिनिया तम्बाकू के उत्पादकों को उनके तम्बाकू का समय पर मूल्य मिलने में सहायता मिल सके।

(4) तम्बाकू बोर्ड ने काली मिट्टी क्षेत्र के लिए 8 नये फार्म ग्रेज और हल्की मृदा क्षेत्र के लिये पौध स्थिति श्रेणीकरण शुरु किये हैं। 1979 के दौरान राज्य व्यापार निगम सीधे नये फार्म ग्रेडों में उत्पादकों से तम्बाकू बोर्ड द्वारा इस कार्य के लिये स्थापित किए गए खरीद करने और श्रेणीकरण करने वाले केन्द्रों में सरकारी खाते में कुल 10,000 मीटरी टन में से 5000 मीटर टन की खरीद कर रहा है।

(5) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 पहले ही संशोधित कर दिया गया है जिसके अंतर्गत तम्बाकू बोर्ड को वर्जिनियां तम्बाकू के विक्रय के लिये अपना एक नीलामी मंच स्थापित करने तथा इसके द्वारा स्थापित एवं इसमें पंजीकृत मंच में नीलामीकर्ता के रूप में कार्य करने का अधिकार मिला है, तम्बाकू बोर्ड नीलामी मंच की स्थापना करने के लिए एक योजना तैयार कर रहा है।

(6) बीड़ी तथा अन्य किस्म के तम्बाकू के फालतू उत्पादन को देखते हुय तथा उसके विपणन में अनुभव की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने एक तम्बाकू विशेषज्ञ दल नियुक्त किया है जो विस्तार से समस्याओं का अध्ययन करेगा तथा सभी प्रकार के तम्बाकूओं के उत्पादन के विनियमम के लिए एवं उन्नत विपणन के लिये अवश्यक उपाय सुझायेगा।

(7) 1977-78 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में वर्जिनियां (एफ०सी०वी०) तम्बाकू काफी मात्रा में जमा हो गया था, अतः 1978-79 के दौरान इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये तम्बाकू बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश में एफ०सी०वी० तम्बाकू के अंतर्गत क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिये तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की, तथापि कुछ वैधानिक कठिनाइयों के कारण इसे पूर्णतः क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

चीनी के नये कारखानों की स्थापना के लिए लाइसेंस देने संबंधी नीति

9929. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के संबंध में अगले वर्ष की स्थिति को देखते हुए सरकार चीनी के नये कारखानों की स्थापना के लिए लाइसेंस देने संबंधी वर्तमान नीति का पुनरीक्षण करने पर विचार कर रही है जिससे कि इस वस्तु की कोई कमी न हो ; और

(ख) यदि नई नीति निर्धारित कर ली गई है तो तत्संबंधी मूलभूत ब्यौरा क्या है और यह नीति किस तारीख से प्रवृत्त होगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : चीनी उद्योग संबंधी कार्यकारी ग्रुप का उसके विचारार्थ विषय बढ़ाकर फिर से गठन किया गया है और इसने अपनी अन्तिम सिफारिशें अभी करनी है। चीनी उद्योग में नई क्षमता के लिए भविष्य में लाइसेंस देने के बारे में नीति निर्णय सरकार द्वारा 1978-83 की अवधि की योजना को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया के अंग के रूप में बाद में लिया जाएगा। तथापि, मौजूदा चीनी यूनिटों के विस्तार की अनुमति गुण-दोष के आधार पर दी जा रही है ताकि उनकी सक्षमता बनाए रखी जा सके और वे अपना आधुनिकीकरण तथा पुनर्वसन कर सकें।

केनजूस (गन्ने का रस) को पावर अलकोहल में बदलने हेतु प्रौद्योगिकी के बारे में ब्राजील को शिष्टमंडल का भेजा जाना

9930. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या **कृषि तथा सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गन्ने के रस को सीधे शक्तिशाली अलकोहल में बदलने के लिए प्रौधोगिकी हेतु तकनीकी बातचीत करने के लिए ब्राजील को एक शिष्टमण्डल भेजने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो शिष्टमण्डल के कब तक जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) से (ग) : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गठित एक कर्मी दल ने गन्ने के रस को ईथानोल के रूप में परिवर्तित करने की प्रायोजना तैयार की है। इस कर्मीदल ने यह सुझाव दिया है कि इस विषय पर ब्राजील/हवाई/मैक्सिको से अनुसंधान और विकास सम्बधीं सूचनाएं एकत्रित करने के लिए तकनोशियनों के एक प्रतिनिधिमण्डल को इन देशों में भेजा जाय। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

गन्ने के रस से ऊर्जा के रूप में काम आने वाले अलकोहल का उत्पादन

9931. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से ब्राजील की यात्रा करके आये अधिकारियों, गैर-सरकारी व्यक्तियों तथा संसद् सदस्यों से अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें गन्ने के रस से ऊर्जा के रूप में काम आने वाले अलकोहल के सीधे उत्पादन पर बल दिया गया है;

(ख) इस बारे में सरकार के क्या विचार है ;

(ग) क्या सरकार ने गन्ने के रस को ऊर्जा के रूप में काम आने वाले अलकोहल के रूप में बदलने के बारे में कोई अनुसंधान कार्यक्रम आरम्भ किया है और उसके अब तक क्या परिणाम निकले ; और

(घ) इस अनुसंधान कार्य पर अब तक कुल कितना व्यय किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (घ) : जी नहीं, श्रीमान। तथापि गन्ने के रस को इथानोल के रूप में परिवर्तित करने के लिए 15.50 लाख रुपये की लागत की एक अनुसंधान प्रायोजना की रूपरेखा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गठित कर्मी दल (टास्क फोर्स) ने तैयार की है। फिलहाल इस प्रायोजना की जांच की जा रही है । इस प्रायोजना को भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ और राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर में चलाने का प्रस्ताव है ।

शास्त्री निकेतन, नई दिल्ली में मदर डेरी का बूथ

9932. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शास्त्री निकेतन में मदर डेयरी का बूथ स्थापित करने के बारे में अनुरोध मंत्री महोदय को प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या यद्यपि वेलफेयर एसोसिएशन, नार्थवेस्ट मोती बाग ने इस बारे में प्रयत्न किए थे परन्तु बुथ के लिए स्थान का चयन सत्य निकेतन मार्केट में दिया गया न कि शास्त्री निकेतन में ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और मदर डेयरी का बूथ शास्त्री निकेतन में स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही को जा रही है ताकि उनकी एसोसिएशन के प्रयासों का फल नार्थवेस्ट मोती बाग के निवासियों को मिले ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां ।

(ख) उत्तर पश्चिम मोतीबाग आवास कल्याण संघ द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों का सत्य निकेतन मार्केट में स्थान के चयन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । यह एक स्वतंत्र निर्णय था, जो कि सत्य निकेतन में रहने वाले लोगों से प्राप्त अभ्यावेदन और उक्त क्षेत्र में बूथ की स्थापना की सम्भाव्यता की छानबीन करने के बाद लिया गया था ।

(ग) निम्नलिखित कारणों से शास्त्री निकेतन में कोई बूथ स्थापित करना सम्भव नहीं हैं :—

(1) इस जगह बिक्री की क्षमता काफी कम होने का अनुमान है ।

(2) ½ से 1 कि० मी० तक के अर्ध—व्यास के आस-पास के क्षेत्रों में मदर डेयरी के निम्नलिखित बूथ पहले से ही मौजूद हैं ।

क्रम सं०	बूथ सं०	स्थान
1	205	बसरूरकर मार्केट, मोती बाग-1 के सामने क्वार्टर नं० डी-369, डी-388 (780-761) की पिछली दीवार के साथ
2	219	परिवार नियोजन केन्द्र के निकट, बेगम- जैदी मार्केट, मोती बाग-1
3	119	दुकान नं० 25 के सामने, नानकपुरा, मोती बाग-1

(3) शास्त्री निकेतन में दिल्ली दुग्ध योजना का एक बूथ पहले से ही कार्य कर रहा है ।

(4) अलाभप्रद होने के अलावा, शास्त्री निकेतन में बूथ स्थापित करने से उपर्युक्त विद्यमान बूथों की बिक्री पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

तमिलनाडु डाक सर्किल में रोस्टर

9933. **श्री ए० मुरुगेसन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु डाक सर्किल में निम्न चयन ग्रेड, उच्च चयन ग्रेड-II तथा उच्च चयन ग्रेड-I में 40 सूत्री रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्यों और पिछले बकाया पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) क्रियान्वयन कब तक पूरा हो जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) आरक्षित कोटे में कोई भी पिछले बकाया पद नहीं है ।

पुरातत्वीय अवशेषों के लिए गांवों का सर्वेक्षण

9934. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पुरातत्वीय महत्व के खंडहरों और अवशेषों का पता लगाने के लिए सर्किलों द्वारा गांव-गांव का सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक सर्किलवार कितने गावों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और भविष्य में विकास के लिए इन्हें सर्किल के पुरातत्वीय मानचित्र में दिखाया गया है ; और

(ग) अब तक कितने पुरातत्वीय खंडहरों और अवशेषों का पता चल चुका है और सर्किलों तथा उनके मंत्रालय द्वारा चालू वर्ष के लिए क्या कार्यक्रम आरम्भ किया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : जिन जिलों का अब तक पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से सर्वेक्षण हो चुका है, उनकी सर्किलवार सूची संलग्न है । परिणामस्वरुप 4692 स्थल पुरातत्वीय महत्व के पाए गये है । इनमें से जो स्थल राष्ट्रीय महत्व के पाए जायेंगे केवल उन्हे ही उनके आगामी रख-रखाव तथा संरक्षण के लिए प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 के अधीन संरक्षित किया जाएगा । चालू वर्ष के कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले जिलों की एक अलग सर्किलवार सूची भी संलग्न है । इसके अतिरिक्त, तेरह विश्वविद्यालयों को भी यह सर्वेक्षण संबंधी कार्य सौंपा गया है ।

विवरण

अब तक सर्वेक्षित जिलों की सूची

मंडल का नाम	राज्य	जिन जिलों में कार्य पूरा हो चुका है	अंशतः खोज कार्य पूर्ण हुए जिले
1	2	3	4
1. मध्य मंडल, भोपाल .	मध्य प्रदेश	1. भिंड	1. बिलासपुर
		2. पूर्वी निमाड़	2. देवास
		3. इन्दौर	3. रायसेन
		4. जबलपुर	4. रीवा
		5. उज्जैन	
2. दिल्ली मंडल, नई दिल्ली	1. हरयाणा		1. गुडगांव
	2. राजस्थान		2. अलवर
			3. भरतपुर
3. पूर्वी मंडल, कलकत्ता .	1. असम	1. गोपाल पाडा	1. जलपाई गुड़ी
	2. उड़ीसा	2. बालासोर	2. मयूरभंज
	3. पश्चिम बंगाल		3. बांकुरा
			4. कुच बिहार

विवरण

1	2	3	4
4. मध्य-पूर्वी मंडल, पटना	1. बिहार	1. चम्पारण	1. भागलपुर 2. दरभंगा 3. जमशेदपुर 4. मुंगेर 5. पलामूं 6. सिंहभूम 7. सारन 8. संथालपरगना 9. समस्तीपूर 10. वैशाली
5. मध्यदक्षिणी मंडल, बंगलोर	कर्नाटक	1. बीजापुर 2. धारवाड़	1. बेलगांव 2. कोलार 3. मैसूर
6. उत्तर पश्चिमी मंडल, श्रीनगर	1. हरयाणा 2. पंजाब	1. गुरदासपूर	1. अमृतसर
7. उत्तरी मंडल, आगरा .	1. उत्तर प्रदेश	1. बुलंदशहर 2. एटा 3. कानपुर 4. मैनपुरी	1. आगरा 2. अलमोड़ा 3. बिजनौर 4. सहारनपुर
8. दक्षिणी मंडल, मद्रास .	1. केरल	1. अलेपी 2. अर्नाकुलम 3. क्विलन 4. त्रिवेन्द्रम	1. कन्नौर 2. कोझीकोडे 3. कोटट्यम 4. पालघाट 5. त्रिचुर
	2. तमिलनाडु	1. कोयम्बतूर 2. धरमपुरी 3. सेलम	1. चिंगलपूर 2. मदुरई 3. उत्तरीआरकांट
9. दक्षिणी-पूर्वी मंडल, हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	1. कर्नूल 2. मेडक	1. कुडड्प्पा 2. महबूबनगर 3. प्रकाशम
10. दक्षिणी-पश्चिमी मंडल, औरगांबाद	महाराष्ट्र		1. अहमदनगर 2. चांदा 3. धूलिया 4. जलगांव 5. नागपुर 6. शोलापुर 7. थाना

विवरण

1	2	3	4
11. पश्चिमी मंडल, बड़ौदा	1. गुजरात	1. बड़ौच	1. बनसकंठा
		2. वलसार	2. सूरत
	2. राजस्थान	1. जोधपुर	1. जैसलमेर
		2. नागौर	2. पाली
		3. उदयपूर	
	3. दमन, दीव, दादर और नगर हवेली	पूर्ण हो गया	--
12. मध्यपूर्वी मंडल, पटना	उत्तर प्रदेश	1. वाराणसी	1. गाजीपुर
			2. जौनपूर
			3. सीतापुर

वर्ष 1979–80 में लिये जाने वाले मंडलवार जिलों की सूची

मंडल का नाम	जिले	
1. अधीक्षण पुरातत्वविद् मध्य मंडल, भोपाल ।	1. विलासपुर	(मध्य प्रदेश)
	2. रायसेन	(मध्य प्रदेश)
	3. रीवा	(मध्य प्रदेश)
2. अधीक्षण पुरातत्वविद् दिल्ली मंडल, नई दिल्ली ।	1. अलवर	(राजस्थान)
	2. भरतपुर	(राजस्थान)
3. अधीक्षण पुरातत्वविद् पूर्वी मंडल, कलकत्ता	1. मयूरभंज	(उड़ीसा)
	2. बांकुरा	(पश्चिम बंगाल)
4. अधीक्षण पुरातत्वविद् मध्यपूर्वी मंडल, पटना ।	1. भागलपुर	(बिहार)
	2. सारन	(बिहार)
	3. गाजीपुर	(उत्तर प्रदेश)
5. अधीक्षण पुरातत्वविद् मध्य दक्षिणी मंडल, बंगलौर	1. बैलगांव	(कर्नाटक)
	2. कोलार	(कर्नाटक)
	3. मैसूर	(कर्नाटक)
6. अधीक्षण पुरातत्वविद् उत्तर-पश्चिमी मंडल, श्रीनगर, कश्मीर	1. अखनूर	(जम्मु तथा कश्मीर)
	2. लुधियाना	(पंजाब)
7. अधीक्षण पुरातत्वविद् उत्तरी मंडल, आगरा ।	1. एटा	(उत्तर प्रदेश)
	2. बरेली	(उत्तर प्रदेश)
	3. मेरठ	(उत्तर प्रदेश)
8. अधीक्षण पुरातत्वविद् दक्षिणी मंडल, मद्रास	1. इद्दिकी	(केरल)
	2. पालघाट	(केरल)
	3. उत्तरी आरकोट	(तमिलनाडु)
9. अधीक्षण पुरातत्वविद् दक्षिण-पूर्वी मंडल, हैदराबाद ।	1. कुडडप्पा	(आन्ध्र प्रदेश)
	2. महबूब नगर	(आन्ध्र प्रदेश)
	3. प्रकाशम	(आन्ध्र प्रदेश)

विवरण

मंडल का नाम	जिले	
10. अधीक्षण पुरातत्वविद् दक्षिण-पश्चिमी मंडल, औरंगाबाद .	1. चन्द्रपुर	(महाराष्ट्र)
	2. अहमदनगर	(महाराष्ट्र)
	3. धुलिया	(महाराष्ट्र)
11. अधीक्षण पुरातत्वविद् पश्चिमी मंडल, बड़ौदरा।	1. बनसकंठा	(गुजरात)
	2. सूरत	(गुजरात)
	3. पाली	(राजस्थान)

9935. **श्री ए० के० राय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह पता है कि धनबाद तथा बोकारो और धनबाद जिल में ही धनबाद तथा निरसा के बीच कोई आटो एक्सचेंज नहीं है जिससे संचार व्यवस्था में बहुत कठिनाई होती है ;

(ख) क्या टेलीफोन लाइनें अक्सर खराब पड़ी रहती है और ट्रंककाल तुरत नहीं मिलती है ; और

(ग) क्या इन टेलीफोन संपर्कों को धनबाद-बोकारो उद्योग समूह के बीच आटो एक्सचेंज में बदलने का कोई समय-बधित कार्यक्रम है; यदि हां, तो विस्तार से तथ्य क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क), (ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगी ।

भारतीय भाषाओं में स्तर की पुस्तकें

9936. **श्री ए० के० राय** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मातृ भाषा को सब स्तरों पर शिक्षा का माध्यम बनाने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा के लिए स्तर की पाठ्य पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करवाने का कोई व्यापक कार्यक्रम है ;

(ख) उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या है जिन्होंने मातृभाषा अथवा भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपना लिया है और तत्सबधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या भारतीय भाषाओं में, विशेषकर विज्ञान और प्रौद्योकिकी में, स्तर की पुस्तकों की कमी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करने के लिए सहायता संबंधी केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि इस स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में सरलता से अपनाया जा सके।

(ख) 1—7—78 की स्थिति के अनुसार जिन विश्वविद्यालयों ने अपने विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को अपना लिया है, उनके नाम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4434/79]

(ग) जी, हां ।

(घ) विश्वाविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करने के लिए सहायता की योजना में इस प्रकार संशोधन किया गया है कि राज्य सरकारें और विश्वविद्यालय ऐसी पुस्तकें तैयार करने में उत्तरोत्तर अधिक भाग ले ताकि छठी योजना के अन्त तक विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी सहित सभी विषयों की पुस्तकें पर्याप्त संख्या में भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो सकें ।

वन-क्षेत्र

9937. **श्री ए० के० राय** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वन-क्षेत्र कितना है और 1 जनवरी, 1979 को देश के कुल भू-क्षेत्र का यह वन-क्षेत्र कितने प्रति था ;

(ख) क्या गत 25 वर्षों के दौरान सामान्यतया देश में और विशेष रूप से बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में वन-क्षेत्र मे कोई कमी हुई है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) : अपेक्षित जानकारी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों और वन अनुसंधान संस्थान तथा महाविद्यालय, देहरादून के अध्यक्ष से एकत्र की जा रही है। यह यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आदिवासी क्षेत्रों में बिना इमारत तथा अध्यापकों के प्राइमरी स्कूल

9938. **श्री ए० के० राय** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के आदिवासी क्षेत्रों विशेषकर छोटानागपुर और संथाल परगना में बिना इमारत तथा अध्यापकों के कितने स्कूल विद्यमान हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार प्रमुख रूप से आदिवासी क्षेत्रों जिसमें 50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्र हैं, स्कूल की इमारतों के लिए सहायता देने का हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) सम्बंधित राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) और (ग) प्रमुख रूप से आदिवासी वाले अथवा अन्य क्षेत्रों में स्कूल भवनों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत सहायता देने की कोई योजनागत योजना नहीं हैं । स्कूल भवनों के निर्माण के लिए निधियां राज्य क्षेत्र आयोजना के अंतर्गत दी जाती हैं ।

भूमिगत जल के मान चित्र में गुजरात के मेहसाना तथा बनासकांठा जिलों की स्थिति

9939. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री भूमिगत जल के मानचित्र के बारे में 23 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8057 के उत्तर के सम्बध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में महसाना तथा बनासकांठा जिलों में भूमिगत जल की वह स्थिति क्या है जो भूमिगत जल के वैज्ञानिक मानचित्र में दिखाई गई हैं ;

(ख) दोनों जिलों में पृथक-पृथक कितना भूमिगत जल उपलब्ध है ; और

(ग) इन जिलों के कठोर चट्टानों तथा पानी वाले क्षेत्र के विभिन्न स्तरों पर कितनी भूमिगत जल उत्पादन क्षमता उपलब्ध है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जहां तक गुजरात के मेहसाना तथा बनासकंठा जिलों के संबध भूजल विज्ञानीय स्थितियों का सम्बध है, भारत के भूजल विज्ञानीय मानचित्र से 300 मीटर की गहराई में काफी मोटे किन्तु अनियमित व बंद/खुले हुए जलभरों (पानी वाली परतें) के विद्यमान होने का पता चलता है । इस क्षेत्र में प्रति घंटा 50 से 150 घनमीटर भूमिगत जल के उत्पादन का अनुमान है ।

(ख) इन जिलों में भूमिगत जल की अनुमानित सम्भाव्यता निम्नलिखित है :—

मेहसाना जिला

1.	वार्षिक रिचार्ज . .	7186.4	लाख घनमीटर प्रति वर्ष ।
2.	वर्तमान कर्षण . .	7999.1	लाख घनमीटर प्रति वर्ष ।
3.	निवल कमी . .	812.7	लाख घनमीटर प्रति वर्ष ।
4.	स्थायी रिजर्व .	8071.50	लाख घनमीटर

बनासकंठा जिला

1.	वार्षिक रिचार्ज . .	9046.6	लाख घन मीटर प्रति वर्ष ।
2.	वर्तमान कर्षण . .	4510.8	लाख घन मीटर प्रति वर्ष ।
3.	उपलब्ध फालतु पानी .	4535.8	लाख घन मीटर प्रति वर्ष ।
4.	स्थायी रिजर्व .	102.2550	लाख घन मीटर ।

(ग) इन जिलों के सख्त चट्टानों तथा पानी वाले क्षेत्रों के विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध भूमिगत जल की उत्पादन क्षमता के बारे में सूचना विवरण में संलग्न है ।

विवरण

जिला महसाना

इस जिले में आधार शैल जलभरा के अतिरिक्त कछारी तलछट में 7 जलभरों का पता चला है ।

इस जिले के सुदूर उत्तरी भाग के पठारी, जलभरों में पर्तों के जोड़ों, दरारों तथा मौसम क्षेत्रों में थोड़ी मात्रा में भूमिगत जल मिला ।

कछारी तलछटों में ऊपरी फ्रेटिक जलभरा ठीक इसके नीचे के प्रथम बद जलभरों के साथ अतः संबंधित पाए गए । इस फ्रेटिक जलभरा की मोटाई उत्तरी भाग में 35 मीटर से लेकर क्षेत्र के मध्य भाग में 125 मीटर तक है । उत्तरी क्षेत्र में तल के नीचे जल स्तर 5 से 10 मीटर तक है जब कि मध्य भाग में यह 20 से 25 मीटर तक है । बंदजलभरा, जो इस जलभरा के ठीक नीचे ही है, की मोटाई 10 से 80 मीटर तक है । ये दोनों ही जलभरा पहले ही अति विकसित हैं । जिले के मध्य एव दक्षिण पूर्वी भागों में गम्भीर कर्षण की परिस्थितियां हैं, जिसके फलस्वरूप जल स्तरों में निरन्तर गिरावट आ रही है ।

गहरे जलभरों (150 से 500 मीटर तक गहरे) में जल की कोटि मात्रा तथा जलभरे की गहराई की भिन्नता के कारण जल की सम्भाल क्षमता केवल सीमित मात्रा में है ।

केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से इस क्षेत्र में एक बृहत भूमिगत जल मूल्यांकन परियोजना आरम्भ की है । किए गए अध्ययनों तथा उनके परिणामों के आधार पर बोर्ड ने निम्नांकित सिफारिश की है :—

(क) जल स्तरों में कमी आने की प्रवृति को रोकने के लिए जिले के मध्य तथा दक्षिण-पूर्वी भागों में ऊपर के दोनों जलभरों के विद्यवान कर्षण को लगभग 25 प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए ।

(ख) जिले के उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी-पश्चिमी भागों में कुल धुलित ठोस के प्रति दस लाख में 2000 भागों से कम की क्षमता वाले उपलब्ध संसाधन स्थानीय लघु सिंचाई उपयोग के लिए विकसित किये जायें ।

(ग) विभिन्न प्रकार की मृदा की विद्यमानता को ध्यान में रखते हुये तथा व्यवस्था की उन्नत प्रणालियों को अपना करके दक्षिण–पश्चिमी भाग में पाये गये अधिक लवणीय (कुल धुलित ठोस के 2000 से 5000 पी० पी० एम० तक) जल संसाधनों का विकास किया जाये ।

बनासकंठा जिला

(1) जिले के पूर्वी और उत्तरी–पश्चिमी भागों के उथले स्थलों में पाये गये आधार शैल, जलभरों (सख्त चट्टान) का उपयोग खोदे गए कुओं द्वारा किया जाता है, जो केवल स्थानीय घरेलू मांगों को पूरा कर सकते हैं ।

(2) कछारी जलभरे जो बहु-जलभरा प्रणाली के रुप में होते हैं काफी उत्साहवर्धक हैं । परिरुद्ध और अर्द्ध परिरुद्ध परिस्थितियों के अन्तर्गत भूमि सतह के नीचे 460 मीटर की गहराई तक दो से सात तक जलभरे पाये जाते हैं । पूर्वो भागों में, नलकूपों के जरिये 64 मीटर की गहराई तक जलभरो को उपयोग में लाया जाता है । जिनसे 90,000 लिटर, प्रति घंटा जल मिलता है । जिले के पश्चिमी भाग में 384 मीटर की गहराई में मौजद जलभरों को उपयोग में लाया गया है और इस क्षेत्र में नलकूपों से जल का बिकास 56,500 से 2,55,000 लिटर प्रति घंटा तक है । इस क्षेत्र में 384 मीटर से नीचे जलभरों में प्रवाह की परिस्थितियां सामने आई हैं ।

जिले के पूर्वी भाग में सभी जलभरों में शुद्ध जल मिलता है, जब कि पशिचमी भाग में सभी जलभरों में (100 से 200 मीटर की गहराई के बीच एक के सिवाए) लवणीय भूमिगत जल मिलता है ।

बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के लिये 1977–78 में गुजरात को दी गई राशि

9940. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के लिए गुजरात को 1977–78 और 1978–79 में कितनी राशि दी और यह राशि किन-किन योजनाओं के लिए दी ;

(ख) उक्त कार्यक्रम के लिए गुजरात को 1979–79 में कितनी राशि देने का विचार है ;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में बाढ़ नियंत्रण कायक्रम के अन्तर्गत किये गये काम का व्यौरा क्या है और उस पर कितना व्यय हुआ तथा कौन-कौन सी योजनाएं पूरी हो गई तथा कौन-कौन सी योजना का काम चल रहा है ; और

(घ) बनासकांठा जिले में घनेरा के निकट रेल नदी पर बाढ़ नियंत्रण कार्य को बाढ़ निमंत्रण कार्यक्रम में शामिल किया गया है और उस पर अब तक कितना व्यय किया गया है और काम किस सीमा तक आरम्भ किया गया है और उस पर कुल कितना व्यय होगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) से (ग) : बाढ़ नियंत्रण सेक्टर राज्य योजनाओं का एक भाग है। केन्द्र सरकारों को योजना स्कीमों के लिए ब्लाक ऋण और अनुदान देता है और फिर राज्य सरकारें प्राथमिकता के अनुसार विभिन्न सेक्टरों और स्कीमों के लिए धन का आबन्टन करती है । गुजरात की योजना में बाढ़ नियंत्रण के लिए किया गया प्रावधान निम्न प्रकार है :—

वर्ष	योजना प्रावधान (लाख रुपये)	व्यय (लाख रुपये)
1977–78	290	133.49 (वास्तविक)
1978–79 . . .	350	225.00 (प्रत्याक्षित)
1979–80	400 (प्रस्तावित)	—

इसके अतिरिक्त, 1977–78 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को 150 लाख रुपये की अग्रिम योजना सहायता दी गई थी ।

(घ) रिल नदी को बाढ़ों से घनेरा शहर को सुरक्षा के लिए 14.4 लाख रुपये की अनुमानित लागत से राज्य सरकार द्वारा एक स्कीम तैयार की गई है । इस स्कीम में उत्तरी रेले के भिल्डी-बाड़मेर मीटर-गेज सेक्शन पर रेल्वे पुल नं० 147 के प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह में 5 किलोमीटर की लम्बाई के लिए नदी के बाएं किनारे पर बाढ़ तटबन्ध का निर्माण परिकल्पित है । 7–12–1978 को हुई राज्यतकनीकी सलाहकार समिति की 5 वीं बैठक में इस स्कीम पर विचार-विमर्श हुआ था । चूंकि तटबन्ध से प्रतिप्रवाह दिशा में रेल्वे पुल के प्रभावित होने की सम्भावना है, इस स्कीम को रेलवे, केन्द्रीय जल आयोग और गुजरात सरकार के इंजीनियरों द्वारा संयुक्त निरीक्षण के पश्चात अन्तिम रूप दिया जाएगा ।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनायें

9941. **श्री बसन्त साठे : क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित नई योजनाएं आरम्भ करने का निर्णय किया है और वर्ष 1978–79 के दौरान चल रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित कुछ योजनाओं पर कार्य बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1979–80 के दौरान आरम्भ की गई योजनाओं और बन्द कर दी गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1979–80 के दौरान राज्यवार प्रेषक योजना के लिए, अलग-अलग. धन का कितना आबन्टन किया गया है तथा प्राप्त अनुभवों के आधार पर नई बनाई गई/संशोधित योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) गत दो वर्षों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्रत्येक नई योजना के अन्तर्गत, राज्यवार वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्यों तथा उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और इसमें कमी होने के क्या कारण हैं तथा धन के उपयोग तथा वास्तविक लक्ष्यों की उपलब्धियों के रूप में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को सफल क्रियान्वित सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) और (ख) : राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसारण में, 1977–78 के दौरान जल रही 5 में से 2 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, "अर्थात उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण" एवं राज्यों में आयोजना एवं "अनुसरण एकक" को 1979–80 से बन्द करने का फैसला किया गया है ।

इन योजनाओं को राज्य योजनाओं में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव है ।

वर्ष 1979-80 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित किसी नई योजना को शामिल नहीं किया गया है। तथापि, केन्द्र द्वारा प्रायोजित शेष तीन योजनाओं को 1979-80 के दौरान जारी रखा जाएगा। आबन्टनों सहित ये योजनायें निम्नलिखित हैं :--

	करोड़ रुपये
1. प्रौढ़ शिक्षा	13.50
2. गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के शिक्षकों की नियुक्ति . . .	0.20
3. अनौपचारिक शिक्षा को प्रयोगात्मक परियोजनायें	7.00

इन आबन्टनों के राज्यवार वितरण को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है, इसे एकत्र किया जा रहा है और यथा समय सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

ग्राम विद्युतीकरण योजना के साथ भूमिगत जल के उपयोग के संबंध में प्रगति

9942. **श्री सरत कार** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम विद्युतीकरण योजनाओं के साथ भूमिगत जल के उपयोग के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): यह अनुमान लगाया गया है कि देश में भूमिगत जल संसाधनों के माध्यम से अन्तोगत्वा 400 लाख हैक्टार सकल क्षेत्र को सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा सकता है। इसमें से मार्च 1978 के अन्त तक 198 लाख हैक्टर क्षेत्र की क्षमता का सृजन किया गया है। सरकार की वर्तमान नीति, ग्रामीण विद्युतीकरण (पम्प सेटों को बिजली देना) कार्यक्रम के साथ भूमिगत जल विकास पर अधिकतम बल देने की है। यह उल्लेखनीय है कि भूमिगत जल विकास के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण साहाय्यक कार्यक्रम है, क्योंकि यह उटाऊ भूमिगत जल के लाभप्रद और प्रभावी साधनों की व्यवस्था करता है। पांचवीं योजना अवधि (1974-78) के दौरान 33 लाख हैक्टार सिंचाई क्षमता तथा 8.84 लाख पम्प सेटों के विद्युतीकरण की सम्भाव्य उपलब्धि की तुलना में छठी योजना अवधि के दौरान, भूमिगत जल विकास के माध्यम से 70 लाख हैक्टार के लिए अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन करने और 20 लाख पम्प सेटों को बिजली प्रदान करने का लक्ष्य रखने का प्रस्ताव है। विभिन्न योजना अवधियों के दौरान पम्प सेटों को बिजली देने के कार्यक्रम के साथ भूमिगत जल विकास से सम्बद्ध विवरण अनुबन्ध में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	अवधि	भूमिगत जल संसाधनों से सृजित सिंचाई क्षमता (लाख हैक्टार)	उन पम्पसेटों की संख्या जिन्हें बिजली दी गई (लाख में)
1	पहली योजना की शुरूआत से	6.50	0.21
2	1960-61 के अन्त तक .	8.30	1.99
3	1968-69 के अन्त तक . .	12.50	10.89
4	चौथी योजना के अन्त तक (1973-74)	16.50	24.26
5	पांचवीं योजना के अन्त तक	19.80	33.10
6	1978-79 के दौरान लक्ष्य	1.20	3.53
7	छठी योजना के लक्ष्य (5 वर्ष)	7.00	20.00
8	अन्ततोगत्वा सम्भाव्यता	40.00	120.00

टिप्पणी (1) सिंचाई क्षमता के आंकड़ों का उपलब्ध जानकारी के आधार पर अनुमान लगाया गया है, और ये अस्थायी है। इन आंकड़ों से भूमिगत जल को संरचनाओं को प्रयोग में न लाने के कारण मूल्यह्रास की वजह से रिसन तथा जलाशय आदि सतही जल की संरचनाओं में गाद भरने, उनमें दरार पड़ने आदि के कारण उन्हें त्याग देने की बात को निकाल कर सृजित की गई। सृजित की जाने वाली निवल अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का पता चलता है।

रायबरेली उत्तर प्रदेश के लिए इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के यूनिट का मध्य प्रदेश में स्थानान्तरण

9943. **श्री सुरेन्द्र बिक्रम : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के यूनिट को मध्य प्रदेश में किसी स्थान पर स्थानान्तरित करने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े उत्तर प्रदेश राज्य से इन कारखानो को मध्य प्रदेश में स्थानान्तरित किये जाने के क्या कारण हैं जब पर्याप्त निर्माण कार्य पहले ही किया जा चुका है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) (क) रायबरेली में स्थापित हो रहे इन्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के कारखाने को कहीं और ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

गांधी जी का बूत

9944. **श्री बसन्त साठे**

श्री के० मलन्ना :

श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **निर्माण आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अप्रैल, 1979 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "गांधी स्टैच्यू मूव शाक्स एक्सपर्टस्" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही/निर्णय लिया गया है/लेने का प्रस्ताव है ;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) समाचार-पत्र में यह समाचार छपने से पहले ही सरकार नई दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम के सामने वाले खुले स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित करने की निर्णय कर चुकी थी ।

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम

9945. **प्रो० समर गुह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनो भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने और उत्तर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में विद्यालयों में छात्रों को परीक्षा में दोनों भाषाओं में उत्तर देने की अनुमति देने के लिए अनेक अभ्यावेदन भेजे गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या तथ्य हैं ;

(ग) क्या उक्त क्षेत्रों में विद्यालयों के अध्यापको को केवल हिन्दी में पढ़ाने में बहुत कठिनाई होती है और छात्र भी हिन्दी में उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है ;

(घ) क्या दक्षिण भारत स्थित सभी विद्यालयों में अंग्रेजी और हिन्दी दोनो भाषाओं में पढ़ाने और परीक्षा में उत्तर देने की अनुमति है ;

(ङ) यदि हां, तो पूर्वी भारत और देश के अन्य भागो में गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों में विद्यालयों में एक ही सिद्धान्त लागू न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(च) क्या सरकार समुचे देश में समान रूप से लागू करने के लिए अपनी नीति पर से निर्धारित करेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) अहिन्दी भाषी बच्चो को हिन्दी के साथ साथ एक सामाजिक अध्ययन एक वैकल्पिक भाषा अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन को कुछ प्रत्यावेदन प्राप्त हो चुके हैं ।

(ग) इस प्रकार की कोई कठिनाइयां संगठन के अध्ययन में नहीं लायी गयी हैं ।

(घ) देश भर के सभी केन्द्रीय विद्यालय शिक्षा माध्यम के सम्बन्ध में एक समान नीति का पालन करते हैं अर्थात विज्ञान तथा गणित के लिए सभी केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है और सामाजिक अध्ययन के लिए हिन्दी ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

जतीन्द्र नाथ दास

9946. **प्रो० समर गुह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जतीन्द्र नाथ दास के बलिदान का स्वर्ण जयन्ती समारोह 13 सितम्बर, 1979 को मनाया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार छात्र समुदाय के लाभार्थ शहीद जतीन्द्र नाथ दास की जीवनी भी इस अवसर पर प्रकाशित करेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी):(क) और (ख) : सरकार को शहीद जतीन्द्र नाथ दास के बलिदान की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर उनके जीवन तथा बलिदान से सम्बन्धित रेडियो/दूरदर्शन कार्यक्रमो, एक वृत्त चित्र तथा एक विवरण पुस्तिका प्रकाशित करने की व्यवस्था करने का एक सुझाव प्राप्त हुआ है । इस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है ।

विज्ञान भवन को नया रूप देना

9947. **श्री सरत कार : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार "यूनिडो" के लिए विज्ञान भवन को नया रूप देने हेतु करोड़ो रुपये खर्च कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए क्या-क्या तथा कितनी लागत के इलेक्ट्रोनिक, ध्वनि संचारक आदि उपकरणों का आयात किया जा रहा है ;

(ग) उक्त कार्यों के लिए कितने अतिरिक्त इंजीनियरी कर्मचारी (इलेक्ट्रिकल/सिविल ध्वनि संचारण) मंजूर किये गये या भर्ती किये गये है अथवा तैनात किये गये हैं ;

(घ) क्या यूनिडो परियोजना के लिए कार्य पर लगाए गए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी कर्मचारी उक्त परियोजना को क्रियान्वित करने हेतु विशिष्ट तकनीक ज्ञान रखते हैं ; और

(ङ) क्या इस कार्य के लिए ध्वनि संचारण सम्बन्धि कर्मचारी भी भर्ती किए जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां । 204.44 लाख रुपये की राशि विज्ञान भवन के नवीकरण नये गलिचे बिछाने और उसे पुनः सजाने के लिए स्वीकृत की गई है ।

(ख) माइक्रोफोन, स्टेथस्कोपिक हैडफोन, टेप रिकार्डरज, लाऊड स्पीकर प्रणाली, मिक्सर यूनिट रिवब्रेशन यूनिट कोनेक्टर और माइक्रोफोन के पूर्जों आदि का आयात पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के जरिये किया जा रहा है जिस की लागत लगभग 7.73 लाख रुपये आएगी ।

(ग) विज्ञान भवन का कार्य और यूनिडो सम्मेलन के लिए होस्टल का निष्पादन परियोजना दल द्वारा किया जा रहा है । अधिकारियों का विवरण संलग्न है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) जी, नहीं ।

विवरण

यूनिडो परियोजना दल का स्टाफ

क्रम सं०	पदों का वर्ग	पदों की संख्या	जो काम पर हैं
1	2	3	4
1	मुख्य इंजीनियर (सिविल)	1 .	1
2	एफ० ओ०	1 .	1
3	एस० एस० डब्ल्यू (सिविल)	1	1

विवरण

1	2	3	4
4	एस० डब्ल्यू० (सिविल)	2	2 (एक को कार्यपालक इंजिनियर में बदल दिया गया है।)
5	एस० डब्ल्यू० (बिजली)	1	1
6	ए० एस० डब्ल्यू० (सिविल)	4	3 (एक को सहायक सिविल इंजीनियर में बदल दिया गया।)
7	ए० एस० डब्ल्यू (बिजली)	2	2
8	जे० ई० (सिविल)	8	4
9	जे० ई० (बिजली)	4	—
10	अधीक्षक	1	1
11	ई० ई० (सिविल)	2	2
12	ई० ई० (बिजली)	1	1
13	ए० ई० (सिविल)	6	7
14	ए० ई० (बिजली)	3	3
15	जे० ई० (सिविल)	18	16
16	जे० ई० (बिजली)	9	6
17	लेखा अधिकारी	1	1
18	डिविजनल लेखाकार	1	1
19	ड्राफ्स्टमैन (ग्रेड- I)	1	—
20	ड्राफ्स्टमैन (ग्रेड- II)	6	5
21	आशुलिपिक (ग्रेड- I)	1	—(आशुलिपिक ग्रेड II)
22	आशुलिपिक (ग्रेड- II)	1	1
23	आशुलिपिक (ग्रेड- III)	4	1
24	उच्च श्रेणी लिपिक	16	16
25	निम्न श्रेणी लिपिक	20	12
26	मैसेंजर	8	1
27	बरकन्दाज	1	—
28	चौकीदार	2	—
29	दफ्तरी	1	—

विज्ञान भवन नई दिल्ली में क्षेत्रीय एककों लिये पदों की संख्या

1	अधीक्षक इंजीनियर (बिजली)	1	1
2	कार्यपालिक इंजीनियर (सिविल)	1	1
3	हेड क्लर्क	1	1
4	डिवीजनल लेखाकार	1	1
5	ए० ई० (सिविल)	2	2
6	ए० ई० (बिजली)	3	3
7	जे० ई० (सिविल)	6	6

विवरण

1	2	3	4
8	जे० ई० (बिजली)	9	7
9	आशुलिपिक (ग्रेड-II) . .	1	1
10	आशुलिपिक (ग्रेड-III)	5	--
11	उच्च श्रेणी लिपिक	5	3
12	निम्न श्रेणी लिपिक .	8	6
13	ड्राफ्टसमैन (ग्रेड- II) . (1 सिविल तथा 1 बिजली)	2	1 (बिजली)
14	मैसेन्जरस् .	4	1
15	बरकन्दाज . . .	1	—
16	चौकीदार . . .	1	--
17	दफ्तरी . .	1	--
	लोधी रोड़ नई दिल्ली में एस० ए० यूनिट		
1	वरिष्ठ वास्तुक	1	1
2	वास्तुक .	2	2
3	उप-वास्तुक . .	4	4
4	आशुलिपिक (ग्रेड- II) .	1	1
5	निम्नश्रेणी लिपिक	1	1
6	मैसेंजर . .	2	2
7	फैरो प्रिन्टर	1	—

दिल्ली की सुलतानपुरी कालोनी में दिल्ली दुग्ध योजना के दूध को सप्लाई

9948. **श्री रतिलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की पुनर्वास बस्ती सुलतानपुरी में अपने दूध की सप्लाई करने की लिए दिल्ली दूग्ध योजना ने लाइसेन्स दिये हैं और यदि हां, तो उपभोक्ताओं को किस किस्म का और कितनी मात्रा में दुध सप्लाई किया गया और इसकी कितने मूल्य पर सप्लाई करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या वहां सरकार द्वारा दूध की सप्लाई निर्धारित मूल्य से काफी अधिक मूल्य पर की जा रही है;

(ग) उपर्युक्त दूध की सप्लाई करने वाले व्यक्तियों को दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा मारे जाने वाले छापों के बारे में किस प्रकार पहले से ही जानकारी मिल जाती है और वे सावधान हो जाते हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस बारे में विशेष कर्मचारियों के माध्यम से विशेष छापे मारने का है ताकि इन बेईमान दुग्ध विक्रेताओं को दण्ड दिया जा सके अथवा इनके लाइसेंसों को रदद् किया जायेगा' ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) दिल्ली की सुलतानपुरी पुनर्वास कालोनी, के निवासियों को थोक में टोन्ड दूध सप्लाई करने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना के विशेष व्यवस्था की है। औसतन 1.80 रु० प्रति लिटर दर से लगभग 400 लीटर टोन्ड दूध, जिसमें 3 प्रतिशत वसा और 8.5 प्रतिशत एस० एन० एफ० होता है, सप्लाई किया जाता है। अलग-अलग उपभोक्ताओं को वितरण करने का कार्य स्थानीय "रेजीडेन्ट्स कमेटी" के द्वारा किया जाता है जिनको दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की बिक्री पर 5 पैसे प्रति लीटर की दर से कमीशन दिया जाता है। इस "रेजीडेन्ट कमेटी" को अलग-अलग उपभोक्ताओं को दूध 1.80 रु० प्रति लिटर की दर से बेचना होता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) ये छापे किसी को भी बिना कोई पूर्व सूचना दिए हुए दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा मारे जाते हैं और इसलिए "रेजीडेन्ट कमेटी" को छापों के बारे में पूर्वसूचना मिलने को कोई सम्भावना नहीं है।

सुल्तानपुरी दिल्ली में मिल्क बूथ

9949. **श्री भानु कुमार शास्त्री :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की पुनर्वास बस्ती, सुल्तानपुरी में एक मिल्क बूथ बनाया गया था और यदि हां, तो इसका क्या प्रयोजन था ;

(ख) इसे अब तक चालू न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) उसे कब तक चालू करने का विचार है ; और

(घ) क्या इस बूथ को चालू करने से दूध में मिलावट की समस्या और दूध की अधिक मूल्य पर बिक्री समाप्त की जा सकती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां। सुल्तानपुरी के निवासियों की दुग्ध आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सुल्तानपुरी के ब्लाक बी-5 के सामने स्थानीय बाजार में मदर डेरी के एक बूथ नं० 640 का निर्माण किया गया है।

(ख) दिल्ली विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान तथा नगर निगम द्वारा क्रमशः दिये गये आश्वासनों के बावजूद भी बिजली का स्थाई कनेक्शन न देने तथा जल आपूर्ति की स्थायी प्रणाली की व्यवस्था न करने के कारण बूथ को चालू नहीं किया जा सका।

(ग) जब तक बिजली की स्थायी सप्लाई नहीं की जाती, तब तक बूथ को चालू नहीं किया जा सकता।

(घ) उचित दामों पर अच्छे किस्म का दूध उपलब्ध करने पर स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति इस स्रोत से हो सकेगी तथा प्राइवेट दुग्ध विक्रेताओं से, जो मुख्य रूप से यह कार्य करते हैं, दूध की खरीद होनी बन्द हो जायेगी।

भारतीय टेलीफोन विभाग में "हायर स्केल ग्रेड" पदों के वेतनमान

9950. **श्री जी० एम० बनात वाला :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टेलीफोन विभाग में एल० एस० जी० क्लर्कों का वेतनमान 425—700 निर्धारित किया गया है ;

(ख) क्या टेलीफोन डिस्ट्रिक्टों में हायर स्केल ग्रेड क्लर्कों के एक तिहाई पद पदोन्नति कर 425—700 के वेतनमान में रहते हैं और यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सभी हायर स्केल ग्रेड के पदों को 550—750 वेतनमान में रखने का प्रश्न वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचाराधीन था ; और

(घ) क्या हायर स्केल ग्रेड क्लर्कों को ऊंचा ग्रेड देने के बारे में कोई निर्णय इस बीच किया गया है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं !

संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जहां मुख्य सहायक (एच० एस० जी०) का एक ही पद है, वह 550–750 रुपये के वेतनमान में होगा, परन्तु जहां एक से अधिक पद हैं उसमें एक तिहाई पद 425–700 रुपये के वेतनमान और शेष 550–750 रुपये उच्चतर वेतनमान में होंगे।

(ग) जी हां।

(घ) सभी मुख्य सहायकों (Head Assistance) को 550–750 रुपये के एक ही संशोधित वेतनमान दिए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया, परन्तु स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि वर्तमान वेतनमान तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिया गया था, और इसमें परिवर्तन करने पर अब विस्तृत प्रतिक्रियाएं होंगी।

आदिवासी क्षेत्रों में मत्स्य पालन/डेरी तथा मुर्गी पालन का विकास

9951. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि गुजरात राज्य में आदिवासी क्षेत्र तथा देश के अन्य भागों में आदिवासी कल्याण हेतु मत्स्य पालन, डेरी और मुर्गी पालन आदि के विकास के लिए सरकार ने क्या प्रोत्साहन दिये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह) : इस मंत्रालय द्वारा मत्स्य पालन, डेरी तथा कुक्कुटादिपालन के विकास हेतु गुजरात राज्य के आदिवासी क्षेत्रों और देश के अन्य भागों में दिए गए प्रोत्साहनों का योजना वार ब्यौरा निम्नलिखित है :

1. गहन ग्राम विकास कार्यक्रम :

(क) लघु किसान विकास एजेंसी कार्यक्रम

ग्राम विकास विभाग द्वारा शुरू किए गए समन्वित ग्राम विकास और लघु किसान विकास एजेन्सी कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना तथा छोटे और सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के पता लगाये गए लक्षित वर्गों के आय कर को बढ़ाना है। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मत्स्य पालन विकास, दुग्ध पशुओं, तथा भेडों, बकरियों, सूअरों, कुक्कुटों, बत्तखों आदि जैसे अन्य पशुओं के वितरण की योजनाओं को शुरू करने के लिए इन लक्षित वर्गों को उपदान किया जाता है। छोटे तथा सीमान्त किसानों और अनुसूचित जनजातियों के कृषि श्रमिको के मामले में एकक की पूंजीगत लागत के 50 प्रतिशत की दर से उपदान सुलभ किया जाता है, इसके साथ ही व्यक्तिगत लाभभोगियों के मामलों में इसकी उच्चतम सीमा 5000 रुपये हैं।

(ख) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम

ग्राम विकास विभाग के सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए गए डेरी विकास, कुक्कुटपालन और मत्स्यपालन के विकास के महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं :—

1. **डेरी विकास** :—दुधारू पशुओं के वितरण, दोगली किस्म के कलोर आदि के पालन जैसी व्यक्तिगत लाभभोगी उन्मुखी योजनाओं पर आदिवासी समुदायों के छोटे और सीमान्त किसानों को लागत के 50 प्रतिशत की दर से उपदान किया जाता है। गुजरात के सभी सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जिलो में डेरी विकास योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

2. **कुक्कुटादि विकास** :—इस योजना के अन्तर्गत कुक्कुट एककों की स्थापना की लागत के 50 प्रतिशत की दर से आदिवासियों को उपदान सुलभ किया जाता है। वित्तीय सहायता कृषक सहकारी सोसायटियों को भी सुलभ की जाती है। इसी प्रकार कुक्कुटपालनों के लिए भी प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जाता है। कुक्कुटादि विकास कार्यक्रम गुजरात के राजकोट, जामनगर और पंचमहल जिलो में कार्यान्वित किया जा रहा है।

3. **मत्स्य-पालन विकास**:—इस क्षेत्र के अन्तर्गत वित्त-पोषित मुख्य कार्यक्रम घटक ये हैं : मीनशावक फार्मों की स्थापना, संवर्धन तालाब, मत्स्य पालन का पोखरों/तालाबों में विकास, व्यक्तिगत मत्स्य पालकों को मीनशावक, खाद्य, उर्वरक, नाइलोन के जाल, नौकाओं आदि के लिए उपदान, मत्स्य पालको का प्रशिक्षण, सहकारी संगठन/विपणन आदि के लिए सहायता व्यक्तिगत लाभभोगी-उन्मुखी योजना के लिए आदिवासियों और लघु तथा सीमान्त किसानों को लागत के 50 प्रतिशत की सीमा तक उपदान सुलभ किया जाता है। गुजरात में केवल जामनगर और कच्छ जिलों में ही मत्स्य-उद्योग विकास योजना कार्यान्वित की जा रही है।

2. आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रम :

ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित केन्द्रीय क्षेत्र के प्रायोगिक "आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रम" के अन्तर्गत 1972–74 के दौरान आठ आदिवासी क्षेत्र विकास एजेन्सी परियोजनाएं (1) आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले (2) बिहारी के सिंहभूम जिले (3) मध्यप्रदेश के बस्तर जिले की दन्तवाड़ा और (4) कोन्टा तहसीलों (5) उड़ीसा के गंजम (6) कोरापुट (7) क्योंझर और (8) फुलबेनी जिलों में शुरू की गई। ये आदिवासी विकास एजन्सियां आदिवासियों के आर्थिक विकास के क्रोड़ कार्यक्रम के कार्यान्वियन से सम्बन्धित हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ मवेशी विकास, सूअर-पालन, भेड़पालन, बकरीपालन, कुक्कुटपालन, बत्तखपालन और मत्स्य पालन जैसी पशु-पालन परियोजनाओं का विकास शामिल हैं। इन कार्यक्रमों हेतु जहां सृजित की जाने वाली परिसम्पत्तियों का स्वामित्व अथवा रख-रखाव व्यक्तिगत आदिवासी लाभभोगियों द्वारा किया जाता है, वहां एजेन्सी प्रायः पूंजीगत लागत के 50 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता देती है; कुछ मामलों में यह सहायता 75 प्रतिशत होती है, जब कि अन्य कुछ मामलों में यह 100 प्रतिशत भी होती है। ऐसे व्यक्तिगत कार्यक्रमों के उदाहरणों में डेरी, सूअरपालन, बकरी-पालन, कुक्कुट-पालन और बत्तख-पालन शामिल हैं।

इस कार्यक्रम के प्रारम्भ से लेकर जनवरी 1979 तक आठ आदिवासी विकास एजेन्सियों द्वारा विभिन्न पशु-पालन योजनाओं (अन्य के साथ-साथ मवेशी विकास, डेरी कुक्क्कुटपालन शामिल है) और मत्स्य उद्योगों पर 54.96 लाख रूपये

का व्यय सूचित किया गया है। शुरू से लेकर 31 मार्च 1979 तक सभी आठ आदिवासी विकास एजेन्सियों की भौतिक प्रगति इस प्रकार है :—

क्र० सं०	कार्य की मद	एकक	भौतिक उपलब्धि
1	**डेरी**		
	(क) सप्लाई किए गए दुधारू पशु	संख्या	2,448
	(ख) सप्लाई किए गए सांड .	संख्या	97
	(ग) लाभभोगी .	संख्या	2,396
2	**कुक्कुटपालन**		
	(क) वितरित किए गए पक्षी .	संख्या	12,221
	(ख) सप्लाई किए गए मुर्गे	संख्या	9,034
	(ग) सप्लाई की गयी बत्तखें	संख्या	14,046
	(घ) लाभभोगी .	संख्या	15,927
3	**सूअर, भेड़ और बकरियां**		
	(क) वितरित किए गए पशु	संख्या	15,264
	(ख) लाभभोगी	संख्या	5,907
4	**मत्स्य पालन**		
	(क) तालाब . . .	संख्या	32
	(ख) एकत्र किए गए मीनशावक/अंगुलिकाएं . . .	संख्या	758,594

ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात में इस प्रकार की आदिवासी विकास एजेन्सी परियोजना नहीं है। 31 मार्च, 1979 से सभी आठ आदिवासी विकास एजेन्सी परियोजनाओं को गृह मंत्रालय के समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम के साथ मिलाया जा रहा है।

3. मत्स्यपालक विकास एजंसियों की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना

कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही मत्स्यपालक विकास एजेन्सियों की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत अब तक सात मत्स्यपालक विकास एजेन्सियां, कामरूप, डुमका, सूरत, रायपुर, सहडोल, गजंम और दक्षिणी त्रिपुरा के आदिवासी जिलों में गठित की गई हैं। जिलें के आदिवासी लोगों द्वारा तालाबों और मोखरों में गहन मत्स्य कल्चर शुरू करने के लिए सहायता देने के उद्देश्य से इनम से मत्स्यपालक विकास एजेन्सी सूरत गुजरात राज्य में स्थित है तथा शेष छः उसी उद्देश्य से देश के अन्य भागों में स्थित हैं।

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान मत्स्यपालकों को जो कर्मचारी वर्ग के वेतन और भत्तों तथा मीनशावकों के उत्पादन और वितरण हेतु मीनशावक फार्म के रख-रखाव के लिए दिया जाता है। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा मीनशावकों की ढुलाई हेतु परिवहन सुलभ किया जाता है तथा मत्स्यपालकों के प्रशिक्षण की लागत भी भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है। एजेन्सियां मत्स्य कल्चर हेतु उपयुक्त जल क्षेत्रों का पता लगाने के बाद चुने हुए और प्रशिक्षित मत्स्यपालकों द्वारा मत्स्य पालन प्रारम्भ करने के लिए ऐसे जल के निकास का प्रबन्ध करतीं हैं। मत्स्य-पालन को प्रारम्भ करने हेतु सरकार की ओर से ही 25 प्रतिशत उपदान और 75 प्रतिशत ऋण पर आवश्यक निवेश भी सुलभ किए जाते हैं। ये एजेन्सियां अपने को आबन्टित तालाबों और पोखरों के सुधार कार्य शुरू करने के लिए शीर्ष बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से 75 प्रतिशत ऋण प्राप्त करने का प्रबन्ध करती हैं, शेष 25 प्रतिशत उसी कार्य के लिए उपदानों के रूप में सुलभ किया जाता है। निवेशों के मामले में उपदानों हेत प्रति हेक्टयर 1200 रुपये की उच्चतम सीमा है तथा मत्स्य विकास के लिए तालाबों और पोखरों के सुधार के मामले में यह सीमा प्रति हेक्टयर 10,000 रुपये तक हैं।

4. विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम

कृषि विभाग द्वारा संचालित विशेष पशु-धन उत्पादन कार्यक्रमों के अन्तर्गत छोटे/सीमान्त कीसानों और कृषि श्रमिकों, जिनमें जनजाति के लोग और आदिवासी शामिल हैं, को कुक्कुटपालन, सूअरपालन और भेड़पालन के एककों की स्थापना

हेतु उपदान के माध्यम से सहायता सुलभ की जाती है । 4 माह से 28 माह की आयु के दोगली किस्मों के बछड़ों के पालन-पोषण हेतु भी सहायता दी जाती है । ये कार्यक्रम पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए थे तथा इन्हें छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रखा जा रहा है । कुल मिलाकर 183 जिलों में 268 परियोजनाएं संस्वीकृत की जा चुकी हैं । इनमें 93 परियोजनाएं बछड़ेपालन की और 68 कुक्कुट-पालन की हैं । इनमें से गुजरात के 10 जिलों में 14 परियोजनाएं (जिनमें दोगले बछड़ों के पालन की 6, कुक्कुट प्रवर्धन की 6 और भेड़प्रवर्धन की 2 परियोजनाएं हैं) कार्यान्वित की जा रही हैं ।

हिमाचल प्रदेश में स्वरघाट तथा नमहोल स्थित सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के लिये किराया तथा गारंटी

9952. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 1975 में तथा 14 मार्च, 1977 को क्रमश: स्वरघाट (जिला बिलासपुर) और नमहोल (जिला बिलासपुर) पश्चिमोत्तर (सर्कल) में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना के लिए किराये तथा गारंटी की राशि अदा कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त टेलीफोन केन्द्र इस बीच स्थापित किये जा चुके हैं ;

(ग) यदि हां, तो वे किन किन तारीखों को स्थापित किये गए और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और प्रत्येक मामले में किराए तथा गारंटी राशि के रूप में कितनी राशि अदा की गई थी ; और

(घ) उक्त टेलीफोन केन्द्र कब तक स्थापित कर दिए जाने की आशा है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (ज) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ): स्वरघाट और नमहोल के लिए किराया और गारन्टी की राशि की क्रमश: 3450 रुपये और 16,600 रुपये की अदायगी कर दी गई थी । इन स्थानों में 400 किलोवाट की पावर लाइन जो इन भागों/क्षेत्रों पर लगाई जा रही थी उसकी वजह से सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित नहीं किए जा सकें । स्वरघाट में पी० एच०एफ० लिंक खोलने और सार्वजनिक टेलीफोन लगाए जाने की जांच की जा रही है और यदि व्यवहार्य पाया गया तो उसे खोला जा सकता है । राज्य सरकार से फिर भी, रकम लौटाने के लिए आगाह कर दिया गया है । नमहोल में 1979-80 में सार्वजनिक टेलीफोन खोले जाने का प्रस्ताव है ।

वर्ष 1977-78 के लिए विकास कार्यक्रम के बारे में पश्चिम बंगाल के पी० एम० जी० द्वारा परचा परिचालित किया जाना

9953. श्री चित्त बसु : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य के बारे में जानकारी है कि वर्ष 1977-78 के लिए विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में 9 सितम्बर, 1977 को हुई संसद सदस्यों की बैठक में पश्चिम बंगाल सर्किल के पी० एम० जी० द्वारा एक पर्चा परिचालित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कार्यक्रम की प्रगति के परिणामों का मूल्यांकन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो कार्य निष्पादन की प्रगति का ब्यौरा क्या है और यदि कोई कमी रही है तो उसके कारणों सहित उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिए बेहतर पुनर्वास सुविधाएं

9954. श्री चित्त बसु : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री विभिन्न शिविरों में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 582 के 2 अप्रैल, 1979 के दिए गए उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य राज्यों में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास कार्यक्रमों की परिस्थितियों एवं सुविधाओं में सुधार लाने के लिए अब तक क्या विशेष कदम उठाये गए हैं जिससे कि पुनर्वास स्थल छोड़कर चले जाने की सम्भावनाओं को रोका जा सके जैसा कि अभी हाल ही में दण्डकारण्य परियोजना के मामले में हुआ ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : विस्थापित व्यक्तियों द्वारा स्थलों को छोड़ने का मुख्य कारण स्वार्थी तत्वों द्वारा किया गया झूठा प्रचार तथा कुछ भावनात्मक कारण भी थे, पुनर्वास स्थलों में उचित सुविधाओं का अभाव इसका कारण नहीं था। तथापि, वापस आने पर, स्थल छोड़कर चले गए परिवारों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाता है और विशेष मामले के रूप में, उन्हें नकद बेकारी अनुदान, खाद्यान्न, बैलों कृषि औजारों, बीजों, उर्वरकों आदि की खरीद के लिए ऋण के रूप में नवीकृत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यहां तक कि जो परिवार स्थल छोड़कर नहीं गए थे, किन्तु स्थल छोड़ने की तैयारी में जिन्होंने अपना सामान बेच दिया था, प्रायः उन्हें भी इसी प्रकार की वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसके अलावा सिचाई योजनाओं को पूरा करने तथा मकानों और स्कूल भवनों आदि के निर्माण कार्य की गति में तीव्रता लाने के बारे में कार्यवाही की जा रही है। दण्डकारण्य परियोजना में बसाये गये व्यक्तियों के लाभ हेतु 14,370 एकड़ भूमि पर एक खरीपोत्तर बुवाई का कार्यक्रम चालू किया गया था। जिसके परिणाम अच्छे रहे हैं। चालू वर्ष के दौरान खरीफ की फसल के लिए बैलों की खरीद तथा सप्लाई तथा अन्य प्रबन्ध किये जा रहे हैं। नागरिकता प्रमाण पत्र तथा पट्टों का वितरण शीघ्र करने के लिये कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अतः परिस्थितियों तथा सुविधाओं में सुधार लाने के लिए सभी सम्भव कदम उठाए जा रहे हैं।

"पब्लिक डाटा" जाल की स्थापना के लिए विशेषज्ञ दल की सिफारिशें

9955. **श्री सुरेन्द्र बिक्रम :**
श्री चौधरी हरीराम मक्कासर (गोदारा) :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलैक्ट्रानिक आयोग के एक विशेषज्ञ दल ने डाक-तार विभाग को देश में "पब्लिक डाटा" एवं "डायल्ड डाटा" सेवाओं के जाल की स्थापना करने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या सरकार डाक-तार विभाग में उपरोक्त सेवाओं की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) इलैक्ट्रानिक्स आयोग के 15 सदस्यीय विशेषज्ञ दल की उपरोक्त सिफारिश को स्वीकार कर लेने पर जनता को क्या मुख्य लाभ होंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) इलैक्ट्रानिक्स आयोग के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ दल ने निम्नलिखित सिफारिशें की है :—

(i) दल की रिपोर्ट में दी गई दूर प्रक्रिया मांग परियोजनाओं के आधार पर डाक-तार विभाग समुचित "पब्लिक डाटा" दूरसंचार जाल की स्थापना की सम्भावना की जांच शीघ्र करें।

(ii) सार्वजनिक स्वीच टेलीफोन जाल कार्य पर "डायल्ड डाटा" लागू करने की सम्भावना की जांच डाक-तार विभाग द्वारा की जाए और उक्त सुविधा यथा शीघ्र प्रदान की जाए।

(ख) दल की रिपोर्ट में दी गई दूर प्रक्रिया परियोजनाओं के आधार पर इन सेवाओं को लागू करने की सम्भावना की जांच की जाएगी।

(ग) (i) वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र में "डाटा" सूरसंचार के विस्तार की व्यापक गुंजाइश है। बैंकिंग जैसे विशेष क्षेत्र को भी "पब्लिक डाटा" जाल स्थापना से बहुत लाभ हो सकता है।

(ii) सभी स्तरों पर योजना बनाने और कार्यवहन करने के लिए द्रुतगामी, विश्वसनीय और एकत्रीकरण करन की दक्ष विधि, प्रक्रिया और सूचना विनिमय की आवश्यकता है। इसके मुकाबले डाटा जाल कार्य के साथ कम्प्यूटर के प्रयोग की व्यवस्था की जा सकती है।

(iii) योजना और सुरक्षा क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय, क्षेत्रीय और राज्यों के स्तर पर डाटा आधारों के परस्पर संपर्क प्रस्थापित करने की आवश्यकता है।

गहूं की नई किस्म

9956. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री 'हिन्दुस्तान टाइम्स' दिनांक 10 अप्रैल, "न्यू हूवीट वराइटीज विल इन्क्रीज प्रोडक्शन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशियों द्वारा हमारे देश में गेहूं के उत्पादन तथा अनुसंधान के बारे में किस प्रकार के सुधार पाये गए और सराहे गए ;

(ख) हमारा देश गेहूं की किस्म तथा उत्पादन के सम्बन्ध में अनेक अन्य देशों से किस प्रकार आगे हैं ; और

(ग) क्या सरकार का यह निश्चय है कि देश में गेहूं की किस्म तथा उत्पादन में अधिक तथा और अधिक सुधार लाया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह) : (क) भारत का गेहूं उत्पादन वर्ष 1964 से शुरू होने वाली अवधि के दौरान लगभग 10 लाख 20 हजार टन से बढ़कर 30 लाख 10 हजार टन हो गया । इस परिमाण तक कृषि उत्पादन की प्रगति की दुनिया में कम ही मिसालें हैं और इसकी भारत में तथा विदेशों में सराहना की गयी है । गेहूं के उत्पादन में यह वृद्धि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सम्पूर्ण समन्वय के अन्तर्गत गेहूं की फसल पर अनुसंधान के सुव्यवस्थित राष्ट्रीय कार्यक्रम द्वारा सम्भव हो सकी । भारत में, गेहूं अनुसंधान के विभिन्न पहलूओं पर लगे विज्ञानी और संस्थानों की संख्या सम्भवतया विश्व में सबसे अधिक है । अखिल भारतीय समन्वित गेहूं सुधार प्रायोजना के देश के विभिन्न भागों में कृषि विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय संस्थानों सहित 30 केन्द्र और अनेक उपकेन्द्र हैं । ये अनुसन्धान केन्द्र अपने कार्यक्रमों में अखिल भारतीय समन्वित गेहूं सुधार प्रायोजना के माध्यम से समाकलित कर दिए गए हैं । जो अनुसंधान की व्यवस्था के लिए एक नमूना बन गए हैं और जिनकी सराहना विकासशील देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ओर से की गई है ।

(ख) भारत की गेहूं उत्पादन प्रौद्योगिकी दुनिया की सर्वोत्कृष्ट प्रौद्योगिकियों में से है । देश में सुधरी हुई किस्में अत्यधिक संख्या में हैं जिनकी उपज क्षमता लगभग 6–7 टन प्रति हैक्टर है और जिनकी तुलना 140 से 150 दिनों में पकने वाली दुनिया की सर्वोच्च उपज की किस्मों से की जा सकती है । अनेक नई किस्में रोग रोधिता की उच्च मात्रा, विशेषकर तीनों रतुओं के प्रति, रखने के लिए जानी जाती है । गत वर्ष भारत ने इन किस्मों के बीजों को बड़ी मात्रा में पाकिस्तान को उसके अनुरोध पर दिया था । इन किस्मों के द्वारा देश को गेहूं उत्पादन में वृद्धि बरकरार रखने में सहायता मिली है । भारत के गेहूं विज्ञानियों ने हाल के वर्षों में बहुपंक्ति किस्मों को विकसित करने पर पर्याप्त ध्यान दिया है जिससे उनमें विभिन्न स्रोतों से रोग रोधिता आयी है । भारत विश्व में ऐसा प्रथम देश है जिसने गेहूं की बौनी जाती की बहु-पंक्ति किस्में जारी की हैं । भारत के गेहूं कार्यक्रम में प्रमुख बल उपज के उच्च स्तर पर दिया गया है और इस मामले में विश्व आधार पर भारत की स्थिति अति महत्वपूर्ण है । अब हमारे विज्ञानी गेहूं की नई किस्मों की गुणवत्ता बढ़ाने पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दे रहे हैं ।

(ग) जी हां, श्रीमान ।

खरीफ की फसल के लिए बीज तथा उर्वरक

9957. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आगामी खरीफ की फसल के लिए किसानों को बीज, उर्वरक आदि उपलब्ध कराने हेतु सुविधाएं जुटाने के लिए कोई कार्यक्रम बना रही है ताकि किसानों को समय पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार किन एजेन्सियों के माध्यम से इन सुविधाओं को किसानों को उपलब्ध करायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : यह उल्लेख करना उपयुक्त प्रतीत होता है कि बीजों और उर्वरकों आदि के वितरण का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है । तथापि, भारत सरकार इस बात को सुनिश्चित करने में राज्यों को सहायता देती है कि ये मदें कृषकों को समय पर उपलब्ध हो सकें । खरीफ के चालू मौसम के लिए जिस तरीके से यह कार्य किया गया उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) **बीज** : भारत सरकार ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे इस बात का पता लगाये की क्या खरीफ 1979 के लिए बीजों की किसी प्रकार की कमी थी ताकि उन्हें उन स्रोतों से अवगत कराया जा सके जिनसे कमी की पूर्ति हो सकती है । अभी तक किसी भी राज्य से कमी होने की सूचना नहीं मिली है । राष्ट्रीय बीज निगम को निर्देश दे दिया गया है कि वह राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए रखें तथा किसी प्रकार से कमी होने पर उनकी मदद करें ।

(2) **उर्वरक** : खरीफ 1979 के लिए प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र/जिस बोर्ड की उर्वरकों की आवश्यकताएं मौसम के प्रारम्भ होने से पहले क्षेत्रीय सम्मेलनों में निश्चित की गई थीं । घरेलू निर्माताओं तथा आयात से उर्वरकों की आपूर्ति की एक समन्वित योजना उसी समय तैयार की गई थी ताकि उक्त आवश्यकताओं की पूर्णतः पूर्ति की जा सके । राज्य सरकार

के अधिकारियों देसी निर्माताओं तथा एजंसियों (जो आयातित उर्वरकों का संचालन करते हैं) के साथ सप्लाई की स्थिति का पुर्नविलोकन करने के लिए समय समय पर बैठकें हुई हैं, ताकि कमी का पता लगाया जा सके और आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त उपाय किये जाएं।

(3) **कीटनाशी दवाएं** : उर्वरकों की तरह कीटनाशी दवाओं की राज्यवार/क्षेत्रवार आवश्यकताएं खेती का मौसम शुरू होने से पहले हुई क्षेत्रीय सम्मेलन की बैठक में तथा राज्य सरकारों और देसी उद्योग के साथ अखिल भारतीय वनस्पति रक्षण सम्बन्धि वार्षिक सम्मेलनों में निश्चित की गयी थी, इससे इस बात को सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि राज्य सरकारों को कीटनाशी दवाओं की सम्भावित उपलब्धि की जानकारी मिल सकें तथा उद्योग को अपनी मांग का पता चल सके ताकि मांग के अनुसार उत्पादन किया जा सके। कमी होने की स्थिति में उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके आयात करने की योजना बनाई जाती है।

विभागीय विक्रय डिपुओं, सहकारी विपणन संघों, कृषि उद्योग सहकारिताएं, पंचायतें आदि अनेक एजेन्सियां कीटनाशी दवाओं का वितरण करती हैं। व्यापारियों ने देश के विभिन्न भागों में अपने उत्पाद कृषकों को सीधा बेचने के लिए विक्रय केन्द्रों का एक जाल बिछाया हुआ है।

हाथ से संचलित होने वाले टैलीफोन केन्द्रों वाले स्थान परकालों में विलम्ब होना

9958. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जिन स्थानों में हाथ से संचालित होने वाले टेलीफोन केन्द्र है वहां टेलीफोन उपभोक्ताओं को घण्टों प्रतीक्षा करनी पड़ती है और तब भी उन्हें कनेक्शन नहीं मिल पाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) हाथ से संचालित होने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों में उपभोक्ताओं को कभी-कभी कनेक्शन जोड़ने में कुछ कठिनाई का अनुभव हो रहा है।

(ख) मुख्य कारण हैं :—

(i) आपरेटरों द्वारा जवाब देने में विलम्ब।

(ii) कुछ खास मौकों पर उपस्कर का त्रुटिपूर्ण संचलन।

(ग) (i) प्रचालक कर्मचारियों द्वारा तुरन्त जबाब दिया जाए, इसे सुनिश्चित करने के लिए बेहत्तर पर्यवेक्षण।

(ii) अतिशीघ्र दोष निवारण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और सक्षम कर्मचारियों का लगाया जाना।

(iii) हस्तचालित एक्सचेन्जों को उत्तरोत्तर स्वचालित एक्सचेजों में बदला जा रहा है।

दूरसंचार विभाग (विंग) में जूनियर इंजीनियरों के वेतनमान

9959. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग में जूनियर इंजीनियरों को एस० जी० ए० ई० ए० / एस० जी० आर० एस० ए०/ एस० जी० पी० आई०/एस० जी० डब्ल्यू० ओ० आदि के संवर्गों में काम कर रहे उनके अधीनस्थ कर्मचारियों से कम वेतन अदा किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि एस० जी० ए० ई० ए०/एस० जी० आर० एस० ए०/एस० जी० पी० आई०/एस० जी० डब्ल्यू० ओ० आदि के वेतनमान में पुनरीक्षण के परीणामस्वरूप एस० जी० ए० ई० ए०/एस० जी० आई० एस० जी० डब्ल्यू० ओ० आदि के संवर्गों में पदोन्नति होने पर उन्हें कम वेतन मिल रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो जूनियर इंजीनियरों के वेतनमान में पुनरीक्षण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी, नहीं। फिर भी दोनों काडरों के वेतनमान निम्न हैं :—

	ओ०जी०	एस० जी०
जूनियर इंजीनियर . .	रुपये 425-700	रुपये 550-900
एस०जी०आर०एस०ए० आदि . .		रुपये 425-750 (तारीख 29-5-78 से रु० 425-640 संशोधित)

(ख) जी नहीं।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

संसद सदस्यों के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट

9960. श्री ईश्वर चौधरी : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने संसद सदस्यों ने फ्लैटों की खरीद के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास अपने नाम पंजीकृत किये हैं और कब किये हैं ; और

(ख) क्या उन्हें अब तक फ्लैट आबन्टित किए गए हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के आबन्टन के लिए इस प्रकार संसद सदस्यों का ऐसा कोई पंजीकरण नहीं किया गया। जब कभी संसद कोटे में फ्लैट उपलब्ध होते हैं, दिल्ली विकास प्राधिकरण लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों के जरिए आवेदन पत्र आमन्त्रित करता है। 2-1-1979 से संसद सदस्यों और अन्य कई वर्गों के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया गया है।

(ख) 42 संसद सदस्यों को फ्लैट का आबन्टन किया गया था।

बड़े नगरों के ट्रंक एक्सचेंजों में पुरुष तथा महिला आपरेटरों का अनुपात

9961. प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पहले 10 प्रमुख नगरों में मुख्य ट्रंक एक्सचेन्जों में पुरुष तथा महिला आपरेटरों का अनुपात कितना है ;

(ख) क्या वर्ष 1979-80 में उपरोक्त एक्सचेन्जों में काम करने वाले आपरेटरों की संख्या में वृद्धि और/या उपरोक्त अनुपात में परिवर्तन करने का विचार है; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) देश के दस प्रमुख नगरों के ट्रंक और आटो मैनुअल एक्सचेन्ज में पूर्णरूपेण स्त्रियां ही कार्यरत हैं। अतः ऐसे एक्सचेंजों में पुरुष तथा महिला आपरेटरों के अनुपात का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उच्चत्त र प्रबन्धक स्तर पर प्रशासन की व्यवस्था में सुधार

9962. प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उच्चतर प्रबन्ध स्तर पर प्रशासन व्यवस्था में कोई सुधार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है और किस प्रयोजन के लिए किया गया है ; और

(ग) क्या उसके अनुसंधान तथा वैज्ञानिक अध्ययन और क्रियाकलापों की स्कीम में सुधार हुआ है और उसम वृद्धि हुई है और यदि हां, तो किस प्रकार ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह): (क) और (ख): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उच्चतर प्रबन्धकीय पदों को एक साथ वर्गीकृत किया गया है और उनके लिए भर्ती नियम बनाये गए हैं। इन नियमों की एक प्रमुख विशेषतः यह है कि समस्त पद विज्ञापन द्वारा और पांच वर्ष की अवधि के लिए भरे जाएंगे। यह अवधि आगे भी अधिक से अधिक पांच वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।

(ग) क्योंकि परिषद में अनुसन्धान के प्रबन्ध हेतु उच्चतर वैज्ञानिक पदों के लिए भर्ती नियम 1-4-1976 से प्रवृत्त हुए हैं अतः अनुसंधान और वैज्ञानिक कार्य की गुणवत्ता के प्रभाव का पता लगाने के लिए अब तक कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि, सीधी भर्ती और नियुक्ति की सावधिक प्रणाली दोनो परिषद के अनुसंधान प्रबन्ध संवर्ग में नयी प्रतिभा प्रतिष्ठित करने में सहायक होगी और गुणवत्ता में इनके द्वारा सुधार आना चाहिए।

9—205 लोक सभा/79

भारत में बनी अंग्रेजी शराब के उत्पादन में कटौती

9963. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नशाबन्दी नीति के क्रियान्वयन के सन्दर्भ में भारत में बनी अंग्रेजी शराब के उत्पादन में कटौती करने के लिए डिस्टिलरियों को कहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ख) गत वर्ष के दौरान विभिन्न डिस्टिलरियों में उत्पादन पर किस सीमा तक रोक लगाई गई और चालू वर्ष के लिए कितनी रोक लगाने का विचार है ; और

(ग) क्या इस कारण अब तक कोई डिस्टिलरी बन्द की गई है और यदि, हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्री धर्मासिंह गुलशन) : (क) और (ख) : नशाबन्दी के क्रियान्वयन हेतु इस विभाग द्वारा इस राज्य सरकारों को सुझाव के रूप में दी गई मार्गदर्शिकाओं में अन्य बातों के साथ पेय-प्रयोजनों के लिए अल्कोहल के आबन्टन में कमी करना शामिल है। कुछ राज्य सरकारों ने इस दिशा में उपाय किए हैं।

(ग) किसी डिस्टिलरी के बन्द होने की सूचना नहीं है ।

महानगरों में गृह कर की दर में अन्तर

9964. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, जो सभी "ए" श्रेणी के नगर हैं जैसे महानगरों में मकान मालिकों से वसूल की जाने वाली गृह कर की दरें भिन्न-भिन्न हैं ;

(ख) यदि हां, तो गृह कर की दरों में अन्तर के क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार देश के एक ही श्रेणी के नगरों में लागू गृह कर की दरों में समानता लाने पर विचार कर रही है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां, महानगरों में गृह कर की दरों में काफी अन्तर है ।

(ख) कर लगाने तथा कर की दरें निर्धारित करने का कार्य प्रत्येक राज्य में निगमों/नगरपालिकाओं द्वारा नगर-पालिका अथवा निगम अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है ।

(ग) गृह कर की दरों में एकरूपता रखने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि नगर कर-निर्धारण राज्य का विषय है ।

विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा विकास हेतु गांवों को लिया जाना

9965. **श्री के० टी० कोसलराम : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा विकास हेतु गांवों को लिए जाने सम्बन्धी योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) इस योजना के सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) योजना की मुख्य बातें निम्नप्रकार हैं :—

(1) "विदेश स्थित भारतीय निवासियों द्वारा ग्रामों को अपनाना" अथवा साविरा नामक योजना के अन्तर्गत वे सभी अखिल भारतीय नागरिक तथा भारतीय मूल के लोग जो भारत के बाहर रह रहे हैं और ऐसे नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों की पंजीकृत संस्थाएं आती हैं ।

(2) उद्देश्य यह है कि ग्राम विकास प्रक्रिया में, मुख्यतः ग्रामों को अपनाकर विदेशों में रह रहे भारतीय निवासियों को शामिल किया जाए ।

(3) ग्राम को अपनाने का अर्थ या तो इसके कुल विकास की जिम्मेदारी लेना है, या इसे स्कूल अथवा औषधालय के निर्माण जैसी विकास की एक विशेष मद तक सीमित रखना है ।

(4) कार्यान्वयन के लिए दान स्वीकार करने, ग्रामों का चयन करने, एजेन्सियों का पता लगाने आदि सम्बन्धी नीति निर्णय ग्राम विकास विभाग के अपर सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति द्वारा लिए जाएंगे जिसमें

भारतीय लोक विकास कार्यक्रम (पिपल्स एक्शन फार डेवलेपमेन्ट, इण्डिया) के सचिव और अन्य सरकारी व गैर-सरकारी व्यक्ति भी शामिल हैं। राज्य प्रतिनिधियों को भी आवश्यकता पड़ने पर आमन्त्रित किया जाएगा।

(5) कार्यान्वियन के लिए एजेन्सी का पता भारतीय लोक विकास कार्यक्रम द्वारा लगाया जाएगा। जहां कहीं भारतीय लोक विकास कार्यक्रम कार्यान्वियन के लिए एजेन्सी का पता लगाने/चयन करने में असमर्थ होगा वहां राज्य सरकारों से भी परामर्श किया जाएगा।

(6) निधियां भारतीय लोक विकास कार्यक्रम द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो प्राप्तियों और भुगतानों से सम्बंधीत अभिलेख रखेगा। प्रतिवर्ष न्यूनतम अंशदान 1000 अमेरीकी डालर निर्धारित किया गया है।

(ख) अब तक भावी दानदाताओं से 31 अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिनमें से 4 ठोस प्रस्तावों के रूप में हैं और शेष में योजना के बारे में सूचना मांगी गई है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदाम का निर्माण

9966. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने देश में अनाज को सुरक्षित रखने के लिए कितने गोदामों का निर्माण किया और उनकी भण्डारण क्षमता कितनी है ;

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने राज्यवार कितने गोदामों को किराये पर लिया और प्रति वर्ष कितने किराये का भुगतान किया ; और

(ग) ऐसे गोदामों की संख्या कितनी है जिनका निर्माण सहकारी समितियों ने किया और उन्हें भारतीय खाद्य निगम को ठेके पर दिया और इन समितियों के नाम और ब्यौरा क्या है ;

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह): (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा बनवाए गए गोदामों की कुल संख्या 406 है जिनकी कुल क्षमता 71.79 लाख मीटरी टन है। गोदामों के राज्य वार ब्यौरे विवरण I पर संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराए पर लिए गए गोदामों की कुलसंख्या 1729 है। गैर-सरकारी पार्टियों और राज्य सरकार के गोदामों से किराए पर ली गई क्षमता के लिए 1977–78 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिया गया वार्षिक किराया 914.89 लाख रुपये है। किराये पर लिए गए गोदामों के राज्यवार ब्यौरे विवरण II पर संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के पास केवल कुछ क्षेत्रों के बारे में सूचना उपलब्ध है और अन्य के बारे में तुरन्त उपलब्ध नहीं है। सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण I

भारतीय खाद्य निगम द्वारा बनवाए गए गोदामों का राज्यवार ब्योरा देने वाला विवरण

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	निजी गोदामों की संख्या	क्षमता
1	2	3	4
1	जम्मू और कश्मीर	2	14.04
2	काण्डला	—	—
3	एन० ई० एफ० रीजन	5	18.00
4	दिल्ली	3	165.77
5	पश्चिमी बंगाल	26	677.98
6	मध्य प्रदेश	39	492.34
7	उड़ीसा	18	157.08
8	उत्तर प्रदेश	39	887.30

विवरण I—जारी

1	2	3	4
9	आन्ध्र प्रदेश	24	427.65
10	महाराष्ट्र	8	879.41
11	असम	25	180.46
12	कर्नाटक	8	94.03
13	गुजरात	6	196.35
14	केरल	17	327.84
15	हिमाचल प्रदेश	—	—
16	हरियाणा	28	354.01
17	पंजाब	98	1318.71
18	तमिलनाडु	10	357.44
19	राजस्थान	34	346.00
20	बिहार	16	284.40
	जोड़	406	7178.81

विवरण II

भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराए पर लिए गए गोदामों का राज्यवार ब्यौरा देने वाला विवरण

क्रम सं०	क्षेत्र का नाम	किराए पर लिए गए गोदामों की संख्या
1	जम्मू और कश्मीर	7
2	काण्डला	4
3	एन० ई० एफ० रीजन	18
4	दिल्ली	3
5	पश्चिमी बंगाल	229
6	मध्य प्रदेश	260
7	उड़ीसा	20
8	उत्तर प्रदेश	204
9	आन्ध्र प्रदेश	162
10	महाराष्ट्र	19
11	जे० एम० (पी० ओ०) कलकत्ता	13
12	असम	132
13	कर्नाटक	61
14	जे०एम० (पी०ओ०) मद्रास	3
15	गुजरात	76
16	केरल	62
17	शिमला (एच० पी०)	14
18	हरियाणा	73
19	पंजाब	85
20	तमिलनाडु	73
21	राजस्थान	131
22	बिहार	80
	जोड़	1729

गेहूं की वसूली का लक्ष्य

9967. श्री शंकर सिंह जी० वाघेला :

डा० विजय मंडल :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चालू मौसम के दौरान गेहूं के उत्पादन का अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो अनुमानतः कितना गेहूं पैदा होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या सरकार ने गेहूं की वसूली का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो किस दर पर ; और

(घ) क्या इस कार्य के लिए गोदामों की भी व्यवस्था की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) चालू मौसम के लिए गेहूं के उत्पादन के अनुमान कृषि वर्ष के अन्त के बाद अर्थात जुलाई-अगस्त, 1979 में किसी समय उपलब्ध होंगे ।

(ख) मौजूदा संकेतों के अनुसार गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के 313 लाख मीटरी टन के उत्पादन से मामूली अधिक होने की सम्भावना है ।

(ग) क्योंकि गेहूं की वसूली मूल्य समर्थन उपायों के रूप में की जाएगी इसलिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है । सरकार ने उत्पादकों द्वारा बिक्री के लिए लाए गए उचित औसत किस्म के गेहूं की सारी मात्रा 115/– रुपये प्रति क्विन्टल पर खरीदने का निश्चय किया है ।

(घ) गेहूं के भण्डारण के बारे में स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने कई पग उठाए हैं जोकि इस प्रकार हैं:—

(1) चट्टों की ऊंचाई बढ़ाकर खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए मौजूदा क्षमता का अनुकूलतम उपयोग किया जा रहा है ।

(2) सरकारी एजेन्सियों द्वारा विभिन्न स्रोतों से नीजी स्थान को किराए पर लेने का आश्रय भी लिया जा रहा है । इसके अलावा, जहां आवश्यक होता है वहां कैंप स्टोरेज का अल्पकालीन उपाय के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है ।

(3) विश्व बैंक की सहायता से 37.57 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता के निर्माण की एक परियोजना शुरू की गई है जिसके 1981–82 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है । यह क्षमता प्रत्येक केन्द्र पर 25,000 मीटरी टन और अधिक की अपेक्षाकृत अधिक क्षमता के गोदामों के बफर स्टोरेज के रूप में होगी । इसमें 25 लाख मीटरी टन क्षमता के रूढ़िगत गोदाम, 10 लाख मीटरी टन के बल्क स्टोरेज और 75,000 मीटरी टन के साइलो हैं ।

(4) भारतीय खाद्य निगम ने निर्धारित विनिर्दिष्टियों के गोदाम बनवाने के लिए प्राइवेट पार्टियों को प्रोत्साहित करने की एक योजना शुरू की है । ये गोदाम भारतीय खाद्य निगम को विशिष्ट शर्तों पर किराये पर दिए जाएंगे । निगम ने अब तक लगभग 40.4 लाख मीटरी टन की क्षमता प्राप्त कर ली है ।

(5) केन्द्रीय और राज्य भाण्डागार निगमों की अधिकांश क्षमता भारतीय खाद्य निगम के प्रयोग के लिए होती है ।

बागान श्रमिकों के लिये कम लागत वाले मकान

9968. श्री के० मालन्ना : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में वर्षवार, गन्दी बस्तियों में सुधार और कम लागत वाले मकान बनाने के लिए विभिन्न राज्यों को दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सरकार की नई योजनाओं की क्रियान्विति के सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क) : गन्दी बस्ती क्षेत्रों के पर्यावरणीय सुधार की योजना राज्य क्षेत्र में है । इस योजना के कार्यान्वियन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को कोई सीधी वित्तीय सहायता नहीं दी जाती । बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना जो असम, त्रिपुरा, पश्चिम

बंगाल, कर्नाटक केरल और तमिलनाडु की छः राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक केन्द्रीय योजना है, के अन्तर्गत 1976-77, 1977-78 और 1978-79 वर्षों के दौरान निम्नलिखित राशियों का नियतन किया गया और दी गई :--

(लाख रुपयों में)

राज्य	1976-77	1977-78	1978-79
असम . .	15.00	85.00	70.00
त्रिपुरा . .	1.50	2.50	शून्य
पश्चिम बंगाल	44.00	94.50	77.50
कर्नाटक .	शून्य	शून्य	शून्य
केरल .	19.50	28.00	12.50
तमिल नाडु	शून्य	शून्य	शून्य
कुल . .	80.00	210.00	160.00

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के अनुसार, बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना के आरम्भ होने से अब तक स्वीकृत और पूरे किए गए मकानों की संख्या इस प्रकार है :--

राज्य	स्वीकृत	मकानों की संख्या
असम	12308	7379
त्रिपुरा	58	32
पश्चिम बंगाल	10363	7301
कर्नाटक	·1130	300
केरल .	578	578
तमिलनाडु	948	512
	25285	16102

दण्डकारण्य परियोजना के अन्तर्गत पुनः बसाये गये जनजाति परिवार

9969. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना के अन्तर्गत परलकोट क्षेत्र मे अब तक कितने जनजाति परिवारों को बसाया गया है ; और

(ख) कितने ऐसे परिवारों को अभी वहां बसाया जाना है और उन्हें कब बसाया जाएगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) : दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण और मध्य प्रदेश सरकार के बीच हुए पारस्परिक समझौते के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध की गई भूमि में से भूमि का उद्धार किए जाने के पश्चात 25% भूमि आदिवासियों के पुनर्वास हेतु वापस करने की अपेक्षा है। 28-2-79 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश के दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र में आदिवासियो के पुनर्वास के लिए, जिसमें परलकोट और कोंडागांव जोन शामिल हैं, 15084 एकड़ भूमि उपलब्ध की जानी थी जिसमें से 12,350 एकड़ भूमि उपलब्ध की जा चुकी है और शेष भूमि 2,734 एकड़ रह जाती है। उपलब्ध की गई भूमि पर 1,587 आदिवासी परिवारों को बसाया गया है। चूंकि उस क्षेत्र में और भूमिहिन आदिवासी परिवारों को खोजने में राज्य सरकार को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, अतः राज्य सरकार को, आदिवासी परिवारों को बसाने हेतु अन्यथा स्वीकार्य वित्तीय सहायता के साथ-साथ शेष देय भूमि के उद्धार की लागत के तुल्य निधि लेने तथा उस क्षेत्र के आदिवासियों के सामान्य कल्याण के लिए इस निधि को प्रयोग में लाने की पेशकश की गई थी।

टेलीफोन केन्द्रों से अनधिकृत रूप से टेलीफोन ट्रंक कालों के करने से सरकार को हानि

9970. डा० रामजी सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में टेलीफोन केन्द्रों से "दो नम्बर के टेलीफोन ट्रंक काल" भी काफी होते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इससे वार्षिक कुल कितनी हानि होती है,; और

(ग) इसको रोकने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इस सम्बन्ध में सरकार की असफलता के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय): (क) समय-समय पर ट्रंक एक्सचेन्जों से की गई अनधिकृत टेलीफोन ट्रंक काल की कुछ शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं ।

(ख) ऐसी हानि का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

(ग) बड़े ट्रंक एक्सचेन्जों में टंक कालों को मानिटर करने के लिए पर्यवेक्षण यूनिटों की व्यवस्था की गई हैं और ऐसी अनियमितताओं के लिए जिम्मेवार कर्मचारियों को उचित दण्ड दिया जाता है । महानगरों में आकस्मिक छापे मारने और ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए विशेष उन-दस्तो का गठन किया गया है ।

खाद्यान्नों के संयुक्त निरीक्षण के लिए राज्यों को परामर्श

9971. श्री श्याम सुन्दर लाल :

श्रीमती मोहसिना किदवई :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिकतर राज्यों ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा खराब और बदबूदार खाद्यान्न की सप्लाई करने की शिकायतें की है । सरकार ने राज्यों को भण्डारों का समुचित परिरक्षण सुनिश्चिन करने के लिए भण्डागारों का संयुक्त निरीक्षण करने का परामर्श दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारो की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह): (क) और (ख): कुछ राज्य सरकारो से खाद्यान्नों, जोकि उन्हें सप्लाई किए गए थे, की क्वालीटी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं । राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण और काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए खाद्यान्न लेने से पहले स्टाक का निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है । उचित दर को दुकानों से दिए जाने वाले खाद्यान्नों के मुहरबन्द नमूने दुकानों पर रखे जाते हैं ताकि उपभोक्ता उन नमूनों से सप्लाई किए गए खाद्यान्नों का मिलान कर सकें । शिकायतो का शीघ्र निपटान करने के लिए खाद्य विभाग में एक गुण निरीक्षण सेल बनाया गया है । खाद्यान्नों के स्टाक के बेहतर परिरक्षण के लिए राज्य सरकार के स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं । भारतीय खाद्य निगम को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए केवल गुण विनिर्दिष्टियों के अनुरुप ही स्टाक दिया जाए ।

गंगा और यमुना से राजस्थान को सिंचाई के लिये पानी की सप्लाई

9972. चौधरी हरीराम मक्कासर गोदारा : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान को सिंचाई के लिए गंगा और यमुना दोनों से पानी मिलेगा ;

(ख) यदि हां, तो कितना पानी दिया जाएगा और कितनी भूमि की सिंचाई हो सकेगी ; और

(ग) क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) : राजस्थान मुख्य गंगा नदी का बेसिन राज्य नहीं है । यह यमुना नदी के बेसिन राज्यों में से एक है और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के बीच यमुना नदी के जल के बंटवारे के बारे में अधिकारियों के स्तर पर विचार विमर्श किया जा रहा है । इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि राजस्थान को कितना जल आवन्टित किया जाएगा और कितनी भूमि की सिंचाई की जायेगी ।

"हुडको" द्वारा केरल के लिये आवास योजना

9973. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने एक जबरदस्त आवास योजना प्रारम्भ करने हेतु हुडको की वित्तीय सहायता के लिए केन्द्र सरकार से कहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) केरल की ऐसी कौन-कौन सी योजनाएं हैं जिनके लिए हुडको की वित्तीय सहायता मिल रही है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) हुडको ने अभी तक केरल की 5 विभिन्न एजेन्सियों की 35 योजनाएं मंजूर की हैं ।

(घ) इन 35 योजनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(31-3-1979 की स्थिति के अनुरूप)

क्रम सं०	एजेन्सी	योजनाओं की संख्या	ऋण की राशि (लाख रुपये)	मकानों/प्लाटों की संख्या
1	केरल राज्य आवास बोर्ड	22	1010.79	29453 मकान 35 प्लाट
2	ग्रेटर कोचीन विकास प्राधिकरण	9	642.46	2029 मकान
3	केरल फिशरमैनस् वेलफेयर कारपोरेशन लिमिटेड.	1	200.00	10000 मकान
4	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए केरल राज्य विकास निगम लिमिटेड	2	260.00	12200 मकान
5	केरल अपैक्स कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि०	1	22.91	55 मकान
	कुल	35	2136.16	53737 मकान 35 प्लाट

जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी स्टाफ एसोसिएशन की मांग

9974. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी स्टाफ एसोसिएशन ने अपनी उन महत्वपूर्ण मांगों पर जोर देन के लिए 5 अप्रैल, 1979 से अनशन प्रारंभ किया था जिनका उन्होंने 30 मार्च. 1979 को वाइस-चांसलर को दिए गए पत्र में उल्लेख किया था ;

(ख) यदि हां तो उनके आंदोलन व मांगों का ब्यौरा क्या है और सरकार अथवा जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय के प्रशासन ने इस स्थिति से निबटने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) : जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ ने आवास तथा गृह निर्माण [ऋण, सेलेक्शन ग्रेडों के जारी रखने, दैनिक मजदूरी वाले कार्यकर्ताओं को नियमित करने, अतिरिक्त पदों के सृजन, बेहतर वर्दियां देने, ग्रुप बीमा तथा एक स्वास्थ्य केन्द्र आदि की व्यवस्था से संबंधित कुलपति] को संबंधित अपने 30 मार्च, 1979 के पत्र में उल्लिखित मांगों के समर्थन में 5 अप्रैल, 1979 से अनशन प्रारंभ किया था । विश्वविद्यालय के रैक्टर से दिनांक 1 मई, 1979 का उत्तर प्राप्त होने पर जिसनें उनकी प्रत्येक मांग पर की गई अथवा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई का संकेत दिया गया था, संघ ने 2 मई, 1979 को आन्दोलन वापस ले लिया । विश्वविद्यालय के उत्तर का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय
रैक्टर

न्यू महरोली रोड,
नई दिल्ली—110067.
1 मई, 1979

प्रिय महासचिव,

यह पत्र 30 मार्च, 1979 के आपके पत्र में उल्लिखित 9 प्रश्नों से संबंधित हमारे पिछले पत्र के क्रम में है। इन प्रश्नों के संबंध में विश्वविद्यालय की स्थिति इस प्रकार है :—

i. आवास समस्या :

छठी योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित टाइप के क्वार्टरों के निर्माण हेतु धन की व्यवस्था करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध करेगा।

(क) टाइप I क्वार्टर . . . . 150 सं०
(ख) टाइप II क्वार्टर . . . . 200 सं०
(ग) टाइप III क्वार्टर . . . . 50 सं०

समझा जाता है कि मकानों के निर्माण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से ऋण प्राप्त होने की संभावना है।

जैसा कि आपको विदित है, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय गृह सहकारी सोसायटी को यथाशीघ्र पंजीकृत कराने हेतु कदम उठाए गए हैं। जैसे ही सोसायटी पंजीकृत हो जाएगी, यह विश्वविद्यालय के माध्यम से 'हुडको' से भी अनुरोध कर सकती है, जिसमें मकानों के निर्माण के लिए ऋण की प्रार्थना की जाएगी।

एन० ए० ए० कैम्पस के टाइप I क्वार्टरों में इस समय रह रहे विवाहित छात्रों को, विवाहित छात्रों के लिए निर्माणाधीन छात्रावास में, उसका निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर वहां भेजने के लिए राजी करने हेतु प्रयास किए जाएंगे। टाइप I क्वार्टरों के खाली हो जानें पर उन्हें स्टाफ को आवंटित कर दिया जाएगा।

समाज विज्ञान स्कूल के वर्तमान भवन में कमरों के आवंटन के बारे में चर्चा करने का अभी समय नहीं है।

ii. प्रवरण ग्रेड :

कार्यकारी परिषद ने 30 अप्रैल, 1979 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित संकल्प पारित किए :—

(1) ग्रुप 'ग' और 'घ' संवर्ग के प्रवरण ग्रेड पदों की संख्या 31 मार्च, 1979 तक संस्वीकृत प्रत्येक वर्ग के पदों का 20 प्रतिशत होनी चाहिएं। जिन स्टाफ सदस्यों को निर्धारित प्रतिशतता से अधिक प्रवरण ग्रेड प्रदान कर दिए गए हैं, उनके मामलों के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके नियमित किया जाएगा।

(2) दोनो ग्रुप 'ग' और 'घ' संवर्गों के संबंध में प्रवरण ग्रेड के पदों की प्रतिशतता को विश्वविधालय अनुदान आयोग द्वारा सम्पुष्टि होने तक 1 अप्रैल, 1979 से 20 से बढ़ाकर 50 कर दिया जाएगा।

(3) ग्रुप 'ग' और 'घ' में सभी पात्र वर्गों को इन दोनों को अपने-अपने ग्रुपों में प्रवरण ग्रेड के पदों की प्रतिशतता निर्धारित करने के प्रयोजन से उन्हें एक इकाई के रूप में एक साथ रखा जाएगा।

(4) प्रवरण ग्रेड पद प्रदान करने की पात्रता के लिए सेवा अवधि वही बनी रहेगी जो कि विश्वविद्यालय के प्रोन्नति नियम (1977) में निर्धारित की गई है।

(5) प्रवरण ग्रेड का वेतनमान और अन्य शर्तें वही होंगी, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

विवरण—जारी

(6) वास्तविक रूप से प्रवरण ग्रेड पदों के लिए 1 अप्रैल, 1979 से पूर्व की गई नियुक्ति को, चाहे वह उक्त पैरा 1 के अनुरुप न भी की गई हो तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियमन के संबंध में निर्णय लिए जाने तक जारी रखा जाएगा।

(7) 1 अप्रैल, 1979 से पूर्व प्रवरण ग्रेड पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति विशेष के मामले में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित प्रवरण ग्रेड वेतनमानों को 1 अप्रैल, 1979 से अपनाने के परिणाम यदि कोई असंगति अथवा कठिनाई पैदा होती है, तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसके मामले पर कुलपति द्वारा विचार किया जाएगा।

iii. दैनिक वेतनमान वाले कर्मचारियों का नियमन :

प्रशासनिक समिति ने निर्णय किया कि उन स्टाफ सदस्यों को, जो श्रेणी iv पदों पर दैनिक वेतन आधार पर काम करते रहे हैं और जिन्होंने 365 कार्य दिवस तक काम किया है, नियुक्ति के लिए अन्यों की अपेक्षा तरजीह दी जाए और प्रवरण समिति द्वारा इस प्रकार के उम्मीदवारों के बीच तय किए गए योग्यता क्रम को बनाए रखा जाए।

जब किसी विशेष वर्ग के मद के लिए रिक्तियां अधिक हों और साक्षात्कार किए गए उम्मीदवारों ने 365 दिन की सेवा न की हो तो सफल उम्मीदवारों को प्रवरण समिति द्वारा यथा निर्धारित योग्यता क्रम की सूचि में शामिल किया जाना चाहिए।

प्रवरण समिति ने भर्ती नियमों में आंशिक छूट देते हुए यह निर्णय किया कि आई० एस० टी० एम० द्वारा श्रेणी–iii के उन दैनिक वेतन कर्मचारियों के लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाए, जो विश्वविद्यालय में पिछले 365 दिनों (सेवा की भंग अवधि समेत) अथवा इससे अधिक अवधि से काम कर रहे हैं, यह परीक्षा उन सभी प्रश्नपत्रों में ली जाए, जिन्हें श्रेणी iii पदों के खुले भर्ती कोटे के अधीन निर्धारित किया गया है और रोस्टर में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाए।

भविष्य में वरिष्ठता को यथोचित महत्व दिया जाए। प्रशासनिक समिति को इस संबंध में मार्गदर्शी रुप रेखाओं पर विचार करने के लिए कहा जाए। भविष्य में जूनियर सहायक एवं टंकक केयरटेकरो के पदो पर दैनिक आधार पर उन्हीं व्यक्तियो को नियुक्त किया जाएगा जिन्होंने नियमों के अंतर्गत इन पदों के लिए निर्धारित सभी प्रश्न पत्रों में परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। ये परीक्षाएं सचिवालय प्रशिक्षण प्रबंध संस्थान द्वारा ली जाएंगी।

iv. और अधिक पदों का सृजन :

छठी योजना के लिए विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षण कर्मचारियो की आवश्यकताओं पर विभिन्न विभागों के प्रमुख के साथ परामर्श करके अंतिम रुप देने के बाद उन्हें वि० अ० आ० को भेजा जाएगा। भोजनालय केयरटेकरों के वास्ते एक विशेष संवर्ग के सृजन के लिए हम वि०अ०आ० से अनुरोध करेंगे।

v. हवलदारों सफाई गाइडों, मुख्य बटलरों और मुख्य रसोईए के पदों का सृजन :

वि० अ० आ० के वेतनमानों के अनुसार 20 चौकीदारों पर एक हवलदार और 20 सफाई कर्मचारियों पर एक सफाई गाइड होगा। इस संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा इन पदों के लिए निर्धारित अनुपात 1:10 का है।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गए मानदण्ड इस विश्वविद्यालय को स्वीकार्य हैं परन्तु विश्वविद्यालय की वित्तीय समिति और कार्यकारी परिषद द्वारा स्वीकृती दिए जाने के बाद इन्हें कार्यान्वित किया जाएगा।

मुख्य रसोइए और मुख्य बटलरों के संवर्गों के सृजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया जाएगा।

vi. पुस्तकालय/प्रयोगशाला परिचरों के पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएं :

इन पदों के लिए निर्धारित अर्हताएंओ का पता लगाने के लिए विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्व-

विवरण—जारी

विद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ पत्र-व्यवहार कर रहा है। जैसे ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सूचना मिलेगी, विश्वविद्यालय के निर्णय से आपको अवगत करा दिया जाएगा।

vii. टेरीकाट की वर्दियां :

विश्वविद्यालय ग्रीष्मकालीन वर्दियां सूती कपड़े बजाय टेरीकाट के कपड़े की बनी हुई मुहैया करेगा। वे कर्मचारी जो मौजूदा सूती कपड़े की तीन वर्दियों के हकदार हैं उन्हें विश्वविद्यालय दो वर्ष की अवधि के लिए टेरीकाट कपड़े की बनी ग्रीष्मकालीन वर्दियों के दो-दो सैट प्रदान करेगा और जो कर्मचारी मौजूदा सूती कपड़े की चार वर्दियों के हकदार हैं उन्हें दो वर्ष की अवधि के लिए टेरीकाट कपड़े की ग्रीष्मकालीन वर्दियों के दो सैट प्रदान किए जाएंगे। वर्दियों के लिए टेरीकाट कपड़ा खरीदने के लिए दरों पर विचार किया जा रहा है और जल्दी ही सूचित कर दिया जाएगा।

viii. सामूहिक बीमा योजना :

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू करना सैद्धान्तिक रुप से स्वीकार कर लिया गया है। योजना पर होने वाले वित्तीय खर्च का पता लगाया जाएगा और वित्तीय समिति की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

ix. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में स्वास्थ्य केन्द्र :

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने ज०ला०ने० विश्वविद्यालय के नए परिसर का दौरा किया और उस स्थल का निरीक्षण किया जहां पर के० स०स्वा०से० औषधालय स्थापित किया जाना है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि के० स० स्वा० से० औषधालय खोलने के संबंध में आदेश शीघ्र ही जारी कर दिए जाएंगे। औषधालय की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय ने सभी सुविधाएं देना स्वीकार कर लिया है।

हमें प्रसन्नता है कि उपरोक्त निर्णय, विशेष तौर से प्रवरण ग्रेड के संबंध में, निर्णय संभव हो सका है। यह विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए लाभदायक है। हमें विश्वास है कि जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय स्टाफ एसोसिएशन की कार्यकारी समिति और स्टाफ के सदस्य अब अपना आन्दोलन समाप्त कर देंगे। हम अपने परस्पर हित में विश्वविद्यालय के सुविधापूर्वक काम काज के लिए कर्मचारियों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं।

आपका

ह/-

(के० जे० महाले)

महा सचिव
ज० ने० वि० एसोसिएशन,
नई दिल्ली।

स्कूलों कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों तथा कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

9975. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों तथा कालेजों के कर्मचारियों के गत वर्ष की तुलना में वर्तमान शैक्षिक वर्ष में देश में बड़े पैमाने पर हड़तालें तथा अन्य सीधी कार्यवाहियां की ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में, वर्षवार, प्रत्येक राज्य में इन हड़तालों तथा अन्य प्रकार के आंदोलनों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि यह बहुत बड़े पैमाने पर है तो इस संकट को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आवास के लिये समयबद्ध कार्यक्रम

9976. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ऐसा कोई समयबद्ध कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को मुफ्त प्लाट दिये जायें और अपने मकानों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाये, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनके प्रवास और उनकी मुखियां तथा जमींदारों पर निर्भरता को रोका जा सके ;

(ख) समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं है, तो क्या सरकार का समयबद्ध कार्यक्रम बनाने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को बिना मूल्य आवास स्थल देने की योजना 1 अप्रैल, 1974 से राज्य क्षेत्र योजना होने के कारण, यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें। तथापि, पंचवर्षीय योजना के प्रारुप में ग्रामीण आवास के लिए वित्तीय सहायता देने के लिये 500 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। अनन्तिम तौर पर यह सहायता प्रत्येक लाभ भोगी के लिये 500–750 रुपये के हिसाब से दी जाएगी। आशा है कि 1978–83 की पंच वर्षीय योजना के दौरान भूमिहीन मजदूर परिवारों की एक बड़ी संख्या इस से लाभान्वित होगी।

दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी से दिल्ली में डेयरियों को सहायता

9977. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "दुग्ध क्रान्ति चरण–i" आरम्भ किये जाने के बाद से दिल्ली राज्य में दिल्ली में डेयरियों के विकास के लिये कोई सहायता नहीं दी गई है ;

(ख) क्या दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी अधिकांशतः अन्य राज्यों में दूध खरीदते हैं परन्तु दिल्ली की डेरियों से नहीं और अधिकांशतः अन्य राज्यों से ही विकास निधि खर्च कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या दिल्ली में डेरी विकास का काम दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी को, जो कृषि मन्त्रालय के अधीन कार्य करते हैं, सौंप देने का कोई प्रस्ताव है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) आपरेशन फलड–i कार्यक्रम के अन्तर्गत मदर डेरी की स्थापना करने और दिल्ली दुग्ध योजना की केन्द्रीय डेरी की दूध की संभाल क्षमता का विस्तार करने के लिए भी सहायता प्रदान की गई थी।

(ख) यद्यपि दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी दूसरे राज्यों से दूध की अधिप्राप्ति कर रहे है लेकिन दिल्ली दुग्ध योजना दिल्ली राज्य में पुनः बसाए गए पशु कालोनियों से भी दूध की खरीद करती है। दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेरी किसी भी राज्य में विकास के लिए धनराशि नहीं देती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) जी नहीं।

रासायनिक उर्वरक और उसका जमीन के उपजाऊपन पर प्रभाव

9978. श्री एस० एस० सोमाणी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण कृषि योग्य भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र का उपजाऊपन नष्ट हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिये सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं। इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मेघालय में झूम नियंत्रण योजना

9979. श्री पी० ए० संगमा : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "झूम क्रिया" के कारण मेघालय में वनों के अन्धाधुंध विनाश का पता है ;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा "झूम" नियंत्रण योजना के अन्तर्गत अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है ;

(ग) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(घ) क्या योजना का विस्तार करने का विचार है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां ।

(ख) 8.32 लाख रुपए ।

(ग) कृषि के लिए 100 हैक्टार और बागानों के लिए 60 हैक्टार क्षेत्र का विकास किया गया है ।

(घ) इस योजना को राज्य क्षेत्र को स्थानान्तरित करने का विचार है ।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों में विकास कार्य

9980. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह की बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दी बस्तियों और झुग्गियों को हटाने के समूचे प्रश्न पर विचार करने के लिए एक कार्यकारी दल की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब की गई थी और क्या इस दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है, और

(ग) यदि हां, तो इस दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और सरकार ने किन सिफारिशों को स्वीकार किया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं । तथापि, अनधिकृत कालोनियों सहित दिल्ली के घटिया किस्म के क्षेत्रों के विकास के लिए समन्वित योजना के संबंध में सुझाव देने तथा आवश्यक निधियां जुटाने के संबंध में उपाय सुझाने के लिए इस मंत्रालय में एक कार्यकारी दल की स्थापना की गई है ;

(ख) यह कार्यकारी दल 9-2-79 को स्थापित किया गया था तथा इसने अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

एन० सी० ई० आर० टी० का राष्ट्रीय स्वरूप

9981. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1974 के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में कितने प्रोफेसर भर्ती किये गये ;

(ख) उनमें से कितने प्रोफेसर दक्षिण भारत से भर्ती किये गये ? और

(ग) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को राष्ट्रीय स्वरूप देने सम्बन्धि डा० नाग चौधरी समिति की सिफारिश को क्रियान्वित किया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : 16 (सोलह) प्रोफेसरों का चयन विधिवत् गठित प्रवरण समिति द्वारा निर्धारित अर्हताओं और गुणदोष के आधार पर किया जाता है और न कि क्षेत्रों को ध्यान में रख कर।

(ग) डा० नाग चौधरी समिति ने सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। पर सरकार द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे जाने वाले धान का विशेष विवरण

9982. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे जाने वाले धान के लिए क्या विशिष्ट विवरण निर्धारित किये गये हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम इन विशिष्ट विवरणों का उचित पालन नहीं कर रहे हैं और आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न बहानों से धान को अस्वीकार कर रहा है।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह) : (क) धान की खरीद (विपणन मौसम 1978–79) के लिए निर्धारित विनिर्दिष्टियों बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

विवरण

सभी किस्मों की धान (विपणन मौसम 1978–79) की समान विनिर्दिष्टियों को बताने वाला विवरण

धान स्वस्थ विक्रय योग्य स्थिति में होगा, मीठा, शुष्क, साफ, अच्छे खाद्य मान का पौष्टिक, अनाज का रंग और आकार समान, तथा फफुंदी, धुनन, दुर्गन्ध, बदरंग, हानिकारक पदार्थों या रंजक द्रव्यों के मिश्रण से युक्त होगा और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों के अनुरूप होगा।

इस वर्ष धान का वर्गीकरण वसूली के प्रयोजन के लिए सेलेण्डर या बोल्ड ग्रुपों (रामैया समिति के आधार पर) में किया जाएगा, लेकिन प्रत्येक ग्रुप को तीन ग्रेडों अर्थात् ग्रेड 1, ग्रेड 2, और ग्रेड 3 में बांटा जाएगा जिसका निर्धारण निम्नप्रकार से किया जाएगा :—

रिफ्रेक्शन की अनुसूची

ग्रेड	विजातीय पदार्थ		घटिया किस्मों की मिलावट	क्षतिग्रस्त धुना हुआ सिकुड़ा, अंकुरित तथा बदरंग	ग्रेड कटौती प्रति क्विंटल		नमी कटौती प्रति क्विंटल समान दर		बोल्ड ग्रुप %	सेलेडंर ग्रुप %	कैफियत
	अकार्बनिक	कार्बनिक			बोल्ड	सेलेण्डर	नमी	परिसर			
	%	%	%	%	रु०	रु०			रु०	रु०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1.0	1.0	15.0	3.0	कोई कटौती नहीं	कोई कटौती नहीं	18%	तक	कोई कटौती नहीं	कोई कटौती नहीं	
							18% से अधिक	20% तक	2.50	4.00	
2.	1.0	2.0	20.0	4.0	1.25	2.0	20% से अधिक	22% तक	4.50	6.00	
3.	1.0	2.0	20.0	6.0	2.25	3.25	18% से अधिक	20% तक	2.50	4.00	
							20% से अधिक	22% तक	4.50	6.00	

नोट : (1) उपर्युक्त रिफ्रेक्शन और विश्लेषण के तरीकों की परिभाषाओं का अनुपालन ''खाद्यान्नों के विश्लेषण के तरीके, आई० एस०%4333 (भाग–1), आई० एस० : 4333 (भाग–2)—1967 और खाद्यान्नों की परिभाषिक शब्दावली आई०एस० : 2913—1970" भारतीय मानकों के अनुसार किया जाना है।

(2) भारतीय मानक "अनाजों तथा दालों के नमूने लेने के तरीके" आई० एस०: 2814—1964" के अनुसार नमूने लेने के तरीके का अनुपालन करना है।

(3) आन्ध्र प्रदेश के लिए मद संख्या (5), (क्षतिग्रस्त, धुना हुआ, सिकुड़ा, अंकुरित और बदरंग अनाज प्रतिशतता) में 10 प्रतिशत तक ढील—पूरी मूल्य कटौती के साथ अतिरिक्त 4 प्रतिशत सिकुडे हुए अनाज के कारण और क्षतिग्रस्त अनाज की प्रतिशतता 4 प्रतिशत की अधिकतम सीमा पर जारी रहेगी।

'कृषि वन विद्या' का विकास

9983. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों को 'वन विद्या' के विकास के लिये सहायता दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को कोई सहायता दी गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारत सरकार राज्यों को बेकार भूमि, पंचायती भूमि तथा ग्राम सभा की भूमि में मिश्रित वनरोपण करने सम्बन्धि केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना के माध्यम से 1978–79 तक फार्म वानिकी के विकास के लिए सहायता प्रदान करती रही है, जिसके अन्तर्गत उपर्युक्त उल्लिखित क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने क लिए प्रति हेक्टार 1000 रुपए तक केन्द्रीय सहायता देने के अतिरिक्त, इस केन्द्रीय सहायता का 20 प्रतिशत भाग का उपभोग कृषकों को नर्सरी में पौद उगाने तथा इस पौद का अपनी भूमि पर रोपण करने हेतु विस्तार सेवा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। यह योजना वर्ष 1979–80 से राज्य क्षेत्र में हस्तान्तरित कर दी गई है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार को उपर्युक्त उल्लिखित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित वर्षों में अनुदान के रूप में निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई :—

वर्ष	योजना के लिए केन्द्रीय सहायता
	(लाख रुपये)
1976–77 . .	1.80
1977–78 . . .	24.54
1978–79	26.70

कृषि मूल्य आयोग द्वारा तम्बाकू का समर्थन मूल्य निर्धारित करना

9984. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने किसानों के लिये एफ० सी० वी० तम्बाकू के समर्थन मूल्य निर्धारित किये हैं, और

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य निर्धारित किये गये हैं ;

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) सरकार के अनुरोध पर कृषि मूल्य आयोग ने एफ० सी० वी० तम्बाकू की 1978–79 की फसल के लिए मूल्य नीति के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है । उन्होंने निम्नांकित सिफारिशें की हैं :—

(1) 1978–79 की फसल के लिए वी० एफ० सी० तम्बाकू के फार्म ग्रेड एफ 2 का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7.50 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया जाए ।

(2) वी० एफ० सी० तम्बाकू के अन्य ग्रेडों के लिए समर्थन मूल्य सामान्य बाजार मूल्य के अंतर को मद्दे नजर रख कर निर्धारित किये जाएं ।

(3) ऐसी किस्मों का, जो विशेष रूप से हल्की भुरभुरी मृदा के लिए उपयुक्त हैं, विकास किया जाए तथा वी० एफ० सी० तम्बाकू के अंतर्गत कुल क्षेत्र बढ़ाए बिना केवल हल्की मृदा के तम्बाकू के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाया जाये,

(4) तम्बाकू बोर्ड द्वारा विकसित तम्बाकू के आठ फार्म ग्रेडों को सरकारी एजेंसी द्वारा कोटि का उपयुक्त प्रमाणपत्र देकर, जैसा कि एगमार्क ग्रेड के मामले में किया गया है उत्पादक स्तर पर सांविधिक रूप से लागू किया जाना चाहिए तथा उत्पादकों को वर्गीकरण संबंधी दक्षता में आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए प्रबंध किए जाने चाहिए ।

(5) भण्डारण, भाण्डागारों तथा पुनः शुष्कीकरण की सुविधाओं के रूप में समेकित अवसंरचना तैयार करने के लिए इस ढंग से सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे कि वे उत्पादकों को आसानी से सुलभ हो सकें । इन सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है ।

बांगो बांध परियोजना बिलासपुर (मध्य प्रदेश)

9985. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में सिंचाई और पन-बिजली प्रयोजनों के लिये आरम्भ की जाने वाली बांगो बांध परियोजना के प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) : योजना आयोग की सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण तथा बहु-प्रयोजनी परियोजनाओं संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अगस्त, 1977 में हुई अपनी बैठक में मध्य प्रदेश की हसदेव-बांगो बहु-प्रयोजनी परियोजना पर विचार किया गया था, परन्तु कोयला भंडारों के जलमग्न होने से संबंधित मामलों के हल होने तक स्वीकृति को आस्थागित रखा गया था । केन्द्र द्वारा इन विषयों पर सभी पहलुओं से विचार किया गया है और हाल में स्वीकृत किया गया है । योजना आयोग द्वारा इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृत किए जाने की उम्मीद है ।

कृषि उत्पादों का निर्यात और उनका उत्पादन

9986. **श्री पी० ए० संगमा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष विभिन्न खाद्यान्न फसलों का कितना उत्पादन होने का अनुमान है ;

(ख) देश में वर्तमान भंडारण क्षमता कितनी है और विभिन्न राज्यों की मांग कितनी है ;

(ग) चालू मौसम में कितने खाद्यान्न का निर्यात किये जाने का अनुमान है ; और

(घ) कृषि के फालतु उत्पादों के लिये बाज़ार ढूंढने हेतू क्या कार्यवाही की गई है ;

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 1978–79 के लिये खाद्यान्नों के उत्पादन के अनन्तिम अनुमान जुलाई-अगस्त के किसी समय उपलब्ध होने की संभावना है । नवीनतम संकेतों के अनुसार, इस वर्ष के दौरान खाद्यान्नों के कुल उत्पादन लगभग 1,270 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है ।

(ख) 28–3–1979 को भारतीय खाद्य निगम (अपनी या किराये पर ली गई) की कुल भडारण क्षमता 219.3 लाख मीटरी टन थी । अधिप्राप्ति, वितरण, बफरस्टाक और संचलन सम्बन्धी सुविधाओं आदि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों में निगम अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण कर रहा है अथवा कर लिया है । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों के पास अपनी भण्डारण सुविधाएं भी होती है ।

(ग) इस समय 1979–80 के दौरान खाद्यान्नों के सम्भावित निर्यात के ठीक ठीक अनुमान देना सम्भव नहीं है । 31–3–1979 तक किये गये वायदों के अनुसार लगभग 108 लाख मीटरी टन गेहूं, मैदा और चावल के निर्यात करने की संभावना है और इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(घ) खपत के चालू स्तरों के अनुसार देश में कुछ फालतू खाद्यान्न हैं परन्तु सरकार देश में खाद्यान्नों की खपत को प्रोत्साहन दे रही है ताकि पोषक स्तरों में सुधार किया जा सके और इसीलिए सरकार खाद्यान्नों के निर्यात की दिशा में सतर्क दृष्टिकोण अपनाने के पक्ष में है । खाद्यान्नों के निर्यात के लिये मण्डियों का विकास करने का प्रश्न तभी उठेगा जब कि खाद्यान्नों का अधिशेष भण्डार काफी अधिक तथा स्थायी रूप से उपलब्ध होगा ।

विवरण

1979–80 के दौरान निर्यात की जाने वाली सम्भावित मात्रा

(हजार मीटरी टन)

देश	जिन्स	बचनबद्ध मात्रा	सप्लाई का आधार	31–3–79 तक निर्यात की गई मात्रा	1979–80 के दौरान निर्यात की जाने वाली मात्रा
1	2	3	4	5	6
सोवियत संघ . .	गेहूं	1498.40	ऋण की पुनर्अदायगी	1056.33	442.07
वियतनाम . .	गेहूं	300.00	जिन्स ऋण	115.70	184.30

विवरण—जारी

1	2	3	4	5	6
वियतनाम	मैदा	370.00	जिन्स ऋण	58.88	11.12
अफगानिस्तान	गेहूं	50.00	—तदेव—	40.88	9.12
मारिशस	चावल	36.00	वाणिज्यिक	—	36.00
सोवियत संघ	चावल	200.00	कच्चे तेल के बदले में*	—	200.00
बंगला देश	चावल	160.00	जिन्स ऋण	—	150.00
बंगला देश	गेहूं	50.00	—तदेव—	—	50.00
		2354.40		1271.79	1082.61

*चावल की सप्लाई के लिये करार इसी तारीख से लागू होगा जिस तारीख को कच्चे तेल की सप्लाई के लिये करार पर हस्ताक्षर किये जायेंगे ।

नारियल विकास बोर्ड के मुख्यालय का स्थानान्तरण

9987. **श्री के० ए० राजन :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित नारियल विकास बोर्ड के मुख्यालय के स्थापना स्थल के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या नारियल विकास निदेशालय कोचीन में कार्य कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि नारियल विकास बोर्ड का मुख्यालय इसी स्थान में स्थापित किया जायेगा और नारियल विकास निदेशालय के कर्मचारियों को उसमें खपा लिया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) नारियल विकास बोर्ड के मुख्यालय के स्थान के प्रश्न का निर्णय करते हुए सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा । वर्तमान कर्मचारियों के अंतरण संबंधी कार्यवाही, बोर्ड की स्थापना होने पर की जाएगी ।

सरकारी क्वार्टरों का निर्माण

9888. **श्री गणनाथ प्रधान :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री दिल्ली में टाईप "बी" और "सी" के क्वार्टरों के आवंटन के बारे में 20-11-1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 92 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में काम करने वाले कर्मचारियों से प्राप्त आवेदन-पत्र, इस बीच, छांट लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) और (ख) में मांगी गई जानकारी दी जाये ;

(ग) क्या यह सच है कि कर्मचारियों के लिये सरकारी क्वार्टरों के निर्माण के बारे में प्रगति बहुत धीमी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) कितने कर्मचारी सेवानिवृत्ति के कारण (श्रेणीवार) अपने क्वार्टर वर्ष 1982 तक खाली कर देंगे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी, हां।

(ख) सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

(ग) सरकार की यह नीति है कि उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिक से अधिक क्वार्टर बनाये जायें । पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने दिल्ली में 15,300 मकान बनाने की स्वीकृति दी है । दिल्ली में कुल मिलाकर लगभग 21,000 मकान निर्माणाधीन हैं । निर्माण के लिए मंजूर किये गये हैं तथा इन का आगामी

दो या तीन वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त यू० एन० आई० डी० ओ० सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को आबंटन के लिए 800 सूटों का एक होस्टल का निर्माण किया जा रहा है। सम्मेलन के पश्चात् इन सूटों को सामान्य पूल वास में शामिल कर दिया जायेगा।

(घ) ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती।

विवरण

अ ता की तारीख/वर्ष	प्राप्त किए गए आवेदनों की संख्या	
	टाईप बी	टाईप सी
	2	3
1939	6	3
1940	2	3
1941	6	9
1942	10	26
1943	28	61
1944	47	99
1945	38	123
1946	35	101
1947	42	126
1948	51	167
1949	30	178
1950	36	159
1951	36	168
1952	39	272
1953	68	289
1954	118	394
1955	287	686
1956	402	940
1957	991	835
1958	620	648
1959	612	725
1960	631	456
1961	951	617
1962	1,251	712
1963	1,278	799
1964	1,544	871
1965	1,477	829
1966	1,584	557
1967	1,388	701
1968	857	301
1969	1,072	326

विवरण—जारी

1	2	3
1970	1,257	355
1971 . .	1,501	377
1972 . . .	1,059	343
1973 . . .	1,150	316
1974 . . .	957	186
1975 . . .	903	199
1976 . .	924	189
1977 . . .	2,417	2,343
1978	558	127
1979	008	2

मध्य प्रदेश में उज्जैन में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

9989. **श्री हुकमचन्द कछवाय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में उज्जैन में एक स्वचालित टैलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय वहां पर कितने टैलीफोन चालू हैं और कितने टेलीफोन कनेक्सनों के लिये मांग की जा रही है ;

(ग) क्या इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, बंगलौर ने उज्जैन में इस वर्ष (1979) स्थापित की जाने वाली टेलीफोन एक्सचेंजों के लिये उपकरणों की सप्लाई करने से इंकार कर दिया है ; और

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उपकरणों की इस वर्ष सप्लाई की जाए और यदि हां तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) 30-4-79 तक चालू टेलीफोन कनेक्शनों (सीधी एक्सचेंज लाइन) की संख्या 1817 है । 30-4-79 तक प्रतीक्षा सूची में 117 टेलीफोन कनेक्शनों की मांग है ।

(ग) जी नहीं । उपकरणों का अधिकाधिक भाग सप्लाई किया जा चुका है । शेष भाग की सप्लाई शीघ्र की जा रही है ।

(घ) जी हां । वित्त वर्ष के दौरान एक्सचेंज की संस्थापना और उसको चालू करने की योजना पहले से ही है ।

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के पुस्तकालय तथा दस्तावेज केन्द्रों का कार्यकरण

9990. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के पुस्तकालयों तथा दस्तावेज केन्द्रों के कार्य-करण की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और उसमें पाई गई अनियमितताओं से सम्बन्धित कितने व्यक्तियों, पदनाम सहित, के खिलाफ समिति ने कार्यवाही करने की सिफारिश की है ; और

(ग) समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही में कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

सिंचाई क्षमता का अल्प उपयोग

9991. **श्री गदाधर साहा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में सिंचाई क्षमता के अल्प उपयोग के क्या कारण हैं ;

(ख) नहर की सिंचाई वाली कृषि भूमि से बहुत कम उत्पादन होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) राज्यों और विशेष रुप से पश्चिम बंगाल में सिंचाई क्षमता के उपयोग तथा उत्पादन को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) : यह पता लगाया गया है कि कम उपयोग/कम उत्पादन होने के निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) फील्ड चैनलों सहित वितरण प्रणाली का जल संग्रह क्षमता के सृजन के साथ-साथ तैयार न होना ।

(2) नहर प्रणाली में त्रुटियां, जिनके कारण अपेक्षित मात्रा में जल खेतों तक नहीं पहुंचता ।

(3) कमान में अपर्याप्त जल-निकास सुविधाएं ।

(4) कृषि संबंधी पर्याप्त प्रायोगिक और प्रदर्शन फार्मो का अभाव और पर्याप्त प्रशिक्षण और विस्तार सुविधाओं का अभाव ।

(5) सिंचित कृषि के लिए जमीन का पर्याप्त रुप से तैयार न होना ।

(6) सिंचाई प्रशासन मे त्रुटियां, जिनके परिणामस्वरूप जल सप्लाई का समुचित वितरण नहीं होता और अन्तिम सिरे के किसानों के लिए समस्याएं पैदा हो जाती हैं ।

(7) अन्तर्निवेशों (इनपुट) और बुनियादी सुविधाओं का आभाव ।

मौजूदा नहर प्रणालियों के आधुनिकीकरण के एक कार्यक्रम को हाथ में लिया गया है जिसमें नहर प्रणालियों को नया रूप देना, चैनलों की चयनात्मक आधार पर लाइनिंग करना शामिल है ताकि रिसन को न्यूनतम किया जा सके और इंजीनियरी, कृषि संबंधी और प्रशासनिक त्रुटियों को दूर किया जा सके। नहरों और जलाशयों के प्रचालन कार्यक्रम में सुधार लाया जा रहा है ताकि जलाशयों के उपलब्ध जल संग्रह, प्रत्याशित मानसून प्रवाह आदि को ध्यान में रखते हुए प्रचालन कुशलता में वृद्धि की जा सके । कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में, जिसे पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान बड़े पैमाने पर हाथ में लिया गया था, कमान क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए बहुत से दूरगामी क्रियाकलाप शामिल हैं, जैसे आन-फार्म विकास कार्यो का सर्वेक्षण, आयोजन और कार्यान्वियन, नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण, जल-निकास वर्क्स का निर्माण, पूरक सिंचाई के लिए भूगत जल का विकास, फसल आयोजन और कृषि विस्तार, ऋण, उर्वरकों, कीट नाशक औषधियों जैसे अन्तर्निवेशों का अधिक उपयोग और सड़कों तथा मंडियों का निर्माण ।

मार्च, 1978 के अन्त तक 13 राज्यों में (इनमें पश्चिम बंगाल शामिल है) 38 कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिनके अन्तर्गत 50 सिंचाई परियोजनाएं आती हैं स्थापित किए जा चुके हैं । पश्चिम बंगाल में 3 कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण हैं ।

राज्यों द्वारा विदेशी सहायता का उपयोग

9992. **श्री सी० आर० महाटा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राज्य अपने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में विदेशी सहायता का उपयोग धीमी गति से कर रहे है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कृषि एवं ग्राम विकास परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से प्राप्त ऋणों के उपयोग में कुछ कमी आयी है। इसके कई कारण हैं जिनमें अधिक महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार हैं : देर से प्रारम्भ होना, बजट तथा पदों की स्वीकृति की धीमी गति, प्रबन्धकों का बार बार स्थानान्तरण तथा उपक णों की अधिप्राप्ति की धीमी गति ।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा विदेशी सहायता के उपयोग की स्थिति में सुधार लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं । निम्नांकित उपाय विशेष रुप से उल्लेखनीय हैं :—

(1) परियोजनाओं की प्रगति का समय समय पर जायजा लेने के लिए केन्द्र राज्य तथा परियोजना-स्तर पर क्रियान्वयन/संविक्षा समितियों की स्थापना करना । आर्थिक कार्य विभाग ने राज्यों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया है कि वे हर तिमाही में अपनी अध्यक्षता में गठित एक समिति के द्वारा बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन की संवीक्षा करें और उनका प्रबोधन करें

(2) प्रबोधन की विशेष जिम्मेदारी कृषि और सिंचाई मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपना, सम्बद्ध राज्यों के साथ विचार विमर्श का आयोजन करना और अपने दौरों के परिणामों के बारे में सचिव (कृषि और ग्राम विकास) को सूचित करना ।

(3) समस्या वाली परियोजनाओं के मामले में कृषि विभाग में स्थापित पी० पी० एम० सेल द्वारा विशेष प्रबोधन दल तैयार करना ।

(4) विभिन्न राज्यों के दौरों से सम्बन्धित प्रबोधन दलों की रिपोर्टों, विभिन्न राज्य परियोजनाओं के संबंध में विश्व बैंक के पर्यवेक्षक मिशनों द्वारा की गयी टिप्पणियों तथा अन्य संगत सामग्री की समीक्षा करने के लिए सचिव (कृषि और ग्राम विकास) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समन्वय समिति की स्थापना करना ताकि समस्या वाली परियोजनाओं की कार्यविधि को सुप्रवाही बनाया जा सके ।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारियों के वेतन-मानों का पुनरीक्षण

9993. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की ओर से सुरक्षा अधिकारियों के वेतन-मानों के पुनरीक्षण की पद्धति पर उनके भी वेतनमानों का पुनरीक्षण करने के आशय का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के मैस केयरटेकरों और वैयक्तिक सहायकों द्वारा सुरक्षा अधिकारी के वेतनमान के पुनरीक्षण के अनुरुपता उनके वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिए गए थे । क्योंकि वेतनमान के पुनरीक्षण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करना आवश्यक है, विश्वविद्यालय इस सम्बन्ध में आयोग के साथ विचार–विमर्श कर रहा है ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के वेतनमानों में समानता

9994. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिकारी शिक्षण कर्मचारियों के समान वेतनमान बनाने के लिये आन्दोलन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अनुभाग अधिकारियों के वेतनमान और सेवा की शर्तें दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों के वेतनमान और सेवा की शर्तों जैसे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तथा (ख): केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिकारियों ने, वेतमानों के मामले में शिक्षण स्टाफ के साथ बराबरी की अपनी मांग के समर्थन में नवम्बर, 1978 से फरवरी, 1979 की अवधि के दौरान कुछ आन्दोलन किया गया था । तथापि, यह आश्वासन मिल जाने पर कि उनके वेतनमानों की जांच करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित कार्यदल की रिपोर्ट को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा, आन्दोलन समाप्त कर दिया गया था ।

कार्यदल की रिपोर्ट पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक समिति द्वारा अपनी 16 अप्रैल, 1979 को हुई बैठक में विचार किया गया था तथा इस समिति की सिफारिशें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन हैं ।

(ग) तथा (घ) : दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुभाग अधिकारियों के प्रवरण ग्रेड वही हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ग्रेड II अनुभाग अधिकारियों के हैं, यह आवश्यक नहीं है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टाफ के वेतनमान तथा अन्य सेवा शर्तें एक जैसी हों क्योंकि वे अलग-अलग नियमों और विनियमों द्वारा नियन्त्रित होते हैं ।

सिक्किम में कृषि के लिये योजना

9995. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री सिक्किम में कृषि पर खर्च के बारे में 6 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1740 के उत्तर संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम के कृषि–विकास संबंधी आगामी पंचवर्षीय योजना इस बीच तैयार कर ली गई है और यदि हां तो कृषि भूमि के विकास, भूमि के परीक्षण, अधिक उपज वाले बीजों के उत्पादन तथा वितरण और खादों तथा उर्वरकों से संबंधित कार्यक्रमों के लिये अलग–अलग कितनी–कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ; और

(ख) वर्ष 1979–80 के दौरान कृषि विकास के लिये विभिन्न मदों पर खर्च के लिये कितनी राशि का नियतन किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) : सिक्किम में कृषि विकास के व्यय से सम्बन्धित अतारांकित प्रश्न सं० 1740 का उत्तर 6 मार्च, 1978 को लोक सभा में दिया गया था। सिक्किम सरकार ने कृषि विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए पंच वर्षीय योजना (1978–83) का अपना प्रारूप तैयार कर लिया है। 1978–83 और 1979–80 के परिव्ययों को योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

डी० डी० ए० में सफाई कर्मचारियों और श्रमिकों को बर्खास्त किया जाना

9996. डा० रामजी सिंह :
श्री श्यामलाल धर्वे :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे अनेक सफाई कर्मचारी और श्रमिकों को, जो गत दो वर्ष और अधिक समय से डी० डी० ए० में विभिन्न प्रकार के कार्यों पर नियुक्त थे और विभिन्न स्थलों पर "मस्टर रौल" पर थे, बिना किसी कारण के और बिना किसी नोटिस के उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन किन क्षेत्रों से उन्हें हटाया गया है ;

(ख) क्या उन्हें नौकरी से हटाये जाने की वजह से निवासियों को आवंटित फ्लैटों में निर्माण सम्बन्धी त्रुटियों को दूर करने और विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य भागों की सफाई करने सम्बन्धी कार्य ठप्प हो गया है जिसके परिणाम-स्वरुप अस्वस्थ्यता की स्थिति पैदा हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो यह कठोर कार्यवाही करने के क्या कारण हैं और उनकी दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए और डी० डी० ए० द्वारा आवंटित फ्लैटों में लम्बे समय से चली आ रही निर्माण-सम्बन्धी त्रुटियों को दूर करने के लिए उन्हें नौकरी पर वापस लेने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निमाण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

सिक्किम में संचार प्रणाली में सुधार

9997. श्री हुकुम चन्द कछवाय : क्या **संचार** मंत्री सिक्किम में संचार में सुधार प्रणाली के बारे में 23 फरवरी, 79 के अतारांकित प्रश्न सं० 543 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम को एक पिछड़ा हुआ राज्य घोषित किया गया है; और यदि हां, तो इसके अधीन संचार प्रणाली से संबंधित किये गये विशेष कार्य का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या सिक्किम सरकार ने भी कोई योजना तैयार करके केन्द्र सरकार के पास भेजी है ; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उपरोक्त प्रश्न के (घ) भाग के उत्तर में दिये गये आश्वासन के अनुसार तत्संबंधी कार्य शुरु किया जा चुका है ; और यदि हां, तो अब तक कितने प्रतिशत काम पूरा हो चुका है तथा शेष कार्य कब तक पूरा होने की आशा है और अब तक उस पर कितनी राशि खर्च की जा चुकी है तथा कुल कितनी राशि खर्च होनी है ; और

(ग) क्या सिक्किम में टेलीफोन खराब पड़ी रहती हैं जिसके कारण उपभोक्ताओं को भारी कठिनाइयां होती हैं ; और यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) उदार बनाए गए आधार पर डाक व दूरसंचार सुविधाओं की व्यवस्था हेतु सिक्किम को एक पिछड़ा राज्य घोषित किया गया है। वहां और अधिक डाकघर खोलने और उनका दर्जा बढ़ाने की योजना है। सिक्किम में अभी तक 12 टेलीफोन एक्सचेंज और 10 लंबी दूरी

के सार्वजनिक टेलीफोन और तारघर खोले गए हैं। निम्नलिखित विषयों पर सिक्किम के मुख्य मंत्री से अगस्त 1978 में एक संदेश प्राप्त हुआ था :—

(i) गंगटोक टेलीफोन प्रणाली का विस्तार एक नये टेलीफोन एक्सचेंज भवन के लिए उचित स्थल की व्यवस्था।

(ii) सिक्किम में गंगटोक और 7 स्थानों के बीच बी० एच० एफ० लिंक की व्यवस्था।

(iii) डाक-तार कर्मचारियों के लिए रहने के मकान।

(ख) ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य पूर्व प्रश्न के (ख) और) (ग) भाग का संदर्भ दे रहे हैं जिसके लिए कोई (घ) भाग नहीं था। निम्न निर्माण कार्य किया गया :—

डाक

1978-79 में 2 नये उप डाकघर खोले गए और एक विभागेतर शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाया गया। 43 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया। अब तक किया गया खर्च 17,250 रु० है। कुल अनुमानित लागत एक लाख रुपया है।

दूरसंचार

(i) एक्सचेंजों से संबंधित कार्य उपस्करों के प्राप्त न होने के कारण प्रारंभ नहीं किया जा सका। अगले 2 वर्षों में निर्माण कार्यों के पूर्ण होने की संभावना है।

(ii) अगले 3 वर्षों में खोले जाने वाले सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों में से एक सामाब्रि में 1978-79 के दौरान खोला जा चुका है। शेष दो सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के 1979-80 के दौरान खोले जाने की संभावना है। 1978-79 के लिए निर्धारित कार्य शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है।

(ग) जी नहीं।

जालंधर धर्मशाला यू० एच० एफ० संपर्क की व्यवस्था

9998. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या संचार मंत्री जालंधर-धर्मशाला यू० एच० एफ० संपर्क की व्यवस्था के बारे में 23 नवम्बर, 1978 के अतारांकित प्रश्न सं० 604 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्तावित जालंधर-धर्मशाला यू० एच० एफ० संपर्क के संबंध में भरवईन में "रिपीटर" स्टेशन और धर्मशाला में टर्मिनल स्टेशन बनाने के लिये भूमि के अर्जन में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : भरवईन में रिपीटर स्टेशन और धर्मशाला में टर्मिनल स्टेशन बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है और भूमि को शीघ्र प्राप्त करने के लिए इन मामलों में राज्य के राजस्व प्राधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार चल रहा है। इस योजना के वर्ष 1980-81 के दौरान कार्यान्वित किए जाने की संभावना है।

डी० आई० जैड० एरिया नई दिल्ली में आवासों को आगे किराये पर देना

9999. **श्री मदन तिवारी** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० आई० जैड० एरिया के सैक्टर डी में आवास तथा गराज आगे किराये पर दिये जा के बारे में मार्च, 1979 में एस्टेट कार्यालय ने कोई जांच कराई थी ; और

(ख) यदि हां, तो जिन लोगों ने अपने आवास आगे किराये पर दिये हैं उनके विरुद्ध क्या कदम उठाये गये हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली से बाहर नियुक्त कर्मचारियों के लिये सरकारी आवास

10000. **श्री एस० एस० लाल** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस आशय के प्रेस समाचारों की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय सरकार आवास आदि के मामले में केवल दिल्ली में रहने वाले कर्मचारियों को ही प्राथमिकता देती है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस बात का ध्यान रखने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे है कि केन्द्रीय सरकार के दिल्ली से बाहर नियुक्त कर्मचारियों को भी वही प्राथमिकता प्राप्त हो ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख)। प्रश्न में उल्लिखित प्रेस रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं आई है ।

(ग) निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आवंटित करने के लिए न केवल दिल्ली में ही सामान्य पूल के रिहायशी मकानों का निर्माण किया जाता है बल्कि अन्य कई शहरों में भी किया जाता है । त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न आय कर्मचारियों के लिए बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, चण्डीगढ़ हैदराबाद तथा बगंलौर में 6000 मकानों के निर्माण की मंजूरी 1978 में दी गई थी ।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की संख्या अत्याधिक होने की वजह से दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए रिहायशी वास की मांग अत्याधिक है । इसलिए दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाये जाने वाले मकानों की संख्या देश में अन्यत्र बनाये जाने वाले क्वार्टरों की अपेक्षा अधिक है ।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : महोदय, मेरा नियम 357 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री श्याम सुन्दर लाल (क्याना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं ।... **(व्यवधान)**... आप की लाइब्रेरी में अमृत राय की लिखी हुई यह किताब रखी हुई है, जिस में से मैं एक पंक्ति पढ़ कर आप को सुनाता हूं । इस किताब का नाम "सरगम" है और इस के पेज 239 में यह लिखा हुआ है :

"चंद्रिका को बच्चों का गली में नीज जात के लड़कों के संग खेलना भी नागवार था "।

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे नोटिस नहीं दिया है मैं क्या कर सकता हूं ।

श्री श्याम सुन्दर लाल : यह बहुत गंभीर मसल है ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है । मैं ग्रंथागार में सभी पुस्तकों को नहीं पढ़ता हूं । आप मुझे नोटिस दीजिए । मै इसे देखूंगा ..... **(व्यवधान)**

श्री श्याम सुन्दर लाल : यह कोई तरीका है । आपकी लाइब्रेरी में यह किताब है और उसमें यह लिखा हुआ है । एक किताब नहीं है । और भी आपकी लाइब्रेरी में किताबें हैं । आपको पता नहीं है । इससे हमारी भावना को ठेस पहुंचती है ।

आप इस बारे में कुछ कदम उठाएंगे या नहीं यह आप हमें बताएं । वर्ना लाइब्रेरी के खिलाफ हमें कुछ करना पड़ेगा .....

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे नोटिस दीजिए और मैं इस पर विचार करूंगा । मैंने किताब नहीं पढ़ी है । मैं किताब पढ़ूंगा तब निर्णय करूंगा ।

श्री श्याम सुन्दर लाल : नीच जाति हमको बताया गया है । और भी दूसरी किताबें मैं दिखा सकता हूं जो आपकी लाइब्रेरी में मौजूद है । हमारे लिए नीच शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और आप हमारी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपको कोई आपत्ति है तो आप मुझे लिखिए और मैं इस पर विचार करूंगा । मैं पुस्तक पढ़कर फिर निर्णय करूंगा ।

श्री श्याम सुन्दर लाल : एक किताब और भी है जिसमें यह शब्द हैं ।

सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण के बारे में

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । हमारे एक साथी श्री रामलिंगम ने आपको 1 मई को हुई कांग्रेस (आई) की रैली में उनके कथित शामिल होने के बारे में नियम 357 के अन्तर्गत एक विवरण दिया था । पहला, मंत्री जी के वक्तव्य में एक से अधिक बार उनका नाम इसमें शामिल होने की बात कही गई है, दूसरा, कुछ माननीय सदस्यों ने उनके बारे में उल्लेख किया था । मंत्री के

वक्तव्य में यह आरोप था कि रिपोर्ट में उनके उनके शामिल होने के कारण उन्हें गिरफ्तार करने की बात कही गई है । जो भी न्यायालय में फैसला होगा, यह दूसरी बात है । परन्तु यदि सदन में ऐसा आरोप लगाया जाता है तो कम से कम सदस्य को व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के रूप में अपना मामला सदन के समक्ष रखने का अधिकार है । यही वैयक्तिक स्पष्टीकरण का महत्व है, यह किसी बात को सही या गलत नहीं ठहराता ।

नियम 357 की वाक्य रचना इस विषय पर बहुत स्पष्ट है । इसमें कहा गया है :

"कोई सदस्य, अध्यक्ष की अनुज्ञा से, वैयक्तिक स्पष्टीकरण कर सकेगा यद्यपि सभा के सामने कोई प्रश्न न हो किन्तु उस अवस्था में कोई विवादास्पद विषय नहीं उठाया जाएगा और कोई वाद विवाद नहीं होगा ।

यही पूरी अपेक्षा है । निदेश 115 ग को पढ़िए इसमें लिखा है :

"किसी सदस्य को नियम 357 के अन्तर्गत तब तक वैयक्तिक स्पष्टीकरण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि सदस्य द्वारा लिखित रूप में उसकी एक प्रति काफी समय पूर्व अध्यक्ष को प्रस्तुत न की गई हो और अध्यक्ष ने उसका अनुमोदन न कर दिया हो । यदि ऐसे शब्दों, वाक्यांश और पदावलियों का प्रयोग किया जाता है जो अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित वक्तव्य में शामिल नहीं तो वे सभा के कार्यवाही वृत्तान्त का अंग नहीं बनेंगे"

श्री रामलिंगम ने आपको एक-वक्तव्य दिया था । जब उन्होंने उस दिन अपनी बात उठाई तो आपने कहा था "यदि आप नियम 357 के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करना चाहते हैं तो आपको वक्तव्य लिखित में देना चाहिए " जो उन्होंने किया और उसी दिन आपको दिया । प्रश्न यह है कि उन्हें व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है ? आपने उन्हें पत्र लिखा है . . . . .

अध्यक्ष महोदय : एक विस्तृत पत्र लिखा है ।

श्री वसन्त साठे : पत्र यह है । आपने लिखा है :

"2 और 3 मई को सदन में होने वाले वाद विवाद में, जो 1 मई को होने वाली घटना से संबंधित है, आपके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से कोई आरोप नहीं लगाया गया था यद्यपि कुछ सदस्यों ने कहा है कि आप अस्पताल में थे तथा आपको काफी चोटें आई थीं और वहां आपकी ठीक से देखभाल नहीं की जा रही थी"।

आरोप यह थे कि उन्हें उल्लिखित अपराधों में शामिल होने के कारण गिरफ्तार किया गया था । गृह मंत्री के वक्तव्य में यह आरोप है । क्या वह आरोप नहीं है ? और क्या अधिक आरोप चाहिए ? इसलिए यह कहना कि उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाये गए, सही नहीं है । यह नियम 357 की अपेक्षा भी नहीं है । वक्तव्य में जो यह कहा गया है कि उन्हें कुछ अपराधों में अन्तर्ग्रस्त होने के कारण गिरफ्तार किया गया था । स्वयं में एक गंभीर आरोप है । इसलिए जहां तक इस सदन का संबंध है, माननीय सदस्य व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे सकते हैं । मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस पत्र पर पुनर्विचार करें जो आपने लिखा है और उन्हें अवसर दें ।

श्री के० राममूर्ति (धर्मपुरी) **:** इसी विषय पर . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर वाद विवाद की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री के० राममूर्ति : यह आप कैसे जानते हैं कि जो शब्द श्री साठे ने बोले हैं, मैं उन्हीं पर बोलूंगा ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । क्या आपके पास भी व्यवस्था का प्रश्न है ? यदि आपके पास व्यवस्था का प्रश्न है तो मैं निश्चय ही आपको अनुमति दूंगा ।

श्री के० राम मूर्ति : उसी विषय पर...

अध्यक्ष महोदय : तब यह वाद विवाद बन जाएगा । जब तक अध्यक्ष आपको अनुमति नहीं देते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ।

श्री एन० कुदनतई रामलिंगम (मयूरम) : आपने मुझे लिखित रूप में देने को कहा था ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा था, "आप वक्तव्य दीजिए, मैं इसकी जांच करूंगा" । जहां तक नियम 357 का संबंध है, मुझसे पहले के अध्यक्षों नें कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त तय किए हैं । उन्होंने जो कहा है, जहां तक नियम 357 का संबंध है, वह यह है कि यह किसी व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप होने चाहिए तब उस व्यक्ति को अवसर दिया जायेगा । श्री रामलिंगम का वक्तव्य संक्षेप में घटना के प्रति उसके विचार को रखना है । यह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण नहीं है । यदि वादविवाद के दौरान किसी ने विशेष रूप से उनके विरुद्ध कुछ कहा है तो निःसंदेह वह उस भाग के उद्धरण का उल्लेख कर सकते हैं और अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं ..... **(व्यवधान)**

श्री एन० कुदनतई रामलिंगम : आप किसी सदस्य को मौका नहीं दे रहे हैं । मैं समझता हूं कि आपको मंत्री जी ने इस संबंध में कुछ कहा है...

अध्यक्ष महोदय : श्री रामलिंगम, आक्षेप मत लगाइये । आप मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं । इस विषय पर और वाद विवाद नहीं होगा । यदि कोई आरोप अथवा आक्षेप है तो वह उस भाग का हवाला दे सकते हैं और मुझे कह सकते है कि यह उसका वैयक्तिक स्पष्टीकरण है... **(व्यवधान)**

श्री के० राम मूर्ति : आपने उस दिन कहा था कि उनको अनुमति देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा था, 'आप वक्तव्य दीजिए । मैं इसकी जांच करुंगा' **(व्यवधान)** श्री रामलिंगम यदि आप अपने विरुद्ध बात को उद्धृत करते हैं और वैयक्तिक स्पष्टीकरण देते हैं तो मैं अब भी आपको अनुमति दे सकता हूं ।

श्री वसन्त साठे : उन्हें उद्धरण देने की आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सब निर्धारित निर्णय हैं... **(व्यवधान)**

श्री के० राम मूर्ति : आपने श्री वाजपेयी को वक्तव्य देने की अनुमति दी थी जब उनके माथे पर पत्थर लगा था... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप इस पर दुबारा वादविवाद करने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : मेरा एक अनुरोध है । हमें मामले के सार को देखना पड़ता है । इस मामले का सार है कि सदस्य को चोट लगी है । वह सदस्य जिस घटना में अन्तर्ग्रस्त हुआ है वह इस सदन के वादविवाद का विषय है । इसलिए सदस्य को सदन के समक्ष अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री सी० एम० स्टीफन : ऐसे पूर्व उदाहरण है । जब श्री वाजपेयी को पत्थर से चोट लगी थी तब उन्हें शीघ्र ही वक्तव्य देने की अनुमति दी गई थी । यहीं एक ऐसे सदस्य हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया था...

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि आप किसका उल्लेख कर रहे हैं । यदि आप बताते हैं तो मैं उसकी जांच करूंगा । मुझे वैसे इस बारे में याद नहीं है । मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने दृढ़ता से यह निर्धारित किया था...

श्री सी० एम० स्टीफन : मूल स्थिति यह है कि किसी सदस्य का इस सदन में उसका अपना अधिकार होता है । किसी सदस्य को बचाने अथवा उसे सुनने का सदन को अधिकार तथा उसका दायित्व है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप किसी विनिर्णय का उल्लेख करें । यदि आप पिछले विनिर्णय चाहते हैं तो मैं उन्हें एकत्रित करके आपको दे सकता हूं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह विनिर्णयों के बारे में नहीं है । यह किसी पिछले विनिर्णयों के बारे में नहीं है । क्या कोई इससे अधिक विचारणीय विषय हो सकता है जिसमें किसी सदस्य को सुने जाने का अवसर मिलना चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : हम सब विनिर्णयों से शासित होते हैं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह ऐसा मामला है जिसमें एक सदस्य अन्तर्ग्रस्त था । यह सदस्य किसी विशेष प्रदर्शन में था, यह मामले का विषय वस्तु है, यह सदस्य अस्पताल में था—यह विषय वस्तु है; वह अन्तर्ग्रस्त था, यह विषय वस्तु

है; उसके साथ बुरा सलूक किया गया था, यह विषय वस्तु है। किसी विषय पर इकतरफा बहस नहीं हो सकती है और यह बताने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : मान लीजिये कि सदस्य घायल होता है, यह उसके विरुद्ध आरोप नहीं है। वह केवल यह कह सकता है। मैंने उन्हें एक पत्र लिखा है। यदि अस्पताल के अधिकारियों या पुलिस के विरुद्ध कोई शिकायत है तो वह कृपया मुझे बता सकते हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या आपको पुलिस से पत्र नहीं मिला कि उन्हें गिरफ्तार किया गया था?

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री सी० एम० स्टीफन : और उसको यहां पढ़कर सुनाया गया था।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री सी० एम० स्टीफन : उसके बाद अस्पताल में उनका इलाज विषय वस्तु था। यह ऐसे मामले हैं जिनमें सदन को दिलचस्पी नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस मामले में जांच करनी होगी।

श्री सी० एम० स्टीफन : उसके लिये उनको वक्तव्य देने की अनुमति दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा दिये गये विनिर्णय स्पष्ट हैं—आरोप लगाया जाना चाहिये, अथवा किसी व्यक्ति पर आक्षेप हो—उसकी शिकायत नहीं। यदि उसको कोई शिकायत है तो उसकी अलग जांच हो सकती है। परन्तु, यदि किसी ने उन पर आक्षेप किया हो तो उसको निश्चित रूप से स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। वह वादविवाद में से बतायें। मैंने वादविवाद को पढ़ा है। यदि वादविवाद में उनके प्रति कोई आक्षेप का उल्लेख है तो मुझे इस बात पर आपत्ति नहीं कि वे उस का निर्देश करें।

श्री सी० एम० स्टीफन : अतः प्रश्न अभी खुला है। वह उसे फिर आपके सामने ला सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल निश्चित रूप से।

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : सदन में आरोप लगाए गए हैं

अध्यक्ष महोदय : कृपया जो आरोप लगाये गये हैं उनका उल्लेख करें... **(व्यवधान)**। मैं अपनी बात आपको नहीं बता सकता। **(व्यवधान)** **

अध्यक्ष महोदय : कृपया कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित न करें।

श्री सी० एम० स्टीफन : "कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न करें" आपके इन शब्दों का क्या अर्थ है? मुझे इन पर आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : आपको बेशक आपत्ति हो। ...मैंने आपको बता दिया है कि मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री सी० एम० स्टीफन : आप किन अधिकारों के अन्तर्गत यह कहते हैं "कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाये"।

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार कोई भी सदस्य अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना कोई वक्तव्य नहीं दे सकता।

श्री सी० एम० स्टीफन : आपने उनको अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय : कोई अनुमति नहीं दी गई। मेरी बात को गलत रूप से पेश न करें... **(व्यवधान)** **

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाये।

सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र **(व्यवधान)** **

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अवसर दूंगा। मैंने वादविवाद में जो कुछ कहा है उसे ही उद्धृत करें।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मनी राम बागड़ी (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, आप उधर से पायंट आफ आर्डर उठाने की इजाजत देते हैं लेकिन इधर से व्यवस्था के प्रश्न को नहीं सुनते हैं । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आप सुनें **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, यह प्रासंगिक नहीं है। यह व्यवस्था का प्रश्न नही है। अब पत्र सभापटल पर रखे जायेंगे ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, केन्द्रीय हिन्दी शिक्षा मण्डल, आगरा का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन और उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, सिलचर का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसकी समीक्षा आदि, आदि ।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1977–78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4418/79]**

(2) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षा मण्डल, आगरा के वर्ष 1977–78 के वार्षिक लेखे (हिन्दी) तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।
[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4419/79]

(3) (एक) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, सिलचर के वर्ष 1977–78 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
(दो) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, सिलचर के वर्ष 1977–78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4420/79]

(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सदस्यों की अनर्हतायें, सेवा निवृत्ति तथा सेवा की शर्तें) (दूसरा संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 6 जनवरी, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 16 में प्रकाशित हुये थे ।
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4421/79]

(5) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1977–78 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4422/79]

भारतीय तार अधिनियम 1885 के अन्तर्गत अधिसूचना

संचार मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 24 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा० सां० नि० 458 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4423/79]

गांधी स्मृति समिति, नई दिल्ली तथा राजघाट समाधि समिति के वर्ष 1977–78 के वार्षिक लेखे, कार्यकरण की समीक्षा तथा सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : मैं निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) गांधी स्मृति समिति, नई दिल्ली का वर्ष 1977–78 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे ।

(दो) गांधी स्मृति समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1977–78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा सम्बन्धी विवरण ।

(तीन) उपर्युक्त (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 4424/79]

(2) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली का वर्ष 1977–78 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1977–78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा सम्बन्धी विवरण ।

(तीन) उपर्युक्त (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिये संख्या एल० टी० 4425/79]

केन्द्रीय सरकार द्वारा अप्रैल, 1979 में जारी किए गए बाजार ऋणों की अग्रेतर स्थिति के बारे में विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्ला) : मैं केन्द्रीय सरकार द्वारा अप्रैल 1979 में जारी किए गए बाजार ऋणों की अग्रेतर स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4426/79]

श्री मनीराम बागड़ी* :

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मैं इसके विरुद्ध विनिर्णय देता हूं । कृपया कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित न करें ।

श्री मनीराम बागड़ी तब सदन से उठकर बाहर चले गये

श्री के० राम मूर्ति : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ? वही अथवा कोई अन्य ।

श्री के० राम मूर्ति : वही ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं ।

श्री राज नारायण : *

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाये ।

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । यदि आप वक्तव्य देना चाहते हैं तो मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा । आप नियम 377 के अन्तर्गत सूचना दे, तो मैं उस पर विचार करूंगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

इंडियन एयर लाइन्स के इंजीनियरों तथा तकनीकी कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार ही काम किया जाना तथा हड़ताल की धमकी दिया जाना

श्री नाथू सिंह : (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर पर्यटन और नागर विमानन मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इसके बारे में एक वक्तव्य दें :

"इंडियन एयर लाइन्स के इंजीनियरों तथा तकनीकी कर्मचारियों द्वारा नियम के अनुसार ही काम करने और हड़ताल की धमकी देने तथा इंडियन एयर लाइन्स के विमानों की उड़ानों में विलम्ब और उसके परिणामस्वरूप यात्रियों को हुई असुविधा ।"

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री राज नारायण : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : आप का व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री राज नारायण : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है । एक उत्तरदायी सदस्य की बात को बिना सुने आप यह कैसे कह सकते हैं कि व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक है ।

श्री राज नारायण : आप सदन के प्रवक्ता हैं । आप अध्यक्ष हैं । आपका व्यक्तित्व सीमित है । आप असीमित व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं है । ?

अध्यक्ष महोदय : आप का व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री राज नारायण : मनीराम बागड़ी यहां खडे हुए और मनीराम बागड़ी ने आप की सेवा में बहुत ही विनम्रता से निवेदन किया कि आप हमारी बात सुन लीजिए । लेकिन आप इतने बज़िद हो गए... **(व्यवधान)**...मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है ।

मेरी रिक्वेस्ट यह है कि आप प्वाइंट आफ आर्डर सब का सुन लिया करिए । हमारा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि ... **(इंटरप्शंस)**...

श्री हुकम चंद कछवाय : यह रेकार्ड न किया जाय ।

श्री राज नारायण : हमको आर्डर देंगे जनसंघी ? मैं मोरारजी भाई के सामने, यह प्रधान मंत्री हैं, आज चैलेंज करता हूं, जितने आर एस एस के लोग हैं बाहर निकल कर निपट लें... **(इंटरप्शंस)** ... क्यों बोलते हैं यह... **(इंटरप्शंस)** ...

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाये । **(व्यवधान)** *

मंत्री महोदय को उत्तर देने दें । यह सब अव्यवस्था के प्रश्न हैं । कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न करें ... **(व्यवधान)** *

अध्यक्ष महोदय : एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य है । कृपया उनको अपना वक्तव्य देने दें । अन्य कोई बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न करें । **(व्यवधान)** *

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय । कृपया वक्तव्य, देने दें ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : 26 फरवरी, 1979 को मैंने इसी विषय, अर्थात् इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में विलंब की गंभीर घटनाओं तथा उनके परिणामस्वरूप यात्रियों को होने वाली असुविधा के बारे में इस सदन में एक वक्तव्य दिया था । मैंने उस समय यह स्वीकार किया था कि "समय पर की गयी उड़ानों" का प्रतिशत 1978 की जनवरी के दौरान 50.1% के मुकाबले में जनवरी, 1979 के दौरान गिरकर केवल 34.2% रह गया था। मैंने उस समय कारपोरेशन के "समय पर की गयी उड़ानों" की इस चिंताजनक रूप से बिगड़ती हुई स्थिति के कुछ कारणों का उल्लेख किया था। उनमें से एक कारण प्रतिकूल मौसम परिस्थिति, जैसे कुहरा अथवा काली धुंध था। दूसरा कारण कारपोरेशन के पास विमानों की अत्यधिक तंगी थी, खास कर जबसे 17 दिसम्बर, 1978 को कारपोरेशन का एक बोइंग 737 विमान हैदराबाद में एक दुर्घटना में नष्ट हो गया था । विमानों की तंगी के कारण कारपोरेशन के एक ही विमान को कई बार तो एक ही दिन में 8 या 10 सैक्टरों पर परिचालन करना पड़ता है और जब प्रातःकाल की उड़ान मौसम जैसे किसी प्रतिकूल कारण से अथवा किसी ऐसे कारण से भी जिसपर नियंत्रण किया जा सकता है, देर से की जाती है तो उसके बाद होने वाली बाकी की 7 या 9 उड़ानें भी उसके परिणामस्वरूप विलंबित हो जाती हैं । मैंने उस समय माननीय सदस्यों को कुछ ऐसे कदमों के बारे में भी बताया था जिन्हें सरकार तथा कारपोरेशन का इस चिंताजनक स्थिति में

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न करें ।

सुधार करने की दृष्टि से उठाने का विचार था । माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि उस समय से लेकर कारपोरेशन के "समय-पालन" में कुछ सुधार हुआ है । उदाहरण के तौर पर, "समय पालन" का प्रतिशत जनवरी, 1979 में 34.2% की तुलना में सुधर कर फरवरी, 1979 में 42%, मार्च, 1979 में 59% तथा अप्रैल, 1979 में 60% से भी अधिक हो गया था । मैंने ये जो आंकड़े दिये हैं उनके बारे में, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस सुधार की स्थिति से न तो सरकार ही और न कारपोरेशन ही कोई खास संतुष्ट है, अपितु वे उड़ानों में लगातार होने वाली विलंब अथवा रद्द करने की घटनाओं के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हैं । पिछले दो सप्ताह में, कारपोरेशन के विमान बेड़े की स्थिति और भी अधिक तंग हो गयी है ; उनका एक बोइंग 737 विमान 26 अप्रैल, 1979 को मद्रास में दुर्घटना-ग्रस्त होने के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया ; और उनका एक एयरबस विमान किसी पक्षी से बुरी तरह टकरा गया और इस कारण उसे बड़े पैमाने पर मरम्मत के लिए 3 दिन तक भूमिस्थ करना जरूरी हो गया । एक और एयरबस विमान को तकनीकी खराबी के कारण 17 घंटे से भी अधिक समय तक रोकना पड़ा । अभी परसों ही, एक पक्षी बम्बई में एक बोइंग 737 विमान के इंजन से टकरा गया था जिसकी वजह से उसे 24 घंटे तक भूमिस्थ करना जरूरी हो गया था । तकनीकी खराबियों के कारण भी काफी विलंब की कई और घटनाएं भी हुई थीं । बम की आशंका की भी दो घटनाएं हुई जिनकी वजह से एहतियाती सुरक्षा जांचें करनी पड़ी और उनके परिणामस्वरूप भी उड़ानों में देरियां हुई । इस सबका सार यह है कि इन सब घटनाओं से यात्रियों को अत्यधिक असुविधा हुई थी । मुझे व्यक्तिगत रूप से भी संसद सदस्यों तथा यात्री जनता दोनों ही से काफी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

मैंने इस संबंध में इंडियन एयरलाइंस के वरिष्ठतम प्रबंधकों से कई बार विचार-विमर्श किया है । स्थिति में यथासंभव सुधार करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं । माननीय सदस्यों की सूचना के लिए, मैं इस प्रकार किए जाने वाले कुछ उपायों का ब्यौरा नीचे दे रहा हूं :—

(1) इंडियन एयरलाइंस द्वारा 6 और बोइंग 737 विमान तथा 2 और एयरबस विमान प्राप्त करने की कार्यवाही को और तेज किया जा रहा है । इन प्रस्तावों को इस महीने की समाप्ति से पहले-पहले अंतिम रूप दिये जाने तथा सरकारी स्वीकृति प्रदान किए जाने की आशा है ।

(2) इंडियन एयरलाइंस से कहा गया है कि वे स्थिति में सुधार करने के लिए पट्टे पर विमान लेने के लिए भरसक प्रयत्न करें । एयर इंडिया को भी परामर्श दिया गया है कि वे भी अपने विमान-बेड़े में पहले से ही विद्यमान प्रकार का एक विमान पट्टे पर लें ताकि जहां कहीं संभव हो वे भी इंडियन एयरलाइंस की सहायता कर सकें ।

(3) "समय पालन" का स्वीकार्य स्तर बनाए रखने के लिए, इंडियन एयरलाइंस ने कुछ सैक्टरों पर उड़ानों की संख्या में कमी करके अपनी कुछ उड़ानों का समय परिवर्तन भी किया है ।

(4) इंडियन एयरलाइंस द्वारा सेवाओं के परिचालन के कार्य को आसान बनाने के लिए, "विनियामक प्राधिकरण" अर्थात् नागर विमानन के महानिदेशक से कहा गया है कि वह कुछ परिचालन क्षेत्रों पर लगे हुए मौजूदा प्रतिबंधों का पुनरीक्षण करें ।

(5) यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के विशिष्ट प्रश्न पर, खास कर उड़ानों में होने वाली लम्बी देरियों की अग्रिम सूचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से, इंडियन एयरलाइंस ने कई हवाई अड्डों पर अपने काउंटरों पर काफी कर्मचारी रख लिये हैं तथा संचार सुविधाओं में भी वृद्धि कर ली है ताकि जब कभी भी यात्री एयरपोर्ट के लिए रवाना होने से पहले उड़ानों में देरियों के बारे में अग्रिम सूचना चाहें तो उन्हें उस संबंध में, समय पर तथा बिल्कुल सही सही सूचना दी जा सके । कार्पोरेशन ने स्पष्ट किया है कि क्योंकि जिन यात्रियों को ऐसी सूचना देनी होती है उनकी संख्या बहुत बड़ी होती है, इसलिये कारपोरेशन के लिए उड़ानों के विलंब के बारे में टेलीफोन पर प्रत्येक यात्री को सूचना दे सकना नासंभव सही होगा । इंडियन एयरलाइंस ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी पर्याप्त कदम उठाए हैं कि जब कभी उड़ानों में विलम्ब हो या उन्हें रद्द किया जाए तो यात्रियों को भोजन देने, होटलों में उनके ठहरने की व्यवस्था करने आदि जैसे प्रबन्धों की देखभाल करने के लिए विमानक्षेत्रों पर वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया जाए ।

कारपोरेशन के कर्मचारियों के कुछ वर्गों द्वारा "नियमानुसार कार्य" करने के आन्दोलन की धमकी का भी हवाला दिया गया है । वर्तमान स्थिति यह है कि यद्यपि कारपोरेशन के इंडियन एयरक्राफ्ट

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक]

टेक्नीशियन्स एसोशियेशन से संबंधित कर्मचारियों ने 1 से 5 मई तक "नियमानुसार कार्य" करना आरंभ कर दिया था, परन्तु उन्होंने अब अपना आन्दोलन वापस ले लिया है। यद्यपि कारपोरेशन के इंजीनियरों ने आन्दोलन की कोई धमकी नहीं दी है, तथापि उनके साथ भी कुछ मसले ऐसे हैं जिन्हें हल किया जाना है। इस सम्बन्ध में पहले से ही बातचीत चल रही है।

नागर विमानन विभाग के विमान यातायात नियंत्रकों ने भी 21 से 30 अप्रैल, 1979 तक "नियमानुसार कार्य" करने का आन्दोलन चलाया था, परन्तु उन्होंने भी अब अपना आन्दोलन वापस ले लिया है।

अन्त में, मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कारपोरेशन के पास उपलब्ध सीमित विमानों से ही, विमान सेवाओं का वर्तमान स्तर बनाये रखा जाए तथा विमान सुरक्षा एवं समयपालन को भी क्षति पहुंचने न पाये। विमान बेड़े में वृद्धि हो जाने पर, इस स्थिति में और सुधार हो जाएगा। इंडियन एयरलाइंस को अक्तूबर, 1979 के अन्तिम सप्ताह में एक एयरबस विमान प्राप्त हो जाने की आशा है तथा इसके साथ-साथ एक विमान पट्टे पर मिलने की भी संभावना है।]

अध्यक्ष महोदय : श्री नाथु सिंह।

श्री राज नारायण (राय बरेली) : मैं यह जानना चाहता हूं मैं एक जानकारी चाहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : यह सूची में सम्मिलित नहीं है। मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

श्री राज नारायण : मैं एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि नेपाल में पांच आदमी गिरफ्तार किये गये हैं और पचासों आदमी गोली से भून दिये गये हैं। इसके बारे में हमारे फोरेन मिनिस्टर साहब एक बयान दें। अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं विदेश मंत्री से कहता हूं कि एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री नाथु सिंह का नाम पुकार चुका हूं। कृपया शांत रहें।

[उपाध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**]

श्री नाथू सिंह : विमान सेवा और विमान यात्रा आधुनिक युग में बहुत आवश्यक है ; इससे एक ओर समय बचता है और दूसरी ओर कार्य क्षमता बढ़ती है। दुर्भाग्य से पिछले कुछ दिनों से इस विभाग में बहुत गड़बड़ चल रही है। विमानों का लेट होना, हवाई अड्डों पर उचित व्यवस्था का न होना, कर्मचारियों का अच्छा व्यवहार न होना आम बातें हैं। यहां तक कि सुरक्षा की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। स्वयं मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ सुधार हम ने किए हैं लेकिन हम सन्तुष्ट नहीं है। [राज्य सभा में ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव रखा गया था और वहां पर उत्तर देते हुए मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वह प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी कुछ सुधार हों। मामुली सुधारों के अलावा कोई खास सुधार हुआ हो ऐसा दिखाई नहीं देता है। 24 फरवरी को पालम हवाई अड्डे पर मंत्री महोदय अचानक गए थे और उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि जो विमान पहले दिन सायंकाल आने वाला था वह दूसरे दिन प्रातः काल सात बजे वहां पहुंचा। उस समय उन्होंने कहा था कि मैं इस पर सख्त कार्रवाई करूंगा। क्या कार्रवाई उन्होंने की इसका हमें पता नहीं है। लकिन उसके बाद से स्थिति और भी बिगड़ती चली गई है। दिल्ली से कलकत्ता जाने वाले विमान सतरह-सतरह घंटे लेट हो जाते हैं। उस दिन के बाद से यह देखने में आ रहा है कि अधिकतर विमान आठ-आठ दस-दस और बारह-बारह घंटे लेट उड़ान भरते हैं और आते हैं। जनता बहुत परेशान हो गई है। जनता को यदि कल सवेरे जाना होता है तो सायंकाल ही विमान. . .

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : नियम चार के अन्तर्गत मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह नियम कहता है कि अध्यक्ष जहां बैठने की अनुमति देंगे वहीं सदस्यगण बैठेंगे। श्री राज नारायण जहां उनका स्थान है वहां पर न बैठ कर अन्यत्र बैठे हुए हैं। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उनको जो सीट एलाट की गई है वही उनकी सीट है।

श्री नाथू सिंह : इसी तरह का झगड़ा या इससे भी ज्यादा झगड़ा रिजर्व्ड सीट्स के बारे में होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां अनरिजर्व्ड जगह पर झगड़ा हो रहा है।

श्री नाथू सिंह : 24-24 घंटे तक विमान लेट हो रहे हैं। लेट होने के मामले में मैं समझता हूं कि विमानों और रेलों में एक कम्पीटीशन सा चल रहा है। रेलें अधिक लेट होती हैं या विमान इसको ले कर ऐसा लगता है कि दोनों में कम्पीटीशन चल रहा है। स्वयं मंत्री महोदय जानते है कि व्यवस्था लगातार बिगड़ती चली जा रही है। आरक्षण का जहां तक सम्बन्ध है बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है। मैंने स्वयं देखा है कि जब जाना होना है तो सीट नहीं दी जाती है लेकिन जब कोई एप्रोच वाला आदमी आ जाता है तो उसको दे दी जाती है या कोई पैसा दे देता है तो उसको दे दी जाती है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसके बारे में भी जानकारी लें और कारपोरेशन भी इसके बारे में पता लगाए कि आया ऐसा होता है या नहीं ?

वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि सुधार की स्थिति से न तो सरकार ही और न कारपोरेशन ही कोई खास सन्तुष्ट है अपितु वे उड़ानों में लगातार होने वाली विलम्ब अथवा रद्द करने की घटनाओं के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हम सन्तुष्ट नहीं हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि जागरूक हैं। जागरूक हैं तो क्या सुधार अब तक आपने किया है यह पता नहीं चल सका है और यह समझ में नहीं आया है। एक तो हमारे यहां विमानों की बहुत कमी हैं और मंत्री महोदय ने इसको स्वीकार भी किया है। यह भी वह कहते हैं कि शैड्यूल टाइट चल रहा है और इसकी वजह से कई बार खराबियां पैदा हो जाती है। इंजीनियर्स को पंद्रह बीस मिनट का समय ही जांच करने के लिए दिया जाता है। इतने कम समय में वे ठीक जांच नहीं कर सकते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि कभी कभी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं।

तो जहां विमान में देरी होने के कारण, या उड़ान के रद्द होने के कारण वित्तीय नुकसान होता है वहीं देश में अव्यवस्था भी फैलती है और इतने यात्रियों का कार्यक्रम अव्यवस्थित हो जाता है।

तीसरी बात आपने मौसम की खराबी की कही है। मौसम तो इतना खराब नहीं है जितना कि वह विभाग इस समय खराब हो रहा है। यहां तक कि अभी हैदराबाद में जिस विमान का इंजन खराब हुआ था, मुझे समाचार-पत्रों से पता चला है, क्या आप उस इंजन की मरम्मत के लिये उसको अमरीका भेज रहे हैं ? और क्या मंत्री जी उस इंजन की मरम्मत कराने के लिये स्वयं अमरीका साथ में जाने वाले हैं ? भोजन के बारे में भी शिकायत हुई। जब वह विमान लेट हुआ तो कोई अधिकारी जवाब देने के लिये तयार नहीं था कि कोई भोजन की व्यवस्था है या नहीं। जैसे रेल में आप जनता भोजन देते हैं उसी तरह के भोजन की व्यवस्था हवाई जहाज के यात्रियों के लिये भी कर रहे हैं, या हवाई भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं ? कैसी व्यवस्था आप कर रहे हैं, कृपया यह बतायें ?

इतनी अव्यवस्था मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर चुके हैं और इसके बावजूद भी विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। 1953 में जहां 2,87,122 यात्रियों ने यात्रा की यह संख्या बढ़ कर 1973-74 में 24,79,484 हो गई। 1977-78 में इसका अनुपात और बढ़ गया और यह संख्या 43,41,000 हो गई और 1978-79 में यह संख्या बढ़ कर 45,00,000 तक पहुंच गई। तो जिस तरह से यात्रियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई उसी तरह से एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स का मुनाफा भी बढ़ा है। एयर इंडिया के आंकड़े इस प्रकार हैं: 1975-76 में 6.35 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ, 1976-77 में 17 करोड़ का और 1977-78 में 28.45 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ। इंडियन एयरलाइन्स ने भी जो मुनाफा दिया उसकें आंकड़े इस प्रकार हैं: 1975-76 में 7.25 करोड़, 1976-77 में 12 करोड़ और 1977-78 में 14.33 करोड़ का मुनाफा हुआ। तो जहां पर यात्रियों की संख्या बढ़ रही है वहीं पर मुनाफा भी बढ़ रहा है। मंत्री जी स्वीकार कर चुके हैं कि विमानों की कमी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस समय जब कि रिजर्व बैंक के अनुसार 6,000 करोड़ का फौरेन ऐक्सचेंज है उसके बाद भी आप अधिक मात्रा में नये विमान क्यों नहीं खरीद रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कितने विमान आप और अधिक खरीदना चाहते हैं जिससे कि यह अव्यवस्था दूर हो सके ? और कब तक खरीदने वाले हैं ? कहां कहां से आपने विमान खरीदने की इच्छा व्यक्त की है और कौन कौन से विमान खरीदने की इच्छा व्यक्त की है और कब तक उन विमानों की सेवा शुरू हो जायेगी ? विमानों की क्वालिटी में भी सुधार होना चाहिये ताकि यात्रियों को सुविधा हो। क्योंकि अभी यदि कलकत्ते से असम जायें तो रेल से चार दिन लगते हैं, जब कि विमान से आधे घंटे में पहुंच जायेंगे। इतनी अधिक

11—205 लोक सभा/79

[श्री नाथू सिंह]

सुविधाजनक विमान सेवा है । इसके लिये आपके विभाग में जो ढिलाई आ रही है उसको दूर करने के लिये आप क्या कदम उठाने वाले हैं, और कब तक यह विमान खरीद लेंगे ताकि यह अव्यवस्था दूर हो जाय, और कितने विमान आप खरीद रहे हैं ? इसके अलावा जो कर्मचारी ढिलाई करते हैं, ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं, समय पर ड्यूटी नहीं देते इसके बारे में आप क्या करेंगे ?

पहले स्टुडेंट्स, विद्यार्थियों, को कनसेशन देते थे, लेकिन अब वह कनसेशन वापस ले लिया गया है । इतना मुनाफा हो रहा है, मगर उसके बावजूद विमान-सेवा में अव्यवस्था है और विद्यार्थियों को दिया गया कनसेशन वापस छीन लिया गया है । क्या मंत्री महोदय विद्यार्थियों के लिए उस कनसेशन को पुनः चालू करेंगे और इस विमान-सेवा को सुचारू रूप से चलायेंगे, ताकि देश का फायदा हो सके ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने कई प्रश्न पूछ लिये हैं, जो इस कालिंग एटेन्शन नोटिस से सम्बन्धित नहीं हैं ।

श्री नाथू सिंह : वे छोटे छोटे प्रश्न हैं — वे एक ही प्रश्न के विभाग हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे विभाग नहीं हैं, वे अलग अलग प्रश्न है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो स्थिति है, उसके जो भी कारण हों, मगर उसे स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है । इंडियन एयरलाइन्स के सामने दो तरह की समस्यायें हैं। एक तो है विमानों का समय पर न चल पाना, और दूसरी है कर्मचारियों के व्यवहार के सम्बन्ध में । जहां तक विमानों के समय पर न चले पाने, और किसी विमान के चलने में अत्यधिक विलम्ब होने, का प्रश्न है, उसका मुख्य कारण हमारे विमान-बेड़े में अत्यधिक कमी है ।

भविष्य में यात्रियों की संख्या किस तरह से बढने वाली है, प्लानिंग कमीशन ने इस बात पर विचार करते हुए यह आकलन किया कि अगले छः साल में ट्रैफ़िक ग्रोथ का रेट 8 प्रतिशत होगा । इंडियन एयरलाइन्स ने अनुमान लगाया कि 8 प्रतिशत नहीं, 12 प्रतिशत के हिसाब से ट्रैफ़िक बढ़ेगा । लेकिन आज स्थिति यह है कि यात्रियों की संख्या में वृद्धि लगभग 22 प्रतिशत है । इस प्रकार यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हमारे विमान बेड़े में नितांत कमी है, और इस कारण भी असुविधायें होती हैं। यात्रियों की संख्या ज्यादा होती है। उनका नाम वेटिंग लिस्ट में होता है और वे जा नहीं पाते हैं, इस लिए उनमें असंतोष होता है। और इससे कई तरह की आशंकायें उठती हैं ।

माननीय सदस्य ने टिकट वगैरह के बारे में कहा है । अगर इस प्रकार किसी तरह का भ्रष्टाचार होता है। और अगर इस बारे में कोई शिकायत हो, तो मैं माननीय सदस्य को निश्चित रूप से समुचित कार्यवाही करने का आश्वासन देना चाहता हूं ।

जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है, हमारी कोशिश यह है कि हम अपने विमान बेड़े में तेजी के साथ वृद्धि करें। और इतना ही नहीं कि हम जितने विमान खरीदने की बात कर रहे हैं हम उससे संतुष्ट हो जायें। बल्कि तात्कालिक समस्या को हल करने के लिए लीज, ठेके पट्टे पर भी जहां से हमें विमान मिल सकता है, हम उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक विमान निकट भविष्य में मिलने की सम्भावना है । और जगहों से भी हम विमान हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं । हम एयर इंडिया को भी कह रहे हैं कि वह अपने विमान बेड़े में कहीं से भी पट्टे पर विमान हासिल करे, जो डॉमेस्टिक सैक्टर में चल सकता है, जैसे 707, ताकि हम उसको चला सकें । तात्कालिक समस्या को हल करने के लिए भी इंडियन एयरलाइन्स के लिए पट्टे पर विमान हासिल करने की कोशिश की जा रही है ।

जहां तक विमान खरीदने का प्रश्न है, एक एयरबस इसी साल अक्तूबर में उपलब्ध हो जायगा । हमने इनडेंट दिया हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि और लोगों की राय से हम उसको जल्दी हासिल करें । हम 6 बोइंग और 2 एयरबस हासिल करना चाहते हैं । हमें तीन बोइंग 1981 के मध्य में, जून, जुलाई और अगस्त में, उपलब्ध होने की सम्भावना है । तीन बोइंग 1982 में जून, जुलाई और अगस्त में उपलब्ध होने की सम्भावना है ।

जो एयर बस हम खरीदने जा रहे हैं, 1981 क अगस्त और सितम्बर में उन के उपलब्ध होने की संम्भावना है । क्योंकि बोइंग और एयर बस इन विमानों की मांग इतनी अधिक है कि आज अगर हम आर्डर प्लेस करेंगे तो डेढ़ साल के पहले वह मिल नहीं सकते। तो ये हमें उपलब्ध हो जाएंगे और जैसा मैं ने निवेदन किया हम लीज पर भी किसी तरीके से इन को प्राप्त कर के हमारी जो तात्कालिक समस्या है उस को हल करने की कोशिश करेंगे ।... **(व्यवधान)** ... दुनिया में जहां कहीं भी बोइंग विमान उपलब्ध हो सकते हैं उन को हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकीन कहीं उपलब्ध नहीं हैं। जिस तरह के विमान हमारे विमान बेड़े में हैं उसी तरह के हम लाएंगे तभी उस को हम चला सकते हैं। कोई नया विमान यहां लाकर तत्काल उस को चलाने में अनेक कठिनाइयां हैं और वह संभव भी नहीं है। इसलिए 737, 727 इस तरह के विमान जो हम को उपलब्ध हो सकते हैं उस की हम कोशिश कर रहे हैं और जैसा मैं ने निवेदन किया एक हम को तत्काल उपलब्ध होने की संभावना है । एक हम लीज पर लेना चाहते हैं अगर मिल जाय और एयर बस के आने पर आज जितने हमारे वर्तमान रूटस हैं उन पर हम समझते हैं कि हमारी तात्कालिक जो दिक्कतें और कठिनाइयां हैं वह दूर हो जायंगी और उन को हम और ज्यादा सुविधाजनक तरीके से चला कर समय की पाबन्दी रख सकते हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

दूसरी तरह की शिकायत माननीय सदस्य ने कुछ लोगों के व्यवहार के बारे में की । जहां तक व्यक्तिगत अधिकारियों के बारे में शिकायतों का प्रश्न है उस में अकेले मेरे करने से यह संभव नहीं होगा जब तक शिकायतें हमारे पास नहीं आएंगी और उस में मैं माननीय सदस्यों के सहयोग का आकांक्षी हूं। इसी उद्देश्य से मैंने हर एयर पोर्ट पर जो मुख्य मुख्य हैं, एक कमेटी बनाई है और उस में मैं ने यह भी निर्देश दिया है कि हर महीने में उस की बैठक हो और जो भी शिकायतें हों, कर्मचारियों के बारे में या उड़ानों के सम्बन्ध में और सूचनाओं के बारे में उस को वह देखे... **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : उस में संसद सदस्यों को भी शामिल कर लें ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : हर कमेटी में दो संसद सदस्य मनोनीत किए गए हैं । ... **(व्यवधान)** ... ...आठ एयर पोर्टस् पर फिलहाल यह किया है जिस में चार तो अन्तर्राष्ट्रीय एयर पोर्टस् हैं। एक बंगलौर है, त्रिवेंद्रम है, हैदराबाद है, पटना है और अहमदाबाद है । मुझको प्रसन्नता है कि अहमदाबाद में जो कमेटी बनी, उस में हमें यह देखा कि तत्काल बैठक के बाद कार्यवाही वहां हुई और वह कितनी उपयोगी हो सकती है उस के बारे में उन्होंने कृपा पूर्वक मुझको एक पत्र भी लिखा है। मुझे उम्मीद है और मैं काफी आशावान हूं कि अगर इस तरह से और भी दूसरे एयर पोर्टस् पर काम चलेगा तो ये शिकायतें निरन्तर कम होंगी और मुझको यह जानने में भी मदद मिलेगी कि कौन कर्मचारी किस तरीके से नियमों के अनुसार काम कर रहा है और कौन नियमों के विपरीत इस तरह की स्वेच्छाचारिता कर रहा है और किस तरह की और दूसरी शिकायतें हैं। उन के विरुद्ध कार्यवाही करने में भी मुझको मदद मिलेगी ।... **(व्यवधान)** ... अभी दूसरे एयर पोर्टस् पर जब तक यह कमेटी नहीं बनती है तब तक मैंने यह निर्देश दिया है कि उस मुख्य एयर पोर्ट के अधीनस्थ जो एयर पोर्टस् आते हैं वहां की समस्याओं के बारे में भी वह कमेटी विचार करेगी और उन के सम्बन्ध में निर्णय लेगी और आगे सुधार के लिए जो भी सुझाव होगा उस पर वह विचार करेंगी ।

श्री नाथू सिंह : बाकी एयर पोर्टस् पर कब तक बना देंगे ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : अभी तो जो यह कमेटी बनी है यह कितनी उपयोगी हो सकती है यह देखना है और उस के बारे में भी मैंने निवेदन किया कि हर एयर पोर्ट किसी न किसी कमेटी के अन्तर्गत आ जायेगा ताकि वहां की समस्याओं के बारे में भी विचार वह विचार कर सके ।

इस तरह से कोशिश हमारी यह है कि दोनों तरह से इस में सुधार लाएं। जो विमान की तंगी उस को देखते हुए तत्काल विमान बेड़े में वृद्धि करें और जो कर्मचारियों के बारे में शिकायतें हैं उन माननीय सदस्यों के साथ और जन-सहयोग के साथ दूर करने की कोशिश करें ।

अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सुधार का काम है यह तो एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । निरन्तर हम को कोशिश कर के इस में सुधार लाने का प्रयास करते रहना है। जो

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक]

आज की स्थिति है उस के प्रति हम जागरूक हैं। चिन्ता इसलिए है जो मैं ने बताया, जो स्थिति है उस को मैं स्वीकार करता हूं, उस को स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं है और जागरूकता की बात मैं इसलिए कहता हूं कि उस में जितनी तेजी के साथ हम सुधार कर सकें वह करने की कोशिश हम करें।

कार्य मंत्रणा समिति

34 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 34 वें प्रतिवेदन को जोकि 4 मई, 1979 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, स्वीकार करती है।"

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : नियम 290 के अधीन मैं अपने मित्र संसदीय कार्य तथा 'कठोर' श्रम मंत्री के, क्योंकि हमारे के जैसे वास्तविक लोकतंत्र में श्रम मंत्री का पद बड़ा कठोर पद होता है, सरत नदी प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं।

संशोधन दो हैं बाद में दोहरे हैं :

कि प्रस्ताव में—,

अन्त में जोड़िये—

"इस परिवर्तन के साथ कि प्रतिवेदन को पैराग्राफ 3 में—

"मध्यान्ह भोजन के अवकाश के बिना" के स्थान पर

"अपराह्न 1 बजे से अपराह्न 2 बजे तक मध्याह्न भोजन के अवकाश के साथ" जोड़िये।

कि प्रस्ताव में—

अन्त मे जोड़िये—

"इस परिवर्तन के साथ कि सभा, अपराह्न 1 बजे से 2 बजे तक मध्याह्न भोजन-अवकाश के साथ शनिवार, 19 मई, 1979 को प्रातः 10-30 बजे से सायं 7-30 बजे तक बैठे। और उस दिन कोई प्रश्नकाल नहीं होगा।"

दो-तीन वैकल्पिक संशोधन भी हैं परन्तु मैंने इसके बारे में कुछ गहराई से सोचा है और मैंने केवल संख्या 1 तथा संख्या 3 ही प्रस्तुत किये हैं।

मंत्री महोदय अथवा कार्य मंत्रणा समिति का प्रस्ताव यह है कि कल से शुक्रवार 18 तारीख को सत्र को समाप्ति तक मध्याह्न भोजन-अवकाश नहीं होगा। समिति ने सामूहिक रूप से यह सिफारिश की है कि और मंत्री महोदय ने प्रस्ताव किया है कि कोई मध्याह्न भोजन अवकाश नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह तो कमर तोड़ होगा हमारी तो कमर टूट जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल कमर, दिल नहीं।

श्री हरि विष्णु कामत : दिल तोड़ने की अन्य बातें हैं।

मैं सभा को यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि, मुझे विश्वास है कि दक्षिणपंथी, वाम पंथी तथा मध्य पंथी सभी मेरे मित्र मुझसे सहमत होंगे कि यह हमारे लिये नित्य प्रति का कमरतोड़ क्रम हो जायेगा यदि मध्याह्न भोजन-अवकाश भी न मिला तो। और फिर समिति को ऐसी सिफारिश करने से क्या लाभ होता है? वस्तुतः क्या तो इससे प्राप्त होगा और क्या इस का प्रभाव पड़ेगा ? कुछ तो यही है कि वे अतिरिक्त रूप से 8 घण्टे चाहते हैं—इन तीन दिनो में प्रति दिन एक घण्टा ; शुक्रवार शनिवार तथा रविवार छुट्टियां हैं ; तथा 5 दिन अगले सप्ताह में हैं। यदि हम मध्याह्न भोजन अवकाश नहीं लेते हैं तो उन्हें 8 अतिरिक्त घण्टे मिल जाते हैं। क्या यह संभव नहीं है, क्या यह आमदी की समझ से बाहर की बात है, क्या यह समिति अथवा इस सभा की क्षमता से बाहर की बात है कि वह यह सुझाव मान ले कि इस सत्र के अन्तिम शनिवार को, 19 मई को सभा प्रातः 10-30 बजे से, दोपहर का अवकाश किये बिना ही, सायं 6-30 बजे तक अथवा दोपहर भोजन का अवकाश लेते हुए सायं 7-30 बजे तक बैठे। मैं तो व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि दोपहर का भोजन-काल लेते हुए बैठे और उस दिन प्रश्नकाल भी न हो ताकि वह दिन पूरे आठ घण्टे का रहे। मैं देखता हूं कि रेल मंत्री ने हाल ही में रेल कर्मचारियो को 8 घण्टे के दिन का अच्छा उपहार दिया है। अतः उस दिन हमारे लिये भी दिन 8 घण्टे का हो तथा 1 बजे से 2 बजे तक लंच हो।

में एक बात और कहना चाहता हूं । इस सभा में गत कुछ दिनों वित्त-कार्य पर चर्चा के दौरान मेरा यह अनुभव रहा है कि एक बार मैं 5-30 बजे के लगभग आया जबकि सभा सायं 6 बजे तक बैठा करती थी, बाद में इसका समय सायं 7 बजे तक बढ़ा दिया गया था, और तब मुझे यह देखकर न केवल आश्चर्य बल्कि व्याकुलता भी हुई कि उस समय सभा में केवल 5 सदस्य बैठे थे ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : एक बार तो केवल तीन सदस्य ही थे ।

श्री हरि विष्णु कामत : वहां केवल पांच सदस्य थे अर्थात् सभा की सदस्यता का केवल एक प्रतिशत । सभापति सहित केवल छः व्यक्ति थे । यह उस समय की बात है जबकि ऊर्जा मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हो रही थी । वहां पर केवल पांच व्यक्तियों का एक उत्साही दल था . . .

प्रो० पी० जी० मावलंकर : वे घटकर तीन सदस्य रह गये थे ।

श्री हरि विष्णु कामत : एक मंत्री भी, एक जनता पार्टी का सदस्य इस ओर था, एक सदस्य बीच में था और दो सदस्य उस ओर थे और सब उचित रूप से बंटे हुए थे । इस प्रकार सभा की कार्यवाही चलती रही । कार्य संचालन हुआ, मांगों पर चर्चा हुई । तथापि मांगों पर मतदान अगले दिन हुआ था ।

यह अस्वाभाविक-सी बात है दोपहर का भोजन-काल न हो और सभा की कार्यवाही प्रातः 10-30 बजे से सायं 6-30 बजे तक चलती रहे ।

पहले भी लोक सभा में ऐसे अवसर आये हैं जबकि यह प्रश्न उठा था और गणपूर्ति का प्रश्न विशेष रूप से उठाया गया था । लोक सभा के पहले अध्यक्ष महोदय, दादा साहिब मावलंकर जिन के सुपुत्र इस सभा में हमारे साथ हैं ; और तीसरी लोक सभा के भी सदस्य हुकम सिंह ने सरकार को सलाह दी थी कि यदि सरकार चाहे तो, संविधान मे इस आशय के संशोधन का एक विधेयक लायें जो गणपूर्ति संबंधी धारा 100 खंड (3) तथा (4) में संशोधन करे । मैं समझता हूं कि सभा की एक प्रतिशत सदस्यता से ही सभा की कार्यवाही चलाना सभा के लिये स्वयं को मूर्ख सिद्ध करना और अपनी हंसी उड़ाने वाली बात है जैसा कि उस दिन हुआ । वह वास्तव में ही दिल तोड़ने वाली बात थी ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : शनिवार को आप को उपस्थिति कूल मिलेगी ।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि ऐसी बात है तो आप सोमवार रख लीजिये । परन्तु मैं प्रति दिन बिना मध्याह्न भोजन काल रखे बैठक रखने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

बस अब मैं एक अन्तिम बात और कहूंगा । नियम 290 इस स्थिति को स्पष्ट करता है । इसमें कहा गया है कि :

290 प्रतिवेदन के सभा के समक्ष उपस्थित किये जाने के बाद किसी भी समय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि सभा प्रतिवेदन को स्वीकार करती है या संशोधनों के साथ स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है :

परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन या तो बिना परिसीमा के या किसी विशेष विषय के संबंध में समिति को वापस भेज दिया जाए :

यदि मेरे माननीय मित्र जो रांची से यहां सदस्य हैं, चाहते हैं कि इस मामले पर कार्यमंत्रणा समिति विचार करे तथा सभा निर्णय न करे तो समिति इस पर पुनः नये सिरे से विचार करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ! समिति इस पर शांतिपूर्वक विचार कर ले । उन्हें निर्णय करने दें । इसे पुनः कार्यमंत्रणा समिति के पास भेज दिया जाये ।

इस समय मई मास का मध्य है, तापमान प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है । मई का मध्य दूर नही है निश्चय हो यह मई का मध्य है । तब तो लू भी चलने लगेगी । हम 'लूनी' दिनों के समीप पहुंच रहे हैं । लू का विशेषण 'लूनी' होता है ।

श्रीमन्, आप को देखकर मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि आप मुझ से सहमत हैं । मुझे पूरा विश्वास तो नहीं है । मंत्रीगण और आप भी और अध्यक्ष महोदय को हम से कुछ अधिक आराम रहता है क्योंकि आप को सभा में सारा दिन नहीं बैठना पड़ता । परन्तु जब कोई महत्वपूर्ण विधेयक होता है जिस पर हमारे संशोधन पेश हुए हैं जैसे लोकपाल विधेयक क्या विशेष न्यायालय विधेयक तब तो हमें यहां सारा दिन बैठना पड़ता है । मैं समझता हूं कि कोई वरिष्ठ मंत्री जी सभा में बारी बारी से एक-दो घंटे उपस्थित रहकर किसी मंत्री की सहायता नहीं करता है । मुझे बताया गया है कि कोई रोस्टर नहीं बना हुआ है । मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है । परन्तु उसका अनुपालन करने की बजाय उसका उपयोग उल्लंघन हेतु अधिक किया जा रहा है । कभी-कभी सभा में कोई भी मंत्री उपस्थित नहीं होता है । **(व्यवधान)**

[श्री हरि विष्णु कामत]

पहले वह भी एक मंत्री थे और उन्हें मालूम होना चाहिये कि जब यहां कांग्रेसी सरकार थी उस समय मंत्रियों की एक तालिका होती थी। मैं यह जानता हूं, परन्तु उन्होंने भी ऐसा ही व्यवहार किया और अब हमारे मंत्री भी इस मामले में अनीत, सभा में उपस्थित के मामले में, दूसरी बातो में नहीं कांग्रेसी मंत्रियों से अच्छे सिद्ध नहीं हुए। अतः इस स्थिति में सुधार किया जाना चाहिये। मंत्रियों की एक सूची या तालिका बनाई जानी चाहिये। जैसा कि आप सब जानते हैं, मुझे इस बात पर अधिक श्रम करने की जरूरत नहीं है, परन्तु जहां तक सरकारी कार्य का संबंध है, यह सरकार का मुख्य दायित्व है कि वह सभा में गणपूर्ति का सुनिश्चय करे। हालांकि दूसरे नम्बर पर किसी का भी यह दायित्व है परन्तु सरकारी कार्य के, निष्पादन के लिये सरकार को ही गणपूर्ति का सुनिश्चय करना चाहिये और मंत्रियों की एक तालिका बनानी चाहिये। कभी कभी तो केवल पांच सदस्य ही सभा की कार्यवाही चलाते हैं। भगवान भला करे इस प्रकार तो लोकतंत्र नहीं चल सकता।

अतः मैं अपने संशोधन पेश करता हूं और सभा से अनुरोध करता हूं कि वह उन्हें स्वीकार करे।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : विशेष रूप से इस विचार से कि मेरे मित्र श्री कामत ने इस बारे में काफी प्रभावपूर्ण ढंग से विचार व्यक्त कर दिये हैं, मैं बहुत संक्षेप में ही बोलूंगा **(व्यवधान)**

मुझे आशा है कि सभा कुछ मिनट के लिये मुझे से सहयोग करेगी।

सारा मुद्दा यह है। उक्त प्रतिवेदन दो आधारों पर आपत्तिजनक है। पहला यह कि इस समय इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है कि हमारे बहुत से साथी जब वे चर्चा, भाषण आदि की मांग करते हैं, तो वे उसी समय अथवा उसी दिन प्रकट होते हैं जिस दिन वह विशिष्ट प्रस्ताव चर्चाधीन होता है। तब वे आते हैं, बोलते हैं और चले जाते हैं। परन्तु, क्योंकि सभा की कार्यावधि को बढ़ाकर प्रातः 10-30 बजे से सायं 6-30 बजे तक अथवा इसके बाद तक करने को कहा गया है, जिस में दोपहर के भोजन के लिये समय नहीं होगा। हम में कुछ लोग जो सभा के कार्य को गंभीरता से लेते हैं,—मेरे विचार से हम सभी को इस बारे में गंभीर होना चाहिये—और यहां बैठे रहते हैं तथा कड़ा परिश्रम करते हैं, उनको प्रणित किया जायेगा। हम केवल आकर तथा बोलकर ही नहीं चले जाते बल्कि हम सुनते भी हैं। मेरे विचार से हम सब से यही अपेक्षा रहती है : हमें कम बोलना चाहिये और अधिक सुनना चाहिये।

अतः मेरा कहना यह है कि इस प्रकार के प्रतिवेदन से उन लोगों को जो समय आदि में वृद्धि करना चाहते हैं, भाषण करने तथा करके चले जाने का लाभ मिल जाता है जबकि हम जैसे सभी अन्य सदस्य जो उन भाषणों को सुनते हैं तथा यहां पर बैठे रहते ह, उनको सजा दी जा रही है। ऐसा करना तो उचित नहीं है।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि यह सत्र-बजट सत्र—बहुत लम्बा रहा है और जैसा कि आप सभी जानते हैं परम्परा यह रही है कि बजट सत्र के दौरान जबकि वित्त विधेयक को एक विशिष्ट दिन तक पारित कर देना होता है—अप्रैल के अंत तक—ताकि अनुदानों की मांगों पर चर्चा के लिये अधिक समय मिल सके, पांच छः सप्ताह तक लगातार दोपहर का भोजन-अवकाश कर जाता है क्योंकि अनुदानो की मांगो पर चर्चा जारी रहती है। अब, अगर हम सारे सत्र के दौरान हमेशा ही दोपहर के भोजनकाल के बिना रहेंगे तो मेरे विचार से भविष्य के लिये यह एक बुरी शुरूआत होगी। एक बार यदि सभा इस तरह के प्रतिवेदन को स्वीकार कर लेती है तो सरकार बार-बार इस आराम का अवरोध लेकर आयेगी कि दोपहर का भोजनावकाश न हो, हम समय से आधा घण्टा पहले शुरू करें तथा आधा घण्टा देर तक बैठे और कि कोई बात नहीं यदि सभा में केवल पांच ही सदस्य मौजूद हो तथा गणपूर्ति की जरूरत न समझी जाये क्योंकि परम्परा यह रही है कि यदि हम सामान्य समय से पहले अथवा बाद तक बैठते हैं तो गणपूर्ति का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिये। सारी स्थिति बड़ी अजीब बन जाती है। हम न केवल हास्यास्पद स्थिति में पहुंच जाते हैं बल्कि आम जनता की नजरों में तथा राष्ट्र की नज़रों में संसद की निष्प्रभाविता और अधिक बढ जाती है और हम हमारी स्थिति सर्वथा अर्थहीन हो जाती है। सारा प्रयास हर दृष्टि से निष्फल हो जाता है। इसलिये समय में इस वृद्धि का पूरी शक्ति से विरोध करता हूं।

एक और बात है। एक बात पर मैं सरकार से पूरी तरह सहमत हूं कि सरकार महत्वपूर्ण विधायी उपायों पर विचार किये जाने के संबंध में कार्यक्रम से पीछे है। मुझे यह स्वीकार करना चाहिये कि हम सभी ने मिलकर यह स्थिति पैदा की है। आखिर संसद का समय अधिकतर सरकार का समय है और अतः मुझे यह मानना ही चाहिये कि सरकार को स्वयं ही इसका ध्यान रखना चाहिये क्योंकि कुछ समय तो शून्यकाल आदि में ही निकल जाना चाहिये। वस्तुतः आज सुबह कुछ हुआ परन्तु मैं उस पर विवाद में नहीं पड़ना चाहता, न ही मुझे अपने सहयोगियों की आलोचना करने का ही अधि-

कार है न ही मुझे करनी चाहिये । परन्तु मुद्दा यह है कि इस मामले को दूसरे तरीकों से निपटाया जा सकता है क्योंकि गैर-सरकारी चीजों पर अधिक समय खत्म हो जाता है, तो फिर सरकार हम लोगों को क्यों दण्डित करती है जो सभा की कार्यवाही में गंभीरता से भाग लेते हैं तथा सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं ।

इसलिये, कृपया हमारा अनुरोध अध्यक्ष महोदय तथा अन्य नेताओं तक पहुंचा दें--मैं तो बीच में नहीं आता हूं परन्तु दल के नेता तथा अन्य नेतागण मिल बैठकर यह पता लगायें कि सभा के समय के इस प्रकार होने वाले इन अधिक व्यय को कैसे न्यूनतम किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप प्रायः सरकार का काफी समय चला जाता है ।

परन्तु इस प्रक्रिया में, हम लोग, जो संसदीय कार्यवाहियों में निष्ठा तथा गंभीरता से भाग लेते हैं दण्डित किया जाता है जैसा कि मेरे मित्र ने कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करने के आशय से अपने प्रस्ताव में हमें दण्डित करने का प्रयास किया है । इसीलिये, मैं हार्दिक रुप से उनसे यह निवेदन कर रहा हूं । इस प्रस्ताव को पास मत कराईये । श्री कामत के संशोधन को स्वीकार कीजिये । आगे से, ईश्वर के लिये कृपया ऐसी कोई अनियमितता मत कीजिये । हमें एक सामान्य सत्र चलाना चाहिये । और यदि कहीं हम कोई गलती करते हैं--मैं यह मानता हूं कि हमारे कुछ साथी सदस्य अत्याधिक समय ले जाते हैं--तो उन्हें रोकने के लिये कुछ अन्य उपाय है । इस प्रकार तो आप सदस्यों को यह अनुमति दे रहे हैं कि वे अपना भाषण दें और चले जायें । केवल थोड़े से ही सदस्य संसद की कार्यवाही में गंभीरता से भाग लेते हैं तथा सारा दिन प्रातः 10-30 बजे से सायं 6-30 बजे तक सभा में बैठे रहते हैं । उन्हें ही आप इस प्रकार दण्ड देते हैं । जैसा कि मेरे साथी का कहना है कि यहां तक कि कार्यमंत्रणा समिति के तथा अन्य समितियों के सदस्य भी यहां पर आते हैं भाषण देते हैं और चले जाते हैं क्योंकि उनमें में बहुत से सदस्य यह जानते हैं कि उन्हे कब बुलाया जायेगा । सारी कार्यवाही पार्टी व्यवस्था के हिसाब से चलती है ; हम में से जो लोग किसी दल से संबंधित नहीं हैं उनको, स्वाभाविक ही है कि अपनी बारी के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ती है । हम इसी आशा में बैठे रहते हैं कि हमें बोलने के लिये कहा जायेगा और कभी कभी तो हमें बोलने का अवसर ही नहीं मिलता । तथापि यह बात इतनी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है । बात तो यह है कि ऐसे लोगों को दण्डित क्यों किया जाये ? जो लोग अधिक समय मांगते हैं वे आते हैं और भाषण देकर चले जाते हैं । सारा कार्यालय, सारा सचिवालय, रिपोर्टर, वाच एण्ड वार्ड, सभी को संसद के केवल कुछ सदस्यों की सुविधा तथा संतुष्टि के लिये अपना समय यहां लगाना पड़ता है । इसलिये, मुझे आशा है कि कोई नया रास्ता निकाला जायेगा ताकि इस तरह के प्रतिवेदन न पेश हो ।

श्री रविन्द्र वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, सदैव की भांति ही होशंगाबाद के माननीय सदस्य की बात सुनकर काफी लाभ होता है । कभी तो वह इतिहास की बात बताकर हमारे मस्तिष्क को ताजा कर देते हैं और कभी वह अपनी भविष्य-वाणियों से हमारे मस्तिष्क को ताजगी प्रदान करते हैं और कभी वह हमें यह चेतावनी देते हैं कि यदि हम ऐसा कुछ करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिये तो हमारे लोकतंत्र को क्या कुछ हो सकता है ।

मैं बड़ी विनम्रता के साथ...

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : आप तो कभी भी विनम्र नहीं रहे ।

श्री रविन्द्र वर्मा : मैं माननीय सदस्या के साथ प्रतियोगिता तो नहीं कर सकता जिनके द्वारा चुपचाप कही गई बात मैं सुनने के विवश हुआ हूं क्योंकि उनका माइक्रोफोन काम कर रहा है । जहां तक विनम्रता का संबंध है कई तरह की विनम्रता हो सकती है । कृपया मेरी विनम्रता को भी एक तरह की विनम्रता मान लीजिये आप के जैसी प्राचीन विनम्रता नहीं है महोदया ।

मेरे माननीय मित्र ने जो प्रश्न उठाया है वह इस सिफारिश के बारे में है कि हमें दोपहर के भोजन-अवकाश का परित्याग करना चाहिये । मैं जानता हूं कि जहां तक भोजन का संबंध है, एक शब्द जहां भोजन के साथ 'अवकाश' (ब्रेक) जुड़ा हुआ है और वह 'ब्रेक-फास्ट' (नाश्ता) 'लंच-ब्रेक' नहीं । मुझे याद है जब अपने छात्र जीवन में मैंने पढ़ा था कि नेपोलियन ने सेना को खाली पेट चलने के बारे में कहा था । मुझे पूरी तरह याद नहीं कि उसने चलने के लिए कहा था कि न चलने के लिये कहा था शायद इतिहास के प्रोफेसर होने के नाते मेरे माननीय मित्र मुझे याद दिला दें...

श्री हरि विष्णु कामत : मैं कथनी में विश्वास नहीं रखता वरन् करनी में रखता हूं ।

श्री ए० ई० टी० बैरो (मनोनीत-आंग्ल-भारतीय) : एक सेना ने खाली पेट कूच किया था ।

श्री रविन्द्र वर्मा : वे पेट केवल चले थे, पता नहीं खाली पेट पर चले थे अथवा कि भरे पेट पर ।

जहां तक विधेयकों की प्रगति का संबंध है, मेरे विचार से कोई भी इतनी सुदृढ़ता से यह नहीं सुझाव दे सका है कि विधेयकों के पास होने, संसदीय कार्य तथा पेटों की स्थिति में परस्पर कोई संबंध है ।

श्री हरि विष्णु कामत : आप कभी कभी खाली पेट दवा ले लेते हैं।

श्री रविन्द्र वर्मा : मुद्दा केवल इतना है कि हम दिन में अधिकाधिक घण्टे काम करना चाहते हैं। कार्यमंत्रणा समिति के समक्ष यह प्रश्न था कि 18 तारीख तक हम बैठकों के लिये कितने घण्टे प्राप्त हो सकते हैं। बार बार इस सभा में मुझ से पूछा गया है कि क्या सभा को 18 तारीख से आगे बढ़ाया जाये और उस समय मैंने उत्तर दिया है और कहा है कि यहां तक कि अपने विद्वान प्रा० श्री मावलंकर को भी कहा है कि सरकार 18 तारीख से आगे सत्र को बढ़ाने की कोई इच्छा नहीं रखती। इस दृष्टि से कि हम सत्र को 18 तारीख से आगे नहीं बढ़ाना चाहते कार्य मंत्रणा समिति का अधिकाधिक समय निकालना ही था जिसका कि हम उपयोग करते। कार्य मंत्रणा समिति—जिसके लिये मुझे कभी कभी कहना पड़ता है कि बहुत बदनाम की गई कार्य मंत्रणा समिति में सभी प्रमुख विपक्षी दलों के प्रतिनिधि हैं और मैं, इसका दोष न लेते हुए कि मैं समिति की कार्यवाही का भेद प्रकट कर रहा हूं, कहता हूं कि उक्त सुझाव सरकार की तरफ से नहीं दिया गया था। दूसरे सदस्यों ने यह सुझाव दिया था और इसपर किसी ने आपत्ति नहीं की थी। उस समय मैंने सरकार की तरफ से कहा था कि यदि यही मत है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है और सरकार इससे सहमत है। इसीलिए यह बात कही है कि सहकार न इसका प्रस्ताव किया है और सभा को उक्त सुझाव मानने को विवश किया है। यह समिति की सर्वसम्मत राय थी और सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया था।

जहां तक दोपहर के भोजन-अवकाश को त्याग ने की बात है इसका अर्थ दोपहर का भोजन त्याग ने का नहीं है। इसका अर्थ है यहां बैठे रहना . . . मैं जानता हूं . . . **(व्यवधान)** मुझे अपनी बात पूरी करने दे। मैंने आपके भाषण में व्यवधान कभी नहीं डाला। वस्तुतः हमें दोपहर के भोजन के लिये देर हो रही है। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि कुछ सदस्य ऐसे हैं जो सभा में आरंभ से अन्त तक बैठे रहते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो आते हैं, कुछ देर बैठते हैं तथा फिर चले जाते हैं। यह इसलिये नहीं कि सरकार ने उन्हें कहा है कि आओ, बैठो तथा चले जाओ, बल्कि इसलिये कि उन्हें और भी कई काम देखने होते हैं . . .

प्रो० पी० जी० मावलंकर : हमारे पास भी बाहर बहुत काम हैं।

श्री रविन्द्र वर्मा : और मेरा विश्वास है कि मेरे लिये यह उचित नहीं होगा कि मैं किसी की ईमानदारी अथवा सुविधा के संबंध में कोई वक्तव्य दूं। हर सदस्य अपना-अपना निष्कर्ष निकाल सकता है। परन्तु यह एक सत्य है कि कई बार सभा में काफी सदस्य नहीं होते हैं और यह इस कारण है कि हर सदस्य को सभा में ही अपने चुनाव क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में समितियों में अथवा अन्य कहीं अपने कई अन्य कार्य करने होते हैं। इसके लिये तो सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

जैसा कि मेरे माननीय मित्र प्रो० मावलंकर कहते हैं सभा में आने, बैठने तथा सभा से जाने के प्रश्न पर सभी सदस्यों को विचार करना चाहिये जिसके लिये अध्यक्ष महोदय ने, कई माननीय सदस्यों ने तथा इस सभा के माननीय भीष्मपितामह ने कहा है . . . **(व्यवधान)** जिन्हे यह टोपी ठीक आती है वे इसे पहन ले अन्यथा वह किसी दूसरे की टोपी पहन ले (जो लोग यह सोचते हैं कि यह उनके लिये सुविधाजनक है तो वे ऐसा करें, दूसरे कोई और मार्ग निकाला है।) मेरे विचार से श्री एन्थू साहु के लिये यह टोपी उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल एक ही सदस्य ने टोपी पहन रखी है।

श्री रविन्द्र वर्मा : पिछले सीट पर बैठे श्री एन्थू साहू हमेशा ही टोपी पहनते हैं परन्तु वह काली होती है। यदि वह उसकी बजाय इसे बेहतर समझे तो वह उसे पहन सकते हैं।

इसलिये प्रश्न यह है कि माननीय सदस्यों को यहां होना चाहिये। सदस्य आते हैं, बोलते है तथा चले जाते हैं। हो सकता है यह मामला मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीता (वेनी, वीडी, वीसी) जैसा हो। यह प्रश्न तो सदस्यों की आत्मा से किया जाना चाहिये न कि कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सरकार से।

फिर, माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि सत्र को एक और दिन के बढ़ा दिया जाये। हम इस पर विचार किया था और आम राय तथा सरकार का मत था कि सत्र को बढ़ाना उचित नहीं होगा। इस प्रश्न पर विचार हुआ था और सभी विपक्षी दल वहां पर थे। दुर्भाग्य से हम इतने बुद्धिमान नहीं हैं जितने कि होशंगाबाद के मेरे माननीय मित्र हैं . . .

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे बाहर रखिये वरना फिर मैं इस पर सभा में बोल नहीं सकूंगा।

श्री रविन्द्र वर्मा : बिलकुल ठीक। इसलिये मैं अपने माननीय मित्र को कार्यमंत्रणा समिति से बाहर रहने के लाभ से वंचित नहीं करना चाहता। परन्तु सभा को कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों को कुछ महत्व देना चाहिये क्योंकि

उसमें सभी मुख्य विपक्षी दलों तथा सरकार का भी प्रतिनिधित्व है। जैसाकि हम समझते हैं श्री कामत के शब्दों में बड़ा वजन होता है, अतः मेरे विचार से कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को कुछ वजन दिया जाना बहुत गलत न होगा...

श्रीमती पार्वती कृष्णन : कार्ययंत्रणा समिति की सामूहिक समझ बूझ को।

श्री रविन्द्र वर्मा : जी हां। कार्यमंत्रणा समिति की सामूहिक समझ-बूझ को जिसकी एक सदस्या श्रीमती पार्वती कृष्णन् भी है।

श्रीमन्, मेरे स्पष्टीकरण को देखते हुए, और जो कठिनाईयां हमारे सामने हैं और जो हल हमने मिलकर निकाला है उस को देखते हुए मुझे आशा है कि मेरे माननीय मित्र अपने संशोधन पर जोर नहीं देंगे और मैं उनसे अपील करूंगा कि वह इसपर जोर न दें...

प्रो० पी० जी० मावलंकर : इसे अगली बार मत दोहराएं।

श्री रविन्द्र वर्मा : जब आप यह कहते हैं "इसे दोहराए नहीं" तो यह समझा जाता है कि सरकार इसके लिये उत्तरदायी है। सरकार के उत्तरदायित्व के लिए और बहुत सी बातें हैं परंतु जहां तक इसका संबंध है, वह सामूहिक उत्तरदायित्व की बात है कि सभा के समय का उपयोग किस प्रकार किया जाये।

अतः इस स्थिति में आप जो भी कहेंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। मैं आप से अनुरोध करूंगा कि अपने संशोधन पर बल न दें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कामत, क्या आप अपने संशोधन पर बल देंगे?

श्री हरि विष्णु कामत : मैं नहीं जानता। मैं इस बारे में निश्चित नहीं क्योंकि यह स्पष्टीकरण बहुत ही असन्तोषजनक है।

उपाध्यक्ष महोदय : उसके बावजूद आप उस पर बल नहीं देंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं समझता हूं कि मैं अपने संशोधन संख्या 3 पर बल दूंगा।

मेरे संशोधन संख्या 1 और 3 एक साथ लिये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप दोनों संशोधन पेश करें अन्यथा आप उन पर बल न दें।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि आप सहमत हो तो इसे कार्य मंत्रणा समिति को फिर से निर्देशित किया जाये। कार्य-मन्त्रणा समिति परंतुक के अन्तर्गत इस पर निर्णय करे। मैं संशोधन पेश करूंगा और नियम 290 के परंतुक के अन्तर्गत कार्य-मन्त्रणा समिति उस पर पुनः विचार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यमन्त्रणा समिति ने इस पर विचार किया है। मैं नहीं जानता...

श्री हरि विष्णु कामत : वह शायद गंभीर विचार नहीं था।

श्री रवीन्द्र वर्मा : माननीय सदस्य को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने संशोधन कार्य मन्त्रणा समिति को फिर से निर्देशित करे। मैं इस पर आपत्ति नहीं उठा रहा। परंतु यह समय की बात है। यदि आप इसे वापस भेजेंगे इसमें समय लगेगा और कुछ घंटे नष्ट हो जायेंगे। अतः मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस पर व्यवहारिक दृष्टि से देखें और उन पर बल न दे।

श्री हरि विष्णु कामत : बीच के रास्ते के रूप में कार्यमंत्रणा समिति आज दोपहर पश्चात मिले और मामले पर पुनर्विचार करे। और कल हम इस बात पर सहमत हुए थे कि सभा का सत्र मध्यान्ह काल के भोजन के समय भी चलता रहेगा और रिपोर्ट वापस मिलने पर हम देखेंगे कि क्या वे फिर भी उस पर बल देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक सुझाव देता हूं। हम रिपोर्ट को स्वीकार कर ले। शायद आपका विचार कार्य-मन्त्रणा परिषद् के सामने रखा जा सकता है और वह यदि चाहे तो उस पर पुनर्विचार करेगी। मेरा विचार है कि आप अपने संशोधन पर बल न दें। वह अच्छा होगा।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 4 मई, 1979 को सभा के समक्ष प्रस्तुत किये गये कार्यमंत्रणा समिति के 34वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षन प्रस्ताव आदि की सूचनायें देने के समय के बारे में

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंगलवार, 8 मई, 1979 से सभा की बैठकों के संबंध में परिवर्तनों को देखते हुए अब स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, नियम 377 के अधीन मामले अथवा सभा में उठाये जाने से पूर्व किसी भी मामले के संबंध में दी जाने वाली सूचनाएं उस दिन 9-30 मध्यान्ह पूर्व बजे तक स्वीकार की जायेगी । 9-30 बजे म० पू० के बाद प्राप्त सूचनाएं अगली बैठक के लिये दी गई सूचनाएं मानी जायेंगी ।

अब सभा 14-15 बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

(लोक सभा की बैठक एक बज कर 18 मिनट पर, दो बज कर 15 मिनट पर पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई)

(लोक सभा की बैठक मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.15 बजे पुनः समवेत हुई)

(श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) विभागो अथवा सहकारी समितियों द्वारा चलाई जा रही कैन्टीनों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

श्री युवराज (कटिहार) : माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या की ओर इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

1. भारत सरकार के भवनों में भारत सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए बन रहे कैन्टीन विभागीय हो अथवा सहकारी---इनमें कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, वेतन, सुविधायें आदि का अभाव, इनकी स्थिति दयनीय है ।

2. आजादी के 32 वर्ष बाद भी कैन्टीन मजदूर ही एक ऐसा वर्ग रहा है जिसके लिए सरकार ने आजतक कोई कानून नहीं बनाया । गृह मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, विधि मंत्रालय एवं भारत सरकार के अनेकों विभागों के रहते हुए भी कैन्टीन श्रमिकों का शोषण होता रहा है । सरकार ने खेतिहर मजदूर, ठेकेदारी प्रथा में काम करने वाले मजदूर, दूकान एवं होटलो में कार्यरत श्रमिकों एवं गृह कार्य कर रहे मजदूरों के लिए श्रम कानून बनाया, उनकी सुविधाओं के प्रति सरकार ने ध्यान दिया, उनका शोषण रोका लेकिन कैन्टीन मजदूरों को इन सारी सुविधाओं से वंचित रखा गया जबकि इनका रोज़ का काम सरकारी अधिकारियों की सेवा करना ही है ।

अपनी बातों को रखने के लिए यह अधिकारी वर्ग कैन्टीन की व्यवस्था की अदला बदली करते हैं, सहकारी कभी-ढंग से चलाने की नीति तो कभी विभागीय चलाने की नीति अपनाते रहते हैं। परिणामस्वरूप इसके कार्यरत कर्मचारी रातो रात निकाल दिए जाते हैं और नयी भर्ती शुरू हो जाती है । मालूम पड़ता है कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं ।

दूसरी ओर ये सरकारी अधिकारी अपने हकों के लिए सरकार से लड़ते हैं कमीशन का निर्माण करते हैं और अन्य अनेको पद्धतियों से सुविधायें प्राप्त कर लेते हैं । सरकार भी इनकी मांगें मान लेती हैं, लेकिन इन अधिकारियों के अधीन कार्यरत कैन्टीन कर्मचारियों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता । देश में महंगाई बढ़े तो महंगाई भत्ता इन्हें मिले, तन्ख्वाह बढ़े तो इन्हें मिले, शहरी भत्ता, मकान भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता और अन्य अनेकों भत्ते तो इन्हें ही मिलें लेकिन कैन्टीन कर्मचारी अपने परिवार के साथ भूखा रहे । इन्हें पूछने वाला कोई नहीं।

इसी प्रसंग में कुछ विभागों की दोरंगी नीति की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इन्डियन पेट्रो कैमीकल्स, इन्डियन आयल, स्टेट बैंक आफ इन्डिया, इंडियन एयर लाइन्स, रेलवे आदि ने तो अपने विभाग में कैन्टीन कर्मचारियों को सरकारी विभागीय कर्मचारी बना दिया है । इन के जैसे कार्य करने वाली संस्था टी बोर्ड एवं काफी बोर्ड का भी उदाहरण सामने हैं । सरकार ने उन्हें अपने कर्मचारी माना है और वे सारी सहूलियतें दी हैं जो सरकारी अधिकारियों को मिलती हैं, लेकिन जब कभी कैन्टीन मजदूरों का सवाल उठाया गया है, तो इन का मज़ाक ही उड़ाया गया ।

जनता सरकार ने अपने दो वर्ष के शासन मे ही ऐसे अनेकों तरह के कर्मचारियों को अनेक सुविधायें दी हैं, उन्हे सरकारी कर्मचारी बनाया है और जो बचे हैं उनके लिये भी एक ठोस कदम उठाने का निश्चय किया हुआ है । फिर भी ये कैन्टीन मज़दूर उपेक्षित ही हैं ।

कैन्टीन मजदूर सभा ने दिनांक 9-3-79 को माननीय गृह मंत्री श्री एच० एम० पटेल जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया था, जिस में मांग की थी कि इन कैन्टीन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी बनाया जाये और इन्हें वे सारी सुविधायें दी जायें जो सरकारी कर्मचारी को भारत सरकार देती है। लेकिन गृह मंत्रालय की ओर से कोई भी ठोस कदम उपरोक्त मांगो की पूर्ति के लिये अभी तक नहीं उठाया गया है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इस पर अवश्य ध्यान दे तथा उन की मांगों को मंजूर करा कर उन्हें सरकारी कर्मचारी बनायेंगे।

(दो) राजधानी में वाणिज्यिक और रिहायशी सम्पदा के व्यापार में घोटाले का समाचार

श्रीमती मोहसिना किदवई (आजमगढ़) : सभापति महोदय, कई वर्षों से एक गिरोह काम कर रहा है जो राजधानी में वाणिज्यिक और रिहायशी सम्पत्ति में व्यापार करने वाले प्रवर्तकों और दलालों द्वारा चलाया जा सके। निर्माण और आवास मंत्रालय में दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा स्थानीय निकायों के काफी संख्या में अधिकारियों का इनमें हाथ बताया जाता है। इन सब लोगों ने आपस में मिलकर खजाने को करोड़ों रुपयों का धोखा दिया है। यह केवल उस समय प्रकाश में आया जब आयकर आसूचना अधिकारियों को इन बहु-मंजिला भव्य इमारतों के प्रवर्तकों तथा बनाने वाले इन लोगों द्वारा पेश किये गये लेखों में कुछ सन्देहपूर्ण प्रविष्टियों का पता चला। बहुत बड़ी राशियां निर्माण और आवास मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय को 'परिवर्तन प्रभार' के रूप में अदा किये दिखाए गए थे हालांकि परिवर्तन संबंधी बहुत से नक्शे बिना एक पैसा अदा किये मंजूर कराए गए थे, जैसा कि कानून में अपेक्षित है। परंतु भ्रष्ट अधिकारियों और सम्बद्ध व्यक्तियों के बीच सांठगांठ और कपटपूर्ण सौदेबाजी के कारण सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। मैं चाहती हूं कि मंत्री महोदय सभा को विश्वास में लें और हम को बतायें कि सन्देहपूर्ण व्यक्तियों की संख्या और उनके नाम क्या हैं और उन्होंने सरकार को कितना पैसा अदा नहीं किया और उन फर्मों के नाम व संख्या क्या है जिनके मामलों को वित्त मंत्रालय ने पुन: खोलने को कहा है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है, क्या जांच के दौरान "बेनामी" सौदों का पता चला और यह भी पता चला है कि वित्तपोषकों, प्रवर्तकों तथा दलालों के समूह ने अधिकारियों को भ्रष्ट किया है और उन पर उनका हद नियन्त्रण है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि निर्माण और आवास मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा नई दिल्ली नगरपालिका के उन अधिकारियों और कुछ बैंक मैनेजरों को जिनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामले सिद्ध हो गये है, निलम्बित किया जाये। यह बहुत ही गंभीर मामला है। जिसमें करोडों रुपये और बहुत बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारी अन्तग्रस्त हैं। अत: मंत्री महोदय को सदन में वक्तव्य देना चाहिये।

(तीन) कर्नाटक में कुद्रेमख लौह अयस्क परियोजना

श्री बी० राचैया (चामराजनगर) : मैं नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोकमहत्व का निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं।

ईरान में क्रांतिकारी अशांति के कारण भारत-ईराण-संयुक्त उपक्रमों का कार्य प्राय: ठप्प हो गया है। विशेषरूप से मैं ईरान से तेल का आना रुक जाने का उल्लेख करना चाहूंगा जिसके कारण हमारे देश में अभूतपूर्ण समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। राष्ट्र के औद्योगिक विकास के हित में हम पेट्रोलियम उत्पादों की व्यक्तिगत खपत के बारे में राशन लागू करने वाले हैं। कुछ राज्यों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों में राशन लागू कर दिया गया है।

अन्य अरब देशों से प्रति वर्ष 500 करोड़ रु० के कच्चे तेल की भारी लागत को देखते हुए पेट्रोल की कीमत को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।

मैं इस पृष्ठभूमि में कुद्रेमुख लोह अयस्क परियोजना का उल्लेख करना चाहूंगा, जो कि पूरी तरह से ईरानी वित्तीय वचनबद्धताओं पर निर्भर है। यह न केवल कर्नाटक की अपितु सारे देश की एक बहुत बड़ी परियोजना है। हम बहुत सुविधा में है। द्विपक्षीय समझौते की शर्तों के अनुसार हमें केवल ईरान को लौह अयस्क की सप्लाई करनी है। परियोजना को पूरा करने के लिए हम ईरान पर निर्भर हैं। अब ईरान में अस्थिरता की स्थिति के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय लौह अयस्क बाजार में में भी मन्दे की स्थिति है जिसका भारत-ईरान सौदे पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। दूसरे यह भी आशंका है कि नौवहन क्षमता, जो कि लौह अयस्क के परिवहन का एक मात्र साधन है, के अभाव में हम सप्लाई करने में असमर्थ होंगे। तीसरे, ईरान के धन की दृष्टि से कथित रूप से दिवालिया होने के कारण, ईरान कुद्रेमुख परियोजना की सहायता के आश्वासनों को पूरा करने में असमर्थ होगा उस स्थिति में परियोजना भी खटाई में पड़ जायेगी। सारी परियोजना में अनिश्चितता की स्थिति व्याप्त है।

जनता सरकार द्वारा भारत ईरान सम्बन्ध बनाए रखने में समझबूझ से काम नहीं लिया गया। यह भी स्पष्ट नहीं है कि ईरान की भूतपूर्व सरकार के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के बारे में भारत सरकार का दृष्टिकोण क्या है।

(चार) 'काम के बदले अनाज' योजनाओं के लिए अनाज की सप्लाई

श्री पी० राज गोपाल नायडू (चित्तुर) : भारतीय खाद्य निगम द्वारा देश में विभिन्न राज्यों "काम के बदले अनाज" योजनाओं के लिये खाद्यान्न दिये जा रहे हैं। परंतु यह काम समय पर व नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है। अतः राज्य उपयुक्त मौसमों में कार्य को कार्यान्वित नहीं कर पाते।

भारतीय खाद्य निगम निकटतम स्थानों पर खाद्यान्न की सप्लाई नहीं कर रहा। कई बार, खण्ड विकास अधिकारियों को जिला से बाहर जा कर खाद्यान्न की उठान करने को कहा जाता है जिस पर उनको परिवहन के लिये नियत धन-राशि से अधिक व्यय करना पड़ता है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा कई बार अच्छी किस्म के खाद्यान्न की सप्लाई नहीं की जाती। श्रमिकों द्वारा इन खाद्यान्नों को स्वीकार करने से इन्कार किया जाता है और 'स्पान्सर' करने वालों अथवा ठेकेदारों को हानि उठानी पड़ती है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई किये गये खाद्यान्न का तोल भी ठीक नहीं बैठता। छुटपुट चोरियों की घटनाएं बहुत होती हैं और भारतीय खाद्य निगम के प्राधिकारी, हालांकि वे कृषि विभाग से पूरा पैसा ले लेते हैं, पूरे तोल में खाद्यान्न की सप्लाई नहीं कर रहे। भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जा रही सप्लाई में इन दोषों के कारण काम के लिये भोजन योजनाओं को कार्यान्वित करने में वहुत दिक्कतें हो रही हैं।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन दोषों को दूर किया जाये और राज्यों की इन उपरोक्त योजनाओं को कार्यान्वित करने में सहायता की जाये।

(पांच) कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों को बन्द करने का बम्बई दूरदर्शन का कथित निर्णय

डा० वसन्त कुमार पण्डित (राजगढ़): बम्बई दूरदर्शन द्वारा विश्व विख्यात खिलाड़ी द्वारा पेश की जा रही "लुकिंग बैक, लुकिंग फार्वर्ड" कार्यक्रम को अचानक बंद करने से दूरदर्शन दर्शकों में बहुत अधिक रोष व्याप्त हो गया है। हाल ही में, यह देखा गया है कि बम्बई दूरदर्शन द्वारा किन वैध कारणों के कलाकारों की भर्ती की जाती रही है व उनको निकाला जाता रहा है। यदि दूरदर्शन अधिकारी किसी लोकप्रिय कार्यक्रम को बंद भी करना चाहे तो उसके बारे में गरिमा भी होनी चाहिये। विशेष रूप से उस स्थिति में जबकि कोई विख्यात व्यक्ति उसको पेश कर रहे हों। अपमानजनक ढंग से किसी भी दूरदर्शन कार्यक्रम को अचानक बंद कर देने से बहुत से दूरदर्शन प्रेमियों में दुःख व कटुता होना स्वाभाविक है। बम्बई दूरदर्शन द्वारा "फूल खिले हैं गुलशन गुलशन" जैसे कार्यक्रम को बन्द करने पर भी यह सिद्ध हो गया था। सरकार को लोकप्रिय कार्यक्रम बन्द करने के निर्णयों के संबंध में सरकार को कोई सिद्धांत तय करने चाहियें।

व्यक्तित्व का संघर्ष दूरदर्शन दर्शकों के सामने नहीं आने देना चाहिये। सरकार को जनता को यह स्पष्टीकरण देना होगा कि विख्यात व्यक्तियों द्वारा पेश किये जा रहे कार्यक्रम किस कारण से बंद किया गया है और किसी कलाकार के कार्यक्रम को बंद करने से पूर्व उन को इज्जत देने का कोई गरिमायुक्त तरीका होना चाहिये। बम्बई दूरदर्शन का इस प्रकार का मनमाना व्यवहार सरकार द्वारा रोका जाना चाहिये जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों।

(छः) अलजीरिया और ईरान में भारतीय डाक्टरों की कथित समस्यायें

श्री के० सूर्य नारायण (एलुरू): सभापति महोदय, मैं भारतीय डाक्टरों द्वारा अलजीरिया और ईरान में अनुभव की जा रही समस्याओं की ओर सरकार तथा इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मुझे इन डाक्टरों से बहुत से पत्र प्राप्त हुए है जिन्होंने शिकायत की है कि वे भारत में अपने आश्रितों को अपने वेतन का 75 प्रतिशत अनुमत भाग भी भारत नहीं भेज सकते। इसी संदर्भ में उनके घरवालों ने भी उन देशों के असहयोगी रवैये के कारण उनको होने वाली असुविधाओं के संबंध में मुझे पत्र लिखे हैं। मुझे यह भी शिकायतें मिली है कि इन देशों में भारतीय दूतावासों के अधिकारी भी इन निस्सहाय डाक्टरों द्वारा सहायता मांगे जाने पर सहयोग नहीं देते। दूतावास अधिकारी भारतीय राष्ट्रिकों की ओर ध्यान न दे सकने का कारण कर्मचारियों का अपर्याप्त होना बताते हैं।

इनके अतिरिक्त डाक्टरों को अनेक अन्य दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा था। उपरोक्त देशों में रोजगार पाने के लिये उनको बिचौलियों का सहारा लेना पड़ा। यह कहा जाता है कि इन बिचौलियों ने नौकरियों के इच्छुकों से बहुत पैसा लिया है और वे सरकारी अधिकारियों के साथ अपने अच्छे सम्बन्ध होने का दावा करते हैं।

विदेश मंत्री से मेरा अनुरोध है कि मध्यपूर्व देशों में भारतीय डाक्टरों की समस्याओं को राजनयिक सूत्रों के माध्यम से उठाये और हमारे देश में उन बिचौलियों की गतिविधियों के संबंध में जांच के आदेश दें जो उचित सेवा शर्तें सुनिश्चित किये बिना भारतीय राष्ट्रिकों को विदेशों में नौकरियों के लिये प्रलोभित कर रहे हैं।

(सात) दिल्ली में टेलीफोन विभाग का कार्यकरण

श्री शिवनारायण सरसूनियां (करोलबाग) : सभापति जी, 'दिल्ली में टेलीफोन निरंतर खराब रहते हैं। प्रायः यह निश्चित हो गया है कि यह टेलीफोन जानबूझ कर खराब रखे जा रहे हैं। दुकानदारों और व्यापारियों ने परेशान हो कर मासिक 5 से 10 रुपये तक देना स्वीकार कर लिये हैं और अब कोशिश यह चल रही है कि प्रत्येक व्यक्ति यह फीस देना प्रारम्भ कर दे।

कोई भी बहाना ले कर टेलीफोन काटने के नोटिस दिये जाते हैं और सब प्रकार के प्रमाण देने के पश्चात् भी यह टेली-फोन काट दिया जाता है। इस प्रकार की कई शिकायतें मेरे पास आयी हैं और टेलीफोन सब प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् भी नहीं खोला जाता। मैंने मंत्री जी से पत्र लिखकर भी दुर्व्यवहार की घटना बतायी है। परन्तु कुछ नहीं निकला। मैं नहीं समझता कि इस व्यवहार की उन्हें जानकारी न हो

मैंने टेलीफोन कर के वहां के अधिकारी के पास उनके कहने पर एक व्यक्ति को भेजा। उसने कहा अभी तुमने एम० पी० से टेलीफोन करवाया, कल मंत्री को ले कर आओगे, निकल जाओ मेरे दफ्तर से, करा लेना जो कुछ कराना हो। उसके दो दिन पश्चात् मेरे घर पर इंस्पेक्टर भेज दिया कि तुम्हारा टेलीफोन मिसयूज हो रहा है। मैंने यह घटना भी राज्य मंत्री महोदय को बता दी और मंत्री जी को भी लिख कर दिया। परन्तू फिर भी कुछ नहीं निकला।

येन केन प्रकारेण पहले तो नोटिस दिया जाता है। फिर पैसे तय करने के लिये प्रक्रिया शुरू होती है। यदि आफ़र नहीं आती तो कनेक्शन काट दिया जाता है या खराब रखा जाता है।

सब प्रकार प्रमाण देने के पश्चात् भी काटने के नोटिस दिये जा रहे हैं। जब कि यह टेलीफोन उसी स्थान पर लगे हैं और उन्हीं के पास चल रहे हैं जिन्होंने यह लगवाया था। फिर भी टेलीफोन काट दिये जाते हैं। यहां तक बिल चुकता भरे हुए हैं बताने के पश्चात् भी काट दिये गये जिनमें से दो अन्त तक भी नहीं लगाये गये। इसी प्रकार की अतिरिक्त लाइन अन्य लोगों को अन्य स्थान पर दी हुई हैं। वास्तव में दुरुपयोग हो रहा है, परन्तु सौदा तय हो गया बराबर चल रहे हैं। एक दूरभाष मेरे नाम पर पांच साल तक चलता रहा और पूरा बिल चुकता करने के पश्चात् भी काट दिया, अभी तक नहीं दिया जा रहा है जब कि जमानत निधि और एक चौथाई साल का अग्रिम किराया इनके पास अब तक जमा है। परन्तु उस समय इमरजेंसी थी, अब तो ऐसी स्थिति नहीं है।

मेरे यहां दूरभाष जब से लगा है नित्य दिन में दो बार और कभी-कभी तो कई दिन तक खराब रहता है, जब कि केरल हाई कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी दूरभाष को नोटिस का उत्तर प्राप्त होने के बाद आर्बिट्रेशन के बिना नहीं काटा जा सकता।

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। मेरे मित्र हिंदी में कुछ पढ़ रहे हैं जो मैं समझता हूं कि टेलीफोन के काम न करने और बिल की अधिक राशि बनाने के बारे में शिकायत है। यह संसद सदस्य की शिकायत है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। टेलीफोन के खराब होने का मामला नियम 377 के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य : यह लोक महत्व का भी प्रश्न है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : यह विशेषाधिकार के अन्तर्गत आ सकता है अथवा वह कोई अन्य बात कह सकते हैं। इसमें लोक हित की बात कहां है ? हममें से अनेक की विभिन्न शिकायतें हो सकती हैं और हम वैयक्तिक शिकायत नहीं लेते हैं अन्यथा इस सदन में प्रतिदिन नियम 377 के अन्तर्गत सभी प्रकार की बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तिगत शिकायतें उठाई जायेंगी। मैं आम तौर पर नियम 377 के अन्तर्गत मामला नहीं उठाता हूं। मैं नहीं जानता कि नियम 377 के अन्तर्गत मामला किस आधार पर बनाया जाता है। हमें अनेक दुर्भाग्यपूर्ण अनुभवों का सामना करना पड़ता है। मैं उनके मामले में रुकावट नहीं डाल रहा हूं। यह वास्तविक मामला हो सकता है।

सभापति महोदय : पहली बात तो यह है कि इस समय यह मामला उठाने का समय नहीं है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर): श्री मावलंकर ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है वह यह है कि आप इस अध्यक्ष को बता सकते हैं ताकि भविष्य में वह इसे ध्यान में रखे और हमें दिशा निर्देश दे।

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय ने इन सब बातों पर विचार किया है । अध्यक्ष महोदय को यह बताना आवश्यक नहीं है, फिर यह व्यवस्था का प्रश्न भी नहीं है और न इसे उठाया जा सकता है । जहां तक लोक महत्व के प्रश्न का सम्बन्ध है, वह इसे व्यक्तिगत अनुभव के तौर पर नहीं उठा रहे हैं । परंतु उन्होंने यह बात सामान्य प्रशासन के संबंध में उठाई है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा कहना है कि जहां तक व्यक्तिगत शिकायतों का प्रश्न है, यह नियमानुसार नहीं है। परन्तु यदि कोई सार्वजनिक शिकायत है जिसे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर दर्शाया जा सकता है तो ऐसा किया जा सकता है । यही माननीय सदस्य कहना चाहते हैं । इसलिए हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए कि वह यह बात सदन के ध्यान में लाए हैं ।

श्री शिवनारायण सरसूनिया : परन्तु इसका सारी दिल्ली में नित्य उल्लंघन किया जा रहा है ।

नई व्यवस्था के अनुसार एरिया मैनेजर नियुक्त किये गये हैं, जो बिलकुल काम नहीं करते । जनता परेशान रहती है । केन्द्रीय कार्यालय ने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए यह व्यवस्था बनाई है ।

ऊपर जिसकी जान-पहचान होती है, उसका कार्य हो जाता है, अन्यथा लोग भटकते रहते हैं ।

विशेष न्यायालय विधेयक, 1979

सभापति महोदय : अब हम विशेष न्यायालय विधेयक पर चर्चा करेंगे । पिछले दिन श्री जगन्नाथ शर्मा इस पर बोल रहे थे, वे अब इसे जारी कर सकते हैं ।

श्री जगन्नाथ शर्मा (गढ़वाल) : मैं कह रहा था कि श्री स्टीफन एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता हैं और मैं उनकी तलाश में हूं परन्तु वह आज नहीं आए हैं ।

एक माननीय सदस्य : उनके सहायक यहाँ हैं ।

श्री जगन्नाथ शर्मा : वह एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता हैं और विपक्ष के नेता के अलावा एक योग्य संसदविज्ञ हैं । उनमें अपनी तर्कशक्ति और वाक्पटुता के द्वारा बहुत सी बातें कहने की क्षमता है । परन्तु कभी-कभी उनको सुनना न केवल आश्चर्यजनक लगता है अपितु उस पर क्रोध भी आता है । वह जानते हैं कि विशेष न्यायालय विधेयक कानूनी रूप से वैध है, नैतिक रूप से सक्षम है और उसे संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त है । परन्तु तब भी वह कहते हैं--

> "हम मानसिक रूप से विशेष न्यायालय का निर्णय स्वीकार नहीं करेंगे । सामान्य न्यायालय का निर्णय हमें स्वीकार्य है परन्तु हम विशेष न्यायालय का निर्णय जिसमें पूर्व निर्धारित अभियोग पर पूर्व निर्धारित अपराधी के विरुद्ध, पूर्व निर्धारित न्यायाधीश द्वारा दिए गए पूर्व निर्धारित न्याय को नहीं मानेंगे हम इसका विरोध करेंगे ।"

यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामांकित और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्वीकृत न्यायाधीश पूर्वनिर्धारित माना जा सकता है तो केवल उपर भगवान और नीचे श्री स्टीफन ही निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं । मैं श्री स्टीफन को याद दिलाना चाहता हूं कि क्या उन्होंने आपातकाल में उस समय अपनी उंगली उठायी थी जब उच्चतम न्यायालय के इतने अधिक न्यायाधीशों का अधिलंघन किया गया था ? क्या उन्होंने समवर्ती सूची प्रविष्टि सूची IIक का विरोध किया था जब उसे संविधान में 42वें संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया था । समवर्ती सूची के अंतर्गत प्रविष्टि संख्या IIक निम्नलिखित है :

> "न्याय का प्रशासन : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन"

यह 1976 के संशोधन अधिनियम से किया गया था । वह उस समय वहां थे जब स्वयं संविधान के अंतर्गत विशेष न्यायालय के निर्माण के लिए विशेष उपबंध किया जा रहा था ? न केवल इतना, परन्तु वह इससे भी आगे जाते हैं । वह न्यायाधीश को सीधे परिपात्रों की धमकी देते हैं यदि वह विशेष न्यायालय का पीठासीन अधिकारी बनता है । यह न केवल समूची न्यायपालिका के लिए और न्यायाधीश के समूचे सम्माननीय पद के लिए निंदा की बात है अपितु इसके बड़े गंभीर परिणाम होंगे । उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तभी निकाला जा सकता है जब यह प्रमाणित हो जाये कि उसका आचरण ठीक नहीं है और वह अपना काम करने में अक्षम है और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के समक्ष इस बारे में वक्तव्य देना पड़ता है । और उनका कहना है, वह उस तरीके से आचरण करना चाहते हैं जैसा हम अपने कुछ पड़ोसी देशों में देख रहे हैं । वह ऐसा करना चाहते हैं जैसा हमने आपात काल के दौरान देखा था । मैं जो उन्होंने 3 मई को सदन में कहा था, उसे उद्धृत करना चाहता हूं :

"जब जनता हमें शासन करने का अधिकार देगी, हम लोगों को बतायेंगे कि उस व्यक्ति. . ."

यहां व्यक्ति का तात्पर्य न्यायाधीश से है ।

"के विरुद्ध मुकदमा चलाया जायेगा और हम घोषणा करते हैं कि हम जनता को कहेंगे कि उस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार हमें दिया जाये ।"

वैध रूप से, अवैध रूप से, बिना शक्तियों के और बिना किसी बात के वह न्यायाधीश के विरुद्ध मुकदमा चलाना चाहते हैं। ऐसा तो फासिस्ट देशों में भी नहीं होता । यदि विपक्ष का नेता सदन में ऐसा बोलता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं । इसका परिणाम यह होगा कि षड़यंत्रकारी लोग, किराये के दंगाई, गुंडे और समाज विरोधी लोग निश्चय ही हिंसा पर उतर आयेंगे । यदि यह राजनैतिक प्रेरित बात नहीं है तो क्या है; यदि यह ऐसे प्रतिकूल वक्तव्यों द्वारा लोगों के मन में भय उत्पन्न करना नहीं है तो क्या है ; यदि यह उस न्यायाधीश को धमकी नही है जो विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का पद स्वीकार करेगा तो फिर क्या है ? ऐसे वक्तव्य निश्चय ही विधि शासन को, जिसकी हमारे संविधान में व्यवस्था है, समाप्त कर देंगे । यह आशा की जाती है हम सब इसका विरोध करेंगे और यह देखेंगे कि इस देश में लोकतंत्री प्रक्रिया सुचारू रूप से चले ।

समूचा देश उत्सुकता के साथ उनकी प्रतिक्रिया देख रहा है, कांग्रेस (आई) के लोगों की प्रतिक्रिया देख रहा है । कि वह 16 मई और उसके बाद क्या करेंगे परन्तु वह तो कुछ करेंगे अपना और राष्ट्र के हित का नुकसान पहुंचाकर करेंगे । उन्होंने पहले ही बता दिया है कि वे क्या करने जा रहे हैं ।

मैं अब विशेष न्यायालय विधेयक के बारे में कहना चाहूंगा । यह निष्पक्ष और मुकदमों में देरी न करने के लिए बनाया गया है । इसका वे लोग समर्थन करेंगे जो यह सुनिश्चित करने के इच्छुक है कि कोई भी राजनीतिक पद कितना भी ऊंचा और शक्तिशाली है, इसका दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है । उंचे पद वाला अपराधी अपने राजनैतिक प्रभाव का उपयोग करके अपने कारनामों के परिणामों से नहीं बच सकता हैं ।

सभापति महोदय : कृपया अपना वक्तव्य समाप्त करें ।

श्री जगन्नाथ शर्मा : मैंने अभी बोलना शुरू किया है ।

सभापति महोदय : यदि मैं आपके वक्तव्य के लिए अधिक समय देना चाहूं तो भी कुछ पाबंदिया हैं और मुझे उसके अनुसार काम करना है । आपने पहले 8 मिनट बोला है और आज 7 मिनट के लिये हैं ।

श्री जगन्नाथ शर्मा : मैं उनमें से हूं जो कभी कभार ही बोलते हैं । कृपया मुझे 10 मिनट और दीजिए ।

सभापति महोदय : नहीं, कृपया अब अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए ।

श्री जगन्नाथशर्मा : म अपना भाषण संक्षेप में दूंगा । मैं सविस्तर वर्णन नहीं करूंगा लेकिन मैं निश्चय ही यह कहना चाहूंगा कि यदि कानून में यह व्यवस्था होती है कि यदि उच्च पद वाले व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो उन्हें दंड दिया जायेगा तो इस देश में संसदीय लोकतंत्र गौरव को प्राप्त करेगा । सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी बहुत महत्व रखती है और इसका पालन सभी स्थानों में सभी परिस्थितियों में किया जाना चाहिए । मैं जो शाह आयोग ने कहा है, उस पर कुछ नहीं बोलूंगा । मैं अनुच्छेद 246(2) के कानूनी मूल्यता में नहीं जाऊंगा । मैं कानून के समक्ष बराबरी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कानून का समान संरक्षण समान कानूनों के संरक्षण का प्रतिज्ञा है । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अनवर अली के मामले में भी चूंकि सुपुर्दगी कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी और अपराधी से निबटने के लिए न्यायाधीश के पास अधिक अफिसर थे इसलिए पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम नियम विरुद्ध घोषित कर दिया गया था । जहां तक सौराष्ट्र संशोधन अधिनियम, 1949 का संबंध है, सरकार कुछ सावधान थी और उसने अपराधों का श्रेणीकृत कर दिया था और उसने उन क्षेत्रों की घोषणा कर दी थी जहां अध्यादेश लागू होंगे, यह वैध घोषित कर दिया गया था ।

मैं अब अपने को केवल दो मुद्दों का उत्तर देने तक सीमित रखूंगा । यह सरकार का कर्तव्य है कि वह अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करे और यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो वह अपना कर्तव्य पूरा नहीं करती है । दूसरा, जैसा कि मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा है अपील करने का एक क्षेत्र कम कर दिया गया है और यही बात श्री स्टीफन कह रहे हैं। जहां तक पहली बात का संबंध है, यह आशा की जाती है कि सरकार कानून को समान एक से लागू करेगी और यदि नही तो भावी सरकार उन लोगों को दंड देगी जो इस समय सत्ता में है । जहां तक अपील करने के एक क्षेत्र को कम किए जाने का प्रश्न है, मैं यह कहना

[श्री जगन्नाथ शर्मा]

चाहूंगा कि विशेष न्यायालय विधेयक की धारा 11 अधिक बेहतर है क्योंकि इसमें अधिकार के नाते कोई भी अपराधी तथ्यों तथा कानून के आधार पर न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत आप दीवानी, फौजदारी, आयकर तथा अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय को अपील कर सकते है परन्तु अपील करने का प्रावधान सैनिक कानून के अन्तर्गत न्यायालयों के निर्णयों अथवा आदेशों पर भी लागू नहीं होता है। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि यह दुराग्रह से प्रेरित है, सैनिक अधिनियम में उच्चतम न्यायालय में अपील करने का प्रावधान नहीं है और तीसरा, सभी राष्ट्रमंडलीय देशों में अपील करने के दूसरा मंच समाप्त कर दिया गया है। वहां प्रीवी कौंसिल में जाने की प्रथा नहीं है और न वे बहस में और निर्णय में उच्चतम न्यायालय का हवाला दे सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्य फौजदारी मामले में 5 से 6 वर्ष लग जाते हैं। अंतरिम आवेदन किया जाता है, अन्तर्वर्ती आदेश पारित किए जाते हैं और एक आदेश प्राप्त किया जाता है। यदि मुझे ठीक से याद है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, यह वचन देने के बावजूद भी कि उसे निचली अदालत का निर्णय मान्य होगा, ऊपरी अदालत से रोकादेश प्राप्त कर लिया था।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी राज्यों को एक कानून बनाना चाहिए और आर्थिक मामलों से संबंधित अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालय बनाना चाहिए। इसका मुनाफाखोरों, जमाखोरों तथा काला बाजारियों पर अच्छा असर पड़ेगा। यहां तक कि ऐसे अपराधों पर भी विशेष न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना चाहिए जिनका सामाजिक संबंध है तथा जिनमें समूचे तौर पर समाज की रुचि है। विशेष न्यायालय एक ही उत्तर है जो कि इस समय लाभप्रद होगा। शाह आयोग के निष्कर्षों ने राष्ट्र की आत्मा को झकझोर दिया है। मैं उच्चतम न्यायालय की विस्तृत राय को उद्धृत करना चाहूंगा:

"आपात स्थिति किसी राष्ट्र के जीवन की एक विशेष अवधि होती है और यदि यह सच है, और हमें यह मानना पड़ता है कि यह सच है कि भारत में उच्च पदों अथवा राजनीतिक पदों पर आसीन व्यक्तियों ने आपात स्थिति की घोषणा करके और लोकतंत्र के नाम पर अपराध किये हैं, तब इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि हमारे देश में लोकतंत्र और हमारे संविधान द्वारा निर्मित संस्थाओं के संचालन के हित में ऐसे व्यक्तियों पर मुकदमा शीघ्र पूरा करना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय की राय का महत्व यह है कि विशेष मंच, विशेष कानून बनाये जा सकते हैं, और उन्हें किसी भी ऐसे व्यक्ति को दंड देने की कानूनी स्विकृति प्राप्त है जिन्होंने इस देश में सार्वजनिक तथा राजनैतिक पदों का दुरुपयोग किया है।

अंत में मैं न्यायमूर्ति बी० आर० कृष्ण अय्यर के कथन को उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि विशेष न्यायालय विधेयक सामाजिक न्याय का एक साधन है जो नैतिक सिद्धान्तों पर आधारित है तो जिसका सांविधानिक औचित्य है और जिसे संविधानिक मान्यता प्राप्त है।

श्री एमार्डो फलेरी (मारमागोआ): जो कुछ अभी श्री शर्मा ने कहा है तथा जो न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कहा है, जिसे उन्होंने उद्धृत किया है, उससे मैं तथा यह सदन, जहां तक मैं समझता हूं असहमत नहीं हो सकता है।

हमने जिन मूल्यों को संजोया है उनमें से सार्वजनिक जीवन में पवित्रता भी एक मूल्य होना चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या विशेष न्यायालय विधेयक, जिसे कानून का रूप दिया जाना है, इस उद्देश्य को प्राप्त करेगा। हम इस विचार का तनिक भी विरोध नहीं करते हैं। कि उच्च राजनीतिक तथा सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के अपरिमित अवसर मिलते हैं। और उन्होंने पूर्व में उनके पास निहित आफिसरों का दुरुपयोग किया है और न्याय में हस्तक्षेप किया है और अन्त में दंड पाये बिना छुट गये हैं। क्या हम यह कह सकते हैं कि विशेष न्यायालय विधेयक और विशेष न्यायालय, जिनका निर्माण किया जाना है, इस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे? दुर्भाग्यवश नहीं। दुर्भाग्यवश जैसा कि विधेयक से साफ लगता है, विशेष न्यायालयों का एक मात्र उद्देश्य उन लोगों को दंड देना है जो राजनीतिक पदों अथवा सार्वजनिक पदों पर विराजमान थे जिनमें से कुछ वर्तमान शासन के राजनीतिक विरोधी बन गए हैं, जो राजनीतिक तौर पर हार गए हैं और अब ऐसा लगता है कि यह राजनीतिक विरोधियों, सत्तारूढ़ दल के

राजनीतिक विरोधियों को पूरी तरह से खत्म कर देने का प्रयास है। अब राज्य सभा से संशोधन स्वीकार करके, जब विधेयक का क्षेत्र विस्तृत हो गया है, संभवतः सत्तारुढ़ दल में किसी सत्तारुढ़ ग्रुप को भी खत्म किया जायेगा।

मैं किसी के पक्ष में विवाद नहीं कर रहा हूं चाहे वह सत्तारुढ़ दल का हो या उसके बाहर का। परन्तु यह एक संयोग है कि यह विधेयक ऐसे समय पारित किया जा रहा है जब ईरान में शाह को उसके दुष्कर्मों के कारण सत्ताच्युत कर दिया गया है। इसके बाद कार्मिक नेता आये; सेना ने स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया और तत्काल मुकदमें चलाये गये। संक्षेप में जो कुछ ईरान में हुआ, उससे ईरान राजनैतिक रूप से 100 वर्ष पीछे चला गया और परिवर्तन विरोधी तथा प्रतिक्रियावादी कार्मिक शक्तियों ने सत्ता को हथिया लिया। यह न केवल ईरान में हुआ अपितु पाकिस्तान में भी यही बात हुई। श्री भुट्टो ने जो गलत काम किये थे, उसका कोई समर्थन नहीं करता है। परन्तु श्री भुटटो धर्मनिरपेक्ष नीति तथा दूसरे शब्दों में प्रगतिशील नीतियों के समर्थक थे। पाकिस्तान में अब सैनिक शासन है और धार्मिक नेतृत्व, सुधार विरोधी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने विशेष न्यायालयों की आड़ तथा हथियार में स्थिति का अपने में ले लिया है। यही बात बंगलादेश के बारे में कही जा सकती है।

क्या हम इसी तरह का शासन अपनाने जा रहे है? क्या धर्मनिरपेक्ष राजनीति नष्ट की जानी चाहिए, जैसा कि श्री शर्मा ने ठीक ही कहा है कि यह ऐसा हथियार है जो आज आप राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध प्रयोग में ला रहे हैं और कल जब दूसरी सरकार आयेगी और मुझे विश्वास है कि यह आयेगी तब वह इसी तरह के हथियार का उपयोग आप के विरुद्ध करेगी। और अन्ततः इससे किसीको नुकसान पहुचेंगा, व्यक्तियों के बारे में हमें चिन्ता नहीं है। यह धर्मनिरपेक्ष राजनीति है जो हमारे देश में फली फूली है और जिसने इस देश को एकता के सूत्र में पिरोये हुआ है—जिसको नुकसान पहुंचेगा। धर्म ने इस देश को एकताबद्ध नहीं किया हुआ है जैसा कि अनेक देशों में है। यह धर्म नहीं है, यह भाषा नहीं है, यह जाती नहीं है, यह समुदाय नहीं है। यह एक प्रकार की राजनीति है जो स्वतंत्रता के पश्चात् से यहां फली फूली है। इस राजनीतिक व्यवस्था को जो धर्मनिरपेक्ष है, जो प्रगतिशील राजनीति है, इस प्रकार के विधेयक से खतरा पैदा हो गया है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यह सरकार द्वारा राजनैतिक अपराध तथा राजनैतिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानून लाने के बारे में उसकी ईमानदारी के बारे में है। राजनैतिक सत्ता का दुरुपयोग निश्चय ही राजनैतिक भ्रष्टाचार है यदि सरकार का यह मन्तव्य था तो उसने यह अपनी मरजी पर क्यों छोड़ा कि वह विशेष अपराधी को दंड दे और इसके लिए कुछ व्यक्तियों को पकड़े और कुछ को छोड़ दे? कुछ अपराधियों को क्यों पकड़ा गया है और अन्य अपराधियों पर मुकदमा न चलाने का निर्णय क्यों किया गया है?

मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट देखी है जिसे एक समिति ने तैयार किया था तथा जिसके सभापति एक संसद सदस्य थे। यह प्रसिद्ध संथानम समिति रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि यदि, माना 10 संसद् सदस्य राजनैतिक सत्ता में किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध विशिष्ट आरोप सामने रखते हैं तब सरकार को तत्काल तथा बिना हिचक के यह आरोप भारत के राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजने चाहिए जो एक पैनल से तीन व्यक्तियों को लेकर इन आरोपों की जांच करने के लिए नियुक्त करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो मामले को जांच आयोग के पास विचारार्थ भेजा जाएगा। संस्थानम समिति की रिपोर्ट के अनुसार यह सरकार की मरजी नहीं है कि वह मुकदमा चलाये या कुछ संसद सदस्यों द्वारा लगाये गये आरोपों की जाँच करें। सरकार इन सिफारिशों को स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? इससे राजनीतिक अपराधों तथा राजनीतिक अपराधियो से निबटने में सरकार जो मरजी का प्रयोग करती है वह समाप्त हो जायेगा और इसी प्रकार के कानून को अधिक विश्वसनीयता मिलेगी।

तीसरी बात यह है कि सत्ता का दुरुपयोग वे लोग ही नहीं करते हैं जो सत्ता में है। अक्सर यह ऐसे लोग होते हैं जो राजनैतिक सत्ता में नहीं है परन्तु जो राजनैतिक सत्ता के इर्दगिर्द घूमते हैं, अर्थात् यह कुछ लोगों का गुट होता है जो ऐसा करते हैं। किसी भी राजनैतिक व्यवस्था में जहां कहीं भी शासक होते हैं ऐसा गुट रहता है। ऐसे लोग शासक नहीं होते हैं परन्तु यह उनके निकट संबंधी हो सकते हैं। हो सकता

[एस० एल० मल्लिक]

है कि उनके ईर्दगिर्द घूमने वाले ये लोग उनके मित्र रिश्तेदार और साथी होते हैं जो राजनैतिक शासकों से लाभ लेते हैं और ऐसे लोगों को उन लोगों से अच्छी स्थिति में नहीं होना चाहिए जो राजनैतिक सत्ता में हैं अथवा जिन्हें बड़ा सार्वजनिक काम करना होता है।

इस संबंध में मैं प्रधान मंत्री के पुत्र कांति देसाई के मामले का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं नहीं जानता कि उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप सही है या गलत। मैं इस बारे में कुछ नही जानता हूं। उनका कोई आधार नहीं हो सकता है। उन बेंचों पर बैठे लोगों – श्री मधु लिमये और जार्ज फर्नान्डीज ने स्वयं अनेक वर्ष पहले यह मामला उठाया था। यह आरोप राज्य सभा में लगाये गये थे। सरकार इस समूचे मामले के प्रति नरम रूख क्यों अपनाई हुई है। सरकार कार्यवाही करने में हिचक रही है। इसने समूचे मामले पर विचार न करने का फैसला किया है। यदि सरकार इस प्रकार के कानून बनाने तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के बारे में उत्सुक है तब यह सरकार के हित में है और यदि श्री कांति देसाई निरपराध है, तो निश्चय ही यह सरकार के हित में है कि वह समूचे मामले की जाँच कराये।

श्री कांति देसाई ने मानहानि का मुकदमा दायर नहीं किया है। राष्ट्रीय स्तर के पत्र पत्रिकाओं और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय समाचारपत्रों में भी इस विषय पर काफी कुछ लिखा गया। श्री कांति देसाई ने किसी के विरुद्ध भी मानहानि का मुकदमा दायर नहीं किया। सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। इस संसद में भी या इस सदन में मुझे कभी भी अध्यक्ष महोदय के प्रति कोई शिकायत नहीं रही है। मैंने हमेशा यह देखा है बाकी सब मामलों में अध्यक्ष महोदय निष्पक्ष रहे है परन्तु श्री कांति देसाई के मामले में उनका रुखे ऐसा नहीं रहा है। मैंने सचिवालय में इस मामले पर अनेक प्रश्न भेजे हैं परन्तु इन सभी प्रश्नों को अस्वीकृत कर दिया गया है और इस सदन में; जो बात राज्य सभा में उद्घाटित हुई है उससे आगे कुछ नहीं हुआ है। संक्षेप में कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं हो सकता है की हम एक ओर श्रीमती इंदिरा गांधी और उसके साथियों के विरुद्ध आरोप लगाये और दूसरी ओर इसे समूचे मामले को सभा रफा दफा| करें जबकि उस ओर बैठे कुछ व्यक्तियों के निकट संबंधियों के विरुद्ध निश्चित विशिष्ट और स्पष्ट आरोप है।

मुझे तीन कारणों से इस विधान का विरोध करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। मुझे श्रीमती इंदिरा गांधी अथवा किसी ओर के पक्ष में कुछ नहीं कहना है। मैं अपनी अंतरात्मा; की आवाज से कह रहा हूं। मैं महसूस करता हूं कि इस विधान का उद्देश्य विशुद्ध रूप से राजनीतिक बदले की भावना है राजनीतिक विरोधियों को समूल नष्ट करना है यह ऐसा हथियार है जो मारने पर वापिस आता है और यह अवश्य ही वापिस आयेगा मुझे भय है कि आप अपने राजनैतिक विरोधियों का खात्मा करते हुए अपना खात्मा कर रहे हैं। आप राजनैतिक व्यवस्था को जिससे इस देश को एकताबद्ध किया हुआ है नष्ट कर रहे हैं।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : आज हम इस सदन में उन संशोधनों पर चर्चा कर रहे हैं जो राज्यसभा में विधेयक में किये गये हैं। जहां तक इस सदन का संबंध है हम उस चरण को पार कर गये हैं जब विधेयक के सिद्धान्त अथवा विधेयक के उपबंधों की आलोचना की गई थी|। परन्तु यदि कुछ व्यक्ति इन पर; चर्चा करना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं। परन्तु सभी मामलों पर जिन पर चर्चा समाप्त हो गई है; पुनः चर्चा हुई है इसलिए मैं पुनः बता देना चाहता हूं कि जनता पार्टी ने ही विशेष न्यायालयों की स्थापना नहीं की हैं। इस देश में स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद इन विशेष न्यायालयों की स्थापना आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1950 द्वारा की गई थी। मामुली अपराधियों सामान्य सरकारी कर्मचारियों; पुलिस कांसटेबलों और अन्य सरकारी पदाधिकारियों जो भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के सरकारी कर्मचारी की वृहत परिभाषा के अंतर्गत आते हैं| पर मुकदमा चलाने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के शीघ्र पश्चात् यह विशेष न्यायालय स्थापित किये गये। उसके बाद; जैसा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पता चलता है बड़ी संख्या मे कानून एक या अन्य प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना; के लिए जिम्मेदार रहे हैं और वर्ष 1970 या 1971 में जनता सरकार द्वारा नहीं बल्कि श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा नियुक्त विधि आयोग यह कहा कि कुछ विशेष अपराधों; के लिए शीघ्र मुकदमा चलाने के लिए

विशेष न्यायालयों की शीघ्र स्थापना की जानी चाहिए। इसलिए किसी के लिए यह कहना कि हम विशेष न्यायालयों की स्थापना राजनैतिक विरोधियों को समाप्त करने के लिए कर रहे हैं ऐतिहासिक तथ्यों और इस देश में विशेष न्यायालयों के इतिहास की अवहेलना करना है।

इसके अलावा इस विधेयक की नीति की आपत्ति, जिस पर इस सदन में विस्तृत रूप से चर्चा हुई थी उच्चतम न्यायालय में भी उठाई गई उच्चतम न्यायालय में यह कहा गया कि यह विधेयक राजनीति से प्रेरित है। मेरे मित्र ने जो तर्क अभी दिया था कि इसका उद्देश्य राजनीतिक विरोधियों को समाप्त करना है उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाया गया और उच्चतम न्यायालय का इस तर्क को निरस्त करने में कोई कठिनाई नहीं क्योंकि उच्चतम के विचार में यह तर्क ऐसा है जिस पर जरा भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। मेरी विशेषकर कांग्रेस (आई) के सदस्यों से यह अपील है कि लोकतंत्र और कानून का शासन कैसे चल सकता है यदि आप न्यायालयों तथा उसके निर्णयों की निरंतर आलोचना करते रहे। ऐसा कहा गया है कि यदि राज-नीतिक विरोधियों को अब समाप्त कर दिया गया तो अगली सरकार भी अपने राजनीतिक विरोधियों को समाप्त करेगी। यह प्रत्येक सरकार का कर्तव्य है कि यदि कोई राजनीतिज्ञ जो अपने को जनता के प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, राजनीतिक पद का दुरुपयोग करने के दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें राजनीति से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। यह इस सरकार का और यहां तक कि आगे आनेवाली सरकारों का कर्तव्य है कि वह भ्रष्ट राजनीतियों को निकाल दे जो राजनीतिक पद का दुरुपयोग करने के दोषी हैं। जन प्रतिनिधि कानून 1950 में एक यह उपबंध है कि जिस किसी भी व्यक्ति को दंड संहिता के अन्तर्गत किसी भी अपराध के लिए दो वर्ष से अधिक समय का सश्रम कारावास मिलता है तो वह स्वतः ही किसी राजनीतिक पद को ग्रहण करने अथवा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। क्या किसी ने राजनैतिक ईमानदारी के साथ यह सुझाव दिया है कि जिस किसी राजनीतिक पर न्यायालय में मुकदमा चलता है और उसकी दोष सिद्धि हो जाती है तो राजनीति से हटा दिया जाये। यह विधेयक केवल एक स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया है और वह स्थिति यह है कि अगला आम चुनाव आने से पूर्व किसी व्यक्ति का दोष अथवा उसके प्रति संदेह निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि आगामी आम चुनावों में कोई भी व्यक्ति इस बहाने में जनता के पास वोट मांगने न जाये कि वह ईमानदार है और उसने राजनीतिक पद का दुरुपयोग नहीं किया है।

विशेष न्यायालयों का यह उद्देश्य है कि वर्ष 1982 से पूर्व न्यायालय को उन व्यक्तियों की राजनैतिक ईमानदारी अथवा बेईमानी पर न्याय निर्णय देना चाहिए जिन्होंने इस देश में लम्बे अरसे तक राजनैतिक शक्ति का उपयोग किया और अभी भी यह कहते है कि वे भविष्य में भी राजनैतिक शक्ति का उपयोग करेंगे। यदि मामलों का शीघ्र निपटान है तो मैं समझता हूं कि हम कुछ समय से गलत काम कर रहे हैं क्योंकि आपात स्थिति के दौरान इस बात पर अधिक जोर दिया जाता था कि कानून की ओर से विलम्ब तत्काल खत्म किया जाना चाहिए। क्योंकि हम कानून की ओर से मामलों को निपटान पर होने वाले विलम्ब को दूर नहीं कर सकते है, जो वर्षों से इकट्ठा होता आ रहा है, हमें कहीं से शुरुआत करनी चाहिए। यदि श्रीमती इंदिरा गांधी तथा उसके समर्थकों ने आपात स्थिति के दौरान कहा कि इस देश में प्रधान मंत्री का एक विशेष स्थान है, प्रधान मंत्री कोई भी संवैधानिक संशोधन ला सकती है--आपको याद होगा कि आपात स्थिति के दौरान संविधान संशोधन विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था और राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जो इस देश का प्रधान मंत्री बन जाता है उस पर किसी भी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, ऐसे अपराध जो उसने प्रधान मंत्री की हैसियत से प्रधान मंत्रीत्व काल में किये हो या प्रधान मंत्रीत्व काल के समाप्त होने के बाद किये हो आपको याद होगा कि सभी राजनीतिक शिष्टाचार और नियमों को ताक पर रखते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि प्रधान मंत्री को किसी भी अपराध से पूरी उन्मुक्ति प्राप्त है। आप हमारी इस बात का विरोध नहीं कर सकते हैं कि विशिष्ट अपराध के दोषी व्यक्तियों पर विशेष रूप से तथा तत्काल मुकदमा चलाया जाये ताकि जनता को इस बारे में जानकारी मिल सके और वह चरित्र के आधार पर वोट दे सके न कि दल के आधार पर जो राजनीतिक उनके साथ करते हैं।

राज्य सभा ने दो या तीन सुझाव दिए हैं। हमे उनमें से हर सुझाव पर विचार करना चाहिए जो राज्य सभा ने दिया है। इसमें कहा गया है कि विरोध न्यायालय का न्यायाधीश भारत क पूरक न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जायेगा अथवा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से उच्च न्यायालय के मुख्य

[श्री जेठमलानी]

न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जायेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, सामान्यतः भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है; राष्ट्रपति जो करता है उसकी भारत का मुख्य न्यायाधीश अवहेलना नहीं कर सकता; राष्ट्रपति को परामर्श करने का अधिकार है और तत्कालिक सरकार मुख्य न्यायाधीश के परामर्श की अवहेलना करके व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकती है। अब तक उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, उन्हें इसी प्रक्रिया से नियुक्त किया गया है, सरकार ने उन्हें मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त किया है। किसी के लिए भी कभी यह कहना सम्भव नहीं हो गया है कि चूंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने किसी न्यायाधीश के नाम का प्रस्ताव नहीं किया है, इसलिए भारत के राष्ट्रपति को उन्हें नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। अब विशेष न्यायालय के न्यायाधीशों के सन्दर्भ में, सरकार के पास नियुक्ति करने के लिए किसी प्रकार की कोई औपचारिक, रस्मी अथवा सांकेतिक शक्ति नहीं होगी। सामान्यतः भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गए अधिपत्र (वारंट) द्वारा किसी बहुत वरिष्ठ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। लेकिन इस सांकेतिक शक्ति का भी हल श्रीमती गांधी और उसके 'काकस' के प्रति भद्र रहने के लिए, जिस भद्रता के वे पात्र नहीं है, प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यह सब क्या है, जो हमने कहा है? हम किसी आलोचना का शिकार नहीं बनना चाहते; हम आपके लिए अधिक से अधिक न्यायसंगत प्रणाली अपनाएंगे, जो संविधान के अनुकूल हो अथवा कोई खोज की जाए। इससे एक वही ढंग बेहतर है, जो श्रीमती गांधी के दृष्टिकोण से राज्य सभा ने सुझाया है, या तो श्री संजय गांधी श्रीमती गांधी के मामले की न्यायिक जांच करें अथवा श्रीमती गांधी श्री संजय गांधी के मामले की जांच करे। अथवा हमें तीन न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन करना चाहिए, जिसके मि० जस्टिस साठे, मि० जस्टिस स्टीफन और मि० जस्टिस लकप्पा सदस्य हो और वे श्रीमती गांधी तथा उसके 'काकस' द्वारा किए गए सभी अपराधों की न्यायिक जांच करे। इसके अतिरिक्त इससे बेहतर ढंग के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या किसी राज्य में अथवा केन्द्र में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति उस ढंग से हुई है, जिस ढंग से नियुक्ति करने के लिए राज्य सभा ने हमसे कहा है। हम राज्य सभा के संशोधनों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं और मैं अपने दोस्तों के अन्तःकरण से अपील करता हूं; कृपया इस संशोधन का स्वीकार करे। यदि श्रीमती गांधी और उनका 'काकस' जो ट्रिब्यूनल के समक्ष सम्भावी अपराधी है, बेगुनाह है, यदि उनकी बेगुनाही का आपको विश्वास है, यदि उन्हें स्वयं अपनी बेगुनाही का विश्वास है, तो उन्हें न्यायालयों की कार्यवाही का सामना करने दो और उन्हें, न्याय की आग से न्यायिक प्रणाली में से गुजरने दो और यदि वे दोषी नहीं पाए जाते तो उनकी पुरानी ख्याति पहले से भी अधिक प्रकाशवान हो जाएगी। लेकिन यदि आप अपराधिक तत्वों से बने हुए हैं, जिसका हमें विश्वास है कि आप ऐसे है, हालांकि इसका निर्णय न्यायाधीशों को करना है, हमें नहीं, तो निश्चय ही आप चुनाव लड़ने योग्य नहीं है और आपको देश की जनता के पास जाने का और गरीबी हटाओ के नारे लगाने का अधिकार नहीं है। यही हमारा पक्ष है। हमारा पक्ष झूठा हो सकता है। हमें यह कहना है कि आप गरीबों की गरीबी नहीं हटा रहे हैं लेकिन आप अपनी तिजोरियों को फिर से भरने का प्रयास कर रहे हैं और अपने आपको तथा अपने परिवार को महत्व देने का प्रयास कर रहे हो। हम गलत हो सकते हैं लेकिन आपके अपराधों की न्यायिक जांच कौन करेगा? कृपया हमें यह बताएं कि श्रीमती गांधी के अपराधों की न्यायिक जांच आप किससे करवाना चाहते हैं? आशा है श्री साठे खड़े हो कर यह बताएंगे। वास्तव में हम यह नही चाहते कि श्रीमती गांधी के लिए कोई ऐसी प्रणाली उपलब्ध रहे जिसके द्वारा वह कार्यवाही को इस आशा में लम्बी खींचती रहें कि किसी समय कोई ऐसी सरकार शासन में आ जाएगी, जो सम्भवतः उन्हें छोड़ देगी। श्री फोर्ड द्वारा श्री निक्सन को माफ करने की हम प्रशंसा करते हैं। लेकिन अमरीका में भी, जब श्री निक्सन को माफ कर दिया गया तो श्री निक्सन फ्लोरिडा में रिटायर्ड हो कर चले गए। वह जनता के पास वोटों के लिए नहीं जाते। यदि वे अमरीकी जनता के पास जाकर वोट मांगते हैं और कहते हैं कि मैं पुनः चुनाव लड़ना चाहता हूं तो अमरीका की जनता जानती है कि श्री निक्सन के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। वह रिटायर जीवन बिता रहे हैं। यदि श्रीमती इंदिरा गांधी आन्तरिक शान्ति चाहती है, यदि वह परमात्मा से शान्ति की इच्छा करती है और यदि वह उन गरीब लोगों की आत्मा को शान्ति प्रदान करना चाहती है, जिन्हें उसने सताया, यातना दी और जिन्हें उसके कारण दुःख उठाना पड़ा, तो एक काम वह कर सकती हैं, और वह यह है कि बिना शर्त के क्षमा याचना करे, ऐसी क्षमा याचना जो जनता के समक्ष अपने किए पर

पछताने की भावना व्यक्त करती हो। लेकिन वह स्वयं शीशों के मकान में रहकर दूसरों पर पत्थर फेंकती हैं। वह लगातार न्यायाधीशों की अवहेलना करती है। 16 मई को वह उस प्रकार का आपराधिक विवाद प्रारम्भ करने जा रही हैं, जिसमें वह माहिर हैं और मुझे पक्का विश्वास है कि गृह मंत्री न केवल इस बात पर उचित ध्यान देंगे कि इस सभा के अन्दर क्या कुछ कहा गया है, बल्कि इससे पहले सभा के बाहर जो कुछ कहा गया है, इसको भी वह ध्यान में रखेंगे और, इसलिए वह किसी कानूनी कार्यवाही से बच नहीं सकती है। विपक्ष के प्रतिष्ठित नेता सहित कांग्रेस के कुछ सदस्यों द्वारा यहां यह कहा गया था कि वे उन न्यायाधीशों जो इन विशेष अदालतों के लिए नियुक्ति स्वीकार करेंगे, उस समय निपट लेंगे, जब वे शासन में आएंगे। मुझे विश्वास है कि इस देश के न्यायाधीश, चाहे वे श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा नियुक्त किए गए हों, इन धमकियों का मुकाबला करने के लिए बेहतर चरित्र, निष्ठा और दम-खम रखते हैं। न्यायाधीशों की इस देश में बहुत बड़ी संख्या मिल जाएगी, जो हमारी विशेष अदालतों में नियुक्ति स्वीकार कर लेंगे और इन चतुर अपराधियों को उनके अपराधों के लिए दोषी घोषित करेंगे। ऐसे महापुरुषों का आपराधिक व्यवहार एक महत्वपूर्ण बात है, जो विशेष अदालतों के भावी न्यायाधीशों को धमकियां दे रहे हैं। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति न्याय को भ्रष्ट करने का दोषी है। प्रत्येक व्यक्ति न्यायालयों की भारी मानहानि के लिए दोषी है और मैं गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले में महा-न्यायाधिकर्ता अथवा महा-न्यायवादी से विचार विमर्श करके शीघ्र ही ऐसे सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करें, जो इस मानहानि के लिए दोषी हैं और जो न्याय की अदालतों के मार्ग में इस किस्म की कायरतापूर्ण धमकियों से बाधा पहुंचाने की इच्छा रखते हैं। वे इस बात को जानते हैं कि न्यायाधीशों उत्तर देने में असमर्थ हैं। न्यायाधीश जनता के मंचों से भाषण नहीं कर सकते। न्यायाधीशों की रक्षा दूसरों को करनी है। यह जनता की एक ऐसी विशिष्ट श्रेणी पर माननीय सरकारी कर्मचारियों पर कायरतापूर्ण हमला है, जिनके पास अपने बचाव के लिए कोई साधन नहीं हैं, क्योंकि उनके पास सफेद झूठ, जो आप इनके विरुद्ध बोलते हैं, बोलने के साधन नहीं हैं। यदि कोई इस तरह की बकवास करता है तो यह सरकार का कर्तव्य है कि वह ऐसे व्यक्तियों के बारे में जांच-पड़ताल करें और न्याय प्रणाली को कांग्रेस (इ) की उन आपत्तिजनक बकवासों से गन्दा होने से बचाए, जो हमारी न्याय प्रणाली को दूषित करती है। न्याय की ये धाराएं कभी दूषित नहीं हो सकती, चाहे इनकी उन सब तत्वों की, जिनके वे बने हुए हैं, बाढ़ से ही दबाने का क्यो न प्रयास किया जाए। धन्यवाद।

श्री पी० वेंकट सुब्बया (नन्दयाल) : इनका भाषण बहुत ही निम्न कोटी का है।

श्री शशांकशेखर सान्याल (जंगीपुर) : हम विधेयक का और विशेष रूप से संशोधन का स्वागत करते है यह विधेयक मूल रूप में केवल आपातकालीन स्थिति की अवधि तक ही सीमित था। यह एक ऐसा तदर्थ विधान दिखाई देता था, जो संकीर्ण था। हम राज्य सभा के आभारी है, जिन्होंने इसका विस्तार कर दिया है। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी स्थिति को स्वीकार कर लिया है। लेकिन हमें केवल एक ही अवधि तक सीमित नहीं रह जाना चाहिए। हमें इसमें आपातकालीन स्थिति पूर्व, आपातकालीन स्थिति के दौरान और आपातकालीन स्थिति के बाद की अवधि को शामिल कर लेना चाहिए।

महोदय, मेरा तर्क यह है कि यह कानून में संशोधन उस उपयुक्त समय पर पारित हुआ हैं, जब कि मोयनिहन के उस समझौते का पता चला है जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती गांधी द्वारा धन स्वीकारे जाने से संबंधित था। क्यों? मेरा दावा यह है कि यह पहला मामला है, जो जांच के लिए विशेष अदालत में जाना चाहिए, क्योंकि उसने दो कामों के लिए धन स्वीकार किया—कांग्रेस के निमित्त वोट खरीदने और धन की शक्ति से अन्य चुनाव लड़ने वालों को वोट प्राप्त करने से वंचित करने के लिए। निर्वाचन कानूनों के अधीन यह दांडिक अपराध है। इतना ही नहीं, वह केरला और पश्चिम बंगाल में साम्य-वादियों को उखाड़ना और उनकी प्रगति का गला दबाना चाहती थी। आखिरकार देश के साम्यवादी इसी गणतंत्र के हिस्से हैं और साम्यवादी एक मान्यताप्राप्त पार्टी है। यदि उसने गणतन्त्र के किसी हिस्से का गला दबाने का प्रयास किया था, तो मैं यह निश्चयपूर्वक कहता हूं कि वह देश के गणतंत्र और विशिष्टता के खिलाफ कार्य कर रही थीं। यहां हम उस उक्ति को प्रस्तुत कर सकते हैं कि अंश सम्पूर्ण के बराबर है। यदि देश के किसी हिस्से का गला दबाया जाता है। तो पूरे देश का गला दबाया जाता है। अतः यह एक अपराध था। ऐसी स्थिति में, जब यह धन विदेश से प्राप्त हुआ था, मैं दावे से यह कह सकता हूं कि यह देशद्रोह का एक गम्भीर मामला है। अतः मैं यह चाहूंगा कि विशेष न्यायालय अधिनियम के अधीन मोयनिहन

[श्री शशांकशेखर सान्याल]

का मामला ट्रिब्यूनल को सौंपा जाए। यह न केवल कोई नाटकीय महत्व की बात है, बल्कि यह अत्यन्त अनिवार्य है। मोयनिहन एक वास्तविक व्यक्तित्व के गवाह हैं। उन्हें साक्ष्य देने के लिए बुलवाया जा सकता है। किसे पता है कि उनकी कब मृत्यु हो जाए। यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो भ्रष्टाचार का यह बड़ा मामला टांय-टांय फिस हो जाएगा। अतः यह आवश्यक है कि पड़ताल के इस मामले को प्रथम सूची में रखा जाए, ताकि मोयनिहन को बुलवाने और साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया जा सके और उनकी साक्ष्य के समर्थन में दूतावास और स्वयं मोयनिहन के कागज-पत्रों को मंगवाया जा सके।

मेरे एक अच्छे मित्र, श्री कामत ने एक मुद्दा यह उठाया है कि यह उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैंने कहा था कि इसे चुनौती दी जा सकती है।

श्री शशांकशेखर सान्याल (जंगीपुर) : जैसे आपको और मुझे चुनौति दी जा सकती है, वैसे ही प्रत्येक कानून को चुनौति दी जा सकती है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री जेठमलानी ने कहा है कि विशेष अदालतें तो पहले ही विद्यमान हैं। यदि विशेष अदालतें पहले ही विद्यमान हैं, तो सरकार ने उच्चतम न्यायालय की राय लेकर अत्याधिक शिष्टाचार और सतर्कता दिखायी है। इस प्रकार की राय लिए जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। जो कुछ उच्चतम न्यायालय ने कहा, वह केवल उनकी राय थी और यह निर्णय की तरह बाध्यकारी नहीं था।

हम स्वतंत्र व्यक्तियों की तरह भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी भ्रष्टाचारों से निपट सकते हैं। इस प्रकार का भ्रष्टाचार न केवल आपातकालीन स्थिति की घटना है, अपितु यह जो कुछ पहले हुआ, उसी का परिणाम है। आजादी के आगमन पर भी जब हमारा नेतृत्व कमजोर हुआ तो बहुत से देशों ने उस समय शासक दल के लिए अपनी जेबों ढीली कर दीं, बहुत से देशों में बहुत से मोयनिहन तथा इस प्रकार के समझौते जो अधिक खतरनाक और बदनाम किस्म के हैं, हमारे देखने में आएंगे। इसलिए इन मामलों को यथाशीघ्र जनता के सामने लाया जाना चाहिये।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : महोदय, अभी-अभी मैंने उदलने-कूदने वाले मुरगे अपने दोस्त, श्री जेठमलानी का भाषण सुना, जिसे इस संसद के इतिहास में उनके भाषणों में अत्याधिक श्रेष्ठ भाषण समझा जाएगा, और जो एक महज बकवास थी। क्योंकि उन्होंने स्वयं यह कहते हुए शुरू किया था, कि हमें केवल संशोधनों के बारे में बोलना चाहिये, और फिर घटित सभी अपराधों तथा इस प्रक्रिया से किस प्रकार विपक्षियों से छुटकारा मिले, के विषय में सन्दर्भ बदलते हुए बोलते चले गए। ऐसे आदमी को सुनना बड़े हैरानगी की बात है, जो कानून के शासन का और सामान्य कानून का प्रबल समर्थक है, वह यह कहे कि विशेष अदालतों का उद्देश्य राजनैतिक विपक्षियों को अपराधी करार देते हुए हटाना है ताकि जैसा वह कहते हैं प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन चुनाव लड़ने की लोकतांत्रिक प्रणाली में भाग लेने के लिए उनको अयोग्य घोषित किया जा सके। यदि यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप विशेष अदालतों की स्थापना करते हैं तो आप अपने पक्ष को निष्पक्ष, विधिसंगत और उचित ठहराने तथा कानून के शासन की प्रतिष्ठा को पुनः कायम करने की बात से विमुख हो रहे हैं। एक ही प्रहार में आप कहते है कि इस देश की सामान्य न्यायिक प्रक्रिया, सामान्य न्यायालय, उच्च न्यायालय और सेशन जज न्यायालय और सभी सामान्य विधि न्यायालय पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार आप सम्पूर्ण न्यायिक प्रणाली पर अविश्वास प्रकट कर रहे हैं। जब एक बार विधि-शासन लागू कर दिया जाता है तो देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो, चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री हो या चाहे वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने पूरे जीवन में तस्करों को प्रेरित करने का समर्थक ही क्यों न रहा हो, वे सभी कानून की दृष्टि से बराबर होते हैं। यदि कानून और न्याय का आधारभूत तथा अन्तिम सिद्धांत यही है तो फिर यह कहना कि कुछ व्यक्तियों को चुन लिया जायेगा, सर्वथा गलत है।

फिर वे विशेष अदालतों के पहले से होने का भी उदाहरण दे रहे थे। हमें आप विशेष अदालतों के पहले होने का एक ही ऐसा मामला बता दीजिए जो कि विरोधी राजनैतिक दलों के लिए बनाया गया हो, जिनकी कभी सरकार रही है, चाहे वे राज्यों की हो अथवा अन्यथा, बताइये मुझे पहले के एक भी ऐसा मामला बताइये, जैसे कि मेरे दोस्त एडुआर्डो फैलीरो बता रहे थे, लोकतंत्र की साधारण प्रक्रिया में आप एक दल को चुनाव में हरा देते हैं। लोकतंत्र में

किसी भी राजनैतिक दल को मान देने तथा सजा देने का यहीं सर्वोत्तम तरीका है, इससे अच्छी राजनैतिक सजा कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है, इसके बाद आप शासक दल के रूप में राष्ट्र तथा उसके कार्यों को ठीक प्रकार से चलाने का उत्तरदायित्व लेते हैं, जब आप की अवधि समाप्त हो जायगी हो सकता है कोई दूसरा ही दल शासक दल के रूप में आ जाय। यह तो लोक-तंत्र की प्रक्रिया है, शासन में आने के पश्चात् मेरा मतलब है कि जो दल चुनाव में हार जायेगा उसे विशेष अदालतों का लक्ष्य बना दिया जायेगा और मुकदमा चलाकर कानून का पालन हो जायेगा और इस पर आप कहते हैं कि आप उनके विरुद्ध लड़ते रहेंगे, इसी पार्टी अथवा इसके नेताओं ने क्या अपराध किये हैं ? क्या आपके इस विधेयक को पारित करने का एक मात्र उद्देश्य यह नहीं है कि उन्हें भविष्य में लोकतंत्रीय प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दिया जाय। जिस क्षण आप यह कहते है यह तभी पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है, यही सब कुछ है जो आजकल हो रहा है, आप ईमानदार है, मेरे दोस्त श्री जेटमलानी ईमानदार है परन्तु देश भर में क्या प्रभाव है ? लोगों का विचार है कि इन विशेष अदालतों की रचना विशेष रूप से चुने गये न्यायाधीशों से की जा रही है और सरकार द्वारा अप-राधों को भी धारा 5 के अन्तर्गत विशेष व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष रूप से घोषित किया जा रहा है और फिर सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि अपराधों के लिये सामान्य कानून तथा साक्ष्य के कानून भी उपलब्ध है।

अधिनियम की धारा 9(2) में प्रावधान किया गया है कि :

"विशेष न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिस पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपराध से सम्बन्धित अथवा सहयोगी होने का सन्देह हो, साक्ष्य को प्राप्त करने के विचार से उसके अपनी जानकारी के हिसाब से अपराधों से संम्बन्धित सभी परिस्थितियों की तथा अपराध करने वाले दूसरे प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति की चाहे वह प्रमुख षड़यंत्रकारी हो अथवा षड़यंत्र को उकसाने वाला हो, की पूण जानकारी दे देने की शर्त पर क्षमा प्रदान कर सकती हैं और इस प्रकार से प्रदान की गई क्षमा की संहिता धारा 308 के उद्देश्य के लिए उसकी धारा 307 के अन्तर्गत दिया हुआ माना जायेगा।"

इस प्रकार एक विशष संहिता की रचना रिश्वतखोरी के लिए की जा रही है . . .

श्री राम जेठ मलानी : 150 वर्षों के लिए।

श्री वसन्त साठे : नहीं, नहीं, आप उसमें सम्मिलित कर रहे ह कि इसे धारा 307 के अन्तर्गत किया गया मान लिया जायेगा, विशेष रिश्वत की प्रक्रिया **(व्यवधान)**। फिर आपका मतलब क्या है, यदि यह आवश्यक नहीं था अथवा व्यर्थ था तो फिर आप इसे धारा 9 के अन्तर्गत क्यो नहीं लाये है, इसका मतलब है आप कह रहे हैं: "आप लोग इन लोगों के विरुद्ध साक्ष्य दे दीजिए और उसके लिए विशेष रिश्वत के रूप में आपको क्षमा कर दिया जायेगा," आप इस सब को क्यों करना चाहते हैं और विश्व में जो कुछ हो रहा है उसके सन्दर्भ में इसे इतना नंगा क्यों प्रतीत होते देना चाहते हैं जो पाकिस्तान में भुट्टो के साथ हुआ है।

श्री शिव नारायण : और पता है ईरान में क्या हो रहा है ?

श्री वसन्त साठे : हाँ, ईरान में क्या हो रहा है और श्रीलंका तथा दूसरे देशों में क्या हो रहा है, जहाँ तक भारत का प्रश्न है, याद रखिये इसकी सबसे अधिक शान है, आज आप यहाँ क्यों है ? क्योंकि चाहे आपातकाल की कोई भी कमियां क्यों न रही हो आपको उसका श्रेय पार्टी को देना होगा और उसके नेता को देना होगा जिसने निष्पक्ष चुनाव करवाये है, संसार ने इसको माना है और उसने सम्मानपूर्वक शक्ति को जनता पार्टी को सौंप दिया है **(व्यवधान)**, मैं बताता हूँ "सम्मान के साथ" क्यों ? आप अपनी छतों के ऊपर से ढिन्ढोरा पीट रहे थे कि श्रीमती गांधी न सेना के सभी प्रमुखों को बुला लिया है और उनसे अनुरोध किया है कि सरकार को अपने हाथ में लेने हेतु सैनिक शासन की घोषणा कर दें और सरकार को आप को न सौंपे, यही सब कुछ व्यर्थ का प्रचार आप कर रहे थे लेकिन अब वर्तमान सरकार को स्वयं यह कहना पड़ेगा कि यह सब झूठ था, आप कितने और झूठ बोलते रहेंगे ? आज यहाँ लोकतंत्र है क्योंकि हमने आपातकालीन स्थिति के पश्चात् स्वयं अपनी ओर से लोकतंत्र प्रक्रिया के साधारण पुन-स्थापना को स्वीकार किया है जो कि सचमुच एक आपतकालीन स्थिति हो गई है, उसके समाप्त हो जाने के पश्चात् हम ने लोकतंत्र को पुर्नस्थापित किया और आप और मैं दोनो ही आज संसदीय प्रणाली की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जारी रखने में समर्थ हो पाये हैं, आप इसको नष्ट मत कीजिए, ठीक है हमने आपको जेल में रखा है परन्तु क्या हमने इसे आपको स्थाई रूप से अपराधी घोषित करने के उद्देश्य से किया है जिससे कि आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत उसके बाद लोकतंत्रीय प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार समाप्त हो जाय जिसे कि आज आप अपना उद्देश्य घोषित कर रहे हैं ? हमने आपको कैद में रखा परन्तु यह सिविल कैद थी और आप में से

[श्री वसन्त साठे]

किसी को भी अपराधी घोषित नहीं किया गया था । केवल तस्करों और दूसरे आदमियों को अपराधी घोषित किया गया था, हमारा उद्देश्य भी ऐसा नहीं था परन्तु अब आप क्या कर रहे हैं ? मैं कहता हूं कि क्या आप में साहस है कि . . .

श्री नरेन्द्र पी० नाथवानी (जूनागढ़) : आपतकालीन स्थिति के दौरान मोरारजीभाई, जयप्रकाश नारायण और अशोक मेहता को दूरदर्शन पर देशद्रोही बताया गया था ।

श्री वसन्त साठे : मैंने आज सुबह ही सुना है कि श्री राजनारायण स्वयं आपको अपनी पार्टी के कुछ सदस्यों को देशद्रोही कह रहे थे आप उसे स्वयं पता कर सकते हैं, मेरा विषय अलग से है ।

आपके शासन में आने के पश्चात् भी 'मीसा' मौजूद था डी० आई० आर० भी मौजूद था आप भी हमें कैद कर सकते थे परन्तु शाह आयोग के बावजूद भी इस देश में पिछले दो वर्षों में गुप्त रूप से साक्ष्य का लेश मात्र भी पाये बिना इस प्रकार के नंगे-निर्लज्ज ढंग से विशेष अदालतो की नियुक्ति करके आप इस देश में न्यायपालिका को भी बदनाम कर रहे है, आप न्यायाधीशों को चुन लीजिए, अपराधियो को चुन लीजिए, अपराधों को छांट लीजिए और दण्ड का भी निर्णय हो जायेगा क्योंकि आप यह तो घोषणा कर ही चुके हैं कि आपका उद्देश्य यह है कि अगले चुनावों तक उनको सजा अवश्य मिल जानी चाहिए, आप यह क्यो नहीं कहते है कि आप श्रीमती गांधी के विरुद्ध कुछ करना चाहते हैं ? आपका एकमात्र उद्देश्य यही है, साहस दिखाइये, मैं जनता पार्टी से कहता हूँ, कीजिए आप उसका जो कुछ करना चाहते हैं । यह बात भी व्यर्थ हो जायेगी जैसे कि उसको गिरफ्तार करने के लिये किये गये आपके घुटने टेंकने वाले तथा डरपोक कार्यों के प्रयास निष्फल हो गये हैं । खोखले बहुमत के आधार पर आपने चिकमगलूर की जनता के निर्णय को समाप्त कर दिया है और उसे लोक सभा की सदस्यता से निकाल दिया है । इसको जनता द्वारा अनुमोदित नही किया गया है और इसे तो लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है ।

आज आपके दिमाग शक्ति से फूले हुए है परन्तु जिस तरीके से आपकी पार्टी का विघटन हो रहा अब यह आराम से घर में बैठने वाला है, इसलिए अब इसके भरोसे मत चलिये, अब भी समय बाकी है वह समय जब कि इस देश में ज्यादा अच्छी बातों को सोचा जा सकता है आर्थिक और सामाजिक आर्थिक प्राथमिकताओं के विषय में सोचा जा सकता है, इनके बारे में सोचिए, यह उन लोगो का पागलपन है जो अब विदेशों से सहायता और साहस प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें श्रीमती गांधी के विरुद्ध दोषारोपण में मोयनीहान की सहायता की आवश्यकता है और वे कह रहे है कि इसका मुकदमा विशेष अदालतों में चलाया जाना चाहिए, यदि यही उद्देश्य है तो आप चाहे जो कुछ कह लें इससे इस देश में बर्बादी ही आयेगी ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं तो अपने आपको पूर्ण रूप से अधिनियम की उसी यथोचित स्थिति तक ही सीमित रखूंगा जो दूसरे सदन से आने के बाद सामने आई ।

मैं यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि जैसा कि यह अधिनियम इस समय है इसका आशय अत्यधिक दुखद है वास्तव में दुःखपूर्ण है । इसका अन्तर्भाव संदेहास्पद है और इसका प्रत्यक्ष घिनौना है और निःसन्देह यह सबसे भद्दे कानूनों में से एक साबित होगा, इसके अन्तर्भावों की दृष्टि से उतना नहीं अपितु इसकी रचना के विचार से, यह इतना अत्यधिक गन्दा कानून हो सकता है जो कि शायद ही कभी देखा जा सकेगा । कई लोगो द्वारा यह मात्र शब्दों की अस्तव्यस्तता के रूप में देखा जायेगा जिसे सभी प्रकार की व्याख्याए की जा सकेगी । इसलिए मैं अपने सम्मानित मित्र श्री कामत द्वारा व्यक्त किये गये इस विचार से सहमत हूँ कि यह पूर्णरूप से एक प्रकार से घाव भरने वाला कानून हो सकता है । इसलिए मेरे विचार से इस अधिनियम को पारित करना हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं होगा क्योंकि इसका प्रादुर्भाव दूसरे सदन से हुआ है । मैं इसको अत्यधिक निश्चितता के साथ कह रहा हूँ ताकि इसको बाद में किसी और व्यक्ति द्वारा न कहा जा सके अथवा भावी पीढ़ी द्वारा न कहा जा सके कि इस सदन में अंजान लोगों का वर्ग रहता था और उन्होंने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया है ।

जब मैंने इसका अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि या तो यह रचना, सन्तुलन, सुस्पष्टता, वाक्य रचना की दृष्टि से अथवा शब्द रचना की दृष्टि से यह अधिनियम पूर्ण रूप से बेढ़ंगा है । यह पूर्ण रूप से लगभग चिथड़ों से बनी रजाई के समान है जो छोटे छोटे टुकड़ों से बनाई गई है क्योंकि इसका प्रादुर्भाव ही दूसरे सदन से हुआ है । इसमें कई प्रकार की निराशाजनक बाते सम्मिलित हैं । इससे पूर्व हमें कहा गया था कि अधिनियम को केवल आपात कालीन अवधि तक सीमित रखा जायेगा और वास्तव में अधिनियम का पूर्ण तात्पर्य उसी अवधि से है, परन्तु

अब दूसरे सदन से इसमें व्यक्तिगत आरोपों का समावेश कर दिया गया है जो कि अधिनियम की मूल प्रकृति, व्यक्तिगत आलोचना और विशिष्टता पर अध्यारोपण जैसा प्रतीत होता है, अन्ततः प्रत्येक अधिनियम में विशिष्टता और स्वरूप होता है परन्तु इस अधिनियम में दूसरे सदन द्वारा जो कुछ भी अध्यारोपित किया गया है वह मूल अधिनियम के स्वरूप को नष्ट कर देता हैं, इसलिए आप देखेंगे कि प्रस्तावना तो लगभग ज्यों की त्यों है परन्तु केवल एक अनुच्छेद अथवा वाक्य सन्तोष प्राप्त करने की उस भावना में इसमें अन्तर्विष्ट कर दिया गया है जो कि सम्भवतः पूरी प्रस्तावना को नियंत्रित कर देगा । यहाँ सरकार के विरुद्ध मेरी एक शिकायत है, सरकार अधिनियम की प्रस्तावना को सुव्यवस्थित तथा कुशल और कारगर बनाने में दूसरे सदन की सहायता कर सकती थी, अब प्रस्तुत किये गये विधेयक के अनुसार यदि अब होल्ड-आल खंड को रखने का विचार है तो फिर अधिनियम की प्रस्तावना में एक मात्र 'होल्ड-आल' खंड रहना चाहिए और किसी भी दूसरे खंड को वहाँ नहीं रहने दिया जाना चाहिए इस 'होल्ड-आल' खंड में भी आपतकाल के समय की ओर आपातकाल में किये गये अपराधों की व्यवस्था होनी चाहिए थी, आप हर समय आपात कालीन अवधि और आपात कालीन अवधि के दौरान किये गये अपराधों के विषय में कहते रहते है और उसके बाद आप कहते है कि इसमें केवल आपातकालीन अवधि की ही वस्तुएं नहीं होनी चाहिए अपितु उन सब अपराधों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए जो कि सरकार के जांच आयोगों अथवा जांच एजेन्सियों द्वारा पता लगाया जा रहा है अर्थात् वह अनुच्छेद जिसको कि अब समाविष्ट किया गया है, मेरे दिमाग से सम्भवतः पूरी प्रस्तावना के लिए वही पर्याप्त हो जाता क्योंकि कोई भी जांच आयोग, चाहे वह आपातकालीन अवधि के अपराधों पर कार्य कर रहा हो अथवा उसके बाद के अपराधों पर कार्य कर रहा हो, इसकी जांच कर सकता था, दूसरे शब्दों में वह इस प्रकार के सभी अपराधों की जांच कर सकता था । इसलिए सरकार इसको करने में दूसरे सदन की सहायता कर सकती थी, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि यह दूसरे सदन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यदि सरकार इस प्रकार की प्रस्तावना को दोषमुक्त करना चाहती तो फिर उसमे कोई कठिनाई नहीं हो पाती, जहाँ तक इस उपाय के दृष्टिकोण का सम्बन्ध है मैं नहीं समझ पाता हूं कि सरकार किसी भी प्रकार की द्विविधा के संकट में क्यों पड़ी है ।

अब यदि सरकार के प्रति मेरी यह शिकायत है तो यह केवल इस तथ्य के कारण है कि हम अब अपने आपको मूल उपायों के मलवे तले पड़ा हुआ पा रहे हैं । वास्तविक उपाय की रूप रेखा ऐसे कुछ कार्य करने की थी जो सम्भवतः पूरे देश को मान्य होती । हमने इस देश में लगभग दो वर्षों के संकटकालीन भयावह स्थितियों को देखा है और सम्भवतः राष्ट्र आपातकालीन अवधि के दौरान किये गये कुछ अपराधों के लिए दण्ड भुगतने को भी तैयार है । इसलिये जब इसको इस प्रकार से किया जा रहा है तो मैं नहीं सोच पाता कि यह उन भावनाओं के प्रवेग के साथ चल पायेगा जो कि उन उपायों की पृष्ठभूमि के रूप में देश में व्याप्त हैं जिनको कि हमने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है ।

इस संबंध में यही एक विनम्र निवेदन मैं करना चाहता हूँ ।

मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि सरकार ने मेरे इस पहले प्रस्ताव को क्यों नहीं स्वीकार किया कि न्यायाधीश को संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नामांकित किया जाना चाहिए, न कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा । मैंने सदन में यह तर्क पेश किया था कि उच्चतम न्यायालय को सभी उच्च न्यायालयों का सर्वेसर्वा न समझा जाए और यह भी हो सकता है कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधिशो से भली-भांति परिचित न हो । अतः अधिक उपयुक्त यही होगा कि विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नामांकित करे । उस समय, इसे नहीं माना गया । मैं इस संबंध में दूसरे सदन द्वारा किए गए संशोधन का स्वागत करता हूँ । दूसरे सदन ने वही किया है जो इस मामले किया जाना चाहिए था ।

मैं सरकार को यह बताना चाहुँगा कि भविष्य में भी वे उच्चतम न्यायालय को सभी उच्च न्यायालयों का सर्वेसर्वा न मानें । उच्च न्यायालयों का अपना अलग क्षेत्राधिकार होता है । उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी वही आदर और सम्मान दिया जाना चाहिए जो के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया जाता है ।

जैसा की मैं पहले कह चुका हूं, प्रस्तावना में, यह अंकित है, "जबकि जाँच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन नियुक्त किए गए जाँच आयोग ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए है ।" अब, वे प्रतिवेदन पहले ही पेश कर चुके हैं और सरकार ने सदन के समक्ष यह विश्वास व्यक्त किया है कि उनके विरुद्ध मुकदमें चलाने के लिए मजबूत आधार है । फिर, प्रस्तावना में आगे यह कहा गया है, "और जहाँ कि सरकार द्वारा उसकी एजेंसियों के माध्यम से कराई जाँच से भी उसी तरह के अपराधी सामने आए हो।" अर्थात, जाँच आयोगों के प्रतिवेदनों द्वारा किए गए उद्घाटनों की

[श्री श्याम नन्दन मिश्र]

सरकार की जाँच एजेंसियो द्वारा पुष्टि की गई थी। इस तरह, सरकार इन तथ्यों से लैस्स होकर सदन के समक्ष आई। अब हमसे इस बात पर सहमत होने की बात की गई है कि भविष्य में भी यदि जाँच आयोग के प्रतिवेदनों में कोई निष्कर्ष दिया जाय तो उस पर भी विशेष न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जाएगी। वह एक गुणात्मक परिवर्तन प्रतीत होता है और उससे हमें यह आभास नहीं होता कि न्यायालय में जाने से पहले, सभी मामले में सरकार के पास वही आधार होगा जो शुरु में था।

अब मैं खण्ड 5 पर आता हूँ जो इस विधेयक का क्रियात्मक भाग है। यहाँ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है जो प्रस्तावना में किए गए परिवर्तन के उपयुक्त है मेरा विचार यह है कि न्यायाधीशों द्वारा खण्ड 5 की व्याख्या विधेयक के सामान्य अभिप्राय को ध्यान में रख कर भी की जा सकती है, न कि उस खण्ड विशेष अथवा कारण विशेष को ध्यान में रख कर जो प्रस्तावना की सामान्य योजना में सम्मिलित किया गया है, कि न्यायाधीश उनकी व्याख्या सामान्य प्रस्ताव के संदर्भ में करेंगे, न कि उस कारण विशेष के संदर्भ में जो इसमें शामिल किया गया है। यदि ऐसा है, तो हर कोई यहीं सोचेगा कि स्थिति वही रहेगी जैसी पहले थी।

मुझे इसमें पहले भी जो एक कमी नजर आई थी वह यह है कि ऐसे अपराधों से संबद्ध व्यक्तियों का उल्लेख खण्ड 5 में नहीं किया गया है हालांकि प्रस्तावना में ऐसे अपराधियों और ऐसे सहअपराधियों का उल्लेख है। लेकिन विधेयक के क्रियात्मक भाग में उसका उल्लेख नहीं है। अतः ऐसा हो सकता है कि विशेष न्यायालयों द्वारा मुख्य अपराधियों के खिलाफ ही कार्यवाही की जाए और उनके खिलाफ न की जाए जो ऐसे अपराधो से संबद्ध रहे हैं। यह मूल विधेयक में भी था। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि यह इस विधेयक में भी है। अतः हम देखते हैं कि खण्ड 5 प्रस्तावना के विरुद्ध है, शब्दों का जाल है और खण्ड 5 की व्याख्या प्रस्ताव के सामान्य अभिप्राय के अनुसार की जा सकती है; हो सकता है कि विधेयक के किसी खण्ड विशेष के अनुसार इसकी व्याख्या न की जाए।

अंत में, मेरा विचार यह है कि विधेयक में इस भ्रम के रहते हुए और अनुच्छेद 226 द्वारा उच्च न्यायालय की शक्तियाँ बरकरार रखते हुए तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि इस विधेयक के खण्ड 11 के अन्तर्गत वादकालीन आदेशों के लिए पर्याप्त गुंजाइश होगी, स्थिति फिर भी वैसी ही रहेगी जैसी कि तब होती जब इन अपराधों के अभियुक्त व्यक्तियों पर विशेष न्यायालयों की अपेक्षा सामान्य न्यायालयों द्वारा मुकदमा चलाया जाता। मुझे ऐसा लगता है कि भले ही हमें यह संतोष हो जाए कि जहाँ तक इन विशेष प्रकार के अपराधों का संबंध है उन पर हम जल्दी ही कार्यवाही करने जा रहे है, फिर भी जहाँ तक न्यायालय में कार्यवाही में लगने वाले समय का संबंध है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, स्थिति वही रहेगी जो विशेष न्यायालय विधेयक के पारित होने से पहले थी।

जो कुछ मैंने कहा है, यदि वह सच साबित हो गया, तो बाद में मुझे कुछ संतोष अवश्य हो सकता है लेकिन, इस स्तर पर, तो मैं सरकार को संतुष्ट करना चाहूँगा ताकि सरकार इस विधेयक पर अपने ढंग से कार्यवाही कर सके, लेकिन मेरे विचार में, वे बाद में इसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि वे मुश्किल में पड़ गए हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : राज्य सभा द्वारा किया यथा संशोधित और श्री० एच० एम० पटेल द्वारा यथा प्रस्तावित विशेष न्यायालय विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं संक्षेप में दो बातें अवश्य कहना चाहूँगा। एक बात तो मैं शुरु में तब कह चुका जब गृह मंत्री महोदय ने विचार स्तर पर अपना भाषण दिया, अर्थात् यह कि सरकार ने इन बातों पर सदन में पहले विचार क्यों नहीं किया, विशेषकर उस समय जब राज्य सभा के द्वारा संशोधन में सम्मिलित किए गए उन मामलों को सरकार के ध्यान में लाया गया। यदि सरकार ने यह कहा होता कि इन बातो पर उनका ध्यान नहीं गया, न ही इस सदन के किसी सदस्य का ध्यान उन पर गया, कि पहले-पहले दूसरे सदन में यह बात प्रकाश में आई, और इसलिए अब उनका ध्यान इधर गया है तब तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब हम में से कुछ सदस्यों ने उक्त विधेयक का समर्थन किया, तब हमने कहा था, "इसे आपातकाल की अवधि तक ही सीमित न रखें और न ही किसी एक्स, वाई अथवा जैड़ तक इसे सीमित रखे अपितु इसे जाँच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत दोषी पाए गए सभी व्यक्तियो पर लागू करें। उन्होंने ऐसा क्यो नहीं किया? ऐसा न किए जाने से दो बातें उठी हैं। एक तो यह कि हम दूसरे सदन द्वारा किए गए संशोधनों को स्वीकार करने के लिए विवश है--निश्चय ही मैं दूसरे सदन का आदर करता हूँ : उसमें वरिष्ठ लोग हैं और संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, उन्हें कानून में संशोधन करने का अधिकार है। लेकिन उन्हें इसमें संशोधन तभी करना चाहिए था यदि हम उन त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाने में असमर्थ रहते . . .

श्री हरि विष्णु कामत : हम उन्हें स्विकार करने के लिए विवश नहीं हैं; हम संयुक्त बैठक कर सकते हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : संयुक्त बैठक के अलावा उन्हे इसमें संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार उन्हें तभी है जब हम प्रारम्भिक स्तर पर, इसकी कमियों का उल्लेख करने में असफल रहे हो। किन्तु हमने स्पष्ट शब्दो में उन कमियों का उल्लेख किया था और फिर भी, सरकार ने कुछ अच्छे तथा रचनात्मक मुद्दो को नहीं माना। वे मुद्दे कांग्रेस (आइ) द्वारा नहीं उठाए गए थे। मेरा विश्वास है कि जहाँ तक कांग्रेस (आइ) का प्रश्न है—ऐसा कहने के लिए मुझे क्षमा करें—उन्हें अब यह विधेयक लाने के लिए जनता सरकार की आलोचना करने का कोई न्यायोचित तथा नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि बहुत सी अत्याचारपूर्ण बातें करने और संविधान के साथ खिलवाड़ करने के लिए वही लोग जिम्मेदार और दोषी हैं। अतः, आलोचना करने का उन्हें क्या अधिकार है? फिर, जनता सरकार प्रत्यक्ष कुछ नहीं कर रही है बल्कि वे इन मामलों का निर्णय न्यायालयों—इस विशेष मामले में विशेष न्यायालयो पर छोड़ रहे हैं—और न्यायालय ही इस बात का निर्णय करेंगे कि संबंधित व्यक्ति दोषी थे या नहीं क्योंकि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब उन्होंने मामलों को न्यायपालिका पर नहीं छोड़ा बल्कि उन पर स्वयं कार्रवाई की और इतने अधिक लोगों को जेल में डाल दिया, संसद के लिए शर्मनाक स्थिति उत्पन्न कर दी और उसे एक व्यक्ति की बंधक-संसद में परिवर्तित कर दिया, और संविधान में लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता के सभी सिद्धांतों का गला घोट दिया। अतः, उन्हें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन बात यह है कि इनका उल्लेख अन्य संसद सदस्यों ने किया, लेकिन आपने माना नहीं। अब आप दूसरे सदन की विद्वमत्ता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजी होकर हमें बड़ी विचित्र स्थिति में डाल रहे है जबकि इतनी समझदारी तो हम उनसे भी पहले दिखा चुके थे।

मेरा दूसरा और अंतिम मुद्दा यह है। मुझे अपने प्रिय मित्र श्री राम जेठमलानी के भाषण के सिद्धांत को सुन कर आश्चर्य ही नहीं, दुख भी हुआ। मैं उनका या श्री० वसन्त साठे के विरुद्ध कोई गलत भाषा इस्तेमाल नहीं करूंगा। यह तो वे आपस में काफी कर चुके हैं। मेरा कहना सिर्फ यह है कि इतनी कानूनी ख्यातीवाले श्री० राम जेठमलानी को यह कहते हुए सुन कर मुझे आश्चय और दुख हुआ . . .

एक माननीय सदस्य : कानूनी प्रतिष्ठा !

प्रो० पी० जी० मावलंकर : कम से कम वह उच्चतम न्यायालय तो जाते ही हैं। मेरा कहना यह है। उन्होंने कहा है वह चाहते हैं कि विशेष न्यायालय विधेयक शीघ्रता से पारित किया जाए और विशेष न्यायलयों के न्यायाधिश श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा व्यक्तियों के मामलों की शीघ्र जाँच करें ताकि उन पर अगले आम चुनावों से पहले मुकदमा चलाया जा सके और उन्हें सजा दी जा सके। मैं नहीं समझता कि अभी से इस बात का पूर्वानुमान करने की कोई आवश्यकता है कि विशेष न्यायालय क्या करेंगे। उससे ऐसा लगता है जैसे इस कार्यवाही में राजनीतिक बदले की भावना छिपी हों। अन्यथा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा होता। क्या वह इस बात की पूर्व-कल्पना करते हैं कि विशेष न्यायालयो का गठन किया जाएगा और उनके न्यायाधीश 1982 में होने वाले चुनावों से पहले अपने निर्णय सुना देंगे ? दूसरे वह यह कल्पना कैसे करते है कि चुनाव 1982 में ही होंगे, उससे पहले नहीं ? मैं नहीं चाहूंगा कि चुनाव पहले हों। लेकिन वह जैसे सोचते हैं कि चुनाव पहले नहीं होंगे ? मान लीजिए चुनाव 1980 या 1981 में होते हैं, और तब तक विशेष न्यायालय अपनी कार्यवाही पूरी नहीं कर पाते हैं। तब, क्या वह यह कहेंगे कि विशेष न्यायालयों को अपनी कार्यवाही शीघ्र समाप्त करनी चाहिए क्योंकि चुनाव पास आते जा रहे हैं और आप चुनावों से पहले किसी को दण्ड दिलवाना चाहते हैं ? मैं नहीं समझता कि ऐसा कहना किसी प्रकार से उचित या नैतिक है। इसीलिए, मेरा निष्कर्ष यह है कि इस विधेयक को हमें इसका सही स्वरूप और दर्जा प्रदान करना चाहिए, अर्थात् हम चाहते हैं कि जो लोग राजनैतिक अपराधी हैं उनके साथ शीघ्र न्याय किया जाए। हम उन्हें शीघ्र न्याय इसलिए दिलाना चाहते हैं क्योंकि यह उनके हित में है यदि वे निर्दोश हैं तो उन्हे बहुत जल्द मुक्त कर दिया जाएगा। यह बात उनके पक्ष में भी है। लेकिन विधेयक को किसी एक अवधि या किसी व्यक्ति विशेष तक ही सीमित न रखा जाए। आपातकाल के आंतको से सीख लेना हमारा कर्तव्य और जिम्मेवारी है। विशेष न्यायालय विधेयक ही एक ऐसा तरीका है जिससे लोगों को बताया जा सकेगा कि सरकार ने यह सीख लेनी है आप यह विधेयक लाए हैं। यह अच्छी बात है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप व्यक्तियों के किसी खास वर्ग को किसी खास अवधि तक यह पाठ पढ़ाएगे। यह सीख सभी व्यक्तियों, सभी राजनीतिक अपराधियों और हर अवधि के लिए होनी चाहिए क्योंकि इस विधेयक का नैतिक आधार संक्षेप में यही है। यदि ऐसा है, तो उस हद तक मैं आपका समर्थन करता हूँ। अन्यथा, मुझे कहना पड़ेगा, मैं इस विधेयक के पक्ष में मत दूंगा। मैं चाहता हूँ

[श्री पी० जी० मावलंकर]

कि यह विधेयक पास हो लेकिन मैं इन दो महत्वपूर्ण आपत्तियों और टिप्पणियों के साथ ही ऐसा करूंगा इसमें भी दूसरी बात पहली की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बतूर) : सभापति महोदय, मैं प्रो० मावलंकर की बात का समर्थन करती हूं । मुझे खुशी है कि राज्य सभा में लोक-तांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से माननीय गृहमंत्री पर विवेक उतर आया है ।

आपको याद होगा वह संशोधन हमने पेश किया था और तब आपने उसे उसी समय रद्द कर दिया था । अब आप हमसे उसी का समर्थन करने के लिए कह रहे हैं जो हम करेंगे ।

जब हम इतने गंभीर विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, उसी बीच हमें कुछ राहत के क्षण भी मिले हैं । अभी-अभी श्री राम जेठमलानी एक तरफ से अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं । उनके प्रदर्शन से मुझे एक कहावत याद आ गई कि कोई भी व्यक्ति जिस ढंग से दूसरो की तस्वीर पेश करता है उससे अधिक वह अपने चरित्र को कभी अभिव्यक्त नहीं करता उस प्रदर्शन के तुरंत बाद, श्री वसन्त साठे जैसे व्यक्ति ने लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के बारे में हमें भाषण देकर एक दूसरा हास्यजनक प्रदर्शन किया । हलके-फुलके मनोरंजन के क्षण यही होते है—उन्होंने दावा किया कि लोकतंत्र का सबसे महान चरम उत्कर्ष वहीं था जब उनके महान नेता द्वारा चुनावो की घोषणा की गई । हमें मालूम है कि उन्होंने उसी तरह के सूचना विभाग द्वारा दी गई सूचनाओ के आधार पर चुनावों की घोषणा की थी जिस विभाग ने वर्तमान प्रधान मंत्री को यह सूचित किया कि श्री जयप्रकाश नारायण का निधन हो गया है : अतः, इन लोकतांत्रिक परम्पराओं का मूल्य हम जानते हैं ।

इसलिए, इस विधेयक के बारे में मुख्य बात यह है कि यह उन लोगो की जवाबदेही के सिद्धांत को स्थापित करता है जो लोक महत्व के पदो पर आसीन हैं । उसी आधार पर हमने इसका समर्थन किया और उस समय भी हमने और हमारे नेता, श्री एम० एन० गोविन्दन नायर ने तृतीय पठन पर बोलते हुए यह कहा था, याद रखें, "हम चाहते है कि यह सर्वकालिक हो हम चाहते हैं, यह अतीव पर भी लागू हो और वर्तमान तथा भविष्य के लिए भी हो और कि यह उसका उस व्यक्ति के प्रति राजनीतिक प्रतिशोधन भाग बन कर नहीं रह जाना चाहिए" अतः, उसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, हमारी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करती है और उसी भावना का आदर करते हुए हम उन संशोधनों का स्वागत करते हैं । मै इस विवरण में जाना नहीं चाहता कि राज्य सभा ऐसी है, हम वैसे है, इस तरह की बात करना दंभपूर्ण भाषणबाजी मात्र है । यह तो जितना कम हो उतना ही अच्छा होगा . . . .

प्रो० समर गुह : हम यहाँ किस लिए हैं ?

श्रीमती पार्वती कृष्णन : तो आप आ गए हैं ? खैर, इस देश में जो वातावरण बन रहा है वह अवश्य ही कोई अच्छी बात नहीं है और इसी वातावरण में, कम से कम हमें तो उन लोगों की जवाबदेही का सिद्धांत स्थापित करने के लिए कुछ करने दे जो लोग उच्च पदों पर हैं । जब से आपने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की है, क्या तब से भ्रष्टाचार कम हो गया है ? बिल्कुल नही । उसके विपरित, आपकी पार्टी के अन्दर जो जोकरपना हो रहा है, जो झगड़े बाजी आपकी पार्टी में चल रही है, जिस ढंग से आप एक या दूसरे राज्य के साथ व्यवहार कर रहे हैं, इन सब बातों के परिणामस्वरूप लोगो में बड़ी गंभीर शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं । अतः, इसे भी एक तरह की चेतावनी समझना चाहिए ।

अंत में, मैं एक बात और कहना चाहूंगी । एक बात जिसने मुझे अन्दर तक हिला कर रख दिया है, यह है कि ब्रिटेन में श्रीमती मार्ग्रेट थैचर का चुनाव प्रधान मंत्री के रूप में होते ही, उन्हें सबसे पहले बधाई देने वाला व्यक्ति और कोइ नहीं, बल्कि श्रीमती इन्दिरा गान्धी हैं । क्या इस देश का कोई भी आत्मसम्मान वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के प्रधान मंत्री बनने पर बधाई देगा जिसके देश में अधिक जातीय दंगे हुए हैं । और काले लोगो तथा भारतीय को मारा-पीटा गया हो ? यदि एक प्रधान मंत्री दूसरे प्रधान मंत्री को बधाई देता है, तो वह बात को समझ में आती है, क्योंकि वह बात अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा में आती है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ऐसा व्यक्ति कोई महिला है . . . (**व्यवधान**) भारत का कोई भी आत्मसम्मान वाला, व्यक्ति कांजर्वेटिक पार्टी के किसी व्यक्ति, और विशेषकर ऐसे व्यक्ति को कभी बधाई नहीं दे सकता जो इन दंगो के बल पर प्रधान मंत्री बना हो । अतः, मैं यही बात सदन के कार्यवाही वृतांत में शामिल करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर कल को डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी चारो ओर घूम कर कालाहन को यह चेतावनी देते नजर आएंगे,

"सावधान रहें, एक महिला आ गई है और अब इमर्जेंसी आएगी।" हम महिलाओं की वजह से ही, इस तरह की स्त्रैणता आई है और मैं सोचती हूं कि इसे समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि स्त्री को अपनी योग्यता दिखानी होती है और मुझे विश्वास है कि महिलाएं किसी देश के नागरिक के रूप में अपनी योग्यता दिखलाएंगी . . . (**व्यवधान**)

श्री सी० एम० स्टीफन : आप वह योग्यता दिखला रही हैं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : श्री स्टीफन, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके बारे में कुछ कहूं ? आप दोहरी बातें करते हैं। एक अन्य दिन श्री स्टीफन जनपथ में हुई घटनाओं की न्यायिक जांच करवाने के लिये तैयार थे। उस समय सरकार एक ऐसे निष्पक्ष न्यायाधीश नियुक्त करने योग्य थी जो इसकी जांच करते परन्तु इसके बाद अब आप इसके निहित उद्देश्यों की बात क्यों कर रहे हैं ? आप दोहरी बातें मत कीजिए। आपकी भी वही स्थिति होगी जो श्री जेठमलानी की है।

श्री साठे के बारे में अंतिम शब्द मैं आपको जरा चेतावनी देती हूं कि गत दो वर्षों से . . .

श्री वसन्त साठे : सार्वजनिक रूप से ऐसा मत कहिये। आप सदैव हमारा समर्थन करती रही हैं। हम अच्छे मित्र रहे हैं। हर बात सार्वजनिक रूप से मत कहिये। आप हमारी सहयोगिनी हैं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : एक अंतिम शब्द। वह देश की आर्थिक बुराइयों और हमारे लोगों की आर्थिक समस्याओं की बात करते हैं। मैं उन्हें चेतावनी देती हूं। जो तूफान आ रहा है उसके साथ वह भी उड़ जायेंगे क्योंकि उनका दल केवल एक मांग से ही सम्बन्ध रखता है और वह है—"माताजी बचाओ"। अतः इस सभा में आर्थिक समस्याओं के बारे में कुछ मत कहिये, जब आप इस बारे में गंभीर नहीं हैं।

अमरीकी सरकार द्वारा भारत में चुनाओं के लिये विदेशी धन के कथित भुगतान के बारे में चर्चा

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रश्न सदन के सामने उठाना चाहता हूं।

भारत में चुनावों के लिये अमरीकी सरकार द्वारा विदेशी धन के कथित भुगतान, जैसा कि श्री मोइनिहन ने अपनी पुस्तक "ए डेंजरस प्लेस" में उल्लेख किया है, के बारे में चर्चा। यह बड़ा गंभीर प्रश्न है और गंभीर इसलिए नहीं कि किसी देश ने किसी व्यक्ति को 10, 5 करोड़ रुपये दे दिये, यह इसलिए गंभीर है कि हमारे देश के पोलीटिकल सिस्टम को चैलेंज किया गया, यह इसलिए गंभीर है कि हमारे पोलीटिकल सिस्टम की इन-टेगरिटी को खतरा पैदा हुआ।

विदेशी शक्तियां इस प्रकार से देश की राजनीति में दखल डाले, पहले क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए, आज क्या हुआ उसको भी छोड़ दीजिए पर हमारे देश की राजनीतिक स्थिति कल क्या होगी, इस पर विचार करना है। इसलिए भी यह गंभीर है। हमारे देश ने अपने विधान में प्रजातन्त्र को अपनाया है। जब इस देश में प्रजातंत्र है तो देश की जनता जैसा चाहेगी, वैसे चलेगी। ये विदेशी शक्तियां आ कर इसमें दखल डाल कर जिस तरफ इसको मोड़ेगी, उस तरफ क्या यह देश चलेगा ? मोयनीहिन ने कांग्रेस पार्टी को पैसा क्यों दिया, क्योंकि वे कम्युनिस्ट पार्टी को यह देखना चाहते थे कि वह चुनाव में हारे। मैं कोई कम्यूनिस्ट पार्टी के पक्ष में नहीं हूं लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि जनता की आवाज सुप्रीम होनी चाहिए। अगर जनता यह चाहती है कि कम्युनिस्ट पार्टी जिते, तो किसी विदेशी शक्ति को हक नहीं हैं कि वह कम्युनिस्ट पार्टी को हराने के लिए जनता के वरडिक्ट को थ्रोटल कर दें। यह ठीक नहीं होगा। मैं कम्युनिस्ट पार्टी का उतना ही कट्टर विरोधी हूं जितना कि और कोई है लेकिन मैं विरोधी होते हुए भी यह नहीं चाहूंगा कि जनता की आवाज को विदेशी पैसे के जरिये से कुचल दिया जाए। ये जो सुपर पावर्स हैं, वे केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और एशिया में इस तरह के जो पावर ब्लाक्स हैं, ये लड़ाई लड़वा रहे हैं पैसे से और दूसरे तरीकों से भी लड़ाई चल रही है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा सतर्क होना है कि हमारे देश का भविष्य ठीक हो। श्री मोयनीहिन ने क्या कहा है, यह हम देखें और जब से मोयनीहिन का स्टेटमेन्ट अखबारों में छपा है, जो उनकी किताब में लिखा है वह अखबारों में

[श्री कंवर लाल गुप्त]

छपा है, तब से देश में एक खलबली मच गई है और बम-शैल सा गिरा लगता है । जगह-जगह पर इस की चर्चा है कि पहले जो एम्बेसेडर थे, वे बड़े, डिप्लोमेंट हैं और आज यूनाइटेड स्टेट्स में सिनेट को रेप्रेजेन्ट कर रहे हैं । भूतपूर्व प्रधान मंत्री के बारे में उन्होंने एलीगेशन्स लगाए हैं ।

यह नहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने पैसा मांगा और इसलिए पैसा दिया गया, उनकी पार्टी को पैसा दिया गया । यह एक ऐसा गंभीर आरोप है कि शायद हमारे देश के इतिहास में ही नहीं बल्कि संसार के इतिहास में इस प्रकार का आरोप नहीं लगाया गया है । हमने बहुत सी चीजें सी० आई० ए० की एक्टीविटीज के बारे में पढ़ी हैं । लोगों ने बहुत कुछ उसके बारे में लिखा है । एक सिनियर डिप्लोमेट, एक जिम्मेदार आदमी यह बात कहे कि मैंने एम्बैसी को कहा कि इसकी इनक्वायरी कराओ कि पिछले पच्चीस साल में हमने क्या किया और इनक्वायरी के बाद यह निकला कि दो बार हमने इंटरफीयर किया है और आन डिमांड बंगाल और केरल में कम्युनिस्टों को हटाने के लिए पैसा दिया है, तो यह बहुत गम्भीर मामला हो जाता है । प्रैस कान्फरेंस जो हुई उसमें और क्या कहा, इसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं :

सेनेटर मोइनिहन ने कहा है कि उनकी पुस्तक 'ए डेंजरस प्लेस' में दो पैराग्राफ जो राजनीतिक योगदान के बारे में है उन पर प्रकाशन से पूर्व सी० आई० ए० से स्वीकृति लेनी है । उन्होंने टिप्पणी की है कि "दो पंक्तियों पर स्वीकृति लेने में मुझे पूरा दिन लग गया ।"

इसका मतलब यह है कि लिखने से पहले उन्होंने क्लीयरेंस भी ले लिया । आज यू० एस० गवर्नमेंट चुप है, एम्बैसी चुप है, खंडन नही करती है लेकिन उनके पास क्लीयरेंस भी है कि आन डिमांड कम्युनिस्टों को हराने के लिए दो बार पैसा दिया और इन्क्वायरी करने के बाद यह चीज सामने आई । उन्होंने यह भी बताया है कि उन्होंने क्यों यह कहा है ? उन्होंने कहा है कि इंदिरा जी इन सीजन और आउट आफ सीजन सी० आई० ए० को गालियां देती थीं । मेरे पास बहुत सी कटिंग्ज हैं । 14-12-72 को एग्जैक्टिव कमेटी आफ कांग्रेस पार्लिमेंटरी पार्टी में उन्होंने कहा था :

भारत में सी० आई० ए० की गतिविधियों के बारे में सरकार के पास निश्चित जानकारी है परन्तु जनता के सामने ब्यौरा रखना उचित नहीं है । उन्होंने यह उल्लेख किया कि सरकार को अपने स्त्रोतों से काफी पहले रिपोर्टें मिल गई थीं कि सितम्बर-अक्तूबर में देश के कुछ भागों में उपद्रव होंगे । ये रिपोर्टें सही साबित हुई । [उन्होंने कांग्रेस वर्कर्ज मीटिंग इन रांची में 2-10-72 को जो कहा था वह भी मैं कोट करना चाहता हूं । यह हिन्दुस्तान टाइम्ज में छपा था :

उनके पास जानकारी है कि सी० आई० ए० भारत में सक्रिय हो गया है और उन्होंने दल के कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने तथा उसकी गतिविधियों का मुकाबला करने को कह दिया है ।

गांधीनगर में 9-10-72 को हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि; सी० आई० ए० भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है । इस विषय पर उनकी पहले वाली टिप्पणियों को पूरी तरह प्रकाशित नहीं किया गया । उन्होंने यह बात दोहराई कि यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि कोई बाहरी आसूचना एजेंसी इस देश में क्या कर रही है । सी० आई० ए० के साथ जो लोग पहले सम्बद्ध थे उन्होंने इसकी भूमिका का भंडाफोड करने और यह दिखाने के लिये यह पुस्तक लिखी है कि अनेक सरकारों को गिराने में इसका किस प्रकार हाथ था ।

मेरे पास दस पंद्रह उदाहरण है लेकिन सब को यहां बयान करके मैं समय लेना नहीं चाहता हूँ । उन्होंने हमेशा सी० आई० ए० को बुरा भला कहा है ।

मोनिहान साहब कहते है कि मैंने सोचा कि मैं कम से कम मालूम तो करूं कि आखिर सी० आई० ए० ने इस देश में क्या किया है और इनक्वायरी करने के बाद और एम्बैसी के रिकार्ड को देखने के बाद पता लगा कि केवल दो बार पैसा दिया गया । क्या यह डबल रोल नहीं है इंदिरा जी का ? सी० आई० ए० को गालियां देना इन सीजन और आउट आफ सीजन हालांकि सी० आई० ए० हमारी गतिविधियों में शामिल हो रही है । इसके बारे में कोई संदेह नहीं है ।

कम से कम जो पैसा ग्रान डिमांड सी ग्राई ए से लेता है उसको तो गाली देने का हक नहीं है। यह जो डबल चेहरा है उस चेहरे का नकाब तो कम से कम ग्रब उठ जाना चाहिये जनता के सामने, जो डबल रोल है यह चीज तो खत्म होनी चाहियें। मेरे ख्याल से मोइनिहान साहब ने एक प्राइमा फेसाई केस ग्राज एस्टैंबलिश कर दिया है जिस के ग्राधार पर यह कहा जा सकता है कि कम से कम दो बार जब श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस ग्रध्यक्ष थी कांग्रेस को पैसा ग्राया, केरल ग्रौर वेस्ट बंगाल के चुनाव के समय।

ग्रब इसको रिबट करने के लिए उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि यह गलत बात है, इसको उन्होंने डिनाई किया है जोकि बहुत नैचुरल भी है। वह डिनाई करती रही है।

इंदिराजी हर बात से इनकार कर रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद वह 14 झूठ वाली महिला हैं।

उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के पहले चौदह बार झूठ बोला है। ग्राप जजमेंट को पढ़े उस में कहा गया है कि चौदह बार झूठ बोला है। उनकी शान में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। वह एक एल्डरली लेडी है ग्रौर मेरे मन में उनके लिए ग्रेट रिसपैक्ट है। लेकिन यह मैं कहे बगैर नहीं रह सकता हूं कि गलत बात कहने की उनको ग्रादत है। ग्रब उनके रिएक्शन को ग्राप देखें। पहले उन्होंने रायबरेली में कहा कि चूंकि मैं सी०ग्राई० ए० को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती थी इसलिए उन्होने यह कह दिया है। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि यू एस ए गवर्नमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे खिलाफ है ग्रौर इसलिए यह कहा गया है। जम्मू में उनके शब्द ये थे कि ग्रार एस एस ग्रौर जनसंघ वालों ने कहलवाया है क्योंकि मोइनिहान साहब दीन दयाल इंस्टीट्यूट के प्रेज़ीडेंट थे ग्रौर नानाजी उन से यहां भी मिले थे ग्रौर यह इसलिए हुग्रा। ग्राखिर में ग्रार०एस० एस० ग्राया। कम से कम ग्रार०एस०एस०— सैक्युलर नहीं है, ऐसा तो ग्राप नहीं कह सकते हैं . . .

एक माननीय सदस्य : राज नारायण जी से पूछे।

श्री कंवर लाल गुप्त : वह हमारे घर को बात है।

मेरा कहना यह है कि इंदिरा जी ने कई तरीको से रिएक्ट किया है। उनका रिएक्शन कुछ भी हो लेकिन पब्लिक लाइफ की मांग यह है, इंटैग्रेटी, देश भक्ति की मांग यह है कि ग्रगर वह ग्रपने ग्रापको ठीक समझती है तो ग्राएं ग्रौर साबित करे कि वह इन्नोसेंट हैं।

जिम्मेदारी श्रीमती गांधी पर है न कि श्री मोइनिहन पर क्योंकि श्री मोइनिहन ने प्रथम दृष्टया मामला बनाया है। उन्होंने एक बात ग्रौर कही कि मैं क्योंकि मोइनिहान पर वहां की ग्रदालतों में मुकदमा नहीं चला सकती हूं इस वास्ते मैं मुकदमा नहीं चलाती हूं। मैं बहुत बड़ा वकील नहीं हैं स्टोफन साहब की तरह। लेकिन स्टीफन साहब इस बात को स्वीकार करेंगे कि :

यह पुस्तक, जो मेरे पास है, भारत में प्रकाशित हुई है। मैं समझता हूं कि श्री स्टीफन यह बात ग्राप जानते हैं। ग्राखिर इस पुस्तक के प्रकाशन ग्रौर मुद्रण भारत में हैं। क्या ग्राप उस पर मानहानि के लिये मुकदमा नहीं चला सकते ग्रौर यदि ग्रापको कोई वकील नहीं मिलता है तो हम एक ग्रच्छा वकील श्री जेठमलानी ग्रापको देंगे।

एक माननीय सदस्य : हम ग्रापको लगायेंगे।

श्री कंवर लाल गुप्त : उनको लीगली और कांस्टीट्यूशनली डिमोशन का केस उनके खिलाफ दायर करना चाहिये था। इतना ही नहीं, हमारे युवा मंत्री श्री जार्ज फर्नाडीस ने भी कहा है कि मैं पब्लिकली कहता हूं इस बात को ग्रौर मेरे पर मुकदमा वह चलाये ताकि पता लग जाए कि कौन ठीक है ग्रौर कौन गलत है। ग्रगर वह मुकदमा नहीं चलाती है, ग्रपने ग्राप को इन्नोसेंट साबित नहीं करती है तो जाहिर बात है कि सच बात वही है जो मोनिहान ने कही है। मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, चाहे इन्दिरा जी हो, चाहे मैं हूं ग्रौर चाहे कोई हो या कोई भी पार्टी हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो विदेशी पैसा लेता है, मेरे विचार से उस को पब्लिक लाइफ से एलीमिनेट करना चाहिए और उसका पब्लिक लाइफ में कोई स्थान नहीं होना चाहिए ग्रौर मैं यह समझता हूं कि सरकार को कोई ऐसा कानून लाना चाहिए जिस में इस तरह के व्यक्ति को डिफ्रेंन्चाइज कर सके। ग्रगर यह चीज ग़लत है, जो मोयनीहिन ने कहा है, वह गलत है, तो इस में देश का ग्रपमान हुग्रा है, केवल इन्दिरा जी का ग्रपमान नहीं हुग्रा है ग्रौर मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी इस की इंक्वायरी कराएं क्योंकि श्री मोयनीहिन ने कहा है कि यू०एस० ए० गवर्नमेंट भी, मुझे ग्राशा है, इसको शेयर करेगी। ग्रब

[श्री कंवर लाल गुप्त]

उन्होंने ऐसा कहा है तो कम से कम होम मिनिस्ट्री उन से पूछे। मेरे खयाल में सी० पी० आई० के जो हमारे दोस्त हैं, जो उधर बैठे हैं यहां पर और बंगाल में भी ऐसे लोग हैं और जो कांग्रेस के लोग हैं, उन से भी कुछ इस बारे में खबर मिल जाएगी। यह प्राइमा फैसी केस है और अगर इस की इंक्वायरी हो, अगर होम मिनिस्ट्री इस की इंक्वायरी करेगी तो आयन्दा के लिए तो कम से कम यह चीज़ ठीक हो जाएगी कि फोरेन पावर्स जो हैं, वे अपने पैसे का एक्यूज न करें। यह पार्टी का सवाल नहीं है, यह नेशनल कानसेंसस है और इसलिए मैं समझता हूं कि सदन के सभी सदस्य यह चाहेंगे और इन्दिरा जी के इन्ट्रेस्ट में भी यह है कि इस की इंक्वायरी हो और उस के बाद सही चीज देश के सामने आए। इसी तरह से अगर और किसी के बारे में भी चाहे वह कोई संस्था हो, व्यक्ति हो, कल्चरल आर्गनाईजेशन हो, स्टूडेन्टस विंग हो, लेबर आर्गेनाइजेशन हो या पालीटीकल पार्टी हो, ए हो, बी हो, या सी हो मेरे लिए मापदंड सब के लिए एक जैसा है, इंक्वायरी हो सकती है।

एक चीज और मैं कहूंगा। मेरे पास चव्हाण साहब का 60 लाइन वाला स्टेटमेंट है और चव्हाण साहब ने उस में कहा है कि कंसिड्रेबिल एमाउन्ट आफ फोरेन मनी यहां पर आती है--मैं बाद में उस को पढ़ूंगा--और उस से देश में काफी गडबड होने की गुंजाइश है। उसके बाद मेरा प्राइवेट मेम्बर बिल भी था और जनता पार्टी के आने के बाद कानून भी बनाया, मैं उस के लिए आप को बधाई देना चाहता हूं लेकिन मैं यह चाहूंगा कि कानून का क्या इम्पैक्ट है विसा बीस फोरेन मनी, इस की एक साइंटीफिक स्टडी होनी चाहिए, कितना पैसा बाहर से आता है और मोडस ओपरेन्डी क्या है, इम्पैक्ट क्या है, कौन पैसा लेता है। इस की एक हायस्ट लेविल पर स्टडी होनी चाहिए और वह यह भी बताए कि क्या तरीके सरकार को अपनाने चाहिए जिन से यह रुके। इस का चैक करना बहुत जरूरी है और यह देश के लिए और सारे संसार के लिए जरूरी है।

इस के साथ ही साथ मैं यह बात भी कहूंगा कि यह रोल जो सी० आई० ए० का है, यह खतरनाक रोल केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि और जगह भी है और मोयनीहिन साहब ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया वह जैसे गवर्नमेंट को पैसा दे दिया। मेरे विचार से तो यह विसंगत और निरर्थक है, मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। मेरा कहना यह है कि पार्टी को पैसा देना और गवर्नमेंट को पैसा देना अलग अलग चीज हैं और मैं पूरी तरह से कन्डेम करता हूं अमरिकन गवर्नमेंट को, जो हमारे यहां आ कर हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है। कोई भी सरकार हो, उन को इस तरह की चीज करने का हक नहीं है। मुझे मालूम है कि केवल अमरिका ही नहीं बल्कि और भी देशों की सरकारें हस्तक्षेप करती हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब भाषण समाप्त कीजिए।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं दस मिनट और लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। बहुत से वक्ता हैं। कृपया समाप्त कीजिए।

मेरा कहना यह है कि बहुत सारी कल्चरल आर्गेनाइजेशन्स हैं, बहुत सारी डिगनेट्रीज हैं, पालीटीकल आर्गेनाइजेशन्स हैं, लेबर विंग है, स्टुडंटस विंग है, उनके पास पैसा कहां से आता है उसका मोडस ओपरेन्डी क्या है? एक अखबार यहां से निकलता है उसका मुझे मालूम है कि वहां पर 21 ऐम्बेसीज के पब्लिकेशन्स होते हैं एक ही अखबार में। अगर 10,000 किताबें छपती हैं तो एक लाख रु० का बिल देते हैं, पेपर के लिये भी एक लाख रु० का बिल और प्रिंटिंग चार्जेज भी एक लाख रु० के होते हैं और वह किताबें मुफ्त बिकती हैं और वह भी पैसा उनको जेब में जाता है। इन सब चीजों का अलग अलग मोडस ओपरेन्डी है। उन सब की इनक्वायरी होनी चाहिये। और हमारे देश में हस्तक्षेप न हो यह देश के लोगों पर हमें छोड़ना चाहिये।

मैं चव्हाण साहब का स्टेटमेंट पढ़ना चाहता हू :

"सर्व प्रथम व्यक्तियों तथा संगठनों चाहे वे राजनितिक क्षेत्रों में काम कर रहे हों या सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में, द्वारा विदेशी एजेंसियों से धन प्राप्त किए जाने के बारे में व्यापक चिंता रही है। कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है इसका कोई ठीक ठीक मात्रात्मक मूल्यांकन संभव नहीं है परन्तु ऐसे संकेत हैं कि यह चयनात्मक है और इतनी कम राशि नहीं है कि जिसकी अनदेखी की जाये। अतः हमें अपने देश की भावी राजनीति पर संगठनों अथवा व्यक्तियों द्वारा सहायता स्वीकार किया जाकर जो आधार लिया जा रहा है उसकी संभावित प्रतिक्रिया को कम नहीं करना चाहिये। यह सोचने का कारण भी है कि विदेशी स्त्रोतों से प्राप्त धन का गत आम चुनावों में उपयोग किया गया था।"

लिट्रेरी लोग भी लेते हैं और सब लोग भी लेते हैं। समय थोड़ा है इस लिये नहीं कहना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : थोड़ा नहीं। समय ही नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त : आपने देखा होगा समाचार-पत्रों में कई देशों के पूरे ऐडवरटिजमेंट्स छपते हैं। तो मोडस ओपरेंडी अलग अलग है, उसकी भी सरकार को जांच करानी चाहिये। और उसके लिये मैं सजेस्ट करता हूं कि एक स्पेशल सैल बनायी जानी चाहिये जो डायरेक्टोरेट आफ ऐनफोर्समैंट, मिनिस्ट्री आफ़ फ़ाइनेंस के अन्दर वाच रखे, जैसा कि चव्हाण साहब ने भी अपने स्टेटमेंट में जिक्र किया है। "आसूचना विभाग के सहयोग और सहायता से" ताकि वह सैल वाच रखे जहां जहां पैसा आता है वह ठीक से यूटिलाइज होता है कि नहीं। कहां जाता है, कैसे आता है सब जगह विदेशों से पैसा इसके बारे में भी ध्यान रखें।

एक माननीय सदस्य : कमेटी बनायी थी।

श्री कंवर लाल गुप्त : वह विरोधी सदस्यों के बारे में होगी। उन्होंने खुद कहा है कि कम्पलीट इनक्वायरी नहीं हुई इसलिये उस रिपोर्ट को इन्होंने नहीं रखा। जब तक कम्प्लीट इनक्वायरी न हो किसी एक आदमी को कंडेम करना ठीक नहीं है। मैं इसमें प्रत्येक को शामिल करता हूं। जब तक पूरी जांच न हो और हम पूर्णतया संतुष्ठ न हों, किसी एक आदमी की निन्दा करना ठीक नहीं है।

एक विचित्र बात है कि एक तरफ तो इन्दिरा जी कहती हैं कि सी० आई० ए० का पैसा मैंने नहीं लिया। और दूसरी तरफ 1966-67 के इन्कम टैक्स रिटर्न में कहा है कि 5,000 डालर्स आये हैं। और जब इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनक्वायरी की उस अमरीकन यूनिवर्सिटी से तो वह कहते हैं कि हमने दिया ही नहीं। तो यह 5,000 डालर कहां से आया इसकी भी जांच होनी चाहिये। यहां इसमें कहा गया है कि :

"सरकार यह जांच कर रही है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जब केन्द्रीय मंत्रीमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री थी तो उनको उनके द्वारा दिये गये भाषण के लिये किसी विदेशी संस्थान से कितना धन मिला।

आज लोक सभा में श्री निर्मलचन्द जैन के प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री श्री एच० एम० पटेल ने यह प्रकट किया।

उन्होंने स्वीकार किया कि श्रीमती गांधी ने 1966-67 के लिये अपनी आयकर विवरणियों में जो कुछ दर्शाया है और स्वयं संस्थान ने जो टिप्पणी की है कि उसने भाषणों के लिये श्रीमती गांधी को कोई धनराशि अदा नहीं की, के बीच 'अन्तर' है।"

आयकर विवरणी में श्रीमती गांधी ने कहा है कि उन्हें 5,000 डालर मिले हैं।

. . . . श्री पटेल ने आगे स्पष्ट किया कि यह समाचार दिया गया है कि श्रीमती गांधी को अमरीका में ब्रांडीज विश्वविद्यालय, वाल्डाम में भाषणों के लिये 36,000 डालर प्राप्त हुए हैं।"

अध्यक्ष महोदय, एक, दो बात कह कर खत्म करता हूं। नैशनल हैराल्ड में 82 लाख रु० जमा है पिछले 6, 7 साल से। किसी का नाम ही नहीं है। वह रुपया कहां से आया सरकार इसकी भी जांच करे। और आखिर मैं कहना चाहता हूं कि एक पार्लियामेंटरी कमेटी बनायी जानी चाहिये इसके लिये प्रथम दृष्टया मामला बनता है। और उसमें यह सारे डौकूमेंट लाये जाने चाहिये। केरला, बंगाल में लोगों को कंटेक्ट करना चाहिये। पहले जो कांग्रेस में रहे हैं उनको कंटेक्ट करना चाहिये। और अगर इस बुरी बला को रोकना है तो आप एक ऐसा कानून लाइये कि सब पोलिटिकल पार्टीज का अकाउन्ट आडिट होना चाहिये, उनको मजबूर होना चाहिये कानून के जरिये यह बताने के लिये कि कौन पैसा देता है उनका क्या नाम है और ऐड्रेस भी हो, और आडिट हो उनका अकाउन्ट और जनता के सामने सारी चीज़ आनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मैंने जो प्रस्ताव रखा है इसको सदन की सभी तरफ से सहमति मिलेगी। नहीं तो देश की डेमोक्रेसी खतरे में है और भविष्य भी खतरे में है।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को रखता हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमने इस सभा में यह परम्परा बनाई है कि किसी दल के विरुद्ध कोई अपमानजनक बात नहीं की जायेगी। अब इस प्रस्ताव के माननीय प्रस्तुतकर्ता ने कहा है कि प्रथम दृष्टया मामले की पुष्टि हो गई है कि उन दिनों में कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया गया था।

[श्री श्यामनन्दन मिश्र]
उन दिनों में हम में से बहुत से व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे और हम इस बात का जोरदार विरोध करते हैं कि माननीय सदस्य बहुत ही सरल ढ़ंग से इस निष्कर्ष पर पहुंच गये हैं कि प्रथम दृष्ट्या मामले की पुष्टि हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्योंकि हमने इस सभा में एक परम्परा बना ली है और अध्यक्षपीठ उस समय हमें सदैव रोकते हैं जब हम किसी पार्टी के विरुद्ध कोई अपमानजनक बात कहते हैं **(व्यवधान)** मेरा निवेदन है कि उन दिनों में कांग्रेस पार्टी ने धन की शक्ति में कभी विश्वास नहीं किया ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण दे रहे हैं। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अध्यक्षपीठ माननीय सदस्य को रोकते क्यों नहीं हैं?

अध्यक्ष महोदय : इसमें उन्हें रोकने की कोई बात नहीं है। वह किसी को उध्दृत कर रहे हैं। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं इस मुद्दे पर निर्णय करूंगा। आप इस पर निर्णय करने का काम मुझ पर क्यों नहीं छोड़ते? **(व्यवधान)**

श्री श्यामनन्दन मिश्र : जरा से भी साक्ष्य की पुष्टि किये बिना कि कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया गया, किसी सदस्य के यह कहने का औचित्य नहीं है कि प्रथम दृष्टया मामले की पुष्टि हो गई है कि श्रीमती गांधी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को धन दिया गया। अब जहां तक श्रीमती गांधी का सम्बन्ध है, वह अपना स्वयं का ध्यान रख सकती हैं और आरोपों का मुकाबला कर सकती हैं परन्तु जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे और यदि अध्यक्षपीठ माननीय सदस्य, जिन्होंने कहा है कि प्रथम दृष्ट्या मामले की पुष्टि हो गई है कि कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया गया था, को नहीं रोकते हैं तो हम इसका जोरदार विरोध करते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह केवल किसी को उद्धृत कर र हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरी शिकायत अध्यक्षपीठ के विरुद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यह सामान्य शिकायत है। **(व्यवधान)**

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप सभा की परम्परा को बनाये नहीं रख रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यदि कांग्रेस पार्टी चाहती तो वह स्थानीय उद्योगपतियों से चाहे जितना पैसा निकलवा सकती थी। कांग्रेस पार्टी ने उनसे पैसा लेने में कभी विश्वास नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न है। वह तो केवल किसी को उद्धृत कर रहे हैं और कुछ नहीं। **(व्यवधान)**

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : मुझे खेद है कि मैं अपना भाषण श्री कंवरलाल गुप्त, श्री अटल-बिहारी बाजपेयी और उनके हिमायती यहुदीवादी आन्दोलन में उनके जातिवादी कामरेडों के प्रति समवेदना के शब्द के साथ अपना भाषण शुरु करता हूं। भारतीय पत्रकारों के सामने जिरह में श्री मोइनिहान लाचार हो गये। वह अपने मामले से पूर्णतया पीछे हट गये और नया वक्तव्य दिया। मेरा यह मतलब नहीं था कि पैसा थैले में रखा गया और दूतावास के किसी अधिकारी ने श्रीमती गांधी को पैसा दिया; मैंने ऐसा नहीं कहा था; मैंने तो केवल इतना कहा था कि श्रीमती गांधी कांग्रेस पार्टी की अधिकारी थी, उन्हें वह पैसा दिये जाने की जानकारी होगी। अतः मैं श्री गुप्त को अपनी हार्दिक समवेदना तथा श्री वाजपेयी को बधाई देता हूं कि उन्होंने वाशिंगटन जाकर मोइनिहान और बहुत ही सर्वतोमुखी तथा शक्तिशाली भारतीय पत्रकारों

के बीच पत्रकार सम्मेलन बुलाकर शानदार उपलब्धि प्राप्त की और पत्रकारों ने मोइनिहान से कुछ बात कहलवा ली तथा उन्हें पक्का झूठा साबित कर दिया, परन्तु उसके बाद उन्होंने अपनी पुस्तक में इसी झूठ का क्यों नहीं उल्लेख किया ?

एक पहलू है जिस पर आपको ध्यान देना है। वक्तव्य पर सर्व प्रथम प्रतिक्रिया किसने प्रकट की ? श्री मोइनिहान की पुस्तक के बारे में 14 तारीख को वक्तव्य दिया गया, 14 तारीख को ही श्री वाजपेयी ने तत्काल प्रतिक्रिया दिखाई। उनके मित्र श्री देवरस ने भी उसी दिन तत्काल प्रतिक्रिया दिखाई। इस पर पहले जिन्होंने प्रतिक्रिया दिखाई उन दोनों ही व्यक्तियों का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आन्दोलन से सम्बन्ध है। थोड़े समय बाद श्री चागला की प्रतिक्रिया के अलावा बाद में मुझे और किसी प्रतिक्रिया का पता नहीं चला जिन्होंने कहा कि इसे साबित करना उनका काम है। श्री चागला के पूर्ववृत्त के बारे में "ब्लिट्ज" में एक विवरण है। मैं इसे उसी पर छोड़ता हूं। श्री देवरस ने स्पष्टीकरण दिया और यहां यह कहा गया है कि : "सामान्यतया हम इस प्रश्न पर टिप्पणी नहीं करते क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीति में नहीं अपितु रचनात्मक कार्य में विश्वास करता है।" परन्तु इस मामले में स्थिति असाधारण है क्योंकि स्वयं श्रीमती गांधी ने दोषारोपण किया है और इस अपराध का अन्य लोगों पर आरोप लगाया है। दोनों सज्जनों ने तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त की है, ये दोनों है विदेश मंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक। एसा किस लिये है कि केवल आर०एस०एस० के लोग ही मोइनिहान के मामले में इस झूठ का गुणगान करते हैं ?

विदेश मंत्री, चाहे सरकारी कार्यों के लिये वाशिंगटन की यात्रा करते हों, कार्यक्रम के अलावा श्री मोइनिहान से भेंट करते हैं और वहां क्या होता है। वह कहते हैं कि : श्री मोइनिहान ने कहा है कि उन्होंने पैसा मांगा तथा इसमें काफी धनराशि अन्तर्ग्रस्त थी। दुर्भाग्यवश, श्री वाजपेयी के लिये श्री मोइनिहान का कार्यालय ःकल वक्तव्य देता है; श्री मोइनिहान श्री वाजपेयी के विवरण से भिन्न प्रतीत होते हैं कि पैसा काफी मात्रा में था : विशेष तथ्य वार्ता के अंग नहीं रहे। यहां एक ऐसा व्यक्ति है जिसे झूठ बोलने की आदत है। श्री मोइनिहान, ने अपनी पुस्तक में वक्तव्य दिया है; यहां विदेश मंत्री हैं जो श्री मोइनिहान से मिलते हैं और वक्तव्य देते हैं कि श्री मोइनिहान ने उन्हें बताया है कि काफी धन दिया गया था और श्री मोइनिहान तत्काल यह वक्तव्य देते हैं कि विदेश मंत्री ने जो कुछ कहा है वह झूठ है।

हम इस तस्वीर के आधार पर आगे बढ़ें। इसके बाद क्या होता है ? श्री वाजपेयी रात्रि भोज में शामिल हुए जिसका समाचार इंडियन एक्सप्रेस ने प्रकाशित किया। बहुत ही रोचक बातें हैं। श्री मोइनिहान के कार्यालय के अनुसार श्री वाजपेयी के साथ सोमवार की रात्रि को भोज के दौरान औपचारिक विचार-विमर्श हुआ, यह रात्रि भोज एक सेवा-निवृत्त राजनयिक एल्सवर्थ बंकर के घर पर दिया गया और नेपाल में अमरीका के भूतपूर्व राजदूत, कैरोल लैसे भी वहां थे। यह कैरोल लैसे वहां कैसे आ टपकी। इस कैरोल लैसे का एक बहुत ही अद्भुत कहानी से सम्बन्ध है; मैं इसे उद्धृत करता हूं :

> "1957 के चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश के देवरिया के एक कांग्रेसी संसद् सदस्य श्री विश्वनाथ राय ने संसद् में हंगामा खड़ा किया और चुनावों में सी०आई०ए० के हस्तक्षेप का आरोप लगाया। विशेष कर, उन्होंने उन अमरीकी एजेंटों पर आरोप लगाया जिन्होंने उनके प्रतिद्वंद्वी, श्री अशोक मेहता, जो प्रजा समाजवादी पार्टी के थे,' के पक्ष में उनके विरुद्ध काम किया। उन्होंने कहा कि कैरोल लैसे, जो नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास में तत्कालीन प्रथम सचिव थी, ने देवरियां में कई दिनों तक शिविर लगाया और वह चुनावों में हस्तक्षेप करती रही। इस बात का भंडाफोड़ होने के बाद कैरोल लैसे को जल्द बाजी में दश छोड़ना पड़ा। अमरीका में थोड़े समय ठहरने के बाद इस बार काठमांडू में राजदूत के रूप में वह इस उप-महाद्विप में लौट आई।"

यहां, हम फिर इस अद्भूत महिला को, आगे बढ़ते हुए देखते हैं।

> "हर्बर्ट स्पीवेक अब भी दूतावास में था और आजादी से देश में इधर-उधर घूम रहा था। कैरोल लैसी जिसे 1957 के चुनावों में अपनी भूमिका के कारण अपने घर जाना पड़ा था, काठमाण्डु से जनवरी के दूसरे उत्तरार्ध में अपने पुराने मित्रों से मिलने के लिए आई और फरवरी के शुरू में ही यहां से गई।"

[श्री सी० एम० स्टीफन]

कैरोल पुराने मित्रों के पास आई और पुराने मित्र अब अपने मित्रों को रात के खानों पर मिलने के लिए वाशिंगटन जाते हैं और दूसरा कौन है . . .

माननीय अध्यक्ष : आप ये उद्धरण कहां से दे रहे हैं ?

श्री सी० एम० स्टीफन : सी०आई०ए० के प्रकट हुए रहस्यों से ।

ये सच्चाई है । फिर मैं कैरोल के बारे में कह रहा हूं कि उसे काठमाण्डु छोड़ना पड़ा । मैं ये सभी तथ्य कह रहा हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेई : मैं अपने माननीय दोस्त की बातों में रुकावट नहीं डालना चाहता हूं । लेकिन मैं इसका पहले ही खण्डन कर चुका हूं कि मैं श्रीमती कैरोल या श्रीमती बंकर को नहीं मिला । मैंने उनके साथ भोजन नहीं किया । श्री मोइनिहान भारतीय राजदूत के निवास पर मुझसे मिलने आये थे ।

(व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : तब झूठा कौन है श्री मोइनिहान या श्री वाजपेयी ? **(व्यवधान)**

यहां मोइनिहान यह कह रहे हैं... **(व्यवधान)**

उनके कार्यालय से एक कार्यालय नोट जारी किया गया जिसमें लिखा था...

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती कैरोल के बारे में नहीं । आपके समाचार पत्रों की रिपोर्ट...

श्री सी० एम० स्टीफन : श्री मोइनिहान के कार्यालय के अनुसार...

श्री कंवर लाल गुप्त : कौन सा समाचार पत्र ?

श्री सी० एम० स्टीफन : "दी इन्डियन एक्सप्रेस" आपका अपना समाचार पत्र और मैं उद्धृत करता हूं । श्री मोइनिहान के कार्यालय के अनुसार श्री वाजपेयी के साथ बातचीत पहले सोमवार की रात को सेवानिवृत राजनयिक श्री एल्सवर्थ और उनकी पत्नी नेपाल में संयुक्त राज्य की भूतपूर्व राजदूत श्रीमती कैरोल के घर पर रात के खाने के दौरान हुई ।

यहां श्री वाजपेयी कहते हैं कि बहुत अधिक पैसा दिया गया । श्री मोइनिहान कहते हैं कि पैसे के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई । कौन झूठ बोला, श्री वाजपेयी या श्री मोइनिहान ?

कुछ माननीय सदस्य : आप ।

श्री सी० एम० स्टीफन : चिल्लाइये मत ।

श्री मोइनिहान का कार्यालय कहता है कि श्री बंकर के घर रात्रि का भोजन था जहां श्रीमती कैरोल उपस्थित थीं । यह श्री मोइनिहान के कार्यालय का बयान है । विदेश मंत्री कहते हैं, "नहीं, मैं नहीं, गया ।" दोनों में से एक झूठ बोल रहा है । यदि श्री मोइनिहान झूठ बोल रहे हैं तो मेरा कहना है कि वे बहुत झूठे हैं और पुस्तक के बयान का बहिष्कार कर दिया जाए ।

दूसरी ओर उन्हें इस बारे में अवश्य बात करनी चाहिए । ठीक है । अब आप इससे इन्कार नहीं कर सकते और इसे झुठला नहीं सकते ।

श्री एल्सवर्थ बंकर का अपना अलग ही इतिहास है ।

राज्य सभा की बहस में श्री भूपेश गुप्त ने श्री बंकर के बारे में श्री कौर की एक पुस्तक में से कुछ रहस्योद्‌घाटन किए और कहा कि श्री कौल की पदोन्नति के मामले में श्री बंकर, श्रीमती कैरोल आदि सभी का हाथ था । मेरा तर्क यह है कि इन व्यक्तियों का सी०आई०ए० से गहरा संबंध था । श्री वाजपेयी वाशिंगटन जाते हैं, अपनी जान-पहचान वालों से मिलते हैं, इस देश में वापस आते हैं और कहानी वही पुरानी है । इस बारे में और कुछ कहने की जरुरत नहीं है ।

अब मोइनिहान बहुत नाराज हैं और उन्होंने कहा है कि वे बहुत नाराज हैं इसीलिए लावा बाहर आ रहा है । नाराजगी का एक कारण उन्होंने यह बताया है कि यह आरोप लगाया गया है कि श्री वाजपेयी की पीकिंग यात्रा अमेरिका के कहने पर थी । इसकी उन्हें नाराजगी है । क्या ही अनोखी रिश्तेदारी है ?

मुझे कई दिनों से यह आश्चर्य हो रहा है कि सच्ची गुट निर्पेक्षता का यह अनोखा विचार कैसे उत्पन्न हुआ ।

अब चाहे यह असली हो या सच हो, कुछ भी हो मुझे इसकी उत्पत्ति और प्रेरणा यहां दिखाई देती है। श्री मोइनिहान अपनी पुस्तक के पृष्ठ 18 पर कहते हैं :

> "किसिंगर का भाषण बहुत देर से आया और शायद यह सच्ची गुट-निर्पेक्षता के साथ समझौता करने का प्रयास था जिसे हमने बहुत पहले रद्द कर दिया था जो प्रत्यक्षत: पश्चिम के विरुद्ध और सोवियत संघ के साथ एक बढ़ती हुई सन्धि थी । संयुक्त राज्य अमेरिका का गंभीर पतन नजर आ रहा था और इतिहास पूरी तरह अन्य दिशाओं की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था ।"

बहुत समय पहले यह विचार श्री किसिंगर ने प्रकट किया था जिन्होंने इसे "सच्ची गुट-निर्पेक्षता" के साथ संबद्ध किया था जिसे अब बेहतर शब्दों में असली गुट-निर्पेक्षता कहा जाता है । सी० आई० ए० के व्यक्तियों ने आपको यही कार्य सौंपा था । आपने वह कार्य अपने हाथ में लिया हुआ है । आपने वह शब्द गुट-निर्पेक्षता के नए शब्दकोश में शामिल कर लिया है । उन्होंने आपको बताया : हम अपने अब तक के दृष्टिकोण से वापस लौट रहे हैं; हम प्रसन्न होंगे यदि आपका देश सच्चा गुट-निर्पेक्ष बना रहे इस अर्थ में कि आप हमारे भी और करीब आ जाएंगे । आपने वह स्थिति स्वीकार कर ली । मेरे कहने का मतलब यह है कि सारी बात को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना है ।

पृष्ठ 40 पर फिर श्री मोइनिहान कहते हैं:—यह मोइनिहान की चीन यात्रा का समय है ।

> "चिआउ-कुआन-हुआ के साथ मेरी आधे घंटे की बात-चीत पूरी तरह उद्देश्यहीन नहीं थी । मैंने उसे बताया कि मेरे विचार से भारतीय अभी जल्दी ही नाभिकीय क्षमता का विकास नहीं कर पाएंगे और सुझाव दिया कि वह भारतीय लोगों से मिले, कम से कम उनमें से कुछ तो संकट में थे क्योंकि रूसी लोगों पर खुले आम निर्भर रहने के कारण वे अब अमेरिकनों को यह नहीं कह सकते कि वे चीनियों से उनकी रक्षा करें ।"

यह मोइनिहान-किसिंगर की प्रेरणा सामने आ रही है । मोइनिहान-किसिंगर सच्ची गुट-निर्पेक्षता चाहते थे । मोइनिहान पीकिंग गए और उन्हें इस बारे में बताया कि वे भारत स्थित अपने दक्षिणपंथी दोस्तों से मिले और उनके साथ समझौता करें । मुलाकातें हुई । सम्पर्क पहले, मुलाकातें बाद में । वे पहले, वाजपेयी बाद में । और 1960 में किसी समय किसी को दिए गए धन की झूठी बात दोनों दलों की संयुक्त व्यवस्था के द्वारा फैला दी गई । दोनों जातिवादी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जातिवादी तथा सियोनवादी जातिवादी—दोनों ने मिलकर इसे गढा । आप पर तत्काल प्रतिक्रिया होती है । आप इसके बारे में आगे-पीछे दौड़ते है। आप अपने पुराने मित्रों को मिलते हैं, उनके साथ रात्रि भोजन करते हैं । लेकिन वहां मौजूद भारतीय रिपोर्टरों की गहरी पूछ-ताछ के कारण सारा भेद खुल जाता है । इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि जो प्रत्यक्ष में नजर आता है, वह वास्तविकता नहीं है । ये सारी बात श्री वाजपेयी के मित्रों द्वारा गढ़ी गई थी । उन्हें सारी बात की जानकारी थी । क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं : क्या आपको "फ्रेंड्स आफ इण्डिया सोसाइटी" के बारे में जानकारी है ? क्या आप इस बात से इन्कार करते हैं कि श्री सुब्रमणियम स्वामी "फ्रेन्ड्स आफ इन्डिया सोसाइटी" के अंतर्राष्ट्रीय चेयरमैन रहे हैं ? क्या आप इस बात से इन्कार करते हैं कि "फ्रेन्ड्स आफ इण्डिया सोसाइटी" ने अपनी कान्फ्रेंस सितम्बर में न्यूयार्क में की थी ? क्या आप इससे इन्कार करेंगे कि श्री नानाजी देशमुख ने इस कान्फ्रेंस में भाग लिया था ? क्या आप इससे इन्कार करेंगे कि श्री मोइनिहान इस कान्फ्रेंस में मौजूद थे और उन्होंने मूल भाषण दिया था ? मैं यह बात सीधे आपके आगे रख रहा हूं । "दी फ्रैन्ड्स आफ इन्डिया सोसाइटी" पूरे आर० एस० एस० आन्दोलन के साथ संबद्ध है ।

एक माननीय सदस्य : उसका इससे क्या संबंध है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : संबंध बिल्कुल स्पष्ट है । आर० एस० एस० का विश्व के सियोनवादी आन्दोलन से संबंध है । यह मेरा आरोप है । कोई भी इन बातों से इन्कार नहीं कर सकता है कि उन्होंने न्यूयार्क में "फ्रैन्डस आफ इन्डिया सोसाइटी" की कान्फ्रेस में भाग लिया, मूल अभिभाषण दिया, एक बैठक की अध्यक्षता की, नानाजी देशमुख वहां उपस्थित थे और श्री सुब्रमणियम स्वामी उस "फ्रैन्डस आफ इन्डिया सोसाइटी के अंतर्राष्ट्रीय चेयरमैन रहे हैं । आर० एस० एस० को यह दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि उसका इनमें

[श्री सी० एम० स्टीफन]

से किसी बात से कोई संबंध नहीं है । आप एक ही सिक्के के दोनों भाग हैं । उन दोनों के बीच जातिवाद और सियोनवाद का संबंध है । श्री मोइनिहान एक खतरनाक सियोनवादी हैं और उनकी पूरी पुस्तक एक सियोनवादी का शोध-प्रबन्ध है, किस प्रकार वे सियोनवाद के लिए संयुक्त राज्य में लड़ते रहे, किस प्रकार संकल्प आया, किस प्रकार हमने इसका मुकाबला किया, किस प्रकार भारत ने वहां उनसे धोखा किया, सारी पुस्तक तीसरे विश्व द्वारा सियोनवादी आन्दोलन के बारे में, जो वास्तव में एक जातिवादी आन्दोलन है, निन्दा प्रस्ताव लाने के विरुद्ध एक कटु आलोचना है । यह यहूदीवाद है, एक जातीवादी आन्दोलन है ; आपका भी एक जातीवादी आन्दोलन है । ये दो जातीवादी आन्दोलन मिल गये हैं और आप जो कहते हैं, मोइनिहान उसका अनुमोदन करते हैं ।]

भारत के बारे में उनकी धारणा पृष्ठ 18 पर दी गई है । भारत के बारे में उनकी धारणा यह है :

"60 करोड़ व्यक्तियों के बीच मैं हिन्दू भारत में था क्योंकि सतयुग से वैराग्य की लोकनीति प्रचलित थी जिसमें प्रत्येक सुबह किसी संसद् सदस्य को यह कहते हुए सुनना पड़ता था कि जनता में निराशा फैलती जा रही थी और यह अवश्य ही आक्रमणकारी हो जायेगी और समाज के समग्र ढांचे को चोट पहुंचायेगी ।"

आप भारत को हिन्दू समाज कहना चाहते हैं । यहूदीवाद आन्दोलन के आपके मित्र प्रशंसा करते हैं और इसे हिन्दू भारत कहते हैं । जातियवादी अपने शब्दों में जातिवादी को पुकारते हैं ।

आपको एक बात मालूम है । वे आपकी विदेश नीति को प्रेरित करते हैं । उन्होंने आपसे चीन जाने के लिये कहा है । आपके सत्ता में आने से पूर्व भी मोइनिहान ने चीनी लोगों को बताया है कि ये लोग अच्छे हैं, श्रीमती गांधी बुरी हो सकती हैं लेकिन ये आपके लिए अच्छे मित्र हैं । इनके साथ संबंध विकसित करें । ये ऐसी बातें हैं जो मोइनिहान की इस पुस्तक में कही गई हैं । यह पृष्ठभूमि है ।

अतः मैं कहता हूं कि इस विशेष पुस्तक में मुद्रित यह वाक्य राष्ट्रीय स्वयं सेवक-यहूदीवादी षडयंत्र के द्वारा जान-बूझकर गढ़ा गया है, जान-बूझकर लिखा गया है और जान-बूझकर जोड़ा गया है और इसे विकसित किया जा रहा है । आपके बाद के आचरण से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया है ।

अब पृष्ठ 41 में मोइनिहान क्या कहते हैं ? श्रीमती गांधी अभी तक अपने भाषण दे रही है और अन्ततः

"दोनों बार राज्य के चुनावों में प्रत्याशित कम्यूनिस्टों की जीत के उपलक्ष में ऐसा किया गया था, एक बार केरल में और एक बार बंगाल में जहां कलकत्ता स्थित है । दोनों बार धनराशि कांग्रेस पार्टी को दी गई थी जिसने इसके लिए कहा था । एक बार यह राशि श्रीमती गांधी को स्वयं दी गई थी जो तब इस पार्टी की पदाधिकारी थीं ।"

यहां पर दो वक्तव्य हैं कि पूरे काल में केवल दो बार धनराशि दी गई थी कि एक बार यह धनराशि श्रीमती गांधी को स्वयं दी गई थी और पूरे काल में केवल दो बार यह राशि दी गई थी और किसी अन्य को धनराशि नहीं दी गई थी । ये दो वक्तव्य दिये गये हैं । पहले वक्तव्य के बारे में उन्होंने इसमें संशोधन किया है और यह कहा है कि श्रीमती गांधी को धनराशि नहीं दी गई थी ।

लेकिन मोइनिहान का यह दुर्भाग्य था कि ऐसा हुआ कि श्रीमती गांधी केरल के चुनाव के समय कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रही थीं । मेरे पास कांग्रेस के महासचिव की रिपोर्ट है । उसके अनुसार फरवरी में चुनाव हुए थे और वह 14 जनवरी, 1960 को कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रही थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रिपोर्ट यह कहती है :

"कार्यकारी समिति द्वारा श्री यू० एन० ढेबर को अनुरोध किया गया था कि वह केरल राज्य के चुनावों का कार्यभार संभाले । बंगलौर अधिवेशन के बाद नये कांग्रेस अध्यक्ष श्री एन० संजीवा रेड्डी का प्रथम मुख्य कार्यक्रम राज्य का दौरा करना था और केरल के लोगों को केरल के विशेष सन्दर्भ में कांग्रेस का संदेश देना था । उनका संदेश सुनने के लिए बहुत लोग जमा हुए। श्री मोरारजी देसाई और श्री एस० के० पाटिल ने भी उस राज्य का दौरा किया था और उनके अनुमान भी इसी प्रकार के थे । श्रीमती सुचेता कृपलानी ने भी केरल में काफी समय गुजारा और निर्णायक चुनाव के लिये लोगों को संगठित किया । वस्तुतः श्री यू० एन० ढेबर पर भारी बोझ था और शायद ही ऐसा निर्वाचन-क्षेत्र था जिसका उन्होंने दौरा न किया हो ।"

अतः उपर्युक्त समय में श्रीमती गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं थीं। श्री यू० एन० ढेबर जिनकी निष्ठा पर कभी भी संदेह नहीं किया गया है द्वारा चुनाव अभियान का कार्यभार विभिन्न लोगों को सौंपा गया था। यहां तक कि हमारे नेता, श्री मोरारजी, श्री एस० के० पाटिल और बहुत से अन्य नेता भी वहां थे। अतः इस सन्दर्भ में परिवर्तन को देखा जाना चाहिये। जिस समय यह कहा जाता है कि वह कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं थी, उसी क्षण मोइनिहान का समग्र आरोप झूठा पड़ जाता है क्योंकि उनका एकमात्र मामला यह है कि श्रीमती गांधी को इस बारे में मालूम होने की संभावना है क्योंकि वह कांग्रेस की अध्यक्ष थीं। अब एकमात्र यह बात रह जाती है कि कांग्रेस के पास धनराशि है। इस बात का खंडन किया गया है।

श्री समर मुखर्जी : लेकिन मोइनिहान ने कहा है कि उन्होंने अध्यक्ष को धनराशि नहीं दी है। **(व्यवधान)**। उन्होंने 'कार्यालय' शब्द लिखा है। **(व्यवधान)**

श्री सी० एम० स्टीफन : श्री समर मुखर्जी, आप बाद का वक्तव्य पढ़े जिसमें उन्होंने कहा है कि श्रीमती गांधी को कोई धन नहीं दिया गया था। उन्हें इन बातों का पता होना चाहिये क्योंकि वह कांग्रेस की अध्यक्ष थीं। उन्होंने केवल यह कहा है।

श्री कंवर लाल गुप्त : श्री स्टीफन, आप संसदीय समिति द्वारा इस मामले की जांच का विरोध क्यों करते हैं? **(व्यवधान)**। और आप मुकदमा क्यों नहीं चलाते यदि आप बेकसूर हैं?

श्री सी० एम० स्टीफन : अब, श्रीमान्, दूसरा वक्तव्य यह है कि किसी अन्य व्यक्ति को धन नहीं दिया गया था। मुझे केवल 18-12-1967 को राज्य सभा में दिया गया एक वक्तव्य पढ़ना है। इसे श्री सुन्दर सिंह भंडारी ने कहा है। मेरा अनुमान है कि आप उन्हें जानते हैं। उन्होंने राज्य सभा में एक वक्तव्य दिया था। मैं उनके भाषण के एक अंश को पढ़ रहा हूं:

> "वाम पक्ष के आरोपों और कुछ भारतीय अधिकारियों के अनुसार, अमरीकी दूतावास ने चुनाव व्यय के प्रयोजनार्थ अब तक निम्न राशि, रुपयों में, वितरित की है :
>
> गुप्ता (अर्थात् श्री सी० बी० गुप्त) को 15 लाख रुपये (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उत्तर प्रदेश), मसानी के जरिए स्वतंत्र पार्टी को 97.5 लाख, जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को 80 लाख : अतूल्य घोष (पश्चिम बंगाल) को 8.5 लाख रुपये।

श्री वाई० बी० चव्हाण : आप कहां से पढ़ रहे हैं?

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी : श्री जान फ्रीमैन से विदेश कार्यालय और व्हाइटहाल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेषित यह दिनांक 8 नवम्बर, 1966 के टेलीग्राम संख्या 1148 की एक प्रति है।

अब मुद्दा यह है कि क्या यह टेलीग्राम सही है अथवा नहीं जो श्री भंडारी द्वारा राज्य सभा में दिया गया एक वक्तव्य है, मेरा अनुमान है कि जिसे मेरे मित्र अब अस्वीकार करेंगे कि ये धनराशियां वितरित की गई थीं। **(व्यवधान)** दिनांक 8 फरवरी, 1967 के 'ब्लिट्ज' में यही वक्तव्य दिया गया है। इसके बाद ही ये ब्यौरे राज्य सभा में दिये गये थे। तो क्या कोई व्यक्ति इस बात का विरोध करेगा कि यदि अमरीका ने धन दिया है तो यह स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जनसंघ को नहीं दिया गया होगा अपितु केरल में चुनाव लड़ने के लिये केवल कांग्रेस को दिया होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी सत्ता के चरमोत्कर्ष पर थे और केरल में एकमात्र चुनाव होना था। आप इस पर विश्वास करना चाहते है कि हम अथवा पंडित नेहरू अथवा श्रीमती गांधी अथवा संजीव रेड्डी दूतावास में गये थे और कहा 'वहां पर चुनाव कराने के लिये हमें धन दीजिये?' क्या यह बात तर्कसंगत लगती है? और आप लोगों को बिल्कुल कोई धन नहीं दिया गया होगा? आपको कोई धन नहीं प्राप्त हुआ? आपको कोई धन नहीं मिल रहा है? और आप चाहते है कि विश्व इस पर विश्वास करे? आप कहते हैं कि आपको कोई धन नहीं दिया गया? अतः यह दूसरा झूट है जिस पर मैं बल दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने 25 मिनट ले लिये हैं। कृपया समाप्त कीजिये। **(व्यवधान)**

श्री सी० एम० स्टीफन : अब, श्रीमान्, हमें यह समझना है कि अमरीकी सरकार और मोइनिहान क्या है।

[श्री सी० एम० स्टीफन]

इस पुस्तक का प्रारंभिक वाक्य में इस व्यक्ति की विश्वसनीयता, उनके राष्ट्र की विश्वसनीयता दर्शाने के लिये पढ़ रहा हूं। जब उन्हें राजदूत बनने के लिये आमंत्रित किया गया था तो उन्होंने यह कहा था :

'और इसलिये मैंने 1975 के बसंत ऋतु में कौंसिलर आफ दी डिपार्टमेंट आफ स्टेट को कहा था कि दो शर्तें होंगी। पहली शर्त यह है कि मुझ से झूट न बुलवाया जाए। ऐसा केवल एक बार हुआ.....'आप यह नहीं समझते' माननीय हेल्मस सोनेनफेल्डर ने हंसते हुए कहा 'हेनरी झूठ नहीं बोलता क्योंकि यह उनके हित में नहीं है.....' "

मोइनिहान की इस विख्यात पुस्तक के दूसरे वाक्य में कहा गया है कि जब उन्हें यह पद पेश किया गया था तो उन्होंने कहा था "मैं इसे स्वीकार करूंगा बशर्ते कि वे व्यक्ति मुझसे झूठ न बोले जैसा कि उनकी आदत हो गई है।" वह अपने राष्ट्र के राजदूत हैं। और उन्हें संदेह है कि उनके राष्ट्रपति और विदेश मंत्री उनसे झूठ बोलेंगे। वह, उनके राष्ट्रपति और विदेश मंत्री कैसे हैं। और आप हमसे चाहते हैं कि यह जातीवादी को व्यक्ति जो कुछ कहता है उसे हम स्वीकार कर लें।

आप हंस क्यों रहे हैं? क्या आपके पास इस बारे में कोई जानकारी है। आप अपनी जानकारी का हवाला दें।

मेरे पास इस समय सी०आई०ए० के कार्यों के बारे में एक पुस्तक है जो सी०आई०ए० के दो भूतपूर्व उच्च पदाधिकारियों की है। इसे भी सी०आई०ए० द्वारा अनुमति दे दी गई थी। और यह कहा जा रहा है:

"सी०आई०ए० जाली दस्तावेजों का पर्याप्त उपयोग करती है।"

यह उनका सत्य के प्रति आदर है। उनके प्रचार की तीन किस्में हैं—व्हाइट, ग्रे और ब्लैक। इसमें कहा गया है :

"एक तरफ 'ब्लैक' प्रचार और दूसरी ओर 'गलत जानकारी' वस्तुतः अविभाज्य हैं। दोनों का प्रयोजन गलत जानकारी को फैलाना है ताकि लोगों के विचारों और कार्यों को प्रभावित किया जा सके। गलत जानकारी वस्तुतः 'ब्लैक' प्रचार की विशेष किस्म है जो पूर्णतया गोपनीयता पर टिकती है और जो सामान्यतया झूठे दस्तावेजों पर निर्भर करती है।"

उसमें आगे कहा गया है :—

"दस्तावेजों, जैसा हेल्मस ने प्रस्तुत किया है, को देखने से यह पता चलता है कि वह वास्तव में साफ जालसाजी है परन्तु उनका सन्देश सही है ...... और वह जानते थे कि 'सरकारी अस्वीकृति' जिसका उन्हों ने उल्लेख किया था, को रखा है, और अमरीकी सरकार के वक्ता द्वारा जारी स्पष्ट झूठ है ..... परन्तु हेल्मस ने सावधानी के साथ सी० आई० ए० द्वारा अमरीका के नाम पर बोले जाने वाले झूठ पर चर्चा करने से बचाव किया।"

मैं इसलिए यह आपको पढ़कर सुना रहा हूं ताकि आपको यह पता चले कि जिनकी आप बात कर रहे हैं वह कैसा व्यक्ति है।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप संसदीय समिति की जांच का विरोध क्यों करते हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : कोई भी व्यक्ति जो इस पुस्तक तथा विशेषकर पृष्ठ 150 और 151 पढ़ेगा, यह स्वीकार करेगा कि मोयनीहन का सी० आई० ए० के साथ सम्बन्ध है। वह सी० आई० ए० का बचाव कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने 30 मिनट के लिए हैं। आप 30 मिनट चाहते थे। मैंने आपको 30 मिनट दिये।

श्री सी० एम० स्टीफन : श्री स्कीवेरिया के विरुद्ध यह आरोप था कि वह सी० आई० ए० का एजेन्ट है। इस बारे में पुस्तक में लिखा हैं :—

"मैंने एकत्रित जन समूह से पूछा कि क्या मामला सी० आई० ए० का एजेन्ट होने के नाते है? यह सर्व विदित है कि सरकार के ऊंचे पदों पर सी० आई० ए० के एजेन्ट हैं। भारत में एक मेरे मित्र श्री पिलू मोदी, संसद सदस्य और जो एक महान भारतीय देशभक्त हैं, जो दुर्भाग्यवश श्रीमती गांधी सरकार द्वारा दुर्भाग्यवश बन्दी बनाए गए थे (यह मामला ऐसा है जिस पर सुरक्षा परिषद भी विचार करना चाहती है) तीन वर्ष पहले लोक सभा में एक बटन लगाए हुए आए थे जिस पर लिखा था, "मैं सी० आई० ए० का एजेन्ट हूं"।

वह संपूर्ण पुस्तक में सी० आई० ए० का बचाव कर रहे हैं। उनके सम्बन्ध बहुत साफ है, सी० आई० ए० की विशेषता है, चरित्र हनन, हत्या और यदि सम्भव हुआ तो हत्या अन्यथा चरित्र हनन। चरित्र हनन के लिए बेतुके झूठ, मनगढ़न झूठ बोले जाते हैं, यह उनका आदतन तरीका है। उनके लिए कोई रोक नहीं है। चरित्र हनन के लिए वे झूठ बोलते हैं, जाली दस्तावेज के प्रयोग में लाते हैं, यह सब सिद्ध हो चुका है इसलिए मेरा कहना है कि जो मोयनीहन कहते हैं, उसे सच नहीं मान लेना चाहिए ? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि इस पुस्तक के लेखक मोयनीहन कौन हैं ? यह महान मोयनीहन, जो श्री कंवर लाल गुप्त के हीरो हैं, कौन हैं ?

मोयनीहन एक प्रमुख रूढ़िवादी और समन्जस्य विरोधी है। मैं इस पुस्तक का पृष्ठ 55 पढ़कर सुनाता हूं। यह मेरा वक्तव्य नहीं है परन्तु उनके अपने पेपर से है।

"क्रिस्टल और मुझे "सामंजस्य विरोधी" व्यवस्था का समर्थक जनता का दुश्मन बनाया गया है"

और कि दूसरे पेपर में यह बताया गया है :—

"क्रिस्टल और मोयनीहन और इसी प्रकार के ऐसे अन्य नव रूढ़िवादियों के लेखों में ऐसा कोई गम्भीर प्रयास नहीं मिलता जो ऐसे बल प्रयोग उपायों का मूल्य बताये जो संसाधनों तक निरन्तर पहुंचे और विश्व के खुले बाजार के लिए अपेक्षित है"।

यह मोयनीहन की अपनी पुस्तक में कहा गया है। यहां मोयनीहन को ऐसा व्यक्ति बताया गया है, अमरीका की रूढ़िवादि व्यक्तियों की भूमि में रूढ़िवादी बन गया है। आप इस व्यक्ति के बारे में उनके बल प्रयोग के तरीके, तीसरे विश्व के बल प्रयोग और उसे अलग-अलग विभाजित रखने के बारे में सोच सकते हैं और आक्षेप यह है कि इस व्यक्ति ने इस तरीके के मूल्य के बारे में कुछ बताया नहीं है।

अब मैं गरीबी के बारे में उनके विचार पर कहूंगा (उसकी पुस्तक का पृष्ठ 63)

"मोयनीहन स्वतन्त्रता का समर्थन करते हैं और यह एक अच्छा विचार है। परन्तु उस स्वतन्त्रता के बारे में बोलते हुए उन्हें भूख, बिमारी से स्वतन्त्रता, अवसर की स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचार से स्वतन्त्रता आदि की ओर ध्यान नहीं दिया। उनके अनुसार स्वतन्त्रता का अर्थ गैर सर्वसत्तात्मक अर्थात गैर साम्यवादी शासन के अन्तर्गत रहना है।"

निर्धनता के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है ? मैं मोयनीहन की पुस्तक से पढ़कर सुना रहा हूं किसी और पुस्तक से नहीं। तीसरे विश्व के बारे में —यह ऐसी बात है जिसे हमें समझना चाहिए . . .

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं केवल 25 मिनट बोला। वह 30 मिनट से बोल रहें है, मैं भी कुछ अधिक समय ले सकता था।

श्री० सी० एम० स्टीफन : तीसरे विश्व के देशों के प्रति उनका क्या विचार है ?

"तीसरे विश्व के देशों के प्रति, जिनकों हाल में उन्होंने कटु शब्दों में तिरस्कृत किया है : उनको शर्मिंदा करो, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाओं, उनको चूप कर दो"।

यह उस व्यक्ति के कथन का सार है, हमारे देश सहित तीसरे विश्व के देशों के प्रति उनका रवैया है। "उन्हें शर्मिन्दा करो, उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाओं, उनको बोलने मत दों।" वह यह नीति क्रियान्वित करना चाहते हैं। मेरे मित्र उस मोयनीहन की प्रशंसा करते है।

उन की खाद्य नीति के बारे में . . .

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही 35 मिनट ले लिए हैं, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री० सी० एम० स्टीफन : उन्हों ने खाद्य नीति के बारे में कहा है :

"अमरीका के पास उन राष्ट्रों को देने के लिए अनाज नहीं है जिनके प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ में उसकी अन्तराष्ट्रीय नीति को बदनाम करते हैं"।

यह उनका तीसरे विश्व के देशों के प्रति रवैया है।

वह एक सुसंस्कृत व्यक्ति बनते हैं। आप पृष्ठ 185 देखिए। वह ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं—कृपया इसे संसदीय कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला न जाए। जो मैं पढ़कर सुना रहा हूं, उस पर राष्ट्रसंघ में चर्चा हो चुकी है—यहूदीवाद को जातिवादी करार देते हुए एक संकल्प प्रतीत किया गया। इसरायल के प्रतिनिधि ने एक वक्तव्य दिया। यहूदीवाद की भर्त्सना करते हुए एक प्रस्ताव शीघ्र पारित हुआ और उसके शीघ्र पश्चात उन्होंने कहा :

[श्री सी० एम० स्टीफन]

"मैं खड़ा हुआ और चल कर मैंने उसे आलिंगन बद्ध कर लिया ।.....

मैं शेष वाक्य पढ़ नहीं सकता और फिर भी मुझे पढ़ना पड़ेगा "वे भाड़ में जाए" उसने अपनी पुस्तक में लिखा है। यह ऐसे व्यक्ति की संस्कृति है। वह ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, वह कहता है कि भारत, पाकिस्तान तथा तिसरे विश्व के शब्द देश भाड़ में जायें, अन्य देशों के प्रति यह उसका तिरस्कारपूर्ण दृष्टिकोण है ।

गुटनिरपेक्षता के बारे में उन्हों ने पृष्ठ 274 में लिखा है। उनका काम समूह को तोड़ना है। वह अपने केबल के बारे में कहते हैं :

" 'समूह टूट रहे है' । पिछले वसन्त ऋतू में किसींजर ने गूट निरपेक्ष देशों को तोड़ने की नीति रखी थी । केबल में कहा गया है कि हमें 13 वीं महा सभा में कुछ सफलता हासिल हुई हैं और यदि विश्व में दूतावासों से हमें अधिक समर्थन मिलेगा तो हमें और सफलता मिलेगी जिसके लिए मैंने कहां था कि केबल को भेजा जाये ।"

यह ऐसा व्यक्ति है जिसका काम गूटनिरपेक्ष आन्दोलन को तोड़ना है । वह दावा करते हैं कि उन्होंने गूटनिरपेक्ष आन्दोलन को तोड़ा है। और हमारे मित्र उसकी उपलब्धियों के लिए उसकी प्रशंसा कर रहे हैं।

उनका श्रीमती इन्दिरा गांधी के बारे में यह आकलन है। उन्होंने केबल में जो कुछ कहा है, उसको मैं उद्धृत करता हूं :—

"यह सही तौर पर इसलिए हैं क्योंकि वह (प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी) निर्दोष नहीं है, शंकालू नहीं है और नैतिकतावादी नहीं है कि अमरीका के प्रति उनका मन्तव्य वास्तविक और तात्कालिक हो। और निश्चय ही अमरीका से समाचार से जैसा कि भारतीय समाचार पत्रों में छपा है, बार-बार उसकी अति संदेह और वास्तविक डर की पुष्टि होती है। कोई भी बात उसके विचार को नहीं बदल सकती है बशर्ते वह संतुष्ट हो जाये कि अमरीका उसे भारत के रूप में स्वीकारता है। वह सोचती है कि हम अति स्वार्थी और उग्र प्रतिक्रांति-कारी शक्ति हैं।

"सहयोगी अमरीकी निवासियों, आप सांस्कृतिक आदान-प्रदान, संयुक्त औद्योगिक उपक्रम अथवा सस्ते अनाज से भरे जहाजों की बात करके इन्दिरा गांधी को मत ठगो। उसकी चिन्ता आर्थिक नहीं है। यह राजनीतिक है। उसके विचार को तब तक कोई नहीं बदल सकता जब तक वह संतुष्ट न हो जाये कि अमरीका उसके भारत को स्वीकार करता है ।

उसकी चिन्ता यह है कि क्या अमरीका भारतीय शासन को स्वीकार करती है। वह इस बारे में आश्वत नहीं है परन्तु हमें खुशी होगी कि अन्य व्यक्तियों का पतन भी उसी की तरह से हो। वह अच्छी तरह से जानती है कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है और आगे और खुनी तथा असम्माननीय कार्य हैं ।"

यह अपराध है जो श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया क्योंकि उसने मांग की थी कि "मेरे देश को स्वीकार करो। मुझे तुम्हारा अनाज नहीं चाहिए। मुझे आपका दान नहीं चाहिए; मेरे देश को स्वीकार करो।" इसलिए उसने आपनी आवाज उनके विरुद्ध उठाई।

यह सी० आई० ए० षड्यन्त्रकारी हैं। जातिवादी सनकी हैं, जन्मजात झूठे हैं, विदूषक हैं। वह ऐसे गवारु व्यक्ति हैं, जो गंधी भाषा का प्रयोग करते हैं। और हमारे विदेश मंत्री वाशिंगटन की ओर भागते हैं, पूराने मित्र को मिलते हैं। उनके साथ भोज में शामिल होते हैं और वक्तव्य देते हैं। उस व्यक्ति में कोई सच्चाई नहीं है । भारत पर जो झूठा आरोप लगाया है, हमें उसकी निन्दा करनी चाहिए ।

श्री गौरी शंकर राय (गाजीपूर) : मान्यवर, मैं नेता, विरोधी दल को सर्व प्रथम धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि उन्हों ने इस चीज को एवाइड किया है, अपनी तरफ से और अपनी दल की तरफ से, कि श्रीमती गांधी ने या कांग्रेस ने पैसा लिया है। इस को उन्हों ने डिनाई नहीं किया है और एक अच्छे छानदार पार्लिया-मेन्टेरियन की तरह उन्हों ने एक भद्दी बात की तरफ अपने बहस को नहीं जाने दिया है बल्कि आर० एस० एस० की तरफ, मि० बाजपेयी की तरफ, देवराज अर्स की तरफ, मोयनीहिन की तरफ और अमेरिका की तरफ, वह खूबसूरत है, वह बदशकल है, उस तरफ ही अपनी बहस को रखा है और मैं इसके लिए उन्हें पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्हों ने इस भद्दे काम के समर्थन में अपनी जबान और अपनी पार्टी का इस्तेमाल नहीं किया जबकि वे अपनी पार्टी और

विरोधी दल के सबसे प्रमुख नेता हैं। उन्हों ने यह डिनाई नहीं किया कि कांग्रेस पार्टी और मिसेज इन्दिरा गांधी के जमाने में ऐसा नहीं लिया गया। इस के लिए मैं उन को फिर धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसा कहते हुए उन्हों ने एक अच्छी पब्लिक लाइफ का सबूत दिया है।

अभी हमारे कूछ कांग्रेस के मित्र, हमारे बूजूर्ग और सीनियर भाई मिश्र जी को इसलिए अफ़सोस है कि यह कहा गया कि कांग्रेस ने पैसा लिया है। वे इसको रिबट करते हैं। वे भी किसी समय कांग्रेस में थे और मैं भी एक समय कांग्रेस में था और इसके लिए मैं शरमिन्दा भी हूं और मुझे गुस्सा भी है। **(व्यवधान)** ...

मान्यवर, मैं तो आपनी राय देता हूं। आप गूस्सा होइये।

श्री श्यामनंदन मिश्र : आप ऐसी बातों के आदि हो सकते हैं।

श्री गौरी शंकर राय : मान्यवर, यह घटना हमारे देश में साधारण नहीं है। और यह बात भी सही है कि माननीय चव्हाण और माननीय मुरारजी भाई तथा दूसरे कांग्रेस के बड़े नेता जो उस समय कांग्रेस में थे, यह राष्ट्रीय आन्दोलन से आये हुए लोग हैं। इस बात को इन्दिरा जी के सन्दर्भ में या किसी व्यक्ति विशेष के सन्दर्भ में न सोचें बल्कि राष्ट्र के सन्दर्भ में सोचें।

मान्यवर, इस मामले पर मैं कोई राय नहीं देना चाहता। क्योंकि यह बात कही गई है और इन्दिरा जी ने जो पहले दिन डिनाइ किया उन्हों ने यह नहीं कहा कि पैसा नहीं लिया गया, बल्कि उन्हों ने कहा कि मेरे प्रधान मंत्रीत्व काल में पैसा नहीं लिया गया। और इसके बाद इशूज को उन्हों ने कन्फ्यूज किया, और जब कोई जवाब नहीं मिलता है तो आर० एस० एस० को स्केपगोट बनाते हैं और उस संस्था का नाम लेते हैं। माननीय स्टीफन ने कहा कि सदन बताये कि मोयनिहन झूठ बोलते हैं या माननीय बाजपेयी जी झूठ बोलते हैं। हमारा काम आसान हो जाएगा अगर वह दो आदमियों की जगह चार आदमियों के नाम लें यानी उसमें इन्दिरा जी और अपना नाम भी जोड़ लें। इन्दिरा जी भी झूठ बोलती हैं और आप भी अपने को शामिल कर लीजिये तब हम बता देंगे कि कौन झूठ बोलता है।

मान्यवर, इस समय मैं एक बेसिक सवाल उठाना चाहता हूं। बीसवीं शताब्दी में इंटेलीजेन्स और डिप्लोमेसी मिक्स हो गई। और सी० आई० ए० और के० जी० बी० एस तरह की एजन्सीज हैं जो सब तरह के काम करती हैं। ऐसपियोनाज का काम कौन करता है ? महान देशभक्त भी करता है और एक राष्ट्रद्रोही भी करता है। जो अपने देश के खिलाफ काम करता है, ऐसपियोनाज करता है वह राष्ट्रदोही है और जो आइडियोलाजिकल डिफ़रेंसेज की वजह से भी किन्हीं देशों को सूचना देता है और अपने को नैतिक रूप से दोषी नहीं समझता है और समझता है कि हम अपने आदमियों को हर जगह सूचना देंगे और उसको बूरा नहीं मानता है, पर वास्तव में वह भी देशद्रोही है। इसलिए चाहे सैद्धान्तिक रूप में विदेशों की सूचना दें या अपने ईमान को बच कर सूचना दें, वे दोनों ही गलत हैं। इस मामले में सरकार को सोचना चाहिए।

आप देखिए कि किन किन माध्यमों से विदेशी पैसा आता है। अखबारों में विज्ञापन निकलते हैं, किसी खास तरह के अखबार में ही विज्ञापन खास जगह के निकलते हैं, एम्बसीज उसके लिए पैसा देती हैं। हमारे देश में प्रजातन्त्र है, वह देश जिनके यहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां तो पैसा खर्च नहीं कर सकते इसलिए यहां आकर के अपने रुपये को बांटते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि अमरीकन मनी गंदा है, और रुस का पैसा बढ़िया है। कुछ लोग रुस के पैसे को गंदा समझत हैं और अमेरिका के पैसे को अच्छा समझते हैं। मान्यवर, विदेशी मुद्रा चाहे के० जी० बी० की हो या सी० आई० ए० की हो दोनों ही घृणित हैं और इसके विरुद्ध देश में जनमत बनने की जरूरत है। सी० आई० ए० क्या है ? विरोधी दल के लोगों से, प्रधान मंत्री से भी कहना चाहता हूं, जिन सी० आई० ए० की पुस्तकों को नेता विरोधी दल ने पढ़ा है, बहुत सी किताबें मैंने भी पढ़ी हैं, के० जी० बी० के पैसे का तो हिसाब नहीं रखा जाता है, लेकिन सी० आई० ए० का हिसाब रखा जाता है इसलिए हमारे प्रधान मंत्री जी अमरीकन सरकार से पुछे कि किसको इस देश में पैसा दिया गया और कितना दिया गया। अगर नेता विरोधी दल को इस स्टेटमन्ट के बारे में जरा भी सन्देह है तो सारे मामले की जांच हो ताकि वस्तुस्थिति देश के सामने आये। हमारे माननीय स्टीफन साहब समझते हैं कि अगर इन्दिरा जी ने पैसा लिया है तो ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर इधर के बैठने वाले किसी भी सदस्य का अगर दूर दराज तक भी विदेशी मुद्रा से कोई सम्बन्ध है तो उसको एक्सपोज करना चाहिए।

हम सारी दुनिया के पैटर्न को नहीं बदल सकते हैं। समय कम है नहीं तो मैं कहता कि कैसे ीसवीं शताब्दी में इंटेलीजेन्स और डिप्लोमेसी का मिक्चर हुआ। सकेन्ड वर्ल्ड वार के बाद के०जी०बी० और सी०आई०ए० का उदय हुआ।

[श्री गौरी शंकर राय]

पहले डी० आई० ए० नाम की एजेन्सी थी। जब पर्ल हार्बर पर हमला हुआ था कोरिया में अमेरीकन्स को नाकामयाबी मिली तो इन संस्थाओं का उदय हुआ। और के०जी०बी० तथा सी०आई०ए० एजेन्सियां सभी प्रकार के हथियारों से लेस हैं और हर तरह का काम करने में दोनों में कोई अन्तर नहीं है। आज इन एजेन्सीज के एजेन्टस पोलिटिक्स में सरकारों तक पहुंच जाते हैं। सरकार को देखना चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं, किन पदों पर हैं ताकि उनको सामने लाया जा सके और ऐसे लोगों को देश में कोई भी सम्मान का स्थान नहीं मिलना चाहिए। यह एक उसूल का सवाल है। इन्दिरा जी ने सफाई के साथ एक बार भी डिनाई नहीं किया है, जैसा कि स्टीफन साहब ने भी नहीं किया। आर० एस० एस० इस वक्त इशू नहीं है। वह बुरा है या नहीं इसका इस गम्भीर प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। हो सकता है कि वह बुरा हो। लेकिन इस वक्त तो सवाल है इन्दिरा जी ने रूपया मांगा था कि नहीं कम्युनिस्टों का विरोध करने के लिए? चाहे कम्युनिस्ट सरकारों का विरोध करने के लिए पैसा लिया हो या पार्टी की विरोध करने के लिए हो, दोनों ही काम राष्ट्र विरोधी हैं।

माननीय नम्बुद्रीबाद ने बयान दिया है, उन्हों ने एक नया डाइमेंन्शन जोड़ दिया। जो सबसे ज्यादा खिलाफ थे, सी० आई० ए० के० लोग क्योंकि उस समय सी० पी० एम० की ओर बंगाल में सी० पी० एम० की सरकार को हराने का मामला था, इसलिए सी० पी० आई० वालों की इन्दिरा जी के साथ दोस्ती हो जाती है, दोस्ती नहीं बल्की शादी हो जाती है। और मैं कहता हूं कि यह शादी नाजायज है। लेकिन उस समय पैसा लिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि पैसे में हमको हिस्सा नहीं मिला। लेकिन इनकी दोस्ती थी। और नम्बद्रीपाद इस देश के कम्युनिस्ट (एम) पार्टी के जाने माने नेता हैं, उन्हों ने कहा है कि सी० पी० आई० की भी उस पैसे में साझेदारी रही है। इनके पास तो पैसा आता है के० जी० बी० से, लेकिन सी० आई० ए० का पैसा भी इनके पास चला जाएगा यह हम नहीं सोच सकते थे। तो सी० पी० आई० को के० जी० बी० और सी० आई० ए० दोनों का पैसा मिलता है। मेरा कहना है कि श्री नंबूद्रीपाद का सरकार को बयान लेना चाहिए और सारे मामले की जांच होनी चाहिए तभी इस मामले में न्याय हो सकता है।

जैसा मैंने कहा सी० आई० ए० का रेकार्ड रखा जाता है, के० जी० बी० में रेकार्ड नहीं मिलता है, लेकिन सी० आई० ए० के पैसे के बारे में सरकार द्वारा पता लगाया जा सकता है। यह बात समझ में नहीं आती सबसे ज्यादा इन्दिरा जी सी० आई० ए० के खिलाफ बोलती थीं। इस किताब को पढ़ने से नतीजा निकलता है कि पैसा उन्हों ने लिया, लेकिन जब सी० आई० ए० ने पैसा देना उनको बन्द कर दिया तो इन्होंने गाली देना शुरू कर दी। यह लिखा है मोयनिहान ने और इसके जवाब में सारी बातें देश के सामने खुल सकती हैं।

माननीय चव्हाण साहब बड़े जिम्मेदार पद पर थे, यहां हाउस में न बोले, उनका बोलना महत्व रखता है, देश के नेता आज भी हैं और वह जिम्मेदारी के साथ बोलें और अब तो इन्दिरा जी की पार्टी में भी नहीं हैं जो डर हो कि तबाह कर देगी, अब जरा ढीठ हो कर बोलें। मैं माननीय स्टीफन से कहूंगा कि इस मानले में सभी पक्षों में कांशसनेस होनी चाहिए और इस मामले पर ठंडे दिल से विचार करें किसी प्रकार विदेशी पैसों का प्रयोग भारत की राजनीति से रोका जाय। जितना पब्लीसिटी के माध्यम से विदेशों से पैसा आता है, जो लोग उस पैसे को पाते हैं वही ज्यादा गाली देते हैं। सी० पी० आई० के लोगों को मिलता है वह भी गाली देते हैं। और बहुत से आर्गेनाइजेशन्स हैं जिनको सी० आई० ए० वाले पैसा देते हैं। वे सब गाली देते हैं के० जी० बी० को। लेकिन सत्य यह है कि पैसा दोनों तरफ से आता है। रूस के साथ भी हमारा रुपये में व्यापार है, और अमरीका के साथ तो हमारा इतना ज्यादा व्यापार है कि उसके साथ गेहूं के बारे में पी एल–480 का एग्रीमेन्ट रहा है।

मेरा निवेदन यह है कि हम इस देश की सबसे बड़ी सभा में बैठकर पार्टीज के इन्ट्रेस्ट में झूठ और असत्य न बोलें। देश पार्टियों से बड़ा होता है। पैसा सब तरफ से आ रहा है। पैसा लेने वालों की पहचान करनी चाहिए। इस बारे में जांच करने के लिए पार्लियामेन्टरी कमेटी नियुक्त करने का जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। अगर इसमें कोई कठिनाई हो, तो मैं सरकार से कहूंगा कि सभी पक्षों के साथ मिलकर जांच का एक ऐसा माध्यम बनाया जाये, जिससे आज के बाद विदेशी पैसा लेने वाले सामने आ जाएं और भविष्य में कोई भी विदेश से पैसा न ले सके।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : हम एक ऐसे मामले पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें गहराई से आत्मभिन्न न करने की जरूरत है, जिसमें सोद्देश्यता का अधिक और विदूषक तथा आहत अबोधता का कम रवैया अपनाने की आवश्यकता है। इसलिये नहीं कि किसी सुविज्ञ विचारक ने यह निर्णय दे दिया है कि हम इस पर अड़ जाना चाहिये अथवा चिन्तित हो जाना चाहिये इसलिये भी नहीं कि जैसे कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के किसी प्रोफेसर की एक नीरस किस्म की बेतुकी पुस्तक में इस तरह एक दो उलजलूल वाक्य लिखे हैं, वाकई इसलिये कि यह बात अधिक आधारभूत है कि इसमें से दोनों पक्षों के लोग इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें—इस देश में क्या हुआ और क्या होने वाला है.......

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : और क्या हो रहा है?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इसलिये नहीं कि कोई भोला भाला सा बनकर कह दे—"मैं नहीं जानता कि क्या हुआ है। मैं इससे प्रभावित नहीं हुआ हूं। यह अन्तर्राष्ट्रीय जीवन के एक स्वीकृत तथ्य का प्रश्न है कि अमरीकी सैनिक औद्योगिक समूह का एक शास्त्र, एक विध्वंस अस्त्र हमारी स्वाधीनता और प्रभुसत्ता को खतरा पैदा कर रहा है। मेरे विचार से, यह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण और निर्णायक प्रश्न है और इस से न केवल इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को खतरा है बल्कि सारे विश्व को तथा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है और सब से अधिक इस का संबंध भारतीय राजनीति में विदेशी धन की भूमिका से है। मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वह इन तथ्यों पर एक-दो चलती टिप्पणियां करने की बजाये गहराई से विचार करे जो कि स्वयं एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि यह पहला अवसर है जबकि हम एजन्सी की गतिविधियों के रहस्योद्‌घाटन के एक लंबे सिलसिले में विश्व का एक राजनीतिज्ञ अंतर्ग्रस्त हुआ है। यह पहला अवसर है जबकि एक प्रधान मंत्री पर, उस व्यक्ति पर जो हम देश को ग्यारह वर्षों तक प्रधान मंत्री रहा है कहे किसी जगह एक सुविज्ञ द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उसने (श्रीमती गांधी ने) देश के राजनैतिक उद्देश्यों के लिये अनिश्चित धनराशी ली। आरोप का आधार काफ़ी गंभीर है, यह ऐसा मामला नहीं जिससे राजनैतिक लाभ उठाये जायें, हालांकि आप खूब प्रयास करेंगे, परन्तु मुझे आशा है कि आप मुझ से इस पर सहमत होंगे कि इस पर न केवल उचित जांच एजन्सियों द्वारा दी गहराई से जांच की जानी चाहिये बल्कि हमारा राजनैतिक दृष्टि से भी मूल्यांकन किया जाना चाहिये तथा इस से उचित सबक भी सिखे जाने चाहिये।

इस भूतपूर्व राजदूत तथा वर्तमान सेनेटर के बारे में जितना कम कहा जाये उतना ही अच्छा है। यह वह कहते हैं कि उन्हें यहां पुल बनाने के लिये भेजा गया था। उन्होंने न केवल पुलों को ठोकर मारी बल्कि उन फूंक भी डाला। अब इसके कार्यकरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या किया उन्होंने? और न केवल इस सरकार के प्रति बल्कि समूचे तीसरे विश्व के लिये उन्होंने जो रवैया वहां अपना वह सब को मालूम है। मैं उसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का आदमी नहीं कहना चाहता। यह तो घटिया किस्म की बात करना होगा। वह तरीका निन्दनीय है। परन्तु सत्य यह है कि विश्व के सबसे बड़े तथा सबसे महान देश का प्रतिनिधित्व करने वाले उक्त भूतपूर्व राजदूत ने अपने द्वारा लिखित एक पुस्तक में, अमरीकी विदेश विभाग तथा उक्त विशिष्ट एजेन्सी से स्वीकृति लेने के पश्चात कहा है कि एक देश के एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने पैसा लिया है। यह एक गंभीर मामला है चाहे उससे इन्कार कर दिया गया है। अब हस्तक्षेप का यह एक स्वीकृत सत्य है। निधियों के हस्तान्तरण के तथ्य के अलावा हस्तक्षेप का मामला अधिक महत्वपूर्ण है। हमें स्वयं को मेमना नहीं बना लेना चाहिये, और मुझे आशा है कि इस देश के प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री इस राजनयिक की बात का विश्वास नहीं करेंगे जबकि वह कहता है कि उनके देश ने केवल दो बार हस्तक्षेप किया उसका विश्वास नहीं किया जायेगा न एक बार किया गया और न दो बार हुआ, यदि आप कहें कि बस दो बार हुआ और यह कांग्रेस के साथ भी हुआ। यह एक कपोल कल्पित और अविश्वसनीय झूठ है। हस्तक्षेप की बात को स्वीकार किया गया है। हम देश की घरेलू राजनीतिक स्थिति में हस्तक्षेप का आज भी माना जाता है जबकि प्रधान मंत्री तथा अन्य लोगों ने इसका खण्डण किया है।

श्रीमन, विगत अप्रैल में, इस सभा में, जब मैंने नन्दा देवी ग्लोरियर में परमानु यंत्र गाड़े जाने संबंधी प्रश्न उठाया था तो प्रधान मंत्री मुझसे क्रुद्ध हो गये। उन्होंने कहा "आप सी० आई० ए० का नाम

[श्री के० पी० उन्नीकृष्णन]

क्यों ले रहे हैं ? कौन सी० सी० आई० ए० ? सी० आई० ए० क्या है ?" उन्होंने ऐसे बुद्धिमान चीनी बन्दर जैसी मुद्रा बनाई जिसने इस बारे में कभी सुना ही नहीं हो। वह सी० आई० ए० को देखने तथा उसके बारे में सुनने से इन्कार करते हैं। अब, इस तरह के आंखें मूंद कर रहने के रवैया से तो चिन्ता उत्पन्न होनी चाहिये। आप गत वर्ष अप्रैल मास का कार्यवाही सारांश पढ़ें। यही बात उन्होंने कहीं थी। उन्होंने कहा था कि सी० आई० ए० कोई नहीं है। और यह वैज्ञानिक विभागों के बीच एक करार था। यह एक झूठ है और मैं इसे आज प्रकट करना चाहता हूं । क्या मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं कि उसी विवरण का मसौदा जो उन्होंने सभा में पेश किया था, दिल्ली में रह रहे सी० आई० ए० के चीफ श्री मूदलीगन को दिखाया गया था ? मैं इस सरकार को चुनौती देता हूं और कहता हूं कि आप इससे लाभ नहीं रखते और आज मेरा आरोप है कि.....

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : उपाध्यक्ष महोदय, एक गंभीर चुनौती दी गई है—एक गंभीर दोषारोपण किया गया है। श्री उन्नीकृष्णन या तो इस आरोप को सिद्ध करे या उसे वापस लें। सरकार इस संबंध में एक संसदीय [समिति द्वारा जांच के लिए तैयार है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इस सारे काण्ड पर **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सारे काण्ड पर नहीं । जब हम यहां कोई वक्तव्य देते हैं तो यदि दूतावास से उस पर स्वीकृति नहीं लेते हैं। मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं । **(व्यवधान)**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : बाजपेयी जी, भगवान के लिये इतने भोले मत बनिये। मुझे अपनी बात पूरा तो करने दीजिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बेहतर हो कि आप उक्त आरोप को वापस ले लें या उसे सिद्ध करे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : कृपया मेरी बात सुनिये। भूतपूर्व प्रधान मंत्री का वर्तमान प्रधान मंत्री के विरुद्ध मेरा यह आरोप है कि सी० आई० ए० तथा भारतीय सुरक्षा विभागों के बीच एक अनौपचारिक तथा सर्वविदित साठ-गांठ है जो हमारी समूची प्रणाली के लिये एक खतरा है उसके लिये विध्वंसकारी है। हमने वासिंगटन में किसी को बैठा रखा है। क्या वह इससे इन्का कर सकते हैं। और इसी प्रकार दिल्ली में भी सी० आई० ए० का एक मान्यताप्राप्त एजन्ट है। ऐसी एक काम चलाऊ पारस्परिक ताल-मेल बना हुआ है जिसके द्वारा भूतपूर्व प्रधान मंत्री तथा वर्तमान प्रधान मंद द्वारा कुछ कार्यकलापों तथा आदान-प्रदान की अनुमति दी गई है। मैं "मातृभूमि" से उद्धरण देता हूं जिसमें इस संबंध में मुखपृष्ठ पर एक लेख छपा है। उक्त लेख में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है। तारीख 5 मई, 1979 है और यह लेख मुखपृष्ठ पर छपा है। अब कि श्री वाजपेयी ने उसकी चर्चा की है, मैं उसका उद्धरण देता हूं। यह अनुवाद है। इसमें कहा गया है :

"पता चला है कि दो वर्ष पूर्व वर्तमान सरकार ने यह संभाला तो वर्तमान प्रधान मंत्री को इस समझौते के बारे में सूचित कर दिया गया था और प्रधान मंत्री ने इसे जारी रखने दिया।"

एक माननीय सदस्य : क्या समझौता हुआ था ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इसका उत्तर तो श्री बाजपेयी देंगे। यदि आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं तो मैं इस समझौते के बारे में बता दूंगा। समझौता, ऐसा कुछ नहीं है........**(व्यवधान)** कृपया मुझे बोलने दीजिये.......

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें समझौते के बारे में बताने दीजिये...... **(व्यवधान)**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं इन चीजों से डरने वाला नहीं हूं। यह मत समझिये कि मैं श्री वाजपेयी अथवा किसी अन्य के व्यांग्यों से मुझे चूप नहीं किया जा सकता। यह समझौता उच्चतम प्राधिकार द्वारा किया गया एक करार है। **(व्यवधान)** मुझे नहीं मालूम आया कि उसे श्री बाजपेयी से छिपाया गया है परन्तु पिछले 15 या 17 वर्षों से उक्त करार चला आ रहा है जिसके अन्तर्गत सी०आई०ए० तथा भारतीय मुख्य एजन्सियों के बीच निकट का सहयोग है **(व्यवधान)** जी हां। ऐसा है। यहां प्रश्न व्यक्तिगत

रूप से श्री वाजपेयी अथवा श्री चव्हाण का नहीं है। हम व्यक्तियों की बातें नहीं कर रहे हैं। यदि आप चर्चा को इस सतह तक लाना चाहते हैं तो फिर निश्चय ही अन्य कई लोगों के नाम भी यहां आ सकते हैं। अतः हम इस तरह की बाते न करें। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वह यह है कि हस्तक्षेप के बारे जो तथ्यात्मक बात श्री मोइनिहान ने कही है वह उक्त समझौते से सिद्ध हो जाती है और वह समझौता देश की आंतरिक सुरक्षा के लिये खतरा पैदा करता है भले ही किसी विशिष्ट परिस्थिति में उसका कितना ही महत्व रहा हो। हो सकता है कुछ परिस्थितियां रही हों; पर सरकार के कुछ न कुछ रहस्य होते हैं, पर सरकार कोई न कोई समझौता करती है; विशिष्ट परिस्थितियों में हर सरकार को कोई न कोई लाभ पहुंचता है; परन्तु तब नहीं जब ऐसे समझौते का प्रभाव देश की आन्तरिक राजनीति पर पड़ने लगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, सी० आई० ए० की पृष्ठभूमि पर विवाद करते हुए, वर्ष 1961 से 1970 के दशक के बीच, जो भी स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका से भी एक अमरीकन दैनिक उद्योग समूह की एक अदृश्य सरकार के रूप कार्य करती रही है, यह केवल सरकार के गुप्त चर्चा का साधन मात्र नहीं थी; यह तो सभी महाद्वीपों तथा देशों में एक अन्तर्राष्ट्रीय विध्वंसात्मक अस्त्र के रूप में कार्य करती रही है, चाहे इरान में मोसाद्दी का तख्ता उलटना था अथवा ग्वाटेमाला में या क्यूबा के बे आफ पिग्स पर आक्रमण में हाथ डालना था अथवा बर्मा में उन की सरकार के विरुद्ध अथवा श्री लंका में सरकार के विरुद्ध या फिर लुमुम्बा के कोंगो अथवा अंगोला में—चाहे सरकारों की हत्यायें हुई या बरखास्त हुई—सब में सी० आई० ए० का हाथ रहा। इन सभी तथ्यों के जानने के बाद, भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने इस समझौते को होने दिया। और वर्तमान प्रधान मंत्री ने (जिसका दल अब इस रहस्योद्घाटन पर खुश है कि हम से वे श्रीमती गांधी को छुपा सकते हैं) इस समझौते को जारी रहने दिया। और जब सभा के सामने को विशिष्ट उदाहरण नन्दादेवी का पेश किया जाता है तब वह कहते हैं—'अच्छा, मैं इसे देखूंगा कि यह जारी न रहे' परन्तु आप कहते हैं कि हमे वैज्ञानिक प्राधिकारियों ने किया था। सी० आई० ए० का नाम क्यों लेते हो? सी० आई० ए० क्या है?, आप रिकार्ड देख सकते हैं। यही बात उन्होंने गत अप्रैल में कही थी।

अतः, श्रीमन, हम भारत में सी० आई० ए० की गतिविधियों से अवगत हैं। एक संस्था "कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम" भी सी० आई० ए० का अध्यापकों, पत्रकारों, राजनीतिज्ञों, कर्मचारियों के संघों आदि की गतिविधियों में हाथ रहने के बार बार उदाहरण आये हैं। हम "कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम" तथा "इन्टरनेशनल कांफेडरेशन आफ ट्रेड यूनियन" की भूमिका से अवगत हैं। स्वर्गीय प्रधान मंत्री माननीय श्री लालबहादूर शास्त्री के रक्त तथा मूत्र के नमूनों के विलिंगडन अस्पताल से चोरी होने जैसी कई घटनायें हुई हैं। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में कितनी ही बाते प्रकाशित हुई है।

इस प्रकार ये राशियां कारगर साबित नहीं हुई। किन्तु यदि ऐसा हुआ तो ऐसा इसलिए होने दिया गया कि जैसा कि मैंने कहा है क्योंकि सहयोग के वातावरण के कारण और मैं इस बात में विश्वास नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं कि अपनी आंखें बन्द करलीं और बुद्धिमान बन गए। अतः यह डर बना रहा और न तो इसे वर्तमान प्रधान मंत्री दूर कर सके और न ही भूतपूर्व प्रधान मंत्री। अब, जैसा कि मैंने पहले कहा था यह कुछ ताकतों का प्रतिनिधित्व करती है। वे यह नहीं कह सकती कि इस सरकार का एक भाग उनके खिलाफ है और दूसरा उनके खिलाफ नहीं है। उन्होंने चण्डीगढ़ में यही कहा था। जब उनसे विशेष तौर पर यह पूछा गया था कि क्या संयुक्त राज्य की सरकार उनके खिलाफ है तो उन्होंने कहा था कि संयुक्त राज्य सरकार का एक भाग उनके खिलाफ है। उनकी अपनी एक अलग अन-अनुकरणीय भाषा है जिसके द्वारा वे बच निकलती हैं। जब उन्होंने यह कहा कि श्रीलंका के मामले में दखल दिया गया था और श्रीलंका के विदेश मंत्री ने जब इस बारे में जांच की तो उन्होंने इससे इन्कार किया और कहा "मैंने ऐसा कभी नहीं कहा"। जब उन्होंने पहले कभी दिसम्बर 1977 या जनवरी 1978 में यह कहा था कि 1977 के चुनावों में विदेशी ताकतों ने हस्तक्षेप किया है तो हममें से कुछ ने सार्वजनिक रूप से उनसे ऐसी ताकतों के नाम बताने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने नाम बताने से इन्कार कर दिया। अब भी वही दोहरी प्रवृत्ति वाली नीति जारी है और सी०आई०ए० उससे अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। अतः हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए बल्कि हम केवल इतना चाहते हैं कि यह लुका-छिपी का खेल हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और चाहे इसका संबंध भूतपूर्व प्रधान मंत्री से हो या वर्तमान प्रधान मंत्री से, इन मामलों का सच्चाई से सामना करके इन्हें निपटाना है। इसलिए, मैं आज इस सरकार से मांग करता हूं कि भारत में

[श्री के० पी० उन्नीकृष्णन]

सी०ग्राई०ए० सहित सभी विदेशी सुरक्षा एजेन्सियों की गतिविधियों के बारे में एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करें। मैं यह भी मांग करता हूं कि इस बात की संसदीय जांच करवाई जाए।

अब यह केवल सुरक्षा एजेन्सियों का ही प्रश्न नहीं है। मैं और श्याम बाबू इस सदन के समक्ष पिछले वर्ष 110 करोड़ डालर के ईरानी भुगतान का प्रश्न पहले ही ला चुके हैं जब संविधान और इस सदन के साथ धोखा किया गया था और वह पैसा इस सदन के मतदत्त साधनों में से लिया गया था और मैंने कुछ विशिष्ट फर्मों और व्यक्तियों के नाम भी बताये थे तथा जांच की मांग की थी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कृपा करके यह टिप्पणी की थी कि इस सौदे में कुछ ऐसी भी बातें थीं जो दिखाई नहीं देती थीं और उन्होंने यह सुझाव दिया था कि इसकी जांच की जानी चाहिए। इसलिए इसकी जांच की गई। अभी उस दिन जब मार्ले ग्रुप की कम्पनियों के बारे में मेरे मित्र श्री लकप्पा द्वारा प्रश्न उठाये जाने पर आधे घण्टे तक बहस हुई थी तो वहां भुगतान करने का प्रश्न आया था। माननीय मंत्री श्री सतीश अग्रवाल ने कहा कि के०ग्र० ब्यूरो द्वारा डाले गए छापे में उन्हें एक ऐसा पत्र मिला है जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम है जिसने विदेशी मुद्रा में 15 लाख रु० की मांग की थी। अब वह पत्र कहां है? क्या उस पत्र को सदन के पटल पर रखा जाएगा? इस प्रकार, यह विदेशी धन, जो बहुत राष्ट्रिकों, अंतर्राष्ट्रीय ठगों या सुरक्षा संस्थाओं द्वारा दिया जाता है और हमारे आन्तरिक राजनीतिक वातावरण को दूषित करता है हमारे लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है। मैं आशा करता हूं कि किसी विशेष तथ्य को चुनौती देने से पहले आपकी सरकार यह स्वीकार करेगी और मैं यह फिर दोहराता हूं कि इसमें कुछ लोगों का हाथ है और मैं उन सबके नाम नहीं बताना चाहता हूं। हो सकता है कि श्री वाजपेयी को इसकी जानकारी न हो। मैं उन्हें अकेले में बता सकता हूं कि वह विवरण किसने लिया है। कृपया उत्तेजित न हो। वातावरण को मुक्त रहने दीजिए और हमारी बड़ी इच्छा है कि इसे उन्मुक्त रखा जाए। प्रधान मंत्री अब उपहास उड़ाते हुए यह नहीं कह सकते कि "सी०ग्राई०ए० कौन है, सी०आई०ए० कौन सी है और सी०ग्राई०ए० क्या है।" अब वे यह दृष्टिकोण अधिक समय तक नहीं अपना सकते। इसलिए महोदय इस पुस्तक से हमारी आंखें खुल जानी चाहिए और सरकार को संसदीय जांच और विदेशी सुरक्षा एजेन्सियों की गतिविधियों के बारे में एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करने की मांग मान लेनी चाहिए।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : माननीय उपअध्यक्ष महोदय, मोइनिहान द्वारा किए गए रहस्योद्घाटन का एक बहुत अच्छा पहलु यह है कि इससे सारा देश और अधिक सतर्क हो जाएगा। सरकार और शासक दल के शीर्षस्थ पदों पर आसीन व्यक्तियों ने केरल और पश्चिम बंगाल के चुनावों में हस्तक्षेप करने और समाजवाद की उन्नति का मुकाबला करने और लोगों की सहायता से उन्हें सरकार में आने से रोकने के लिए सी० आई० ए० से पैसा लिया। यह रहस्योद्घाटन का एक पहलु है।

मैंने श्री स्टीफन से यह सुना है कि श्री मोइनिहान किस प्रकार के व्यक्ति हैं, उनका चरित्र कैसा है, आदि-आदि। मुझे उसमें रुचि नहीं है। हमें यह बिलकुल स्पष्ट है कि श्री मोइनिहान संयुक्त राज्य की साम्राज्यवादी ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति हैं; हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि वे एक प्रगतिवादी व्यक्ति हैं। अब सी० आई० ए० और अमेरिका के अन्य उच्च अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं और ऐसे तथ्य प्रकट कर रहे हैं जिनके बारे में पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी, किस प्रकार उन्होंने किसी सरकार को पलटने के लिए, उच्च राजनीतिक नेताओं की हत्या करने के लिए सी० आई० ए० के एजेन्ट के रूप में कार्य किया और विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों या सरकार के एक अंग पर उन्होंने किस प्रकार प्रभाव डाला। चाहे हम पुस्तक में बताई गई सारी बातों को स्वीकार न करें लेकिन सामान्यत: यह स्वीकार किया गया है कि इन सेवानिवृत्त व्यक्तियों द्वारा जो रहस्योद्घाटन किए गए हैं, वे सही हैं। इसीलिए अब इतनी पुस्तकें आ रही हैं। श्री स्टीफन ने इन पुस्तकों में से कुछ उद्धरण दिए हैं। वे सी० आई० ए० के उन व्यक्तियों द्वारा लिखी गई हैं जो कभी यह कार्य किया करते थे।

श्री मोइनिहान के रहस्योद्घाटनों से क्या पता लगता है? मैं वह पढ़ रहा हूं जो वास्तव में उस पुस्तक में लिखा है :

"विभिन्न भारतीय-अमेरिकी उद्यमों में से कोई भी 1971 का तनाव इतनी सफलतापूर्वक सहन नहीं कर सका जितना कि चीन के विरुद्ध तैयार किए गए उद्यम कर सके।"

भारतीयों के गैर-सम्राज्यवादी भावनाओं के कारण ही ऐसा हुआ कि ये संयुक्त अमेरिकी उद्यम टिक नहीं सके। और आगे :

"भारत के लिए चीन का डर स्पष्ट था। यहां तक कि चाहे गांधी सरकार ने यह चाहा हो कि वियतनाम में अमरीका की हार हो जाए लेकिन जब एक बार यह अनिवार्य हो गया तो उन्हें यह पता चल गया कि यह वास्तव में भारत के हित में नहीं होगा ...."

हमने वियतनाम के स्वतंत्रता संघर्ष का समर्थन किया और यह इच्छा व्यक्त की कि अमेरिका हार जाए और वियतनाम को उसकी स्वतंत्रता मिल जाए लेकिन जब यह सच्चाई बन गया तो श्रीमती इंदिरा गांधी और भारत सरकार इससे डर गए। इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी यह इच्छा थी कि वहां अमेरिका की हार न हो। यह एक खतरनाक बात है। यह दोहरे-चेहरे वाली बात है और यह वर्ग स्थिति से उत्पन्न होता है। और तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं। इसमें आगे यह लिखा है :

"और निजी रूप में यह बात और सुस्पष्ट हो गई। और इसलिए हमने हिमालय के ऊपर से संयुक्त रूप से चीनीयों के उपर जासूसी करना जारी रखा। जब हिमालय पर ये नामिकीय उपकरण लगाए गए तब वियतनाम का संघर्ष चल पड़ा था। उस समय आप अमेरिका की निन्दा कर रहे थे और वियतनाम के पक्ष में बोल रहे थे लेकिन हिमालय पर नामिकीय उपकरणों की स्थापना के लिए आपका गुप्त समझौता था। क्या यह दोहरे-चेहरे वाली बात नहीं है? क्या यह आपका सतत साम्राज्यवाद विरोध है? क्या यह वियतनाम के लोगों की स्वतंत्रता के प्रति आपका सच्चा प्रेम है ? नहीं।"

श्री सी० एम० स्टीफन : भारत के प्रतिप्रेम।

श्री समर मुखर्जी : अब तर्क आगे रहा है।

"चीन ने भारत पर आक्रमण किया, इसलिए हमें अमेरिका के आगे समर्पण कर देना चाहिए। इसलिए हम अमेरिकी सेना को भी आमंत्रित करेंगे।" **(व्यवधान)** तर्क यह है कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। इसलिए आप सी० आई० ए० के साथ सहयोग कर रहे हैं। ताकि हमारी रक्षा सेनाएं उनके आगे अनावृत्त हो जाएं। यही कारण है कि सहयोग अब भी जारी है। **(व्यवधान)**

श्री वसन्त साठे : अब आप चीन और अमेरिका, दोनों के प्रति मित्रता रख रहे हैं।

श्री समर मुखर्जी : आपको यह समझना है कि इसके क्या परिणाम होंगे। **(व्यवधान)** चीन एक समाजवादी देश है। **(व्यवधान)** लेकिन आपने अमेरिका को अपना मित्र समझा। **(व्यवधान)** इसके साथ ही आपने यह भी चाहा कि वियतनाम स्वतंत्र हो जाए। ये दोनों चीजें साथ-साथ नहीं चल सकती। वर्ग विशिष्टता के दृष्टिकोण से यह मामले का एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू है साम्यवादियों की वृद्धि को रोकना। **(व्यवधान)** अब लोगों को यह बात समझ में आएगी कि अमेरिका इन्दिरा को पैसा देने का इच्छुक क्यों था। **(व्यवधान)** क्योंकि इन्दिरा साम्यवादियों की खिलाफत करने वालों में सबसे आगे थी और केरल की साम्यवादी सरकार को गिराना था और उसे 1959 में गिरा दिया गया। **(व्यवधान)**

सी० आई० ए० का सारा इतिहास ही यह रहा है कि उन सरकारों को गिराना जो या तो साम्यवादी हैं या साम्राज्यवाद-विरोधी हैं और यहां भी सी० आई० ए० यही भूमिका अदा कर रही है।

21 मार्च, 1972 को वाशिंगटन के मशहूर स्तम्भ-लेखक जैक एंडर्सन ने बताया कि सी० आई० ए० ने, अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन और तार निगम के सहयोग से, जो करोड़ों डालर की एक अंतर्राष्ट्रीय संगुटिका है और जिसका चिलियन टेलीफोन और तार कम्पनी में 80 प्रतिशत हिस्सा है, चिली में सैनिक शासन स्थापित करने का षड़यंत्र रचा ताकि वामपंथी गठबंधन के उम्मीदवार सालवेडोर एलेन्डी का 1970 में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव रोका जा सके। उस समय आई० टी० टी० का निदेशक भूतपूर्व सी० आई० ए० प्रमुख जौन मक्कोने था। (यह भी बताया गया है कि आई० टी० टी० ने 1972 में निक्सन के दोबारा चुने जाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी को 40 लाख डालर दान दिया था।) राष्ट्रपति एलेन्डी ने अपने चुनाव के बाद चिली में आई० टी० टी० के हिस्सों का राष्ट्रीकरण हो जाने पर पकड़े गए गुप्त दस्तावेजों के आधार पर स्वयं इस बात की पुष्टि की थी। संयोग से, भारतीय टेलीफोन संगठन को क्रास बार उपकरण की सप्लाई के लिए आई० टी० टी० ने संविदायें निष्पादित की हुई हैं। जो मशीनें इसने सप्लाई की उनमें बाद में नुक्स पाए गए और संसद में यह मांग की गई थी कि भारत क्षतिपूर्ति की मांग करे।

सी० आई० ए० इच्छुक क्यों थी ? एलेन्डी का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव रोकने के लिए ऐसा किया गया। बाद में जब वे चुन लिए गए और इसे रोका नहीं जा सका तो उनकी हत्या कर दी गई। यह अब विश्व-विदित इतिहास है और वास्तविकता है। सी० आई० ए० साम्यवादी और मार्कसिस्ट ताकतों के खिलाफ है। इन्दिरा भी साम्यवादी और मार्कसिस्ट ताकतों की वृद्धि के खिलाफ है। यही परस्पर हित है और यही पैसा लेने और देने का संयुक्त आधार है। केवल पैसा ही लेने-देने के लिए नहीं बल्कि वह सभी सहायता देने के लिए जो सी० आई० ए० किसी साम्यवादी सरकार को गिराने के लिए या चुनाव में उन्हें हराने के लिए देने को तैयार है।

[श्री समर मुखर्जी]

"टाईम्स आफ इन्डिया" में आज एक शीर्षक है जो कहता है "केरल के नेता ने स्वीकार किया है कि उसने चुनाव में सी० आई० ए० का पैसा इस्तेमाल किया है।" यह बहुत बड़ी मात्रा में दिया गया था। इसमें आगे यह कहा गया है :

"केरल में, भारतीय साम्यवादी दल ने केवल 1969 में भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल विरोधी गठबन्धन में शामिल हुआ था..."

जब ऐसा हुआ था, हम संगठित थे। जो कुछ भी हो, पेपर कहता है :

"राज्य में गठबन्धन अब भी चल रहा है। भारतीय साम्यवादी दल का उस समय विघटन नहीं हुआ था, जब वह 1960 में हारी थी....स्वर्गीय पी० टी० चाको, जो 1970 के मध्यावधि चुनाव के बाद गृह-मन्त्री बने थे वे चुनाव-समय के दौरान इस संवाददाता को बताया था कि उसे केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से केरला में आ रहे सी० आई० ए० के धन के विषय में पता है। उन्होंने बताया कि वे धन-राशि के बारे में अन्दाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि वे कांग्रेस के नेता नहीं है, जो मद्रास से धनराशि लाये हैं।"

अतः सी० आई० ए० की धनराशि आ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको केवल 7 मिनट दिए गए थे। मैंने 12 मिनट होने पर घंटी बजाई है।

श्री समर मुखर्जी : एक वक्ता को आपने 40 मिनट दिए थे, एक अन्य को 30 मिनट तथा एक और को 25 मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय : यह दल के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है।

श्री समर मुखर्जी : अध्यक्ष उन्हें बार-बार बता रहे थे कि वे अधिक समय ले रहे हैं। मुझे बहुत से मुद्दों को स्पष्ट करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार आप वाद-विवाद नहीं कर सकते। आप पर सीमित समय होता है।

श्री समर मुखर्जी : श्री उन्नीकृष्णन ने नन्दा देवी के बारे में बताया था। मुझे इस विषय में कुछ नहीं कहना है। वर्ष 1958-59 में श्रीमती गाँधी कांग्रेस की अध्यक्षा थी। पंडित नेहरू केरल की उस सरकार को बरखास्त करने के इच्छुक नहीं थे। लेकिन उसने पिता को राजी कर लिया और बिना कोई कारण बताए सरकार हटा दी गई। उसके बाद, चुनाव आए। सरकार को गिराते समय विधानसभा के सदस्यों को खरीदने के प्रयास किए गए ; और प्रत्येक सदस्य को 2 लाख रुपये की धनराशि तक देने का प्रस्ताव किया गया, ताकि एक या दो सदस्य टूट सकें। लेकिन उस समय विधान सभा के सभी वे सदस्य, जिन्होंने साम्यवादी दल को समर्थन दिया था ; इतने अडिग रहे और अपनी निष्ठा का ऐसा प्रदर्शन किया कि इन्दिरा के लिए उन्हें खरीदना मुश्किल हो गया। अतः, आखिरकार ऊपर के निदेशों से सरकार को गिराया गया और चुनाव करवाए गए। उस चुनाव के दौरान श्री स्टीफन ने बताया था कि वह कांग्रेस की अध्यक्षा नहीं थी। चुनाव फरवरी में हुए थे। वह जनवरी तक कांग्रेस की अध्यक्षा रही थीं। अतः उनके कांग्रेस की अध्यक्षा रहने के दौरान, धनराशि प्राप्त हो रही थी, क्योंकि चुनाव के दौरान खर्च किया गया धन, पहले से ही उनके हाथों में होना आवश्यक था। चुनावों के दौरान पैसे की क्या भूमिका होती है, यह आप जानते हैं। श्री चव्हाण के बयान का हवाला दिया गया है और उन्होंने यह स्वीकार किया है कि विदेशी धन, काफी मात्रा में आ रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आगे और पैसा नहीं आएगा। लेकिन इस विशेष मामलों में यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है कि केरल और पश्चिम बंगाल में अत्याधिक धनराशि आई। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में मोयनिहन की पुस्तक में यह हवाला दिया गया था ; और यही 1971 के चुनाव के बारे में था। हमारी प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी को यह पता चल गया था कि यदि 1971 में निष्पक्षता और ईमानदारी से चुनाव हुए तो भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) स्पष्ट बहुमत ले जाएगा। इसके बारे में कोई सन्देह नहीं था। अतः इसी कारण, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने से रोकने के लिए यह षड़यंत्र रखा गया था।

मेरे पास दिलीप हीरो की लिखी हुई एक पुस्तक है जिसका शीर्षक "इनसाईड इन्डिया टूडे" है। इस पुस्तक के पृष्ठ 171 से मैं हवाला दे रहा हूं इसमें लिखा है :

"दिसम्बर, 1970 में संसद भंग करने से यह सम्भावना बढ़ गई कि राज्य के मतदाताओं को साथ-ही-साथ अपनी विधानसभा के सदस्यों के चुनाव करने का अवसर भी प्राप्त हो जाए। लेकिन भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के हाथों पराजय होने की सम्भावना के डर से गैर-सी० पी० आई० (एम०) दलों ने यह तर्क दिया कि राज्य में अशान्ति होने के कारण निष्पक्षता और ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकते। उनके विचार में सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस, बार्डर सिक्युरिटी फोर्स, ईस्टर्न फ्रान्टियर रायफल्स, नेशनल वालिन्टियर फोर्स के

24,000 जवानों द्वारा समर्पित पुलिस फोर्स के 61,00 जवान चुनाव के दौरान 'कानून और व्यवस्था' बनाए रखने को सुनिश्चित करने के पर्याप्त नहीं थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मतदाताओं में 'विश्वास' पैदा करने के लिए और अधिक मूलभूत उपाय करने होंगे. . . "उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि यह इन्दिरा गाँधी सरकार के लिए सम्भवत: बिल्कुल असंवैधानिक बात होगी कि एक राज्य, यथा पश्चिम बंगाल में तो राष्ट्रीय संसद के चुनावों को रोके रखा जाए और उन चुनावों को कराते समय, विधान सभा के चुनाव न करवाए जाना, आसानी से न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। इससे केन्द्र को यह मूलाधार मिल गया कि उसने जिला और उप-मण्डलीय मुख्यालयों पर तैनात करने के लिए राज्य प्राधिकारियों को 50,000 जवान सौंप दिए, जिन्होंने 'दैनिक झण्डा प्रयाण' से अधिक कुछ कार्य नहीं किया।

लेकिन फरवरी, 1971 के प्रारम्भ में पश्चिम बंगाल में जवानों के आगमन के फौरन बाद उन्हें राज्य प्रशासन द्वारा (केन्द्र के निर्देशों पर) महा-कलकत्ता में 'नक्सलवादी खतरे' के क्षेत्र का सफाया करने का दिखावा करने के लिए चलाए गए 'खोजो और पकड़ो' कार्रवाइयों में लगा दिया गया। हालांकि अधिक नक्सलवादी नहीं पकड़े गए, फिर भी क्योंकि कर्मचारी उन पुलिस एजेन्टों को संकेत दे रहे थे, जो छान-बीन कर रहे थे। इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप अन्य दल के सदस्यों को भी वह क्षेत्र छोड़ना पड़ता, जहाँ घेरा डाला जाता और छान-बीन की जाती। अन्ततः इन कार्रवाइयों की वजह से जिस दल को सबसे अधिक नुकसान हुआ, वह भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) था, जिसके बहुत से कार्यकर्त्ताओं को, जो चुनाव-अभियान में लगे हुए थे, 'उग्रवादी' के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया।

श्री वसन्त साठे : (अकोला) : यह बिल्कुल असंगत बात है ; आप तो सारी पुस्तक ही पढ़ सकते हैं।

श्री समर मुखर्जी : यह सच है। इसमें आगे यह और लिखा है :

"और फिर भी, क्योंकि महाकलकत्ता में विधानसभा की सीटों का केवल 8 प्रतिशत भाग बनता था, अतः इन गिरफ्तारियों से भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाले गठबंधन के चुनाव अवसरों पर कुल मिलाकर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इसका विपक्ष विभक्त था। कांग्रेस में अपना ही अन्दरूनी झगड़ा था। कुछ वामपंथी तथा मध्यपंथी दल भारतीय साम्यवादी दल के पीछे थे। केन्द्रीय सरकार के आसूचना ब्यूरो की रिपोर्ट में यह भविष्यवाणी की गई थी कि भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाला गठबंधन सभा की 280 सीटों से 150—160 सीटें जीतेगा। अतः गैर-सी० पी० आई० (एम०) शक्तियों को सी० पी० आई० (एम०) समर्थकों की हवा के रुख को पलटने के लिए किसी प्रबल होनी की आवश्यकता थी, और ऐसा ही हुआ। 20 फरवरी को, अर्थात् चुनाव की निर्धारित तारीख से केवल 2-1/2 सप्ताह पहले विधान सभा की सीट के लिए भारतीय साम्यवादी दल के नेतृत्ववाले गठबंधन के एक उम्मीदवार, श्री हेमन्त कुमार बसु पर उत्तरी कलकत्ता में कुछ युवकों द्वारा आक्रमण किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। एक छोटे से वामपन्थी दल, फारवर्ड ब्लाक के प्रधान श्री एच० के० बसु 70 वर्ष के वयोवृद्ध और सार्वजनिक क्षेत्र में अत्यधिक सम्माननीय थे तथा उनकी हत्या कर दिए जाने के समाचार से कई शहरियों को धक्का लगा है, घटना के करीब आधे घन्टे बाद ही कलकत्ता के पुलिस आयुक्त ने प्रैस को बताया कि हत्या से सम्बन्धित दो नवयुवकों को गिरफ्तार किया है जिन पर सी० पी० आई० (एम०) से सम्बन्धित होने का सन्देह है"।

इस प्रकार सी० आई० ए० कार्य करती है। "कांग्रेस के एक प्रमुख कार्यकर्त्ता ने घोषणा की है कि उनके पास इस बात के ठोस प्रमाण है कि सी० पी० आई० (एम०) के कार्यकर्ताओं संगठन ने ही एच० के० बसु की हत्या की है।"

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अत्यधिक समय ले लिया है अब आप इसे समाप्त कीजिए। मैं आपको समय देने में काफी उदार रहा हूं।

श्री समर मुखर्जी : आपने उनको इतना अधिक समय दिया है। मैं डा० अशोक मेहता के लेख से अभी एक और उद्धरण प्रस्तुत कर रहा हूं।

"पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) जो कि शहर से बाहर दौरे पर थे तुरन्त कलकत्ता वापस लौट आये और उन्होंने प्रतीक्षा कर रहे प्रेस के कर्मचारियों से रहस्योद्घाटन किया है कि उनके पास इस बात की प्रमाणिक सूचनाएं हैं कि सी० पी० आई० (एम०) के कार्यकर्ताओं ने ही हेमन्त कुमार बसु की हत्या की है।"

षड़यंत्र इसी प्रकार से प्रारम्भ हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने 25 मिनट का समय ले लिया है जो कि उससे कई ज्यादा है जो मैं आपकी पार्टी को दे सकता हूं। अब आपके पास केवल नौ मिनट का समय शेष है।

श्री समर मुखर्जी : मेरा मूल प्रश्न यह है कि क्या श्रीमती इन्दिरा गाँधी संसदीय लोकतंत्र में दिलचस्पी रखती हैं अथवा नहीं। ये कार्य जो मैंने कहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं है अपितु वे लोकतन्त्र के विनाश के लिए हैं और सी० आई० ए० के साधनों का उपयोग करने, राजनैतिक हत्याओं और यहाँ तक कि हेमन्त कुमार बसु जैसे सम्माननीय नेताओं की हत्या का आश्रय लेने, तथा लोगों को सी० पी० आई० (एम०) के विरुद्ध पथभ्रष्ट करने, जिससे कि उनके वोटों की संख्या कम हो जाय, के लिए है और इसमें वे सफल भी रहे हैं। वे वोटों की संख्या कम करने में इसलिए सफल रहे हैं क्योंकि शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्गीय लोगों पर उनके प्रचार का काफी प्रभाव पड़ा है।

इसमें एक पैरा और भी है। लगभग आधे घन्टे के बाद ही आकाशवाणी ने यह घोषणा करनी प्रारम्भ कर दी कि सी० पी० आई० (एम०) ने हेमन्त बसु की हत्या कर दी है। पश्चिमी बंगाल की जनता को आने वाले चुनाव में सी० पी० आई० (एम०) के विरुद्ध मत देने चाहिए। यह तरीका है जिस प्रकार राज्य-तंत्र का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त उसकी पार्टी के 1,100 कार्यकर्ताओं की राजनैतिक हत्या कर दी गई और हजारों की संख्या में कार्यकर्त्ताओं को उस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया जहाँ हमारा इतना अधिक प्रभाव था। इस प्रकार से सन् 1971 में श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने केवल सी० आई० ए० का धन नहीं लिया अपितु सी० आई० ए० संगठनों से सी० पी० आई० (एम०) पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सहायता लेकर सी० आई० ए० के साधनों का भी उपयोग किया और संसदीय लोकतंत्र को समाप्त किया है। यह खतरनाक बात है और पूरे देश में इसके विरुद्ध संघर्ष होना आवश्यक है और इन सभी पृष्ठभूमियों तथा सभी तथ्यों के साथ श्री मोयनीहान द्वारा किया गया रहस्योद्घाटन इस बात के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि देश में लोकतंत्र, स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता को बनाये रखने के सम्बन्ध में इस महिला पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यादवेन्द्र दत्त :

मैं वक्ताओं को सचेत कर दूं कि उन्हें समय का पालन अवश्य करना चाहिए। इसके बाद मैं समय देने में इतना उदार नहीं रहूंगा जितना कि मैं श्री समर मुखर्जी के साथ रहा हूं।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : आपने मेरा समय ले लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक मैं इस प्रकार का समय नहीं लेता तब तक आप अधिक समय लेते रहेंगे।

श्री यादवेन्द्र दत्त : मुझे श्री स्टीफन के वक्तव्य से आज घोर निराशा हुई है। उनका पूरा वक्तव्य अपने विरोधियों की आलोचना का था और सब कुछ विरोधियों के विरुद्ध था। वे ठीक उस कुशल वकील की तरह से कह रहे थे जिसके पास कहने को कुछ भी नहीं होता और जो जानता है कि उसका मुकदमा कमजोर है पर फिर भी विरोधी पक्ष की आलोचना में लगा रहता है। यही सब कुछ उन्होंने किया है।

मैं श्री चव्हान से, जो कि, जहाँ तक मुझे याद है, उस समय गृह मंत्री थे और उस समय विदेशी धन लगाये जाने के विषय में कुछ जांच हुई थी, आशा करता था कि वे खड़े हो जायेंगे और इस विषय में कुछ कहेंगे परन्तु उन्होंने चुप रहना ही पसन्द किया।

समाचारपत्रों में छपे विवरणों की बात अलग है। यहां तक कि सदन के पटल पर भी विवरणों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने उस समय सन् 1969 में सभा पटल पर एक विवरणी रखी थी, कोई भी व्यक्ति जाकर उसे पुस्तकालय में देख सकता है।

श्री यादवेन्द्र दत्त : आप जांच का ब्यौरा देने की कृपा भी कर सकते थे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दत्त ! मैंने आपको पहले ही सावधान कर दिया था अब आप श्री चव्हाण के साथ वाद-विवाद करने लग गये हैं। आपने तीन मिनट का समय पहले ही ले लिया है और फिर आप कहेंगे कि मेरा समय श्री चव्हाण द्वारा लिया गया है, मैं समय के विषय में काफी सख्त होते जा रहा हूं—आपके साथ ही नहीं अपितु सबके साथ।

श्री यादवेन्द्र दत्त : आपने मेरा समय लिया है और किसी ने नहीं लिया।

पूरा प्रश्न उस विदेशी धन के सम्बन्ध में है जो किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री और कुछ राजनैतिक दलों को दिया गया है उस धन को क्यों मांगा गया है और क्यों दिया गया है—प्रश्न तो यही है। यह सत्ता प्राप्त करने के लिए पागलपन से भरा

लोभ है कि किसी भी प्रकार से सत्ता प्राप्त हो जाय यह वह लालच है जिसमें लोगों को बाहरी व्यक्तियों से धन लेने के लिये बाध्य कर दिया और इसलिये यह एक शर्म की बात है।

श्री कंवर लाल गुप्त की संसदीय जांच की मांग को स्वीकार किया जा सकता था। परन्तु किसी ने भी इसकी परवाह नहीं की है और न हीं उन्होंने मुकदमा चलाने पर ध्यान दिया है। मैंने सोचा था कि शायद विदेशों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले धन की प्रक्रिया लगभग 200 वर्ष पूर्व समाप्त हो चुकी है परन्तु ऐसा दिखाई देता है कि यह समाप्त नहीं हो पाई है। सम्भवतः केवल सी० आई० ए० ही नहीं अपितु के० जी० बी० की विदेशी शक्तियाँ भी इस देश में मौजूद हैं। वे सोचते हैं कि हम चिली, इक्वेडोर और डोमेनीकन गणतंत्र जैसे हैं। यह सब क्या है? यह राष्ट्र को नीचा दिखाना है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार को अमरीकी सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि धन किसने दिया है और किसको दिया है? क्या इसे राज्यीय विभाग के स्वैच्छिक निधि से दिया गया है अथवा शरारतपूर्ण चालों के लिये सी० आई० ए० के कोष से दिया गया है? सरकार को अमरीका की सरकार से पूछना चाहिए कि कितना धन दिया गया था। इसका पता लगाया जाना चाहिए। मुझे आशा है, सरकार अमरीका की सरकार को स्पष्ट रूप में लिख कर यह मालूम करेगी कि कितना धन दिया गया था। क्या मैं आपसे और आपके जरिए इस सदन के अध्यक्ष से पूरी विनम्रता और सम्मान के साथ यह अनुरोध कर सकता हूं कि सीनेट के चेयरमैन से यह निवेदन किया जाए कि वह श्री मोइनिहन से इस कुत्सित सौदेबाजी का पर्दाफाश करने का अनुरोध करें, क्योंकि वह एक सीनेटर हैं और एक सीनेटर होने के नाते, उनका यह नैतिक कर्त्तव्य है कि वह जो कुछ जानते हैं उन सारे तथ्यों को स्पष्ट करें।

किसी भी पार्टी अथवा व्यक्ति द्वारा विदेशियों से धन लेने की इस मानसिक प्रवृत्ति, इस वातावरण को यदि समाप्त नहीं किया गया, तो मुझे भय है कि देशभक्ति और जयचन्द के कार्यों को चरितार्थ करने वाले देशद्रोह के बीच विभाजन की बारीक रेखा मिट जाएगी। यदि राजनीतिक दलों को धन दिया जाता है और वे चुनाव संबंधी प्रयोजनों के लिए उस धन को स्वीकार करते हैं, तो ये राजनीतिक दल किस मुंह से यह कहने का अधिकार रखते हैं कि जासूसी करते हुए पकड़े गए फौजी अधिकारी देशद्रोही हैं। देश के प्रति बागी वे हैं जिन्होंने धन की भूख के लिए, हमारे सारे रहस्यों, नीतियों, शस्त्रागार व्यवस्था आदि का विदेशी ताकतों के साथ सौदा किया है। इतना कुछ हो जाने के बाद, हमारी रक्षा के लिए क्या रह जाता है? क्या मैं अपने मित्रों को याद दिला सकता हूं कि सीज़र की पत्नी न केवल पवित्र होनी चाहिए बल्कि उसे संदेह से भी परे होना चाहिए।

जैसे ही यह घोटाला सामने आया, तभी संबंधित पार्टी या संबंधित महिला को चाहिए था कि वह भारतीय प्रकाशकों के विरुद्ध मानहानि का दावा दायर करती अथवा अमरीका में मानहानि का दावा दायर करती। लेकिन कुछ नहीं किया गया है। मेरे विचार में, भारत की जनता को, 1969 में श्री चव्हाण द्वारा, जब वह गृह मंत्री थे, की गई जाँच का ब्यौरा जानने का अधिकार है। मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उस प्रतिवेदन को सारे ब्यौरों और तथ्यों के साथ प्रकाशित किया जाए।

उसमें कुछ रहस्य है पुस्तक में कहा गया है कि पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने धन लिया है। संबंधित पदाधिकारी इस बात से इन्कार करता है। यह सब बहुत स्पष्ट रूप में प्रकाशित किया जाना चाहिए और भारत सरकार को अमरीका की सरकार से यह अनुरोध करना चाहिए कि सभी तथ्य और आंकड़े प्रकाशित किए जाएं अथवा वे इस मामले की सारी फाइलें भारत सरकार को दे दे ताकि मामले की ठीक से छान-बीन और जाँच की जा सके।

हम चाहे किसी पार्टी से संबंध रखते हों, यह हम सभी के लिए शर्म की बात है। और शर्म यहाँ है क्योंकि अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं के अनुसरण में, इस में लोग विदेशी धन लेने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ बहुत से ऐसे संगठन हैं जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संगठनों के रूप में सक्रिय हैं। सरकार को उन पर उचित अंकुश लगाना चाहिए। और जांच करनी चाहिए। वहां मैं महसूस करता हूं कि हमारी आसूचना कमजोर है। मैं गृह मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरे जैसे साधारण लोग, जो सुबह टहलने के लिए जाते हैं, सभी दूतावासों की कारों को यहां से वहां दौड़ते हुए देखते हैं। एम्बैसी की कारें और उनमें बैठे लोग क्या कर रहे हैं? क्या यह पता करने का कोई प्रयास किया जाता है कि वे कहाँ आते-जाते हैं? क्या हम अकस्मात् इतने भूल गए हैं कि इस देश में जासूसी और भ्रष्टाचार को खुला निमंत्रण दे रहे हैं? यह क्या है?

हमारे सुरक्षा प्रबंध, विशेषकर, इस मामले में, सख्त किए जाने चाहिए क्योंकि इससे हमारे राष्ट्रीय हितों, राष्ट्रीय सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है सरकार को इसकी जाँच के लिए आयोग नियुक्त करने के बारे में आवश्यक उपाय

[श्री यादवेन्द्र दत्त]

करने के लिए आगे आना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि विपक्ष भी उनका साथ देगा ; जाँच संसदीय हो या न्यायिक उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उक्त मामले की विस्तृत जाँच अवश्य होनी चाहिए, और जो दोषी पाए जाएं उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। यदि कानून में परिवर्तन करना आवश्यक हो, तो संशोधन किए जाएं, लेकिन दंड अवश्य ही कठोर होना चाहिए ताकि यहाँ रहने वाले उच्चतम स्तर के व्यक्ति को भी यह ध्यान रहे कि सत्ता के लिए, यात्राओं अथवा अनुग्रह के लिए विदेशियों के साथ सौदेबाजी में कोई लाभ नहीं होगा।

बैठने से पहले, इस सदन के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ, क्या मैं इस सदन के सदस्यों को 'इलियाद' की एक प्रसिद्ध पंक्ति का ध्यान दिला सकता हूं : "उपहार देने वाले ग्राकों से सावधान रहें (बीवेयर आफ दि गिफ्ट-बीयरिंग ग्रीक्स)"। विदेशी लोग सोच रहे हैं कि उनके द्वारा भारतीय जनता, राजनीतिज्ञों या राजनीतिक पार्टियों के लिए लाए गए किसी उपहार से वे उन्हें अपने इशारों पर नचा सकते हैं। हमें यह याद रखना होगा कि किसी विदेशी द्वारा लाये गये उपहार के पीछे सदैव कोई शर्त होती है। इस देश में देशभक्ति की भावना संभवतया समाप्त हो गई है। चाहे वे विचारधारा की दृष्टि से बन्धु हों या आर्थिक दृष्टि से बन्धु या वे किस अन्य प्रकार से बन्धु हो, हमें याद रखना होगा कि यह देश हमारा है और हमारी निष्ठा बिना किसी शर्त के इस देश के प्रति होनी चाहिये।

अतः जो व्यक्ति इस देश के हितों के साथ धोखा करते हैं, विचारधारा के रूप में या आर्थिक रूप में या चाहे जिस रूप में, उनके विरुद्ध उचित कानून लाये जाने चाहिये ताकि इस देश की सुरक्षा बनी रहे और हम गर्व के साथ अपना सिर उठा सकें कि यह देश भ्रष्ट नहीं है, हमारे राजनीतिज्ञ भ्रष्ट नहीं हैं और हमारे लोगों को खरीदा नहीं जा सकता।

इन शब्दों के साथ मैं अपने माननीय मित्र, श्री कंवर लाल गुप्त के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि इस प्रश्न की जांच करने के लिए जांच आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर (त्रिवेन्द्रम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कभी सोचा भी नहीं था कि 20 वर्ष पूर्व मेरे छोटे से केरल राज्य में जो कुछ हुआ वह इस सभा में इतनी अधिक गरमागरम चर्चा का विषय बन जाएगा।

चाहे इस पुस्तक के गुणावगुण कुछ भी हों, यह प्रश्न उठाने का उत्तरदायित्व मोइनिहान पर है। उनकी पुस्तक में यह स्वीकार किया गया है कि इस देश के आन्तरिक मामलों में सी० आई० ए० हस्तक्षेप कर रहा था। हम अन्य पहलुओं पर बाद में चर्चा करेंगे। यहां एक भूतपूर्व राजदूत हैं जिन्होंने स्वीकार किया है कि सी० आई० ए० राजनीतिक दलों को किसी अन्य दल को हराने के लिये रिश्वत देकर हमारे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा था। विश्व के अन्य भागों में क्या हो रहा था, इसे सी० आई० ए० के भूतपूर्व आदमियों द्वारा पहले ही बताया जा चुका है और इन सब तथ्यों से हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिये। अब स्वयं मोइनिहान ने स्वीकार किया है कि उन्होंने इस देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है। सी० आई० ए० अध्यक्ष भी यह दावा करते हैं कि जब उनके हितों पर प्रभाव पड़ता है तो अन्य देशों में हस्तक्षेप करना उनका अधिकार है।

हाल ही में एक और निर्णय लिया गया कि अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिये सेना के लोगों की विशेष टुकड़ियां रखी जायें। हम पहले ही उनके अड्डों से घिरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में कम से कम हम जितना कर सकते हैं वह यह है कि सी० आई० ए० और हमारे सुरक्षा प्रबन्धों के बीच सम्पर्क को तोड़ा जाये। कम से कम इतना काम हम कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे गृह मंत्री यह सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही करेंगे कि सी० आई० ए० हमारे सुरक्षा संगठनों का सहयोग पाकर काम न कर सके।

अब मैं दूसरे पक्ष के प्रश्न पर आता हूं. . .

श्री कंवर लाल गुप्त : आप भारतीय साम्यवादी दल के सचिव हैं। अतः कृपया हमें बताएं कि उस समय क्या हो रहा था।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : मैं समझता हूं, आप ठीक कह रहे हैं। 20 वर्ष पहले इस देश के छोटे से राज्य में तीन ओर से चल रहे झगड़े में भारतीय साम्यवादी दल को सरकार बनाने के लिये बहुमत प्राप्त हुआ। तब तक ये सभी राष्ट्रीय नेता साम्यवादियों पर यह कह कर आक्षेप लगा रहे थे कि 'लोकतंत्र में आपका विश्वास नहीं है, हम लोकतंत्र के प्रणेता हैं' आदि, आदि। और जब उन्हें पता लगा कि चुनाव के माध्यम से साम्यवादी सत्ता में आ सकते हैं तो उनकी समूची विचारधारा बदल गई। यहां मैं यह बता दूं कि उस समय मैं साम्यवादी दल का सचिव था। वर्ष 1952 के चुनावों में ही हमारे राज्य में साम्यवादी दल ने राजनीतिक दृष्टि से एक निर्णायक स्थान प्राप्त कर लिया था। चर्च-भक्तों के कहने

पर साम्यवाद-विरोधी संगठन बनाया गया। उस दिन से लेकर अभियान जारी रहा और 1957 में जब साम्यवादी दल को बहुमत मिला तो इसके विरुद्ध सबसे पहली जो बात उठाई गई वह चर्च के नाम पर उठाई गई। सरकार में गंभीर विचार-विमर्श हुआ। प्रश्न यह था कि : 'लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने के लिये क्या हम साम्यवादी सरकार का समर्थन करें या तटस्थ रहें या साम्यवादियों का पक्ष लें ?' गरमागरम चर्चा के बाद यह निर्णय किया गया कि साम्यवादी एक खतरा हैं और इसलिये साम्यवादियों का मुकाबला करने के लिये सभी एक जूट हो जायें और यही हमारे राज्य में तथाकथित मुक्ति आन्दोलन का प्रारंभ था। उस समय, जैसा कि आपको मालूम है, श्रीमती इन्दिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थीं। अब, श्री एस० एन० मिश्र यहां उपस्थित नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : वह यहां उपस्थित है।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : तो उन्हें चाहिए कि हमें इस बारे में बतायें। इस मामले पर केन्द्र में विचार-विमर्श किया गया और उसके बाद उनकी समिति में इस पर विचार-विमर्श किया गया और निर्णय किया गया कि चूंकि साम्यवाद एक अन्तर्राष्ट्रीय खतरा है इसलिये साम्यवादी शक्तियों का मुकाबला करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों के साथ एकत्र होने में कोई बुराई नहीं है और इस प्रकार यह सारी घटना घटी।

महोदय, अमरीकी धन हमारे राज्य में अंधाधुंध खर्च किया जा रहा था। बहुत से लोग हैं जो रातोरात अत्यधिक धनवान हो गये। बहुत से ऐसे लोग हैं, जिन्होंने व्यापार आरंभ कर दिया और उस सब के लिये . . .

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : नायर सर्विस सोसाइटी वहां है।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : जी, हां। नायर सर्विस सोसाइटी है परन्तु गोविन्दन नायर और नायर सर्विस सोसाइटी दोनों भिन्न हैं।

पैसे से जो कोई भी खरीदा जा सकता था, खरीदा गया। अन्य प्रकार से जो कोई भी फुसलाया जा सकता था फुसलाया गया और मुझे यह जानकर बहुत दुःख हुआ कि हमारा मुकाबला करने के लिये कांग्रेस संगठन ने धन प्राप्त किया।

कांग्रेस संगठन, यहां के बहुत से युवकों के लिये, अन्य संगठनों की तरह चुनाव लड़ने का एक संगठन है। परंतु कांग्रेस का अपना इतिहास है। इस संगठन का निर्माण करने के लिये लाखों लोगों ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई में कष्ट भोगे हैं और फिर एक छोटी सी पार्टी के साथ लड़ने के लिए इसको बेच देना एक ऐसी बात है जिससे अधिक शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। मुझे स्वयं हमारा इतिहास याद आ गया। भूतकाल में भी यही कुछ हुआ था। अपने ही देश के एक अपने विरोधी से लड़ने के लिये हमने विदेशियों का सहयोग मांगा और हमारा देश गुलाम राष्ट्र बन गया। मेरा विश्वास था कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध और आजादी के लिये लड़ने वाली संस्था कम से कम यह याद रखेगी कि अपने देश के ही एक अपने विरोधी के साथ लड़ने के लिये विदेशी सहायता पर निर्भर न रहा जाये। परंतु वह विश्वास भंग हो गया।

क्या इस सब धन का लोगों पर कोई प्रभाव हुआ ? हमारे ऊपर दोषारोपण किया गया। मेरे पास उन सभी बातों का उल्लेख करने के लिये समय नहीं है। यदि मैं आज तक जिन्दा हूं यह एक अचम्भा है। उस समय हमारे राज्य में इस प्रकार का तनाव पैदा कर दिया गया था।

सी० आई० ए० तथा अन्य स्रोतों से धन आ रहा था। हमने चुनाव लड़े। 1957 में हमने 23 लाख मतों से चुनाव जीते। 1960 के चुनावों में हमने 35 लाख मतों से चुनाव जीते। हमारे मतों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई। सी० आई० ए० का धन, अथवा अमरीकी धन अथवा भारतीय धन हमारे राज्य के लोगों को हतोत्साही न कर सका।

मेरे मित्रों ने विधायकों को खरीदे जाने का उल्लेख किया। हां, एक सज्जन को यहां से भेजा गया था। अब वह जिन्दा नहीं हैं, मैं उनके नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता। उसने लोगों से सम्पर्क स्थापित किया और धन इकट्ठा किया गया। तीन लोगों को खरीदने का निश्चय किया गया। उन्होंने अपने भरसक प्रयास किये। विधायकों ने तत्काल हमसे सम्पर्क स्थापित किये। हमारे पास समाचार आया। हमने उनको हरी झण्डी दिखा दी और यह पता लगाने को कहा कि वे किस सीमा तक जायेंगे। वास्तव में उस समय नोटों में पैसा देने को पेशकश की गई थी। उन विधायकों ने कहा, "हम आप के पैसे को छू नहीं सकते। हम जा रहे हैं।" उस समय तक यह सज्जन, केन्द्र के दूत, यहां पर वापस आ गए थे और यह सूचना दे दी थी कि कांग्रेस द्वारा शक्ति ग्रहण करने के लिये सब कुछ तैयार हो गया है। केन्द्र में उस

[श्री एम० एन० गोविन्दन नायर]

समय एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और वह थे पंडित गोविन्द वल्लभ पंत। उन्होंने कहा, "केरल में इस समय चाहे कांग्रेस की सरकार नहीं है, मुझे इस का दुख नहीं परंतु यदि साम्यवादी प्रचार के लिये 3 लाख रु० व्यय किया जाता है तो यह मेरे लिये शर्म की बात है।" हर एक का विचार था कि साम्यवादी सरकार गिरने वाली है। परंतु यह नहीं हुआ।

साम्यवादियों के विरुद्ध यह प्रचार हर चुनाव के समय किया गया। 1962 के संसदीय चुनावों में इस प्रचार के बावजूद 46 प्रतिशत लोगों ने साम्यवादी दल को समर्थन दिया। संसदीय चुनावों के परिणामों ने यह स्पष्ट दिखा दिया। परंतु तब कुछ असम्भव घटना घटी और वह थी हमारी सीमाओं पर चीन का आक्रमण, साम्यवादी पार्टी में फूट पड़ गई, दुर्भाग्य से ऐसी बात हुई जिसके बारे में लोगों को विश्वास था कि कभी भी नहीं हो सकती। यदि उसके लिये कोई जिम्मेदार है तो वह केवल एक व्यक्ति है—वह कामरेड ज्योति बसु नहीं वह सुन्दरैया नहीं—उन सब में मतभेद थे परंतु उन सब का यह विचार था कि साम्यवादी दल का बंटवारा कभी नहीं होना चाहिये और इसको एकजूट रहना चाहिये और जो भी मतभेद हो आपस में निपटाये जाने चाहियें—वह है नम्बूदरीपाद। पार्टी के बंटवारे के लिये उत्तरदायी वह हैं और तब केरल में पार्टी का क्या हुआ। जब पार्टी का बंटवारा हुआ उस समय उनके 45 सदस्य थे। जब हमने 1967 के चुनावों में एकरूप हो कर चुनाव लड़े तो 55 स्थान प्राप्त हुए। तब आपसी लड़ाई प्रारंभ हुई। अगले चुनाव में उनको 28 और 1977 के चुनाव में 17 स्थान मिले। उनकी पार्टी फिर से नक्सलवादियों और मार्क्सवादियों में बंट गयी और एक तिहाई सदस्य फिर रह गये और पार्टी फिर से बंट गई। नम्बूदरीपाद इस समय मार्क्सवादी पार्टी के महासचिव हैं और बंटवारा करने वाले वे हैं। इसका कारण केवल यह है कि वह हमेशा सत्ता में रहना चाहते हैं।

अब श्रीमती इन्दिरा गांधी, जिन्होंने सत्ता में आने के लिये अपनी पार्टी का निर्माण किया, वह इस बारे में नम्बूदरीपाद की तुलना में नहीं आ सकती। अब उसने वक्तव्य देकर कहा है कि हमें भी सी० आई० ए० की पैसा मिल रहा था। यह बिल्कुल काला झूठ है, उनके जैसे व्यक्ति...

श्री समर मुखर्जी : आप भी उस पार्टी के साथ थे...

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : मुझे तुम्हारे बारे में कोई शिकायत नहीं है। उनमें ऐसी काला झूठ कहने का सामर्थ्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अब अपना भाषण समाप्त करना है।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : जब तक नम्बूदरीपाद मार्क्सवादी पार्टी के महासचिव बने रहेंगे उनका भविष्य अंधकारमय है। यह मेरा अपना विचार है। स्वयं में शक्ति केंद्रित करने के संबंध में इन्दिरा गांधी तो कुछ भी नहीं हैं। वह अपनी पृथक पार्टी चाहे बना लें। परंतु यह सज्जन, अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिये अपने समर्थन के लिये सैद्धांतिक स्पष्टीकरण देंगे जैसा कि जार्ज बर्नार्ड शा ने कहा "हत्या के लिये भी, ब्रिटिश लोग इसे सिद्धांत के अनुसार करते थे", उसी प्रकार नम्बूदरीपाद देश में साम्यवादी आंदोलन को तोड़ने तथा समाप्त करने के लिये, बंटवारे के लिये तथा उसे समाप्त करने के लिये कोई न कोई बहाना ढूंढ लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अगले वक्ता का नाम पुकार रहा हूं।

डा० बलदेव प्रकाश (अमृतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो प्रश्न सदन के सामने है वह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। विदेशी धन, अमरीका का रुपया इस देश की राजनीति के अन्दर इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस की तरफ से मांग हुई और इन्दिरा जी को वह रुपया मिला। अब यह सवाल नहीं पैदा होता कि रुपया आया या नहीं आया क्योंकि रुपया देने की बात जिस व्यक्ति ने कही है, श्री मोयनीहन ने, उन्होंने अपनी प्रैस कानफरेंस के अन्दर अमरीका में एक बात और कही है कि जो रुपया गया है वह मेरी जेब से नहीं गया, बल्कि वह सरकारी खजाने से गया है। सरकारी खजाने में वे आंकड़े मौजूद होंगे। वहां से पता लगाया जा सकता है कि कितना रुपया गया है और कब कब गया है। अब इन्दिरा गांधी से पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसने रुपया लिया और डकार गई। अब तो हमारी सरकार बताये कि क्या उसने उस प्रैस कांफरेंस के बाद अमरीका की सरकार से इस बारे में पता लगाया है, क्योंकि यह दो देशों के आपसी संबंधो का मामला है। क्या हम इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि अमरीका रुपया लगा कर इस देश के लोकतंत्र का विनाश करे? क्या सरकार इस नीति से सहमत है?

इसी लोक सभा में तत्कालीन गृह मंत्री, चौ० चरण सिंह, ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि किसी भी राजनैतिक दल को विदेशी धन लेने का कानूनी अधिकार नहीं है, और सरकार की तरफ से उसपर रोक है। मैं सरकार से

पूछना चाहता हूं कि अगर मोयनिहन ने कहा है कि अमरीका के सरकारी खजाने से दो दफा धन दिया गया, तो उसने अब तक उस बारे में क्या जांच की है। अगर वह रुपया आया है और अमरीका की सरकार ने दिया है, तो हमारी सरकार ने अमरीका की सरकार को क्या प्रोटेस्ट किया है ? किस अधिकार से, किस औचित्य से, किस जस्टिफिकेशन से अमरीका की सरकार ने इस देश के लोकतंत्र को तबाह करने के लिए अपने धन का प्रयोग किया ? गृह मंत्री जवाब दें कि उन्होंने इस बारे में क्या जांच की है।

स्टीफन साहब ने बहुत लम्बी-चौड़ी तकरीर की। लेकिन उनकी सारी प्रतिभा भी एक झूठ को छिपाने में कामयाब नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि फलां को रुपया दिया गया, इसको दिया गया, उसको दिया गया। यह कोई औचित्य नहीं है कि अगर फ़लां को दिया गया, तो श्रीमती इन्दिरा गांधी को भी मिलना चाहिए। इन्दिरा गांधी ने भी कह दिया कि मोयनिहन तो बड़ा झूठा है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी कौन सी सच्ची हैं। अगर इस देश में झूठ का कोई अवतार है, अगर इस देश की राजनीति में लगातार किसी व्यक्ति ने झूठ बोला है, सत्य, निष्ठा, नैतिकता, अखलाख और ईमानदारी से जिसका दूर का भी सम्बन्ध नहीं है, तो वह श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं। चाहे उनकी अपनी पार्टी के अन्दर का मामला हो, चाहे श्री संजीव रेड्डी के राष्ट्रपति के पद पर चुनाव का मामला हो, चाहे इमर्जेन्सी की एक्सेसिज का मामला हो, चाहे यह मामला हो कि संजय गांधी ने राजनीति से संन्यास लिया है या नहीं, कोई बताये कि क्या श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कभी सच्चाई से काम लिया। इस देश की राजनीति में श्रीमती इन्दिरा गांधी हमेशा सच्चाई से दूर रहीं।

जब मैं जेल में था, तो मैं ने उनके अनेक वक्तव्य पढ़े। इमर्जेन्सी के वक्त उन्होंने कहा कि इस देश में कोई राजनैतिक व्यक्ति जेल में नहीं है ; कुछ लोग पकड़े गये थे, वे छोड़ दिये गये हैं ; जो लोग जेल में हैं, वे एन्टी-सोशल एलिमेंट्स हैं, इकानोमिक आफ़ेंडर्ज हैं, स्मगलर्ज हैं, गुंडे हैं। एक दफ़ा नहीं, सौ दफ़ा उनका यह बयान निकला। क्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण एन्टी-सोशल थे ? क्या वह स्मगलिंग के कारण जेल में थे ? क्या श्री मोरारजी देसाई एन्टी-सोशल एलिमेंट थे ? क्या उस समय दो लाख राजनैतिक बंदी एन्टी-सोशल थे ? श्री एस० एन० मिश्र बैठे हैं—क्या वह एन्टी-सोशल थे ? हिन्दुस्तान की राजनीति में अगर कोई व्यक्ति हमेशा झूठ बोल सकता है, तो वह श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं। उन्होंने अपनी सियासी जिन्दगी में हमेशा दूसरों पर आरोप लगाये। क्या उन्होंने किसी को स्पेयर किया ? इमर्जेन्सी के बाद उन्होंने कहा कि जार्ज फ़र्नान्डिस ने चीन से रुपया लिया है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जापान से रुपया लिया है, वह अमरीका के एजेंट हैं, हिन्दुस्तान में जो गतिविधियां चलीं, वे अमरीका के रुपये से चलती रहीं। और वह खुद अमरीका से रुपया लेती रहीं। जिस व्यक्ति ने लगातार देश को धोखा दिया, जिसने लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए अमरीका के धन का उपयोग किया, मैं मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्ति पर स्पेशल कोर्ट में नहीं, बल्कि उसका पब्लिक ट्रायल होना चाहिए। स्टीफेन साहब ने एक बात और कही है कि उस समय तो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रेसीडेंट ही नहीं थीं जब मोयनिहन यहां थे या जब केरल के चुनाव हुए थे। लेकिन मोयनिहन ने कोई तारीख नहीं दी है। उन्होंने अपनी प्रेस कान्फरेंस में यह बात स्पष्ट की है और उन्होंने यह कहा है कि उन्होंने रेकार्ड देख कर के दो बार रुपया दिया गया यह जांच करवायी हैं। उस की तारीख क्या थी और कब इंदिरा गांधी प्रेसीडेंट थीं, वह उस रेकार्ड से पता लग सकता है। तो उन का आज यह दावा कि इसलिए रुपया नहीं लिया गया क्योंकि इंदिरा गांधी तो केरल के चुनाव के समय कांग्रेस की प्रेसीडेंट ही नहीं थी कोई माने नहीं रखता क्यो कि मोयनिहन ने फिर यह कहा है कि शी वाज ऐन आफिशियल ऐट दैट टाइम, वह वर्किंग कमेटी की मेम्बर हो सकती हैं, उन के पास कोई और ओहदा हो सकता है, जरूरी नहीं कि वह प्रेसीडेंट ही हो। लेकिन यह कहना कि इसलिए पैसा लेने की बात झूठ है क्योंकि वह उस समय प्रेसीडेंट नहीं थीं, इस का कोई मतलब नहीं है।

और बातें यहां पर कही गईं। लोक तंत्र की कुछ परम्पराएं हैं। हमारी पब्लिक लाइफ की भी कुछ नैतिकता है। अगर एक खबर छपी किसी नेता के मामले में या किसी सरकारी मंत्री के मामले में और अगर मंत्री ने उस को कांट्रैडिक्ट कर दिया तो फिर हमारी यह एक परम्परा है, राजनैतिक नैतिकता है कि हम उस मामले को यहां पर न उठाएं। लेकिन मुवक्किल झूठा तो उस से बढ़ कर के उस का वकील जो है वह अगर यहां पर कारगुज़ारी कर के न दिखाए तो उस को वाहवाही नहीं मिल सकती। तो स्टीफेन साहब ने उस बात को भी यहां पर उठाया जिस को विदेश मंत्री जी ने कांट्रैडिक्ट कर दिया था कि कोई डिनर नहीं हुआ, कोई वहां पर मिसेज़ कैरोली से वह मिले नहीं, बंकर से मिले नहीं और मोयनिहन एम्बैसेडर के घर आ कर उन से मिले, वह बात कांट्रैडिक्ट आफिशियली हो गई थी। उस को भी इन्होंने यहां पर उठा कर यह साबित करने की कोशिश की कि यह तो पुराने सम्बन्धो को जागृत करने के लिए वहां पर गए थे। कोई सम्बन्ध नहीं है इस का। मैं तो यह कहता हूं कि अगर किसी को भी रुपया मिला है चाहे वह कोई भी राजनैतिक पार्टी

[डॉ० बलदेव प्रकाश]

रही हो, चाहे वह कोई सोशल आर्गेनाइजेशन हो जिस ने राजनैतिक कारणों से, राजनैतिक लक्ष्यो को सामने रख कर रुपया लिया हो, उस की जांच यहां पर होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। विदेश का धन देश की राजनीति में किसी तरीके से भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। इस के बारे में फैसला होना चाहिए।

आज कुछ मूलभूत प्रश्न देश के सामने हैं। मैं इस सदन के सामने यह मांग रखता हूं। हमें इस मामले को इधर उधर आरोप-प्रत्यारोप लगा कर के एक तरफ नहीं करना चाहिए। इतने गंभीर प्रश्न को साइड ट्रैक नहीं करना चाहिए। मूल प्रश्न यह है कि क्या देश की राजनीति में विदेशी धन इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो क्या इस्तेमाल हुआ है? अगर हुआ है तो उस की रोकथाम कैसे की जाय और जिन्होंने किया है उन को हम किस प्रकार से दण्डित करें? ये तीन चीजें हैं जिन्हें लोक सभा के सामने स्पष्ट रूप में आना चाहिए और एक तरीके से नहीं, जैसा कि कहा गया है, बड़े तरीको से विदेश का धन इस्तेमाल होता रहा है। सी० आइ० ए० के अगेंस्ट कहा गया तो अमेरिका ने इंदिरा गांधी को रुपया दे दिया और रूस के विरोध में कहना शुरू किया तो रूस वालो ने रुपया दे दिया।

मैं आप के सामने एक और चीज रखना चाहता हूं। करेंट अखबार में छपा है—

"सोवियत संघ ने श्रीमती इन्दिरा गांधी की रजामन्दी से संजय गांधी को 60 लाख रुपये की राशि के मूल्य के ऐसे पेट्रोल सेविंग जेक मंगवाने के लिए आर्डर दिए, जिनकी सप्लाई तो मारुती द्वारा की जानी थी, लेकिन उनका उत्पादन बम्बई की एक प्रतिष्ठित फर्म द्वारा किया गया था।"

ऐसा छोटा सा एक पुर्जा जो पेट्रोल सेव करने का था, उस के 60 लाख के आर्डर उन्होंने लिए जो इस्तेमाल नहीं हो सकता था। क्यों? केवल राजनैतिक उद्देश्य से कि जब संजय गांधी ने रशियंस के विरोध में बोलना शुरू किया तो उन को खुश करने के लिए 60 लाख रुपये मारुति के अंदर रूस के आए और एक पुर्जा वहां पर बिका। क्या यह विदेशी धन का इस्तेमाल नहीं है और गलत तरीके से नहीं है? इस में क्या अपने राजनैतिक अधिकारों का दुरुपयोग नहीं है? इसी तरीके से विदेश का रुपया देश की राजनीति में आता रहा है।

मैं केवल यही मांग करना चाहता हूं कि आज जो तथ्य हाउस के सामने आए हैं जिन पर आज बहस हुई है, आज जनता की आंखें इन तथ्यों की ओर लगी हुई हैं और सरकार से आज मेरी यह मांग है कि इन तथ्यों को बिलकुल निरावरण कर के, बिलकुल स्पष्ट कर के, नंगा कर के जनता के सामने रखना चाहिए कि देश के इस लोकतंत्र में कौन विदेशी धन का इस्तेमाल करता रहा। जो भी करता रहा वह देश का द्रोही है, चाहे रूस का धन इस्तेमाल हुआ हो, चाहे अमेरिका का इस्तेमाल हुआ हो, चाहे किसी का भी धन इस्तेमाल हुआ हो, यह बात हमेशा के लिए सदन के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। जनता के सामने स्पष्ट तसवीर आनी चाहिए। ये लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण को अमरीका का एजेन्ट कहते रहे और उस समय सी० पी० आई० भी श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ थी, श्रीमती पार्वती कृष्णन भी श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ थी। कितना पैसा किस किस को मिला—इसकी बात आज ये नहीं कर रहे हैं बल्कि इधर उधर की बातें करके इसको साइडट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि दोषी कौन है और उसको सजा दी जाए —यह मेरी मांग है।

श्री राज नारायण (राय बरेली) : उपाध्यक्ष जी, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। दोपहर को जब मैं घर गया तो आपके कार्यालय से हमारे पास टेलीफोन गया कि आज आपका नाम बोलने वालों की लिस्ट में नहीं है। मैंने पूछा कि क्यों नहीं है तो उन्होंने कहा कि आपने नाम भेजा नहीं। फिर हमने अपना दफ्तर खुलवाया और मुझे यह कापी मिली है :

"दिनांक 28 अप्रैल, 1979

माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक सभा,

महोदय,

मोयनिहन सम्बन्धी विदेशी पैसे का लेन-देन और सन् 1967 के चुनाव में सी० आई० ए० द्वारा दिए गए धन के संबंध में दिनांक 7-5-79 को होने वाली बहस में मैं भाग लेना चाहता हूं। सधन्यवाद,

आपका,

राज नारायण (विभाजन सं० 100)"

यह 27 अप्रैल की चिट्ठी है और आज 7 मई है। मैं जानना चाहता हूं पार्लमेन्ट की डिक्टेटरशिप क्या है। मैंने यह चिट्ठी आपके पास लिखकर भेजी। और अभी हमारे पास लिखकर आया आपके यहां से कि व्हिप ने आपका नाम नहीं भेजा तो क्या व्हिप डिक्टेटर हैं ? इसलिए यह सवाल ऐसा नहीं है जो यहीं पर रह जाए।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : तो व्हिप ही बैठें चेयर पर।

श्री राज नारायण : वही बैठकर जिसका नाम चाहें बोलें और न चाहें न बोलें।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, उस समय आप हमारे नेता थे राज्य सभा में, उस समय 1967 के चुनाव के लिए सी० आई० ए० के धन के संबंध में सभी पार्टियों के नाम लिखे गए--जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, कांग्रेस तथा अन्य पार्टियां --केवल एक पार्टी का नाम नहीं लिया गया, सोशलिस्ट पार्टी जोकि डा० लोहिया की अमानत है। तो इसके बारे में बहस क्यों न हो। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या गांधीजी की समाधि पर शपथ लेने वाले विदेश के पैसे से देश की राजनीति चलाने वाले इस देश की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकेंगे ? मैं कहता हूं, नहीं। यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस प्रश्न पर किस तरीके से हम आगे बढ़े ? क्या यह व्यवस्था है या अव्यवस्था है ? क्या किसी संविधान में किसी चीफ व्हिप को इतना अधिकार दिया गया है कि जिसको चाहे बोलने दे, जिसको न चाहे न बोलने दे ?

उपाध्यक्ष महोदय : राज नारायण जी, आप पार्टी सिस्टम को खूब समझते हैं।

श्री राज नारायण : मैं डिमोक्रटिक सिस्टम भी जानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब पार्टी सिस्टम आपरेट कर रहा है तो व्हिप के पास अपना नाम भेज देते तो शायद वे भी आपका नाम यहां भेज देते। व्हिप के पास आपका नाम नहीं था। यह मुझे बताया गया है कि आपने सेक्रेटरियट को लिखा था।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : नियम 195 के अन्तर्गत... मैं इसी विषय पर बोल रहा हूं। नियम 195 के अंतर्गत....

उपाध्यक्ष महोदय : चाहे आप किसी भी विषय पर बोल रहे हों। मुझे उन्हें उत्तर देना चाहिए। मैं पहले श्री राज नारायण के व्यवस्था संबंधी प्रश्न का जवाब दे रहा हूं।

श्री वसन्त साठे : जब तक आप मेरी बात नहीं सुन लेते, आप उसका जवाब नहीं दे सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री साठे, मैंने जवाब देना पहले ही शुरू कर दिया है, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। मुझे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं जो कुछ कर रहा हूं, वह मैं जानता हूं।

श्री राज नारायण : श्रीमन्, मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूं, असल बात यह है कि मैंने उनसे भी बात की टेलीफोन पर और उन्होंने कहा कि आप अध्यक्ष को लिखकर भेजिए और हमने अध्यक्ष को लिखा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह हम को पता नहीं है।

श्री राजनारायण : चीफ़ व्हिप को मैंने अस्पताल से टेलीफोन द्वारा सूचित कर दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : असल में व्हिप की एक लिस्ट यहां पर है। पहले तो व्हिप की लिस्ट को प्रायरिटी मिलेगी और आप का नाम भी यहां है। आप ने इन्डिविजुअल स्लिप भेजी है और दूसरे लोगों ने भी भेजी है। उस में आप का नाम नम्बर 1 पर है। इसलिए जब व्हिप की लिस्ट खत्म हो जाती है, तो आप को समय दे सकते हैं। आप का नम्बर 1 पर नाम है और इन्डिविजुअल स्लिप्स सिर्फ आप की ही नहीं है, और सदस्यों की भी है।

श्री वसंत साठे : महोदय, कृपया नियम संख्या 193 और 195 को पढ़ने का कष्ट करें।

नियम 193 में यह कहा गया है :

"अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर चर्चा उठाने का इच्छुक कोई सदस्य उठाए जाने वाले विषय का स्पष्टतया तथा सुतथ्यतया उल्लेख कर सचिव को लिखित रूप में सूचना दे सकेगा।"

इसके बाद, कृपया आप नियम 195 को देखें। मैं पढ़ता हूं :

"सभा के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो, वह संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा और मन्त्री संक्षेप में उत्तर देगा। जिस सदस्य ने अध्यक्ष को पहले से सूचित कर दिया हो, उसे चर्चा में भाग लेने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।"

इसमें अध्यक्ष का स्वविवेक निर्णायक होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री साठे, मैंने अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। हम पार्टी सिस्टम को मानते हैं। मैं अपने स्वविवेक का प्रयोग कर रहा हूं, और इसलिए, सभा का और समय नष्ट न करें।

श्री राज नारायण : आपने जो कहा, हम वही चाहते हैं। जब आप अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल करेंगे, तो चीफ व्हिप की लिस्ट अलग रह जाएगी और आप हम को बुला लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ ऐसे दस्तूर हैं, जिनका हम अनुपालन करते हैं। अतः अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करते समय मैं उन मानदंडों का पालन करूंगा।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि यह चर्चा मुझे अत्याधिक असमान्य लगी और दूसरी प्रकार से इसे असाधारण कहा जा सकता है। यहां इस प्रकार की चर्चा तब तक नहीं होनी चाहिए थी, जब तक कि विशिष्ट विषय, अर्थात्, "हमारे देश की लोकतान्त्रिक राजनीति में विदेशी प्रभाव और विदेशी धन की रुग्णता और महामारी", को ही चर्चा का केन्द्र न बनाया जाता। यदि इस मुद्दे के मूल को नहीं समझा जाता और यदि इस चर्चा से कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जाता कि इस विदेशी धन से किस प्रकार हम कारगर ढंग से छुटकारा पा सकते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि विभिन्न दलों के बीच में मौखिक रूप से अपशब्दों के आदान-प्रदान से क्या फायदा है ?

महोदय, मैं श्री राज नारायण द्वारा उठाए गए मुद्दे पर कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि इस संबंध में अभी-अभी आपने ही बहुत कुछ कहा है, लेकिन मुझे विपक्ष की यह बात कहनी है कि इस तमाम मामले में कुछ घपला है और पैसा केवल श्रीमती गाँधी तथा कांग्रेस दल को ही नहीं दिया गया, अपितु दूसरों को भी दिया गया है और सम्भवतः यह इसी बात से सिद्ध होता है कि किसी विशेष दल से कतिपय विशेष व्यक्तियों को ही बोलने के लिए आमन्त्रित किया जा रहा है और हिस्सा लेने के इच्छुक सभी व्यक्तियों को नहीं बुलाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि शासक दल के और अधिक घटक भाषण देने के लिए एक के बाद एक करके आएं। अन्यथा यह चर्चा किसी विशेष मुद्दे के पक्ष में या विपक्ष में पक्षपातपूर्ण हो जाएगी।

उपर्युक्त के पश्चात् मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री मोयनिहन द्वारा फैंका गया विस्मयकारी और सनसनीखेज कुटनीतिक बम सम्भवतः उनके अपने चरित्र और व्यक्तित्व को दर्शाता है। उनका व्यक्तित्व रंगीन और विवादास्पद रहा है। उन्होंने कभी ऐसी बातें नहीं कहीं हैं, जो बिलकुल सच हों और सम्भवतः न ही उन्होंने कभी ऐसी बातें कहीं हैं, जो बिलकुल असत्य हों। शायद यह सभी राजनीतिज्ञों और कूटनीतिज्ञों का दस्तूर है। लेकिन देखना तो यह है कि यह चर्चा सरकार को इस मामले के सभी तथ्यों को उजागर करने के लिए बाध्य कर दे। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में किस प्रकार विदेशी पैसा अथवा उक्त मामले के लिए, अमरीकी धन अथवा रुसी धन झोंका जा रहा है और किस प्रकार यह हमारी लोकतांत्रिक राजनीति तथा लोकतान्त्रिक पवित्रता को विकृत कर रहा है और इसे निरर्थक बना रहा है। मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री इस वाद-विवाद का उत्तर देंगे। मैं तो यह भी आशा करता हूं कि गृह मंत्री यह आश्वासन देंगे और विश्वास दिलाएंगे कि सरकार सभी तथ्यों को उजागर करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरे पास पूरे विवरण प्रस्तुत करने का समय नहीं है, अतः मैं केवल पृष्ठ संख्या बताते हुए उद्धरण का सन्दर्भ देता हूं। मोयनिहन की इस पुस्तक 'ए डेन्जरस प्लेस' के पृष्ठ 41 पर इन शब्दों के साथ एक उद्धरण शुरू हो रहा है

"हमने दो बार..."

हम का तात्पर्य अमरीकीयों से है,—

"केवल दो बार, एक राजनीतिक दल को पैसा देकर भारतीय राजनीति में दखल दिया है..."

आदि, आदि और यह उद्धरण इन शब्दों के साथ समाप्त हो रहा है—

"अब भी, चूंकि हम उसे कोई पैसा नहीं दे रहे हैं..."

'उसे' का तात्पर्य श्रीमती गांधी से है—

"यह बात स्वाभाविक थी कि उसे यह आश्चर्य होना चाहिए कि यह हम किसे दे रहे थे। यह कोई ऐसी प्रथा नहीं है, जिसे प्रोत्साहन दिया जाए।"

अब महोदय, मेरा वाद-विषय यही है। यह केवल इतनी ही बात नहीं है कि दो बार पैसा दिया गया और न ही यह कि पैसा कांग्रेस दल अथवा श्रीमती गाँधी को दिया गया, जो कि विचाराधीन मुद्दा है। सरकार को आगे बढ़कर यह बताना चाहिये

--यदि वह ईमानदार है--कि यह विदेशी धन किन-किन दलों, संगठनों और एसोसिएशनों को दिया गया और किन प्रयोजनों से दिया गया तथा क्या सरकार अंतिम रूप से यह बताना चाहेगी कि यह मामला केवल भूतकाल की निर्जीव बात बन जाएगा और भविष्य में इस बीच और अभद्र प्रथा को रोक दिया जाएगा।

महोदय, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वास्तव में विषय मोयनिहन अथवा उसकी पुस्तक से सम्बन्धित नहीं है। इन बातों को तो अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा केवल बढ़ावा देना और उकसाना ही कह सकते हैं। लेकिन हमारी संसद में आज जो मूल बात विचारणीय है वह इससे अधिक व्यापक और गंभीर है, क्योंकि इससे हमें चोट पहुंचती है, हम प्रभावित होते हैं और यह हमें हमारी छवि, हमारी जनता की छवि, हमारे देश की छवि, हमारे राजनीतिक दलों और राजनीतिज्ञों की छवि का आत्मविश्लेषण करने, उनको दुरुस्त करने तथा उनमें सुधार लाने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है।

और यहां इस मुद्दे के बारे में, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। मैं यह इसलिए चाहता हूं क्योंकि आत्मविश्लेषण दलगत राजनीति की और लोकतान्त्रिक राजनीति की सफाई के लिए है तथा इसलिए है कि भारत की सही छवि की कल्पना की जा सके। मैं इसके साथ-साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि भारत सरकार अमरीकी सरकार से सीधे ही आवश्यक ब्यौरा प्राप्त करने में क्यों झिझक रही है। इस बात का कोई फायदा नहीं है कि गृह-मंत्री यह कहे कि दिल्ली में स्थित अमरीकी दूतावास से सूचना मंगवाई गई है और जवाब में अमरीकी दूतावास कहे 'हमें कुछ नहीं कहना है'। उपाध्यक्ष महोदय, दूतावास अधिकारियों अथवा दूतावास कर्मचारियों से इसके अलावा आप क्या आशा कर सकते हैं कि वे कहें 'हमें कुछ नहीं कहना है'। आखिरकार, वे कूटनीतिज्ञ होते हैं और वे यही कहेंगे 'हमें कुछ नहीं कहना है'। लेकिन श्री एच० एम० पटेल और सरकार को अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट से सीधा सम्पर्क बनाने से तथा गत वर्षों में वास्तव में क्या हुआ है, के बारे में पूछने से कौन रोकता है। यह इस विचार से पूछा जा सकता है कि हम ऐसी बातों से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं। मैं यह इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि महोदय, मेरा विश्वास है कि सी० आई० ए० के धन का प्रयोग न केवल विशेष रूप से भारत में ही, बल्कि बहुत से विकासशील तथा विकसित देशों के राजनीतिक, घरेलू और आन्तरिक मामलों को विकृत करने तथा उनमें बाधा पहुंचाने में ही हुआ है,--बल्कि सी० आई० ए० के धन का प्रयोग सरकारों को बदलने, सरकारों को तोड़ने, नेताओं की हत्या करवाने और हर प्रकार की राजनीतिक उथल-पुथल करवाने में हुआ है। और यह केवल इसलिए ही नहीं कि ऐसा मैं सोचता हूं और कहता हूं ; मैं यह साधिकारपूर्वक कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि वाशिंगटन से दिनांक 2 मई के 'रियूटर मैसेज' में यह स्पष्ट कहा गया है और मैं यहां इसे कोट करता हूं।

> 'राष्ट्रपति कार्टर के प्रवक्ता ने कल यह बताया था कि व्हाइट हाऊस ने अमरीकी आसूचना एजेन्सियों के लिए एक नया घोषणपत्र निकाला है, जो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना बड़े परिवर्तनों वाली कार्यवाहियों पर रोक लगाएगा।'

अतः राष्ट्रपति कार्टर अब यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अब इसके बाद लोकतांत्रिक देशों के आन्तरिक मामलों में बाधा पहुंचाने के लिए सी० आई० ए० के किसी पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। कुछ अमरीकी सरकारें सम्भवतः भारत को पसन्द न करें ; सम्भवतः वे हमारे राजनीतिज्ञों को पसन्द न करें आदि, आदि। हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हमारा गौरव तथा आत्मसम्मान विकासशील जगत में भारतीय के रूप में, भारत-राष्ट्र के रूप में और इनसे अधिक महत्वपूर्ण भारतीय लोकतंत्र के रूप में दांव पर लगा है। और अंतिम रूप से अब समय आ गया है, जबकि हमें न केवल राष्ट्रपति कार्टर को तथा अमरीका-वासियों को ही, बल्कि मोयनिहन को भी अपने विचार साफ तौर से बता देने होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, श्री मोयनिहन सिनेटर हैं और मैं समझता हूं कि वह राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों में से एक हैं। और यदि ऐसा कार्टर ने कहा होता, तो पक्की तौर पर इसका यह अर्थ होता कि मोयनिहन की बात भी महत्व रखती है। और यहां मैं यह मुद्दा उठाना चाहता हूं कि यह क्या बात है और क्यों है कि हम अमरीका से सूचना प्राप्त करना नहीं चाहते ? मुझे विश्वास है कि अमरीका में लागू 'फ्रीडम आफ इन्फोरमेशन एक्ट' अमरीकी सरकार को किसी भी ऐसे अमरीका-वासी को वह सूचना देने के लिए बाध्य करता है, जिसके द्वारा इसके विषय में पूछा गया हो। भारत सरकार इस एक्ट का फायदा क्यों नहीं उठाती? केवल यही स्पष्टीकरण या कहना चाहिए केवल यही शर्त है कि अमरीका की सरकार ऐसी कोई सूचना नहीं देगी, जिससे अमरीका की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता हो। बस इतना ही है। लेकिन भारत में किसी एक राजनीतिक दल को अथवा कई दलों को या दूसरे देशों के राजनीतिक दलों को पैसे देने का सवाल अमरीका की सुरक्षा से तो जुड़ा हुआ नहीं है। अतः मेरा यह विश्वास है कि यही ठीक और उचित होगा कि सूचना प्राप्त करने के लिए हमें अमरीका की सरकार से अवश्य अनुरोध करना चाहिए।

[प्रो० पी० जी० मावलंकर]

अन्त में, हमारी संसदीय प्रणाली विभिन्न राजनीतिक दलों पर निर्भर करती है । मैं अपने आप किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हूं । लेकिन मैं यह स्वीकार करता हूं कि आज के जमाने में राजनीतिक दल होने चाहिएं और शायद लोकतन्त्र में यह दल-प्रणाली अपेक्षित भी है। मैं स्वीकार करता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है और सच तो यह है कि राजनीतिक दल संसदीय लोकतंत्र को कार्यशील बनाते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि शीशे के मकानों में रहने वालों को दूसरों पर पत्थर फेंकने से खबरदार रहना चाहिए । अब मुद्दा यह है कि सम्भवतः यह बात सच है जिसका श्री मोयनिहन की पुस्तक में उल्लेख है, कि श्रीमती गांधी और कांग्रेस दल से पैसा लिया है। लेकिन मैं इस देश के उन अन्य व्यक्तियों के नाम जानना चाहता हूं, जिन्हें अमरीका से पैसा मिला है, और जिन्होंने राज-नीतिक प्रयोजनों के लिए अमरीकी विदेशी धन अथवा अन्य विदेशी धन प्राप्त किया है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं लग जाता और जब तक यह हमारे सामने उजागर नहीं होता, तब तक हम उचित कदम उठाने और अपने राजनीतिक प्रणाली तथा लोकतांत्रिक पवित्रता को बेदाग बनाने में समर्थ नहीं होंगे।

महोदय, राजनीतिक दलों के लिए अपने वार्षिक खातों की लेखा-परीक्षा करवाने की शर्त होनी चाहिए। राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाली धनराशि और आय तथा उनके खर्चों की लेखा परीक्षा होनी चाहिए और उन्हें यह स्पष्ट बताना चाहिए कि उन्होंने किस स्रोत से पैसा प्राप्त किया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने एक 1974 में तथा दूसरी 1977 में चुनाव सुधार संबंधी दो समितियां नियुक्त की थीं, और यह मेरा सौभाग्य था कि मैं इन दोनों समितियों का सदस्य था। हमारी रिपोर्टें वहां हैं और हमने अपनी रिपोर्टों में चुनाव प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता तथा राज-नीतिक दलों की आय, प्राप्त धनराशि और व्यय की अपेक्षित लेखा-परीक्षा करवाने के बाद राजनीतिक दलों की वार्षिक रिपोर्टों के प्रकाशन और उसके रख-रखाव की आवश्यकता का उल्लेख किया है। मैं यह मांग करना चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दल और सभी वर्गों के राजनीतिज्ञों के लिए सही-सही रिकार्ड का रख-रखाव करना आवश्यक हो जाना चाहिए।

अब अन्त में मैं यह सुझाव देते हुए समाप्त करना चाहता हूं कि यह वह समय है जब संसद को इसकी पूरी-पूरी जांच करवाने के लिए कदम उठाने चाहिए; मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि यह संसदीय समिति द्वारा होनी चाहिए अथवा किसी अन्य जांच-निकाय द्वारा होनी चाहिए। सरकार को अब हमें यह बताना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय को बताना चाहिए और विभिन्न वर्गों को इस पर विचार करना चाहिए कि इसके लिए क्या कार्य प्रणाली है, ताकि हम अपनी जनता को विश्वास दिला सकें कि हमारे देश में स्पष्ट, ईमानदार और खरी राजनीतिक दल प्रणाली विद्यमान है और हम अपने आन्तरिक कार्यकरण तथा लोकतांत्रिक पवित्रता के मामले में अमरीका अथवा किसी अन्य विदेशी प्रभाव में आकर कायरता नहीं दिखाना चाहते।

श्री ब्रज भूषण तिवारी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज का यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और यह सही है कि यह मामला केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रतिष्ठा से संबंधित नहीं है। यह मामला इतना गम्भीर है कि इससे भारत सरकार, भारत की जनता और भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है । इस प्रकार के आरोप बराबर लगाये जा रहे हैं और किसी साधारण व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि ऐसे लोग जो सत्ता के सब से शिखर पदों पर आसीन रहे हैं, परन्तु आश्चर्य की बात है कि आज तक उसके सम्बन्ध में सरकार ने कोई गम्भीरता का रुख नहीं लिया और जांच पड़ताल नहीं करायी। इन्दिरा जी के जमाने में भी जब कोई आन्दोलन हुआ या चुनाव के मौके पर या नेताओं के बारे में कई बार यह सवाल उठाया गया कि विदेशी धन देश की अन्दरुनी राजनीती में इस्तेमाल किया जा रहा है। और इतना ही नहीं उन्होंने अभी हाल के बयानों में कहा है कि मुझे सत्ता से हटाने में विदेशी शक्तियों का हाथ है

परन्तु जब वह गद्दी पर थी, तब भी सिवाये बयान देने के कोई ठोस कार्यक्रम या कोई ठोस कार्यवाही उसकी जांच के सम्बन्ध में नहीं की गई। आज जनता पार्टी की सरकार है, जिसने सार्वजनिक जीवन में इमानदारी, सादगी और पवित्रता लाने की शपथ ली थी। एक भूतपूर्व राजदूत द्वारा एक किताब में स्पैसिफ़िकली, स्पष्ट रूप से, नाम दिया गया है--और वह भी ऐसे व्यक्ति का, जो देश में सत्ता के उच्च शिखरपर बैठा था--, तब भी आज तक उस संबंध में कोई जानकारी देश और सदन को नहीं दी गई ।

मैं चाहता था कि विदेश मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, यहां पर हमें तमाम तथ्यों से अवगत करायें, क्योंकि वह भी इस सारे खेल के एक अंग बने हुए हैं। अभी अमरीका में प्रवास के दौरान उनकी मोयनिहन से बात हुई । उसके

सम्बन्ध में अखबारों में कई प्रकार की रिपोर्ट आई। कभी मोयनिहन ने किसी बात को अस्वीकार किया, और कभी हमारे विदेश मंत्री जी ने अस्वीकार किया ।

[(अध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**)]

इस लिए में चाहता था कि वह सदन में स्पष्ट रूप से बतायें कि मोयनिहन से उनकी क्या बात हुई और उन्होंने किन तथ्यों को जानकारी ली अमरीका में एक पत्रकार ने मोयनिहन से सवाल पूछा था कि आखिर कितना पैसा अमरीकी सरकार, या अमरीका की संस्था, सी० आई० ए०, ने दिया, और किन लोगो को दिया। उस पर मोयनिहन ने कहा कि अगर भारत सरकार अमरीका की सरकार से सम्पर्क करे, तो अमरीका की सरकार ये सारे तथ्य उसे बतायेगी। इस लिए मैं पूछना चाहता हूं कि जो आदमी आरोप लगाता है, जब वह साफ़ तौर पर कहता है कि अमरीका की सरकार से सम्पर्क करने पर ये सारे तथ्य मिल सकते हैं, तो क्या गृह मंत्री या सरकार ने इस सम्बन्ध में अमरीका की सरकार से कोई सम्पर्क किया, और क्या कोई तथ्य उन्हें मालूम हुए है ; यदि हां, तो उन तथ्यों को इस सदन में रखा जाना चाहिए ।

यह एक बहुत बड़ा सवाल है । अगर देश में लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए विदेशी धन का इस्तेमाल किया जाये, तो एक बड़ा संकट पैदा हो जायेगा। जैसा कि कई सदस्यों ने कहा है, डेवेलपिंग कंट्रीज में ऐसे प्रयास हो रहे हैं । भारत में भी अभी हम लोग जिस इमर्जेन्सी में रहे, जिस तरह यहां के लोकतंत्र को नष्ट किया गया, उन तथ्यों को देखने से मुझे लगता है कि यह भी विदेशी शक्तियों के इशारे पर किया गया। विदेशी ताकतों द्वारा कई तरीकों से अपने प्रभाव का इस्तेमाल हो सकता है । पैसा दे कर, मदद कर के, उनकी बात की पुष्टि कर के, विश्व में उनके पक्ष में जनमत बनाने में योगदान कर के—कई प्रकार से देश की राजनीति और राजनीति में भाग लेने वाले बड़े प्रभावशाली नेताओं को प्रभावित किया जा सकता है ।

आप देखते हैं कि भारतवर्ष में चुनाव कितने खर्चीले हो गये है। उन्हें खर्चीला किस ने बनाया ? विरोधी दल के लोगो ने नहीं बनाया। जो लोग हुकूमत में थे, जिनके पास सारे साधन थे, उन्होंने चुनाव को बहुत ख़र्चीला बनाया। इसका परिणाम यह हुआ कि चुनाव दूसरे राजनैतिक दलों और व्यक्तियों की पहुंच के बाहर हो गये हैं। इसका परिणाम यह भी होगा कि वही लोग सत्ता में रहेंगे, जिनके पास चाहे देश की मोटी बिल्ली कब्जे में हो, या देश के बाहर की मोटी बिल्ली कब्जे में हो ।

एक माननीय सदस्य : मोटी मुर्गी ।

श्री ब्रज भूषण तिवारी : मुर्गी समझ लीजिए ।

अगर मनी पावर, चाहे वह देश की या देश के बाहर की हो, हमारे चुनावों को प्रभावित करेगी, तो निष्पक्ष चुनाव सम्भव नहीं होगा ! अगर निष्पक्ष चुनाव सम्भव नहीं हैं, तो संविधान में 18 वर्ष के लोगों को मताधिकार देने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जब इतना गंभीर प्रश्न है तो इस पर अभी तक चुप्पी क्यो साधी गई ? गांधी जी ने कहा था कि अगर हमें देश की राजनीति करने के लिए देश की जनता से पैसा नहीं मिलता तो बजाय इसके कि हम राजनीति को चलाने के लिए विदेशी धन का इस्तेमाल करें, उससे अच्छा होगा कि हम राजनीति करना बन्द कर दें । यह गांधी जी ने कहा था ।

दूसरी बात यह है कि जो मोयनिहन साहब ने अपनी किताब में लिखा है वह अभी पूरे तरीके से साफ नहीं हो पाया कि यह सी आई ए फंड का पैसा था या एम्बैसी के डिस्क्रीशनरी फंड का था क्यों कि एम्बैसी का डिस्क्रीशनरी फंड भी होता है । यह लोगों में चर्चा भी है और यह सही भी है कि केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं, अन्य दलों एवं व्यक्तियों को भी विदेशी धन मिला है । 1967 के चुनाव के बारे में इसी सदन में चर्चा हुई थी और उस में तमाम दलों और व्यक्तियों के नाम आए थे जिन्हें विदेशी धन मिला था अमेरिका ने जो सारा पैसा दिया वह ऐंटी कम्यूनिज्म के लिए दिया। साम्यवादी आन्दोलन या साम्यवादी विचार के खिलाफ उस पैसे का इस्तेमाल किया गया। तो जो विचार-धारा या जो संगठन साम्यवादी विचार के खिलाफ लड़ते थे उनको वह पैसा दिया जाता था, ऐसा मोयनिहन ने कहा है और उस में उस समय की तत्कालीन सरकार का भी इस्तेमाल हुआ। इसी प्रकार से साम्यवादी विचारधाराओं को फैलाने के लिए तमाम प्रकार से, तमाम स्रोतों से इस देश में पैसे का इस्तेमाल हुआ है । तो मेरा केवल यही कहना है कि जब तक इन सारी शंकाओ का समाधान नहीं किया जाता और जब तक हमारे विदेश मंत्री साफ साफ और सीधे तौर पर उन के अपने और मोयनिहन के बीच में हुई वार्त्ता को देश और सदन के सामने नहीं रखते, तब

[श्री ब्रजभूषण तिवारी]

तक यह शंका बनी रहेगी और अगर यह शंका बनी रही तो यह बहुत ही खतरनाक बात है । इस से सरकार की शाख गिरती है, देश की जनता की शाख गिरती है और देश के लोकतंत्र की शाख गिरती है क्योंकि यह सारी कार्यवाही केवल डेवलपिंग मुल्कों में, केवल गरीब मुल्कों में ही संभव है । अमेरिका में यह संभव नहीं है, रूस में यह संभव नहीं है कि वहां विदेशी धन का इस्तेमाल हो । किन्तु ये जो विदेशी ताकतें हैं ये इस का इस्तेमाल करती हैं और हमारे देश में फासिस्टवादी, तानाशाह और तंगनजरिया वाले लोगों के द्वारा लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इतने बड़े गंभीर सवाल पर चाहे पार्लियामेंट्री प्रोब हो या उस के लिए और भी कोई जांच बैठाई जाय और चव्हाण साहब के समय में या सी बी आई द्वारा जो जांच हुई थी उसकी भी क्या रपट है वह भी स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए क्यों कि लगता है कि दाल में कुछ काला है, लोगों के दामन फसें हुए है, इसलिए सफाई से कोई किसी को कहने के लिए तैयार नहीं है । परन्तु यह चीज चलेगी नहीं । देश की जनता के सामने साफ तौर से लोगो के चेहरे को बेनकाब करना होगा और अपने लोकतंत्र को सबल करने के लिए संकल्प लेना होगा ।

श्री युवराज (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मामला आज देश के सामने प्रस्तुत है । आज सम्पूर्ण भारत की बुद्धिजीवी जनता वर्तमान सरकार की तरफ उत्सुकता के साथ देख रही है । जब से यह सवाल पैदा हुआ, इस किताब का प्रकाशन हुआ, एक खतरनाक स्थान पर खतरनाक तथ्यों को उजागर किया गया, तब से अब तक सरकार ने इस सम्बन्ध में पता लगाने का कौन सा प्रयत्न किया? अमेरिका के भूतपूर्व राजदूत और इंदिरा शासन से मधुर सम्बन्ध रखने वाले डेनियल पैट्रिक मोयनिहन इस दुनिया में एक बहुत ही पढ़े लिखे आदमी माने जाते हैं । उन्होंने नौ किताबें लिखी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वह प्रोफेसर आफ गवर्नमेंट हैं और चाहे वह यहूदी हो या किसी दूसरी जाति के हो, इन सवालों का उस से कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रश्न यह है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कांग्रेस आफिशियल की हैसियत से पैसा लिया या नहीं और उस पैसे का भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर कोई प्रभाव पड़ा या नहीं ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो दो बार उन्होंने यह जिक्र किया कि पैसा दिया गया और एक बार पैसे की बैसाखी इन्दिरा जी के हाथों में थमा दी गई । मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति पर अमरीका के प्रभाव की चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा, इतना ही नहीं कि पैसा दिया, उन्होंने कहा कि पी एल 480 के तहत जो देश को बहुत बड़े पैमाने पर अनाज दिया गया उसके चलते देश के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने का समय आ गया था । जो देश गरीब होता है उसको पूंजीवादी देश पैसा देकर वहां के सार्वजनिक जीवन को कलुषित करते है ।

अध्यक्ष महोदय, आपने चिदांबरम चेट्टियार स्मारक में भाषण देते हुए कहा था कि चुनाव प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है । और इस बज सत्र का उद्घाटन करते हुए हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा था कि चुनाव पद्धति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है । आज पैसे से चुनाव और चुनाव से सत्ता–जबतक चुनाव की यह प्रणाली बनी रहेगी तबतक हमारे सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार लोप नहीं हो सकता है । केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है । मैं कहना चाहता हूं कि इस तथ्य का तो पता जरूर लगाया जाना चाहिए और इसका निदान भी ढूंढना चाहिए । केवल सत्ता पक्ष की यह जिम्मेदारी नहीं है, केवल स्टीफन साहब की यह जिम्मेदारी नहीं है बल्कि इसे सदन में बैठने वाले तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि आखिर हमारा सार्वजनिक जीवन दिन प्रति दिन जो भ्रष्ट होता जा रहा है उसका कारण क्या है ?

अभी हाल में चिकमगलूर में जो चुनाव हुआ उसमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ वह आया कहां से ? अन्तरात्मा विदेशी और देशी तिजौरी में बन्द हो राजनीतिक मृत्यु, हो जाया करती है, हम अपने सिद्धांतो से, अपने विचारों से और अपने आदर्शों से गिर जाते हैं ।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह है कि भारतीय राजनीति में विदेशी पैसा काम में आया या नहीं ? यह सभी लोग जानते हैं और सरकार भी जानती है लेकिन सरकार के पास पता लगाने का स्रोत है । स्टीफन साहब ने इस गम्भीर आरोप के प्रति अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि तमाम मामले गलत हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी 11 वर्ष तक इस देश की प्रधान मंत्री रहीं और आज भी कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रही हैं, क्या उन्होंने कोई पत्र जिमी कार्टर को लिखा या सिनेट के सभापति को कोई पत्र लिखा कि तत्कालीन अमरीकी राजदूत श्री मोयनिहन ने गलत आरोप लगाकर हमारे व्यक्तित्व, भारतीय जनता की मर्यादा और प्रतिष्ठा को कलुषित किया है ? क्या उनकी ओर से इस प्रकार

का कोई पत्र लिखा गया कि इस गैरजिम्मेदार मोयनिहन ने गलत आरोप लगाकर हमारे देश के गौरव पर कीचड़ उछाला है ? इस सम्बध में स्टीफन साहब ने कुछ भी नही बतलाया, केवल इतना ही कहा कि यह तमाम बातें गलत है । और मोयनिहन साहब यहूदी हैं और उनके विचार असत्य से भरे हुए हैं । मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि विदेशी पैसा बुरा होता है इसलिए कि वह अपने साथ राजनीतिक और समाजिक दबाव लाता है, राजनीतिक और सामाजिक दबाव लाकर देश के स्वातंत्र्य को धक्का पहुंचाता है ।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह मामला केवल पैसे का नहीं है, यह एक गम्भीर चिन्तन का विषय है। भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसमें गांधी जैसे महान व्यक्ति पैदा हुए जवाहरलाल जैसे नेता पैदा हुए और जहां आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण अपने जीवन की आखीरी वेला में सम्पूर्ण क्रांति की योजना को कार्यान्वित कराने के लिए बेचैन हैं---ऐसे देश की यह दशा हो रही है। उन्होने तारकुंडे समिति की स्थापना की जिसने चुनाव प्रणाली के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । उन्होंने चुनाव प्रणाली में परिवर्तन के लिए अपनी राय दी लेकिन आज भी कोई बिल सरकार के सामने नहीं है । चुनाव की प्रणाली किस तरह से संशोधित की जाए, उस में किस प्रकार का परिवर्तन किया जाए, यह देखने की आवश्यकता है । चुनाव की प्रणाली अगर इसी तरह से बनी रहेगी, तो चाहे सी० आई० ए० का धन हो, चाहे के० जी० बी० आर दूसरा विदेशी धन हो और चाहे वह काला धन हो, उस का चुनाव में उपयोग होता रहेगा । इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि पैसा चाहे सी० आई० ए० से आए, चाहे के०जी०बी० से आए या कहीं और से भी आए, वह जहर की तरह राष्ट्रीय जीवन की धमनियो में बहने लगता है। इसलिए चुनाव जो स्वतन्त्र लोकतन्त्र का अधिष्ठान था, वह अनैतिकता और भ्रष्टाचार का संगठित केन्द्र बन गया है । कहीं से भी विदेशी पैसा या काला धन हो, वह इसी तरह से चुनाव में इस्तेमाल होता रहेगा । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि चुनाव की पद्धति को बदलो और यह काम किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है, यह सम्पूर्ण राष्ट्र के सामने एक चुनौती बन कर खड़ा है । हमारे देश में जो संसदीय लोकतन्त्र है, जो राजनीतिक यथार्थता है, इस को स्वीकार करने की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय, आप ने ठीक ही कहा था, चिदम्बरम चेटियार स्मारक में भाषण देते हुए आप ने संकेत दिया था चि चुनाव की प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है लेकिन कौन सुनता है इस नये कारखाने में तूती की आवाज । आप का व्यक्तित्व बड़ा भव्य है। जब मैं यह देखता हूं कि जहां राष्ट्रपति को सलाह नहीं मानी जाती है और जहां अध्यक्ष की सलाह नही मानी जाती है, वहां मैं नहीं जानता कि इस देश का भविष्य क्या होगा ।

इन शब्दो के साथ मैं यह कह कर समाप्त करता हूं कि यहां पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने से समस्या का निदान नहीं हो सकता । इसके लिए तो आप को चुनाव की पद्धति में परिवर्तन करने के बुनियादी सवाल को हल करना होगा ।

श्री नाथू सिंह (दौसा): अध्यक्ष महोदय, मुझे यह समाचार सुन कर अफ़सोस इसलिए नहीं हुआ क्योकि मैं जानता हूं कि यह देश विभिन्नताओं से भरा पड़ा है । जहां इस देश की धरती ने अपनी कोख से राम, कृष्ण, विवेकानन्द और गांधी को पैदा किया, सुभाषचन्द्र बोस, लाल बहादूर शास्त्री और जय प्रकाश जी को पैदा किया, इसी देश में रावण, कंस, जय चन्द और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी जन्म लिया । सच्चाई के साथ बुराई भी साथ चलती है इस देश में ।

श्री वसन्त साठे : आदमी कोई देखा नहीं इस तरह से बोलने वाला । तुम्हारी अकल को क्या हो गया है । तुम क्या बोलते हैं ? . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री नाथू सिंह : मैं ने एक बेवकूफी यह की कि इन्दिरा जी के साथ साठे जी का नाम नहीं जोड़ा ।

श्री वसन्त साठे : कुछ अकल रखकर बोलो । . . . **(व्यवधान)** . . . मेरा नाम लो, मुझे एतराज नहीं है ।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सोचा करता था कि इस देश में देशद्रोही का काम केवल स्मगलर्स करते हैं, केवल विदेशी लोक ही करते हैं यहां आकर लेकिन मुझे पता लगा कि जिस वर्ग मे मैं हूं, उस वर्ग के लोग भी इस तरह का दुष्कृत्य करते हैं । मुझे यह सुन कर शर्म आ रही है कि राजनीतिक लोग जो इस देश का भविष्य बनाने वाले लोग हैं, वे इस तरह से देश को दूसरे देशो के हाथो बेचने का काम करते हैं और देश के स्वाभीमान को विदेशों की झोली में डालने का काम करते हैं और उस व्यक्ति के बारे में जब मैंने सुना, जिस व्यक्ति के परिवार का इस देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा हाथ रहा है । मुझे मालूम नहीं था कि नेहरू के परिवार में इस तरह का व्यक्ति भी पैदा होगा । . . **(व्यवधान)** . . .

श्री वसन्त साठे : वह खुद कहता है कि उस को पैसा नहीं दिया ...(**व्यवधान**)...

श्री नाथू सिंह : उस ने देश को बेचने का काम किया है ।

श्री वसन्त साठे : आप किस प्रकार के विवाद की अनुमति दे रहे हैं ? वह स्वयं मना कर रहे हैं । मुझे इस पर शर्म आ रही है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री वसन्त साठे । आप उन्हे कहते जाने दे रहे हैं .... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है ।

श्री वसन्त साठे : मैं इसे बार-बार कह रहा हूं । इस प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । कृपया इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाए... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, उन्हे अपनी बात जारी रखने दे ।

श्री नाथू सिंह : चोर की दाढ़ी में तिनका । मुझे लग रहा है कि मि. साठे ने संजय गांधी से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया है । मैं नहीं कह रहा हूं मोनिहान कह रहे हैं । वह एक ईमानदार व्यक्ति हैं और ईमानदारी की बात कर रहे हैं । नन्दा देवी से लेकर केरल तक भारत का कण कण बोल रहा है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने कृत्य किया है । नन्दा देवी के मामले में भी पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन्कार किया था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया लेकिन जब तथ्य सामने आए तो चुप्पी साध गई । उस समय नहीं कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया था । इस मामले में भी कह रही हैं कि मैंने नहीं लिया है, एज़ ए प्राइम मिनिस्टर नहीं लिया है मैंने । आजकल भी उन पर थैलियां फैंकी जा रही है । श्रीमती इंदिरा गांधी की थैलियां बोल रही हैं कि विदेशों से धन उन्होंने लिया है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : किसने कहा है कि उसने पैसा लिया है ? श्री मोयनिहन इससे मुकर गए हैं।

श्री वसन्त साठे : महोदय, मैं नियम 353 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सोचा था कि मैं आपको जवाब देने का अवसर दूंगा । अब मुझे व्यवस्था के प्रश्न के बारे में सुनने दें ।

श्री वसन्त साठे : यह नियम 353 के अन्तर्गत है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कहता है "किसी सदस्य द्वारा मानहानिकारकर या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जाएगा । लेकिन यहां तो सारा विवाद ही इसी पर है ।

श्री वसन्त साठे : प्रस्ताव का विषय क्या है ? यह कहता है ?

"भारत में चुनावों के लिए अमरीकी सरकार द्वारा विदेशी धन के किए गए उस कथित भुगतान के बारे में चर्चा करना, जिसका श्री मोयनिहन ने अपनी पुस्तक, 'ए डेन्जरस प्लेस' में उल्लेख किया है।"

महोदय, अपनी पुस्तक में इस प्रकार का उल्लेख करने के बाद यदि वह व्यक्ति जनता के सामने स्वयं आकर यह कहता है कि उसने यह नहीं कहा कि पैसा श्रीमती गांधी को निजी रूप से दिया गया था...(**व्यवधान**) जब कि सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं यह कह चुका है कि उसने यह नहीं कहा कि पैसा कांग्रेस को दिया गया था, तो क्या यह आरोप बन सकता है ? क्या यह मानहानिकारक नहीं होगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्यों में नहीं जाना चाहता । अब क्योंकि आपने यह मुद्दा उठाया है, श्री मोयनिहन का यह ब्यान समाचार पत्रों में छपा था । यह व्यक्तिगत रूप से हमें नहीं सौंपा गया था; लेकिन यह "हमारी जानकारी को सौंपा गया था।" उक्त बयान ही उसने दिया है । यह कहना चाहिए कि यह हमारी जानकारी में है । यह वही है, जो मैंनें समाचारपत्रों में पढ़ा है । मैं गलत हो सकता हूं । मैं यह नहीं कह रहा हूं ...

श्री सी० एम० स्टीफन : समाचारपत्रों में यह लिखा था कि उसे इस बात का अवश्य पता होना चाहिए था; दूसरों को भी इस बात का अवश्य पता होना चाहिए था ।

अध्यक्ष महोदय : ये बातें संसद में कही जा रही हैं ।

श्री वसन्त साठे : वह बार-बार यह कह रहे हैं कि पैसा दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो नहीं कह रहा हूं कि वे ठीक हैं अथवा आप ठीक हैं ।

श्री वसन्त साठे : अन्यथा, उन्हें यह सिद्ध करना चाहिए ... **(व्यवधान)** श्रीमती गांधी के विरुद्ध कुछ भी कहा जा सकता है । लेकिन यदि ऐसा कुछ किसी और के खिलाफ कहा जाए. तो आप आपत्ति करते हैं .... **(व्यवधान)**

श्री नाथू सिंह : मैं कोट करता हूं मि० मोनिहान को । अगर इनको इस में आपत्ति है तो ये कोर्ट में जाएं, उन्होंने कहा है :

"दोनों बार पैसा कांग्रेस दल को दिया गया था, जिन्होंने इसकी मांग की थी । एक बार यह निजी रूप से श्रीमती गांधी को दिया गया था ।"

उपाध्यक्ष महोदय : बाद में उन्होंने इसमें संशोधन कर दिया है ।

श्री नाथू सिंह : अभी अभी एस० के० पाटिल साहब जो उस समय कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष थे उन्होंने कहा है कि उस समय कांग्रेस पार्टी को तो दिया कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से दिया गया हो उसका मुझे पता नहीं । उन्होंने भी यह कहना शुरू कर दिया है । इसका मतलब है कि उसका इशारा किस तरफ़ है, वह क्या कहना चाहते हैं, सीधे रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी का कोषाध्यक्ष था, दो बार मोयनिहन कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया, एक बार श्रीमती इन्दिरा गांधी को स्वयं को दिया गया 1959 में और दूसरी बार 1967 में । लेकिन, 1959 के बारे में श्री एस० के० पाटिल का बयान है वह कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उस समय नहीं लिया, व्यक्तिगत रूप से किसी ने लिया हो तो मुझे पता नहीं । इससे सिद्ध हो जाता है कि दाल में कुछ न कुछ काला है । क्योंकि श्रीमती इन्दिरा गांधी झूंठ बोलने में बहुत होंशियार हैं । यदि मुझे जज बना दिया जाय, आप तो अध्यक्ष जी, बहुत अच्छे जज रहे है, लेकिन अगर मुझे जज बना दिया जाय और दुनिया में कम्पटीशन हो झूठ बोलने का तो प्रथम पुरस्कार मैं श्रीमती गांधी को दूं क्योंकि इन्होंने रेकार्ड कायम कर रखा है झूंठ बोलने में ।

अध्यक्ष जी, 1959 में जवाहर लाल नेहरू जी प्रधान मंत्री थे, माननीय गोविन्द वल्लभ पंत गृह मंत्री थे और उस समय अमरीका में आइज़नहावर राष्ट्रपति थे और विदेश मंत्री श्री डलेस थे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टर विरोधी थे, और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का दुनिया में प्रभाव रोकने के लिये सी० आई० ए० के माध्यम से भारत में हस्तक्षेप किया । जब नेहरू जी को पता लगा, और कहा गया कि केरल में राष्ट्रपति शासन लागू करें, सरकार को भंग करें, तो माननीय पंत जी, माननीय नेहरू जी और मोरारजी भाई, इन तीनों ने इस बात का विरोध किया कि नहीं हम सरकार को भंग नहीं करेंगे । लेकिन श्रीमती इन्दिरा ने दबाव डाला कि उस सरकार को भंग करना पड़ेगा, और जब नेहरू जी को पता लगा कि मेरी बेटी ने यह कुकृत्य किया है तो मजबूरन उनको बात माननी पड़ी और केरल की सरकार को भंग करना पड़ा । यह नव निर्माण की बात गुजरात और बिहार में तो बाद में आयी, केरल में इन्दिरा गांधी द्वारा पहले चलायी गयी । उस समय भारत में फ़ौरेन ऐक्सचेंज नहीं था तो पी० एल० 480 का सारा रुपया यहीं रोक दिया क्योंकि उस रुपये को अमरीका सरकार ले कर क्या करती । इस पर 1967 में सी० बी० आई० की कमेटी जांच के लिये बनायी गयी, आज तक पता नहीं उसने क्या रिपोर्ट दी, रिपोर्ट भी दी कि नहीं, कुछ पता नहीं । और उसके बाद इन्दिरा गांधी नोन-ऐलाइनमेंट में विश्वास करती हैं और उसको इस तरह से लागू किया कि न केवल उन्होंने सी०आई०ए० से ही पैसा लिया बल्कि के० जी० बी० से भी पैसा लिया । पिछली बार उनके मंत्रिमंडल में जो मंत्री रहे हैं और, सी०पी० आई० के सदस्य भी रह चुके थे उन्होंने कहा है कि के० जी० बी० से उस समय कांग्रेस पार्टी ने दो करोड़ रु० लिया था। को उन्होंने नान-ऐलाइनमेंट मूवमेंट इस तरह से चलाया कि दोनों से उन्होंने पैसा लिया । जब इमरजेंसी लगायी सी० आई०ए० से सम्बन्ध टूट गये और के० जी० बी० से जुड गये, तो सी०आई०ए० ने संजय गांधी तो पकड़ लिया और किस तरह से नसबन्दी का काम चला यह सब को मालूम है । एक रात में संजय गांधी इस देश का राजकुमार बनने का स्वप्न देखने लगा । यह सब बातें सिद्ध करती हैं कि क०जी०बी० और सी०आई०ए० का पैसा यहां काम कर रहा था और उसके लिये उस समय की सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है

[श्री नाथू सिंह]

माननीय स्टीफन ने कहा है कि :

"सी० आई० ए० ने झूठ, चरित्र हनन और हत्या में विशेषज्ञता प्राप्त कर रखी है ।" श्री स्टीफन इस बात से यह पता चलता है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी वास्तव में सी०आई०ए० की एजेंट हैं क्यों कि वह भी इन दोनों में विश्वास करती हैं । मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि विदेशी बैंकों में किन किन भारतीयों का, चाहे वे राजनीतिज्ञ हों, बिजिनेसमैन हो या दूसरे लोग हों, कितना कितना पैसा जमा है । वह पैसा कहां से आया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए । श्री कंवरलाल गुप्त ने इस बारे में जांच करने के लिए संसदीय समिति बनाने का जो सुझाव दिया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । इस समय जो भी व्यक्ति राजनीति में है, जिसको सी०आई०ए० या के०जी०बी० से पैसा मिला है, उसको राजनैतिक जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं है । मेरी मांग है कि इसके लिए कानून बनाया जाये और संविधान में संशोधन किया जाये । मैं मांग करता हूं कि .....

श्री राज नारायण (राय बरेली) : अच्छा नमस्कार । हम तो जा रहे हैं । जिसको चाहे, बुलाइये ।

अध्यक्ष महोदय । आप रेस्ट करें ।

श्री राज नारायण : मैं पालियामेंट में बहुत दिन से रह चुका हूं । मैं अपने सम्मान को जानता हूं । जो व्यवहार हो रहा है, जैसे आपका दफ्तर असत्य बोलता है, उस तरह बोलना हम अपना अपमान समझते हैं । इस लिए मैं जा रहा हूं । (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : मैं मांग करता हूं कि ....

अध्यक्ष महोदय : मैं और अधिक कहने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

* **श्री नाथू सिंह** :

श्री उग्रसेन (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, कल इसके कि मैं इस बारे में कुछ अपनी राय जाहिर करूं, मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि श्री स्टीफन और श्री साठे ने इतनी वकालत की, लेकिन वे यह सिद्ध नहीं कर पाये कि मोहतरिमा ने अमरीका से पैसा लिया या नहीं । भूतपूर्व राजदूत, मोयनिहन, जिस दिन बिदाई ले रहे थे, तब वह एक बयान देना चाहते थे । लेकिन उनको डिप्लोमेटिक एडवाइस मिली कि वह बयान न दें । उन्होंने अमरीका में प्रैस कांफरेंस में जो बयान दिया, मैं उसको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । उन्होंने कहा :

"तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपना रवैया बदल दिया, वह दिन दूर नहीं था जब वह विपक्ष को नष्ट करेंगी और वैसा करने में वह भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करेंगी ।"

यह सर्टिफिकेट देकर वह चले गये ।

"उन्होंने नई दिल्ली स्थित दूतावास को गत पचीस वर्षों के लिये नई दिल्ली में अमरीकी भूमिका का पुनर्विलोकन करने के लिये कहा । अन्त में मैं संतुष्ट हुआ, हमने किसी राज्य के चुनाव में किसी राजनीतिक दल को, एक बार केरल में और एक बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में जहां कलकत्ता स्थित है, पैसा देने तक भारतीय राजनीति में बहुत थोड़ा, दो बार, केवल दो बार हस्तक्षेप किया ।

उन्होंने कहा कि दो बार देने के बाद हम ने किसी को रुपया नहीं दिया । इस पर मोहतरिमा को बड़ा आश्चर्य हुआ होगा, इस बारे में मोयनिहन ने कहा :

यह आगे कहते हैं :

"फिर भी, जैसा कि हम उन्हें और अधिक पैसा नहीं दे रहे थे तो यह अवांछनीय था कि वह इस बात पर आश्चर्य करें कि हम पैसा किसे दे रहे हैं यह ऐसी प्रथा नहीं है जिसे बढ़ावा दिया जाये ।"

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मोहतरिमा के जमाने में सी०बी०आई० की एनक्वायरी हुई थी और उसकी पूरी रिपोर्ट बनी थी । मैं मांग करता हूं कि उसको छपवा कर सदन की मेज पर रखा जाये । अगर इस बारे में कोई कठिनाई है, तो मंत्री महोदय वह बतायें ।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

मोयनिहन ने कहा है कि सी०आई०ए० ने जो पैसा दिया, यह गवर्नमेंट का मामला है, स्टेट डिपार्टमेंट जाने । मैं चाहता हूं कि सरकार या मंत्री महोदय अमरीका की सरकार को पत्र लिखें और पूछें कि किस को कितना रुपया दिया गया है । क्या उग्रसेन, राजनारायण, नानाजी देशमुख या मंत्री महोदय, एच० एम० पटेल, को दिया गया है ? इस बारे में जो जानकारी मिले, वह सदन की मेज़ पर रखी जाये।

यह नहीं कहा जा सकता है कि लेक्चर देने से विदेशी रुपया यहां नहीं आयेगा । जब हम कमजोर होंगे, तभी बाहर से रुपया आयेगा । मैंने बचपन में पढ़ा है कि गर्मी में गर्म हवा ऊपर उठती है और उस जगह को भरने के लिए अगल-बगल की हवा आ जाती है। जब हिन्दुस्तान की जनता, हिन्दुस्तान का जनतंत्र, 60 करोड़ का जनतंत्र मुरझा जायगा, मरने लग जाएगा, मृतप्राय हो जायगा तो ये विदेशी ताकतें जो बैठी हुई हैं, ये आएंगी । यह पूंजीवादी व्यवस्था है, उस का काम क्या है ? आप को क्यों चिन्ता होती है कि वह रुपये से आप को ठगता है, मारता है, आप की व्यवस्था को बदलना चाहता है? लेनिन ने एक जगह लिखा है, यह कामरेड समर मुखर्जी साहब से मैं कहना चाहता हूं—लेनिन ने एक स्थान पर लिखा है : यहां तक कि राज्य खरीद लिये जाते हैं, व्यक्तियों का तो कहना ही क्या है ? अरे, राज्य खरीदे जाते हैं, रियासतें खरीदी जाती हैं, मोहतरमा इंदिरा गांधी अगर खरीदी गई तो क्या बात है ? यह तो एक छोटी सी बात है । लेनिन ने यही कहा है, ।

कब ईमान लुढ़क जाय, कोई ठीक नहीं, और कब इंसान बदल जाय, कोई ठीक नही ।

जब गेंदा सिंह कांग्रेस में चले गए थे तो उन के लिए मैं ने असेम्बली में यह पढ़ा था । और मैं साठे साहब के लिए कहता हूं, इन्होंने जो कुछ मोहतरमा के लिए वकालत की, गुस्ताखी माफ हो, मुर्गी दिल से, चिकेन हार्ट से वकालत की। मुझे एक शेर याद आया स्टीफेन एंड साठे एंड ब्रदर्स लिमिटेड के ऊपर कि—

साहिल के तमाशाई अफसोस तो करते हैं
पर डूबने वाले की इमदाद नहीं करते ।

इंदिरा गांधी की वकालत करते करते देश में इतना फैला देते हैं कि जो ग्रामीण स्तर का मजदूर है, किसान है, पढ़ा-लिखा, कम पढ़ा-लिखा या अनपढ़ आदमी है, वह ऐसा समझता है कि चूंकि स्टीफेन साहब सफाई दे रहे हैं इसलिए जरूर दाल में कुछ काला होगा, मोहतरमा ने जरूर पैसा खाया है । एक बात और कहना चाहता हूं स्टीफेन साहब से । मारुति लिमिटेड हमारे सामने पैदा हुआ । मैं उस का इतिहास उस की तवारीख जानता हूं, जिन्होंने पैदा किया उन की भी तवारीख और इतिहास जानता हूं । मैं आप से पूछना चाहता हूं, वी०आर० मोहन के पैसे का क्या हुआ ? रौनक सिंह के पैसे का क्या हुआ ? जो बड़े बड़े लोगों ने पच्चीस पच्चीस, तीस तीस लाख रुपये जमा किए थे, और जिन्होंने दो दो तीन तीन लाख रुपये जमा किए थे कि हम एजेंट बनेंगे इन द नीयर फ्यूचर, उन के पैसे का क्या हुआ, कुछ पता चला ? एलेक्शन फंड जो लिया गया, 25 करोड़ रुपया हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों ने इंदिरा गांधी को दिया, उस का क्या हुआ ? आप हिसाब क्यों नहीं मांगते हैं ? हमारे यहां अगर सी०बी० गुप्ता साहब हिसाब न दें तो जनता पार्टी में ऐसे लोग हैं कि जो मारामारी करेंगे और हिसाब मांगेंगे । आप उन से हिसाब मांगिए और यह बात पार्लियामेंट में आएगी कि किस किस ने पैसा लिया । इंडिविजुअल्स ने भी पैसा लिया, मैं नाम नहीं बताना चाहता । तो कोई इंदिरा गांधी ही दोषी नहीं है, जो खाए हैं वह सब दोषी हैं। जो पापियों के पैसे पर चलते हैं वे देश के दुश्मन हैं । विदेशी धन का इस्तेमाल कर के जो अपनी रियासत इस देश में चलाते हैं, अपनी व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं टाटा, बिरला, सूरजमल, नागरमल के सहारे, वे सारे लोग दोषी हैं और जनतंत्र के, जम्हूरियत के दुश्मन हैं ।

इंदिरा गांधी की बात मैं करता हूं, स्पेशल कोर्ट बिल से काम नहीं चलेगा । मेरे साथी डा० बलदेव प्रकाश ने जो कहा, मैं उस का समर्थन करता हूं कि उन का पब्लिक चार्ज होना चाहिए । कहां कहां से उन्होंने पैसा लिया, वह सब बताना चाहिए । और मोयनिहन साहब से मैं कहना चाहता हूं कि परदे की आड़ से मत बोलिए । वह बयान देना चाहते थे— बड़ी डिप्लोमेटिक बात है—लेकिन उन को डर हो गया कि कहीं मोहतरमा उन को मिसा में न बन्द कर दें, इस डर से उन्होंने बयान रोक दिया और जब अपने देश में चले गए तो बड़े बहादुर बन गए और कहा कि शी वाज डेस्ट्रायिंग डेमोक्रेसी । अन्त

[श्री . सेम]

में उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी ऐसी लेडी हैं जिस ने 1 लाख 10 हजार आदमियों को जेल में बन्द कर रखा है और पीलू मोदी के बारे में पूछा तो इन्होंने कह दिया चव्हाण साहब ने कि वह बड़े मजे से जेल में हैं। हम भी जेल में बड़े मजे में थे मगर 99.9 परसेंट जितने मुकदमें चले एक भी उन में सही नहीं था ? शाह कमीशन में हमारे मुकदमे का क्या हुआ ? मैं ने एक दिन सी०बी०आई० के आफिसर से पूछा और कहा कि हम को मौका दो बयान देने के लिए ।

मैं दो तीन बातें दोहराना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि सी०बी०आई० . । जो जांच मोहतरमा ने बैठाई थी अपने जमाने में उस की रपट को आप सदन के पटल पर रखें । दूसरी बात यह है कि आप अमेरिका की सरकार को चिट्ठी लिखिए और उन से कहिए कि बतावें किस किस ने कितना कितना रुपया लिया है । तीसरी बात यह है कि जो कंवर लाल गुप्त ने प्रस्ताव रखा है एक संसदीय समिति का वह बनाई जाय, उस में स्टीफेन साहब रहे, ऊनीकृष्णन् साहब रहें, चव्हाण साहब रहें और आप लोगों की तरफ से कोई रहे, हमारी तरफ से माननीय राजनारायण जी रहें, लिमये साहब रहे, ये सब लोग जा कर प्रोब करें और फिर अपनी रिपोर्ट दें । वह रिपोर्ट भी यहां सदन की टेबल पर रखी जानी चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं कवंर लाल गुप्त जी की तजवीज का समर्थन करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि चाहे उस दल के लोग हों चाहे इस दल के लोग हों, जो कोई भी विदेशी निजाम हो, उस से पैसा ले कर कोई अपनी राजनीति नहीं चलाएगा । हम समाजवादी इसलिए नहीं है कि लेनिन ने कहा है या मार्क्स ने कहा है, हम इसलिए समाजवादी हैं कि हमारी सरेजमीन से समाजवाद पैदा हुआ, यह हम बता सकते है । इसलिए विदेशी पैसा, विदेशी निजाम, विदेशी विचार अगर आते हैं तो वह मुल्क को गद्दार बनाएंगे । इसलिए मैं चाहता हूं कि देश की जनता आगाह हो जाये और इन सफेदपोश नेताओं से भी वह जरा बचे । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

गृह मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस लम्बी चर्चा को काफी रूचि से सुना है परन्तु मैं यह कहूंगा कि कुछ को छोडकर शेष चर्चा अपशब्द और एक दूसरे के विरुद्ध तर्कों का मामला रही है । वास्तविक मुद्दा, जैसा कि प्रो० मावलंकर ने जोर दिया है, यह है कि यहां कोई ऐसी बात है जो प्रकाश में आई है तथा जो वास्तव में बहुत ही अत्यधिक अवांछनीय है; यह सुनिश्चित करने के लिये कि आगे ऐसी बात न हो, हमें क्या करना चाहिये ? ऐसा बताया गया है कि यह पैसा चुनाव लडने के लिये दिया गया है । अब हम जानते हैं कि इस देश में चुनाव अत्यधिक महंगे हो गये हैं और इसलिये चुनाव लड़ने के लिये पैसा एकत्न करने के प्रयोजन से विभिन्न तरीके अपनाये जाते हैं । हमने यह सुनिश्चित करने के लिये कि बड़ी कम्पनियां पैसा न दे; उस पर रोक लगे, विधायी तथा अन्य कार्य-वाही की है । वस्तुतः यद्यपि उससे पैसा देने के अन्य तरीके पनपे हैं, निश्चय ही काले धन का प्रसार हो रहा है और लोग चुनाव लड़ने के लिये उस काले धन का सहारा ले रहे हैं । अतः निश्चय ही कुछ कदम उठाने होंगे और इसलिये निर्वाचन सुधार अत्यधिक महत्वपूर्ण विषयों में से एक हैं जिन पर विचार करना होगा; ऐसे लोगों द्वारा चुनाव लड़े जाने के मामले में क्या किया जाये जो अपने आप पैसा नहीं जुटा सकते हैं ? पार्टियां भी उतना पैसा नहीं जुटा पाती हैं जितना चुनाव लड़ने के लिये चाहिये । यदि कोई इन बातों की वास्तव में अध्ययन करे तो यह एक ऐसी बात है जो विचार के लिये उत्पन्न होती है।

हमने पहले ही कार्यवाही की है । पिछली सरकार ने कार्यवाही की थी। मैं समता हूं कि विदेशी अंशदान अधिनियम अब हमारे विधान का अंग है । उसके अन्तर्गत जो कोई भी विदेशों से धन प्राप्त करता है उसे उस धन की घोषणा करनी होगी, जो धन सामान्यतया कानूनी ढंग से आता है उसकी घोषणा करनी होगी, जो कुछ भी आता है उसकी उस अधिनियम के अन्तर्गत गृह मंत्रालय के समक्ष घोषणा करनी होगी तथा उसकी अनुमति के बिना उसे नहीं लिया जा सकता । परन्तु वास्तव में हम जानते हैं कि पैसा आने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं और उन तरीकों का पता लगाया और अध्ययन किया जाना है । किसी ने यह बात भी बताई थी कि एक 'सैल' बनाया जाये । वास्तव में वह विद्यमान है । परन्तु उन बातों का अध्ययन किया जाना है । उदाहरण के लिये ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा पैसा दिया जाता है ।

आप व्यापारिक कम्पनियों को बहुत अधिक कमीशन देते हैं। आप कतिपय मूल्यों पर पुस्तकें सप्लाई करते हैं और उन पर कमीशन मिलता है। मैं यह कह दूं कि बहुत से तरीके हैं जिनसे पैसा दिया जाता है या दिये जाने का विश्वास किया जाता है क्योंकि ये ऐसे मामले हैं जिन्हें साबित करना आसान नहीं है। अतः जब कोई कहता है कि हमें इस पर रोक लगानी चाहिये तो हम उस पर रोक कैसे लगायें? हमारे देश में धन आने के इन गैर-कानूनी तरीकों को हम कैसे रोकें ? बहुत से भिन्न-भिन्न तरीके हैं। उदाहरण के लिये रुपये का व्यापार है जो कुछ देशों के साथ प्रचलित है। कुछ अन्य देशों के साथ अन्य तरीके प्रचलित हैं—जो यहां हैं– जिनके द्वारा वे भिन्न] भिन्न लोगों को पैसा देते हैं। अतः हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक निगरानी रखनी होगी और इन खामियों में से अधिक से अधिक खामियों को जहां तक संभव हो, दूर करने की कोशिश करनी होगी परन्तु यह कल्पना करना कि हम सभी खामियों को दूर कर पायेंगे, ऐसा करना संभव नहीं है। हमें यह करना चाहिये कि एक ऐसा वातावरण बनाया जाये जब सब लोग यह कहें कि यह एक ऐसी बात है जिसकी निन्दा की जाये, जिसकी अनुमति न दी जाये, जिसे सहन न किया जाये।

श्री स्टीफन ने वास्तव में जिस चीज का अधिक सहारा लिया, जब वह तर्क में असफल होने लगे या उनके तर्क समाप्त होने लगे, वह अपशब्द थे। उन पर बहुत तरस आता है। यह ऐसा विषय नहीं है जिसमें हम इस प्रकार की बातों को लेकर उलझा जायें। यह एक ऐसा विषय है जहां हम सभी को यह सुनिश्चित करने के लिये मिलकर सोचना चाहिये कि इस प्रकार की चीज को कैसे रोका जा सकता है। यह जारी है। हमें उसका पता है। यह कहने का क्या फायदा है कि सी०आई०ए० बहुत सी अन्य बातों में लगी रहती है ? ऐसी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं जो यह बताती हैं कि सी०आई०ए० किन भिन्न भिन्न तरीकों से काम कर रही है। वह एकमात्र आसूचना एजेंसी नहीं है जो चल रही है। वही एकमात्र आसूचना एजेंसी नहीं है। हमारी अपनी भी आसूचना एजेंसी कार्य कर रही है। अनेक अन्य देशों की एजेंसियां भी कार्य कर रही हैं। अतः हमें चौकस रहना है, कड़ाई से चौकस रहना है और यह सुनिश्चित करना है कि वे कम से कम नुकसान कर पायें। यही सब कुछ है जिस बारे में कोई कुछ कर सकता है। अतः मैं कहूंगा कि हम निश्चय ही इन मामलों की और अधिक पूरी तरह जांच करते हुए ऐसे मामलों का आगे पता लगायेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हर संभव खामी दूर की जाये।

जब लोग आसूचना एजेंसियों के बारे में बात करते हैं तो केवल यही एक ऐसी बात है जिसे शायद कोई कह सकता है और इसके बाद किसी भी दशा में जो कोई भी अमरीकी एजेंसी से धन लेना चाहेगा वह ऐसा करने से दूर रहेगा क्योंकि उसे यह कभी भी भरोसा नहीं हो सकता है कि किस समय उस संगठन का कोई आदमी इसे प्रकाशित कर देगा। यह कम से कम उनके लिये चेतावनी होनी चाहिये। यहां तक कि श्री गोविन्दन नायर के लिये भी यह बात आश्चर्य के रूप में सामने आई है कि ये बातें हो सकती हैं। परन्तु ऐसी बातें होती हैं।

मैं समझता हूं कि मैं इस पर विचार करूंगा। इस बात का उल्लेख किया गया कि हमें अमरीका को कहना चाहिये। हमने कहा है, भारत सरकार ने न केवल यहां पर स्थित दूतावास को हीं अपितु स्टेट डिपार्टमेंट को भी कहा है और दोनों ने कहा है कि, 'हमें कोई टिप्पणी नहीं करती है ...

श्री कंवरलाल गुप्त : (दिल्लीसदर) : इसका क्या मतलब है ?

श्री एच० एम० पटेल : आप जो चाहें, कह सकते हैं। उनकी सरकार हमारे अधीनस्थ नहीं है। वे जो चाहेंगे, कहेंगे। हमें उस पर विचार करना है। हम उनसे कहते रहेंगे परन्तु वे कह सकते हैं कि शायद हम आपको गोपनीय आधार पर कोई जानकारी देंगे जो आपके लिये अधिक उपयोगी नहीं होगी। परन्तु हमने उनसे कह दिया है। जब आपने पूछा कि क्या हमने उनसे अनुरोध किया है, जी हां, हमने उनसे अनुरोध किया है और हमने यह प्रश्न पूछा है।]

यह बात नहीं है कि क्या श्री मोइनिहन पूर्ण सत्य बोल रहे हैं या आंशिक सत्य परन्तु निश्चय ही, जब उन जैसे व्यक्ति ने लिखित प्रमाण दे दिया है तो उसमें कुछ न कुछ तो होगा ही। बेशक पूर्ण सत्य न हो। वस्तुतः किसी ने श्री मोइनिहन के बारे में बताया है कि वह कभी ....नहीं बोलते हैं...

श्री के० औ० उन्नीकृष्णन : पूर्ण सत्य ।

श्री एच० एम० पटेल : जी, हां । वह पूर्ण सत्य कभी नहीं बोलते हैं । किसी अन्य माननीय सदस्य ने कहा कि वह सारी झूट ही बोलते हैं । महोदय, ऐसे मामलों में वह स्थिति होगी । अतः मैं इसकी आगे जांच करने में रूचि नहीं रखता हूं क्योंकि इसके परिणामस्वरूप कुछ भी सामने नहीं आयेगा । जब लोग कहते हैं कि हमें जांच करनी है तो हमें ऐसे मामले की आगे क्या जांच करनी है जो कुछ वर्षो पहले हुआ था ? सारी जानकारी कौन देगा ? क्या किसी ने कोई रिकार्ड रखे है ? मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इसके कोई रिकार्ड होंगे ? तो हम किस की जांच कर रहे हैं ?

इस वाद विवाद से मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ बात सामने आई है वह यह है कि भविष्य के लिये हम यह देखें कि ऐसी बात घटित न हो । यह सुझाव दिया गया कि पार्टी के लेखे रखे जाने चाहिये और उनकी परीक्षा की जानी चाहिये, आदि । निश्चय ही पहले से एक कानून है और वित्त मंत्रालय से मेरे द्वारा गत वर्ष वह लाया गया था ...

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खजुराहो) : जब पहले ही रिकार्ड नहीं रखा है तो आगे क्या रिकार्ड रखेंगे ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप क्या विशिष्ट कार्यवाही करना चाहते हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : मुझे खेद है कि मैं आपको यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि हम क्या विशिष्ट कार्यवाही करने जा रहे हैं । यदि वह सरल सी हो तो मैं आपको निश्चय ही उसके बारे में बताऊंगा । आप जैसे भी सुझाव दें, मैं उनका स्वागत करूंगा । परन्तु यह बिल्कुल भी आसान बात नहीं है । जैसा कि मैंने बताया कि जब किसी भी चीज का आना होता है तो वह चोरी छिपे आती है । यह इतनी आसान बात नही है । हम सारे काले धन को बनने से क्यों नहीं रोक सकते हैं ? क्या केवल इतनी सी बात है कि हम ऐसा करना चाहते नहीं है ? काले धन को कम करने के लिये बहुत कदम उठाये गये हैं परन्तु अभी भी काला धन बनना जारी है । इन मामलों पर भिन्न-भिन्न तरीकों से कार्यवाही करने की कोशिश की जाती है । यह भी एक ऐसा मामला है जिसे दबाना अत्यधिक वांछनीय है । यह अत्यधिक वांछनीय है और इसे नियन्त्रण में लाया जाना चाहिये परन्तु ऐसा करना इतना आसान नहीं है । क्या कार्यवाही की जायेगी, यह मैं ठीक-ठीक नहीं बता सकता । मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि हम गृह मंत्रालय में उन सभी व्यक्तियों के साथ इस विषय पर अध्ययन करेंगे जो इन मामलों के विशेषज्ञ और अध्येता हैं तथा हम कोशिश करेंगे और यह देखेंगे कि अन्य देशों में क्या किया जा रहा है परन्तु मैं यह कहूंगा कि यह बहुत ही सीधा सा काम नहीं होगा ।

महोदय, मैं समझता हूं कि अब मुझे और कुछ नही कहना है । मैं समझता हूं कि मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल **10 बज कर 30 मिनट** म० पू० तक के लिये स्थगित होती है ।

मध्याह्न पश्चात् 7.50 बजे

इसके बाद लोक सभा मंगलवार, 8 मई, 1979/18 वैशाख 1901 (शक) के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

भा०स०मु०ना०—वि०6—205 लोक सभा (एन०डी०)/79—23-8-79—210